(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 11] दसवीं विधान सभा के ग्यारहवें सत्र का अठारहवां दिवस [संख्या : 11

गुरुवार,

23 जुलाई, 1998

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : तारांकित प्रश्नोत्तर।

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : उपाध्यक्ष महोदय, डूंगरपुर के एस.पी. मीणा था (व्यवधान) हत्या कर दी गयी है। (व्यवधान)

श्री गोपीचन्द गुर्जर (नगर) : एडीशनल एस.पी. को शराब माफियाओं ने उसके घर पर गोली से मार दिया (व्यवधान) और आत्महत्या में तब्दील किया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : मैं कहना चाहता हूं इस पवित्र सदन में, इस प्रकार से एस.पी. की हत्या होने लग गयी और जांच नहीं करायी गयी। (व्यवधान) इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है। (व्यवधान)

श्री गोपीचन्द गुर्जर : यह कानून व्यवस्था है? जब इस तरीके से शराब माफिया कानून की रक्षा करने वाले.....(व्यवधान) एडीशनल एस.पी. को उसके घर में मार सकते हैं तो आम आदमी की हालत क्या होगी? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें। (व्यवधान) माननीय सदस्य, कृपया बिराजें। (व्यवधान) कृपया बिराजें, आप। (व्यवधान)

श्री गोपीचन्द गुर्जर : उसकी सी.बी.आई. से जांच करायी जाए। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : उसकी हत्या कर दी। (व्यवधान) सी.बी.आई. से जांच करवाएं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामस्वरूपजी, बिराजें (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप बिराजें पहले। (व्यवधान)

श्री गोपीचन्द गुर्जर : उसको आत्महत्या में तब्दील किया गया है।

श्री रामस्वरूप मीणा : आत्महत्या में तब्दील कर रहे हैं इसलिये सी.बी.आई. से जांच करवाएं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री गोपीचन्द गुर्जर : × × ×

श्री रामस्वरूप मीणा : ×××

श्री मदन मोहन (खैरथल) : ×××

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें, माननीय सदस्य। एक मिनट बिराजें। माननीय सदस्य, जब तक आसन पर मैं आसीन न होऊँ तब तक आपको बोलने का अधिकार ही नहीं है। यह जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं, जीरो आवर आ रहा है उसमें कह देना।

श्री हरजीरामजी।

श्री रामस्वरूप मीणा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने आप से निवेदन कर दिया, आप बिराजें। कृपया प्रश्नकाल होने दीजिये।

श्री गोपीचन्द गुर्जर : ×××

श्री रामस्वरूप मीणा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : ×××

श्री गोपीचन्द गुर्जर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप बिराजें। अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं हो रहा है। बिराजें पहले, आप।

श्री गोपीचन्द गुर्जर : ×××

श्री मदन मोहन : ×××

श्री रामस्वरूप मीणा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बराबर आसन की अवहेलना कर रहे हैं। अंकित नहीं हो रहा है। कृपया आप बिराजें। हरजीरामजी बुरडक।

सहकारी संस्थाओं के चुनाव

233. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कुल कितने भूमि विकास बैंक एवं जिला सहकारी बैंक हैं? उक्त में से कितनों के चुनाव नहीं होने के कारण प्रशासक लगे हुये हैं? वर्तमान में किस-किस में प्रशासक लगे हुये हैं?

(2) सरकार ने वर्तमान में उक्त संस्थाओं का कार्यकाल समाप्त होने पर चुनाव कराने की घोषणा कब-कब की है तथा उक्त घोषणा पर अमल किस प्रकार से कब-कब किया गया?

(3) अब उक्त सहकारी संस्थाओं के चुनाव कब तक करा दिये जायेंगे?

सहकारिता मंत्री (श्री सुजान सिंह यादव) : (1) राज्य में कुल 33 सहकारी भूमि विकास बैंक एवं 26 केन्द्रीय सहकारी बैंक कार्यरत हैं। 26 केन्द्रीय सहकारी बैंकों में वर्तमान में चुनाव नहीं होने के कारण प्रशासक लगे हुये हैं।

(2) भूमि विकास बैंकों में निर्वाचन माह जनवरी, 1997 में संपन्न कराये गये हैं। केन्द्रीय सहकारी बैंकों के चुनाव पैक्स/लैम्पस के निर्वाचन के पश्चात् कराये जाते हैं क्योंकि इनके 9 निर्वाचित संचालकों में से ग्राम सेवा सहकारी समितियों/लैम्पस से 7 निर्वाचित

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

Page No. 3

(3)

(श्री सुजान सिंह यादव)

प्रतिनिधि भी आते हैं। इनके निर्वाचन की घोषणा क्रमशः अप्रेल-मई, 1994, माह सितम्बर 1994 (माह दिसम्बर 1994-जनवरी, 1995 हेतु) सितम्बर, 1995, फरवरी-मार्च, 1997 एव तत्पश्चात् नवम्बर, 1997 (जनवरी-फरवरी) 1998 हेतु) में की गयी किन्तु क्रमशः विधान सभा के कतिपय माननीय सदस्यों की मांग पर, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होने के कारण महाराष्ट्र, गुजरात राज्य की निर्वाचन प्रक्रिया का अध्ययन कराने का निर्णय लेने, लोक सभा/विधान सभा के उपचुनाव एवं विधान सभा का सत्र होने तथा 12वीं लोक सभा के निर्वाचन होने से नहीं कराए जा सके।

(3) केन्द्रीय सहकारी बैंकों के निर्वाचन इनकी सदस्य समितियों (पैक्स/लैम्पस) के निर्वाचन अगस्त/सितम्बर में कराये जाने के पश्चात् कराये जायेंगे।

श्री हरजीराम बुरडक : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय ने जवाब दिया इससे स्पष्ट है कि सरकार की मानसिकता जनप्रतिनिधियों के प्रति क्या है और सरकारी तंत्र के प्रति क्या है। आपको यह जानना चाहिये कि सारे सरकारी अधिकारी कोई भ्रष्ट नहीं हैं और कोई सारे के सारे अच्छे नहीं हैं इसी तरह से सारे जनप्रतिनिधि भी ऐसे नहीं हैं। जिस प्रकार से आपको प्रशासक नियुक्त करने का अधिकार है उसी सैक्शन में आपको बोर्ड गठित करने का भी अधिकार है उस प्रशासक की जगह अगर इतने लम्बे समय तक चुनाव नहीं कराने हैं तो आपको बोर्ड गठित करना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि जनवरी, 1994 से आप प्रयास कर रहे हैं। कितनी बार आपने घोषणाएं कीं? चार साल में आपको कोई भी ऐसा समय नहीं मिला, जिसमें लोक सभा के चुनाव हो गये, विधान सभा के उप चुनाव हो गये, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हुये साढ़े तीन साल हो गयी इसके बीच में आपको कोई समय नहीं मिला? यह सारे के सारे आपने बहाने बनाये हैं। जिस प्रकार से आप प्रशासक लगा रहे हैं उसी प्रकार से आप अगर चुनाव नहीं करवा रहे हो, तो आप यह कहिये कि हम वहां बोर्ड बनाएंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : बोर्ड कहां बना रहे हैं?

श्री हरजीराम बुरडक : नहीं, बना नहीं रहे हैं मैं मांग कर रहा हूं कि बनाना चाहिये। इसमें दिक्कत क्या है?

श्री खेतसिंह राठौड़ : दिक्कत यही है कि सब अपने आदमियों को बना कर बैठा देंगे। (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरडक : सुनिये तो सही आप।

मान लो कि आप यह कहें कि हम किस को बनाएं, किस पार्टी का बनाएं या किस आदमी को बनायें, इसके लिये आप ऐसा कर सकते हैं कि जिले में जितनी पंचायत समितियां हैं उन पंचायत समितियों के प्रधान को बना दीजिये बोर्ड में और प्रमुख को

(श्री हरजीराम बुरडक)

चेयरमैन बना दीजिये। उसमें सारी पार्टी भी आ जाएगी और उन्हीं के सहकारी बैंकों से काम पड़ रहा है इसलिये प्रशासकों की जगह बोर्ड गठित करें।

दूसरा, जो आपने 33 भूमि विकास बैंकों के चुनाव कराये हैं, क्या उनमें भी आज की तारीख में कोई प्रशासक लगे हुये हैं? इसका आपने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया।

अगला सवाल मेरा यह था कि जैसे आपने आप बैंकों और केन्द्रीय सहकारी बैंकों में कलक्टर को प्रशासक बना दिया है, इसके पीछे क्या लोजिक है? कलक्टर पहले से ओवरलोड है, उनको टाइम मिलता नहीं है। कलक्टर बोर्ड की जगह काम कर रहा है, बोर्ड अगर कोई गलत डिसिजन लेगा तो उसका आपके कोआपरेटिव विभाग के अधिकारी एक्शन लेंगे कलक्टर के खिलाफ एक्शन लेने वाला कोई अधिकारी है आपके पास, आज तक लिया है किसी ने? आपके बोर्ड के सैकड़ों डिसिजनों को बदला है, आपने उनके खिलाफ कार्यवाही की है?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें। क्वेश्चन बहुत हो गये। काफी लम्बा हो गया।

श्री हरजीराम बुरडक : क्वेश्चन लम्बा है लेकिन महत्वपूर्ण है।

एक भी प्रशासक के खिलाफ आज तक आपने कोई भी कार्यवाही की हो, तो बता दीजिये। क्या सारे के सारे प्रशासकों के निर्णय तो सही हैं और जनप्रतिनिधियों के निर्णय गलत हैं? आप इन सारी परिस्थितियों का उत्तर दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप मंत्रीजी को सुनिये पहले।

श्री सुजान सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विभाग की डिमाण्ड थी उस दिन भी मैंने स्पष्ट किया था। चुनाव हम अगस्त-सितम्बर में करने जा रहे हैं। फिर भी माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमने 6 वर्ष तक निरन्तर प्रयास किये हैं कि हम चुनाव करवाएं, किसी न किसी कारण से चुनाव आगे चलते रहे। मेरी और सरकार की नीयत ऐसी नहीं थी कि हम इन संस्थाओं के चुनाव नहीं करवाएं। हमने आपके अनुरोध पर भी चुना टाले हैं, महाराष्ट्र गुजरात के पैटर्न पर भी अध्ययन कराने के लिये हमने चुनाव की प्रक्रिया टाली है, उसमें कुछ संशोधन किये हैं और वो संशोधन बहुत ही अच्छे संशोधन हैं जिनके अध्ययन में हमको टाइम लगा। उसके बाद लोक सभा के चुनाव आ गये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अब विधान सभा के चुनाव आ रहे हैं।

श्री सुजान सिंह यादव : अब क्या करें तो, अगस्त-सितम्बर की मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। (व्यवधान)

माननीय सदस्य, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनें। यदि आप ऐसा चाहते हैं तो ग्राम सहकारी समितियों में तो हमने कोई प्रशासक लगा नहीं रखे।

श्री हरजीराम बुरडक : ठीक है वह।

श्री सुजान सिंह यादव : आप आगे चाहते हैं तो हम आगे की प्रक्रिया चालू कर दें आपको मंजूर है? और कानून में ऐसा कोई प्रावधान है, तो हम कर देंगे। ग्राम सेवा सहकारी समितियों में तो कोई प्रशासनिक नहीं लगा रखे। यदि आप उचित समझें तो हम यह कार्यवाही कर सकते हैं। आप हमको.........

श्री हरजीराम बुरडक : आप तो उसमें बोर्ड बना दो। केन्द्रीय सहकारी बैंकों में सारे पंचायत समितियों के प्रधान जो जिले में चाहे किसी भी पार्टी के हों.....(व्यवधान) बोर्ड बना दो।

श्री सुजान सिंह यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी बात बताऊं तो आप अचम्भित हो जाओगे। आपने कितनी-कितनी साल के बाद चुनाव करवाये? आपका इतिहास बताऊँ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया शांत रहें। सुनें।

श्री सुजान सिंह यादव : आप मुझे इजाजत दें। इतिहास बताता हूं। आप ज्यादा प्रजातांत्रिक हैं, हम तो प्रजातांत्रिक हैं ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, आप तो इसी सवाल का जवाब दे दीजिये। इतिहास पर मत जाइये।

श्री सुजान सिंह यादव : नहीं साहब, ये सुनना नहीं चाहते बात को।

श्री उपाध्यक्ष : सुन रहे हैं।

श्री सुजान सिंह यादव : आप कितने प्रजातांत्रिक हैं और हम कितने प्रजातांत्रिक हैं। यह बात बताऊँ क्या? आप सुनना चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : आप कितने प्रजातांत्रिक हैं, यह भी देख रखा है। (व्यवधान)

श्री सुजान सिंह यादव : आपने कितने साल के बाद चुनाव करवाये, मैं आपकी बात बता रहा हूं। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : कांग्रेस में जब आप मंत्री थे तब भी आप प्रजातांत्रिक नहीं थे और अब भी प्रजातांत्रिक नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : मंत्रीजी, आप तो जवाब दो। हमसे मत उलझो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री धारीवालजी, थोड़ा सुन लीजिये आप। कृपया बैठ-बैठे नहीं, माननीय सदस्य।

श्री रामस्वरूप मीणा : हमारी बात तो बता दें ये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरूपजी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप स्वयं भी कांग्रेस के शासन में मंत्री थे.........(व्यवधान)

श्री सुजान सिंह यादव : कि राजस्थान राज्य सहकारी बैंक की 14-10-53 में स्थापना हुई। आपने 24-4-73 को चुनाव करवाये। 1990 में सरकार आयी 18-8-94 को 21 वर्ष

(श्री सुजान सिंह यादव)

बाद हमने चुनाव करवाये। आपने कतई नहीं करवाये। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : आप उस समय कांग्रेस में नहीं होते तो हो जाते चुनाव। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप कांग्रेस में मंत्री रहे और कांग्रेस को डुबाने वाले आप हैं। अगर आप जैसे + + + मंत्री कांग्रेस में नहीं होते, तो यह राज हमारे हाथ से नहीं जाता.......

श्री सुजान सिंह यादव : अब ये मंत्री कोई कहां रहे, मैं कांग्रेस में था और आज इधर में बैठा हुआ है लेकिन आपकी बात को बताऊं कि आपने क्या-क्या किया?

श्री हरिसिंह (महुआ) : और अब भैरोंसिंह जी को भी आप ही डुबोओगे।

श्री रामस्वरूप मीणा : बहुत अच्छा आप जल्दी से जल्दी डुबो दो। डुबो दो इनको।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) : उपाध्यक्ष महोदय, बड़े + + + आप + + + कि अब कांग्रेस के कार्यकाल की याद दिला रहे हो। + + + (व्यवधान) कांग्रेस की देन है।

श्री सुजान सिंह यादव : जब मैं आपकी + + + हूं तो आप मेरी बात सुनते नहीं। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : (व्यवधान) + + +

श्री महावीर प्रसाद जैन : (व्यवधान) + + + इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, आप इन्हें रोकिये। (व्यवधान) मंत्रीजी का जवाब सुनें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री राधेश्यामजी गंगानगर। अभी मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। ठहरिये अभी। मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। वे खड़े हैं, देने दीजिये। आपको जवाब तो सुनना चाहिये। (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरडक : जैसे कोई भाषण देते हैं वैसे भाषण दे रहे हैं। मेरा स्पेसिफिक सवाल है। (व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (बल्लभनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को निर्देश दीजिये कि वे स्पेसिफिक उत्तर दें। पुरानी बातों को नहीं बतायें। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : कि डीजल में कितना केरोसिन मिलाते हैं?

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : ये इतिहास बता रहे हैं। + + + (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : आप कांग्रेस की देन हैं श्रीमन्। आप आये कहां से? आपका स्वरूप क्या है? 40 साल तक कांग्रेस का नमक खाकर आज कांग्रेस की खिलाफत करते हैं। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : आप नहीं होते तो हो जाते चुनाव। आप जैसे मंत्री महोदय थे इसलिये नहीं हुये चुनाव।

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री सुजान सिंह यादव : मेरे ऊपर आप कोई लांछन नहीं लगा सकते।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है पाइंटेड। किसने मांग की थी कि चुनाव पोस्टपोन कराये जाएं? अगर 1996-97 के अन्दर कोई कारण नहीं होते हुये भी।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें।

श्री राधेश्याम गंगानगर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनकी जांच करायी जाए। नाम कैसे लिया?

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : चार बार डिक्लियर करके ये चुनाव नहीं करवा पाये। तो अब कैसे इन पर विश्वास करें? क्या विश्वसनीयता है?

श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई) : माननीय उपाध्यक्षजी, मार्केटिंग के चुनाव करवाये जाएं। (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : उपाध्यक्ष महोदय, ये कह रहे थे कि 40 साल से कांग्रेस का नमक खाया। जरा इनको पूछो कि वह कांग्रेस के नमक वाली फैक्ट्री कौनसी है?

श्री राधेश्याम गंगानगर : फैक्ट्री ये रही, ये रही माननीय सदस्या। ये फैक्टरी आपके पास है। बिजली का खम्भा नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : बिजली के खम्भे नहीं हैं ये।

श्री सुजान सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की स्थापना 26-3-57 को हुई। आपने 8-5-72 को चुनाव करवाये..........(व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय सदस्य ने स्पेसिफिक सवाल पूछा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अभी मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं। थोड़ा धैर्य रखिये। जवाब अभी पूरा नहीं हुआ है, दे रहे हैं वह। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : सर्वे किया कि नहीं?

श्री हरजीराम बुरडक : सर्वे ही नहीं हुआ है। (व्यवधान) मेरे स्पेसिफिक दो सवाल हैं।

श्री सुजान सिंह यादव : उसका भी जवाब दे रहा हूं माननीय सदस्य। मेरा जवाब तो ये सुन लें। उपाध्यक्ष महोदय, इनकी कार्यवाही तो सुन लें कि इन्होंने क्या किया। ये धैर्य तो रखें कुछ।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, खुद का इतिहास भी तो बता देवें जब यह सहकारी समितियों ने चुनाव का इतिहास बना लिया तो।

श्री हरजीराम बुरडक : मेरा स्पेसिफिक सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप जवाब नहीं सुनना चाहते हैं। मैं दूसरा सवाल पुकार रहा हूं।

श्री हरजीराम बुरडक : हम तो उत्तर सुनना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं-नहीं, उत्तर सुनिये फिर आप। मंत्री महोदय अभी जवाब दे रहे हैं आप सुन लें।

श्री हरजीराम बुरडक : क्या जवाब दे रहे हैं ये ? ये तो 1952 की बात कर रहे हैं।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर) : नहीं, अपना इतिहास बता रहे हैं वे तो।

श्री सुजान सिंह यादव : अब इन्होंने 8-5-73 को चुनाव करवाये। मैंने करवाये 26-2-97 को, 24 वर्ष के बाद। अब आप देखो प्रजातांत्रिक आप हैं कि हम हैं ?

श्री हरजीराम बुरडक : आप चाहो जो बताओ। (व्यवधान)

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) : अब आप आगे तो चलो। (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : श्रीकृष्ण के अवतार आप ही हुये हो। पहले तो + + + कांग्रेस के नाम पर, अब बात करते हो अपनी। + + +

श्री सुजान सिंह यादव : आप सुनने की चेष्टा नहीं करते। पोल खुल गयी है।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : + + + (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : लोक सभा के चुनावों में कांग्रेस के साथ आपने क्या किया ?

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : जो इनको पूछो क्या हुआ इनके यहां ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : बताओ क्या हुआ ?

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : इनसे पूछो क्या हुआ ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपने क्या किया ? आपको नोटिस क्या मिला ?

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंटेड स्पेसिफिक प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें, माननीय सदस्य।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : आपने खुद की मांग पर स्थगित किये। पांच वर्ष तक विधान सभा के कार्यकाल में जो एक तरफ कारण बताये हैं। क्या ये, मंत्री महोदय की निष्क्रियता साबित नहीं करता है ? पांच बार चुनाव स्थगित करके क्या यह सिद्ध नहीं करता है कि मंत्री महोदय पूरी तरह अकर्मण्य हैं ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : कांग्रेस को हराने के लिये......... (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : ये जाएंगे अब। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इस्तीफा दे दो। (व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्तियां अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयीं।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : ....और कैसे इनकी बात पर विश्वास करें। पांच बार जब घोषणा करने के बाद चुनाव नहीं करवाये तो छठी बार क्या ये चुनाव करवाएंगे? किस प्रकार से यह सदन और राजस्थान इस पर विश्वास करेगा?

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय कांग्रेस का नाम ले रहे हैं। कांग्रेस में उस समय कौन था? इन्होंने तो सारा का सारा किया है। ये जिस जगह बैठे हैं जिस डाल पर बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। कम से कम इतनी तो + + + कि मैं यहां बैठा था मैंने नहीं कराये और फिर इस वक्त वहां बैठ गये और कांग्रेस को बदनाम करने की बात कर रहे हैं। (व्यवधान) + + +

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराज जाएं, माननीय सदस्य। श्री मोहनलालजी मोदी, बिराज जाएं, सुनिये साहब, मुख्य सचेतक महोदय, नैक्स्ट, श्री नाथूराम अहारी।

श्री हरजीराम बुरडक : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर दिलवाएं आप।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं। आप सवाल का जवाब नहीं सुनना चाहते। मैंने दूसरा सवाल ले लिया। नहीं। श्री नाथूराम अहारी।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : प्रश्न संख्या 234.

श्री उपाध्यक्ष : यातायात मंत्री महोदय।

श्री हरजीराम बुरडक : ये उत्तर क्या दिया है इन्होंने?

श्री उपाध्यक्ष : इन्होंने उत्तर खूब दिया लेकिन आप सुनना नहीं चाहते। हम क्या करें? आप उत्तर सुनना ही नहीं चाहते हैं। अगर आप सुनना चाहते हैं तो मंत्री महोदय से दुबारा निवेदन करूं? (व्यवधान) पहले आप मेरी बात सुनिये। आप बिराज जाएं। मंत्री महोदय। कृपया शांति से सुनें। श्री मोहनलालजी मोदी।

श्री सुजान सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, एक-दो मिनट और लूंगा फिर मैं आपको जवाब दूंगा। (व्यवधान) राजफैड की 26-11-57 को स्थापना हुई। आपने 21-2-73 को चुनाव करवाये और 9-6-92 को हमने चुनाव करवाये। 19 वर्ष बाद। उपभोक्ता संघ की 27-3-67 को स्थापना हुई, पंजीयन के चुनाव नहीं, 10-6-92 को हमने करवाये। आपने नहीं करवाये। सहकारी मुद्रणालय..... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप कहां थे उस समय?

श्री उपाध्यक्ष : कौन कहां थे इसका कोई मतलब नहीं है। यहां इसका कोई मतलब नहीं है कि कौन कहां था। (व्यवधान)

श्री सुजान सिंह यादव : सहकारी मुद्रणालय की 1960 में स्थापना हुई, 30-1-75

+ + + अभिव्यक्तियां अध्यक्षपीठ के अनुसार अपलोपित की गयीं।

Page No. 10

(10)

(श्री सुजान सिंह यादव)

में आपने चुनाव करवाये, 31-10-94 को हमने चुनाव करवाये, 19 वर्ष बाद।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, आप खुद भी मजे ले रहे हो, आपको भी आनन्द आ रहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया सुनें।

श्री सुजान सिंह यादव : बुनकर संघ की 26-8-57 को स्थापना हुई। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय को जवाब देने का अधिकार है। वह जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान) आपका कर्तव्य है कि आप सुनें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह क्या जवाब दिलवा रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं तो आपके कर्तव्य का भान करा रहा हूं। आपका कर्तव्य है कि आप मंत्री महोदय को सुनें। बिराजें आप। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : अभी एक प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया श्री लक्ष्मण सिंह जी रावत साहब, आप बार-बार व्यवधान डाल रहे हैं बार-बार।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : मूल प्रश्न क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष : आप फिर व्यवधान डाल रहे हैं। श्री लक्ष्मण सिंह जी रावत साहब, बार-बार नहीं। (व्यवधान) कृपया बिराजें, आप बिराज जाएं। कृपया बिराजें, श्रीमान शांति धारीवाल जी।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : पहले आप प्रश्न का जवाब तो दिलवा दीजिये। यह तो पता नहीं कहां की बात कर रहे हैं।

श्री सुजान सिंह यादव : राजस्थान राज्य सहकारी संघ की 1957 में स्थापना हुई, 15-5-74 को आपने चुनाव करवाये..... (व्यवधान) 18-10-94 को हमने करवाये..... (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, + + + प्रश्न क्या है बोल क्या रहे हैं। क्या बोल रहे हैं मंत्री महोदय ?(व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : चार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहे हैं। (व्यवधान) बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहे हैं यह कोई प्रश्न है क्या।

एक माननीय सदस्य : आप मंत्री हैं या + + + (व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा : आप मूल प्रश्न का जवाब दे दो। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : उसका जवाब है कि हमने क्या किया। (व्यवधान)

श्रीमती शशीदत्ता (टीबी) : यह सन् 57 की क्रांति की लड़ाई नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, जवाब दिलवाइये। (व्यवधान)

+ + + शब्द/अभिव्यक्तियां अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयीं।

श्री राधेश्याम गंगानगर : + + + (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें। कृपया कोई सप्लीमेंट्री नहीं। मैंने दूसरा सवाल पुकार लिया, श्री नाथूराम अहारी। मंत्री महोदय, कृपया बिराज जाएं (व्यवधान) मैंने दूसरा सवाल पुकार लिया, माननीय सदस्य। श्री रामस्वरूप जी, बिराजें। कृपया बिराजें, कृपया, कृपया। (व्यवधान) आप तो बिराज जाएं, मेहरबानी करके बिराजें।..........(व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : यह क्या जवाब है ?

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : आप तो यह कहते हो न, उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जवाब देने में कच्चा नहीं है.....(व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : यह आसन का आर्डर का नहीं मान रहे।

श्री जगदीप धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न पूछना चाह रहा हूं.....(व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : आप कह रहे हो मैंने दूसरा प्रश्न कर लिया और वह कह रहे हैं मुझे जवाब देना है। आप जवाब देने दो इनको। यह बड़ा गहरा आर्डर मान रहे हैं आपका देख लो.....(व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपको कक्ष में भी कहा, एक सप्लीमेंट्री पूछना चाह रहा हूं मंत्री जी से.....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह जवाब देंगे तब ही तो मंत्री महोदय हैं.....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : उप नेता महोदय, कुछ व्यवस्था बनाइये। क्या हो रहा है यह आपके दल में। दस-दस माननीय सदस्य एक साथ खड़े होकर बोल रहे हैं। यह कौनसा तरीका है।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मंत्री जी व्यवस्था तो आप कराइये। (व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (उप नेता, प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न सीधा है और उत्तर भी सीधा है। + + + बंद करवा दीजिये और जो सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछा है उसका जवाब दिलवा दीजिये शांति कायम हो जाएगी।

श्री सुजान सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, यह + + + नहीं है। यह आपकी सच्चाई, यह विभाग की सच्चाई की बात है। यह + + + नहीं है........(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : चार बार। + + +

एक माननीय सदस्य : आपके किये गये कामों पर बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्नकर्ता ने यह कहा कि इस सरकार का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। दूसरा इन्होंने कहा कि इन्होंने + + + कर दिया। अब किसने + + + कर दिया और

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

किसका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है इन बातों का जवाब तो देना ही पड़ेगा माननीय मंत्री महोदय को। अब आप बताइए प्रश्न आपका है अब वह जवाब दें, नहीं दें। आपने कहा कि इस सरकार का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है (व्यवधान) दूसरा इन्होंने कहा कि इन्होंने लोकतंत्र में संस्थाओं का + + + कर दिया है। अब उसका जवाब देंगे कि नहीं देंगे ?(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट की चीफ व्हिप ही आपको कोआपरेट नहीं कर रहे हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि सदन शांतिपूर्वक तरीके से चले। आपने हमें तो कहा लेकिन यह क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट के चीफ व्हिप क्या कर रहे हैं ?(व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : यह + + + बंद कर दीजिये। यह + + + बंद कर दीजिये। सवाल का जवाब दीजिये। (व्यवधान)

श्री शांतिलाल खोईवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह रामस्वरूपजी मीणा को क्या हो गया है......(व्यवधान)+ + + यह इस तरह कर रहे हैं। यह माननीय सदस्य इस तरह + + + कर रहे हैं इसका कोई औचित्य नजर नहीं आता। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें। कृपया, माननीय सदस्य, सुनिये आप। श्री अहारी। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : जाते जाते इतिहास बनाकर जाओ। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण व्यवस्था से जुड़ा हुआ अहम् प्रश्न है कि सहकारी संस्थाओं के चुनाव कब होंगे और सवाल में यह स्पष्ट पूछा गया कि आप चुनाव कब तक करा देंगे ? मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं सरकारी पक्ष को.........

श्री सुजान सिंह यादव : बता तो दिया अगस्त-सितम्बर में करवा देंगे।

श्री जगदीप धनखड़ : कि सरकार भा.ज.पा. की हो या कांग्रेस की हो या किसी अन्य दल की हो। किसी को कहने का यहां अधिकार नहीं है हम थे या वह नहीं। सरकार एक कंटीन्यूटी की चीज है। किसी भी पार्टी की सरकार हो वह उत्तरदायी है। मैं, मान्यवर, आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि मंत्री जी से कि आपके राज में 26 बैंकों के चुनाव तो आपने करवाये नहीं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया कि प्रशासक जो लगाते हैं, उनकी जगह आप क्यों नहीं इस प्रकार का बोर्ड बनाएं जो निर्वाचित लोग कहीं और आते हैं प्रधान होकर, जिला प्रमुख होकर। तो, इस प्रकार की व्यवस्था क्या आप करने को तैयार हैं, नम्बर एक। नवम्बर दो, उपाध्यक्ष महोदय,.........

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : एक का ही उत्तर आ जाने दीजिये।

श्री जगदीप धनखड़ : हां, मंत्री महोदय इसका जवाब दे दें पहले कि प्रशासकों को हटाकर निर्वाचित या अन्य बोर्ड का गठन आप कब तक कर देंगे। इसके अलावा आप कुछ मत दीजिये। फिर दूसरा पूछेंगे बताइए।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय। (व्यवधान) कृपया सुनें आप। नो-नो, दिस इज बैड। यह ठीक नहीं है बिराजें।

श्री सुजान सिंह यादव : बात मेरी पूरी करूंगा मैं। उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति निगम 28-3-80 को स्थापना हुई गठन के बाद से निर्वाचन नहीं हुये 29-6-96 को हमने चुनाव करवाये हैं। पहली दफा हमने चुनाव करवाये हैं। पहली दफा.....(व्यवधान)

श्रीमती शशीदत्ता : क्या दे रहे हैं ये? (व्यवधान)

श्री अनंग कुमार जैन (राज्य मंत्री, वित्त) : सरकार का जवाब सुनना पड़ेगा इनको। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : यह क्या कह रहे हैं? आपने अलाउ किया है क्या इनको?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें आप, माननीय सदस्य। कृपया, रामनारायण जी, एक मिनट। सुनिये आप।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : मंत्री महोदय की सवाल सुनने की क्षमता कम हो गयी है या सवाल समझने की क्षमता कम हो गयी है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप तो क्षमता रखिये। मेरी बात सुनिये। स्पेसिफिक सवाल पूछा है मंत्री महोदय, चुनाव कब तक करा देंगे इसका उत्तर दीजिये आप।

श्री सुजान सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी कहानी पूरी नहीं हुई है। माननीय सदस्य एक एक प्रश्न में एक-एक घंटा लेते हैं ये लोग। आज मेरी बात सुनने के लिये तैयार नहीं हैं। ये एक-एक घंटा लेते हैं एक-एक प्रश्न में।

श्री राधेश्याम गंगानगर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके आदेश के बाद आज तक हाउस में कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने कोई व्यवस्था दी हो और.....(व्यवधान) सरकार इसके खिलाफ बोले। आपने व्यवस्था फरमा दी कि प्रश्न का जवाब दें कि चुनाव कब करवाएंगे। यह कहानी गढ़ रहे हैं.........(व्यवधान) ये यूं कर रहे हैं कि + + + (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यहां कोई बात कही जाती है तो व्यवधान पैदा करने का प्रयत्न किया जाता है (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह + + + नहीं है।

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयीं।

Page No. 14

(14)

श्री रामेश्वर लाल भाटी : जो बात कही जाती है तो व्यवधान पैदा करने का प्रयत्न किया जाता है। प्रतिपक्ष के लोगों को अपनी कमजोरी की बात सुनने में हमेशा परहेज रहा है। जब भी इनका तुलनात्मक कोई भी विषय आता है, कम्पेयर की कोई भी बात आती है, तो यह व्यवधान पैदा करने का प्रयत्न करते हैं .....(व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : आप अपनी आत्मा से पूछिये यह तो कि.........

श्री राधेश्याम गंगानगर : माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करूं कि अगर यहां से.....(व्यव ाान)

श्री उपाध्यक्ष : सुनिये, राधेश्यामजी। कृपया बैठे-बैठे नहीं, माननीय सदस्य, इधर देखिये मेरी तरफ, उधर नहीं.....(व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न सीधा था वर्तमान में चुनाव कराने का और मंत्री महोदय गये 18, 20, 30 साल के इतिहास में। आप और हम सब जानते हैं कि राजस्थान में को-आपरेटिव मूवमेंट है, सरकार ने उसको प्रारम्भ किया। जनता ने उठ कर, खड़े होकर संगठित नहीं किया। बालक जब जन्मता है, तो 17-18 साल के बाद में वयस्क होता है..........

अनेक माननीय सदस्य : वैरी गुड।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : वैरी गुड नहीं, यह बात सही है, हकीकत है। इसलिये जब तक वह परिपक्व नहीं हो जाए संस्था तब तक चुनाव नहीं होंगे। लेकिन एक दफा जबान होने के बाद उसको कोई अधिकार नहीं है कि फिर वह पेरेंट्स से मियाद मांगे कि मुझे तीन दिन और खाना दो, या तीन साल और खाना दो। यह नहीं है। जब परिपक्व हो गया तो चुनाव कायदे से होने चाहिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (ऊर्जा मंत्री) : बच्चा नहीं हुआ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : वह तो सीधा ही जवान हो गया बच्चा, बढ़ने का मौका ही नहीं मिला। एकदम ही चुनाव हो गये वहां तो.........

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, आपने सीधा प्रश्न किया है कि चुनाव कब होंगे.........(व्यवधान) मंत्री महोदय, इसका उत्तर दीजिये। इसका उत्तर नहीं दे रहे हैं कि चुनाव कब होंगे। मंत्री महोदय, इसका उत्तर दीजिये। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : चुनाव होंगे कि नहीं होंगे ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : राधेश्यामजी, न आप किसी की सुनते हो, न आपकी कोई सुनता है। आप बिराज जाएं।

श्री सुजान सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न जब पैदा हुआ, माननीय सदस्यों से, मेरे से यह कहा गया कि आप तो प्रजातंत्र में विश्वास ही नहीं करते। तब यह प्रश्न उठा है वर्ना उठता ही नहीं। मैंने प्रजातंत्र की गतिविधियां इनको बता दी कि आपका

(श्री सुजान सिंह यादव)

प्रजातंत्र क्या था और हमारा प्रजातंत्र क्या है। यह गतिविधियां, इनको नाराजगी.....(व्यवधान) अब प्रश्न पूछो, अब प्रश्न पूछना चाहते हैं .....(व्यवधान) मैं क्या था और क्या नहीं था। अब भी सही हूं और पहले भी सही था .....(व्यवधान) मैं पहले भी सही था और अब भी सही हूं.....(व्यवधान) मैं पहले भी सही था और अब भी सही हूं .....(व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : आप अपनी निष्ठा को मत.....(व्यवधान)

श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई) : उपाध्यक्षजी, पहले तो मंत्रीजी से यह जानकारी ले लें कि आपने निर्देश दिये हैं, जो बात आपने फरमायी, यह समझें या नहीं समझे? अगर समझे हैं, तो सीधा उत्तर क्यों नहीं देते हैं? कब से कह रहे हैं ये।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : प्रश्न को स्थगित किया जाए.........(व्यवधान) मंत्री महोदय का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है।

श्री राजेन्द्र पारीक : उप मुख्य मंत्रीजी से जवाब दिलवाइये.........(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आदरणीय मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं, बैठो।

श्री सुजान सिंह यादव : अब माननीय सदस्यों ने यह पूछा कि भूमि विकास बैंक के चुनाव 26-2-97 को हुये। कहां-कहां प्रशासक हैं? दो जगह प्रशासक हैं कोटा और अजमेर। कोटा में तो इसलिये प्रशासक है बोर्ड का चुनाव तो हो गया और सदस्यों के बीच में झगड़ा हो गया (व्यवधान) सुनो तो सही। सप्लीमेंट्री ही पूछा है आपने। आपको ध्यान नहीं है। सप्लीमेंट्री का जवाब दे रहा हूं। आप ध्यान तो रखते नहीं, सप्लीमेंट्री का जवाब दे रहा हूं। एक सप्लीमेंट्री पूछी है। अब कोटा के सदस्यों में झगड़ा हो गया। झगड़ा होने पर हाईकोर्ट चले गये। हाईकोर्ट से स्टे मिल गये, वहां प्रशासक लगा रखा है। दूसरा अजमेर में (व्यवधान) अजमेर में एक सदस्य का निर्वाचन हुआ। बोर्ड बन नहीं पाया, हमने वहां प्रशासक लगा दिया.........

श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़) : बाकी का क्या हुआ?

श्री सुजान सिंह यादव : बाकी के सब जगह चुनाव हो गये। भूमि विकास बैंक में एक सदस्य का चुनाव हो पाया और सदस्य निर्वाचित नहीं हो पाये। इसलिये हमने प्रशासक लगा दिया। बोर्ड बन नहीं रहा, बोर्ड का गठन नहीं हो सका.....(व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरडक : अब आप यह बता दीजिये छोटा सा सवाल कि आप प्रशासक की जगह बोर्ड नियुक्त करेंगे या नहीं करेंगे?

श्री सुजान सिंह यादव : सहकारी विभाग के अधिनियम के अन्तर्गत गठन का कोई प्रोवीजन नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है जब तक उसमें संशोधन नहीं किया जाए और यह बता दिया है कि अगस्त, सितम्बर में चुनाव कराएंगे, बात समाप्त।

श्री हरजीराम बुरडक : जहां प्रशासक का अधिकार है, वहां कमेटी का अधिकार है.........

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त। कृपया बिराजें। श्री नाथूराम अहारी।

श्री भीमराज भाटी (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुशासन में हूं।

श्री उपाध्यक्ष : यातायात मंत्री महोदय।

श्री भीमराज भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, क्या मतलब है? फिर कोई भी खड़ा होकर कुछ बोल दे कोई फायदा नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूरे समय से हाथ खड़ा कर रहा हूं। अनुशासन से बैठा हूं, इसका मतलब कोई सुनवाई होने का प्रश्न नहीं है। इसी प्रश्न के सम्बन्ध में मैं इनसे एक छोटा सा सप्लीमेंट्री पूछना चाहता हूं। अनुशासन में बैठा हूं। हाथ खड़ा कर रहा हूं। आप शुरू से देख रहे हैं। मेरा आपसे हाथ जोड़कर अनुनय विनय के साथ निवेदन है कि मुझे एक प्रश्न पूछने दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : मैं भविष्य में आपका ध्यान रखूंगा। आप अनुशासन से बैठिये। बिराजिये-बिराजिये। मैंने दूसरा सवाल पुकार लिया, माननीय सदस्य, दूसरा सवाल पुकार लिया। (व्यवधान) भविष्य में ध्यान रखूंगा। कृपया बिराजिये। (व्यवधान) अब आप बिराज जाएं। आप अनुशासन का ध्यान रख रहे हैं फिर भी बिराजने की.....(व्यवधान) मैं निवेदन कर रहा हूं बिराज जाएं। अब अनुशासन का ध्यान आप कहां रख रहे हैं? बैठिये, बिराजिये..........(व्यवधान) कृपया बिराजें, मैंने सवाल दूसरा दो बार पुकार लिया।

सहायक यातायात निरीक्षक, अहमदाबाद के विरुद्ध शिकायतें

234. श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्तमान में सहायक निरीक्षक यातायात के पद पर अहमदाबाद में कौन एवं कब से तैनात है? क्या उसके विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो कब-कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि दिनांक 3 अप्रेल, 1998 को करीब तीस हजार रुपयों की चोरी हुई, तथा दिनांक 19 अप्रेल, 1998 को अस्सी हजार की चोरी हुई तथा उक्त राशि परिचालकों से वसूल कर समायोजन किया गया? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि तिजोरी की चाबी दो हैं? यदि हां, तो चाबियां किसके पास रहती हैं? नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त अधिकारी को आरोपों के बाद भी इतने लम्बे अरसे तक उसी स्थान पर रखे जाने के क्या कारण हैं? अब सरकार इसके विरुद्ध कब और क्या कार्यवाही कर रही है?

(श्री नाथूराम अहारी)

(5) क्या सरकार उक्त सहायक निरीक्षक का अन्यत्र स्थानान्तरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

राज्य मंत्री, यातायात (श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा) : (1) वर्तमान में निगम की अहमदाबाद इकाई में पदस्थापित सहायक यातायात निरीक्षकों के नाम, पदस्थापन, अवधि एवं शिकायतों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) दिनांक 3 अप्रेल, 1998 को चोरी नहीं हुई थी। दिनांक 5-4-98 को डबल लॉक खोलने पर रुपये 29,804.50 की कमी पायी गयी थी। कमी की यह राशि सम्बन्धित पत्रक वितरकों श्री यशपाल जैन एवं श्री सुन्दर लाल द्वारा दिनांक 5-4-98 को जमा करवा दी गयी थी। अन्य परिचालकों से इस राशि की वसूली निगम द्वारा नहीं की गयी थी।

दिनांक 19-4-98 को चोरी नहीं हुई थी। दिनांक 20-4-98 को निगम राजस्व में रुपये 76,701.50 की चोरी पायी गयी थी, जिसकी दिनांक 20-4-98 को पुलिस थाना, कांगड़ापीठ रायपुर दरवाजा, अहमदाबाद में एफ.आई.आर. दर्ज करा दी गयी है। उक्त राशि निगम राजस्व में जमा नहीं हुई है।

(3) जी, हां। एक चाबी संबंधित कैशियर एवं दूसरी चाबी इकाई प्रभारी अथवा उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी के पास रखने के आदेश हैं। इस अवधि में चाबी जिन व्यक्तियों के पास रही उसका विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(4) उक्त सहायक यातायात निरीक्षक श्री चिरंजी लाल शर्मा के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच की जा रही थी।

श्री चिरंजीलाल शर्मा का अहमदाबाद इकाई से आदेश दिनांक 15-7-98 द्वारा स्थानान्तरण कर जयपुर स्थित मुख्यालय में पदस्थापित कर दिया गया है तथा दिनांक 17-7-98 को आरोप पत्र भी जारी कर दिया गया है।

(5) जी, हां। श्री चिरंजीलाल शर्मा, सहायक यातायात निरीक्षक का स्थानांतरण आदेश दिनांक 15-7-98 द्वारा निगम मुख्यालय, जयपुर में कर दिया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री नाथूराम अहारी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चिरंजीलाल का ट्रांसफर कर दिया है, यह बात तो अच्छी है लेकिन खंड दो में मैंने पूछा है कि क्या तीन अप्रेल को चोरी हुई थी? तो आपने बताया कि चोरी नहीं हुई थी। चोरी नहीं हुई थी तो यशपाल और सुन्दर लाल से किस तरह से रुपया वसूल करके जमा कराया गया? दूसरा यह चाबियां उनके पास थी और फिर जितने भी बुकिंग क्लर्कस हैं, उन बुकिंग क्लर्कस ने शिकायत की, हमसे पैसा वसूल कर रहे हैं और यहां तक कि यह पैसा उनसे वसूल किया गया। यह पूरा पुलिंदा मेरे पास है। किस-किससे

(श्री नाथूराम अहारी)

पैसा लिया, वह सारा है। इसके बाद यह चोरी नहीं हुई और कमी पायी गयी, इस तरह की जो बात है, वह गलत है। मेरा यह निवेदन है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को इतने टाइम तक रखने का क्या औचित्य था? प्रशासन ने इतने टाइम तक इसको वहां से क्यों नहीं हटाया और जब यह आरोप सिद्ध हो गया उसके बाद भी नहीं हटाने की क्या प्रशासन की गलती नहीं थी? प्रशासन में जो लोग इसमें लिप्त हैं। मैं चाहता हूं कि उनको आप सस्पैंड करें और इसके साथ ही जो बुकिंग क्लर्क्स हैं, जिन्होंने शिकायत की, उन क्लर्कों का ट्रांसफर कहीं कोई सिरोही, कोई दिल्ली, कोई सीकर इस तरह से कर दिया। बाद में चित्तौड़ और आसपास में किया तो मेरी मांग है कि ऐसे जो भी हैं, जैसे नरेन्द्र कुमार जैन, नाथूलाल भोई, ऋषभ जैन, रमनलाल पटेल, राजमल जैन, इनको आप वापस जहां ये थे, उन्हें लगाएं यह मेरी मांग है और लिप्त अधिकारियों को सस्पैंड किया जाए।

श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य ने दिनांक 5-4-98 का डबल लॉक खोलने पर 29804 रुपये 50 पैसे के बारे में जो बताया कि सरकार का जवाब, चोरी नहीं हुई, मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि 5-4-98 को प्रातः जब प्रथम पारी शुरू हुई उस वक्त.........

श्री उपाध्यक्ष : चोरी नहीं हुई बात खतम है। आगे चलो न आप।

श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा : हां, नहीं, यह पूछना चाह रहे हैं। इनका प्रश्न है। उपाध्यक्ष महोदय, सुबह जब वहां के डिपो के इंचार्ज को पता लगा कि इसमें फलां आदमी, राधेश्याम शर्मा और यशपाल जैन जो उस वक्त इंचार्ज और खजांची के रूप में काम कर रहे थे। जब सुबह उनसे पूछा कि पैसे कहां हैं तो उन्होंने तत्काल, सुबह ही पैसे जमा कर दिये। रिपोर्ट किसी पुलिस स्टेशन में दर्ज नहीं हुई और न ही मुख्यालय को सूचित किया गया। ऐसी स्थिति में मुख्यालय को इस बात की खबर नहीं मिली कि यह चोरी हुई है। इस बात का तब पता चला जब 20-4-98 को 76701 रुपये कैश में कम मिले, इसकी अहमदाबाद में एफ.आई.आर. लाज हुई और मुख्यालय को खबर मिली तो मुख्यालय से तत्काल प्रभाव से चीफ मैनेजर, उदयपुर और एक लेखाधिकारी जयपुर मुख्यालय से अहमदाबाद भेजा। जब जांच हुई उस वक्त यह प्रकरण सामने आया कि इस प्रकार की 5-4-98 को भी घटना हुई। उसमें एक कंडक्टर ने यह भी कहा कि यशपाल जैन, जिसके पास भी 5-4-98 को कैशियर के रूप में चाबी थी उसने मुझसे इतना पैसा लिया और यह कहकर के लिया कि कैश शोर्ट हो गया, जमा कराना है। इस आधार पर जो पहली शिकायत है वह भी रोडवेज के ध्यान में 20-4-98 की घटना के बाद ही आयी। हमने तत्काल प्रभाव से इसकी जांच कराई और जांच कराने के बाद आज श्री छगनलाल खंडेलवाल, जो ए.टी.आई. वहां पर कार्यरत थे उसको तत्काल प्रभाव से जांच के

(श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा)

बाद निलम्बित किया। उसको निलम्बित इसलिये किया कि एक चाबी इंचार्ज के पास होनी चाहिए थी और एक चाबी खजांची के पास होनी चाहिए थी। लेकिन दोनों की दोनों चाबियां शंकरलाल सोनी के पास थी और खजांची ने अपनी जो.........

श्री उपाध्यक्ष : कृपया सुनिये।

श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा : जो ए.टी.आई. था, इंचार्ज था। उसने अपनी ड्यूटी का पूर्णतयाः निर्वहन नहीं किया। इसलिये दोनों को निलम्बित कर दिया और उस जांच में यह पाया गया कि यशपाल जैन ने जिसने पैसे इकट्ठे किये, जब चोरी हुई उस वक्त हमने उच्चाधिकारियों को भेजा और उसका भी हमने तत्काल प्रभाव से वहां से स्थानान्तरण कर दिया। जहां तक सवाल चिरंजीलाल शर्मा का है। चिरंजीलाल शर्मा वहां पर करीब 10 साल तक टोटल रहा, 27-7-96 से 15-7-98 तक तो व्यक्ति अब लास्ट में रहा, वहां इंचार्ज था ए.टी.आई. प्रबंधक के रूप में और इससे पहले 1992 से लगाकर के 1994 तक भी बीच-बीच में भी रहा। इसका मुख्य कार्य चूंकि इंटर स्टेट रूट्स के मामले में हमारा दूसरे राज्यों से काम पड़ता रहता है। यह पुराना आदमी था पहले से काम कर रहा था और हमारे रोडवेज में डे-टू-डे की जो प्राब्लम आती थी गुजरात सरकार से संबंधित, अहमदाबाद में सरकारी कार्यालयों से संबंधित यह काम करता रहता था। इस दृष्टि से इसको वहां रखा गया था लेकिन जब इसकी शिकायतें, माननीय सदस्य का एक शिकायती पत्र भी मुझे मिला, मैंने तत्काल उसको अपनी टिप्पणी सहित राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को भेजा और उसकी जांच में यह पाया गया कि इस व्यक्ति की थोड़ी-थोड़ी कहीं न कहीं नेग्लीजेंसी रहती है। इस प्रकरण में भी, चोरी के प्रकरण में भी इसकी खाली नेग्लीजेंसी थी, क्योंकि जवाबदेही जो खजांची था उसकी थी और ए.टी.आई. की थी। यह तो एक प्रभारी होने के नाते.........

श्री हरीजराम बुरडक : अलवर का ही मामला पूरा चलता रहेगा?

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, यह अलवर का नहीं है। (व्यवधान)

श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा : अलवर का नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये हमने तत्काल कार्यवाही की। इसको भी वहां से हटा दिया और इसकी जगह एक सीनियर आफिसर को डेप्युट कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष : यह राजस्थान के मंत्री हैं, अलवर के नहीं हैं।

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं.........

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर तो सही आ गया। पूरा आ गया।

श्री दयाराम परमार : नहीं, सही नहीं आया..... (व्यवधान) इसके खिलाफ में, चिरंचीलाल शर्मा के खिलाफ में पहली

Page No. 20

(20)

(श्री दयाराम परमार)

शिकायत 10-7-95 को हुई और इस शिकायत में यह कहा गया कि 1 लाख 11 हजार 600 रुपये का भ्रष्टाचार उसमें बताया गया और वहां से लेकर के 15-1-98 तक 15 शिकायतें हुई। इस दौरान विभाग ने उसके खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं की? यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान रोडवेज में विजिलेन्स डिपार्टमेंट में छोटा सा चार आदमियों का स्टाफ है और वह कम से कम 200-250 प्रकरणों की जांच कर रहा है। दूसरे डे-टू-डे के जांच कार्य भी इनके पास है। फिर भी जो 10-12 शिकायतें हैं जिन 15 शिकायतों का विवरण दे रहे हैं वह शिकायतें करीब-करीब सेम हैं, विभिन्न लोगों की सेम शिकायतें हैं। उनको 15 कह दें या उसको एक शिकायत कह दें, वह सच बराबर की हैं। कोई एक माननीय सदस्य ने भेजी, कोई दूसरे माननीय सदस्य ने भेजी। शिकायतें सेम ही हैं। लेकिन उन शिकायतों के आधार पर हमने जांच की और जांच करने के बाद जब यह प्रश्न आया उससे पूर्व ही हमने वहां सीनियर आदमी को, चूंकि इसको वहां अहमदाबाद में रोडवेज के प्रशासन की दृष्टि से रखना उचित समझा लेकिन इसको इचांर्ज पद से हटाकर के एक सीनियर आदमी को वहां लगा दिया।

श्री उपाध्यक्ष : अब कोई सवाल पैदा नहीं हो रहा है। क्या रह गया?

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) : उपाध्यक्ष महोदय, हम माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहते हैं कि जिन कार्यकर्ताओं का इन्होंने स्थानान्तरण कर दिया है, क्या उन कार्यकर्ताओं को वापस यथावत स्थान पर रखेंगे?

श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, किनका स्थानान्तरण किया है। यह प्रश्न में कहीं आया नहीं। माननीय सदस्य मुझे अवगत करा दें। मैं उसकी जांच कराऊंगा अगर वह निर्दोष हैं, उनको बेवजह या दुश्मनी से या प्रतिशोध के कारण निकाला है तो मैं उनको वापस कर दूंगा.........(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री खेतसिंह राठौड़। (व्यवधान) कृपया बिराजें। मैंने दूसरा सवाल पुकार लिया माननीय सदस्य..... (व्यवधान) कृपया बिराजें।

श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण) : उपाध्यक्ष महोदय, यह चिरंजीलाल कंडक्टरों से चौथ वसूल करता है.....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको अवसर दे रहा हूं आप ठहरिये। नहीं-नहीं, पहले आप बिराजें। बैठिये पहले आप।

श्री भंवरसिंह शेखावत (नवलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है मंत्री महोदय से कि जब इतना बड़ा घपला हुआ है और 1995 से 1998 तक लाखों रुपयों का घपला हुआ है यह मंत्री महोदय मान रहे हैं, तो मैं यह चाहूंगा कि

श्री उपाध्यक्ष : सवाल क्या है आपका, सवाल ?

श्री भंवरसिंह शेखावत : मैं यह निवेदन करता हूं कि इसकी कमेटी बैठाकर न्यायिक अधिकारियों से जांच क्यों नहीं करवाई जाए ? इतना बड़े घपले में जो दोषी हैं उनको सस्पैंड कीजिये और जांच करवाएं। मेरा यह कहना है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें। माननीय सदस्य..........(व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल गरासिया : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि चिरंजीलाल शर्मा लम्बे समय से अहमदाबाद में वहां का प्रभारी था और उसके कई वेस्टेड इंट्रेस्ट्स वहां बने थे। जब अन्य स्टाक के लोग उसके वेस्टेड इंट्रेस्ट्स में बाधा बने तो उसने एक योजनाबद्ध ढंग से इस तरह की चोरी करवायी। वहां इस कण्डक्टर को फंसाया गया और फंसाकर सिर्फ राजस्थान ही नहीं दिल्ली तक ट्रांसफर कराया और मेंटली टोर्चर किया। मेरा निवेदन है कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिये। मंत्रीजी, आप यहां सदन को आश्वस्त करें कि इसकी न्यायिक जांच करवाएंगे और इस काण्ड का भण्डाफोड़ करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : यह न्यायिक जांच का मुद्दा नहीं है।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : यह जरूरी है। यह बहुत बड़ा घोटाला है, जो सामने आएगा।

श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकरण की एडिशनल एस.पी..........(व्यवधान) उच्चाधिकारियों से इसकी जांच कराने की घोषणा करिए। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी स्वयं मान रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें मंत्रीजी। श्री खेतसिंहजी। (व्यवधान) कृपया आपस में बात न करें। माननीय सदस्य क्या कर रहे हैं आप ?

विद्यालयों के समय में परिवर्तन

235. **श्री खेतसिंह राठौड़** (शेरगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने विद्यालयों में पढ़ाई का समय सुबह 9.30 से दोपहर 3.30 तक रखा है ?

(2) क्या रेगिस्तानी क्षेत्र में विद्यालयों में बालक उस गर्म रेत में मध्यान्ह पश्चात् 3.30 बजे खेल-कूद व स्काउटिंग आदि में भाग ले लेते हैं ?

(3) क्या सर्दी के मौसम में प्रातः 9.30 पर बालक व अध्यापक पढ़ने/पढ़ाने को तैयार होकर आ जाते हैं ?

(4) दीपावली पर इतनी लम्बी छुट्टियों का क्या प्रयोजन है ?

शिक्षा मंत्री (श्री गुलाबचन्द कटारिया) : (1) शैक्षणिक सत्र 1998-99 में विद्यालयों में पढ़ाई का समय इस प्रकार रखा गया है: —

Page No. 22

(22)

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

(i) दिनांक 1-7-98 से 31-8-98 तक प्रातः 8.00 बजे से मध्यान्ह एक बजे तक।

(ii) दिनांक 1-9-98 से 14-4-98 तक प्रातः 9.30 बजे से अपरान्ह 3.30 बजे तक।

(iii) दिनांक 15-4-99 से सत्रान्त तक प्रातः 8.00 बजे से मध्यान्त एक बजे तक।

दो पारी विद्यालय–

(a) दिनांक 1-7-98 से 30-9-98 तक प्रातः 7.00 बजे से सायंकाल 6 बजे तक (प्रत्येक पारी साढ़े पांच घण्टे)

(b) दिनांक 1-10-98 से दिनांक 28-2-99 तक प्रातः 7.30 बजे से सायंकाल 5.30 बजे तक (प्रत्येक पारी पांच घण्टे)।

(c) दिनांक 1-3-99 से सत्रान्त तक प्रातः 7.00 बजे से सायंकाल 6 बजे तक (प्रत्येक पारी साढ़े पांच घण्टे)।

(2) मध्यान्ह पश्चात् 3.30 बजे तक विद्यालय सितम्बर माह से लगता है। सितम्बर माह में क्रमशः वर्षा एवं शरद ऋतु होने से दिन अपेक्षाकृत ठंडे एवं सहनीय होते हैं जिसमें छात्र/छात्राएं सुविधानुसार खेल-कूद एवं स्काउटिंग आदि में विद्यालय समय में एवं विद्यालय समय उपरान्त भाग ले सकते हैं।

(3) जी, हां।

(4) दीपावली पर्व, फसल कटाई एवं अर्द्धवार्षिक परीक्षा इत्यादि के परिप्रेक्ष्य में 11 दिन का दीपावली अवकाश अधिक नहीं माना जा सकता।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्या आपने इस बारे में अध्यापकों, अभिभावकों, छात्रों से कोई चर्चा की थी यह समय सारिणी निकालने से पहले या आपने अपनी मर्जी से और अपने नवरत्नों से पूछ कर ही गह सारा काम किया है? दूसरा मेरा सवाल यह है कि आपने इसमें, गर्मियों में मौसम का ख्याल न रखते हुये, मई-जून में आप जानते हैं कि कितनी भारी गर्मी रहती है, लू चलती है और तीन बजे बाद स्कूल खतम करते हैं, लोग कितनी परेशानी में आ जाते हैं, बच्चों को कितनी परेशानी होती है। उस वक्त सड़कें खाली रहती हैं जोधपुर की और तीन बजे बच्चों की छुट्टी कराई है ताकि धूप में मरें और वे बीमार पड़ें। तीसरा मेरा प्रश्न यह है कि आप अपने आप को ही सबसे काबिल और योग्य मानते हैं क्या? क्या आपसे पहले श्री ललितकिशोरजी चतुर्वेदी, श्रीमती कमला, श्री खेतसिंहजी राठौड़, ये सब इस बात के जानकार ही न थे, जितने आप हो और आपने यह समय सारणी निकालकर हर बच्चे के लिये एक तो घड़ी जरूरी कर दी कि घड़ी रखो भाई, अब तो साढ़े आठ बजे से स्कूल शुरू होगा, अब साढ़े नौ से शुरू होगा, अब सात बजे से स्कूल शुरू होगा। एक टाइम रखिए ताकि बच्चों को आराम रहे। कुछ आपके नवरत्न हैं, उनके कहने पर मत चलिये। सारे अध्यापकों, सारे अभिभावकों, सारे छात्रों को ध्यान में रखते हुये यह समय सारिणी बदलिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो सुझाव है, वास्तव में मैंने पहले जो प्रारम्भ में किया,

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

उसमें तो शायद लोगों से मैं राय नहीं ले पाया लेकिन दूसरी बार जब परिवर्तन किया कैलेण्डर में तब मैंने शिक्षक संघ के सब प्रतिनिधियों से बैठकर उनसे चर्चा की, मेरे सारे अधिकारियों से चर्चा की और उसके बाद समय बदला।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हम भी आपकी मीटिंग में आए थे तो आपने हमसे चर्चा क्यों नहीं की ?

श्री उपाध्यक्ष : अब कर रहे हैं न।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : जहां तक यह जो आप कह रहे हैं कि मई और जून में समय साढ़े तीन बजे का है। मैं बड़ी विनम्रता से निवेदन कर रहा हूं कि मई और जून में साढ़े तीन बजे का समय नहीं है। 15 अप्रैल से आठ से एक बजे का समय कर दिया है हमने। उसके पीछे जो सोच है, यह सच है, भले इसको जाने-अनजाने में कुछ भी कहें, कई अध्यापक अप डाउन करते हैं, महिलाएं भी अप डाउन करती हैं, और बालक भी अप डाउन करते हैं। इसके कारण से सात बजे स्कूल पहुंचना किसी भी कीमत पर सम्भव नहीं है। आप किसी विद्यालय का निरीक्षण करने जाएं तो कोई साढ़े सात बजे आ जाए, कोई प्रार्थना समाप्ति के बाद आ रहा है, कोई बस से उतर रहा है, किसी की बस सात बजे पहुंच नहीं रही है, कोई साढ़े आठ बजे पहुंच रहा है। मैंने इस बात को ध्यान में रखा है कि वह अप डाउन करने वाले व्यक्ति और जो बालक दूर-दराज से आते हैं, वे आठ बजे किसी प्रकार से विद्यालय पहुंच जाएं। इस बात को ध्यान में रखकर मैंने इसको किया है।

दूसरा मैंने जो साढ़े नौ से साढ़े तीन बजे का किया है, उसके पीछे भी मेरी सोच यही है, यह समय है एक सितम्बर से लेकर 15 अप्रेल के बीच का है जब सूर्य उत्तरी गोलार्द्ध से बराबर 12 घण्टे का दिन और रात, जब आ जाता है 23 सितम्बर से, उससे लेकर 21 जून तक सूर्य हमारे यहां बहुत ज्यादा नहीं तपता है और उस समय, यह समय इसलिये किया कि सर्दी के दिनों में सूर्यास्त हो जाता है सवा पांच बजे और जो बच्चियां आती हैं आसपास के गांवों से, जब वे साढ़े चार बजे स्कूल समाप्त होने के बाद अपने गांव पहुंचती है तो अंधेरा हो जाता है। कई बार साढ़े पांच बज जाते हैं। माता-पिता बहुत चिंतित रहते हैं कि सूर्यास्त हो गया और बच्ची घर नहीं पहुंची। उसके कारण से बच्चियां स्कूल आने जाने में, इसी तरह से महिला शिक्षिकाएं हैं, उनका भी ध्यान आता है कि वे अपने परिवार को भी सम्भालती हैं और दोनों समय घर जाकर खाना भी पकाती हैं। साढ़े चार बजे, छुट्टी के बाद जो बस मिलेगी, हम अपने घर साढ़े सात और कोई कई बार आठ बजे तक पहुंचती है तो घर में भी असंतोष होता है, बच्चों को भी होता है। दोनों बातों के अतिरिक्त एक बात और सोची है कि साढ़े नौ बजे स्कूल चलता है तो चलने वाला साढ़े आठ, नौ बजे अपने घर से चलता है तो बसों में दबाव नहीं होता है पैसेंजर्स का, आसानी से उनको जगह मिलती है और आसानी से वे जा सकते हैं और आ सकते हैं। दस और साढ़े दस बजे का समय

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

ऐसा है जिसमें लटक कर बच्चा स्कूल जाता है, वह नसैनी पर चढ़ा हुआ बच्चा, स्कूल जाता है, ऊपर से नीचे लोडेड बसों में जाता है, उसमें बैठकर जाता है। इन कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखकर हमने सोचा और दूसरा यह कि सर्दी का समय है, सर्दी के समय साढ़े तीन बजे के बाद बच्चा चाहे तो घण्टा-आधा घण्टा स्कूल में रुक कर खेल कर भी घर जा सकता है। इस बात को ध्यान में रखकर, शिक्षक संघों से चर्चा करने के बाद हमने इसमें परिवर्तन करने की कोशिश की है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपके ये सुझाव यू.पी. गवर्नमैंट, दिल्ली गवर्नमैंट, मध्यप्रदेश गवर्नमैंट और दूसरी गवर्नमैंट मानने को तैयार नहीं है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : सफेद ड्रेस क्यों हटा दी और यह + + + क्यों ले आए ?

श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्पेसिफिक प्रश्न है कि एक पारी स्कूल में और दो पारी स्कूल में, माननीय मंत्री महोदय, आप बताएं कि आपने एक घण्टे का अंतर क्यों किया है ? दो पारी स्कूल में साढ़े पांच घण्टे और पांच घण्टे हैं। एक पारी स्कूल में सितम्बर से अप्रेल तक आपने छह घण्टे क्यों रखा है ? मैं माननीय खेतसिंहजी के विचार से सहमत हूं कि रेगिस्तानी क्षेत्र में साढ़े नौ बजे से साढ़े तीन बजे तक, साढ़े तीन बजे टेम्प्रेचर, आप मौसम विभाग से मालूम कर लीजिए, पीक टेम्प्रेचर हमेशा चार बजे के आसपास रहता है तो इसको आप घटाकर पांच घण्टे करने और वह भी साढ़े नौ बजे, साढ़े आठ बजे, नौ बजे से दो बजे तक करने पर विचार करेंगे।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत नम्रता से निवेदन कर रहा हूं कि यह जो साढ़े तीन बजे का समय है, एक पारी विद्यालय, यह 15 अप्रेल को समाप्त हो जाता है। 15 अप्रेल के बाद, जैसे-जैसे दिन और गर्मी बढ़ती जाती है, उसके अनुसार हर विद्यालय का समय आठ से एक बजे का हो जाता है। कोई भी विद्यालय साढ़े तीन बजे तक नहीं चलता है। डबल पारी जो विद्यालय हैं।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : छह घण्टे क्यों कर रहे हैं आप ? (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : ये आपके + + + प्रयोग हैं। ये सारे + + + प्रयोग हैं। जैसे + + + ने किया, वैसे आप कर रहे हैं.........(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : आपकी सारी + + + योजनाएं हैं, हर प्रोग्राम बदला है, आपने ड्रेस बदल दी, समय बदल दिया, छुट्टियां बदल दीं।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही, मंत्री महोदय यह इमप्रैक्टिकल है.........(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : अब हमारी बारी है बदलने की, आप या तो खुद को बदलो, सारी चीजें बदली, अब आप भी बदल जाओगे, + + + शिक्षा विभाग का ....(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपने प्रयोगशाला बना दिया है शिक्षा विभाग को। इन + + + परिवर्तनों से कोई फायदा नहीं होने वाला है छात्रों का। आप जिस तरह से एक्सपेरिमैंट कर रहे हैं, छात्रों को प्रयोग करके उनको असफल कर रहे हैं, यह टाइम शिड्यूल बिलकुल गलत है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : मंत्री महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि आपने सात के बजाय आठ बजे का समय बदला है, तो क्या अब अध्यापक समय पर, आठ बजे स्कूल आ रहे हैं? क्या आप संतुष्ट हैं? (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो ड्रेस बदलने के बारे में कहा, मैं बहुत नम्रता से सदन से निवेदन करना चाहता हूं मैंने 80 लाख बच्चों का छोटे-बड़े का भेद मिटाने की दृष्टि से, पैसे वाला रंग-बिरंगे कपड़े पहनकर आता है और गरीब का बच्चा हीन भावना महसूस करता है, इसलिये सम्पूर्ण राजस्थान में ऐसी ड्रेस रखी जो कम से कम गंदी हो, गरीब बच्चा आसानी से मेंटेन कर सके। इस दृष्टि से राजस्थान हिन्दुस्तान का अपने आप में पहला राज्य होगा जिसने अपने 80 लाख बच्चों को एक जैसी समानता के अंदर लिया है। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, 44 डिग्री का टेम्प्रेचर हो जाता है, उस टेम्प्रेचर में आप बच्चे को तपाओगे, उसको बीमार करोगे। (व्यवधान) 44-45 डिग्री के टेम्प्रेचर में कोई बच्चा पढ़ने के लिये नहीं जाएगा। आप उसको रोस्ट करना चाहते हैं, भूनना चाहते हैं? गर्मी में 45 डिग्री के टेम्प्रेचर में बच्चों को स्कूलों में पढ़ाकर भूनोगे क्या?

श्री अमराराम (धोद) : मंत्री महोदय, यह बता दो, सात बजे की बजाय आपने आठ बजे का समय कर दिया। पहले भी अध्यापक समय पर नहीं आते थे। क्या अब अध्यापक समय पर आ जाएंगे?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पेंशनरों को चिकित्सा सुविधा प्रकरण

303. **श्री बनवारीलाल बैरवा** (निवाई) : क्या उप मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा पेंशनरों को चिकित्सा सुविधा (निःशुल्क) देने के लिये अलग से कोई योजना चालू की गयी

+ + + शब्द / अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री बनवारीलाल बैरवा)

है? यदि हां, तो उसकी अद्यावधि संशोधित आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत अब तक विभिन्न न्यायालयों/उपभोक्ता मंच में कितने वाद दायर किये गये, उनमें से कौन-कौन से निर्णीत हो गये और कितने अभी तक विचाराधीन हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) किस-किस प्रकरण में न्यासी बोर्ड के विरुद्ध निर्णय हुये और कितनी राशि क्षतिपूर्ति आदि का आवेदनकर्ता को भुगतान करना पड़ा?

(4) क्या सरकार / न्यासी बोर्ड इस प्रकार के प्रकरणों को आपसी समझौता के आधार पर निबटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, हां। अद्यावधि संशोधित आदेशों की प्रति सदन के मेज पर रख दी गयी है।

(2) कुल 51 वाद दायर किये गये। जो वाद निर्णित हो गए हैं और जो अभी तक विचाराधीन हैं, उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(3) न्यासी बोर्ड के विरुद्ध हुये निर्णयों और उनको भुगतान की गयी राशि की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(4) न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण प्रायः ऐसे हैं जो पेंशनर्स चिकित्सा रियायत योजना के प्रावधानों के अंतर्गत निर्णित नहीं हो सकते अतः इन्हें समझौते के माध्यम से नहीं निबटाया जा सकता।

(प्रति एवं सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पेंशनर्स भवन हेतु भू-खण्ड आबंटन

304. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या उप मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) राज्य में किन-किन स्थानों पर पेंशनर्स भवन बनाने के लिये भूमि किस दर से क्रय/अवाप्त की गयी है?

(2) क्या सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा नीतिगत निर्णय लिया गया है कि पेंशनर्स भवन के लिये आरक्षित दर की 25% कम दर से भू-खण्ड आबंटन कर दिया जाए? यदि हां, तो राज्य में किन-किन स्थानों के लिये भूमि आबंटित की गयी और कितने आवेदन अभी तक लम्बित हैं?

(3) राज्य में किस-किस स्थान पर जिला कलक्टर कार्यालय में भवन इस कार्य हेतु दिये गये?

(4) राज्य में किन-किन स्थानों पर सांसद/विधायक कोष से पेंशनर्स भवन बनाने के लिये राशि प्रदान की गयी विवरण सदन की मेच पर रखें।

(5) क्या सरकार जिला कलक्टर कार्यालय या पेंशन भुगतान कार्यालय में 5वें

Page No. 27

(27)

(श्री खेतसिंह राठौड़)

वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार पेंशनरों के लिये भवन/प्रतीक्षालयों के लिये भवन आबंटन करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में पेंशनर भवन हेतु निम्नांकित जिलों में उनके सम्मुख दर से भूमि क्रय/अवाप्त की गयी है: —

1. बांसवाड़ा - 300/- रु. प्रतिवर्ग फीट की दर से क्रय की गयी। (18×30 फीट भूमि)
2. भीलवाड़ा - आरक्षित दर के 50% से क्रय की गयी।
3. अलवर - आरक्षित दर के 25% से क्रय की गयी।

(2) नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिया गया है।

(3) इस कार्य हेतु निम्न जिला कलक्टर कार्यालयों में भवन दिये गये हैं: —

1. कोटा 2. बीकानेर 3. सीकर 4. पाली 5. डूंगरपुर 6. जालौर 7. बूंदी 8. चित्तौड़गढ़ 9. अलवर 10. उदयपुर।

(4) भीलवाड़ा जिले में सांसद कोष से पेंशनर क्वाटर बनाने के लिये 60,000/- रुपये आबंटित किये गये हैं।

(5) जी, नहीं। 5वां वेतन आयोग केन्द्रीय कर्मचारियों हेतु गठित किया गया था तथा इसकी संस्तुतियों में राज्य पेंशनरों के लिये भवन/प्रतीक्षालय आबंटन करने के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं हैं।

जिला झुन्झुनूं में निगरानी समिति की बैठकें

305. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) एवं **श्री रामनारायण चौधरी** (मण्डावा) : क्या उप मुख्य (आबकारी) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) वर्ष 1997 व 1998 में जिला झुन्झुनूं में देशी/विदेशी मदिरा विक्रय हेतु गठित निगरानी जिला स्तरीय कमेटी की कब-कब बैठकें आयोजित की गयी।

(2) क्या यह सही है कि अस्वीकृत दुकानों/स्थानों पर उक्त शराब की हो रही बिक्री के सम्बन्ध में समय-समय पर शिकायतें प्रशासन को प्राप्त होती रही हैं? क्या फिर भी इस पर विचार हेतु कोई बैठकें नहीं हुई हैं?

(3) क्या यह भी सही है कि नियमों में प्रावधानों के विपरीत अनेक स्थानों पर दुकानें स्वीकृत हैं, जिनका उन स्थानों से हटाया जाना आवश्यक है? क्या इस समस्या पर विचार हेतु कमेटी की कोई बैठक नहीं हुई है?

उत्तर

(1) वर्ष 1997-98 में जिला झुन्झुनूं में मदिरा दुकानों की अवस्थिति संबंधी परिवादों पर विचारार्थ जिला स्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 5-4-97, 31-5-97 एवं 13-8-97 को आयोजित की गयी।

(उप मुख्य (आबकारी) मंत्री)

(2) प्रश्नगत शिकायतें समय समय पर प्रशासन को प्राप्त होती रही है जिनके निराकरण हेतु प्रशासन द्वारा सीधे ही तथा जिला स्तरीय समिति की बैठक में इसकी रोकथाम बाबत विचार किया जाकर आवश्यक कार्यवाही की जाती रही है।

(3) नियमों के प्रावधानों के विपरीत किसी भी स्थान पर दुकान स्वीकृत नहीं है। अतः उन्हें हटाने का प्रश्न ही नहीं उठता स्वीकृत दुकानों के लोकेशन के संबंध में प्राप्त शिकायतों के विचार हेतु दिनांक 5-4-97, 31-5-97 एवं 13-8-97 को जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गयी।

जिला उद्योग केन्द्र (अजमेर) द्वारा शिक्षित बेरोजगारों को देय ऋण

306. **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या उप मुख्य (उद्योग) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

क्या जिला उद्योग केन्द्र, अजमेर तथा भारतीय स्टेट बैंक शाखा ब्यावर के अधिकारियों द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को ऋण देने की योजना के अन्तर्गत वर्ष 1998 में शाहपुरा मौहल्ला, ब्यावर निवासी किसी व्यक्ति को ऋण स्वीकृत किया गया था? यदि हां, तो कितना क्या यह राशि उक्त व्यक्ति को मिल गई है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वर्ष 1998 में जिला उद्योग केन्द्र, अजमेर एवं भारतीय स्टेट बैंक, ब्यावर द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को ऋण देने की योजना के अन्तर्गत शाहपुरा मौहल्ला ब्यावर निवासी किसी भी व्यक्ति को ऋण स्वीकृत नहीं किया गया है।

जिला सवाईमाधोपुर में सामाजिक वानिकी योजना

307. **श्री हीरालाल** (बामनवास) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि सामाजिक वानिकी योजना सवाईमाधोपुर में वर्ष 1997-98 में पीस रेट कान्ट्रेक्ट प्रणाली द्वारा अग्रिम विकास कार्य करवाये गये हैं? यदि हां, तो तहसील बोंली एवं बामनवास के निविदा फार्म किस-किस से प्राप्त हुये और उक्त कार्य किस ठेकेदार से किस रेट पर करवाये विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उप वन संरक्षक व वन प्रसार अधिकारियों द्वारा ठेका देने में अनुसूचित जाति/जनजाति के ठेकेदारों को ठेका लेने से वंचित किया गया?

(3) क्या यह सही है कि समस्त वन विभाग के ठेकेदारों से ठेकों के समतुल्य राशि का हैसियत प्रमाण-पत्र मांगा गया था? यदि हां, तो राज्य में कहां-कहां किस-किस विभाग में यह प्रथा लागू है?

उत्तर

(1) जी, हां। तहसील बौंली एवं बामनवास में वर्ष 1997-98 में पीस रेट कान्ट्रेक्ट प्रणाली के अन्तर्गत कराये गये अग्रिम वन विकास कार्यों हेतु जिन ठेकेदारों से

Page No. 29

(29)

(राज्य मंत्री, वन)

निविदा फार्म प्राप्त हुये, जिनसे कार्य कराये गये तथा रेट का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जिन व्यक्तियों की आफर पीस रेट कान्ट्रेक्ट प्रणाली के नियम एवं शर्तों के अध्याधीन जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार नहीं थी, उन्हें ठेका नहीं दिया गया।

(3) पीस रेट कान्ट्रेक्ट प्रणाली के नियम एवं शर्तों के अध्याधीन जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ठेकेदार को कार्य कराने से पूर्व पंजीकरण के समय हैसियत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होता है। अन्य विभागों में भी ठेकेदारों को उनके पूर्व कार्य अनुभव एवं अन्य मापदंडों के आधार पर वर्गीकृत श्रेणियों में पंजीकृत किये जाने की व्यवस्था प्रचलित है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

जिला पाली में दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों का नियमितीकरण

308. श्री भीमराज भाटी (पाली) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को निर्धारित सीमा तक राजकीय सेवा में कार्यरत रहने पर नियमित किया जाता है? यदि हां, तो पाली जिले में वर्ष 1997-98 व 1998-99 में किस-किस श्रमिक को नियमित किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि पाली जिले में अभी भी ऐसे श्रमिक कार्यरत हैं जो दैनिक वेतनभोगी हैं एवं उन्हें नियमित नहीं किया गया है? यदि हां, तो कौन-कौन और कब-कब से कार्यरत हैं तथा इनको नियमित नहीं किये जाने के क्या कारण हैं?

(3) क्या सरकार उक्त दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों को नियमित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, हां। पाली जिले में उल्लेखित अवधि में श्रमिक श्री सहदेव सिंह को अर्द्ध स्थायी किया गया है।

(2) पाली जिले में मृत वर्कचार्ज कर्मचारी के आश्रित श्री जुगल किशोर दिनांक 21-2-97 से एवं श्री भगवान सिंह 29-4-97 से दैनिक वेतनभोगी श्रमिक के रूप में कार्यरत है। दोनों के द्वारा दो वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण नहीं करने से अभी अर्द्ध स्थायी नहीं किया गया है।

(3) नियमानुसार दो वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण करने पर अर्द्ध स्थायी किया जावेगा।

फालिया (छीपाबड़ौद) सिंचाई तालाब का अनापत्ति प्रमाण-पत्र

309. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा), **श्री कन्हैया लाल पाटीदार** (पिड़ावा) एवं **श्री फूलचन्द** (सलूम्बर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

फालिया (छीपाबड़ौद) सिंचाई तालाब को सरकार द्वारा कब तक अनापत्ति प्रमाण-पत्र

(श्री प्रताप सिंह सिंघवी)

जारी कर दिया जाएगा? अब तक अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं दिये जाने के क्या कारण रहे हैं?

उत्तर

फालिया (छीपाबड़ौद) सिंचाई तालाब हेतु वन भूमि अनारक्षण के प्रस्ताव राज्य सरकार के पत्रांक 1 (406) वन/97 दिनांक 20-10-97 द्वारा स्वीकृति प्रदान करने हेतु केन्द्र सरकार को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भेजा गया है। स्वीकृति प्राप्त होने पर अनुमति दिया जाना संभव होगा।

बाघ परियोजनाओं में कांटेदार बबूल के पेड़

310. **श्री तैय्यब हुसैन** (कामां) एवं **श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत** (श्रीमाधोपुर) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बाघ परियोजनाओं के आस-पास के क्षेत्रों में विलायती कांटेदार बबूल के पेड़ लगाये गये हैं? यदि हां, तो कब?

(2) क्या कांटेदार बबूल के पेड़ों के कारण बाघ परियोजना में टाइगर का रहना मुश्किल हो जाता है? यदि हां, तो इस विषय में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

उत्तर

(1) यह सही है कि गत पांच वर्षों में बाघ परियोजना क्षेत्रों के आसपास के क्षेत्रों में विलायती बबूल के पौधे लगाये गये हैं।

(2) जी, हां। कांटेदार बबूल (विलायती बबूल) के कारण बाघों को स्वच्छंद विचरण में कठिनाई आती है तथा इससे हेबीटाट भी दुष्प्रभावित होता है। इस कारण अभयारण्य के अन्दर आमतौर पर विलायती बबूल का रोपण नहीं किया जाता है। अभयारण्यों में चरने आने वाले पालतू पशुओं के मल/मीगणी आदि से भी इसके बीच का विकिरण (डिसपर्सल) होने के कारण यह अभयारण्यों के कुछ क्षेत्रों में भी उत्पन्न हो गया है, जिसके उन्मूलन की कार्यवाही वित्तीय उपलब्धता के अनुरूप की जा रही है।

काश्तकारों को फव्वारा सैट हेतु अनुदान की नई व्यवस्था

311. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि काश्तकारों को फव्वारा सैट के लिये दिये जा रहे अनुदान के लिये कोई नई व्यवस्था की गई है? यदि हां, तो क्या और कब से? इस सम्बन्ध में जारी आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त नई व्यवस्था लागू होने के बाद पूर्व के जो प्रार्थना-पत्र विचाराधीन थे, उनका निपटारा कैसे किया जायेगा?

(3) क्या फव्वारा सैट पर जितना अनुदान दिया जा रहा है, कृषक उससे अधिक की मांग कर रहे हैं? यदि हां, तो इसके लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

उत्तर

(1) जी, हां। वर्ष 1998-99 में राज्य सरकार द्वारा कृषकों को फव्वारा सैट लगाने पर निम्नानुसार अनुदान देय है: —

1. सामान्य कृषकों को नाबार्ड द्वारा निर्धारित फव्वारा सैट की इकाई लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रुपये 7000/- प्रति सैट तथा लघु/सीमान्त/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला कृषकों को नाबार्ड द्वारा निर्धारित फव्वारा सैट की इकाई लागत का 75 प्रतिशत या अधिकतम रुपये 10,000/- प्रति सैट जो भी कम हो देय है अनुदान की अधिकतम सीमा एक हैक्टेयर माडल होगी। उक्त संदर्भ में कृषि विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ. 8 (1) पार्ट/III/नि. कृ./जउप/98-99/10085-10211 दिनांक 12-5-98 की प्रति परिशिष्ट "एक" पर संलग्न है।

2. नई व्यवस्था हेतु कृषि मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया कि वर्ष 1998-99 में फव्वारा सैट के आवेदन पत्रों का पंजीकरण केवल प्राथमिक भूमि विकास बैंक ही करेगी। कृषि विभाग स्वीकृत अनुदान से स्थापित किये फव्वारा सैटों का रेण्डम प्रणाली के आधार पर 20 प्रतिशत भौतिक सत्यापन करेगा। प्रति परिशिष्ट 'द' पर संलग्न हैं।

(2) फव्वारा संयंत्रों के पूर्व प्रार्थना पत्र जिन पर व्यावसायिक बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत हो चुका है तथा कृषि विभाग में पंजीकरण के बाद लंबित है। उनका निपटारा कृषि विभाग द्वारा किया जावेगा। जिन आवेदन पत्रों पर केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं व्यावसायिक बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत नहीं किया गया है उनका निस्तारण संबंधित सहकारी भूमि विकास बैंक ही करेगी केन्द्रीय सहकारी बैंक के स्तर पर लंबित पत्रावलियों का निस्तारण संबंधित सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा ही किया जावेगा।

(3) जी, नहीं।

(प्रतियों के लिये कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

मंडावा (झुन्झुनूं) की मैसर्स हाइलेण्ड हाउस लि. के श्रमिकों को सुविधाएं

312. श्री रेवती प्रसाद कोली (बैर) : क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि झुन्झुनूं जिले के कस्बा मंडावा में मैसर्स हाइलेण्ड हाउस लिमिटेड नामक फैक्ट्री स्थापित है?

(2) यदि हां, तो उक्त फैक्ट्री में कुल कितने श्रमिक कार्यरत हैं? उक्त श्रमिकों को किन नियमों के अन्तर्गत वेतन का भुगतान किया जाता है?

(3) उक्त फैक्ट्री में कार्यरत श्रमिकों को किन नियमों के अन्तर्गत क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं?

(4) क्या फैक्ट्री में कार्यरत सभी श्रमिकों की साधारण बीमा, सामान्य भविष्य निधि आदि की कटौती हो रही है? यदि नहीं, तो इस कार्य में कोताही बरतने वाले अधिकारी के

(श्री रेवती प्रसाद कोली)

विरुद्ध सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है?

उत्तर

(1) जी, हां। फैक्ट्री का नाम मैं. हाइलेण्ड हाउस प्रा. लिमिटेड है।

(2) फैक्ट्री में लगभग 500 श्रमिक कार्यरत हैं। उन्हें वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 एवं तत्सम्बन्धी नियमों के अन्तर्गत वेतन का भुगतान किया जाता है।

(3) फैक्ट्री में कार्यरत श्रमिकों को कारखाना अधिनियम एवं इसके अन्तर्गत बने नियमों के प्रावधानों के अनुसार व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, पीने के लिये ठंडा पानी, प्राथमिक चिकित्सा एवं साप्ताहिक अवकाश की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त 13 त्योंहारिक अवकाश की सुविधा दी जा रही है। श्रमिकों को न्यूनतम वेतन अधिनियम, वेतन भुगतान अधिनियम समान पारिश्रमिक अधिनियम एवं तत्सम्बन्धी नियमों के प्रावधानों का लाभ दिया जा रहा है। संस्थान में कार्य प्रारम्भ हुये 5 वर्ष नहीं हुये हैं अतः बोनस भुगतान अधिनियम एवं उपादान भुगतान अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं है।

(4) कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अनुसार उक्त फैक्ट्री ई.एस.आई. अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित संस्थान नहीं है, क्योंकि उक्त क्षेत्र पर अभी कर्मचारी राज्य बीमा योजना लागू नहीं है। कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपलबन्ध अधिनियम, 1952 के तहत आवृत कर कूट संख्या आर.जे/9400 जारी कर, अधिनियम की अनुपालना करने के लिये क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा वृत्तीय प्रवर्तन अधिकारी, झुन्झुनूं को संस्थान का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

झुन्झुनूं जिले में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम पर व्यय

313. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) एवं **श्री रामनारायण चौधरी** (मण्डावा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) मार्च, 1998 तक जिला झुन्झुनूं में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी धनराशि किस-किस मद में व्यय की गयी है?

(2) अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम से सम्बन्धित सामान की खरीद हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई गयी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि इस कार्यक्रम की निगरानी सामान खरीदने आदि कार्य कलापों में तथा जिला स्तर पर गठित कमेटी में कोई जनप्रतिनिधि सम्मिलित नहीं है?

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 1997-98 में जिला झुन्झुनूं में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत मार्च, 1998 तक पंचायत समितियों द्वारा मदवार खर्च का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(शिक्षा मंत्री)

(2) अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम से सम्बन्धित सामान की खरीद दो स्तरों से की जाती है। प्रथम निदेशालय के स्तर से की जाती है जिसमें खुली निविदाएं आमंत्रित की जाकर तुलनात्मक विवरण तैयार करते हुये उक्त विवरण राज्य स्तरीय क्रय समिति के समक्ष रखा जाता है तथा गठित कमेटी के अनुमोदन के पश्चात् ही सामग्री क्रय कर पंचायत समिति को भिजवाई जाती है। द्वितीय पंचायत समिति स्तर पर शिक्षण सामग्री क्रय करने हेतु एक समिति का गठन किया गया है जिसमें प्रधान, विकास अधिकारी, परियोजना अधिकारी (अनौ. शिक्षा), शिक्षा प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति के दो सदस्य, क. लेखाकार (अनौ. शिक्षा) एवं एक अनुदेशक सदस्य है। इस समिति का कोरम 5 सदस्यों का है इस समिति द्वारा खुली निविदा के माध्यम से सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार क्रय कार्यवाही की जाती है।

(3) जिला स्तर पर सामान की खरीद नहीं होने से जिला स्तर पर कोई कमेटी का गठन नहीं किया गया है। पंचायत समिति स्तर पर ही सामान की खरीद होने से पंचायत समिति स्तर पर कमेटी का गठन किया गया है जिसमें 8 सदस्य होते हैं। इस कमेटी में जन प्रतिनिधि के रूप में प्रधान पंचायत समिति एवं पंचायत समिति के निर्वाचित दो सदस्य सम्मिलित है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

एस. टी. सी. केन्द्रों में उर्दू भाषा हेतु आरक्षण

314. श्री तैय्यब हुसैन (कामां) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

राज्य में ऐसे कितने एस.टी.सी. केन्द्र हैं, जिनमें उर्दू भाषा शिक्षा-प्रशिक्षण हेतु सीट आरक्षित है तथा उनका कार्य क्षेत्र किस प्रकार विभाजित है ?

उत्तर

राज्य में शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय भाषायी अल्प संख्यक, अजमेर तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, टौंक में उर्दू के प्रशिक्षण हेतु 52 सीटें (40 अजमेर तथा 12 टोंक हेतु) आरक्षित है।

शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय (भाषायी अल्प संख्यक) अजमेर द्वारा अपने तथा टोंक हेतु आरक्षित सीटों के लिये प्रवेश दिए जाने का कार्य संपादित किया जाता है। 52 सीटों में से शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय (भाषायी अल्प संख्यक) अजमेर में 8 सीटें जैसलमेर जिले के अभ्यर्थियों के लिये तथा 32 सीटें राज्य के अन्य जिलों हेतु आरक्षित हैं तथा 12 सीटें जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, टोंक, टोंक जिले के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित है।

विधान सभा क्षेत्र लाडनूं के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पद

315. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(श्री हरजीराम बुरडक)

(1) विधान सभा क्षेत्र लाडनूं में कौन-कौन से उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं तथा उनमें अध्यापकों के पद व छात्र संख्या कितनी-कितनी है ?

(2) क्या सरकार की यह नीति है कि छात्रों की संख्या के अनुपात में अध्यापकों के पद सृजित किये जाते हैं ? यदि हां, तो कितने छात्रों पर एक अध्यापक ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त विद्यालयों में छात्रों की संख्या के हिसाब से अध्यापकों के पद कम हैं ? यदि हां, तो क्यों और छात्रों की संख्या के अनुसार पद सृजित कब तक कर दिये जायेंगे ?

(4) पद सृजित करने के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है ? क्या इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि गत शिक्षा-सत्र में उक्त विद्यालयों में अध्यापकों के स्वीकृत पदों में से भी पद रिक्त रहे ? यदि हां, तो किस-किस विद्यालय में कितने-कितने पद कब से कब तक और क्यों तथा अब रिक्त पदों को कब तक भर दिया जाएगा ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र लाडनूं में 38 उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित है। इनमें अध्ययनरत छात्र संख्या एवं अध्यापकों का विवरण परिशिष्ट-I पर उपलब्ध है।

(2) जी, हां। मानदण्डों की प्रति परिशिष्ट-II पर उपलब्ध है।

(3) स्वीकृत पदों के विरुद्ध वर्तमान में केवल 5 पद रिक्त है। मानदण्डों के अनुरूप अध्यापकों की कमी की सूचना तब प्राप्त हो सकेगी जबकि विद्यालय परित्याग को कम करने पर मई, 98 में वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात होगी। इस संख्या के आधार पर मानदण्डों के परिप्रेक्ष्य में पदों का आंकलन कर वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर अतिरिक्त पद स्वीकृत कराये जा सकेंगे।

(4) कक्षा 1 से 5 तक के लिये 4 अध्यापक तथा प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नति के प्रथम वर्ष एक प्रधानाध्यापक (द्वितीय श्रेणी), कक्षा 7वीं प्रारम्भ होने पर 2 अध्यापक (तृतीय श्रेणी) तथा कक्षा 8वीं प्रारम्भ होने पर एक अध्यापक का पद सृजित किये जाने का प्रावधान है।

(5) जी, हां। विद्यालयवार रिक्त पदों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण एवं प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

डेगाना (नागौर) के माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पद

316. श्री रिछपालसिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(श्री रिछपालसिंह मिर्धा)

(1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना (नागौर) में वर्तमान में कुल कितने माध्यमिक विद्यालय कार्यरत हैं ? सूची ग्रामवार सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विद्यालयों में अध्यापकों के कुल कितने पद रिक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(4) जन सहभागिता योजनान्तर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत कराने हेतु कितनी राशि जमा कराने का प्रावधान रखा गया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना (नागौर) में वर्तमान में 14 माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) उक्त विद्यालयों में कोई पद रिक्त नहीं है।

(3) विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद नहीं होने के कारण भरने का प्रश्न नहीं है।

(4) जन सहभागिता योजना के अन्तर्गत वर्ष 1997-98 तक माध्यमिक से सीनियर माध्यमिक में क्रमोन्नत हेतु 5 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया था। वर्ष 1998-99 हेतु यह राशि विचाराधीन है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों का क्रमोन्नयन

317. श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद में कितने उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नति के पात्र हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार उक्त क्षेत्र के विद्यालयों को कब तक क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद में 13 माध्यमिक विद्यालय हैं जिसमें से एक भी विद्यालय क्रमोन्नति के लिये पात्र नहीं है। 37 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं जिसमें से मात्र एक उच्च प्राथमिक विद्यालय क्रमोन्नति के लिये पात्र है।

(2) राज्य में वर्ष 1998-99 में 50 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक में तथा 50 माध्यमिक को सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार अपने सीमित वित्तीय प्रावधानों के तहत लक्ष्य को पूर्ति करने हेतु प्राप्त प्रस्तावों पर निर्धारित मानदण्ड की पूर्ति करने वाले विद्यालयों के प्रस्तावों पर समग्र विचार किया जाएगा।

उप जिला शिक्षा अधिकारी (शारीरिक शिक्षा) के पद

318. श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) राज्य में उप जिला शिक्षा अधिकारी (शारीरिक शिक्षा) के कितने पद कहां-कहां स्वीकृत हैं ?

(2) उक्त पद स्वीकृत करने के मानदंड क्या हैं? क्या इन पदों पर कार्यरत अधिकारियों से मानदण्डानुसार कार्य निरीक्षण सम्पादित कराये जा रहे हैं? यदि नहीं, तो उक्त प्रकरण में दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(3) जिला स्तर के कार्यालयों में उक्त पदों के स्वीकृत होने के बावजूद भी मंडल स्तर पर के कार्यालयों में भी इन्हीं पदों के स्वीकृत होने का क्या औचित्य है ?

(4) क्या सरकार शून्य आधारित बजट व मितव्ययिता की दृष्टि में इन पदों में कटौती करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) राज्य में 42 पद उप जिला शिक्षा अधिकारी (शारीरिक शिक्षा) के स्वीकृत हैं। स्वीकृत पदों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) मानदण्ड की प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है। मानदण्ड के अनुसार निरीक्षण करवाया जा रहा है।

(3) मण्डल स्तर पर उप जिला शिक्षा अधिकारी (शारीरिक शिक्षा) के पद राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताएं सम्पन्न करवाये जाने, जिला खेल संगम, कोचिंग सेंटर का निरीक्षण आदि कार्य हेतु पद उपयोगी होने के कारण सृजित करवाये गये हैं।

(4) जी, नहीं। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण एवं प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

सेठ प्रताप रामेश्वर लाल सहरिया उच्च माध्यमिक विद्यालय (कालाडेरा) के कर्मियों का वेतन प्रकरण

319. श्री गोपीराम जाट (आमेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) सेठ प्रताप रामेश्वर लाल सहरिया उच्च माध्यमिक विद्यालय कालाडेरा (जयपुर) का शिक्षा अधिकारियों ने कब-कब निरीक्षण किया? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि 90% सहायता प्राप्त उक्त विद्यालय के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दिया जाता? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि वेतन भुगतान एवं अन्य कटौतियां समय पर जमा नहीं कराने की, पहले भी शिकायतें प्राप्त हुई

(श्री गोपीराम जाट)

थीं? यदि हां, तो उनका क्या समाधान किया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार भविष्य में समय पर कर्मचारियों को वेतन मिलने के सम्बन्ध में व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) शिक्षा अधिकारियों के द्वारा विद्यालय का 4-1-96, 27-2-96 एवं 23-5-97 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) संस्था द्वारा अपने शेयर की राशि उपलब्ध नहीं कराने के कारण अथवा अनुदान आवेदन समय पर प्रस्तुत नहीं करने के कारण वेतन भुगतान में विलम्ब हो जाता है।

(3) जी, हां। संस्था के अभिलेखों के अनुसार बकाया पी.एफ. एवं कटौतियों की राशि जमा करवाई गयी।

(4) जी, हां। प्राप्त सूचना के अनुसार मई, 98 तक के वेतन का भुगतान किया जा चुका है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

शिक्षकों के चिकित्सा बिलों का पुनर्भरण

320. श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि शिक्षकों के चिकित्सा पुनर्भरण के बिलों के भुगतान के लिये बजट प्रावधान किया हुआ है? यदि हां, तो गत दो वर्षों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि राजस्थान के विभिन्न जिलों में अनेक शिक्षकों के चिकित्सा बिलों का भुगतान बकाया है और उसके कारण शिक्षकों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है?

(3) क्या यह सही है कि जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) डूंगरपुर ने निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी, बीकानेर को चिकित्सा बिलों के भुगतान हेतु अतिरिक्त बजट प्रावधान के लिये कोई प्रस्ताव भिजवाया है? यदि हां, तो सरकार द्वारा उन प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही की गई?

(4) क्या यह भी सही है कि डूंगरपुर जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के अनुसार एक शिक्षक के बच्चे की किडनी प्रत्यावर्तन और बच्चे की माता द्वारा किडनी डोनेट करने के ईलाज के लाखों रुपये के बिल बकाया है और इसके कारण शिक्षक परिवार को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? यदि हां, तो उक्त राशि कितनी है और कब तक इसका भुगतान कर दिया जायेगा?

(5) सरकार को जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) डूंगरपुर के प्रस्तावों के अनुसार

Page No. 38

(38)

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

शिक्षक के बिलों के भुगतान हेतु बजट प्रावधान करने में क्या कठिनाई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। वर्ष 1998-99 में आवंटित चिकित्सा पुनर्भरण की जिलेवार आवंटित राशि का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी, हां। राज्य के विभिन्न जिलों के शिक्षकों की चिकित्सा पुनर्भरण की राशि बकाया है। शिक्षकों की सूची व राशि का विवरण संकलित किया जा रहा है।

(3) विभाग द्वारा दिनांक 17-6-98 को चिकित्सा व्यय का मूल आवंटन किया गया है। उसके पश्चात् अतिरिक्त आवंटन के प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुये हैं।

(4) जी, नहीं। जिला शिक्षा अधिकारी (मा.) डूंगरपुर से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) डूंगरपुर से ऐसा प्रस्ताव प्राप्त हुआ जिसमें 1,49,516/- लाख रुपये की मांग की, के विरुद्ध 1,48,600/- रुपये दिये जा चुके हैं। इसके बाद 1.70 लाख अग्रिम एक्र वर्ष फोलोअप के लिये मांगे, उसके विरुद्ध 1.00 लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया है। शेष राशि का भुगतान हिसाब आने पर आवश्यकता के अनुसार किया जावेगा।

(5) राशि स्वीकृति के बाद अब प्रश्न प्रासांगिक नहीं है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

न्यायालयों में शीघ्रलिपिकों की नियुक्ति प्रक्रिया

321. **श्री शांतिकुमार धारीवाल** (हिण्डौली) : क्या विधि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) न्यायालयों में शीघ्रलिपिकों की भर्ती की प्रक्रिया क्या है? परीक्षा प्रणाली, परीक्षकों की नियुक्ति, शीघ्रलिपिक व टंकण की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच व चयन के संबंध में क्या नियम है? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि गत दो वर्षों से न्यायालयों में रिक्त पदों की सूचना विज्ञापित नहीं की जाती है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार न्यायालयों में शीघ्रलिपिकों की नियुक्ति हेतु न्यायिक भर्ती आयोग स्थापित करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार उच्च न्यायालय स्तर पर सभी न्यायालयों के लिये भर्ती केन्द्र स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) न्यायालयों में शीघ्रलिपिकों की भर्ती की प्रक्रिया तथा चयन हेतु राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय मंत्रालयिक संस्थापन नियम, 1986 बनाये गये हैं। नियमों की प्रति संलग्न है।

(2) जी, नहीं। रिक्त पदों की सूचना यथासमय विज्ञापित की जाती है।

(राज्य मंत्री, विधि)

(3) जी, नहीं। नियुक्तियों के लिये नियम बने हुये हैं अतः अलग से भर्ती आयोग बनाये जाने का कोई प्रयोजन नहीं है। उच्च न्यायालय स्तर पर सभी न्यायालयों के लिये भर्ती केन्द्र स्थापित किये जाने की भी कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं की जा रही है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

शीरे (मोलासिस) की खरीद में अनियमितता

322. श्री हरेन्द्र मिर्धा (नागौर) : क्या डेयरी राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1994 में डेयरी फैडरेशन द्वारा खरीदे जा रहे शीरे (मोलासिस) के संदर्भ में सहकारिता विभाग को जांच करने के निर्देश दिये गये थे? क्या उक्त जांच में तत्कालीन प्रबन्ध संचालक डेयरी फैडरेशन तथा अन्य पर अनियमितता करने का मामला पाया गया था?

(2) क्या यह भी सही है कि तत्कालीन प्रबन्ध संचालक, डेयरी फैडरेशन द्वारा जांच कर्ता को वर्ष 1994 में ही पत्र का उत्तर भेज दिया गया था? क्या इसके पश्चात् राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा तत्कालीन प्रबन्धद संचालक को मौका नहीं दिए जाने पर पुनः जांच करवाई?

(3) क्या पुनः की गयी जांच में भी अनियमितता पायी गयी? यदि हां, तो सरकार ने अब तक इस मामले में क्या कार्यवाही की है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, हां।

(3) जी, नहीं। एन. डी. डी. बी. व आर. सी. डी. एफ. को दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने हेतु लिखा गया है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा सूचित किया गया है कि तत्कालीन प्रबन्ध संचालक श्री एस.पी. मित्तल वर्ष 1996 में सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

डेयरी फैडरेशन को दी गयी क्षतिपूर्ति राशि

323. श्री हबीबुर्रहमान (मूण्डवा) : क्या डेयरी राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार व केन्द्र सरकार ने डेयरी फैडरेशन की नुकसान की क्षतिपूर्ति करने हेतु वर्ष 1992-93 से 1997-98 तक करोड़ों रुपये दिये हैं? यदि हां, तो वर्षवार प्राप्त राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त राशि का उपयोग कब-कब घाटे व दायित्वों की भरपाई में किया गया? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त वित्तीय अनियमितताओं के लिये कौन-कौन जिम्मेवार हैं?

(श्री हबीबुर्रहमान)

(3) क्या यह सही है कि उक्त राशि को उसी प्रयोजन में उपयोग न किया जाकर वर्ष 1991-92 तक के घाटों व वित्तीय देनदारियों को राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड के प्रबन्धन के दौरान बढ़ने दिया गया? उक्त देनदारियों पर दिनांक 31 मार्च, 1998 तक वर्षवार कितना ब्याज किस दर से लगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या इस तरह की स्वनिर्मित देनदारियों व अन्य घाटे को राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड द्वारा वहन करना था? क्या इनका लेखा पुस्तकों में समायोजन कर लिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। वर्षवार प्राप्त राशि का विवरण निम्नानुसार है: —

वर्ष	राशि (करोड़ रुपये में)
1992-93	2.00
1993-94	2.00
1994-95	4.00
1995-96	4.00
1996-97	2.20
1997-98	2.00
कुल योग	16.20

(2) इस राशि का उपयोग घाटे व दायित्वों की भरपाई हेतु नहीं किया गया। प्राप्त राशि के उद्देश्य अनुसार उपयोग किये जाने संबंधी जांच की जा रही है। जांच के पश्चात् ही उत्तरदायित्व निर्धारित करने पर विचार किया जाएगा।

(3) राशि के प्रयोजन में काम लेने संबंधी जांच की जा रही है। जांच के पश्चात् ही तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त हो सकेगी।

देनदारियों पर ब्याज निम्न प्रकार है: —

वर्ष	ब्याज (करोड़ में)
1992-93	5.7
1993-94	7.98
1994-95	11.09
1995-96	9.11
1996-97	10.63
कुल योग	44.58

उपरोक्त ब्याज निम्न दरों से लगाया गया है:—

कार्यशील पूंजी : वर्ष 1992-93 से 1994-95 तक 21% प्रतिवर्ष त्रैमासिक चक्रवृद्धि, वर्ष 1995-96 व 1996-97 16% प्रतिवर्ष त्रैमासिक चक्रवृद्धि

वेज एण्ड मींस : 16% प्रतिवर्ष त्रैमासिक चक्रवृद्धि

एडवान्स टर्म लोन : 8.5% / 10% प्रतिवर्ष छमाही चक्रवृद्धि

अवधिपार भुगतान : 1992-93 – 8.5% छमाही चक्रवृद्धि

1993-94 व 1994-95 – 20% छमाही चक्रवृद्धि

1995-96 व 1996-97 – 8.5% छमाही चक्रवृद्धि

(राज्य मंत्री, डेयरी)

(4) जी हां, लेखा पुस्तकों में समायोजन अभी नहीं हुआ है क्योंकि औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर होने शेष हैं।

सहकारी शुगर मिल लिमिटेड (केशोरायपाटन) के संचालक मण्डल का चुनाव

324. श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल की स्थापना कब हुई ?

(2) उक्त शुगर मिल में कितने शेयर होल्डर्स हैं ? क्या मिल की स्थापना के पश्चात् शेयर होल्डर्स की बैठक आयोजित की गयी ? यदि हां, तो कब-कब और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या उक्त शुगर मिल की स्थापना के पश्चात् संचालक मण्डल के सदस्यों का चुनाव करवाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या संचालक मण्डल में शेयर होल्डर्स का प्रतिनिधित्व होना चाहिये ? यदि हां, तो कब-कब, कौन-कौन व्यक्ति शेयर होल्डर्स में से संचालक मण्डल का सदस्य निर्वाचित किया गया ?

(5) क्या उक्त मिल के संचालक मण्डल में निर्वाचित प्रतिनिधि होने का प्रावधान है ? यदि हां, तो संचालक मण्डल के सदस्यों के चुनाव अब कब तक करवा दिए जाएंगे ?

उत्तर

(1) मिल की स्थापना दिनांक 15-11-65 को हुई।

(2) मिल में 31-3-98 तक 3500 अंशधारी सदस्य हैं। मिल की स्थापना के पश्चात् अब तक अंशधारियों की 8 सभाएं निम्न प्रकार की गयी:—

1. दिनांक 25-4-68
2. दिनांक 3-4-69
3. दिनांक 29-6-71
4. 16-4-74
5. 31-10-87
6. 3-2-90
7. 15-11-90

8. 21-4-92 इसमें यह ध्यान में लाया जाना वांछनीय है कि दिनांक 31-12-78 से 12-12-87 मिल भारत सरकार के अधिग्रहण में रही है और इस दौरान अधिग्रहण काल में कोई बैठक नहीं हुई है। दिनांक 31-4-92 के पश्चात् आमसभा भी संपन्न नहीं हुई है। शेयर होल्डरों के अत्यधिक होने तथा आर्थिक स्थिति दयनीय होने की वजह से आमसभा नहीं बुलाई गयी।

(3) जी, नहीं। मिल की आर्थिक स्थिति दयनीय होने की वजह से एवं त्वरित प्रशासकीय निर्णय की वजह से प्रशासकीय व्यवस्था उचित मानी गयी है।

(4) जी, हां। अभी तक कोई निर्वाचित नहीं हुआ है।

(5) जी, हां। मिल के निरन्तर हानि में चलने तथा वर्ष 1992-93 तक मिल की संचित हानि 1027.37 लाख हो जाने के कारण मथुरादास माथुर कमेटी की अभिशंसा के अनुसार इसे अवसायन में लाने का निर्णय

(सहकारिता मंत्री)

राज्य सरकार द्वारा लिया गया था। वर्ष 1993-94 से विशेष प्रयास कर मिल को लाभ में लाया गया है तथा परिवर्तित स्थिति के आधार पर आदेश दिनांक 21-4-98 द्वारा मिल को चालू रखने का निर्णय लिया गया है। मिल की स्थिति में सुधार के आधार पर संचालक मंडल के चुनाव के सम्बन्ध में भी विचार किया जाएगा।

तृतीय श्रेणी अध्यापकों (जिला परिषद् बीकानेर) की नियुक्ति प्रकरण

325. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि गत तीन वर्षों में जिला परिषद, बीकानेर द्वारा तृतीय श्रेणी अध्यापकों को नियुक्ति नहीं दी है? यदि हां, तो क्यों?

(2) जिला परिषद्, बीकानेर के अन्तर्गत पंचायत समितियों में कितने-कितने प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत हैं तथा उनमें कितने-कितने अध्यापकों के पद स्वीकृत हैं और छात्र संख्या के अनुपात में कितने-कितने अध्यापकों के पद स्वीकृत होने चाहिए?

(3) क्या सरकार गत तीन वर्षों में तृतीय श्रेणी के अध्यापकों को नियुक्ति न दिये जा सकने के कारण आयु सीमा पार करने वाले अध्यापकों को पुनः आवेदन का अवसर प्रदान करने का विचार रखती है?

(4) क्या सरकार वर्ष 1998-99 में स्वीकृत पदों पर नियुक्तियां करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी, हां। विभिन्न न्यायालयों द्वारा तृतीय श्रेणी अध्यापकों की नियुक्तियों पर समय-समय पर स्थगन आदेश आने के कारण नियुक्तियां नहीं दी जा सकी हैं।

(2) जिला परिषद्, बीकानेर के अधीन पंचायत समितियों में कुल 606 प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत है तथा कुल 1364 तृतीय श्रेणी अध्यापकों के पद स्वीकृत हैं। छात्र संख्या के आधार पर 40 : 1 के अनुसार 1724 पद स्वीकृत होने चाहिये।

(3) जी, नहीं।

(4) विभागीय पत्रांक 824 दिनांक 30-6-98 द्वारा विज्ञापन संख्या 1/96 की वरीयता सूची में से 330 पदों पर नियुक्ति हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त निर्देश की पालना के पश्चात् वर्ष 1998-99 में स्वीकृत पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा।

सामुदायिक भवन (टोडारायसिंह) के निर्माण में अनियमितता

326. श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति 9 टोडारायसिंह (टौंक) के ग्राम दत्तोब में पंचायत समिति निर्माण द्वारा सामुदायिक भवन हेतु राशि स्वीकृत की गई है? यदि हां, तो कितनी?

(श्री बनवारी लाल बैरवा)

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम दत्तोब में ही सामुदायिक भवन का कार्य करवाया गया है? यदि नहीं तो क्या उक्त भवन निर्माण अन्यत्र करवाया गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि ग्राम दत्तोब के सरपंच द्वारा सामुदायिक भवन का निर्माण अन्यत्र करवाने पर उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। रुपये 4.90 लाख की राशि की स्वीकृति जारी की गयी है।

(2) जी, हां। निर्माण ग्राम दत्तोब में ही कराया गया।

(3) जी, नहीं। निर्माण सही स्थान पर कराने से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

पंचायत समिति लाडनूं की स्थाई समितियों के चुनावों का जांच प्रकरण

327. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति लाडनूं जिला नागौर की स्थाई समितियों के चुनाव दिनांक 15 मार्च, 1997 को कराया जाने का आदेश जिला कलक्टर, नागौर द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 1997 को जारी किया गया था? यदि हां, तो चुनाव क्यों नहीं कराये गये?

(2) क्या यह भी सही है कि जिला कलक्टर नागौर ने दिनांक 11 मार्च, 1997 को उक्त चुनाव कराने के आदेश को यह कहते हुये निरस्त कर दिया कि चुनाव नियम निरस्त हो चुके हैं? यदि हां, तो क्यों और बाद में इन स्थाई समितियों के चुनाव कब हुये?

(3) क्या जिला कलक्टर नागौर ने गलत रूप से चुनाव निरस्त किया? यदि हां, तो सरकार ने कलक्टर के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की है?

(4) उक्त प्रकरण सरकार के ध्यान में कब आया और उस पर क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी, हां। यह सही है कि पंचायत समिति, लाडनूं की स्थाई समिति के चुनाव हेतु जिला कलक्टर, नागौर के आदेश द्वारा उप खण्ड अधिकारी, डीडवाना की अध्यक्षता में दिनांक 15-3-97 को प्रातः 11.00 बजे बैठक का आयोजन रखा गया था। जिला कलक्टर द्वारा यह आदेश राज पंचायत समिति तथा जिला परिषद (स्थाई समितियों के चुनाव) नियम, 1959 के तहत जारी किये गये थे, जबकि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 374 के क्रम संख्या 19 के अनुसार 1959 के नियम नियमित हो जाने के कारण चुनाव का नोटिस दिनांक 11-3-97 को निरस्त किया गया था। इसलिये इस आदेश के तहत चुनाव नहीं कराये गये।

(2) जी, हां। कलक्टर, नागौर ने दिनांक 11-3-97 को उक्त चुनाव कराने के आदेश

(राज्य मंत्री, पंचायती राज)

को यह कहते हुये निरस्त कर दिया कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 374 के क्रम संख्या 19 के अनुसार राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद (स्थाई समिति) नियम, 1959 को निरस्त किया जा चुका है। अब इन स्थाई समितियों के चुनाव हेतु प्राधिकृत अधिकारी जिला कलक्टर, नागौर द्वारा दिनांक 3-7-98 को जारी किये जा चुके हैं।

(3) जी, नहीं।

(4) उक्त प्रकरण राज्य सरकार के ध्यान में प्रश्न के माध्यम से लाये जाने पर जिला कलक्टर से रिपोर्ट प्राप्त की गई है। रिपोर्ट के अनुसार कोई अनियमितता प्रकट नहीं होती है। अतः कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

पंचायत समिति करौली के भवन निर्माण में अनियमितताएं

328. श्री हंसराम (करौली) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति करौली में नये सभा भवन का निर्माण करवाया गया है? यदि हां, तो उक्त भवन के निर्माण खर्चों से सम्बन्धित रिकार्ड की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सभा भवन के निर्माण कार्य में अनियमितताएं हुई हैं?

उत्तर

(1) जी, हां। रिकार्ड विवरण की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी, नहीं।

(प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

पंचायत समिति पाली व रोहट के विद्यालयों में छात्र व अध्यापकों का अनुपात प्रकरण

329. श्री भीमराज भाटी (पाली) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि सरकार की नीति के अनुसार प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में दो अध्यापक होना अनिवार्य है? यदि हां, तो पंचायत समिति पाली व रोहट में ऐसे कितने प्राथमिक विद्यालय हैं, जहां पर एक ही अध्यापक कार्यरत है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विद्यालयों में छात्रों के अनुपात में अध्यापकों के पद सृजित नहीं हैं? यदि हां, तो उपरोक्त पंचायत समिति क्षेत्रों में कुल कितने प्राथमिक विद्यालय हैं तथा उनमें कितने छात्र व अध्यापक हैं एवं छात्रों व अध्यापकों का क्या अनुपात है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत समिति पाली में 19 एवं पंचायत समिति रोहट में 20 ऐसे

(राज्य मंत्री, पंचायती राज)

प्राथमिक विद्यालय हैं जिनमें एक-एक अध्यापक ही कार्यरत है। (परिशिष्ट-1)

(2) जी, हां। पंचायत समिति पाली में 74 विद्यालयों में 188 अध्यापक कार्यरत हैं व 8969 छात्र हैं। पंचायत समिति रोहट में 75 विद्यालयों में 174 अध्यापक कार्यरत है व 9092 छात्र हैं। विद्यालयवार छात्रों का अनुपात व विस्तृत सूचना संलग्न है। (परिशिष्ट-2)

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला बांसवाड़ा की पंचायत समितियों का वाहन प्रकरण

330. श्री फतेहसिंह (कुशलगढ़) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) बांसवाड़ा जिले की कौन-कौन सी पंचायत समितियों में वाहन उपलब्ध हैं एवं कौन-कौन सी में नहीं है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जिन पंचायत समितियों में वाहन उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें वाहन उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि जिन पंचायत समितियों में वाहन उपलब्ध नहीं है वहां किराये से वाहन लेकर पंचायत समिति क्षेत्र का कार्य किया जा रहा है ? यदि हां, तो अब तक कितनी राशि किराये पर व्यय की गयी विवरण पंचायत समितिवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले की पंचायत समिति, तलवाड़ा, घाटोल, गढ़ी, आनन्दपुरी एवं सज्जनगढ़ में वाहन उपलब्ध है। पंचायत समिति पीपलखूंट, कुशलगढ़ एवं बागीडोरा में वाहन उपलब्ध नहीं हैं।

(2) जी, हां। बजट में प्रावधान करवा कर वाहन उपलब्ध कराये जाएंगे।

(3) जी, हां। पंचायत समिति वार विवरण निम्नानुसार है: —

वर्ष	किराया राशि मय डीजल रुपयों में
पंचायत समिति कुशलगढ़	
1996-97	20540
1997-98	77417
योग	97957
पंचायत समिति बागीडोरा	
1995-96	34189
1996-97	16361
1997-98	45418
योग	95968
पंचायत समिति पीपलखूंट	
1994-95	7300
1995-96	7978
1996-97	18635
1997-98	20689
योग	54602

ग्राम हुकमी खेड़ा (करौली) में स्वीकृत तलाई प्रकरण

331. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि जिला करौली के ग्राम हुकमी खेड़ा में कोई तलाई का कार्य स्वीकृत हुआ था? क्या उक्त कार्य हेतु रुपए 50000/- ग्राम पंचायत के सरपंच को दिये गये थे? यदि हां, तो क्या उक्त तलाई का काम पूर्ण हो चुका है? यदि नहीं, तो उक्त राशि किस कार्य में उपयोग की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त तलाई के संबंध में कोई शिकायत जनता द्वारा की गयी है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त तलाई के बारे में कोई कोर्ट का फैसला हुआ है? यदि हां, तो अब तक सरकार ने उक्त प्रकरण में क्या कार्यवाही की है?

उत्तर

(1) आश्वासित योजना के अन्तर्गत तलाई निर्माण कार्य हेतु ग्राम पंचायत को 50,000/- रु. अग्रिम राशि दी गयी थी। उक्त राशि तालाब निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत हुई थी, किन्तु सरपंच ने तालाब के निर्माण कार्य में मजदूरों को भुगतान करना बताया है।

(2) शिकायत की जांच कनिष्ठ अभियन्ता एवं विकास अधिकारी हिण्डौन से कराई तथा सरपंच के विरुद्ध पुलिस थाना हिण्डोन में दिनांक 29-12-97 की एफ.आई.आर. दर्ज कराई जा चुकी है। अनुसंधान जारी है।

(3) तलाई निर्माण के सम्बन्ध में सरपंच ने एफ. आई. आर. संख्या 183/96 दर्ज करवाई जिस पर पुलिस ने एफ.आर. लगा दी है। सरपंच ने एफ.आर. के विरुद्ध सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड हिण्डोन के न्यायालय में प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसे न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया।

बस्सी तहसील के स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण

332. **श्री कालूलाल गूजर** (मांडल) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) जिला जयपुर की बस्सी तहसील में आंगनबाड़ी केन्द्र कहां-कहां स्वीकृत किये गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम दयालपुरा तहसील बस्सी में भी आंगनबाड़ी केन्द्र की स्वीकृति दी गई थी? यदि हां, तो कब एवं कितनी राशि की? उक्त स्वीकृति कब दी गयी थी एवं भवन निर्माण कार्य कब तक पूरा होना था? भवन के नक्शे की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त भवन निर्माण में घटिया सामग्री उपयोग में ली गई है? यदि नहीं, तो उक्त निर्माण सामग्री किस-किस के यहां से कितनी-कितनी राशि की

(श्री कालूलाल गूजर)

कब-कब क्रय की गई ? क्रय किये गये सामान के बिलों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त भवन निर्माण कार्य अब भी अपूर्ण हैं ? यदि नहीं, तो निर्माण कार्य पूर्ण कब हुआ एवं उसका सत्यापन कब एवं किस स्तर के अधिकारी से करवाया गया ?

(5) क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(6) क्या सरकार उक्त भवन निर्माण कार्य को पूर्ण करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पंचायत समिति बस्सी में 142 केन्द्र स्वीकृत है। सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी, हां। ग्राम दयालपुरा में आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण की स्वीकृति अभिकरण द्वारा 9-1-1997 को लागत 96,000/- की प्रदान की गई थी। कार्य वर्ष 1996-97 में पूर्ण होना था। भवन के नक्शे की प्रति संलग्न है। स्वीकृति की प्रति परिशिष्ट-2 एवं नक्शे की प्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(3) जी, नहीं। उक्त भवन निर्माण में घटिया सामग्री उपयोग में नहीं की गई है। सामग्री क्रय का विवरण परिशिष्ट-4 एवं क्रय के सम्बन्ध में बिलों की प्रतियां संलग्न है।

(4) जी, हां। भवन निर्माण कार्य अभी भी अपूर्ण है।

(5) इस प्रकरण में किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः कोई जांच विचाराधीन नहीं है।

(6) जी, हां। उक्त भवन निर्माण कार्य वर्ष 1998-99 तक पूर्ण करा दिया जायेगा।

(सूची, प्रति एवं विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला करौली की तहसील मुख्यालयों हेतु बस सेवा

333. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या सरकार ने जिला करौली के तहसील मुख्यालयों को बस सेवा से जोड़ दिया है ? यदि हां, तो कितनी बसें वर्तमान में चलाई जा रही हैं ?

(2) सरकार ने विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की तहसील नादौती एवं टोडाभीम के लिये कुल कितनी बसें चालू कर रखी हैं ? क्या उक्त बसें इस क्षेत्र को करौली से जोड़ती है ? यदि हां, तो बसों के आवागमन की समय सूची सदन की मेज पर रखें ?

(3) सरकार ने तहसील टोडाभीम एवं नादौती को जयपुर से जोड़ने के लिये कौन-कौन सी बसें चालू कर रखी हैं ? कितनी बसें जो चल रही हैं, उनको बन्द कर दी गयी

हैं? क्या सरकार बन्द की गई बसों को पुनः चालू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, हां। जिला करौली के तहसील मुख्यालयों को निम्नानुसार जिला मुख्यालय से निगम की बस सेवाओं से जोड़ा हुआ है: —

क्र.सं.	मार्ग	परिचक्र
1.	करौली से टोडाभीम	6 एकल परिचक्र (3 अप व 3 डाउन)
2.	करौली से नादौती	6 एकल परिचक्र (3 अप व 3 डाउन)
3.	करौली से हिण्डौन	60 एकल परिचक्र (30 अप व 30 डाउन)
4.	करौली से सपोटरा	4 एकल परिचक्र (2 अप व 2 डाउन)

(2) निगम द्वारा टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र की तहसील नादौती एवं टोडाभीम के लिये विभिन्न स्थानों से वर्तमान में 22 एकल परिचक्र दैनिक संचालित है। इनमें से तहसील मुख्यालय नादौती एवं टोडाभीम को जिला मुख्यालय करौली से जोड़ने वाली बस सेवाओं की मार्गवार समय सारणी की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) निगम द्वारा तहसील मुख्यालय टोडाभीम एवं नादौती को जयपुर से जोड़ते हुये निम्नानुसार बस सेवाएं संचालित की जा रही हैं:—

क्र.सं.	मार्ग	प्रस्थान समय
1.	घाटगेट (जयपुर) से मासलपुर वाया नादौती-करौली	11.30
2.	मासलपुर से घाटगेट (जयपुर) वाया करौली-नादौती	08.00
3.	घाटगेट (जयपुर) से कैलादेवी वाया नादौती-गंगापुर	12.30
4.	कैलादेवी से घाटगेट (जयपुर) वाया गंगापुर-नादौती	08.00
5.	घाटगेट (जयपुर) से सपोटरा वाया नादौती	13.30 एवं 16.00
6.	सपोटरा से घाटगेट (जयपुर) वाया नादौती	05.30 एवं 06.45
7.	घाटगेट (जयपुर) से कमालपुरा वाया टोडाभीम	15.30
8.	कमालपुरा से घाटगेट (जयपुर) वाया टोडाभीम	08.00
9.	घाटगेट (जयपुर) से हिण्डौन वाया टोडाभीम	18.00
10.	हिण्डौन से घाटगेट (जयपुर) वाया टोडाभीम	07.30
11.	करौली से जयपुर वाया टोडाभीम	09.45
12.	जयपुर से करौली वाया टोडाभीम	12.45

जो बसें चल रही हैं उनमें से किसी बस सेवा को बन्द नहीं किया गया है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

रजिस्ट्रार इण्डियन मेडिसन बोर्ड के पद पर नियुक्ति

334. श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

(1) क्या यह सही है कि रजिस्ट्रार, इण्डियन मेडिसन बोर्ड के पद पर कार्यरत अधिकारी "बी" श्रेणी में रजिस्टर्ड है?

(2) क्या "बी" श्रेणी में रजिस्टर्ड व्यक्ति अपने से उच्च प्रशिक्षित व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन कर सकता है? यदि हां, तो किन नियमों के तहत और नहीं, तो इसके लिये कौन दोषी है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी?

उत्तर

(1) जी, नहीं। कार्यरत रजिस्ट्रार का पंजीयन आधार आयुर्वेद रत्न एवं आयुर्वेदाचार्य योग्यता रही है तथा वे "अ" श्रेणी में पंजीकृत हैं।

(2) जी, हां। रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त कोई भी समभ्यासी (प्रेक्टीशनर) राजस्थान देशीय चिकित्सा अधिनियम, 1953 के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति का जो मान्य चिकित्सा अर्हताएं रखते हों, रजिस्ट्रेशन करने हेतु रजिस्ट्रार के पद पर रखा जा सकता है।

राज्य के आयुर्वेद महाविद्यालयों द्वारा भत्ता नहीं देने के कारण

335. **श्री रामेश्वरलाल भाटी** (सुजानगढ़) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर में आयुर्वेद छात्रों को इन्टर्नशिप स्टाइफण्ड 2340/- रुपये प्रतिमाह मिलते हैं और उनमें और वृद्धि होने की संभावना है? क्या राज्य में स्थित अन्य आयुर्वेद कॉलेजों में इन्टर्नशिप भत्ता काफी वर्षों से 420/- रुपये ही दिया जा रहा है जबकि राज्य के सभी कालेजों में (राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान सहित) एक ही प्रतियोगी परीक्षा द्वारा आयुर्वेद छात्रों का चयन होता है? यदि हां, तो क्या सरकार राज्य के अन्य कॉलेजों में भी इन्टर्नशिप स्टाइफण्ड भत्ता बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(2) राज्य के आयुर्वेदिक कालेजों में उक्त भत्ता प्रतिमाह समय पर नहीं दिये जाने के क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) यह सही है कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर में छात्रों को इन्टर्नशिप भत्ता 2340/- रुपये प्रतिमाह मिलता है, जबकि राज्य के शेष आयुर्वेद महाविद्यालयों के छात्रों को 425/- रुपये प्रतिमाह इन्टर्नशिप भत्ता दिया जा रहा है। यह भी सही है कि राज्य के सभी आयुर्वेद कॉलेजों में, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा आयोजित प्री-परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। आयुर्वेद महाविद्यालयों के छात्रों को देय इन्टर्नशिप भता बढ़ाने का प्रस्ताव वित्त विभाग को भिजवाया गया जो विचाराधीन है।

(2) उपस्थिति प्रमाण-पत्र विलम्ब से प्राप्त होने पर आयुर्वेद कॉलेज के छात्रों को इन्टर्नशिप भत्तों के भुगतान में देरी होना संभावित है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है: —

(1) श्री हीरालाल विश्नोई एवं श्री भगराज चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला जालौर में गत दिनों आये चक्रवाती तूफान में मरे पशुओं का सर्वे कराकर पशु मालिकों को उचित मुआवजा देने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव की विषय-वस्तु पर सदन में चर्चा हो गयी है, अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(2) श्री भीमसेन चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से चिकित्सा विभाग में तकनीशियन के पदनाम परिवर्तन पर महालेखाकार का आडिट आब्जेक्शन राजस्थान सरकार द्वारा निस्तारित नहीं किये जाने से कर्मचारियों के प्रभावित होने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है, अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(3) श्री रामस्वरूप मीणा एवं 6 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से आई.आई.टी. एवं पी.ई.टी. में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति के बैकलॉग कोटे को पूरा करने के सम्बन्ध में।

(4) श्री राधेश्याम गंगानगर, सदस्य, विधान सभा की ओर से नगर विकास न्यास, गंगानगर, द्वारा मॉडल टाउन योजना में भूखण्ड हेतु आवेदन करने वाले व्यक्तियों को लाटरी द्वारा शीघ्र भू-आबंटन करने के सम्बन्ध में।

(5) श्री परसादीलाल एवं श्री हरिसिंह (महुवा), सदस्य विधान सभा की ओर से थाना दौसा में दर्ज मुकदमा नं. 299/98 में पुलिस द्वारा अपराधियों के खिलाफ अब तक कार्यवाही नहीं किये जाने से जनता में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव भी अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। मुख्य प्रस्तावक को प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्री रामनारायण चौधरी, सदस्य विधान सभा की ओर से जिला झुंझुनूं के बिसाऊ कस्बे में उप तहसील कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

(2) श्री हीरालाल सहरिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से बारां से रामगढ़ व मांगरोल से वाया रामगढ़ श्योपर रास्ते में पथ परिवहन निगम की बस चलाने के सम्बन्ध में।

(3) डॉ. मूल सिंह शेखावत, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला झुंझुनूं के पिलानी कस्बे में राजकीय चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में।

(श्री उपाध्यक्ष)

(4) श्रीमती कमला, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला जयपुर के शाहपुरा में जिला मुख्यालय कायम करने के सम्बन्ध में।

(5) श्री दयाराम परमार, सदस्य, विधान सभा की ओर से खैरवाड़ा से झांझरी सड़क के 13 किलोमीटर कच्ची सड़क का डामरीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री शिवनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से झुंझुनूं जिले की उदयपुरवाटी पंचायत समिति क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या के सम्बन्ध में।

(7) श्री जितेन्द्र नीनामा, सदस्य, विधान सभा की ओर से पंचायत समिति घाटोल में पुलिया एवं एनीकट निर्माण कार्यों का आज तक भुगतान नहीं किये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। श्री रामस्वरूप मीणा।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने मदन दिलावर जी, मंत्री के खिलाफ एक विशेषाधिकार हनन का प्रश्न दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, वह मुझे मिल गया है। आप मेरे चैम्बर में आकर मुझसे बात करें। बिराजें। श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइन्ट ऑफ इन्फार्मेशन। (व्यवधान) आपसे कक्ष में इजाजत ली थी।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जो एक एस.पी. की हत्या की गई है यह सबसे बड़े दुःख की बात है। एक एस.पी. जो डूंगरपुर के अन्दर लगा हुआ था........

श्री उपाध्यक्ष : रामस्वरूप जी, सुनिए। आप विषयान्तर हो रहे हैं। मैंने जो पढ़ा वह आपसे सुना? आपने नहीं सुना तो आपने अपना टर्न खो दिया। मैं दूसरा नाम पुकारूं?

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : कैसेट दूसरी लग गयी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राधेश्याम गंगानगर, (अनुपस्थित)। श्री परसादीलाल मीणा। (व्यवधान) अब आप बैठ जाइए, परसादीलाल जी खड़े हो गए हैं।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपको एक स्थगन प्रस्ताव के जरिये दौसा जिले में राय नर्सिंग होम में रामजीलाल पुत्र रामनाथ, निवासी दौसा की वहां पर गलत इलाज करने के कारण, स्टाफ के लोगों द्वारा गलत इंजेक्शन लगाने के कारण अचानक मृत्यु हो गयी। उसका मुकदमा नम्बर 299/98 दर्ज कराया गया। दौसा पुलिस के द्वारा इस मुकदमे पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी। जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया उनसे आज तक कोई पूछताछ नहीं की गयी।

(श्री परसादीलाल मीणा)

उपाध्यक्ष महोदय, यह राय नर्सिंग होम एक बहुत बड़े राजनेता का नर्सिंग होम है। उसमें रोज अवैध धंधे हो रहे हैं, रोज इस तरह की मौतें हो रही हैं। अनट्रेण्ड डॉक्टर, कम्पाउण्डर, नर्स, सारे लोग इस तरह के गलत धंधे कर रहे हैं। वहां आए दिन गरीबों की मौत होती है। पुलिस राजनैतिक दबाव के कारण कार्यवाही नहीं करती है। मैं माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि राय नर्सिंग होम में जो मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज हुआ है, आपने अब तक क्यों नहीं कार्यवाही की। आपकी पुलिस ने इस सम्बन्ध में उनसे जाकर अब तक पूछताछ भी नहीं की जबकि मुकदमे को दर्ज हुये एक महीने से ज्यादा का समय हो गया। आज तक वे मारे-मारे फिर रहे हैं। जवान आदमी की मौत होने के बाद भी राय नर्सिंग होम के खिलाफ माननीय गृह मंत्रीजी इसलिये कार्यवाही नहीं कर रहे हैं कि वह सत्तारुढ़ विधायक का नर्सिंग होम है। मेहरबानी करके यदि उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है, वहां गलत तरीके से लोगों को मारा जा रहा है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करिए और पुलिस को निर्देश दें कि जिस तरह दूसरे मुकदमों का इन्वेस्टिगेशन होता है उसी तरह राय नर्सिंग होम में जो रामजीलाल की मौत हुई है उसका भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। वहां पर राजनैतिक दबाव के कारण उस मुकदमे में आज तक जरा सी कार्यवाही भी नहीं हुई। मेरा निवेदन है कि आप कार्यवाही करने का निर्देश देने की मेहरबानी करें।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, न किसी ने राजनैतिक दबाव में.........

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि आप माननीय मुख्य मंत्री महोदय के स्वास्थ्य के बारे में सदन को अवगत कराएं और उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिये सदन की ओर से प्रस्ताव पारित करें।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय परसादी लाल जी मीणा ने जिस प्रकरण को संदर्भित किया है मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बिना राजनैतिक दबाव में उसमें निष्पक्ष कार्यवाही के निर्देश दे दिए जाएंगे और मैं स्वयं उसमें देख लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरूप जी।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रक्रिया के नियम 50 के अंतर्गत स्थगन पेश कर रहा हूं। अनुसूचित जाति और जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति आई.आई.टी. एवं पी.ई.टी. परीक्षा में अभ्यर्थियों को, जो सफल होते हैं उनकी अलग से सूची सरकार जारी करती रही है, लेकिन इस वर्ष 1998 में सूची जारी नहीं की। मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्र हैं, ओ.बी.सी. के जो छात्र हैं वे जनरल की मैरिट में स्टेण्ड करते हैं तो उन्हें भी रिजर्व की सूची

Page No. 53

(53)

(श्री रामस्वरूप मीणा)

में ले लिया जाता है। क्या इससे कोई नियम का उल्लंघन नहीं होता है? अगर नियम का उल्लंघन होता है, तो यह भी बताने की कोशिश करें कि उक्त नियम की अवहेलना करने वाले अधिकारियों के बारे में आपने क्या किया? क्या सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही कर रही है? अगर सरकार कार्यवाही नहीं कर रही है, तो क्यों नहीं कर रही है?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पी.ई.टी., आई.आई.टी. में रिजर्व कोटे का जो बैकलॉग है, वह एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. का बैकलॉग भरा नहीं जाता है। उसको हमेशा खाली रखा जाता है। इसके कारण हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के जितने भी लोग हैं उन सबका बहुत भारी नुकसान होता है जिसकी कोई पूर्ति नहीं हो सकती।

अतः मैं आपके माध्यम से यह निवदेन करना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति के आई.आई.टी. और पी.ई.टी. परीक्षा में जो अभ्यर्थी सफल होते हैं कृपया आप उनके बैकलॉग को आप भरवाएं और इनकी जो अलग सूची जारी होनी चाहिए थी जिसको आपने 1998 में जारी नहीं किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के साथ जो भेदभाव बरता है, इस प्रकार का जो नुकसान किया जा रहा है इससे बहुत भारी नुकसान इन छात्रों को हो रहा है जो मेहनत करके आगे बढ़ने की एक हिम्मत करते हैं। कृपया मंत्रीजी इस बात का जवाब दें कि इस प्रकार की दुबारा गलती नहीं होगी और जिसकी भी गलती है, जिन्होंने भी गलती की है उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष : 295 श्री रामनारायणजी चौधरी।

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक मुद्दा उनके सामने रखा। माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी सदन को अवगत करायें और मुख्य सचेतक महोदय..........

श्री उपाध्यक्ष : थोड़ा तसल्ली रखिये। आप थोड़ा बिराजिये। बैठें। श्री रामनारायण जी चौधरी। माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, स्वास्थ्य) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के नेता के स्वास्थ्य के बारे में अभी माननीय सदस्या जानना चाह रही थीं.........

श्री उपाध्यक्ष : सारा सदन ही जानना चाह रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सदन के नेता एक्यूट पेंग्रियाटाइटिस से पीड़ित हैं। कल दोपहर से ही उनके उल्टी और दस्त की बीमारी हुई थी, रक्तचाप भी थोड़ा गिर गया था। उनके गाल ब्लेडर में स्टोन है। वह स्टोन चलकर कोमनवाइलडक्ट में आ गया है जिसके कारण से पैंक्रियाज में कोई इन्फेक्शन हो गया। चिकित्सक देख रहे हैं। देहली से भी गेस्ट्राइंट्रोलॉजिस्ट विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. शिव सरीन आकर देखकर गये हैं। स्थिति

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अब पूर्णतया नियंत्रण में है और कोटेज नम्बर एक में भर्ती हैं। आप सब लोगों ने जो चिन्ता व्यक्त की है उसमें अपने आपको सम्मिलित करते हुये आप सब के भाव कि आप सब इच्छा रखते हैं कि वे जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर सदन में आयें, मैं उन तक पहुंचा दूंगा।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उनके स्वास्थ्य के बारे में जो माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी ने बताया उससे हम संतुष्ट हैं और हमारा निवदेन है कि उनके स्वास्थ्य के बारे में आप और भी विशेष ध्यान रखें।

नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

बिसाऊ जिला झुन्झुनूं में उप तहसील का गठन

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : उपाध्यक्ष महोदय, बिसाऊ जिला झुन्झुनूं में उप तहसील कायम करने के बारे में निवेदन है कि बिसाऊ कस्बे में उप तहसील करने से उस क्षेत्र के लोगों को बहुत राहत मिलेगी। इस समय इस क्षेत्र के लोगों को उप तहसील मलसीसर जाना पड़ता है तथा आवागमन के कोई साधन उपलब्ध नहीं होने से अथवा न्यून होने के कारण लोग बहुत तकलीफ उठाते हैं।

इस क्षेत्र में राजस्व सम्बन्धी तहसील का बहुत बड़ा काम है जिसको करवाने हेतु लोगों को उप तहसील मलसीसर जाना पड़ता है। बिसाऊ कस्बे की जनसंख्या 20-25 हजार के आस-पास है तथा इलाके की जनसंख्या 70-80 हजार के करीब है जिनको उप तहसील कायम होने से मदद मिलेगी। इस विशेष उल्लेख के माध्यम से मैं राज्य सरकार से अनुरोध करता हूं कि बिसाऊ में उप तहसील कायम की जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरालाल सहरिया।

किशनगंज क्षेत्र में राजस्थान परिवहन बस सेवा का संचालन

श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत बारां से रामगढ़ व मांगरोल से वाया रामगढ़ श्योपर राजस्थान परिवहन बस सेवा चालू करने के क्रम में निवेदन है कि बारां जिले का धार्मिक पर्यटक स्थान ग्राम रामगढ़ तहसील किशनगंज में स्थित है। इस धार्मिक स्थल (माताजी) के दर्शनार्थ हजारों यात्री प्रतिदिन बारां से रामगढ़ आते-जाते हैं। साथ ही मांगरोल तहसील भी नजदीक होने के कारण यहां की जनता भी इस स्थल पर दर्शनार्थ आती जाती है। यहां पर आने के लिये मात्र प्राइवेट बसें ही रोडवेज की मिलीभगत से संचालित की जाती रही हैं जिनमें किराया भी अधिक लिया जाता है तथा उसमें जानवरों की तरह सवारियों को भरा जाता है जिससे दुर्घटना होने की सम्भावना रहती है।

इस रोड का रोडवेज विभाग द्वारा सर्वे भी किया जा चुका है लेकिन बार-बार लिखे जाने के बावजूद भी सरकारी रोडवेज की बसें नहीं चल पा रही हैं जिसके कारण आम जनता

(श्री हीरालाल सहरिया)

को आर्थिक हानि व समय की बरबादी का भोग भोगना पड़ता है।

अतः आपके माध्यम से मैं परिवहन मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जहां-जहां किशनगंज क्षेत्र में प्राइवेट बसें चल रही हैं उनके स्थान पर सरकारी रोडवेज बस चलाएं तो राज्य कोष में आय भी होगी तथा आम जनता, जो कि आदिवासी इलाके हैं उन्हें सुविधा भी उपलब्ध हो सकेगी।

श्री उपाध्यक्ष : डॉ. मूलसिंह शेखावत।

पिलानी जिला झुंझुनूं में राजकीय अस्पताल की स्वीकृति

डॉ. मूलसिंह शेखावत (झुंझुनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत पिलानी में राजकीय चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में सरकार का ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं।

महोदय, पिलानी कस्बा झुंझुनूं जिले का एक महत्वपूर्ण कस्बा है। पिलानी क्षेत्र में दो नगरपालिका क्षेत्र हैं तथा इसके आसपास अनेकों गांव हैं जिनमें लाखों की संख्या में व्यक्ति निवास करते हैं लेकिन इस कस्बे में एक भी राजकीय चिकित्सालय नहीं है। राजकीय चिकित्सालय नहीं होने के कारण पिलानी कस्बे की जनता एवं आसपास की जनता को बिड़ला अस्पताल में, जो कि एक निजी अस्पताल है, अपना इलाज कराना होता है। बिड़ला अस्पताल के आउट डोर में दिखाने के लिये फीस देनी होती है जो गरीब जनता को भुगतान करने में मुश्किल होती है। इन्डोर मरीजों को भी उक्त निजी चिकित्सालय में प्रतिदिन की फीस देनी होती है जिससे गरीब तबका वहां इलाज करवाने से कतराता है।

इसके अतिरिक्त पिलानी कस्बे में राजकीय चिकित्सालय नहीं होने के कारण पिलानी थाने की मेडिको लीगल रिपोर्ट भी चिड़ावा के राजकीय अस्पताल में करवानी होती है जो कि पिलानी से करीब 15 किलोमीटर दूर है और इतनी दूरी में जाने में गम्भीर चोटग्रस्त व्यक्तियों का जीवन खतरे में रहता है।

मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि पिलानी में शीघ्रातिशीघ्र राजकीय अस्पताल खोलने की स्वीकृति प्रदान करें। मैं माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस बारे में हमें आश्वस्त करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती कमला।

शाहपुरा (जिला जयपुर) में जिला मुख्यालय की स्थापना

श्रीमती कमला (बैराठ) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत शाहपुरा जिला जयपुर में जिला मुख्यालय कायम करने बाबत राज्य सरकार को अनेक बार विस्तृत ज्ञापन देने के बावजूद भी जिला मुख्यालय शाहपुरा में कायम न होने से क्षेत्रीय

(श्रीमती कमला)

जनता को हो रही भारी परेशानी बाबत मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूं।

मान्यवर, शाहपुरा, जिला जयपुर में जिला मुख्यालय कायम करने हेतु क्षेत्रीय जनता पिछले कई वर्षों से प्रयत्नशील एवं संघर्षरत है। शाहपुरा भौगोलिक दृष्टि से ऐसे केन्द्र स्थान पर अवस्थित है जहां एक और विराटनगर तहसील, दूसरी ओर जमुवारामगढ़ तहसील का चन्दवाजी तक का भाग, अजीतगढ़ एवं टटेरा किशोरपुरा का भाग जो शाहपुरा में सुविधा हेतु सम्मिलित होना चाहते हैं। प्रशासनिक व्यवस्थाओं एवं विकास कार्यों के तत्परता एवं कुशलता से सम्पादन हेतु भी शाहपुरा केन्द्र स्थान है।

शाहपुरा में जिला मुख्यालय की आवश्यकता के अनुसार पूरे कार्यालय भवन तथा आवासीय मकान बने हुये तैयार हैं जो बिडला जी.टी.एम. द्वारा राज्य सरकार को हस्तान्तरित कर दिये गये हैं और राज्य सरकार को इस निमित्त कोई नया खर्च नहीं करना पड़ेगा जबकि किसी भी अन्य स्थान पर व्यवस्था नहीं है।

शाहपुरा में वर्तमान में सभी क्षेत्रीय विभागों के कार्यालय हैं। यहां दो स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महिला कॉलेज, आदि भी स्थापित हैं। पूरे क्षेत्र में सभी विभागों के प्रशासनिक मानीटरिंग एवं तत्काल निरीक्षण की दृष्टि से उस क्षेत्र में सड़कों की समुचित व्यवस्था है। शाहपुरा के समीप अवस्थित विराटनगर की पूरी तहसील क्षेत्र के निवासियों का सम्बन्ध शाहपुरा से ही है जो अन्य किसी स्थान से जुड़ने की स्थिति में ही नहीं है।

अतः माननीय राजस्व मंत्री जी एवं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से पुरजोर निवेदन है कि क्षेत्रीय जनता की सुविधा हेतु प्रशासनिक व्यवस्थाओं के तत्परता से क्रियान्वयन हेतु तथा जिला मुख्यालय के कार्यालय एवं निवास भवनों की समुचित व्यवस्था उपलब्ध होने की दृष्टि से शाहपुरा को अविलम्ब जिला मुख्यालय कायम कर आभारित करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दयाराम परमार।

खैरवाड़ा से झांझरी सड़क का डामरीकरण

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, खैरवाड़ा से झांझरी सड़क का डामरीकरण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि खैरवाड़ा से झांझरी सड़क एक अन्तरराज्यीय सड़क है। इस सड़क की कुल लम्बाई 30 किलोमीटर है जिसमें से 13 किलोमीटर सड़क कच्ची है। यह कच्ची सड़क बरसात के दिनों में बहुत ही खराब हो जाती है जिससे आवागमन के साधन बिलकुल बन्द हो जाते हैं। इसलिये गुजरात से आने वालों को ओर राजस्थान से गुजरात जाने वालों को 13 किलोमीटर पैदल ही चलना पड़ता है।

खैरवाड़ा से झांझरी सड़क अहमदाबाद जाने के लिये सबसे छोटा मार्ग है। यदि कोई

(श्री दयाराम परमार)

वाहन खैरवाड़ा से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 से वाया रतनपुर के बजाय वाया झांझरी होकर अहमदाबाद जाता है तो उसे 15 किलोमीटर कम दूरी तय करनी पड़ती है। यदि यह 13 किलोमीटर सड़क पक्की हो जाती है तो खैरवाड़ा से अहमदाबाद जाने वाले वाहन वाया रतनपुर के बजाय वाया झांझरी होकर आने जाने लगेंगे जिससे हजारों लीटर ईंधन की बचत हो सकती है। साथ ही इस 13 किलोमीटर के मार्ग में 3 पंचायत मुख्यालय क्रमशः भमटावाड़ा, पाटिया और गुडा है जो वर्तमान सड़क नीति के अन्तर्गत डामरीकरण करने की नीति में आते हैं।

अतः मेरा यह अनुरोध है कि राज्य सरकार खैरवाड़ा से झांझरी सड़क जो 13 किलोमीटर कच्ची है। उसका डामरीकरण करवाने की मांग करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह।

उदयपुरवाटी पंचायत समिति क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत नीचे लिखे महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार तथा सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

झुंझुनूं जिले की उदयपुरवाटी पंचायत समिति क्षेत्र में पीने के पानी की लम्बे अर्से से समस्या बनी हुई है। समुचित व्यवस्था नहीं हो पाने से लोग काफी पीड़ित हैं। इस समस्या को विभाग की निष्क्रियता ने और भी बढ़ा दिया है। अनेक योजना स्वीकृत होने के बाद लम्बे अर्से से उन पर काम नहीं हो पा रहा है। राजीव गांधी मिशन के अन्तर्गत स्वीकृत बड़ी संख्या में हैण्ड पम्पों का निर्माण नहीं करवाया गया है। कुछ बन गये उनके कार्य अधूरे पड़े हैं। पाइप, हैण्ड पम्प आदि नहीं लगने से काम में नहीं आ रहे हैं। सांसद क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत हैण्ड पम्प ग्राउण्ड लेवल रिजरवायर (जी.एल.आर.) का निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। ग्राम कोट, बाबोरा, मावला, रामलालपुरा, सराय, गुढ़ा, पौंख आदि में अनेक स्वीकृत योजनाएं थोड़े-थोड़े सामान की कमी के कारण चालू नहीं हो पा रही है। कहीं पाइप की कमी है, कहीं जोइंट की कमी है तो कहीं वाल्व की कमी है जिनकी लागत नगण्य है और इस प्रकार के छोटे-छोटे सामान के कारण लाखों की लागत की योजना बेकार हो रही है तथा जनता पीने के पानी की समस्या से ग्रस्त हो रही है। मशीन उपलब्ध नहीं होने से हैण्ड पम्प नहीं बन पा रहे हैं। मैं उक्त समस्या का ध्यान आकर्षित कर इसके निराकरण हेतु जलदाय विभाग को सक्रिय करवाने हेतु निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जितेन्द्र नीनामा।

घाटोल पंचायत समिति में पुलिया एवं एनीकट निर्माण कार्यों का भुगतान

श्री जितेन्द्र नीनामा (घाटोल) : मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत पंचायत समिति द्वारा

(श्री जितेन्द्र नीनामा)

भुगतान नहीं होने से उत्पन्न समस्याओं के बारे में पंचायती राज मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

मेरा निवेदन है कि पंचायत समिति घाटोल द्वारा एक वर्ष से ग्राम पंचायत डागल में गंगाजी का खेड़ा पुलिया व ग्राम पंचायत बोरची खाटा में ग्राम टोडी सेमरोल का एनीकट के काम का आज तक मैटीरियल व मजदूरों का भुगतान नहीं किया गया है जिससे मजदूर व मैटीरियल डालने वाले परेशान हैं। इसलिये मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आज तक उन कामों का भुगतान क्यों नहीं हुआ? अब कब तक पेमेंट करा देंगे?

श्री उपाध्यक्ष : समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, विशेष उल्लेख के लिये निवेदन किया था पर्ची सिस्टम वाला (व्यवधान) May I start, with your permission?

श्री उपाध्यक्ष : वैसे आज सिंचाई विभाग पर चर्चा है।

श्री किशन मोटवानी : बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सिर्फ एक मिनट में अपनी बात को समाप्त कर देता हूं, ज्यादा नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती कमला।

श्रीमती कमला (बैराठ) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में जब से चुनाव हुआ था विधान सभा का, उसके बाद पहले वर्ष से लेकर पिछले एक वर्ष तक, इन वर्षों में जितनी भी जलदाय योजनाएं स्वीकृत हुई हैं उनमें से आज तक कोई भी जलदाय योजना पूरी नहीं हुई। तीन-चार वर्ष पहले परमानपुरा-गुलाबबाड़ी की योजनाएं स्वीकृत हुई, उनके ठेकेदार ने काम नहीं किया। दो-तीन बार मैं खुद उनको मेरी गाड़ी में बैठाकर गांव के लोगों के बीच ले गयी। बहुत मुश्किल से उसने बोरिंग की ओर बोरिंग हो जाने के बाद में आज साल-डेढ़ साल से वहां पर कोई न बिजली का कनेक्शन हो रहा है, न लाइन पड़ रही है और न जल योजना प्रारम्भ हुई है। इसी तरह से विधान सभा के चुनाव के दूसरे वर्ष से मनोहरपुर, शाहपुरा, बिराटनगर जैसे बड़े-बड़े कस्बों में करोड़ों रुपये की जलदाय योजनाएं स्वीकृत हुई। उनकी टंकियां बन गयी लेकिन आज तक इतना समय हो जाने के बावजूद भी न तो उन टंकियों में पानी आया है, न उन टंकियों से मैन लाइन जुड़ी है और न पाइप लाइन से जुड़ी हैं। अभी कुछ समय पहले माननीय मंत्री महोदय मनोहरपुर, शाहपुरा में उन जलदाय योजनाओं का उद्घाटन कर आये। वहां न उन टंकियों में पानी था, न वे टंकियां पानी दे रही थीं, न जलदाय योजना काम कर रही थी लेकिन फिर भी उद्घाटन कर आये, बहुत खुशी की बात है लेकिन मेरा निवेदन यह है कि अब उनको

(श्रीमती कमला)

विधिवत आप चालू करायें। जो पुरानी लाइन थी वे हटा दी गई, नई लाइन चालू नहीं हुई, पहले से भी बदतर स्थिति उन क्षेत्रों में हो गयी है। इसी तरह से दो साल पहले जगतपुरा, नयाबास, मुरलीपुरा, गोविन्दपुरा बासड़ी, देवीपुरा, देवन में अनेक जगहों पर डी.आर.डी.ए. की तरफ से ये जल योजनाएं मंजूर हुई। बोरिंग हुये एक-एक साल हो गया लेकिन आगे कुछ भी काम नहीं हो रहा है। जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि कोई बिजली के कनेक्शन के कारण पड़ी हैं, कई उनके पम्प जो उन्होंने खरीदे हैं वे इतने सब-स्टैण्डर्ड खरीदे हैं, पाइप लाइन इतनी सब-स्टैण्डर्ड खरीदी हैं कि 2-2 बार ट्रायल के वक्त बर्स्ट हो गयी और वे काम ही नहीं कर रही हैं। तीसरी बार बिराटनगर के अन्दर बर्स्ट होने के बाद में उन्होंने कोई दूसरी किस्म की पाइप लाइन डालने की चेष्टाएं की हैं जबकि मनोहरपुर-शाहपुरा में तो वह भी बदलने का कोई उनका मंतव्य नहीं दिखता है। आज शाहपुरा मैन रोड पर जाकर देखेंगे तो नीचे पानी बह रहा है क्योंकि वे पाइप लाइन फटी पड़ी हैं और नई पाइप लाइन डालने की उनको फुर्सत नहीं है। इसी के साथ मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि इस पूरे पीरियड में जितने हैण्ड पम्प स्वीकृत हुये हैं उनमें से अधिकांश कार्यरत नहीं है और बेकार पड़े हैं, पानी नहीं दे रहे हैं और एक अभियान विभाग के द्वारा चलाया जाता है, वह नाम मात्र का चलाकर बन्द हो जाता है और स्थिति ज्यों की त्यों रहती है। बहुत से हैण्ड पम्प आपने लगाये ही नहीं है, एक-डेढ़ साल हो गया इसलिये मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री महोदय, इस सारी व्यवस्था को शीघ्रातिशीघ्र सुचारू रूप से कायम करें जिससे कि उसका लाभ ग्रामवासियों को मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बनवारी लाल बैरवा।

श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण विषय की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे टौंक मुख्यालय पर जितनी अदालतें हैं और जिस परिसर में हैं, वे सब क्षारीय व्यवस्था हो गयी हैं, पानी एकदम चूता रहता है उनके अन्दर से, कभी भी कोई खतरा हो सकता है उसके लिये एक तो मेरा निवेदन यह है कि उन अदालतों को किसी ओर दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाए। इसके साथ ही निवाई की हमारी जो ए.सी.एम. कोर्ट है वह भी उसी परिसर में चलती है और शायद हो सकता है, भवन के अभाव में ऐसा कर रहे हैं तो सरकार से मेरा आग्रह है कि या तो भवन बनायें और भवन नहीं बनायें तब तक आप किराये का भवन लेकर ए.सी.एम. कोर्ट को वहां चलाये, क्योंकि हजारों लोगों को वहां पर निवाई से टौंक जाना पड़ता है और 30-40-50-60 किलोमीटर का फासला गरीब काश्तकारों को तय करना पड़ता है। इसलिये मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि इस व्यवस्था को आवश्यक रूप से दिखायें।

श्री उपाध्यक्ष : पराक्रम सिंह, (अनुपस्थित)। रतनलाल ताम्बी।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर और कोटड़ी क्षेत्र में पिछले दो वर्ष में सिंचाई विभाग के अनेक बांध पंचायत समिति के तालाब क्षतिग्रस्त हो गये हैं। उनकी नहरें टूटी-फूटी हैं। उसके बाद विभाग ने उनकी मरम्मत का कार्य सम्पादित नहीं किया। गत वर्ष भी जिला प्रशासन को यह सूची दी गयी थी कि इतने तालाब टूटे हैं उन तालाबों पर आज तक किसी भी विभाग ने काम शुरू नहीं किया जिससे गत वर्ष भी और इस वर्ष भी जनता वहां सिंचाई सुविधा से महरूम है। इस वर्ष भी पहली बरसात में एक बहुत बड़ा तालाब बग्गू नगर में बैलवाड़ा नाम का टूट गया जिससे काफी सिंचाई होती थी। मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूं कि पूरे क्षेत्र में पिछले आठ-दस सालों में तालाबों की मरम्मत का काम, नहरों की मरम्मत का काम विभाग द्वारा नहीं करवाया गया, इससे बड़ा नुकसान तो अभी हो चुका है फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं बरसात में, और भी कुछ तालाबों की हालत खराब है, वह क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। इसलिये मैं आपके मार्फत राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों से, सिंचाई विभाग के मंत्रीजी से, सब से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप अपने विभाग के तालाबों का संधारण, मरम्मत का काम शीघ्र पूरा कराएं जिससे हमेशा लोगों को मिलने वाली सिंचाई सुविधा सुलभ हो सके। इसके लिये पूरे क्षेत्र में, जिला प्रशासन के माध्यम से, सिंचाई विभाग के माध्यम से, डी.आर. डी.ए. के माध्यम से जो-जो तालाब टूटे हैं उनकी जल्दी से जल्दी योजना तैयार करके उनको पूर्ण करवाया जाए। यह मेरा अनुरोध है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर)* : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करते हुये निवेदन करना चाहता हूं। मंत्री महोदय, 1996 में गंगापुर अस्पताल में यू एन.एफ.पी.ए. के अन्तर्गत 18 पोस्टें थीं वह एबोलिश हो गयी। आपने विश्वास दिलाया था कि किसी न किसी मद के अन्दर यह पोस्ट आपको पुनः दे दी जाएगी। एक बात। दूसरा मेरा निवेदन यह है कि गंगापुर अस्पताल के अन्दर आज भी आर्थोपेडिक्स के डाक्टर की, सर्जरी के डाक्टर की और गायनिक के डाक्टर की, तीनों पोस्ट वेकेंट पड़ी हुई हैं और तीनों ही नहीं होने के कारण आज आम जनता को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तीसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं मंत्री महोदय, मैंने आपसे कहा था, गंगापुर के अन्दर एक भामाशाह हैं, डाक्टर लोहरेलालजी, वह आपके अस्पताल परिसर में धर्मशाला बनाना चाहते हैं। आप ही की पार्टी के हैं। उन्होंने गुलबन्दी आदर्श विद्या मंदिर के अन्दर भी काफी पैसा दिया है, तो इसलिये मैं चाहूंगा कि उनके लिये, वो परिसर के अन्दर धर्मशाला बनाना चाहते हैं, उसकी स्वीकृति जल्द से जल्द निकलवा दी जाए। यही मेरे तीन आपसे अनुरोध हैं। मेहरबानी करके जो

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

गंगापुर अस्पताल की व्यवस्था बहुत ही खराब हो रही है, जगह-जगह खड्डे हैं, उसके अन्दर पानी भरा हुआ है, कीचड़ हो गया है, मलेरिया का प्रकोप होने की आशंका बनी हुई है। मेरा निवेदन यह है, जैसा कि आप स्वयं भी जाकर देख आये हैं, एक लाख की आज गंगापुर की पोपुलेशन है, वहां पर आपका अस्पताल कितना छोटा है। आपने यह कहा था कि निश्चित रूप से इसको सौ बैड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन आज तक वह न तो सौ बैड के अन्दर कन्वर्ट हुआ, न ही अस्पताल के अन्दर डाक्टरों की व्यवस्था हुई और जो यू.एन.एफ.पी.ए. की आपकी पोस्टें थीं, जो आपने एबोलिश कीं, वह तो होनी ही थी क्योंकि उसकी स्कीम ही खतम हो गयी। मेहरबानी करके जो 18 कर्मचारीगण की जगह थी उनको पुनः दिलवाने की व्यवस्था करावें। यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री परसादी लाल मीणा।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : कह तो दो साहब, हण्ड्रेड बैड के अस्पताल की और धर्मशाला की।

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पंचायत राज मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि दौसा जिले की पंचायत समिति सिकराय की ग्राम पंचायत ठीकरिया के सरपंच को राज्य सरकार द्वारा निलम्बित किया गया था। उसके बाद हाई कोर्ट से 17-1-98 को स्टेट्स क्वो स्टे हो गया। इस स्टे के बाद आज तक बदस्तूर सरपंच के पास चार्ज चल रहा है। सरपंच की पंचायत समिति और जिला परिषद का सी.ई.ओ. मैंने, माननीय मंत्रीजी, पहले भी निवेदन किया था कि आपने प्राइमरी इन्क्वायरी भी उसी से करवाई। हमारे लिखने के बाद, मुख्य मंत्री के हस्तक्षेप के बाद भी आपने फाइनल इन्क्वायरी भी उससे कराकर आपने उसको सस्पैंड किया। हाई कोर्ट ने उस पर स्टे दिया और आज तक चार्ज सरपंच के पास है और आपका सी.ई.ओ. जिला परिषद्, जो अन्डर ट्रांसफर है, जो कर नहीं सकता, उसने एक आर्डर किया है बी.डी.ओ. के नाम कि आप तुरंत जाकर ग्राम पंचायत ठीकरिया का ताला तोड़ कर चार्ज उप सरपंच को दिलाओ। उस सरपंच की यह हालत है।

उपाध्यक्ष महोदय, उसका भी अविश्वास कर दिया, वह भी अपने पद से हट गयी, कोर्ट से स्टे लेकर बैठी हैं। इस हालत में मेरा आपसे निवेदन है कि आप राजनैतिक आधार पर कार्यवाही नहीं करें, हाई कोर्ट का जो स्टे है स्टेटस क्वो, आप उसकी पालना करें। जिस तरह से आपके सी.ई.ओ., आपके बी.डी.ओ. कार्यवाही करने जा रहे हैं, मैं आपको आगाह करता हूं कि गांव में उससे, असंतोष नहीं, कोई भी घटना घट सकती है जिसकी जिम्मेदारी आपकी, आपके सी.ई.ओ. और आपके बी.डी.ओ. की होगी। मेहरबानी करके ऐसी कार्यवाही जिससे हाई कोर्ट की अवमानना होती हो, सरपंच के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, राजनैतिक आधार पर कल कहा था कि कार्यवाही नहीं करेंगे, क्यों कर रहे हैं आप

(श्री परसादी लाल मीणा)

सरपंच के खिलाफ राजनैतिक आधार पर कार्यवाही? मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस तरह की अगर कार्यवाही करेंगे, आपका भी राज.........(व्यवधान) लिख कर देने की बात नहीं है। मैं आपको हाउस के माध्यम से कह रहा हूं। आप लिखने के बाद तो कुछ करते ही नहीं है, इसलिये आपको कहना पड़ा है। न आपको हमने आज तक लिख कर दिया, आप हमारे अच्छे मित्र हैं, जानते हैं कि दौसा जिले का आपसे लगाव है, आपकी राजनैतिक मजबूरियां हैं, फिर भी आप, जैसा कि आपने कल हाउस को आश्वासन दिया था कि मैं राजनैतिक आधार पर कार्यवाही नहीं करूंगा। हमने आपको लिख कर दिया कि आप इसकी जांच सी.ई.ओ. से नहीं करवाएं, एस.डी.ओ. बांदीकुई से करा लें, एस.डी.ओ. दौसा से करा लें, ए.डी.एम. से करा लें, वही बात हमारी लिखी हुई नहीं मानी तब हम आपको लिख कर क्या दें मंत्री महोदय, इसलिये मेरा निवेदन है कि बी.डी.ओ. और सी.ई.ओ. की जो कार्यवाही 25 तारीख को होने जा रही है, आप उसको तुरंत रुकवाएं और स्टेट्स क्यों ईमानदारी से मेनटेन करें। आज भी सरपंच के पास चार्ज है। उसको काम नहीं करने दिया जा रहा है, दूसरे लोगों के नाम विकास अधिकारी जानबूझ कर खाते खुला रहा है, आप दिखवाएं कि विकास अधिकारी ने खाता कौन-सी तारीख को खुलाया, 17.1 के बाद खुलाया या पहले खुलाया। किस तरह की कार्यवाही कर रहे हैं, आप हाई कोर्ट को नहीं मानते, आप दूसरी न्यायिक प्रक्रिया को नहीं मानते तो आखिर इसका इलाज क्या है। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि जैसी कि कल आपके भाषण में छवि बनी थी उस छवि को बनाये रखें।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें। आप बार-बार दोहरा रहे हैं। श्री आर.पी. शर्मा। (व्यवधान)

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : स्वास्थ्य मंत्रीजी कुछ कहना चाह रहे हैं, गंगापुर के बारे में। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : एक साथ ही दे दो, एक साथ ही दे दो तीनों का।

श्री उपाध्यक्ष : सारी बातें बता दी इन्होंने।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा (सिकराय) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र से संबंधित है, वहां पर कोई भी घटना घट सकती है, सरपंच के साथ जिस भेदभाव से बर्ताव किया जा रहा है, सी.ई.ओ. और बी.डी.ओ. कल 25 तारीख को जबरदस्ती उप सरपंच को चार्ज दिलाने की कोशिश कर रहे हैं जब कि उप सरपंच के खिलाफ भी अविश्वास का प्रस्ताव लाया जा रहा है। मान्यवर, मेरा निवेदन है जब तक उस सरपंच को न्याय नहीं मिलेगा, मैं धरने के ऊपर बैठता हूं। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा : चार्ज दिलाने का कोई मतलब ही नहीं है उपाध्यक्षजी

श्री जगदीप धनखड़ : हाई कोर्ट के आदेश हो गये, माननीय, फिर भी.........

श्री परसादी लाल मीणा : हाई कोर्ट का आर्डर है, उसको भी नहीं मान रहे हैं, चार्ज दिला रहे हैं उप सरपंच को। हाईकोर्ट के आर्डर नहीं मान रहे।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : मंत्रीजी, आप बोल रहे हैं क्या?

श्री उपाध्यक्ष : श्री आर. पी. शर्मा।

श्री जगदीप धनखड़ : मंत्री महोदय, कुछ तो बोलिये।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराज जाएं।

श्री जगदीप धनखड़ : मंत्री महोदय बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : हरेश किया जा रहा है, उपाध्यक्ष महोदय, गम्भीर मामला है, वहां पर उत्तेजना फैल रही है।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : राजनैतिक रूप से इस सरपंच को परेशान किया जा रहा है और पूरी घटना का बीजेपीकरण किया जा रहा है, तो यह पंखी सरपंच है ठीकरिया का उसको जानबूझ कर अपदस्य किया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : आप कुछ कहना चाहते हैं मंत्री महोदय? (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : मंत्री महोदय, इसमें राजनीतिक रूप से भेदभाव न करें।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें, माननीय सदस्य मंत्री महोदय कुछ कहना चाहते हैं। बिराजें।

श्री नाथूसिंह गुर्जर (राज्य मंत्री, पंचायती राज) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो अभी माननीय सदस्यों ने जानकारी दी है, यह तो मेरे ध्यान में है नहीं, न तो मुझे कोई लिखित में नोटिस आया है और न लिखित में मुझे किसी ने दिया है। अभी सदन के माध्यम से मुझे यह जानकारी मिली है। इस संबंध में मुझे पुराना प्रकरण जरूर मालूम है। शिकायत आई थी, शिकायत के बाद जांच हुई, जांच में बी.डी.ओ. ने जांच की, सी.ई.ओ. ने जांच की और उसके बाद हमने, आपने जब यह कहा कि इसमें दोबारा जांच करायें, हमने उसको रोका भी, ऐसा नहीं है कि हमने कोई तुरन्त कार्यवाही की हो, जल्दबाजी में कार्यवाही की हो, लेकिन उसके बाद यह जो आप बता रहे हैं डवलपमैंट्स, मुझे मालूम नहीं है। जो भी आपके पास रेलेवैंट पेपर्स हैं, वह मुझे दे दीजिये, मैं इसको दिखवा लूंगा और जो भी इसमें कानून सम्मत कार्यवाही होगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बदले की भावना से कोई भी कार्यवाही नहीं होगी।

श्री जगदीप धनखड़ : आदेश की पालना होगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री आर. पी. शर्मा साहब।

श्री हरिसिंह (महुआ) : एक सवाल।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, अब कोई बात नहीं। कृपया बिराजें। आपका नम्बर आ रहा है, आप बिराजें। (व्यवधान)

श्री हरसिंह (महुआ) : नहीं, यही बात है। मेरी पर्ची भी इसी की है।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय के वक्तव्य के बाद इसमें कोई बात नहीं है। उन्होंने कह दिया, जो करना है। जो वह करना चाहते हैं उन्होंने कह दिया, माननीय सदस्य। श्री आर. पी. शर्मा।

श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं। सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी, आप जा रहे हैं क्या?

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भरतपुर जहां नेशनल घना वर्ड सैंक्चुअरी स्थित है और जहां हर साल लाखों की संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक आते हैं। मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि नेशनल हाईवे नम्बर-11 जो घना वार्ड सैंक्चुअरी के बिलकुल पास में जाता है उस सड़क पर खुले रूप से प्रोस्टिट्यूशन सेंटर चल रहे हैं और मुझे इस बात को कहने में बड़ा दुःख है कि जो उनके भवन बने हुये हैं, जो नेशनल हाईवे की जो नियमित जगह होती है उस जगह पर बने हुये हैं। मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसकी जांच कराकर, अगर आपकी जमीन पर वह भवन बने हुये हों तो उनको तुड़वाने की कृपा करें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां भरतपुर में देशी और विदेशी पर्यटक आते हैं हर साल वहां लूट-पाट, हत्याएं, चोरियां होती हैं और यहां नेशनल हाईवे पर विदेशी पर्यटकों को कई दफे लूटा गया है। यहां तक कि उस जगह छोटी-छोटी कम उम्र की बच्चियों को चुरा करके वे लोग लाते हैं, उनसे देह व्यवसाय कराते हैं और वह जगह, जिस पर वे भवन स्थित हैं, पी.डब्ल्यू.डी. की जगह है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि नियमानुसार आप इसमें कार्यवाही करने की कृपा करें और उन लोगों को वहां से हटाने की यथासंभव कार्यवाही करने का मुझे आश्वासन दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिसिंह (महुआ)।

श्री आर. पी. शर्मा : जवाब दे रहे हैं वे, जवाब देने दो।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस विषय की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया है मैं आपके माध्यम से उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनकी जो सीमाएं तय हैं। उन सीमाओं में जो भवन इस प्रकार बने हुये हैं, जो कि नियम विरुद्ध हैं अगर बहुत पहले से बने हुये हैं तो एक्वीजिशन करना पड़ेगा। सामान्य झोंपड़ियां बनी हुई हैं, बिलकुल नियमित रूप से नहीं बनी हुई हैं, उनका पट्टा नहीं है तो उनको तोड़ने की प्रक्रिया की जाएगी।

श्री आर. पी. शर्मा : धन्यवाद, साहब।

श्री हरिसिंह (महुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध भी वही था जो लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य ने आपसे अनुरोध किया है। मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करने के लिये मैं विशेष इसके फैक्ट्स में नहीं जाकर के सिर्फ एक इस बात के लिये चिन्ता प्रकट करता हूं कि दौसा में हाईकोर्ट के स्टे आर्डर्स की निरन्तर अवहेलना हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें तो सी. ई. ओ. जिला परिषद् है.........

श्री हरिसिंह (महुआ) : हां-हां, वही है।

श्री परसादी लाल मीणा : सी. ई. ओ. द्वारा भेजा गया.........

श्री हरिसिंह (महुआ) : सी. ई. ओ. द्वारा........

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : यही है और ये, माननीय उपाध्यक्ष जी, सरपंच ने 11-7-98 को स्टे आर्डर लिया जो आज तक कंटीन्यू कर रहा है और उसमें कहीं कोई वह नहीं हुआ है। मैं आपको यह भी अनुरोध करना चाह रहा हूं कि महुआ के प्रधान के खिलाफ अविश्वास आया और अविश्वास आने से पूर्व ही माननीय हाई कोर्ट ने उसमें स्टे जारी कर दिया। और टाइम पर वोटिंग होने से पहले-पहले स्टे सर्व हो गया जिन हालात में उस स्टे की अवमानना हुई। आपने कल सूचना दी जो अपनी प्रगति रिपोर्ट है। उसमें आपने प्रधानों के नाम बताये हैं। महुआ में आज भी बाबूलाल कोली को आपने प्रधान बताया है जबकि बाबूलाल कोली तो पिछले 6 महीने से प्रधान पद से पदच्युत कर दिया हाईकोर्ट के स्टे के बावजूद। यह एक चिन्ता का विषय है कि माननीय हाई कोर्ट के स्टे आर्डर्स की निरन्तर अवहेलना हो रही है। माननीय इसी प्रकार यह भी अवहेलना हो रही है एक और अवहेलना हो रही है, वह ए.सी.एम. के स्टे आर्डर एक खातेदार किसान ने ले रखे हैं और पंचायत समिति का विकास अधिकारी जबरदस्ती उस खेत में होकर सड़क निकाल रहा है यह अवहेलना हो रही है। आखिर इनसे आप ये तो पूछिये कि आपके पंचायती राज विभाग में जो सम्बन्धित मंत्री हैं उन्होंने कोर्ट-कचहरियों को न्यायालयों को इतना हलका क्यों कूत लिया है। यह एक चिन्ता का विषय है।

श्री उपाध्यक्ष : आप इसमें ज्यादा चर्चा नहीं करें।

श्री हरिसिंह (महुआ) : नहीं, साहब यह निरन्तर एक ऐसी प्रक्रिया है इसलिये मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना होती रहेगी तो यह प्रजातंत्र के लिये बड़ा खतरा है।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री जी कह रहे हैं।

श्री नाथूसिंह गुर्जर (राज्य मंत्री, पंचायती राज) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे प्रकरण जब भी हमारे ध्यान में आये हमने तुरन्त उसमें इंक्वायरी के आदेश दिये हैं। अब एक प्रक्रिया है, उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध हम तब

Page No. 66

(66)

(श्री नाथूसिंह गुर्जर)

तक कार्यवाही नहीं कर सकते जब तक कि इंक्वायरी रिपोर्ट हमें प्राप्त नहीं हो जाती है और इंक्वायरी में कुछ आफिसर्स तो ऐसे होते हैं जिनके विरुद्ध हम कार्यवाही कर सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो डी.ओ.पी. करती है। अभी तक हमने इस तरह के किसी भी प्रकरण में जो मेरे पास कभी भी ध्यान में लाये गये मैंने तुरन्त इंक्वायरी के आर्डर दिये हैं। कुछ मामलों में यदि किसी अधिकारी ने कोर्ट की अवहेलना की है, तो कंटेप्ट भी हुये हैं उनके खिलाफ और निरन्तर बार-बार हमने अधिकारियों की बैठक में यही कहा है कि कोर्टस के मामले को सीरियसली आप लें। हमने हमारे सी.ई.ओज. की मीटिंग में उनको आदेश दिये हैं, निर्देश दिये हैं वैसे भी आदेश दिये हैं कि उनको आप सीरियसली लें। अब तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक नयी व्यवस्था कर दी हमने कि स्टेंडिंग लायर खड़े कर दिये हैं और हमने जवाबदारी फिक्स करने के लिये यह भी कर दिया कि किस तरह के कैसेज में कौन-कौन जिम्मेदार होंगे तो हमने विभाग की तरफ से पूरी पुख्ता व्यवस्था कर रखी है। फिर भी कोई अधिकारी गलती करता है, गड़बड़ करता है। उसकी जब भी शिकायत आती है, तो हम इंक्वायरी कराते हैं और अब भी आपके पास कोई फैक्ट्स हों तो मुझे दे दो।

श्री परसादी लाल मीणा : हैं न।

श्री जगदीप धनखड़ : इस मामले में क्या करोगे?

श्री नाथूसिंह गुर्जर : मैं निश्चित रूप से इंक्वायरी करवाऊंगा और कोई दोषी पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे।

श्री जगदीप धनखड़ : कब तक करा देंगे?

श्री उपाध्यक्ष : जल्दी से जल्दी करा देंगे।

श्री हरिसिंह (महुआ) : पहले आप यह रोकिये न जो दादागिरी हो रही है, उसको रोकिये 25 तारिख को.........

श्री परसादी लाल मीणा : दादागीरियां रोकिये न आप 25 तारीख को जो कर रहे हैं स्टेट्स की बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : कह रहे हैं जांच कराएंगे जल्दी कराएंगे। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप 26 से पहले (व्यवधान)

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, स्पष्ट आदेश है हाई कोर्ट का और कोर्ट का कंटेम्प्ट हो गया है.........

श्री उपाध्यक्ष : कृपया, श्री महेन्द्र कुमार मीणा सिकराय में ए.सी.एम. कोर्ट।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : हाई कोर्ट के स्पष्ट आदेश हैं। यस सर।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया, श्री महेन्द्र कुमार मीणा–सिकराय में ए. सी. एम. कोर्ट।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा (सिकराय) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राजस्व मंत्री

(श्री महेन्द्र कुमार मीणा)

महोदय से सिकराय में स्थायी ए.सी.एम. कोर्ट खोलने के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। मान्यवर सिकराय तहसील मुख्यालय है जिसमें सप्ताह में दो रोज ए.सी.एम. कैम्प कोर्ट लगती है, जो भी नियमित नहीं लगती है जिससे लोगों के कार्यों का समय पर निस्तारण नहीं हो पाता है एवं लोगों को बांदीकुई और महुआ जाना पड़ता है, जो सिकराय से 30 किलोमीटर दूर है। सरकार की मंशा भी है कि तहसील क्षेत्र की जनता की समस्या का समाधान तहसील कार्यालय पर ही करना चाहिए मगर ऐसा नहीं हो रहा है। आपसे निवेदन है कि तहसील सिकराय क्षेत्र की जनता को सस्ता एवं सुलभ न्याय दिलाने हेतु सिकराय में ए.सी.एम. कैम्प कोर्ट के स्थान पर स्थायी कोर्ट खुलवाने के आदेश प्रदान कर इस क्षेत्र की जनता को अनुगृहीत करें। यह क्षेत्र एस.टी./एस.सी./ओ.बी.सी. गरीब लोगों का क्षेत्र है। इसलिये, मान्यवर, मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि स्थायी ए.सी.एम. कोर्ट सिकराय में खोलने की घोषणा इसी वक्त करने की कृपा करें। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोपीचन्द गुर्जर।

श्री गोपीचन्द गुर्जर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी का, जो अभी यहां उपस्थित नहीं हैं, उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। नगर रेफरल हॉस्पिटल के अंदर सेम वही समस्या है जो माननीय सदस्य ने थोड़ी देर पहले कही थी। यू.एन.एफ.पी.ए. के अंदर करीब 14 आदमियों के स्टाफ को विथड्रा किया है। 6 डाक्टरों में से मात्र तीन और तीन में से एक पद रिक्त है। 8 कम्पाउण्डर थे जिनमें से 6 को वापस ले लिया। इसी तरीके से लैब टैक्नीशियन दो थे जिनमें से एक को वापस ले लिया। रेडियोग्राफर एक था, अब एक्सरे की मशीन उपलब्ध है, लेकिन रेडियोग्राफर उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में जहां इतने अधिक पेशेंट आते हों। मैं आपको चार साल के आंकड़े भी देता हूं वहां के आउटडोर के। 1994-95 में 42 हजार, आउटडोर पेशेंट थे, 1995-96 में 52 हजार का आउटडोर पेशेंट थे, 1996-97 में 68 हजार पेशेंट आउटडोर पेशेंट थे और 1997-98 में 58 हजार आउटडोर पेशेंट हैं, तो ऐसी स्थिति में जहां 6, 8, 14 और 15-20 आदमियों का स्टाफ रहा हो वहां आज मात्र दो डाक्टर उस जगह पर रहते हों, ऊपर से बरसात का मौसम और बाढ़ के हालात फिर पैदा हो सकते हैं और भरतपुर जिले के अंदर कितने भयंकर रूप से मलेरिया बीमारियां फैलती हैं और तहसील मुख्यालय के ऊपर ऐसी स्थिति में इस स्टाफ को यू.एन. एफ.पी.ए. को हटाने के बाद में उस रेफरल हॉस्पिटल का एक तरीके से यों समझो कि औचित्य पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया है। इसलिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि आज इसी समय आप हाउस में मुझे संतुष्ट करें और निश्चित रूप से जो यू.एन.एफ.पी.ए. के स्टाफ

(श्री गोपीचन्द गुर्जर)

को वहां से हटाया गया है उसके स्थान पर किसी भी दूसरे मद से स्टाफ भेजने की स्थिति पैदा करें वरना तो आगे आने वाला जो वर्षा और बाढ़ का मौसम है उसमें हालात गम्भीर होंगे और उस स्थिति का सामना करने की स्थिति में कस्बा नहीं होगा। इसलिये मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से आग्रह कर रहा हूं कि आप इस स्टाफ की पूर्ति करने की कृपा करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा) : उपाध्यक्ष महोदय, गंगापुर से आने वाले माननीय सदस्य और नगर से आने वाले माननीय सदस्य दोनों ने चिन्ता इस बात की व्यक्त की है कि यू.एन.एफ.पी.ए. एक प्रोजेक्ट आया था। उस प्रोजेक्ट के साथ में कुछ पद स्वीकृत हुये थे। ये प्रोजेक्ट 1980 से लेकर 1996 तक चला। इस प्रोजेक्ट में जो पद सृजित थे, क्योंकि प्रोजेक्ट की समयावधि पूरी हो गयी इसलिये उसके साथ ही पद भी समाप्त हो गये। अब निश्चित तौर पर जब एक प्रोजेक्ट के साथ आया हुआ पद हो और उसमें केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अंतर्गत जो पैसा हमारे पास आता है, चूंकि धनराशि मिलनी बंद हो गई इसलिये उसके साथ-साथ पदों को भी समाप्त कर दिया गया और उनमें काम करने वाले चिकित्सकों को और पैरा मेडिकल स्टाफ के लोगों को दूसरी जगह समायोजित कर लिया। परन्तु आपकी चिंता सही है कि वहां जिन रेफरल चिकित्सालयों और 9 प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों में यह पद सृजित थे, 156 पद समाप्त हुये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि प्रशासनिक तौर पर मैं अनुभव करता हूं कि इन पदों की समाप्ति से उन चिकित्सालयों के काम करने में कुछ कठिनाई आ रही है। मैं मेरी तरफ से भी विभाग को प्रस्ताव भेजूंगा और उप मुख्य मंत्री जी से अनुरोध भी करूंगा कि वह इन पदों के सृजन के लिये आवश्यक स्वीकृति जारी करें।

दूसरा, गंगापुर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक दानदाता द्वारा धर्मशाला बनाने के लिये अपना कोई प्रस्ताव, जो विचाराधीन है, उसके बारे में बात की है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि उसके निर्धारित प्रफोर्मा में नक्शे और सारे कागज लेकर मेरे पास आप भेज दें, जिस दिन आपके प्रस्ताव आ जाएंगे उसके एक सप्ताह के अंदर-अंदर, अगर वहां भूमि उपलब्ध है और हास्पिटल के प्रिमिसेज के अंदर इस तरह का स्थान हो, जहां किसी तरह की असुविधा न हो, तो एक सप्ताह के अंदर-अंदर उसकी स्वीकृति भी जारी कर दी जाएगी।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : एक सप्ताह में मैं आपके पास ले आऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती इन्दिरा मायाराम।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र सांगानेर में पिछले दिनों भारी वर्षा से चाकसू पंचायत में भारी नुकसान हुआ है। सांगानेर में भी बहुत नुकसान हुआ है। शिवदासपुरा में रामपुरा, गोनेर का रास्ता बिलकुल टूट गया है, रामपुर

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

का रास्ता टूट गया है। सालगरामपुरा, मुरलीपुरा आदि की सड़कें टूटने से वहां आवागमन बिलकुल बंद हो गया और इसके कारण से बीमारियां इतनी फैल गयी है वहां न आने-जाने का कोई रास्ता है, सरकार ने न वहां कोई मोबाइल यूनिट भेजा है, न रास्ते ठीक करने के लिये कुछ किया है, न वहां जो बाढ़ में फंसे हुये लोग हैं उनकी मदद के लिये प्रशासन ने कोई काम किया है। इसी प्रकार से संतोषपुरा धारीवाला ऐसे 5-7 गांव हैं जिनमें हैंड पम्प बिलकुल टूट गये। इसलिये उनको फ्लोराइड मिला हुआ पानी जो तालाब में भरा हुआ है वह पीना पड़ रहा है। बाड़ा-पदमपुरा की नल की लाइनें टूट गयी हैं उसकी वजह से भी वहां पर फ्लोरोइड युक्त पानी पीना पड़ रहा है। अकोडिया में फ्लोराइड युक्त पानी नहीं मिले इसलिये गांव के आस-पास के इलाके को पानी देने के लिये एक बहुत बड़ी टंकी बनायी गयी थी। एक साल से वह टंकी बनी हुई पड़ी है लेकिन आज तक उस टंकी से पानी शुरू नहीं किया। मैं जलदाय मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि जब मैंने इतना ज्यादा असेम्बली में शोरगुल किया तब आपने वह टंकी को बनाने की स्वीकृति दी। इतने लाखों रुपये लगाकर, फ्लोराइड से जो हाथ-पैर टेढ़े हो रहे थे 15 गांव के लोगों के, उनके लिये जब टंकी बनी तो एक साल से वह शुरू आज तक क्यों नहीं की गयी? वह अभी भी वैसी की वैसी हालत में पड़ी हुई है। जनता सागर बांध टूट गया, करेड़ा बांध टूटने की स्थिति में है, चंगलाई बांध की हालत बिलकुल टूटने की स्थिति में है। वर्षा होने के कारण किसी वक्त भी टूट जाएगा तो वहां के लोग बिलकुल डूब जाएंगे। खेतों में कटाव होने के कारण हजारों बीघा जमीन बिलकुल खेती करने योग्य नहीं रही है लेकिन प्रशासन ने वहां जाकर कोई ध्यान नहीं दिया है। इसी प्रकार सांगानेर में बंबाला में मकान टूट कर गिर गये। कई लोग हाउसिंग बोर्ड के मकानों में रह रहे हैं। मनोहरपुर बस्ती में आप लोगों ने, उस दिन तो प्रशासन ने थोड़ी सी मदद करने को, जब शाम [illegible] कोई नहीं गया और मैंने बहुत शोरगुल किया तो भेज दिया। उसके बाद अभी तक कोई सहायता नहीं दी गयी है। सांगानेर में आप सब लोग जानते हैं कि छपाई और कागज बनाने का काम होता है और उसकी वजह से वहां बहुत गंदा विषैला पानी आता है। वह विषैला पानी पाइप टूटने से नल के साथ पानी के मिलने से वहां गंदा विषैला पानी लोगों को पीने के लिये मिल रहा है जिससे बीमारियां फैल रही हैं। मैंने कितनी बार यहां असेम्बली में भी कहा और आपको पत्र लिखकर भी निवेदन किया कि वहां ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाए, क्योंकि इतना बड़ा धंधा वहां हो रहा है जो देश-विदेशों में प्रचलित है, लेकिन उसके लिये आज तक कोई ट्रीटमैंट प्लांट नहीं लगाया गया। आज भी अखबार में आया है कि वह विषैला पानी ओर जहर मिला हुआ पानी, रंगों का और

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

कागजों का, वहां की जनता को पीना पड़ रहा है। इसलिये मैं निवेदन करूंगी कि मेरे क्षेत्र की जो बहुत महत्वपूर्ण समस्या है उसके बारे में मंत्री महोदय कब तक कोई निर्णय कर लेंगे? इस बारे में जानकारी देने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भवानी जोशी।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मैं जलदाय की टंकी के बारे में मंत्री महोदय से जरूर पूछूंगी, ट्रीटमैंट के बारे में कि वह क्यों नहीं एक साल से.........

श्री उपाध्यक्ष : जलदाय की डिमाण्ड आ रही है बहुत जल्दी।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : नहीं, अकोडिया जलदाय की नहीं आ रही है, अकोडिया में पानी की टंकी, फ्लोराइड युक्त पानी से 15 गांवों में पैर टेढ़े हो रहे हैं, मर रहे हैं। वह टंकी क्यों नहीं प्रारम्भ की गयी जबकि एक साल से बनी हुई तैयार पड़ी है, यह मैं जानना चाहती हूं।

श्री भवानी जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मंत्री महोदय को जानकारी नहीं मालूम होती है।

श्री भवानी जोशी : बांसवाड़ा से दो किलोमीटर दूर सेंटपोल उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थित है। पिछले 5-7 रोज से उसके आसपास सैकड़ों बीघा जमीन सीर सरकार है। उस जमीन पर वह कब्जा कर रहे हैं। मैंने कई बार प्रशासन के ध्यान में भी डाला, लेकिन उनके बच्चे सब सेंटपोल स्कूल में पढ़ते हैं इसलिये वह कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं। बांसवाड़ा के भोले-भाले आदिवासियों का धर्मान्तरण भी उस स्कूल में होता है। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि जो अतिक्रमण कर रहे हैं उसे तत्काल रुकवाने का कष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामगोपाल बैरवा।

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय राजस्व मंत्री जी का ध्यान इटावा में एस.डी.एम. न्यायालय स्थापित करने के बारे में आकर्षित करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इटावा और इसके आस-पास का जो सम्पूर्ण क्षेत्र है वह कृषि प्रधान, कपांड एरिया होने के कारण और जिला मुख्यालय से 85 किलोमीटर दूरी होने के कारण यहां के किसानों को जो राजस्व संबंधी प्रकरण है उनका निपटारा करने के लिये एस.डी.एम. कोर्ट कोटा में आना पड़ता है और इतनी दूरी पर आने के कारण वहां के किसानों के समय और धन की बरबादी होती है। दूसरी और वर्तमान में 1986 से लेकर के आज दिन तक 1626 प्रकरण एस.डी.एम. कोर्ट, कोटा तहसील पीपल्दा के लंबे समय से पेंडिंग चल रहे हैं जिससे किसानों को काफी परेशानी होती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं इस क्षेत्र के किसानों की और गरीबों की भावनाओं को ध्यान में

(श्री रामगोपाल बैरवा)

रखते हुये इसी सत्र में इटावा में नया एस.डी.एम. कोर्ट सृजित करने का कष्ट करें। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र जी चौधरी।

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कृषि राज्य मंत्री जी का ध्यान, आप तो जलदाय मंत्री जी हैं आपको नहीं कह रहा हूं, आपके पीछे बैठे हुये हैं, उनके लिये कह रहा हूं। मैं कृषि मंत्री जी का ध्यान अभी वर्तमान में, जो आपके क्षेत्र में आता है और मेरा भी क्षेत्र है। जोधपुर के अंदर जो असमान वर्षा हुई है उसके बावजूद भी कुछ खेती हुई और उस खेती में कातरे का भीषण रोग लग गया है और उसके कारण फसल नष्ट हो रही है। किसान बहुत दु:खी हैं। कृषि राज्य मंत्री जी, मैं चाहूंगा कि इस रोग से फसल को बचाने की लिये आप कोई आवश्यक कार्यवाही अविलम्ब करेंगे और आपने उत्तर दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री किशन मोटवानी।

श्री किशन मोटवानी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, विशेष उल्लेख के माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि भारत सरकार ने सेवा निवृत्ति की आयु 58 से 60 की है, उसी अनुसरण में, उसकी नकल करते हुये राजस्थान सरकार ने भी 58 से 60 वर्ष की आयु में सेवा निवृत्ति निश्चित की है। किन्तु कारण क्या रहे, उसकी गत में मैं नहीं जाऊंगा। मैं तो एक विसंगति की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं, संस्थान हैं उन्होंने कुछ ने तो उनकी सेवा निवृत्ति की आयु 58 से 60 वर्ष कर दी किन्तु कुछ विभाग अभी भी रह गये। उससे एक विसंगति क्रीएट हो रही है, प्रतिस्पर्द्धा बन रही है, कर्मचारियों के बीच असंतोष बन रहा है। मैं चाहूंगा जो रहे हुये विभाग हैं, पर्टीकुलरली सहकारिता विभाग में जो सहकारी संस्थाएं कार्य कर रही हैं, उनमें जो कर्मचारी हैं उनकी सेवा निवृत्ति की आयु 58 से 60 करने का प्रस्ताव अभी तक पारित नहीं किया गया है, न उसको नोटिफाइड किया गया है। इसलिये मैं सहकारिता मंत्री जी से और राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे अन्य विभाग और भी हैं जिन्होंने 58 से 60 साल की नहीं की है, वह तुरन्त प्रभाव से करें ताकि जो एनोमलस पोजिशन क्रीएट होने जा रही है, उसको रोका जा सके।

(13.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय यातायात मंत्री, जो यहां बिराजमान हैं, रोडवेज विभाग भी है आपके पास निवेदन करना चाहूंगा कि लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले भी मैं इस सदन में लगातार अपनी मांग रखता हुआ चला आ रहा हूं कि हमारे यहां पर एक घाटी आती है टोडाभीम की, कल फिर एक घटना घट गयी। ये

(श्री रामस्वरूप मीणा)

अखबार की सारी फोटोज हैं मेरे पास। कल एक घटना घटी है। दो पण्डित जी थे बालाजी से वह बस में बैठे थे रोडवेज की में। वह बस आपकी हिण्डौन के अन्दर जा रही थी और जैसे ही बस घाटी में चढ़ी उसके बाद ऊपर मोड़ आता है, उस मोड़ में जैसे ही टर्न ली आपकी बस ने टर्न ली, आपके ड्राइवर और कंडक्टर, दोनों ने यह कह दिया कि जिस यात्री को उतरना है उतर जाए, हमारी गाड़ी के तो ब्रेक फेल हो चुके हैं और उसका परिणाम क्या निकला। आपका ड्राइवर, आपका कंडक्टर वे दोनों तो कूद गये और गाड़ी के अन्दर जितनी भी सवारियां थीं, गाड़ी में जो बैठे रहे, एक-दो तो कूदने से घायल हो गये, बाकी जो रह गये थे वे सीधे घाटी में गाड़ी गयी और नीचे जाकर गाड़ी 500 फीट गहरे खड्डे में गिर गयी जहां 40 मौत पहले भी इसी प्रकार हो गयी थी। साहब दो आदमी मर चुके हैं, दो आदमी मर गये। ये मेरे पास उनके फोटो हैं, आपकी गाड़ी पड़ी है पूछ लेना आपके विभाग वालों से।

मेरा आपसे निवेदन है कि क्या मेरे यहां ही ये खटारा बस लगानी है आपको? और मेरे वोट, वैसे ही आपको मारना है तो यों ही मार दो हमको सब को, क्यों मेरे वोटों के पीछे पड़ रहे हो आप? मेरे यहां के ही यात्री थे सारे। जिस प्रकार का अन्याय मेरे क्षेत्र के साथ हो रहा है, बस ये लगाते नहीं, करौली कोई बस जाती नहीं जिला हैडक्वार्टर के अन्दर और जो भी बस लगा रखी है वह इस हालत की लगा रखी हैं कि इनके ब्रेक नहीं और कुछ नहीं, समय पर आती नहीं, जिनकी बॉडी नहीं, कुछ नहीं, किसी मौसम में चलने काबिल नहीं इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी को.........

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें।

श्री रामस्वरूप मीणा : उस मोड़ पर लोहे के ही लगवा दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगदीप धनखड़।

श्री रामस्वरूप मीणा : मंत्रीजी, कृपया यह बतायें क्या इन बसों को आप बदल रहे हो या नहीं बदलोगे या इसी तरह मारते रहेंगे मेरे लोग यह? बता दो। कब तक बदल दोगे इनको? यातायात मंत्रीजी, यह बतायें कि क्या इन बसों को वे बदलेंगे? ये बसें भी बदली जाएं।

श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री रामस्वरूप जी मेरे अभिन्न मित्र हैं और जब भी मुझसे मेरे विभाग से सम्बन्धित कोई ये शिकायत करते हैं, तो मैं उनका तत्काल समाधान करता हूं। आज इन्होंने सदन के माध्यम से मुझे अवगत कराया है। मैं निश्चित रूप से नयी बस लगाने की व्यवस्था करा दूंगा।

श्री राजेन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, कृषि राज्य मंत्री कुछ बोलना चाहते थे, मेरे बोलने के बाद में। उन्होंने देखा पर आपने उनको देखा नहीं जिससे वे बोल नहीं पाये। वे बोलना चाहते थे।

श्री जगदीप धनखड़ : मुझे स्वीकार है।

श्री राजेन्द्र चौधरी : उन्होंने कहा है साहब, कि यह देख नहीं रहे हैं, मैं तो बोलना चाहता हूं। आप बोलना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगदीप धनखड़।

श्री राजेन्द्र चौधरी : वे बोलना चाह रहे हैं, साहब।

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, कृषि) : उपाध्यक्ष महोदय के बिना कुछ नहीं, उपाध्यक्ष जी आदेश देंगे वैसा करूंगा।

श्री राजेन्द्र चौधरी : यह राज आपने चला लिया, आपके बस का नहीं है। घर जाओ आप।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं स्वायत्त शासन मंत्री जी का और सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पिछले कुछ वर्षों से किशनगढ़ शहर में भारी प्रगति हुई है। औद्योगिक बस्ती के रूप में यह शहर उभरा है। पिछले 4-5 साल से लगातार मांग की जा रही है, क्योंकि शहर का जो विकास हुआ है वह पूरी बस्ती, औद्योगिक बस्ती तो रेलवे लाइनें के इधर है और शहर उधर है, आवागमन निरन्तर रहता है और जो रेलवे फाटक है वह, मान्यवर, 80 प्रतिशत समय बन्द रहते हैं। मैंने यहां पर कई बार माननीय मंत्रीगण का ध्यान आकर्षित किया और यहां आश्वासन भी दिया गया कि एक माह में पूरी जांच-पड़ताल हो जाएगी।

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं अनुरोध करता हूं कि यदि कोई ऐसी सुलभ व्यवस्था नहीं कराये जाने और ओवरब्रिज नहीं बनाये जाने से जनता को बहुत पीड़ा और असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। मान्यवर, जो मैंने मांग की उसका नतीजा क्या हुआ, राज्य सरकार ने कोई कदम नहीं उठाये नहीं और केन्द्र सरकार ने नेशनल हाईवे के ऊपर एक ब्रिज बनाने का फैसला कर दिया। ठीक है, वह भी एक अच्छी चीज है पर जनता की पीड़ा उससे कम नहीं हुई है, वह तो नेशनल हाईवे पर जो लोग आवागमन करते हैं उनको उससे रिलीफ मिली है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्रीगण से विशेष अनुरोध करूंगा कि राजस्थान की इस समस्या से यदि सबसे ज्यादा कोई शहर पीड़ित है तो किशनगढ़ शहर है और वहां की जनता जब भी कोई जाता है, चाहे कोई मंत्रीगण जाए, कोई अधिकारी जाए, इधर से जब उधर जाते हैं गाड़ी उनकी फंस जाती है, फाटक बन्द होता है वे आंखें नीचे किये हुये बैठे-बैठे रहते हैं। जन प्रतिनिधि की हालत भी बहुत खराब होती है कि लगातार इस विधान सभा में इस मामले को उठाओ, निराकरण हो नहीं रहा है तो मैं इस स्थिति में आपसे विशेष अनुरोध करूंगा कि क्या सरकार समयावधि में कोई ऐसा कदम उठाने को तैयार है जिससे किशनगढ़ की पीड़ित जनता को राहत मिल सके और रेलवे ट्रेक के इधर आवागमन की जो अव्यवस्था है, जो परेशानी का कारण है उसके सम्बन्ध में कोई उपाय किया जा सके। मैं सोच रहा हूं कि मंत्रीजी कुछ तो बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहनलाल जी मोदी।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मातृ शिशु कल्याण केन्द्र, नीम का थाना में एक वर्ष से डाक्टर नहीं है। जब से वहां मिसेज शर्मा का स्थानान्तरण किया गया उसके बाद वहां कोई डाक्टर नहीं लगा। बहुत बड़ी परेशानी है, महिलाओं और बच्चों को डाक्टर नहीं होने की वजह से। जब ये कभी एकाध किसी को लगाते हैं, तो वह पेयर नहीं होता है इसलिये वह महिला वहां रह नहीं पाती। फिर यहां से अपनी जोड़-तोड़ करके ट्रांसफर करा ले जाती हैं। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि वहां कोई महिला डाक्टर तुरन्त लगाएं और पेयर सहित लगाएं, उनके पेयर को कहीं आसपास में और कई हास्पिटल हैं उनमें कर दें, इस तरह की व्यवस्था करें कि वहां सुविधा मिले। अब वह जो आपने महिला डाक्टर मिसेज शर्मा लगा रखी थी और डाक्टर शर्मा लगे। डाक्टर शर्मा के खिलाफ शिकायतें हुई, उन्होंने वहां हास्पिटल छोड़कर वहां सामने ही अपना हास्पिटल बना लिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वह शिकायत आपने ही की थी।

श्री मोहनलाल मोदी : हां, मैंने की, सही की थी। हां वह हटा दिया। वहां एक जमावड़ा जमा दिया उल्टा। वहां की वहां ही उन्होंने अपनी क्लिनिक बना ली और मिसेज शर्मा भी उसी में काम करने लग गयी। उसका ट्रांसफर किया आपने।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सदस्य, डाक्टर ने त्याग-पत्र देकर क्लिनिक खोल ली इसमें राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। गलत तथ्य मत रखो।

श्री मोहनलाल मोदी : मैं आपसे यह थोड़े ही कह रहा हूं कि आप उसके क्लिनिक को हटा दीजिये या और कुछ कर दीजिये। मैं तो आपसे रिक्वैस्ट कर रहा हूं कि वहां के रहने वाले डाक्टर को ही वहां डाक्टर लगाइए। मेरे को किसी से शिकायत नहीं है। मैंने डाक्टर की शिकायत की थी। हमारी सीकर में जन-अभाव अभियोग की मीटिंग होती है उसने भी उसको सही माना था लेकिन मेरे को इससे ज्यादा कुछ नहीं है। वहां मेरे नाम बताने से तो पार पड़ेगी नहीं। आपके पास तो कोई भी आ जाएगा। मेरे नाम बताने से, पर कमाल है, आजकल घनश्याम जी मंत्री हो गये। इसलिये तुरन्त वहां पर पहुचंते हैं लोग।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें आप। श्री शैलेन्द्र जोशी।

श्री मोहनलाल मोदी : इसलिये इसकी जल्दी से व्यवस्था करें।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे जिला दौसा में बसवा, महुआ, सिकराय, लालसोट और दौसा तहसील है। श्रीमान इन पांच तहसीलों में कुल मिलाकर 14 थाने हैं जिसमें से दौसा क्षेत्र में

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

लालसोट, नांगल, दौसा और सैंथल है। किन्तु बांदीकुई उपखण्ड में बांदीकुई, कोलवा, बसवा, महुआ, मण्डावर, सलेमपुर और मानपुर थाना है। इसके अलावा, तालची की चौकी, बालाजी और राणोली चौकी है। श्रीमन मेरा निवेदन है गृह मंत्री महोदय से कि दौसा जिले की 75 प्रतिशत अपराध की जो प्रथम सूचना है वह इस उपखण्ड में होती है। ऐसी स्थिति में, जबकी बांदीकुई क्षेत्र में मात्र उप अधीक्षक महोदय बैठते हैं, दौसा में एस.पी. और एडीशनल एस.पी. बैठते हैं। मेरा निवेदन है कि बांदीकुई उपखण्ड पर एडीशनल एस.पी. की पोस्ट कायम की जाए क्योंकि बांदीकुई क्षेत्र में जो महुआ है, उधर यू.पी. के सारे अपराधी महुआ से प्रवेश करते हैं पूरे राजस्थान के अन्दर, नेशनल हाईवे नम्बर-11 भी वहीं पर है, स्टेट हाईवे नम्बर 25 भी वहीं पर है, सारे डकैत, आपको मालूम है कि सलेमपुर में जो बम विस्फोट हुआ वह भी महुआ में हुआ था, यू.पी. के अपराधियों ने किया था। ऐसी स्थिति में हमारी जो बसवा तहसील है वह 70 किलोमीटर दूर पड़ती है बांदीकुई से, जो महुआ है वह 65 किलोमीटर दूर पड़ती है और सिकराय 47 किलोमीटर दूर पड़ती है। ऐसी स्थिति में यदि आपको त्वरित अपराधियों को पकड़ने की, वे दूसरे राज्य की सीमा में नहीं भागें तो बजाय आपने एडीशनल एस.पी. जो दौसा में बैठा रखा है, जो मात्र 2 तहसीलों को कण्ट्रोल करता है, लालसोट और दौसा, उसके बजाय आप इतने बड़े भू-भाग के उप खण्ड जिसमें 9 थाने हैं, वहां पर एडीशनल एस.पी. को स्थानान्तरित करें, उसका कार्यालय खोलें। जिससे कि नयी पोस्ट कायम करने से बालाजी, जहां पर लाखों लोग एक महीने में आते हैं, दर्शनार्थी विदेशों से आते हैं। इसके अलावा बांदीकुई रेलवे जंक्शन है, सारे अपराधी आते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए, बिराजिए आप।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपको तो मालूम है कि यू.पी. से अलवर और आपके निर्वाचन क्षेत्र राजगढ़ से होकर सारे अपराधी आते हैं। (व्यवधान) इसलिये आप बांदीकुई में एडीशनल एस.पी. की पोस्ट खोलें।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : बड़ी विचारणीय समस्या है, उपाध्यक्ष महोदय, एडीशनल एस.पी. होने से जो (व्यवधान) अपराधी हैं, वे रुक जाएंगे क्योंकि बालाजी जो भी आते हैं अपराधी, वे गुण्डागर्दी करते हैं, बहन-बेटी का अपहरण करते हैं। इसलिये बहुत जरूरी है कि एडीशनल एस.पी. की पोस्ट बांदीकुई में खोली जाए।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान एक अत्यन्त गम्भीर परिस्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, आज अखबारों में सभी ने पढ़ा होगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसे यहां न पढ़ें।

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं, जयपुर विकास प्राधिकारण के भूमि घोटाले की जांच के सम्बन्ध में सेवानिवृत्त न्यायाधीश विनोद शंकर दवे कमीशन की नियुक्ति कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत कार्यवाही करने के लिये सरकार ने की थी। तीन साल से अधिक समय के पश्चात् एक रिपोर्ट दी। मान्यवर, सभी अखबारों में ही आज उस कमीशन की रिपोर्ट का पूरा हवाला है। यहां तक दिया गया है कि सिफारिशों पर अमल हो तभी भ्रष्टाचार रुकना सम्भव है। आगे दिया गया है कि अवाप्ति प्रकरणों में गम्भीर अनियमितताओं की पुष्टि और यह कहा गया है कि 2-2 आई.ए.एस. अधिकारियों के विरुद्ध जांच में पाया गया कि उन्होंने गम्भीर दुराचरण किया।

मान्यवर, जब स्वर्गीय राजीव गांधी की हत्या के सम्बन्ध में जैन कमीशन बना और जैन कमीशन की रिपोर्ट जब लीक हो गयी तब देश की संसद में आवाज उठी कि यह सदन की अवमानना है और सैन्ट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन को हिदायत दी गयी। एक मुकदमा दर्ज किया गया कि यह रिपोर्ट क्यों लीक हुई। मान्यवर, यह स्थिति यहां पर है कि दवे कमीशन की रिपोर्ट का लीक होना, सभी अखबारों में एक साथ आना। यह बात समझ में आती है कि किसी एक अखबार में पत्रकार ने, खोजी पत्रकार ने इन्वेस्टीगेशन जर्नलिज्म के आधार पर कोई बात प्राप्त कर ली हो। परन्तु सभी अखबारों में इस प्रकार की बात छपना, यह विधान सभा की अवमानना है। इस प्रकार का एक तरीका बन गया कि जब भी कोई गम्भीर चर्चा का विषय कमीशन के सामने आता है तो उसको पंक्चर करने के लिये एक माध्यम करते हैं कि जब विधिवत रूप से विधान सभा के समक्ष यह बात आएगी या एक्शन-टेकन-रिपोर्ट आएगी तो स्थिति वही हो जाएगी, जो टिबरेवाल कमीशन की हुई।

श्री उपाध्यक्ष : बिराज जाएं।

श्री जगदीप धनखड़ : टिबरेवाल कमीशन ने लम्बी-चौड़ी रिपोर्ट दी जयपुर में दंगे हुये और रिपोर्ट का लीकेज हुआ। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि इसके बारे में एक आपराधिक कृत्य के लिये प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाए, मान्यवर, जो भी दोषी हैं मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जैन कमीशन के दौरान माननीय पूर्ण प्रधान मंत्री चन्द्रशेखरजी ने (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, माननीय सदस्य, आप बहुत लम्बा जा रहे हैं। बिराज जाएं, कृपया बिराज जाएं।

श्री जगदीप धनखड़ : न्यायाधीश के विरुद्ध भी कार्यवाही करें। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : समिति के प्रतिवेदनों का उप-स्थापन। श्री हरिसिंह (कुम्हेर) राजकीय उपक्रम समिति, 1997-98, समिति के 7 प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगे।

श्री जगदीप धनखड़ : मान्यवर, गृह मंत्रीजी हाथ जोड़ रहे हैं। (व्यवधान) कुछ बोलें तो सही। नहीं नहीं, यह स्थिति स्पष्ट है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें। उन्होंने सुन ली, आपकी बात, अब आप बिराजें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप रिप्लाई दिलवाएं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराज जाएं, माननीय सदस्य। कृपया, श्रीमान धनखड़ साहब। कृपया बिराजें, जोशीजी।

समिति का प्रतिवेदन

राजकीय उपक्रम समिति, वर्ष 1997-98 का 56वां, 58वां, 60वां, 61वां, 62वां, 63वां व 64वां प्रतिवेदन

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) (संयोजक, राजकीय उपक्रम समिति) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार राजकीय उपक्रम समिति, 1997-98 के निम्नांकित 7 प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं: —

(1) राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1992-93) से सम्बन्धित समिति का 56वां प्रतिवेदन,

(2) राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1995-96) से सम्बन्धित समिति का 58वां प्रतिवेदन,

(3) राजस्थान पर्यटन विकास निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1992-93), से सम्बन्धित समिति का 60वां प्रतिवेदन,

(4) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन 1993-94) से सम्बन्धित समिति का 61वां प्रतिवेदन,

(5) राजस्थान राज्य सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1995-96, वाणिज्यिक) से सम्बन्धित समिति का 62 वां प्रतिवेदन,

(6) राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1983-84) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 1994-95 के प्रथम प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही विषयक समिति का 63वां प्रतिवेदन, एवं

(7) राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1976-77) से सम्बन्धित दसवीं राजस्थान विधान सभा के 20वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक् समिति का 64वां प्रतिवेदन।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

अजमेर जिले में फ्लोराइडयुक्त पेयजल से ग्रस्त ग्रामों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की योजना

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत श्री गोविन्द सिंह गुर्जर, सदस्य, विधान सभा अजमेर जिले में फ्लोराइडयुक्त पेयजल से ग्रस्त ग्रामों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की योजना को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत.....

श्री उपाध्यक्ष : बस, ध्यान आकर्षित करता हूं, यह कहिये।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : एक मिनट में, एक मिनट तो दें कम से कम। एक मिनट तो ले रहा हूं। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि अजमेर में करीब एक हजार गांव हैं उनमें से 644.....

श्री उपाध्यक्ष : नहीं नहीं, यह कोई तरीका नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : वही कर रहा हूं, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, वही नहीं कर रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : और इस समस्या से अजमेर जिले के (व्यवधान) मेरे को बोलने तो दें, मैं भी जानता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : पहले आप बयान सुनिये, माननीय सदस्य, सुनिये। आप तो मुझ से भी पुराने लगते हैं। कृपया आप बिराजें। आपने ध्यान आकर्षित कर लिया।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : मैं कर रहा हूं, साहब, मेरे को करने तो दो। मेरे को करने दोगे तभी तो करूंगा। मैं यह कह रहा हूं कि यह समस्या क्या है। यह भी तो बतानी पड़ेगी, थोड़ी सी।

श्री उपाध्यक्ष : आप पहले वक्तव्य सुन लें, फिर सारी बात कर लेना। सारे अवसर दूंगा आपको।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : हां, मैं सुन रहा हूं। मैं इतनी-सी बात बता रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सुन कहां रहे हैं, आप। आप तो मुझ से वाद-विवाद कर रहे हैं। सुन नहीं रहे। कृपया बिराजें, बिराजें।

श्री भंवरलाल शर्मा (जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसका उत्तर दूं उससे पहले सांगानेर से आने वाली माननीय सदस्या ने टंकी की बात कही थी। टंकी तो बन गयी लेकिन वह चालू नहीं हुई। मेरा विनम्र निवेदन होगा कि आप समय निकाल कर मेरे से मिल लें, उसका कोई समाधान निकाल दूंगा।

अजमेर जिले में 1991 की जनगणनानुसार कुल 1006 ग्राम हैं, जिनमें से 16 ग्राम गैर-आबाद हैं। उक्त ग्रामों में से 44 ग्राम पाइप्ट, 99 ग्राम पम्प एवं टैंक, 36 ग्राम क्षेत्रीय योजनाएं, 14 ग्राम पनघट, 3 ग्राम जनता जल तथा 794 ग्राम हैण्ड पम्प योजनाओं से लाभान्वित हैं। इस प्रकार समस्त आबाद ग्राम किसी ना किसी योजना से लाभान्वित हैं।

1992-93 में राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अन्तर्गत अजमेर जिले के अधिक फ्लोराइड, खारे पानी की समस्या वाले तथा पाइप लाइन के रास्ते में पड़ने वाले ग्रामों सहित कुल 644 ग्रामों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करने की एक योजना का प्रारूप

(श्री भंवरलाल शर्मा)

तैयार किया गया था, जिसकी अनुमानित लागत 130 करोड़ रुपये थी। इसमें नसीराबाद विधान सभा क्षेत्र के 81 ग्राम भी सम्मिलित थे।

उक्त योजना के सम्बन्ध में हुये प्राथमिक विचार-विमर्श के दौरान केन्द्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा यह संकेत दिये गये कि वृहद् योजना की लागत राशि की विशालता को देखते हुये इस योजना को एक साथ स्वीकृत किया जाना सम्भव नहीं हो सकेगा। अतः इसके लिये यह निश्चय किया गया कि उक्त योजना के ग्रामों को चरणबद्ध रूप से छोटे-छोटे पैकेज बनाकर कार्य किया जावे। अतः प्रारम्भिक रूप से स्रोत के निकट स्थित ग्रामों की एक योजना बीसलपुर बांध से मुख्य स्रोत लिया जाकर वर्ष 1993-94 में बनायी गयी। इस योजना में अजमेर जिले के केकड़ी तथा सरवाड़ तहसील के चिन्हित कुल 94 ग्राम, जिनमें 51 ग्राम फ्लोराइड की अधिकता, 36 ग्राम खारे पानी की समस्या से ग्रसित थे तथा 7 ग्राम जो पाइप लाइनों के मार्ग में थे, सम्मिलित किये गये। योजना की अनुमानित लागत 16.80 करोड़ रुपये थी। इस योजना की केन्द्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा माह फरवरी, 1994 में तथा राज्य सरकार द्वारा जुलाई, 1994 में 20.48 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गयी।

योजना के अन्तर्गत स्वीकृत राशि का 75 प्रतिशत व्यय केन्द्र सरकार से, 25 प्रतिशत व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना था। माह जून, 1998 तक इस योजना पर कुल 13.477 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं। जिनमें से 6.176 करोड़ रुपये की राशि केन्द्र सरकार के द्वारा तथा 7.301 करोड़ रुपये की राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवायी गयी है। उपरोक्त व्यय के आंकड़ों से स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा इस योजना को पूर्ण करने के प्रयासों के अन्तर्गत मेचिंग राशि से अधिक धन उपलब्ध कराया जाकर व्यय किया जा चुका है तथा उपलब्ध राशि के अनुसार कार्यों का सम्पादन किया गया है। केन्द्र सरकार से बकाया किश्त प्राप्त करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

उक्त योजना के अन्तर्गत स्वीकृत 94 ग्रामों में से 62 ग्रामों को प्रथम चरण में बनास योजना के अन्तर्गत पूर्व में बिछी हुई पाइप लाइन से जल प्राप्त कर लाभान्वित किया जाना था। इसके पश्चात् बीसलपुर से पाइप लाइन बिछाकर फिल्टर प्लांट तथा विभिन्न हैड-वर्क्स के निर्माण के पश्चात् शेष 32 ग्रामों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। प्रथम चरण के सभी 62 ग्रामों में पाइप लाइन बिछायी जा चुकी है। इनमें से 48 ग्रामों की पाइप लाइनों को टैस्ट किया जाकर 22 ग्रामों को शुद्ध पेयजल नियमित रूप से वितरित किया जा रहा है। शेष 26 ग्रामों में कार्यवाही प्रगति पर है, जिनमें से 14 ग्रामों की पाइप लाइनों की टैस्टिंग का कार्य भी किया जा रहा है। बीसलपुर बांध से बघेरा के बीच में एक सौ एक, दस मिलीमीटर व्यास की 23.5

(श्री भंवरलाल शर्मा)

किलोमीटर लम्बी मुख्य पाइप लाइन में से 8 किलोमीटर पाइप लाइन बिछायी जा चुकी है तथा इस पर कार्य जारी है। विभिन्न हैड-वर्क्स स्थापित किये जाने एवं फिल्टर प्लांट संबंधित कार्य भी प्रगति पर है।

दिसम्बर, 1993 में नसीराबाद तहसील के अधिक फ्लोराइड तथा खारे पानी की समस्या वाले 61 ग्रामों की योजना तैयार की गयी, जिसकी अनुमानित लागत 23.68 करोड़ रुपये थी। इस योजना पर ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों के तकनीकी बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा हुई, जिसके कारण इसकी लागत में बदलाव आता रहा। अन्तिम रूप से यह योजना 81.43 करोड़ रुपये की बनाकर ग्रामीण विकास मंत्रालय में स्वीकृति हेतु जुलाई, 1996 में भेजी गयी। इसके पश्चात् इसकी स्वीकृति प्राप्त करने के लगातार प्रयास किये गये तथा केन्द्र सरकार द्वारा प्रथम चरण के कार्य को निरीक्षण कर इस योजना की स्वीकृति पर विचार किया जाएगा। मार्च, 1998 में केन्द्र सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत पूर्व में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा क्रमशः 75 प्रतिशत एवं 25 प्रतिशत धनराशि उपलब्ध कराने के अनुपात को बदलकर अब पचास-पचास प्रतिशत कर दिया गया है। यह दिशा-निर्देश जो मार्च, 1998 में प्राप्त हुये हैं, के अनुसार अब उक्त योजना राज्य सरकार के स्तर पर स्वीकृत की जानी है। राज्य सरकार को अभी यह नहीं बताया गया है कि इन योजनाओं के हेतु प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के समाधान हेतु कितना धन उपलब्ध कराया जाएगा। फ्लोराइट की बीमारी का सम्बन्ध पानी के अतिरिक्त, यह तो खैर अलग बात है। मेरा विनम्र निवेदन यह है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय.....

(13.23 बजे)

(श्री रमाकान्त शर्मा, सभापति, पदासीन)

श्री जगदीप धनखड़ : आपने किशनगढ़ के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं। अजमेर जिले का है।

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं, जो योजना बनी है.....

श्री जगदीप धनखड़ : फ्लोराइड युक्त कितने गांव हैं ?

श्री भंवरलाल शर्मा : जो प्रश्न किया है.....

श्री जगदीप धनखड़ : हां, प्रश्न देख लीजिये आप।

श्री भंवरलाल शर्मा : हां, देख लेता हूं। पहले मुझे सुन लें।

श्री जगदीप धनखड़ : बड़े न्यायसंगत तरीके से प्रश्न किया है।

श्री भंवरलाल शर्मा : हां, वह ठीक है, इसमें कोई विवाद का विषय नहीं है। जहां पानी की समस्या है, वह तो और उसको दूर करना इस सरकार का धर्म भी है।

श्री जगदीप धनखड़ : जिक्र ही नहीं किया। पूरे स्टेटमैंट में इस बात का हवाला ही नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : पूरा हो गया क्या?

श्री भंवरलाल शर्मा : अभी मैं समझता हूं कि आपका जो प्रश्न है.....

श्री जगदीप धनखड़ : पूरे अजमेर जिले का है।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : वह पूरे जिले के 144 गांवों का है। उसमें पांच कांस्टीट्यूएंसी, किशनगढ़ है, मसूदा है, भिनाय है, नसीराबाद है और केकड़ी है, उसका ही है।

श्री भंवरलाल शर्मा : ठीक है।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : वह चरणों में आप कर रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : हां।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : इसलिये सैकिण्ड चरण में मेरा और भिनाय का ज्यादा है।

श्री भंवरलाल शर्मा : वही मैंने जिक्र किया है कि कई चरणों में यह होगा।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : उसके बाद में आपसे यह कहा है।

श्री भंवरलाल शर्मा : कई चरणों का मैंने जिक्र किया है।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : आपका हो गया क्या समाप्त?

श्री भंवरलाल शर्मा : हां, हो गया मेरा। आप बतायें, और जवाब दे दूंगा।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : सभापति महोदय, मुझे बड़ा खेद है कि जिस गति से इस योजना की क्रियान्विति हो रही है तो मैं समझता हूं कि मेरे जीवन में तो यह पानी नहीं आ सकता।

श्री भंवरलाल शर्मा : ऐसा मत कहो।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अब आप देखिये 1992-93 में एक सौ तीस करोड़ रुपये की योजना थी, आज केवल दो जगह की केकड़ी की जो चल रही है और नसीराबाद की मिलाकर के 122 करोड़ हो गयी। 81.43 नसीराबाद अभी आपने बताया और यह 20.48 केकड़ी, यह 122 तो यही हो गये और यह 1996 की है। 1996 की कीमतों के आधार पर, दो साल और हो गये तो पचास करोड़ और बढ़ गये। तो इसका आगे जाकर के क्या हाल होगा तब यह सारे गांवों तक जाकर पहुंचेगी और इसका कारण मैं आपको इसलिये कहना चाहता हूं कि उस समय अगर 130 करोड़ रुपये आप मंजूर करा लेते तो आज उस 130 करोड़ रुपये में अजमेर जिले के 70 परसेंट गांव पांच कांस्टीट्यूएंसी इस समस्या से उऋण हो जाती। इसलिये मेरा कहना यह है कि आप इस समस्या को, इतना धीरे आप अगर लेंगे तो यह पूरी होने वाली नहीं है। मैं आपका ध्यान खास तौर से इस

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि लोक सभा में और विधान सभा में सब जगह यह मामला उठ रहा है और श्री अटल बिहारीजी वाजपेयी, प्रधानमंत्री का जो राष्ट्रीय एजेण्डा घोषित हुआ है, उसमें भी पहला बिन्दु यह है कि हम पांच साल में पानी देंगे और इस हिसाब से दस साल तो हमें हो गये लड़ते-लड़ते। दस साल लड़ते-लड़ते हो गये, और अभी आगे दस साल तक कोई उम्मीद नहीं है। इस स्पीड से, जिससे आप चल रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन यह है कि जो आप कह रहे थे, सैकण्ड फेज, फर्स्ट फेज पूरा होगा उसके बाद सैकण्ड फेज लेंगे। उस सम्बन्ध में मेरा आपसे नम्र निवेदन है। आप जरा मेहरबानी करें कि इस सम्बन्ध में जो सैकण्ड फेज है उसी में जो फर्स्ट फेज की क्रियान्विति है, वह उसमें शामिल है। जूनिया एक पम्पिंग स्टेशन बनाएं। जूनिया पम्पिंग स्टेशन फर्स्ट फेज में है। वह जूनिया पम्पिंग स्टेशन बनाने का जो कार्यक्रम है, उसका जो पैसा है, वह सैकण्ड फेज में है।

मान्यवर मैं आपको पढ़कर बताता हूं, आपकी योजना से कि जब तक यह कॉमन प्रोग्राम के लिये आप सैंक्शन नहीं करेंगे तब तक बाकी की योजनाएं जो 61 गांवों की आप बता रहे हैं, इसमें भिनाय के भी है, मेरे भी हैं, अकेले के मेरे नहीं है। इन 61 गांवों में पानी तब मिलेगा जब आप उस सैकिण्ड फेज में सैंक्शन देंगे। उसके लिये मेरा निवेदन यह है, आपको जो चिट्ठी लिखी है, एडीशनल सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, जो अजमेर के हैं, उन्होंने लिखा है "Additional budget sanction for Rs. 1752 lakhs is required for completing the common works for 644 villages." यह 24-6-1997 का लैटर है। एसई. ने लिखा है, एडीशनल चीफ इंजीनियर को। कम्प्लीटिंग दी कॉमन वर्क्स, कॉमन वर्क्स मतलब दोनों, यह पांचों कांस्टीट्यूएंसी के वर्क्स हैं। 4644 विलेजेज इसमें कन्विएंस है। मैन है-ट्रीटमैंट प्लान्ट है, रॉ-वाटर है, रिजरवायर है और पम्पिंग मशीन है। इनको लगाने का काम तब ही पूरा होगा जब आप सैकण्ड फेज की मंजूरी देंगे। अब अगर आप सैकण्ड फेज की मंजूरी नहीं देंगे तो फर्स्ट फेज पूरा नहीं होगा। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। अब आपके हाथ में है, उसमें दिल्ली का मामला खतम हुआ। दिल्ली तो हम घूम-घूमकर परेशान हो गये। मुझे बहुत दुःख है कि इसकी वजह से इस राजस्थान सरकार का 25 प्रतिशत व्यय ज्यादा वहन करने पड़े। जो 75 परसेंट ग्रांट आपको मिलती है, उसकी जगह 50 कर दी और 50 का भार आपके ऊपर पड़ गया और यह वित्तीय भार भी हमें सहन करना पड़ेगा। इस गवर्नमेंट को सहन करना पड़ेगा, जनता को सहन करना पड़ेगा। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि इसको और अगर आप विलम्ब करेंगे तो इसमें और भी तकलीफ हो सकती है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि इसको फिर, आपके प्रोजेक्ट हैं, इसके

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

मार्फत बताना चाहता हूं कि इसमें आपने लिखा है कि इस प्रोजेक्ट के पेज दस पर— "Villages mentioned at Sl. NO. 48 to 60.........." यह फर्स्ट फेज के हैं। "Villages mentioned at Sl. No. 48 to 60 are proposed to be benefitted from pumping station at Junia which is again proposed to be constructed under Fluoride Control Project of Nasirabad Tehsil under sanction of Government of India." और जब आप इसको सैंक्शन नहीं दे रहे हैं तो निश्चित तौर से पहली प्रोजेक्ट भी इसी तरह से आपकी विलम्ब होगी और वह पूरी नहीं होगी।

सभापति महोदय, मैंने इस सम्बन्ध में दिल्ली कोशिश की और मिस्टर गणपति है, जो एडवाइजर हैं, ग्रामीण वाटर मिशन विभाग, राजीव गांधी और वाटर मिशन की जो प्रोजेक्ट है, इसमें मिस्टर गणपति है, उनको मैंने कहा। वे मेहरबानी करके यहां पर आये। उन्होंने प्रोजेक्ट को विजिट भी किया और विजिट करने के बाद जब हमने उनको समझाया कि जब तक सैकण्ड फेज के लिये मंजूरी नहीं देंगे तो फर्स्ट फेज पूरा नहीं हो सकता। इसलिये इस तरह आप कहें कि पहले फर्स्ट फेज पूरा करेंगे, फिर सैकण्ड करेंगे तो वह बहुत विलम्ब हो जाएगा और यह फर्स्ट फेज पूरा भी नहीं होगा। वे मौखिक सहमति अपने उस दौरे के दौरान यहां पर देकर के गये थे कि यह ठीक है, आपका कहना, आप सैकण्ड फेज की मंजूरी दे दें। और मुझे खुशी है कि आपके यहां से इस सम्बन्ध में एक लैटर भी गया, चीफ इंजीनियर साहब ने 17-6-1998 को एक लैटर लिखा, आपके यहां से "As you are aware that Government of India has delegated the power of sanctioning submissioned projects to the States, copy already circulated vide.........., fluoride affected 61 villages of Nasirabed tehsil and adjoining tehsils costing Rs. 81.43 crores should be submitted for consideration to Finance Committee along with Agenda Note within 15 days." यह आपने भी माना है कि 15 रोज में इसको भेजें। 15 रोज क्या महीना भर तो हो गया। आप मुझे यह बता दें कि आप सैंक्शन कौनसी तारीख को दे देंगे। हर बुधवार को या कोई और दिन आपकी वह सैंक्शन होती है।

सभापति महोदय, यह सारी बातें मैं इसलिये कह रहा हूं कि मैं अब महसूस कर रहा हूं उसमें दूसरी बातें उठायी जा रही हैं। अभी आपने वह पैराग्राफ नहीं पढ़ा जो विभाग ने आपको दिया है। इसमें वे कह रहे हैं कि वाटर यूजर्स कमेटियां बनाएंगे। फर्स्ट फेज में वाटर यूजर्स कमेटी बनाएंगे तो आईईसी. है

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

जो.....(व्यवधान) एक मिनट, मैं पूरा कर दूं.....(व्यवधान)

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर : सभापति महोदय, एक मिनट। मेरा भी है। प्रोजेक्ट मेरे तक है.....(व्यवधान)

श्रीमती कमला : बैठिए, पूरा तो हो जाने दो।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : मेरे को पूरा कर लेने दो, फिर बोल लेना।

श्री सभापति : बिराजिए-बिराजिए। सबको समय दूंगा।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : फिर बोल लेना न आप। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय बड़गूजरजी, बिराजिए, सबको समय मिलेगा।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : मुझे पूरा कर लेने दो, फिर आप बोल लेना। यह एक और लगा दिया कि हम आईई.सी. का प्रचार करते हैं कि स्वच्छ जल से यह फायदा है। स्लाइड दिखाते हैं। सिनेमा शो करते हैं कि स्वच्छ जल से फायदा होता है। आपने एक और यह कह दिया कि यह तो सोशल हैबिट्स की वजह से है जब तक वह हैबिट चेंज नहीं होगी। फ्लोराइड का जो आप बहाना बना रहे हैं यह नहीं चलेगा, उससे बीमार तो रहेंगे। जब इस तरह की मानसिकता अगर आपके विभाग की होगी तो मैं नहीं समझता हूं कि सैंक्शन होगी। सोशल हैबिट्स को गांवों में मैं और आप तो बदल नहीं सकते। लेकिन फ्लोराइड का पानी, जिसके लिये सैंट्रल गवर्नमैंट पैसा दे रही है, उसका यूज तो होना चाहिए।

अब यह क्वालिटी प्राब्लम एक और ले आये। उसके लिये कितना पैसा आएगा, यह कोई इंडीकेशन नहीं है। मेरा निवेदन यह है कि इन सब चीजों को आप नहीं करें। मेहरबानी करके इसकी सैंक्शन, आगे जब भी आपकी मीटिंग हो, यह सैंक्शन कर दें और इसी की सैंक्शन नहीं, यह सारे 644 गांव, जो अजमेर जिले के हैं, इनकी साइमल्टेनियस सैंक्शन कर दें। यह मैं इसलिये कह रहा हूं मंत्री महोदय को कि उसके सैंक्शन करने से जो अभी विलम्ब हो रहा है, उस विलम्ब को कुछ कर्टेल कर सकेंगे, कम कर सकेंगे। क्योंकि उससे यह होगा कि जब तक यह इन्फ्रास्ट्रक्चर बनेगा तब तक आप वहां पर जो टैंक्स है, वह बना दें, पाइप लाइन के लिये पाइप खरीद लें और उसके लिये जो पम्पिंग स्टेशन है, वह बना दें और जो दूसरी आवश्यकताएं हैं, वह अगर तैयार रहेंगी तो जैसे ही आपकी मैन पाइप लाइन आएगी, आप उसको जोड़कर के चालू कर सकेंगे। इसलिये अगर आप चाहते हैं कि वास्तव में अजमेर जिले के 644 गांव, फ्लोराइड आपने भी देखी होगी, मैंने भी देखी है। नलिनी सिंह ने "आंखों देखी" में एक फिल्म दिखायी है और उसमें मेरे यहां पर एक रघुनाथपुरा गांव है, वहां गांव में अपनी टीम भेजी। उस टीम

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

ने देखकर उन लोगों के बयान लिये और उनकी फोटोज थे, कुछ कुबड़े हो रहे हैं, कुछ चलते-फिरते भी नहीं है और कुछ के दांत पानी के कारण से पीले हो रहे हैं। उनकी हालत बड़ी खराब है। अब वह फिल्म पूरे इण्डिया में प्रोजेक्ट हुई है कि हमारे यहां राजस्थान में फ्लोराइड के पानी से यह समस्या है और इस समस्या को सरकार हल नहीं कर रही है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ और अपमानित भी महसूस करता हूं कि मेरी कांस्टीट्यूएंसी में इस तरह के लोग रह रहे हैं। पहले तो हमने आपको आते ही नहीं कहा, हमारे राज में क्या किया, इतने साल तक क्या किया। उसके लिये मेरा यही कहना है कि 1952 से पहले, 1992 से पहले, क्योंकि बीसलपुर की परियोजना पूरी नहीं हुई थी इसलिये कोई विकल्प नहीं था, कोई साधन नहीं थे जिनके द्वारा हम इनको पानी दे सकें। हम कह भी नहीं सकते, क्योंकि जब कोई विकल्प था ही नहीं। अब विकल्प है। आपके पास पानी है, आपके पास बनास की पाइप लाइन पड़ी हुई है उससे आप यह पानी दे सकते हैं। इसलिये यह जो इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रीएट करने वाली बात है.....

श्री सभापति : माननीय, अब आप रिपीट कर रहे हैं। इस इन्फ्रास्ट्रक्चर को चौथी दफा बोल चुके हो आप।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : मेरा नम्र निवेदन है मेहरबानी करके (व्यवधान)

श्री सभापति : अब आप रिपीट कर रहे हैं। बिराजें।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : उनकी हालत पर रहम खाकर इसकी जल्दी से जल्दी स्वीकृति दें। आज घोषणा कर दें। जब आपका फ्राइडे, या मण्डे या ट्यूजडे, जब भी आपके फाइनेंस कमेटी की मीटिंग हो, इसकी सैंक्शन कर दें और कोई बाधा नहीं है, केन्द्र का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और जो कुछ करना है, आपको करना है।

श्री सभापति : माननीय श्री धनखड़। (व्यवधान) कृपया बोलिये आप। समय नहीं जाया करें। आप बोलिये सब्जेक्ट पर।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : सभापति महोदय, ऐसे मामले में कम से कम जो आदमी अनुशासित नहीं है, इधर ध्यान केन्द्रित कीजिए। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, सब्जेक्ट पर आइए। जो प्रश्न पूछने हैं, वह पूछ लिया करिए। और निवेदन यह है कि जो वह पूछ चुके, उनको रिपीट नहीं कीजिए। कोई नयी बात पूछिए। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय सभापति महोदय, नसीराबाद से आने वाले वरिष्ठ माननीय सदस्य ने एक बहुत ही अहम समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया है। माननीय मंत्री महोदय ने जो अपना स्टेटमैंट पढ़ा है उसमें मुझे नहीं पता क्यों किशनगढ़ का कोई हवाला नहीं दिया गया। मान्यवर, अगर आप देखेंगे तो किशनगढ़ के कई ग्राम और

(श्री जगदीप धनखड़)

ढाणियां इस पीड़ा से ग्रस्त हैं और बहुत ही विस्तार से माननीय सदस्य ने कहा, पर मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं और जब-जब आपको कोई सुझाव दिए गए हैं, मुझे कहते हुये इसमें कोई संकोच नहीं है कि निराकरण हुआ है।

मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि पहले किशनगढ़ शहर को पानी देते थे पिंगलोद में आपने चार ट्यूब वैल लगा रखे हैं। उसके आस-पास लोग इसी बीमारी से पीड़ित हैं। फ्लोराइड युक्त पानी वहां पर है। एक जगह ऐसी है जहां पर पानी बिलकुल ठीक है। शहर को देने के लिये आपने चार ट्यूब वैल वहां लगाए और शहर को पाइप से पानी देते थे। अब चूंकि शहर को पानी अन्यत्र स्थान से मिलने लग गया है तो आपने आस-पास की ढाणियों को, जहां पर यह समस्या है, वहां तो पानी नहीं दिया जा रहा है और वह चार के चार ट्यूब वैल वहां पर आपके विभाग के कर्मचारी कार्यरत हैं, हर महीने खर्चा होता है और ग्रामवासियों को भयंकर पीड़ा है कि पानी हमारे पास है। शहर को तो पानी देते थे, अब गांव को पानी क्यों नहीं देते।

मान्यवर, मैं अपने आपको उस बात में शरीक करते हुये, कि बहुत ही विस्तार से माननीय गुर्जर जी ने अपनी बात कही है, आप कृपा करके यह तुरन्त हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिजली उपलब्ध है, ट्यूब वैल उपलब्ध है। यदि आप थोड़ी-सी व्यवस्था करेंगे, यह पिंगलोद में स्थित है।

मान्यवर, दूसरी, जो भयंकर समस्या है वह नोसल और कोटड़ी की है। वहां तक भी अगर आपके पाइप जाएं तो मैं समझता हूं कि आस-पास का जो एक छोटा इलाका है, जहां लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, उनकी समस्या का हल हो सकेगा। इसमें अगर शीघ्र आप कोई घोषणा करेंगे तो मैं समझता हूं, जनहित में होगा।

श्री सभापति : माननीय श्री बड़गूजर।

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर (केकड़ी) : माननीय सभापति महोदय, नसीराबाद से आने वाले माननीय विधायक ने फ्लोराइड गांवों के लिये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा है। सबसे पहले तो मैं माननीय जलदाय मंत्रीजी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि आपने प्रथम चरण में हमारे केकड़ी और सरवाड़ के 94 गांवों को लिया। यह 94 गांवों की योजना आपने सन् 1994 में प्रारम्भ की। इनमें से 22 गांवों को तो अभी पानी उपलब्ध हो रहा है लेकिन इस परियोजना की गति बड़ी धीमी है। मैं मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि अभी बगेरा में फिल्टर प्लांट बहुत पहले बन जाना चाहिए था, वह बना नहीं। इस फिल्टर प्लांट के बन जाने से मेरे विधान सभा के बाकी बचे गांव पानी प्राप्त करेंगे। लेकिन इसमें किस वजह से विलम्ब हुआ है, माननीय मंत्री महोदय इसे दिखवाइए और अभी तक 94 गांवों में जो पानी उपलब्ध होना था, वह 22 गांवों को ही मिलने लगा है।

(श्री शम्भूदयाल बड़गूजर)

अभी हमने अजमेर जिले के अधिकारियों के साथ, सहायता मंत्रीजी के साथ, मीटिंग भी की थी और उन्होंने बताया कि इसकी गति बड़ी धीमी चल रही है। कुछ स्टॉक की भी कमी है। केकड़ी और सरवाड़ दो तहसीलों के गांव इसमें आते हैं। माननीय सहायता मंत्रीजी का भी इलाका इसमें आता है। 64 गांव केकड़ी विधान सभा क्षेत्र के हैं 94 गांवों में और 30 भिनाय विधान सभा क्षेत्र के आते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रथम चरण की योजना को सितम्बर तक पूरा करवाने की आज आप घोषणा करें और जो द्वितीय चरण के लिये नसीराबाद से आने वाले माननीय विधायक महोदय ने जो निवेदन किया है, वह भिनाय और नसीराबाद भिनाय विधान सभा क्षेत्र में भी मेरी छह ग्राम पंचायतें हैं जैसे नागोला, बड़गांव, बूबक्या, इन ग्राम पंचायतों के गांवों में भी पानी पीने योग्य नहीं है। फ्लोराइड का पानी पीने से वहां के लोग कुबड़े हो गए, अनेकानेक बीमारियों के शिकार हो गए।

बीसलपुर का पानी आने से और यह प्रथम चरण की योजना मंजूर करने से राजस्थान सरकार के प्रति गांवों के गरीब किसानों को एक आशा जगी है कि बीसलपुर का पानी अब ब्यावर और अजमेर को मिलने के साथ-साथ अजमेर जिले के फ्लोराइडयुक्त गांवों को भी मिलेगा। बड़ी राहत मिली है। इसलिये माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि प्रथम चरण की इस योजना को द्रुतगति से चालू करें और माह सितम्बर और अक्टूबर तक पूरा करावें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : ठीक है। माननीय श्री कोगटा।

श्री किशन गोपाल कोगटा : सभापति महोदय, अभी नसीराबाद से आने वाले माननीय विधायक ने अजमेर जिले के 644 फ्लोराइड गांवों में पानी की चर्चा की उसमें मसूदा विधान सभा क्षेत्र के 115 गांव हैं, वह भी फ्लोराइडयुक्त हैं। अब समस्या यह है कि इसके अन्दर सारे प्रोजेक्ट को चार फेस में बांट कर केकड़ी, नसीराबाद, भिनाय उसके बाद मसूदा, अब यह भी है कि मैन ट्रैक बनेगी उसके बाद में मसूदा विधान सभा क्षेत्र के 115 गांवों में पानी आएगा। मेरा इस ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में यही आग्रह है कि अगर यह कार्यक्रम जल्दी हाथ में लें और पूरा करें तो निश्चित रूप से मसूदा विधान सभा क्षेत्र के 115 गांवों में पानी की सुविधा होगी।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान) यह जो अजमेर का प्रश्न है।

श्रीमती कमला : सभापति महोदय, माननीय सदस्या मायारामजी ने सांगानेर में विषाक्त पानी के और फ्लोराइड के बढ़ते हुये एरिये के बारे में ध्यान आकर्षित किया है।

श्री सभापति : यह अजमेर का ध्यानाकर्षण है, माननीय सदस्या।

श्रीमती कमला : जैसी स्थिति अजमेर जिले में हो रही है वैसी की वैसी स्थिति सांगानेर और आसपास के इलाकों में होने जा रही है।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, वह ध्यानाकर्षण आप ले आइये वहां के लिये अलग से।

श्रीमती कमला : इसलिये आप अभी भी उसका प्रोजेक्ट बना कर मेहरबानी करें।

श्री किशन गोपाल कोगटा : सभापति महोदय, मैं एक बात कहना भूल गया। खास कर के म्युनिसिपल एरिया विजयनगर और गुलाबपुरा, यह ऐसे टाउन हैं इनमें पानी की आज जो स्थिति है उसमें 120 घंटे में पानी मिल रहा है तो मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि यह प्रोजेक्ट जल्दी हो और तुरन्त इसमें आगे कार्यवाही हो।

श्री सभापति : हो गया। माननीय मंत्रीजी।

श्री भंवरलाल शर्मा : सभापति महोदय, किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है, उनको मैं एग्जामिन कर लूंगा। मुझे सामान्यतः आपका सुझाव ठीक ही लग रहा है, यह व्यावहारिक भी है और अगर संभव है, तो अच्छा है।

जहां तक नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने बात रखी है, यह फ्लोराइड युक्त पानी है, इससे लोगों को तकलीफ है, इसमें कोई दोराय हो ही नहीं सकती। यह समस्या कोई आज से तो है नहीं, वर्षों से यह समस्या है राजस्थान के कई हिस्सों में है इसीलिये यह योजना बनी है। अब प्रश्न यह है कि इतनी बड़ी योजना में जो पैसा खर्च होगा उसकी व्यवस्था कहां से होगी? राज्य सरकार के साधन सीमित हैं और केन्द्र सरकार भी कोई उतना पैसा नहीं देती कि सारी योजनाएं पूरी हों और जैसे अभी आप खुद ही कह रहे थे कि पहले तो 75 परसेंट पैसा उनका था और 25 परसेंट अपना था, तो आपने देखा कि जो 25 परसेंट अपने को लगाना था वह मैं समझता हूं कि जितना चाहिए उससे भी अधिक लगा दिया।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अपने विभाग की असफलता है। 1994 से अपन लड़ रहे हैं और 1998 तक सैंक्शन नहीं करा सके, अपने को भोगना पड़ेगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : हां, वह हमारी असफलता मान लीजिये अगर आपको इसी बात से संतोष है तो। अगर हमारी असफलता में संतोष है तो मान लीजिये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है पर केन्द्र ने पैसा नहीं दिया।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : इसके लिये कौन जिम्मेदार है?

श्री भंवरलाल शर्मा : छोड़िये, मैं यह नहीं चाहता, इसको असफलता में मैं नहीं देखता पर केन्द्र सरकार ने जो पैसा नहीं दिया और अब दिया तो फिफ्टी-फिफ्टी कर दिया इसलिये यह समस्या आ गयी न अपने सामने और इसीलिये थोड़ा विलम्ब भी हुआ मैं अब आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि यह कोई वाद-विवाद का विषय नहीं है। मैंने अभी अध्ययन भी किया है, इसको मैंने देखा है और आपको मेरे से अधिक जानकारी है, मैं आपका सहयोग चाहूंगा। अभी इस डिबेट

(श्री भंवरलाल शर्मा)

के बाद या कभी भी एक साथ मेरे साथ बैठें आप और हमारा पैसा और केन्द्र से मिलने वाला पैसा, इसमें किस प्रकार से इस योजना में पैसा खर्च कर सकते हैं, यदि यह संभव हुआ तो मैं निश्चित रूप से आपकी मदद करूंगा।

जैसे आपने कहा कि मेरी उम्र में तो यह आएगी नहीं, अब आपकी विधान सभा की एम.एल.ए. की उम्र में तो आये कि नहीं लेकिन आपकी उम्र में आ जाएगी।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई। माननीय शिवदानसिंह जी चौहान।

श्रीमती कमला : माननीय सभापति महोदय, स्वायत्त शासन मंत्रीजी द्वारा बार-बार घोषणा की गयी, अखबारों में आयी.....

श्री सभापति : माननीय सदस्या, यह चर्चा अजमेर की थी।

श्रीमती कमला : अनियमित बस्तियों को हम नियमित करेंगे लेकिन आज तक इसमें कुछ नहीं हो रहा है और विधान सभा के बाहर जत्थे आने शुरू हो गये हैं, रैलियां आनी शुरू हो गयी हैं। नियमितीकरण के नाम पर बार-बार जनता को धोखा दिया जा रहा है।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, आसन पैरों पर है।

श्रीमती कमला : उनके कब से वो कार्यक्रम प्रारम्भ करेंगे ?

श्री सभापति : यह समस्या नसीराबाद, अजमेर की है, आप बिराजें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय सभापति महोदय, मैं तैयार हूं। (व्यवधान)

शासकीय वक्तव्य

चित्तौड़गढ़ के गांव मंडफिया स्थित श्री सांवलियाजी मंदिर बोर्ड द्वारा प्रशासन की कथित मिलीभगत

श्री सभापति : माननीय श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, देवस्थान। चित्तौड़गढ़ के गांव मंडफिया स्थित श्री सांवलियाजी मंदिर बोर्ड द्वारा प्रशासन की कथित मिलीभगत से.....

श्री भंवरलाल शर्मा : वह तो वही देंगे।

श्री सभापति : अच्छा।

श्री परसादी लाल मीणा : मेरा ध्यानाकर्षण है, सभापति महोदय।

श्री सभापति : मैंने समझा आपकी जगह आप दे रहे हैं। माननीय शिवदान सिंहजी।

श्री परसादी लाल मीणा : मेरा ध्यानाकर्षण रह गया।

श्री सभापति : आ रहा है, वह भी आ रहा है।

श्री परसादी लाल मीणा : नहीं, पहले मेरा लीजिये न आप।

श्री सभापति : आ रहा है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं दे दूंगा।

श्री परसादी लाल मीणा : कार्य सूची के अनुसार क्यों नहीं ?

श्री सभापति : आ रहा है। यह आसन की जो.....

श्री परसादी लाल मीणा : कार्य सूची थोड़े बदल सकते हैं आप।

श्री सभापति : नहीं, कार्य सूची मैं बदल सकता हूं (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी।

श्री शिवदान सिंह चौहान (राज्य मंत्री, देवस्थान) : सभापति महोदय, श्री सांवलियाजी मंदिर परिसर में आने वाले दर्शनार्थियों की संख्या को देखते हुये वर्तमान मंदिर परिसर अत्यधिक छोटा होने के साथ ही मंदिर के बाहर लैंड स्केपिंग योजनाबद्ध शोपिंग परिसर सर्कल आदि विकसित नहीं होने से दर्शनार्थियों के असुविधा के अभाव को देखते हुये दिनांक 12-6-1995 को मंदिर मंडल की आयोजित बैठक में इस मंदिर परिसर के आसपास मकानों की सर्वे करायी जाकर उन्हें अवाप्ति की कार्यवाही पर मंदिर परिसर का योजनाबद्ध विकास किये जाने तथा अच्छा शोपिंग काम्पलैक्स बनाया जाने का प्रस्ताव दिया गया। इसी संदर्भ में दिनांक 30-5-1996 को बोर्ड बैठक में उक्त योजना की क्रियान्विति के लिये प्रस्ताव संख्या-13 पारित किया गया। तद्नुसार मंदिर विस्तार एवं परिसर विकास के प्रथम चरण में लगभग 47 बीघा 10 बिस्वा भूमि अवाप्ति अपेक्षित थी। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 25-6-96 को उक्त प्रस्ताव की स्वीकृति जारी की गयी।

इस योजना के लिये राज्य सरकार द्वारा भूमि, मकान, दुकान एवं बाड़ा आदि अवाप्ति के लिये भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 4 के तहत दिनांक 10-7-96 को एवं धारा 6 के तहत दिनांक 10-9-96 को अधिसूचना जारी कर उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा को भूमि अर्जन अधिकारी नियुक्त किया गया। अवाप्ति कार्यवाही के विरुद्ध पांच रिट-याचिकाएं उच्च न्यायालय में की गयी जो कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 16-1-97 को खारिज कर दी गयीं। नियमानुसार धारा के अन्तर्गत सुनवाई के पश्चात् अवार्ड जारी किये गये। कुल 100 अवार्ड जारी होने थे उनमें से अभी तक 88 अवार्ड जारी हुये हैं। इनमें से 71 अवार्ड के चैक जारी किये गये और 17 अवार्ड कृषि भूमि के होने तथा मौके पर फसल खड़ी होने के कारण तथा रेफरेंस कार रिव्यू के कारण चैक जारी नहीं किये गये, न ही कब्जे प्राप्त किये गये।

अधिकांश हितार्थी व्यक्तियों ने चैक प्राप्त कर मौके पर कब्जा मंदिर मण्डल के प्रतिनिधि को सुपुर्द कर दिया। 10 व्यक्तियों द्वारा चैक नहीं लेने तथा कब्जा नहीं देने पर नियमानुसार तीन दिन पूर्व सूचना पत्र जारी कर दिनांक 12-6-98 को अवाप्तशुदा मकान, दुकान, बाड़ा, प्लाट आदि को मौके पर मंदिर मण्डल ने कब्जे लेने के लिये कार्यवाही की। दिनांक 12-6-98 को अवाप्ति एवं कब्जे की कार्यवाही के दौरान श्री आदमअली बोहरा, श्री भैंरूलाल सोनी एवं राजमल जैन, निवासी

(श्री शिवदान सिंह चौहान)

मण्डफिया द्वारा शांति भंग करने का प्रयास करने पर पुलिस द्वारा इनके विरुद्ध 107 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये धारा 151 के अन्तर्गत गिरफ्तार कर कार्यपालक मजिस्ट्रेट के यहां प्रस्तुत किया जहां धारा 112 सी.आर.पी.सी. के तहत नोटिस सुनाकर जमानत मुचलके पेश करने का आदेश दिया गया। इसकी पालना गैर सायलान द्वारा नहीं किये जाने पर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। दिनांक 17-6-1998 को वांछित जमानत मुचलके पेश करने पर इन्हें रिहा कर दिया गया। इस प्रकार सम्पूर्ण कार्यवाही न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत की गयी है। किसी प्रकार का कानून का दुरुपयोग नहीं किया गया है।

स्थगन प्रस्ताव में अंकित यह तथ्य भी असत्य है एवं निराधार है कि पिछली बार तीन निरीह घरेलू महिलाओं को धारा 107, 151 के तहत तीन दिन तक जेल में रखकर यह दबाव डाला गया कि वे मुआवजे के अवार्ड ले लें, लौटाये नहीं जबकि सही तथ्य यह है कि पांच महिलाओं द्वारा शांति भंग करने के प्रयत्नशील होने पर पुलिस द्वारा 107, 151 के तहत दिनांक 17-10-96 को कार्यपालक मजिस्ट्रेट, भदेसर को पेश किया गया तथा मजिस्ट्रेट द्वारा दिये गये आदेशों के अनुसार जमानत मुचलके पेश करने में असमर्थ रहने से न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। बाद में दिनांक 20-10-96 को जमानत मुचलके पेश करने पर रिहा कर दिया गया। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि यह मामला दो वर्ष पुराना है। उस समय मंदिर विस्तार एवं परिसर निर्माण हेतु कोई अवार्ड ही जारी नहीं हुआ था जिसे लेने के लिये दबाव का प्रश्न ही नहीं उठता। धारा 91 के तहत 45 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गयी है। जिन लोगों ने वास्तव में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की गयी जिसका भूमि अवाप्ति कार्यवाही से कोई सम्बन्ध नहीं है।

अधिकांश व्यक्तियों द्वारा स्वयं इमारती मेटेरियल हटा लिया गया। जिन कुछ व्यक्तियों द्वारा नहीं हटाया गया, उनके मकान, दुकान का नियमानुसार कब्जा लेने के पश्चात् मंदिर मण्डल द्वारा हटाया गया। हटाये गये मकानों, दुकानों में किसी व्यक्ति का कोई सामान नहीं रहा। प्रस्ताव में अंकित यह तथ्य भी असत्य एवं मनगढ़ंत है कि मोहनलाल झाला, रिटायर्ड फौजी को घसीट कर मकान से बाहर निकाल कर मकान ध्वस्त किया गया तथा सवाईलाल मारू के परिवार वालों को रात्रि में 12 बजे घर से बाहर निकाल कर मकान, दुकान गिराये गये। मुआवजा निर्धारण में कोई अनियमितता नहीं रही है। 2-3 मामले हैं, जिनमें लिपिकीय भूल रही, उनमें रिव्यू की कार्यवाही जारी है। कुछ व्यक्तियों द्वारा रेफरेंस हेतु भूमि अर्जन अधिकारी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर नियमानुसार रेफरेंस सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किये जा चुके हैं। अधिकांश मामलों में संबंधित व्यक्तियों द्वारा मुआवजा राशि के चैक प्राप्त किये जा चुके हैं। मौके पर किसी प्रकार का विवाद नहीं है।

(श्री शिवदान सिंह चौहान)

कंकू बेवा बोतू रैगर नाम की किसी महिला का मकान आदि भूमि अवाप्ति की कार्यवाही में नहीं है, ऐसी स्थिति में किसी कंकू नामक महिला को मन्दिर मण्डल की ओर से जंगल में सिंचाई विभाग के किसी कमरे में अस्थाई तौर पर रखने का प्रश्न ही नहीं उठता। सबागी बाई नामक किसी महिला की दुकानें आदि भूमि अवाप्ति कार्यवाही में नहीं होने से दुकानें तोड़ने का सवाल ही नहीं है। अधिकांश मकानों का उपयोगी मैटीरियल हितार्थी व्यक्तियों द्वारा ले जाने का पूर्ण अवसर दिया जाने के बाद ही वेस्ट निर्माण को तुड़वाया गया है। किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं की गयी है। दौरानें कार्यवाही दिनांक 12-6-98 को स्वयं माननीय विधायक महोदय श्री शंकर भानूदा मण्डफिया में मौजूद थे जिनके द्वारा जन सम्पर्क करने पर अधिकांश व्यक्ति इस कार्यवाही से सन्तुष्ट थे।

श्री भैंरूलाल सोनी द्वारा राजस्व लेख परीक्षण देने की प्रशासन को कोई जानकारी नहीं थी। इस कार्यवाही के बगैर सभी व्यक्तियों को मन्दिर मण्डल की ओर से निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध करवायी गयी तथा दुकान भी उपलब्ध करवायी गयी। जानबूझकर कोई टेलीफोन, बिजली व नल लाइन की अव्यवस्था नहीं करायी गयी है। मन्दिर मण्डल की ओर से संबंधित विभाग पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला गया है। बल्कि ग्रामवासियान की सुविधा को ध्यान में रखते हुये संबंधित विभागों को तुरन्त सुविधाएं बहाल करने हेतु लिखा गया।

इस प्रकार से अधिग्रहण की, की गयी कार्यवाही पक्षपातपूर्ण या दुर्भावना से ग्रस्त नहीं है न ही किसी स्वार्थी को लाभ पहुंचाने का प्रयत्न किया गया है। बल्कि वास्तविकता यह है कि निज मन्दिर व गर्भ गृह में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा रहा है न ही भविष्य में परिवर्तन प्रस्तावित है। निज मन्दिर के बाहर का जो स्वरूप है, आरती के दौरान तथा मेले के दिनों में आने वाले दर्शनार्थियों के लिये जगह काफी कम होकर अधिक भीड़ होने पर मन्दिर परिसर में घुटन होती है, जिसका जीता जागता उदाहरण है कि मन्दिर परिसर की छत पर की गयी कांच की कला का एक हिस्सा वर्ष 1996 में टूट कर नीचे गिर गया जिससे एक दर्शनार्थी गम्भीर रूप से घायल हो गया तथा कइयों के चोट आयीं। कारण कि प्लास्टर आफ पेरिस में नमी के कारण फूलन आने से कांच जगह छोड़ देता है। उक्त स्थान पर सुरक्षा की दृष्टि से वायर गेज लगाया गया है। ऐसी स्थिति में मन्दिर परिसर की छत से कांच हटवाने की आवश्यकता है। इन कारणों से परिसर का विस्तार आवश्यक हो गया है। यह तथ्य गलत है कि इस एरिये में स्थित जैन मन्दिर, एक देवी मन्दिर को तोड़ा जा रहा है। इन्हें तोड़ने का कोई प्लान नहीं है। यह सत्य है कि मेला ग्राउण्ड विस्तार के लिये अवाप्त की गयी भूमि अन्य व्यक्तियों के साथ-साथ मनोनीत अध्यक्ष एवं इनके परिवारजन तथा अन्य

Page No. 93

(93)

(श्री शिवदान सिंह चौहान)

व्यक्तियों के सह-खातेदारी की है। जिसका राजस्व विवाद सक्षम न्यायालय में विचाराधीन होने से अवार्ड तय किया जा चुका है। किन्तु मुआवजा राशि टाइटल तय होने पर तद्नुसार भुगतान के आदेश हुये हैं। इस भूमि के कुछ भाग पर मकानात आदि थे किन्तु भूमि की किस्म राजस्व रिकार्ड में कृषि की ही दर्ज होने व रूपान्तरण नहीं कराने से भूमि की मुआवजा दर कृषि भूमि के अनुसार 2.22 रुपये प्रतिवर्ग फीट तय की गयी है न कि आवासीय दर। स्पष्ट है कि कृषि मुआवजा ही तय किया गया है। आवासीय मुआवजा नहीं जिससे कि मन्दिर को किसी प्रकार की आर्थिक हानि हो। यह तथ्य बिना किसी आधार के अंकित किया गया है। दिनांक 18-6-98 को मन्दिर निर्माण एवं परिसर विस्तार कार्य हेतु निविदाएं आमंत्रित की गयीं। निविदा सूचना की प्रति मेवाड़, मालवा को प्रकाशन हेतु नहीं भिजवायी गयी बल्कि राष्ट्रीय राज्य एवं सम्भागीय तथा स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करवायी गयी है।

वर्तमान में मण्डफिया गांव में किसी प्रकार की तोड़-फोड़ का कार्य जारी नहीं है न ही गांव में किसी प्रकार का आतंक व्याप्त है न ही मन्दिर के मूलस्वरूप को नष्ट किया जा रहा है और न ही श्रद्धालुओं द्वारा दान किये धन का दुरुपयोग किया जा रहा है।

डॉ. शंकर भानूदा (कपासन) : माननीय सभापति महोदय, जैसी कि मुझे आशंका थी, मैंने उस वक्त भी निवेदन किया था कि मंत्री महोदय शायद जो प्रशासन के द्वारा की गयी गलत कार्यवाही है, उसको न्यायोचित ठहराने का प्रयास करेंगे। आपसे हमें न्याय की आशा जरूर है लेकिन मंत्री महोदय से न्याय मिलेगा ऐसी तो पहले भी मुझे आशा नहीं थी। मेरा निवेदन इस सम्बन्ध में यह है कि मण्डफिया गांव में सांवलियाजी के मन्दिर में जिस तरह से प्रशासन ने + + + नृत्य रचा, जिस तरह से बेदर्दी से तोड़-फोड़ की, उन्होंने कहा कि हमने खाली नोटिस दिये हैं, हमने कार्यवाहियां की हैं, हमने धारा-4 और 6 के नोटिस दिये हैं इसमें कोई सन्देह नहीं है। वह सब को पता है लेकिन पीढ़ियों से बसा हुआ जो परिवार है उसको हटाने में जिस तरह की प्रशासन को नजाकत की आवश्यकता होती है, जिस तरह से सेंसेटिव होने की जरूरत होती है वह सेंसेटिविटी का उस वक्त सर्वथा अभाव था।

सभापति महोदय, मन्दिर मण्डल ने और प्रशासन ने यह आपरेशन बिना एनेलजेसिम्स और बिना एनेस्थेसिया के कर दिया। बड़ा वीभत्स दृश्य था। वह जिसने भी देखा वह रोया उस पर। किसी बाहर के आदमी ने जब उन लोगों को रोते हुये देखा, बिलखते हुये देखा तो वह रोये बिना नहीं रहा। मंत्री महोदय ने अभी फरमाया कि इस नाम की कोई महिला ही नहीं। उल्टा मुझे ही असत्य ठहराने की कोशिश की। इस नाम की कोई महिला थी ही नहीं। महोदय, राजस्थान पत्रिका का एक छोटा-सा समाचार पढ़कर सुनाता हूं।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(डॉ. शंकर भानूदा)

आशियाना उजड़ता देख महिलाएं रो पड़ीं। जिला प्रशासन द्वारा विगत पांच दिनों से की जा रही तोड़-फोड़ के दौरान कई मार्मिक दृश्य भी सामने आये। जैन मन्दिर के सामने एक महिला खमाणी बाई, जिसका आप कह रहे हैं कि कोई मकान ही नहीं टूटा है। मकान गांव में किसी महिला के नाम होता है? यह तो विचार एल्पाई करना चाहिए था आपको और जवाब जिन्होंने तैयार किया है उनको। +++ करने की नीयत से खाली लीपा-पोती करने के लिये बयान दिया गया है। गांव में या शहरों में महिलाओं के नाम कितने मकान होते हैं? लेकिन आपने कहा कि कोई मकान उसके नाम पर है नहीं। महिला खमाणी बाई, जिसकी दो दुकानें तोड़ी जा रही थीं, जब मशीन के द्वारा इमारती पत्थरों के टुकड़े-टुकड़े किये जा रहे थे तो वे काबू से बाहर हो गयीं, वह अपने आपको काबू में नहीं रख पायी और फफक-फफक कर रोने लगीं। उस समय उनकी लड़कियां भी रो पड़ीं। रोजगार के लिये अपने पति के साथ आयी प्रेमबाई टेलर अपना आशियाना उजड़ते देख रो पड़ी। गली में रहने वाली लक्ष्मण लाल की पत्नी कौशल्या का भी यही हाल था। मतलब जो भी था उनको जिसने भी देखा वह रोये बिना नहीं रहा। मंत्री महोदय, खाली रोने वाली बात नहीं है, रोने वाली बात ही होती तो उसका फिर भी भावना से ताल्लुक किया जा सकता था। लेकिन असली बात यह है कि जो वहां की ग्राम पंचायत है, मण्डफिया ग्राम पंचायत है जो कि एक संवैधानिक बॉडी है उसको संविधान प्रदत्त अधिकार हैं। उसको अधिकार हैं कि कहीं भी पक्का निर्माण हो वह उसमें दखल कर सकती है। उसके लिये एक नियम बना सकती है। उसको मंजूरी दे सकती है या नहीं दे सकती है इसके लिये प्रपाता बनाम, मैं आपको फैसला पढ़कर सुनाता हूं, साफ लिखा हुआ है पंचायती राज एक्ट की धारा 24 में कि प्रपाता व अपर कलक्टर 1964 एन. एल. डब्ल्यू. 41, इसमें लिखा है कि पक्के भवन के निर्माण के लिये अनुमति/स्वीकृति लेने के बारे में नियमों को वैध माना जाए। माननीय उच्च न्यायालय ने माना है। यही नहीं इसकी धारा- 88 में स्पष्ट लिखा है कि जितनी भी सार्वजनिक जमीनें हैं,

(14.00 बजे)

मन्दिर की जमीन या उस गांव में ग्राम पंचायत की जितनी भी जमीन है उस पर अधिकार ग्राम पंचायत का होगा। लेकिन इन्होंने इस बात की परवाह किये बिना, पंचायत ने एक प्रस्ताव लिया, पंचायत की कोई परवाह नहीं की और उसको पूछा भी नहीं है। उनके मना करने के बावजूद उनकी जमीनों पर, उनके प्लाट्स पर, बाहर के रास्तों पर सब पर इन्होंने कब्जा करना चालू कर दिया। इसमें साफ लिखा है प्रतिलिपि ग्राम सभा, प्रस्ताव आज दिनांक 5-11-96 को स्थानीय पंचायत की ग्राम सभा की बैठक अध्यक्ष श्री राधेश्याम पामेचा की अध्यक्षता में एक बजे प्रारम्भ की

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(डॉ. शंकर भानूदा)

जाकर निम्न कार्यवाही की गयी। प्रस्ताव संख्या पांच, उपस्थिति ग्राम सभा के सभी सदस्यों ने जाहिर किया कि श्री सांवलिया मंदिर मण्डल ग्राम मण्डपिया के अन्दर अक्षर धाम योजना के तहत गांव के काफी परिवार जो गरीब होकर, उनकी समस्त चल-अचल सम्पत्ति नष्ट होकर, करोड़ों रुपये का जनता को नुकसान होकर बेघर हो जाएंगे जबकि एक तरफ राज्य सरकार, केन्द्र सरकार द्वारा गरीब परिवारों को निःशुल्क प्लाट देकर इन्दिरा आवास योजना के तहत लोगों को बसाने का प्रयास करती है उसके बजाय यह उजाड़ने का जो क्रम चल रहा है। उसकी उन्होंने भर्त्सना की, उन्होंने निंदा की कि यह जो काम हो रहा है गलत हो रहा है। ग्राम पंचायत को पूछना क्या? बिना पूछे वह कह रहे हैं कि गलत हो रहा है। पंचायत को पूछने की आवश्यकता नहीं समझी। मैं मंत्री महोदय से पूछता हूं कि क्या पंचायत की स्वीकृति ली गयी थी इसमें? मेरा पहला प्रश्न यह है कि मंदिर निर्माण के लिये क्या ग्राम पंचायत की स्वीकृति ली गयी थी?

दूसरी बात, जिस तरह से पंचायती राज एक्ट का, संविधान का इस तरह से उल्लंघन किया, इसी तरह से उन्होंने रेवेन्यू एक्ट का भी मखौल उड़ाया है, 45 आदमियों के खिलाफ धारा 91 में कार्यवाही कर ली और एक दिन में सजा ठोक दी और कह रहे हैं कि 45 के खिलाफ नहीं की, थोड़े के खिलाफ की। कितनों के खिलाफ की यह लिखा नहीं है इन्होंने, लेकिन गांव में जो आते थे, गांव में अगर किसी के मकान अवाप्ति में नहीं थे कोई उनका साथी है, कोई दूर का रहने वाला है जिसकी अवाप्ति नहीं आ रही है लेकिन आन्दोलन का सिम्पेथाइजर है, उसकी और जमीन को लेकर उसको कैसे तंग किया जाए, उसके लिये उन्होंने कहीं भी उसकी अगर जमीन है उसके पास में बता दिया इसका नाजायज कब्जा है। जैसे कन्हैयादास वैष्णव के नाम पर कोई जमीन ही नहीं थी, एग्रीकल्चर लैण्ड भी नहीं है, वहां उसकी पिताजी की जमीन के पास उसका नाजायज कब्जा बताया जंगल में और उसको तीन महीने की सजा ठोक दी। ऐसे अनेक प्रकरण हैं। 45 आदमियों को एक साथ जेल में बंद करने के लिये पुलिस आ जाए, गांव में कितना हड़कम्प मच जाएगा आप अन्दाज लगा सकते हैं। लोग कलक्टर के पीछे दौड़ते फिरे, हाथ जोड़ते फिरे, हमें किसी तरह से समाधान दो बेल करने के लिये। बेल लेने का अधिकार भी उसी आदमी को था जो कि मंदिर मण्डल का सचिव है। फिर हमने उसको चेन्ज कराकर दूसरे आदमी को कराकर फिर उनसे बेल करायी बड़ी मुश्किल से। मुकदमे कई चल रहे हैं इस तरह के। यहीं नहीं उन्होंने सी.आर.पी.सी. की तो बिलकुल धज्जियां ही उड़ा दीं। मंत्री महोदय ने खुद ने स्वीकार किया है कि पांच महिलाओं को तीन दिन तक जेल में बंद रखा गया। इसी तरह से पांच पुरुषों को 107, 151 में बंद रखा गया। ऐसा क्या बड़ा क्राइम

(डॉ. शंकर भानूदा)

किया उन्होंने ? घरेलू महिलाओं ने घर में काम करने वाली, रोटी बनाने वाली महिलाओं ने ऐसा कौनसा अपराध कर दिया कि उनको तीन महीने तक जेल में रखना पड़ा। यह कौनसा कानून है मंत्री महोदय फरमा दें कि उन्होंने जमानत मुचलके नहीं दिये। उनसे पच्चीस-पच्चीस हजार की जमानत मांगी गयी। कुल सवा लाख की जमानत होती है। एक ठेकेदार ने उसी वक्त जाकर कहा कि यह सवा लाख की जमानत लो, इन महिलाओं को छोड़ दो। लेकिन उस तहसीलदार को उन्होंने उस वक्त गायब कर दिया। तीन दिन तक तहसीलदार के पीछे दौड़ते रहे। कहां है, कहां है, कौन जमानत देगा बाद में दूसरे अधिकारियों से सम्पर्क किया तब भी नहीं हुआ। तब श्री ललित किशोर जी चित्तौड़ पधारे। तब मैंने इनके सामने कमरे में हाजिर होकर कहा कि आप इस कमरे से जा नहीं सकते जब तक कि इन महिलाओं को मुक्ति नहीं मिलेगी तब जाकर इन्होंने कलक्टर से बात करके बड़ी मेहरबानी की।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आपने यह नहीं कहा कि जा नहीं सकते। मैंने तो वैसे ही आपके कहने से कर दिया।

डॉ. शंकर भानूदा : मैं कह रहा हूं। मैं मान रहा हूं कि आपने बड़ी मेहरबानी की, उन निरीह महिलाओं पर बड़ी मेहरबानी की आपने कि तीन दिन जेल में रखकर छोड़ दिया। यह बड़ी मेहरबानी हुई है। मेरे ख्याल से स्वतन्त्र भारत के इतिहास में इतने छोटे मामूली केस में, उनकी गलती यह थी कि अध्यक्ष के दो-चार चप्पल लगा दी थी। हकीकत यह थी, उसका बेटा भाई था, अध्यक्ष कोई खुदा थोड़े ही था। उनके गांव का उनका भाई-बेटा था। अगर उनके झोपड़े उजाड़ने की बात करता है तो गुस्सा आ भी सकता है, 323 के अलावा कौनसी धारा लगती, 107 व 191 में किस तरह से उनको बंद किया गया है। जबर्दस्ती उनको बंद करके अन्दर रखा गया है। यह हमारे प्रदेश के लिये शर्म की बात है कि महिलाएं इस तरह से छोटे-छोटे जुर्मों में तीन-तीन दिन क्रिमिनल्स के साथ में जेल में सड़ती रहती हैं।

सभापति महोदय, मैं प्रश्न अब पूछ रहा हूं खास-खास। मैं अभी तो भूमिका बना रहा था। सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि किस तरह से जुर्म हुआ। इसको तो यहां बैठकर मैं कह भी दूंगा तो पूरी तरह समझ में आएगा नहीं। मेरा तो उस वक्त ही निवेदन था कि मंत्री जी तो खाली लीपा-पोती करेंगे। सदन की कोई समिति वहां जाकर देखें कि असलियत क्या है, हकीकत क्या है। उस बात को नहीं माना और अब मान लें तो बहुत बढ़िया है। नहीं मानें तब भी कुछ रिलीफ मैं चाहता हूं जैसे कि सभी विस्थापित जिनके मकान टूट गये उनको जाति या बिरादरी देखकर नहीं, जिसका मकान टूट गया वह सभी गरीब हैं। मकान जिस जाति के आदमी का टूट गया उसके पास क्या बचा है, तो उन सबको किसी तरह से आल्टरनेटिव प्लाट देने

(डॉ. शंकर भानूदा)

का साइट प्लान है क्या? मंत्री महोदय, पहले बताइये। मंत्री महोदय ने प्लाट नहीं दिये इसकी वजह से लोगों ने एग्रीकल्चर लैण्ड में मकान बनाना चालू कर दिया। इस तरह इल्लीगल एक्टिविटी को बढ़ावा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। लोगों ने अपने खेत पर, कुए पर अलग अलग जाकर खेती की जमीन खरीदकर खुद के मकान बनाने चालू कर दिये। दूसरा प्रहार तब होगा उनका एग्रीकल्चर से हटाने के लिये नोटिस आएंगे, तहसीलदार, पटवारी उनके पीछे पड़ेंगे, उनको परेशान करते फिरेंगे इसलिये अच्छा हो कि इसकी योजना बनाकर सही जगह उनको बसाया जाय और उनको अल्टरनेटिव प्लाट साइट दी जाए 91 की कार्यवाही जिन 45 आदमियों के खिलाफ की है, उनको जमीन का मुआवजा नहीं दिया, खाली स्ट्रक्चर का मुआवजा दिया। अगर जमीन का मुआवजा देना सम्भव नहीं हो, हालांकि 91 की कार्यवाही फर्जी है क्योंकि वह पीढ़ियों से रह रहे हैं। उन्होंने कब्जा नहीं किया। उनके पुरखों ने, कभी मान लो इनकी रेवेन्यू जमीन होगी भी लेकिन इसमें पीढ़ियों से वह लोग रह रहे हैं, उसमें काबिज हैं उनको मुआवजा जमीन का नहीं मिला है। मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय क्या थोड़ी कृपा करेंगे इतनी सी कि इन 45 आदमियों को भी अल्टरनेटिव प्लाट साइट देंगे? 45 को नहीं दो तो जिसका मकान टूटा है, 45 को देना सम्भव नहीं है, जरूरी भी नहीं, जंगल में भी नाजायज कब्जे बता रखे हैं, 45 तो नहीं होंगे लेकिन कम से कम 15-20 के आसपास हैं ऐसे जिनके मकान टूटे हैं उनके प्लाट का मुआवजा उनको नहीं मिला। कम से कम उनको मुआवजा देने का क्या मंत्री महोदय प्रयास करेंगे?

तीसरी बात, जिनके चैक जारी नहीं हुये। अभी मंत्री महोदय ने खुद ने फरमाया था चैक अवार्ड जारी नहीं हुये। उनको कब तक जारी हो जाएंगे और कब तक यह लेन-देन का मामला खतम हो जाएगा? यह फरमाएं।

इसके अलावा अब असली बात यह है कि मंत्री महोदय ने साफ लिखा है इसमें, मैं, आप चाहें तो, इसको पढ़कर सुनाता हूं मन्दिर के मूल स्वरूप को नष्ट नहीं कर रहे हैं। मुझे इनके लिखे हुये में साफ लग रहा है कि मन्दिर का मूल स्वरूप नष्ट हो रहा है। इसमें लिखा है इन्होंने गांव में किसी प्रकार का आतंक व्याप्त नहीं है न ही मंदिर के मूल स्वरूप को नष्ट किया जा रहा है, न ही श्रद्धालुओं द्वारा दान किये गये धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। इस प्रकार से अधिग्रहण की गयी कार्यवाही पक्षपातपूर्ण या दुर्भावना से ग्रस्त नहीं है, न ही किसी स्वार्थियों को लाभ पहुंचाने का प्रयत्न किया गया है बल्कि वास्तविकता यह है, वास्तविकता क्या है जो आप सुन लें, सभापति महोदय, कि निज मंदिर व गर्भ गृह में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। गर्भ गृह कितना होता है मंदिर में, इतना सा होता है जिसमें मूर्ति

(डॉ. शंकर भानूदा)

बैठी रहती है। असली तो उसका नृत्य मंडप होता है। जहां आरती होती है वह असली जगह होती है, मंदिर का मंडप, मंदिर का शिखर भी उसमें होता है। इन्होंने आगे लिखा है उसको तो नहीं करेंगे। ठीक है।

श्री सभापति : आप तो अपनी बात कहिये। इन्होंने लिखा है वह तो सबने सुन लिया।

डॉ. शंकर भानूदा : भविष्य में परिवर्तन प्रस्तावित है नृत्य मंडप में, निज मंदिर के बाहर का जो स्वरूप है आरती तथा मेले के दौरान बाहर से आने वाले दर्शनार्थियों को तकलीफ होती है इसलिये उसको परिवर्तित कर दिया जाए। यह लिखा है, की गयी कांच की कला, कला मान लिया है। बड़ा अहसानमंद हूं मंत्री महोदय और प्रशासन का, जिन्होंने इसको कांच की कला मान लिया। अब कला मानने का क्या उपचार किया गया, जो आप सोच सकते हैं। की गयी कांच की कला का एक हिस्सा वर्ष 96 में टूट गया था, नीचे गिर गया था जिससे एक आदमी जख्मी हो गया। उक्त स्थान पर सुरक्षा की दृष्टि से वायरगेज लगाया गया ताकि ऊपर और नहीं टूटे। ऐसी स्थिति में मंदिर परिसर की छत से कांच हटवाने की आवश्यकता है। फिर क्या मूल स्वरूप रहेगा? वह मंदिर ही कांच का है। कांच की पच्चीकारी के लिये इस मंदिर को साइटेशन है ललित कला की पुस्तकों में। ऐसा कलात्मक मंदिर, कांच का कलात्मक मंदिर उसका इलाज करेंगे, कांच हटा कर।

सभापति महोदय, आपको याद होगा। शायद सब लोग जानते होंगे कि जगन्नाथपुरी टैम्पल जो बना हुआ उसमें अंदर गुम्बद से बड़ी-बड़ी चट्टानें नीचे गिर गयी थीं। क्या उस मंदिर को तोड़ने का प्लान बना दिया? मंदिर को हटा लेंगे? सारे मंदिर हटा लो ताकि और चट्टानें नहीं गिरें। उसके बावजूद वह उसको रिपेयर कर रहे हैं। मेरी आपसे विनम्र विनती है कि कला के इस बेजोड़ नमूने को नष्ट होने से बचाया जाए। वहां जो टूट गया है उसको रिपेयर कराएं, न कि उसको हटाएं। हटाने की कार्यवाही कला के दुश्मन ही कर सकते हैं। कला के पारखी, कला से प्रेम करने वाले लोग नहीं कर सकते और गांव वालों की भावना इस तरह की है मैंने व्यक्त कर दी आपके सामने, धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय लक्ष्मण सिंहजी। (व्यवधान) बाकी सब लोग बिराज जाएं। (व्यवधान) मैंने सबके नाम नोट कर लिये आप जो बोलना चाहें सबको मौका दूंगा। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) : माननीय सभापति महोदय, इस जन विरोधी सरकार के द्वारा जिस बर्बरतापूर्वक और निर्दयतापूर्वक तरीके से सांवलिया सेठजी के मंदिर के मूल स्वरूप को नष्ट करने के कुत्सित प्रयास किये गये, वह अत्यन्त निन्दनीय है।

मैं तो माननीय मंत्रीजी, जो बड़े सज्जन मंत्री हैं और नये हैं, उन्होंने जो अभी स्टेटमैंट दिया और जिस प्रकार से आफिसर्स ने, प्रशासन ने आपको मिसगाइड करके फैक्ट्स को डिस्टोर्ट करके, तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर एक पक्षीय बात प्रस्तुत कर दी यह उससे भी

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत)

ज्यादा निन्दनीय है। इसलिये कृपया आप उप तथ्यों की गहराई में जाएं और व्यक्तिगत आप वहां जाकर इस बात को मालूम करें कि जो यह फैक्ट्स प्रस्तुत किये उनमें कितना दम है और माननीय शंकर भानूदा जो वहां से आए हैं उन्होंने कितनी बात सही कही है?

मैं कुछ पाइंटेड प्रश्न ही पूछना चाहूंगा कृपया बताने का कष्ट करें। वहां पर मकानों की तोड़-फोड़ नहीं की गयी थी लगातार चार-पांच दिनों तक और अपने घर के मकानों को तोड़-फोड़ से बचाने के लिये जब महिलाएं सामने आयी तो क्या उस वक्त महिलाओं के ऊपर 107 और 151 के केसेज नहीं बनाये गये? क्या पंचायत से यह सारी कार्यवाही करने के लिये टैम्पल बोर्ड ने एन.ओ.सी. ली थी? क्या मंदिर के मूल स्वरूप को नष्ट नहीं होने दिया जा रहा है? जैसा कि बताया गया कि वहां जो कांच का इंटीरियर डेकोरेशन किया हुआ है, वह भारत वर्ष में प्रसिद्ध डेकोरेशन है। अगर उस डेकोरेशन को, कांच के डेकोरेशन को तोड़ने का प्रयास करेंगे, या तोड़ेंगे तो क्या वह मूल स्वरूप नष्ट होने की केटेगरी में नहीं आएगा? क्या डरा-धमकाकर वहां पर जिनके लिये भी अवार्ड 86 को दिया गया उसमें से अभी बताया गया कि 71 को अवार्ड ले लिया है। उनको डरा-धमकाकर प्रशासन की मदद से एक तरह से उनको कुछ मेंटली टार्चर करके उनको अवार्ड थमाये गये हैं, क्या इसमें सच्चाई नहीं है इसी मंदिर के पीछे एक जैन मंदिर है। बिलकुल सटा हुआ है तो आप मंदिर का एक्सपेंशन करने की आज सोच रहे हैं तो कल स्वाभाविक है एक्सपांशन सिर्फ आगे से ही नहीं होता है, एक्सपांशन वह पीछे से भी होगा, तो क्या वह जैन मंदिर, आज आप एक काम कर रहे हैं, तो वह प्रभावित नहीं होगा? उसको हटाने या उसके मूल स्वरूप को नष्ट करने का भी आपकी तरफ से कुत्सित प्रयास नहीं किया जाएगा, कृपया इसका जवाब देने का कष्ट करें।

इसके साथ-साथ में एक बात और बताएं मंत्री महोदय, क्योंकि आप नाथद्वारा से आते हैं, एक बार नाथद्वारा में भी इसी प्रकार का मास्टर प्लान बना था। सर्वविदित है कि नाथद्वारा में भी काफी कंजेशन है। काफी वहां पर सकड़ाई है और इसी प्रकार से योजना बनी थी कि वहां पर भी मकानों को एक्वायर करके और फिर तोड़-फोड़ करके किसी प्रकार से उसका भव्य स्वरूप बनाया जाए। लेकिन जब जनता ने इसका विरोध किया तो आपकी इस योजना की क्रियान्विति नहीं हो पायी। कृपया आप इस बात को भी स्पष्ट करने का कष्ट करें, क्योंकि आप नाथद्वारा के हैं।

इसके साथ-साथ मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगा कि जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया कि जिनके मकान नष्ट हुये हैं भविष्य में उनकी क्या आप वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे, उनको आप किसी अन्य स्थान पर जमीन देंगे? और आपने अभी उनको जो मुआवजा दिया है। वह जैसा कि आपने स्वयं स्वीकार किया है कि मुआवजा आपने एग्रीकल्चर लैंड

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत)

के हिसाब से दिया है। मकान तो तोड़ रहे हैं आवासीय और मुआवजा दे रहे हैं एग्रीकल्चर। इसलिये क्या आप उनको आवासीय भूमि के हिसाब से मुआवजा देने पर विचार करेंगे? अन्य उनको स्थापित करेंगे और उनकी इस तरह से चाहे सरकार की तरफ से चाहे टैम्पल बोर्ड की तरफ से तो विस्थापित हुये हैं उनकी किस प्रकार से सहायता करेंगे? कृपया मेरे इन पाइंटेड प्रश्नों का जवाब देने का कष्ट करें।

श्री सभापति : माननीय श्री राजेन्द्र सिंहजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (शिक्षा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, यह विषय जब तक इसकी जो मूल बातें हैं वह नहीं आएंगी तो हाउस शायद यह सोचेगा कि सारा ही गलत कर दिया है और उसी विषय में सब लोग बोलने का क्रम करेंगे। मैं निवेदन.....

श्री राजेन्द्र चौधरी : सभापति महोदय, देवस्थान मंत्रीजी अपना जवाब दे, देंगे..... (व्यवधान)

श्री सभापति : हां, बिराजिये, वक्तव्य में कोई कमी रह गयी है तो आप बता दें तो कोई ऐतराज की बात नहीं।

श्री राजेन्द्र चौधरी : देवस्थान मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। देवस्थान मंत्रीजी.....

श्री सभापति : हां देंगे सब, पर आप बिराजिये। (व्यवधान) क्या आप सब एक साथ बोल रहे हैं अंकित हो रहा है?

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : सभापति महोदय, एक गलत परम्परा पड़ जाएगी। इनकी सबकी बात सुन लें फिर आप कह दीजिएगा। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप सब बिराजिए कृपा करके।

श्री राधेश्याम गंगानगर : सभापति महोदय, हमने भी नाम दे रखा है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र चौधरी : सभापति महोदय, कोई भी बात कहें, पहले सुन तो लेवें सबको। बीच-बीच में ही कह देंगे तो फिर जवाब क्या रह जाएगा।

श्री राधेश्याम गंगानगर : जवाब तो इनको ही देने हैं। जवाब तो..... (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया बिराजिये। सुनने तो लीजिए माननीय मंत्री महोदय क्या कहते हैं।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : सभापति महोदय, एक ही प्रश्न पूछना चाहती हूं (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : हमें कोई ऐतराज नहीं है माननीय कटारिया साहब, हमें कोई ऐतराज नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति : मैं समझ गया आपकी बात, पर मंत्री महोदय क्या कहना चाहते हैं सुन तो लीजिये। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : लेकिन स्टेटमैंट के बाद में हमारी बात पूरी हो उसके बाद आप कहिएगा। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : सभापति महोदय, यह बड़ा सेंसेटिव मामला है। (व्यवधान)

श्री सभापति : सब एक साथ बोलते हैं..... (व्यवधान) आप आसन की व्यवस्था के अनुसार तो कीजिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : मैं जो कह रहा हूं वही कह रहा हूं न। देवस्थान मंत्री तो आप हैं नहीं। (व्यवधान) क्या बात हुई ?

श्री सभापति : माननीय लक्ष्मण सिंहजी, आप बोल चुके, कृपया बिराजें। माननीय राजेन्द्र सिंहजी बोल रहे हैं। माननीय, ऐसा है मंत्रिपरिषद् के अन्दर जोइंट सेवरल रेस्पोंसिबिलिटी होती है। कोई भी मंत्री किसी भी बात का जवाब दे सकता है। इसलिये देवस्थान मंत्री होना आवश्यक नहीं है।

श्री मोहनलाल मोदी : उनको मंत्री बनाया है, देवस्थान मंत्री, वह लायक नहीं हैं क्या ? (व्यवधान) जिन्होंने जवाब दिया है उनकी काबलियत में कोई शक है क्या ? (व्यवधान)

श्री सभापति : आपके इस आब्जर्वेशन की आवश्यकता नहीं है। आप बिराजें। (व्यवधान) आप बिराजिए न। माननीय श्री राधेश्यामजी, बिराजें माननीय श्री राजेन्द्र सिंहजी।

डॉ. शंकर भानूदा : सभापति महोदय, यह कमी रही है कि..... (व्यवधान)

श्री सभापति : डॉ. साहब, आप पीछे पूछ लेना। मैंने राजेन्द्र सिंह जी का नाम ले दिया। मैं आपको दुबारा चांस दे दूंगा। आप बिराजें।

श्री राजेन्द्र चौधरी : सभापति महोदय, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर जब सदन के माननीय सदस्यों ने स्थगन दिया, सदन को इस चिन्ता से अवगत कराया कि मंडफिया गांव के ग्रामीणों के साथ में किस तरह से अत्याचार किये गये और सांवलियाजी के मंदिर के बारे में.....

श्री सभापति : कृपया जो कह दी गयी बात, वह कहकर आप, सारे सदन का समय बहुत कीमती है। आगे और महत्वपूर्ण बातें आनी वाली हैं, जो नहीं कही गयी हैं, वह कहें।

श्री राजेन्द्र चौधरी : मैं वही कह रहा हूं। मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया उसमें कुछ बातें मैं पूछना चाहूंगा। एक तो जो उत्तर दिया गया है उसमें यह कहा गया है कि तीन दिन की सूचना दी गयी। आप मंत्री महोदय नोट करें। मैं स्पेसिफिक ही पूछ रहा हूं और उसके बाद में दस व्यक्तियों के मकान तोड़े गये, नम्बर एक। इस बारे में कोई सूचना नहीं दी गयी यह असत्य उत्तर है। नम्बर दो, 25 लोगों को चैक नहीं मिले और उनके मकान तोड़ दिये गये। 11 लोगों को अवार्ड ही जारी नहीं

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

हुये। उनके मकान तोड़ दिये गये। यह एक अलग बात है कि जबरदस्ती अवार्ड दिये गये। वह एक अलग कहानी है। पर मैं तो यह कह रहा हूं जो फैक्ट्स हैं। अवार्ड ही नहीं दिये गये उनके मकान तोड़ दिये गये। इसी तरह से वहां पर यह कंकू बेवा बोतू रैगर और दूसरी महिला खमानी बाई के बारे में जो हमने कहा था कि वह रो-रो करके बोल रही थी। मंत्री महोदय ने कहा कि इस तरह की कोई महिलाएं वहां हैं ही नहीं और न इनका कोई सम्बन्ध है।

तीसरी बात, भैंरूलाल सोनी, वहां पर कांग्रेस की तरफ से जो धरना दिया जा रहा था। उस धरने पर लोग बैठे थे। कार्यकर्ता बैठे थे इसके प्रोटेस्ट में, इसके विरोध में। वह भी बैठा हुआ था। उसको अरेस्ट किया गया। वह राजस्व लेखा परीक्षा देने से वंचित रह गया। मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है कि सरकार को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि वह कोई परीक्षा देना चाहता था। यह बिलकुल असत्य सूचना है। सभापति महोदय, आप जानते हैं कि सदन में जब भी कोई महत्वपूर्ण बात उठती है तो मंत्री महोदय का जो जवाब दिया जाता है, सरकार की तरफ से जो बोलते हैं, उनको अधिकारी लोग सूचना देते हैं उसके आधार पर बोलते हैं। शिक्षा मंत्री जी के पास पहले यह विभाग रहा है इसलिये शायद वह अपनी बात कोई कहना चाहते हैं, वह कह दें। यह देवस्थान विभाग पहले मेरे पास भी रहा है इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य जब कोई सूचना देते हैं सदन में तो उन सूचनाओं को मंत्री महोदय को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और अधिकारियों द्वारा जो सूचना दी जाती है वह एक पक्ष की होती है। माननीय सदस्य कोई और सूचना देते हैं तो उनका स्वागत करना चाहिए और उनके बारे में मंत्री महोदय को जानकारी करनी चाहिए।

श्री सभापति : श्री शैलेन्द्र जोशी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : सभापति महोदय, मेरा पहला सवाल है कि यह जो अवार्ड दिये गये हैं एक-एक एनफोर्सड अवार्ड है और इसमें जो अग्रीड पर्सन हैं उनको बाई पार्टी हियरिंग की अपार्च्युनिटी नहीं दी गयी। जो कि नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस का फर्स्ट प्रिंसिपल है। दूसरा मेरा निवेदन करना यह है कि यह जो मकान ध्वस्त कर दिये, डिसमेंटल, उन लोगों को किस जगह बसाया जाएगा। यह लोकेशन नहीं हो पायी है जगह कि किस जगह, किस लोकेलिटी में, कितने डायमेशन एरिये में इनको बसाने की योजना है। इसके अतिरिक्त मेरा यह भी निवेदन है कि यह जो अभी तक अवार्ड के लिये कहते हैं यह अवार्ड उनको, क्योंकि वह आबादी क्षेत्र में रहते थे तो उनको आबादी क्षेत्र की जो रेट्स हैं उसके हिसाब से अवार्ड दिया जाना चाहिए थे। कंपनसेशन का कैलकुलेशन के हिसाब से, लेकिन उनको आबादी क्षेत्र का अवार्ड नहीं दिया गया और इसलिए उनका जो मूल, जहां

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

पर वह रिहाइश करते थे डाइमेंशनल डायमेंशन में उसके अकार्डिगली उन्हें उचित मूल्य नहीं दिया गया। जो विस्थापित हैं जिनको डिसमैंटल कर दिया गया। ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक तरफ मंदिर बनाने का ढोंग करती है। दूसरी तरफ मंदिरों में व्यावसायिक कामर्शियल काम्पलेक्स करवा करके बड़ी-बड़ी हाइएस्ट बिडिंग लगाकर के अपने-अपने चहेतों को लाखों की दुकानें आगे कामर्शियल काम्पलेक्स के रूप में देना चाहती है। उसका ही यह एक न्यू एग्जाम्पिल आपके सामने हैं। इसमें टेम्पल बोर्ड है। उससे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस प्रकार का प्रस्ताव पास करवाकर, पंचायत से एन.ओ.सी. ली नहीं और हमारे जितने भी हिन्दुओं के धार्मिक स्थान हैं, श्रीमान् यह राजस्थान की स्थापत्य कला का अनुपम और अनूठा.....

श्री सभापति : यह बात आ चुकी। श्रीमती इंदिरा मायाराम।

श्री शैलेन्द्र जोशी : ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा यह मंदिरों की कीमती जमीन अपने चहेते लोगों को दुकानें अलाट करने में साजिश है और बहुत निंदनीय कृत्य है। यह क्या सभ्यता, संस्कृति की रक्षा करेंगे। जो हमारे हिन्दुओं के मंदिरों को कामर्शियल काम्पलेक्स बनाने के नाम पर लोगों को विस्थापित कर रहे हैं और पवित्रता का एक वातावरण है उसको अपवित्र कर रहे हैं।

श्री सभापति : हो गयी बात। माननीय जोशी जी, हो गयी। माननीय श्रीमती इन्दिरा मायाराम।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : सभापति महोदय, मेरे तो दो-तीन सीधे सवाल हैं। पहला प्रश्न यह है कि मंदिर की जो ओरिजनल स्थिति है उसको बदलने की आवश्यकता क्यों महसूस की गयी? अगर उसमें छोटी-मोटी जैसी कि उन्होंने बताया, जरूरत थी ठीक करने की तो वह ठीक करने के लिये पूरे मंदिर के आसपास के मकानों को तोड़कर के महिलाओं को वहां पर गिरफ्तार करने के लिये, तंग करने के लिये, आसपास रहने वालों को परेशान करने की आवश्यकता क्यों महसूस की गयी? और अगर की गयी तो वहां के आसपास उन लोगों से मंदिर को बढ़ाने की, मंदिर का रूप बदलने के बारे में चर्चा करवे उनको राजी क्यों नहीं किया गया? क्यों एक दिन जाकर के वहां पर बुलडोजर गया और जाकर के सारे मकान तोड़ दिये गये? ऐसी कौनसी आवश्यकता इतनी ज्यादा आ गयी थी, तूफान आ रहा था कि वह बुलडोजर द्वारा तोड़ना जरूरी हो गया।

दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि जो इसमें कहा गया है कि महिलाओं की तीन दिन तक जमानत नहीं की गयी। वहां पर जो कीमती सामान मिला, जिसमें चांदी के सिक्के भी बताये जाते हैं, वह सामान कहां गया, किसने लिया? उसके बारे में कोई जानकारी मंत्री महोदय ने नहीं दी और चौथा प्रश्न मेरा यह है कि क्या अब भी मंत्री महोदय यह इरादा

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

रखते हैं कि वह ओरिजनल, जो उसका शेष है या जैसा बता रहे हैं वह कांच का, उसमें बने हुये, बहुत पुराने मंदिर में है उनको बदलने का इरादा रखते हैं। बस यही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : माननीय श्री हरिसिंह (कुम्हेर)।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : सभापति महोदय, मैं सरकार से पूछना चाह रहा हूं कि क्या यह सही नहीं है कि वह लगातार पिछले दो साल से मण्डफिया गांव में लॉ एण्ड आर्डर की प्राब्लम के नाम पर टेरर पैदा करके यह काम कर रहे हैं और ऐसी बात नहीं है तो दो साल पहले 12-6-98 को जो तीन आदमी गिरफ्तार किये गये, 17-10-96 को जो पांच महिलाएं गिरफ्तार की गयीं वह किस सिलसिले में की गयी? आप कहते हैं कि शांति भंग करने के सिलसिले में की गयीं। शांति भंग क्यों हुई थी? आप उनके मकान तोड़ने जा रहे थे, बगैर अवार्ड दिये मकान तोड़ रहे थे। बगैर नोटिस दिये उनके मकान तोड़ रहे थे। इस सिलसिले में शांति भंग पैदा की या किसी दूसरी पार्टी के कारण से शांति भंग पैदा हुई? 107, 151 में जब आदमी गिरफ्तार किया जाता है तो दो पार्टियां हुआ करती है। दूसरी पार्टी कौनसी थी? जिसके संबंध में औरतों को गिरफ्तार किया गया?

एक बात दूसरी मैं पूछना चाहता हूं कि औरतों को अगर जमानत नहीं मिलती है तो मुचलकों पर छोड़ दिया जाता है। इस संबंध में ऐसी क्या कार्यवाही हुई कि औरतों के लिये 17.10 से लेकर 20-10-96 तक बंद रखा गया। तीसरी बात आपसे जानना चाहता हूं कि जो मकान बने हुये थे वहां पर, क्या उन मकानों को मुआवजा दिया गया या बगैर मुआवजा के मकान तोड़े गये हैं? मकान जो तोड़े गये हैं वह किसके आदेश से तोड़े गये हैं? स्पेसिफिक किस अथोरिटी के आदेश से मकान को तोड़ने के लिये, किस कानून के अंतर्गत मकान तोड़े गये हैं और जब कि आप कहते हैं कि अभी तक अवार्ड डिक्लियर नहीं किया गया है, क्या वह मकान तोड़ दिये हैं? दूसरी बात, मैं आपसे यह पूछना चाह रहा था कि जिन महिलाओं का आपने नाम लिया है कंकू का और खमानी बाई का, कहते हैं कि उनके नाम ही नहीं है उसके अंदर। इन लोगों के परिवार के, इनके पति के या इनके बेटे का मकान इसके अंदर आया हुआ है। अगर आया हुआ है तो उनको अवार्ड दिया गया है या नहीं दिया गया है? मैं यह आपसे जानना चाहता हूं मैं यह पूछना चाह रहा था आपसे कि यह मंदिर की जो परिसर गिरी है, उसकी आप केवल मरम्मत कर रहे हैं या तोड़ के दूसरी जगह पर कोई अन्य मंदिर बनाना चाह रहे हैं? यह मेरा आपसे प्रश्न है।

श्री सभापति : माननीय परसादी लाल जी।

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : सभापति महोदय, मेरा देवस्थान मंत्री महोदय से पहला सवाल तो यह है कि इस ट्रस्ट के अध्यक्ष और सदस्य कौन-कौन हैं? क्या

(श्री परसादी लाल मीणा)

स्थानीय विधायक वहां के इसके सदस्य हैं या नहीं है? दूसरा मेरा सवाल यह है कि जैसा कि आपने जवाब में बताया कि मेला ग्राउंड विस्तार के लिये अवाप्त की गयी भूमि अध्यक्ष और उसके परिवारजनों की संयुक्त खातेदारी की है जिसका न्यायालय में विवाद चल रहा है। अवार्ड आपने दिया नहीं क्योंकि विवाद चल रहा है। मुआवजा आपने तय कर दिया कि यह देंगे। लोगों के सैकड़ों वर्षो से वहां मकान बने हुये हैं। खातेदारी उसके अध्यक्ष के नाम है। अध्यक्ष ने पहले तो जमीन उनको बेच दी और अध्यक्ष उस जमीन का मुआवजा खुद हड़पना चाहता है। यह सारी जो कार्यवाही मंदिर को नहीं, अध्यक्ष अपने स्वार्थ के लिये कर रहा है मंत्री महोदय और अध्यक्ष का मनोनयन आपकी सरकार ने किया है। आप इस तरह से लोगों को, अपने अध्यक्ष को फायदा देने के लिये, अपनी पार्टी के लोगों को फायदा देने के लिये आप गरीब लोगों का क्यों + + + करवा रहे हैं?

श्री सभापति : माननीय श्री पारीक जी।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : सभापति महोदय, यह जो उत्तर आया है इसमें इन्होंने यह फरमाया है कि 107,151 के इस्तगासे में जमानत इसलिये नहीं हो सकी क्योंकि जमानत पेश करने में वह असमर्थ रहे। सरकार की मंशा साफ जाहिर होती है इस बात से। साधारण से साधारण सड़क पर बैठा हुआ आदमी भी यदि किसी 107, 151 के मामले में फंसता है। तो उसको कोर्ट परिसर में जमानत देने वाले मिल जाते हैं। ये संभ्रात लोग, जो वहां पर अपने मकान बनाकर रह रहे हैं, वहां पर बरसों से आबाद हैं, वहां के स्थाई वाशिंदे हैं, जिनकी अपनी एक हैसियत है, अपना एक स्टेट्स है, ऐसे लोगों के बारे में सरकार ने सुना दिया कि वे असमर्थ रहे अपनी जमानत मुचलके करवाने के लिये और उन महिलाओं को तीन दिन तक जेल में रखा। इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति हो नहीं सकती। यदि महिलाओं को जमानत मुचलके नहीं मिल भी रहे थे तो सरकार का यह निजी दायित्व था कि वह अपने स्तर पर व्यवस्था करके उन महिलाओं को अपने घर भिजवाती।

माननीय सभापति महोदय, किसी भी भले परिवार की औरत तीन दिन तक जेल में रह जाए, क्या स्थिति उसकी होगी और क्या उस परिवार की इज्जत बाकी रह जाती है? सभापति महोदय, मंदिर का मामला तो अलग रह जाता है, सरकार की मंशा बता रहा हूं। सरकार की बिलकुल यह जानबूझकर मंशा है, माननीय कटारिया साहब, उनकी पैरवी में लगे हुये हैं। माननीय कटारिया साहब, आज जिन लोगों के लिये मंदिर तोड़ रहे हैं, यकीन मानिए, किसी दिन यही हाउस होगा, आप यही पर बैठे होंगे और आप यह कहेंगे कि हमारे जैन मंदिर तोड़े जा रहे हैं। ये जैनों के वैसे ही विरोधी हैं।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

Page No. 106

(106)

श्री सभापति : माननीय परसादीलालजी, विराजें। संयम रखें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : आप बोल दें, जो बोलना चाहें, फिर सुनने के लिये भी तैयार रहें, मैं एक-एक का जवाब दूंगा।

श्री राजेन्द्र पारीक : मैं जवाब सुनने के लिये तैयार रहूंगा। लेकिन मेरा निवेदन सिर्फ इतना-सा है कि जिस मंदिर को तोड़ा जा रहा है, उसके बारे में एक कमेटी गठित होनी चाहिए थी, उसके मूल स्वरूप को नष्ट नहीं किया जाए, आपको इसके लिये सुनिश्चित करना चाहिए। आपने फरमा दिया..... (व्यवधान) एक बात और कहूंगा। मैं थोड़ा-सा निवेदन कर रहा हूं कि जिन आवासीय बस्तियों को इन्होंने कृषि भूमि मानकर तोड़ दिया, कोई भी व्यक्ति अपने दिल पर हाथ रखकर देखे और स्वयं माननीय मंत्रीजी, आप तो नाथद्वारा से आते हैं, नाथद्वारा की जनता आपसे हिसाब मांगेगी वहां पर। जो लोग कृषि भूमि पर अवस्थित हैं, उन लोगों को कम से कम एक मानवता के नाते तो आपको सोचना चाहिए था कि आज जो इतनी महत्वपूर्ण आबादी में बसे हुये हैं, उनको थोड़े से पैसे दिए हैं आपने, 2.8 पैसा दिया है, मात्र इतने से पैसे लेकर कहां मकान बनाएंगे वे। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय रामस्वरूपजी।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय सभापति महोदय, सांवलियाजी के मंदिर की बात चल रही है। सांवलियाजी कौन थे?

श्री सभापति : कृपया प्रश्न पूछें।

श्री रामस्वरूप मीणा : प्रश्न पर ही आ रहा हूं। एक मिनट सुन लें साहब। मेरा विनम्र निवेदन है कि सांवलियाजी के मंदिर के बारे में जो विवाद हो रहा है, सांवलियाजी, जिनकी मूर्ति वहां पर लगी हुई है, ये सांवलियाजी भगवान वे थे जिन्होंने नरसी भगत को भात पहनाने के लिये अवतार लिया था। वह नरसी भगत जिन्होंने अपनी बहन के लिये, सांवलियाजी ने नरसी की बहन की इज्जत बचाने के लिये अवतार लिया था।

श्री सभापति : कृपया सम्बन्धित प्रश्न पर बोलें।

श्री रामस्वरूप मीणा : वही मंदिर यह है। वही सांवलियाजी हैं, जिन्होंने गरीब की इज्जत बचाई, भात पहनाया था। आज उन्हीं सांवलियाजी के लिये।

श्री सभापति : डॉ. शंकर भानूदा, कुछ कहना चाह रहे हैं? डाक्टर साहब, बोलिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : सरकार आज लोगों को मरा रही है, बहनों की इज्जत लूट रही है, केस लगा रही है, उनको पीटा जा रहा है और उनकी जमानत नहीं दे रही है।

श्री सभापति : डाक्टर साहब, बोलिये।

डॉ. शंकर भानूदा : ये मुझे बोलने देंगे, सर।

श्री सभापति : आप बोलिये, जो बोलना है।

श्री रामस्वरूप मीणा : यह भारतीय जनता पार्टी के लोग, वहां पर राम मंदिर का मामला चला दिया, यहां सावलियाजी के मंदिर का मामला चला दिया। मेरा विनम्र निवेदन है कि इसका राजनैतिकरण क्यों हो रहा है? कहीं तो मूर्तियों की चोरी करवा दी, मंदिर को तोड़ रहे हैं कहीं..... ।

श्री सभापति : माननीय, रामस्वरूपजी, आप विराज जाएं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं शंकरजी, आप कुछ कहना चाहते थे.....(व्यवधान).

डॉ. शंकर भानूदा : बाद में बोल दूंगा, जब आप बोलने देंगे।

श्री सभापति : हो गयी बात, विराजिए।

श्री मोहनलाल मोदी : मैं यह पूछना चाह रहा हूं माननीय मंत्री महोदय से कि कहीं राजस्थान में ऐसी चीज हुई है रिकार्ड में कि 151 के अंदर महिलाओं को जेल में बंद कर दिया गया? यह ऐसी बड़ी बात।

श्री सभापति : बात आ गयी। उसके बाद आप कहकर क्या बड़ी बात कर रहे हैं? आ गयी बात तीन दफा।

श्री मोहनलाल मोदी : सभापति महोदय, ऐसा आज तक नहीं हुआ। आज तक महिलाओं को 151 में बंद नहीं किया। तीन दिन तक हवालात में रखा।

श्री सभापति : माननीय शिवनाथ सिंहजी। माननीय मोदीजी, आ गयी यह बात। दुबारा क्यों कह रहे हैं?

श्री मोहनलाल मोदी : आ गयी, उसी को तो कह रहा हूं महिलाओं को 151 में जेल में रखा, यह एक बहुत बड़ी बात है।

श्री सभापति : यह बात दो-तीन दफा आ चुकी है। दुबारा कहने से क्या अर्थ निकलेगा? जवाब आ जाएगा, उसमें आ जाएगा सब। माननीय शिवनाथसिंह जी।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय सभापति महोदय, मुआवजे की, गिरफ्तारी की, सब बात हो गयी। मैं इनको दोहराना नहीं चाहता। मैं तो माननीय मंत्री महोदय ने जो स्टेटमैंट दिया है, उसमें दो-तीन सवाल उठते हैं, उनके बारे में जानकारी करना चाहूंगा।

आपने एक बात कही कि सब राजी-खुशी सुलट गया था मामला, लोगों ने अपनी सम्पत्ति उठा ली, कोई भी विवाद नहीं हुआ। माननीय मंत्री महोदय, 151 के केस बनते हैं और राजी-खुशी कुछ हुआ नहीं जबरदस्ती से हुआ है। आपने कहा कि उसका एक शीशा टूट कर गिर गया इसलिये उस मंदिर को ढहाना आवश्यक हो गया।

सभापति महोदय, आप जानते हैं कि पुरी के मंदिर का किस्सा हुआ था, अनेक मंदिरों के किस्से होते हैं, जहां कहीं से भी कोई पत्थर गिरता है तो उसको ढहाया नहीं जाता है, उसको दुरुस्त किया जाता है।

क्या माननीय मंत्री महोदय इस बात को स्पष्ट करेंगे कि जहां से कांच का टुकड़ा निकल गया है, वहां उसी तरह का कांच फिट करके उसके मूल स्वरूप को बनाए रखेंगे?

(श्री शिवनाथ सिंह)

दूसरी बात, गर्भ गृह को सुरक्षित रखने की बात आपने कही। मंदिर गर्भ गृह नहीं होता, मंदिर का पूरा स्वरूप ही मंदिर होता है। आपने कहा कि वहां सफोकेशन हो रहा था। आप पधारे होंगे गौहाटी के कामाख्या देवी मंदिर में, उतना सफोकेशन तो कहीं भी नहीं होता है लेकिन कभी किसी के मन में नहीं आया कि उस कामाख्या देवी के मंदिर को ढहांया जाए कि वहां सफोकेशन होता है।

इसलिये माननीय मंत्री महोदय, सफोकेशन होता है, भक्ति भाव से लोग वहां जाते हैं। इस आधार पर आपने उस मंदिर को ढहाने की चेष्टा नहीं की है? तीसरी बात, आज जो मंदिर का स्ट्रक्चर है, उसको सुरक्षित रखते हुये विस्तार कार्य किया जा सकता है। आपने अक्षय धाम के अनुरूप उसको करने की क्या चेष्टा की है? यह एक पिकनिक स्पोट आप बनाना चाहते हैं, बनाइए, लेकिन हम लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए।

आप देखते हैं कि जयपुर शहर में मिर्जा इस्माइल ने सड़कों को ठीक करने की चेष्टा की लेकिन छोटे-छोटे जो मंदिर थे, आज भी वैसे ही मौजूद हैं, आज ट्रेफिक में दिक्कत आती है लेकिन उन मंदिरों के साथ हमारी भावनाएं ही जुड़ी हुई हैं, हमारे समाज की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। हिन्दू ही नहीं, सभी धर्मों की भावनाएं अपने पूजा स्थलों के लिये और सभी के पूजा स्थलों के लिये जुड़ी हुई है। इसलिये मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि जो स्ट्रक्चर आज बना हुआ है, उसकी रक्षा करते हुये, उसको कायम रखते हुये आप विस्तार करने की चेष्टा करते हैं?

माननीय सभापति महोदय, आज जिन लोगों को बसाया गया है, बसा दिया आपने लेकिन यदि कहीं इस मंदिर परिसर के विस्तार में दुकानें वगैरह बनाने का प्रोग्राम हो तो क्या जिन लोगों को विस्थापित किया गया है, उन लोगों को उसमें प्रायोरिटी मिलेगी? क्योंकि मिलनी चाहिए, और उनको बिना किसी भेदभाव के रिहैबिलिटेशन हो। ये तीन-चार सवाल माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा।

श्री सभापति : माननीय श्री रतनलालजी ताम्बी।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : सभापति महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि यह ऐसा प्रसिद्ध मंदिर है जिससे लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। इसमें मुझे प्रारम्भ से ही यह लग रहा था कि सुनियोजित आधुनिकीकरण के नाम पर, विस्तार के नाम पर, समाचार पत्रों में दो-तीन वर्षों से आ रहा है, इसमें काफी राजनीति।

श्री सभापति : प्लीज, कम टू द पाइंट।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं पाइंट पर आ रहा हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसको राजनैतिक इश्यू बनाया गया। तीन-चार साल से वहां की जनता, वहां के जनप्रतिनिधि, इन सबको वहां विश्वास में नहीं लेते हुये धार्मिक भावनाओं को जिस तरह से ठेस पहुंचाई है,

(श्री रतनलाल ताम्बी)

वह सारा का सारा मामला बहुत गलत ढंग से हुआ। एक ट्रस्ट बना, ट्रस्ट भी कैसे बना, उसमें कौन लोग हैं, उसकी भी एक अजीबोगरीब कहानी है। इस योजना के बारे में न तो वहां की जनता को पूरी जानकारी दी गयी। जो मकान वहां मौजूद थे, वे मकान पीढ़ियों के हैं, उन लोगों के पास पट्टे मांगे जाते हैं, उनका कोई असेसमैंट नहीं होता और जोर-जबरदस्ती से + + + तरीके से बुलडोजर भेजकर, प्रशासन ने वहां + + + किया। उस इलाके के सब समाचार पत्रों में भी आया है और काफी असंतोष है।

धारा 91 (6) के अंदर जो कार्यवाही की, माननीय सभापति महोदय, अजीबोगरीब स्थिति है। धारा 91 कब होती है, जब राजकीय भूमि पर अधिकार हो। एक बार उसको नोटिस दिया जाए, नोटिस देने के बावजूद भी न माने तो धारा 91 (6) लागू होकर जेल होती है और प्रशासन और इन लोगों की मिलीभगत है। धारा 91 में इस तरह की इल्लीगल कार्यवाही करके उन लोगों को जोर-जुल्म से हटाया गया, तोड़फोड़ की गयी, बिलखती औरतों के साथ धक्कामुक्की की गयी, अन्याय किया गया।

श्री सभापति : ये सब बातें आ गयीं, कोई नयी बात हो तो बताइए। माननीय श्री शंकरजी ने बहुत बातें बता दीं।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं असली बात बताता हूं। 151 की कार्यवाही किसके खिलाफ की जाती है।

श्री सभापति : यह बात भी आ गयी।

श्री रतनलाल ताम्बी : अशांति भंग करे। वह क्या भंग कर रही थी? बैठी-बैठी रो रही थी या वह अशांति कर रही थीं। मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है वह अतिरंजित है, तथ्यों से परे हैं। इसलिये मेरी मांग यह है कि सदन की एक कमेटी बनाकर विधायक मौके पर जाकर सारे तथ्यों की जांच करे, यह स्थिति आनी चाहिए, वरना अधिकारियों ने तो मनमानी एक रिपोर्ट दे दी और मंत्री महोदय भोले-भाले हैं, नए हैं उन तथ्यों में गये नहीं और सीधा यहां पढ़ दिया।

श्री हरजीराम बुरड़क : सभापति महोदय, मेरा छोटा सा सवाल है। (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिए आप। एक साथ तीन तो नहीं बोल सकते।

श्री हरजीराम बुरड़क : क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि मन्दिर को तोड़ने या बनाने के लिये कलक्टर की परमिशन लेनी होती है। अगर आपने कलक्टर की परमिशन ली है तो कलक्टर को क्या लिखकर दिया और कलक्टर ने आपको क्या लिखा, वह आप पढ़कर सुनाएं।

दूसरी बात यह है कि जब जमीन एक्वायर होती है तो उसमें यह प्रोविजन है कि

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

जनहित के लिये, जनता सारी खिलाफ है, फिर आप कौनसा जनहित कर रहे हैं जिसके लिये आपने एक्वीजिशन किया। आपको एक्वीजिशन करने की क्या आवश्यकता थी? एक्वीजिशन तभी होता है जब जनहित का कोई काम हो। जनता सारी खिलाफ है, फिर आप कौनसी जनता का हित कर रहे हैं? आप इन दो प्रश्नों का उत्तर दीजिये।

श्री सभापति : श्री रामनारायण चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : सभापति महोदय, जो प्रश्न मेरे दिमाग को कौंध रहा था वह हरजीराम जी ने उठाया। आप तो मान्यवर, जिला कलक्टर भी रहे हैं और रेवेन्यू सेक्रेटरी भी रहे हैं। आपको सारे राजस्थान का प्रशासनिक अनुभव है। ये जो धार्मिक स्थान हैं, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, कोई भी धार्मिक स्थान हो बिना सरकार की मंजूरी के मंदिर, मस्जिद या किसी भी धार्मिक स्थान का निर्माण नहीं हो सकता। सरकार का प्रतिनिधि जिला कलक्टर है। जिला कलक्टर परमिशन देते वक्त पुलिस की रिपोर्ट भी लेता है, पंचायत की भी लेता है यदि पंचायत है, अन्यथा नगरपालिका की लेता है। इस सारी प्रक्रिया में मुझे यह समझ में नहीं आया कि ये ऐसा बवाल क्यों कर रहे हैं? एक तरफ तो सारे हिन्दुस्तान का + + + कर दिया मंदिर के नाम पर अयोध्या में। दूसरा प्रश्न और जीवित रख रखा है, एक काशी विश्वनाथ मंदिर का और एक मथुरा का। मथुरा का मंदिर तो यही है जो भगवान कृष्ण का है। तो यह कुछ समझ में नहीं बैठता।

श्री सभापति : माननीय श्री हरिसिंह।

श्री रामनारायण चौधरी : एक मिनट। भव्यता बना रहे हैं। मान्यवर, भव्यता में लोगों की श्रद्धा नहीं है और आपकी भी नहीं है। भव्यता से नहीं, लोगों की श्रद्धा उस जगह से है जहां ओरिजनल किसी की श्रद्धा होती है। आपने कलकत्ता में कालिका का मंदिर देखा होगा। वह कितनी छोटी सी जगह है, उसकी कोई भव्यता नहीं। क्या कलकत्ता में पैसे वाले नहीं हैं? लेकिन उस जगह पर ही लोगों का प्रेम है। शिवनाथ सिंह जी ने कहा जयपुर के अंदर जगह-जगह छोटे-छोटे मंदिरों ने सब रास्ते रोक रखे हैं। कामाख्या देवी का कहा। ऐसे ही वैष्णो देवी है। अपने यहां ही रींगस है, यहां पर भैंरूजी का मेला भरता है और मुख्य मंत्री जी खुद भैंरूजी के उपासक हैं, लेकिन वह जो ओरिजनल जगह है, वहां पर भव्य नहीं लगता है। एक प्लेस पर लोगों की श्रद्धा है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि आप इस सारे स्वरूप को क्यों बदलना चाहते हैं? क्या समस्या हुई, क्यों आपने दूसरा अयोध्या का प्रश्न यहां पर खड़ा कर दिया?

श्री भंवर सिंह शेखावत (नवलगढ़) : सभापति महोदय, अभी मंत्री महोदय ने जब अपना स्टेटमैंट पढ़ा तो उसमें यह कहा कि ऊपर से सीलन आने से वह पुराना कांच था

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री भंवर सिंह शेखावत)

वह गिरने लग गया। तो सीलन को रोकने का उपाय क्यों नहीं किया गया? सीलन के कारण मंदिर को ही हटाया गया, यह क्यों किया गया? मेरा एक स्पेसिफिक प्रश्न है कि इस भव्यता के नाम पर भविष्य में सरकार यह बताए कि कितने मंदिरों को तोड़ने की स्कीम है, कितने मंदिरों को और तोड़ा जाएगा इस भव्यता के नाम पर? यह भी आप बताएं।

श्री सभापति : माननीय श्री हरिसिंह (महुआ)। (व्यवधान) आर्डर प्लीज। गम्भीर विषय है, गम्भीरता से लीजिये। आपस में बात कर रहे हैं। आप बैठे-बैठे। सदा ही बोलते रहते हैं। (व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त (सिवाना) : आप इतनी पैरवी कर रहे हैं, आपके कहीं दूसरे वोट न कट जाएं।

श्री रामस्वरूप मीणा : सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं.....(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय रामस्वरूपजी जो बोलें वह अंकित न हो।

श्री हरिसिंह (महुआ) : सभापति महोदय, किसी भी मंदिर के साथ में जन-भावनाएं जुड़ी हुई हैं। मैं आपसे निवेदन करूं बद्रीनारायणजी के मंदिर को बिड़लाजी हिन्दुस्तान ट्रस्ट से भव्य बनाना चाह रहे थे, लेकिन इजाजत नहीं मिली। आज वैष्णो देवी का मंदिर इतना छोटा और संकड़ा है, इतने यात्री जाते हैं जो सांवलियाजी से कई गुना अधिक हैं, लेकिन उसके मूलस्वरूप को भंग नहीं किया गया। मैं आपसे अर्ज करूं, यहां पर एक भोला बाबा नाम का गुर्जर भक्त था। यह 1854-55 के आसपास की बात है। उसकी भगवान में पूर्ण आस्था थी, वह भक्त था। उसके मात्र एक बच्ची थी उसकी शादी कर दी। बच्ची को विदा करने के लिये बरात के साथ वह काफी दूर तक कई मिलों तक चला गया। वहां वह थक गया, जीवन से निराश हो गया, बच्चा है नहीं। भगवान से प्रार्थना की, भगवान मेरा जीवन निरर्थक हो चुका है। उसको बैठे-बैठे नींद आ गयी। भगवान ने उसको स्वप्न दिया कि यहीं खोदो, तुम्हारा जीवन सार्थक है, तुम्हें मिल जाएगा। उसने वहां खोदा तो उसे तीन मूर्तियां मिलीं। उनमें से एक सांवलिया की भी थी। दो मूर्तियां पास के गांव वाले ले गए। जो हल्की मूर्ति काले रंग के पत्थर पर थी उसको वह ले गया। वह जाकर अपनी पनहरी के नीचे, जो पानी पीने की होती है, वहां रख दिया और रखने के बाद रोज उसकी पूजा करता था। उस मूर्ति का ऐसा वरदान था कि रोज उसको सोने की गिन्नी मिलती थी। उसने वह पैसा इकट्ठा किया, मण्डफिया गांव के लोगों को.....

श्री सभापति : हो गया। (व्यवधान) मैं जानता हूं, कई दफे हो आया हूं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मण्डफिया गांव के आसपास के 16 गांवों के लोगों को इकट्ठा किया और सब लोगों ने मिलकर अपनी गाढ़ी कमायी से, इसमें कोई सेठों का, सरकार, राजा-महाराजाओं का, जागीरदारों का पैसा नहीं है, एक भव्य मंदिर बनाया और एक ऐसा

(श्री हरिसिंह)

मंदिर, जो अप्रतिम है। उसमें कांच की पच्चीकारी की। ऐसा दूसरा भव्य मंदिर नहीं है। उसकी भव्यता को खतम नहीं करे। मैं मानता हूं वहां पर मंदिर का जो अब तक ट्रस्ट बना हुआ था उसका सर्वेसर्वा वहां का रहने वाला गुर्जर था। एक विवाद गुर्जर और राजपूतों के बीच में पैदा हुआ। सरकार ने उसमें हस्तक्षेप करके एक ट्रस्ट बना दिया। हमें कोई एतराज नहीं। उसकी व्यवस्थाएं हुई। मंदिर की इनकम आज 11 लाख से ऊपर की है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं क्या सरकार ने महावीरजी के मंदिर पर हस्तक्षेप नहीं किया? कैलादेवी के मंदिर में हस्तक्षेप नहीं किया? बालाजी के मंदिर में हस्तक्षेप नहीं किया? उनकी भव्यता पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया? जो पच्चीकारी का मंदिर बना हुआ है उसकी भव्यता के नाम पर उसके मूल स्वरूप को खराब करके लोगों की भावनाओं को आहत किया जा रहा है। इससे लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि विश्व हिन्दू परिषद् को इतना अलाऊ नहीं किया जाए कि मंदिर तोड़ने का काम इस देश में शुरू किया जाए। मैं इतना ही अनुरोध करता हूं।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी।

श्री भीमराज भाटी (पाली) : सभापति महोदय, मैं हाथ खड़ा कर रहा हूं। शांति से बैठा हुआ हूं इसका यह मतलब नहीं है। सुबह भी मेरे साथ यही चोट हुई।

श्री सभापति : माननीय भाटी जी।

श्री भीमराज भाटी : धन्यवाद। माननीय सभापतिजी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि बोर्ड के जो मनोनीत अध्यक्ष हैं और उनके परिवार के सदस्य हैं क्या उन्होंने इस मंदिर के ट्रस्ट से या इस मंदिर से लाखों रुपया कृषि भूमि को, जो उनकी खराब हुई थी उसके नाम से आवासीय भूमि को प्राप्त किया है। इस तरह से क्या ट्रस्ट को लाखों रुपये का नुकसान पहुंचाया?

दूसरा सवाल मैं मंत्री महोदय से यह करना चाहता हूं कि कुरान शरीफ उस मलबे में दबी थी। वह कुरान शरीफ कहां है? उस कुरान शरीफ के बारे में आपके ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में जिक्र नहीं है। वह मलबे में दब गई थी। पुरखों की पुरानी कुरान शरीफ थी, वह कुरान शरीफ कहां है।

मैं तीसरी बात यह पूछना चाहता हूं कि ये 91 के केसेज थे। ये एक दिन में 91 के नहीं बन गये, कुछ समय से होंगे। ये कब से 91 के केसेज थे। दूसरी बात माननीय सभापतिजी, सबसे बड़ा इस पवित्र सदन में, राजस्थान के सर्वोच्च सदन में जो +++ बोला जा रहा है और हम लोगों को जो सवाल के जवाब दिए जा रहे हैं.....

श्री सभापति : +++ शब्द निकाल दिया जाए।

+++शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री भीमराज भाटी : मैं इसमें से पढ़कर सुनाता हूं। इसमें इतना असत्य वाचन किया गया है, यह जो पांच महिलाओं का मामला था, यह 96 का किस्सा बता रहे हैं। 96 में यह कह रहे हैं कि भूमि अवाप्ति या और किसी तरह के अवार्ड की कोई बात नहीं थी। अगर इस तरह की 96 में कोई बात नहीं थी तो फिर वे महिलाएं वहां ऐसी क्या शांति भंग कर रही थी कि उन पांच महिलाओं के खिलाफ इस तरह के केस बनाये गये।

श्री सभापति : यह बात तो आ गयी।

श्री भीमराज भाटी : क्योंकि यह बात कही जा रही है। दु:ख इस बात का है कि इस पवित्र सदन में मंत्री महोदय के मुंह से, उनके श्रीमुख से असत्य वाचन करवाया जाता है। अगर कंकू बेवा मोटूराम रैगर को सिंचाई के रूप में नहीं रखा गया था। तो क्यों यह बात पैदा हुई और क्या माननीय विधायक ने यह गलत कहा है? कहां वह खमाणी बाई थी? खमाणी बाई और खमाणी बाई के परिवारजन की अगर कोई दुकानें नहीं तोड़ी गयी थीं तो क्या माननीय विधायक महोदय गलत कह रहे हैं? माननीय विधायक महोदय इस सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों इस सदन की पवित्रता को कम किया जा रहा है?

श्री सभापति : बिराजिये, माननीय भाटीजी। माननीय मंत्रीजी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों का बहुत हृदय से आभारी भी हूं और आपसे यह उम्मीद जरूर करता हूं कि जो भी वास्तविकता है उस वास्तविकता के आधार पर जो भी आपका मन बनता है वह निर्णय करें, मुझे किसी प्रकार का कोई एतराज नहीं है। लेकिन मुझे इस बात का दु:ख है कि ठीक प्रकार से तथ्यों की जानकारी के बिना हमने हर विषय पर कोई न कोई प्रश्न खड़ा किया है जबकि वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। 1995 में 12-5-95 के दिन बोर्ड ने एक प्रस्ताव लिया और इस बात का लिया कि चूंकि यहां लाखों की तादाद में झलझूलनी ग्यारस और बाकी अमावस और पूर्णिमा के दिन इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं कि उस 10 फीट की रोड में तो न हीं समा सकते हैं और कभी भी किसी प्रकार की कोई अनहोनी घटना हो जाए तो.....

डॉ. शंकर भानूदा : 10 फीट की एक भी रोड नहीं है। आप असत्य बयान कर रहे हैं, 10 फीट की कोई एक भी रोड नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति : डाक्टर साहब, बिराजें। कृपया बीच में नहीं बोलें। बड़ी शांति से सब लोगों की बात, सब को समय दिया, सब को सुना गया है। अब बीच में कोई भी नहीं बोलें। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : सभापति महोदय, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि माननीय सदस्य की कोई शंका रह जाए और वह विषय को पूछें, कहें, मुझे किसी प्रकार का कोई एतराज नहीं। यह कोई झगड़ें का विषय

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

भी नहीं है कि कोई आपका सवाल अलग है और मेरा सवाल अलग है। ऐसा कोई विषय नहीं है। 1995 में पहली बार बोर्ड ने एक प्रस्ताव लिया कि इस व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए। इसके लिये क्या कोई आस-पास की जमीन का एक्वीजीशन किया जाए, नहीं किया जाए इसके बारे में सोचा जाए, विचारा जाए। उसके बाद 95 के 10वें महीने में फिर बोर्ड की बैठक हुई और बोर्ड ने निर्णय लिया कि निश्चित रूप से इसका कुछ एक्वीजीशन करना पड़ेगा और उन्होंने एक्वीजीशन के लिये अपना मन बनाकर अपने बोर्ड की अनुशंषा वहां के एस.डी.ओ. को भेजी। उनकी मंशा इसलिये बनी कि जब भी मेला लगता है तो वहां सिक्योरिटी और पुलिस के जितने लोग रहते हैं वह हमेशा उस मीटिंग के बाद अपना एक नोट बनाकर दे जाते हैं कि इस भीड़ को इस छोटे से स्थान पर व्यवस्थित करना हमारे वश का रोग नहीं और कभी भी ऐसी कोई अप्रिय घटना हो सकती है, बोर्ड इसके बारे में विचार करे। उनका यह लिखित है। यहां से विषय शुरू हुआ। उन्होंने एस.डी.ओ. को अपनी तरफ से लिखकर दिया और एस.डी.ओ. ने अपनी रिपोर्ट लगाकर कलक्टर को इसके बारे में भेजा है कि आप अपनी स्वीकृति दें कि इस समस्या का समाधान एक्वीजीशन और इस प्रकार की कोई व्यवस्था करने से हो सकता है। कलक्टर ने उसके बाद, बोर्ड का प्रस्ताव बनाकर सरकार के पास आया।

डॉ. शंकर भानूदा : यह सब ग्राउण्ड तैयार किये गये हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : 25-6-96 को हमने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया कि आप इस बारे में अपनी कार्यवाही शुरू करें। हमारे अनुमोदन के बाद फिर उन्होंने अपना धारा 4 का नोटिस निकाला और वह 10-7-96 को धारा 4 का नोटिस हुआ। उसके बाद 10-9-96 को धारा 6 का नोटिस हुआ। इसके विरोध में 5 व्यक्तियों ने हाई-कोर्ट में अपनी याचिका दायर की कि हमें एक्वीजीशन कर हटा रहे हैं, हमें नहीं हटाया जाए। हाई-कोर्ट ने 16-1-97 के दिन फैसला दिया कि चूंकि इस मन्दिर की आवश्यकता है इसलिये इस एक्वीजीशन के प्रोसेस को आप प्रोसीड करें। यानि न्यायालय के निर्णय के बाद आगे की प्रक्रिया, कोई काम हमने जल्दी में या कोई बहुत उकताई थी कि आज की आज नहीं करेंगे तो कोई समस्या आ जाएगी.....

डॉ. शंकर भानूदा : पूरे फैक्ट्स न्यायालय के सामने आने ही नहीं दिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : ऐसी कोई समस्या नहीं थी और आज भी कोई समस्या नहीं है कि दो दिन में नहीं बनेगा तो कोई आसमान टपक जाएगा। हम बराबर 1995 से लेकर निरन्तर सब स्टेज पार करते हम इस प्रयास पर आये और जब हाई कोर्ट का आदेश मिला उसके बाद हमने कार्यवाही शुरू की। उसके बाद भी कोई एक दिन में गिराने

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

नहीं गये। 97 में हमें हाई कोर्ट से यह स्वीकृति मिली, उसके बाद हमें 45 बीघा 10 बिस्वा जमीन को एक्वायर करना था। उसमें से 35 बीघा और कुछ तो एग्रीकल्चर लैण्ड थी, 10 बीघा और कुछ मकानात थे और तीन बीघा और समथिंग सरकारी जमीन थी। यह सब मिलाकर, टोटल इस जमीन का जो एरिया है वह इतना था। इसमें हमने 4 और 6 का नोटिस दिया, वह 116 लोगों को दिया। बाद में हमने जब अधिसूचना जारी की तो कई लोग उसमें एक में दो लोग आ गये। उसकी छंटनी की और छंटनी करने के बाद 16 लोग उसमें से निकले। केवल 100 लोगों का प्रकरण रहा था जिनको हमें अवार्ड जारी करना था या जिनको हमें राशि देनी थी। सभापति महोदय, मेरा विनम्र निवेदन है कि हमने इस 100 में से जो अवार्ड जारी किये वह 88 जारी किये। इन 88 में से भी 12 चूंकि एग्रीकल्चर अवार्ड थे और फसल खड़ी थी तो हमने कहा कि फसल के बाद इसको लेने की प्रक्रिया करेंगे ताकि कम से कम किसान अपनी फसल ले लेगा। उसके बाद 71 लोगों का हमने चैक बनाया। उन 71 लोगों में से 61 लोगों ने अपना चैक ले लिया.....

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : जबरदस्ती।

डॉ. शंकर भानूदा : बिलकुल जबरदस्ती।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : कोई जबरदस्ती नहीं थी। माननीय सदस्य, अगर आप चाहें तो स्वयं मेरा यह रिकार्ड लेकर चले जाएं और मौके पर जो कुछ आपका मन पड़े, वह पूछकर के आप आ जाओ। आप संतुष्ट होकर आ जाएं।

डॉ. शंकर भानूदा : यही तो हम कह रहे हैं। यह हमारी मांग है।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : पुलिस के डण्डे से।

श्री सभापति : कृपया व्यवधान नहीं डालें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : सभापति महोदय, जो भी वस्तुस्थिति है वह आपके सामने रख रहा हूं। 61 लोगों को अपना जो भी पैसा या चैक मिलना था, वह चैक हमने उनको दे दिया। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि यह सांवलिया ट्रस्ट है जिसने जो अवार्ड आज तक दिये हैं, अगर कोई भी सरकारी किसी काम में यह रेट बता दें पर हमने उन लोगों को इतनी ज्यादा, जो कुछ भी एक्चुअल कोस्ट है उससे हमने डबल अवार्ड सब को दिया है। मैं आपको बताता हूं।

डॉ. शंकर भानूदा : यह असत्य है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अगर असत्य है तो मेरे खिलाफ जो कार्यवाही आप विधान सभा के फ्लोर पर लाना चाहें, वह ले आओ मैं तैयार हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय बिराजें। माननीय लक्ष्मणसिंहजी, बिराजिये। यह उचित नहीं है। आपको जो बोलना था बड़ी शांति के साथ में जो कुछ बोलना था बोल चुके। मैंने माननीय

(श्री सभापति)

डाक्टर शंकर भानूदा को दो दफे समय दिया। बीच-बीच में बोलना अच्छी बात नहीं है।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : विधायकों की समिति गठित कर दीजिये। (व्यवधान)

श्री सभापति : अशिष्टता है बीच में बोलना। सदन को अच्छी तरह से चलाइए। खूब टाइम दिया मैंने। (व्यवधान) जिसने हाथ ऊंचा किया उसको टाइम दिया। पूरा टाइम दिया। बिराजिए। अब आप नहीं बोल सकते।

श्री मोतीलाल (रूपवास) : एक मिनट बोलने दें

श्री सभापति : अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। माननीय मंत्रीजी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : सभापति महोदय, जो वहां कृषि भूमि की आज की तारीख में दर है वह 40 हजार से 45 हजार रुपये प्रति बीघा है। उनको हमने 82 हजार रुपये बीघा के हिसाब से दिये हैं। इसी तरह से आवासीय भूमि की जो वहां रेट है वह 45 से लेकर 50 रुपये प्रति फीट जमीन की है और जो कंस्ट्रक्शन है उसका अलग है। उसकी हमने 93 रुपया प्रति फीट के हिसाब से कोस्ट गिनी है।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : कंस्ट्रक्शन का क्या दिया है मकानों का?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : एक मिनट, मैं बता रहा हूं आपको। इसी तरह से जो कामर्शियल जगह थी उसकी रेट वहां 250 से लेकर 300 रुपया फीट है उसकी जगह हमने उनको 500 रुपया फीट के हिसाब से दिया। यह पहला मन्दिर होगा जिसने 3 करोड़ रुपया पहले दिया। पहले हमने लोगों को अवार्ड दिया और उसके बाद आगे के प्रोसेस में बढ़े। कहीं ऐसा नहीं किया कि हमने कोई जल्दी, उतावलापना किया। ऐसा बिलकुल भी नहीं है।

यही नहीं, श्रीमन् आपको यह भी संतोष होगा कि जिन लोगों को हमने हटाया उनको पहले हमने अल्टरनेट जगह दी। उनको हमने अपनी धर्मशाला में कमरा दिया, मकान दिया। जो दुकानें हमारे पास उपलब्ध थीं वह दुकानें हमने उनको काम चलाने के लिये दी। आज आप जाकर के देख लो, उनमें से कितने लोग वापस अपनी दुकान लगाकर अपना व्यवसाय कर रहे हैं। केवल 4-5 लोगों के कारण से, कि जो कुछ भी चैक उनका बना उससे वे संतुष्ट नहीं थे और अधिक पैसे मिले इसके लिये उन्होंने अपना वाद आगे दायर किया। कोर्ट जो भी फैसला करेगी, उनको जो भी पैसा दिलवायेगी वह पैसा सांवलिया ट्रस्ट देने को तैयार है, उसमें कोई ना नहीं है। जो कानूनी प्रोसेस है वह कानूनी है लेकिन उसके कारण से एक्वीजीशन का काम है वह नहीं रुकता है।

जिन महिलाओं को लेकर दो घटनाओं को जोड़ रहे हैं उसमें 12 जून के दिन गिराकर

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

सफाई की थी और 96 के 10वें महीने में महिलाओं को गिरफ्तारी का मामला है। दो को साथ में जोड़ दिया। उस समय यह कोई प्रकरण ही नहीं था। अभी तो मन्दिर का यह सारा प्रोसेस विचाराधीन चल रहा था। अवार्ड जारी ही नहीं हुआ था। केवल उनके मन में अगर नाराजगी थी तो इतनी थी कि हमारी जमीन आज नहीं तो कल के दिन एक्वीजीशन होगी। उसके कारण से उन्होंने किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार किया तो उसके खिलाफ 107 की कार्यवाही बनी। उसमें भी उनको कहा कि आप अपना मुचलका, जमानत दे दीजिये। जब उन्होंने नहीं दिया तो कोर्ट ने अपनी असमर्थता प्रकट की कि चूंकि यह अपना मुचलका देने के लिये तैयार नहीं है।

(15.00 बजे)

इसलिये इसमें जैसा महिलाओं के लिये कह रहे हैं, 1996 का है, यह की यह स्थिति अभी जिन लोगों को 107, 191 गिरफ्तार, उनकी बात कहता हूं उनको भी न्यायालय ने 12 तारीख के दिन ही यह कहा कि आप 5000 रुपये का मुचलका और जमानत भर दीजिये, आपको हम रिहा करते हैं। इन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि नहीं, हम तो किसी प्रकार से नहीं भरेंगे तो उनके पास न्यायिक हिरासत में भेजने के अलावा और क्या चारा था। अब उसके बाद 16 तारीख को उनके वकील ने एक दरख्वास्त लगाई कि चूंकि हम इनकी जमानत कराना चाहते हैं, कोर्ट ने आदेश दे दिया और 17 तारीख के दिन ही इनको जमानत होकर इन लोगों को मुक्त कर दिया लेकिन ये किसी दृष्टि से (व्यवधान) हमने कोई मेहरबानी नहीं की, उस आशा में कि कम से कम तथ्यों को तोड़-मरोड़कर रखकर केवल इस बात को अगर करेंगे तो इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। यानि हमने कहीं कोई मूल स्वरूप को नष्ट नहीं किया न कोई हम नष्ट करने की बात कर रहे हैं। हमने यह कहा कि वहां जितनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं, यह पहला वैष्णव मंदिर होगा, इस वैष्णव मंदिर में आने वाले यात्रियों के लिये 12 रुपये प्रति थाली के हिसाब से कूपन मिलता है और शुद्ध भोजन की व्यवस्था की गयी है। वहां पर ठहरने के लिये हमने कम से कम पैसे में व्यवस्था की। यही नहीं, हमने इस मंदिर का यह जो काम शुरू किया ना, यह तो बहुत बाद में शुरू किया। श्रीमन् उस क्षेत्र के विकास के लिये यह पहला ट्रस्ट होगा राजस्थान का जिसने अपनी पब्लिक की सुविधा के लिये करोड़ों रुपया खर्च किया। आप चाहें तो मैं एक-एक सूची को पढ़कर सुनाता हूं। अस्पताल बनाने की दृष्टि से, गर्ल्स कालेज बनाने की दृष्टि से, चित्तौड़गढ़ में, लड़कों का कालेज बनाने की दृष्टि से सांवलियाजी में हमने वहां रैस्ट हाउस बनाया। हमने वहां पर करोड़ों, मैं यह कह रहा हूं कि हमने यह सारा कार्यक्रम में पहले पब्लिक की सुविधा के लिये धर्मशालाएं निम्बाहेड़ा में बनाई, लगभग एक करोड़ तीस लाख की धर्मशालाएं यहां आने

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

वालों के लिये चित्तौड़गढ़ में बनाई। हमने यह सुविधाएं पहले जुटाई। हमने पहले मंदिर बनाने की बात नहीं की। हमने उदयपुर में अस्पताल में भी और जहां सहायता की आवश्यकता थी वह दी हम एक लाख रुपया उदयपुर की मानव संस्था को देते हैं क्योंकि वह गरीबों को मुफ्त में उनके आने वाले अटैण्डेन्ट को भोजन करवाते हैं। उसमें हमने सहायता के रूप में दी। हमने जोधपुर में माणिक्यलाल विकलांगों की एक सोसायटी है, उसको हमने अपने धर्मार्थ की दृष्टि से जितना पैसा बांटा जा सकता है, मुझे यह कहते हुये बड़ी प्रसन्नता है, मीनमेख निकालना चाहे तो जिसमें निकाल सकते हैं, आप जिसमें चाहें उसमें निकालें, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं आपको यह कहता हूं आखिर सांवलियाजी ट्रस्ट और सांवलियाजी बहुत पहले से (व्यवधान) इसके कारण से जिस सांवलियाजी की इनकम 1992-93 में केवल एक करोड़ 71 लाख थी, आज उसकी इनकम तीन करोड़ 59 लाख रुपये है। इसलिये हमने इस पैसे का सदुपयोग किया। हमने इस पैसे की .....(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया व्यवधान नहीं डालें। आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : कम से कम उस पैसे की..... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : ×××

श्री परसादी लाल मीणा : ये एकाउंट्स कब पेश रहे हैं?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : इसके पहले तो कभी एकाउंट्स पेश नहीं किया कि क्या आमदनी है और क्या खर्चा है, किसी को पता नहीं लगता था कि यह इतने पैसे को आमदनी भी हो रही है या नहीं हो रही है। केवल कुछ लोगों ने मिलकर....(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : महावीरजी का क्या खर्चा है, पता है क्या आपको? महावीरजी का पता है क्या? आप देंगे, बताओ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : महावीरजी के ट्रस्ट का जो आडिट करता है, उसको पता है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : नहीं, आपको पता है क्या?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मेरे को पता नहीं है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य हरिसिंहजी, इर्रेलेवेंट सवाल क्यों पूछ रहे हैं? (व्यवधान) कृपया बिराजिये।

श्री हरसिंह (महुआ) : मुझे पता है। जरा महावीरजी की तरफ आंख उठाकर देखो, आप रोने लग गये थे यहां। (व्यवधान) आप रोने लग गये थे यहां। महावीरजी की तरफ अंगुली उठाकर देखो तो जरा, आप क्या बात कर रहे हैं?

श्री सभापति : कृपया बिराजिये।

––––––––

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री रामस्वरूप मीणा : ×××

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : इसमें पब्लिक का पैसा है, आपका क्या है ? (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपका यह कहना सही है कि यह धर्मादा का पैसा है, कोई मेरा पैसा नहीं है। लेकिन धर्मादा का पैसा भी, जब यात्री ज्यादा आते हैं, जब उसकी सुविधाओं का विस्तार होता है। दोनों साइड हमने रोड जितनी चौड़ी थी, वह पी.डब्ल्यू.डी. से आधा पैसा हमने दिया, आधा पैसा पी.डब्ल्यू.डी ने दिया, रोड को अच्छी कराई।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : यात्री जाता है आस्था से, विश्वास के कारण से ज्यादा आते हैं, आस्था के कारण से जाता है। आपके चौड़ी सड़क के कारण से नहीं जाता है। (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरडक : ये तो दूसरी बात कर रहे हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : तो फिर हर साल में बढ़ोतरी नहीं हो रही है? अगर आप.....(व्यवधान)

श्री सभापति : आप बैठिये न तो, उनकी बात तो समाप्त होने दीजिये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सवाल का जवाब दिलवाओ।

श्री परसादी लाल मीणा : नहीं, ट्रस्ट के मैम्बर कौन-कौन हैं ? ट्रस्ट के मैम्बर कौन-कौन हैं ? (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरड़क : हमने कब पूछा है कि इनको सड़क को चौड़ी करने के लिये ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, क्या एक साथ कोई लिख सकता है आपकी सब बातें ? (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : ट्रस्ट के.....मैं सारे..... (व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा : ट्रस्ट के मैम्बर कौन-कौन हैं ? उन मैम्बरों के नाम बताओ। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : लिखित में गवर्नमैंट का रिप्लाई आ चुका है ये। (व्यवधान)

श्री सभापति : बैठिये, बैठिये। बिराजिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह करोड़ों रुपये का मामला है, इनको मेम्बर बनाओ।

श्री रामस्वरूप मीणा : ×××

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : आप लोग तो धार्मिक स्थान तोड़ने के आदि हो चुके हो। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : हम तो धार्मिक आस्था के लोग हैं। (व्यवधान)

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिये। कामकाज लेट हो रहा है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : हम नास्तिक नहीं है।

श्री रामस्वरूप मीणा : ×××

श्री राजेन्द्र पारीक : जब जैन मंदिर टूटेगा तब आपके आंखों में आंसू आएंगे।

एक माननीय सदस्य : एक किलो रबड़ी खाकर आये हो केवल। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : कहीं पर मस्जिद तोड़ते हो, कहीं पर मंदिर तोड़ते हो, कहीं पर गिरजाघर को तोड़ते हो, आपकी तो आदत पड़ी हुई है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : ×××

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिये। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : ×××

एक माननीय सदस्य : वहां के जैन मंदिर के बारे में क्या कह रहे हैं महोदय ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : जैन मंदिर को कोई नहीं तोड़ा जा रहा है, न कोई वह टूटने वाला है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कृपया आप भी बिराजें।

श्री रतनलाल ताम्बी : वहां जैन मंदिर भी है, उसका क्या है ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : कोई जैन मंदिर को नहीं तोड़ा जा रहा है।

श्री सभापति : माननीय ताम्बीजी, पहले बात तो समाप्त होने दीजिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : आप लिखित में, रिकार्ड पर सरकार से इस बात का आश्वासन दिलवाइए कि जैन मंदिर को तोड़ा नहीं जाएगा। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : हाउस की एक कमेटी बना दीजिये माननीय सदस्यों की, वह जाकर के वहां की वस्तुस्थिति..... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप सब जो कुछ कहना था, कह चुके हैं। अब आप बिराजिये पहले। अब आप जवाब सुनिये पहले। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : .....नहीं है, दूध का दूध और पानी का पानी है। अगर आप में से किसी को लगे कि..... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : ×××

श्री सभापति : माननीय रामस्वरूपजी, आप जो बोल रहे हैं, अंकित नहीं हो रहा है और नहीं होगा। हां, करने दीजिये। आप बिराजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : ×××

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री सभापति : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप बिराजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : ×××

श्री गुलाबचन्द कटारिया : सभापति महोदय, इस ट्रस्ट का जब से गठन हुआ, इसमें अध्यक्ष है मन्नालाल शर्मा और मेम्बर 11 हैं। वहां के संविधान के अनुसार जो उन 16 पंचायतों के लोग होते हैं उनके कितनी संख्या में है, वह तय है और बाहर के कितने मेम्बर है, वह भी तय है। नाम मेरे पास अभी नहीं है।

श्री परसादी लाल मीणा : नाम आपके नाम नहीं है? (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : नाम इसमें कोई छिपे नहीं है। यह जो आपने विषय पूछा है, यह झगड़े की जड़ इसमें ही है। यह अब बताता हूं मैं आपको।

श्री परसादी लाल मीणा : आपने अपने मेम्बर को सदस्य बना दिया वहां, राजनैतिक आधार पर सदस्य बना दिया, राजनैतिक दबाव के आधार पर....

श्री गुलाबचन्द कटारिया : .....कोई सवाल नहीं है।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : श्री नरपत सिंह राजवी का इसमें क्या रोल है? चित्तौड़गढ़ के विधायक श्री नरपत सिंह राजवी का क्या रोल है? यह बताइए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : ऐसा है, ऐसा कहीं उसके एक्ट में लिखा नहीं कि स्थानीय विधायक उसका मेम्बर होगा। ऐसा कुछ नहीं लिखा कि कौन व्यक्ति इसका मेम्बर होगा? (व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा : राजनैतिक दबाव के कारण, झगड़े का कारण यही है? आप बताइये, क्यों उनको मैम्बर बनाया गया? (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : उसका कोई नामजद नहीं है कि कौन इसका मैम्बर बनेगा? (व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा : यही तो + + + है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : लेकिन केवल 16 पंचायतों के प्रतिनिधियों के बारे में जरूर तय है कि इन 16 पंचायतों में से कितने मैम्बर होंगे। यह तो उनके विधान में है लेकिन जो अतिरिक्त मैम्बर हैं, उसके बारे में नहीं लिखा है। तो वे मैम्बर हैं: —(1) मन्नालाल जी शर्मा, ग्राम मंडफिया (2) लक्खाजी गुर्जर, ग्राम मंडफिया (3) उदाजी जाट, गिद्धखेड़ा (4) बक्शीराम जाट, मंडफिया (5) हरकलाल बसेर, भदेसर और नरपतसिंह, विधायक..... (व्यवधान) कोई नहीं मरा है।

श्री राजेन्द्र पारीक : कई लोग तो स्वर्गवासी हो चुके हैं। परलोक में है, कुछ तो

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री राजेन्द्र पारीक)

स्वर्गलोक पहुंच गये। जो दुनिया में नहीं है, क्यों मैम्बर बने हैं? बता दो। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : यह कोई आवश्यक नहीं है।

श्री परसादी लाल मीणा : नरपत सिंहजी क्यों मेम्बर बने? आप बता दो। क्या है नरपतसिंह जी का वहां इसमें? (व्यवधान) आप लोकल विधायक.....

श्री गुलाबचन्द कटारिया : श्रीमन् इसमें कोई आवश्यक नहीं है कि कोई विधायक है या कोई.....(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : यह झगड़ा इसमें अपने नाम को लगाने को लेकर है। झगड़ा अपने नाम को उसमें लगाने को लेकर ही पैदा हुआ। यहां ये स्वयं भूमि पूजन के दिन उपस्थित थे जब भैरोंसिंह जी शेखावत ने इसका भूमि पूजन किया था उस दिन ये स्वयं उपस्थित थे लेकिन चूंकि बना हुआ पट्ट पर इनका नाम नहीं था इसलिये झगड़े का सवाल यहां है और कहीं जगह नहीं है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह सदन का उपयोग इसलिये किया जा रहा है कि इनको मेम्बर बनाओ। यह नियमों में व्यवस्था है क्या?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : सवाल किस बात का, किस बात का सवाल है? कि कौन किसका नाम होगा या नहीं होगा। यह तो

डॉ. शंकर धानूदा : मंत्री महोदय, मंत्री महोदय, मेरी बात सुनिये। यह जो पट्ट है, इस पट्ट पर आपका नाम है, इस पट्ट पर ललितजी का नाम है, यह झूठा पट्ट है। इस पट्ट के टुकड़े-टुकड़े कर दिये जाएंगे। (व्यवधान) यह झूठा पट्ट लगाया है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : इतना बड़ा बवेला खड़ा कर दिया। हममें से कोई भी व्यक्ति मंडफिया जाना चाहे और वहां की जनता में अगर कोई असंतोष है तो उससे पूछा जाये.....

श्री परसादी लाल मीणा : लोकल मेम्बर को, एम.एल.ए. को क्यों ले रखा है आपने?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : एक भी असंतोष नहीं है, असंतोष को भड़काने का प्रयास किया गया तब यह असंतोष फैला है, और कोई असंतोष नहीं है। (व्यवधान) आपमें से कोई जाकर उसकी रिपोर्ट लेकर आ जाये। वहां सब लोग और क्षेत्र की जनता इसको सराह रही है। 25 करोड़ रुपये लगाकर वहां का विकास हो रहा है, यह बरदाश्त नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : कमेटी का गठन कर दीजिये माननीय मंत्रीजी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : .....और यह भी किसी से भीख मांगकर नहीं लाया जा रहा है और जनता अपना पैसा गुल्लक में डालती है, आखिर यह 5-10 साल का प्रोजेक्ट है, यह कोई 1-2 दिन में पूरा होने वाला प्रोजेक्ट नहीं है। राजनीति इतनी छोटी स्तर पर चली गयी

Page No. 123

(123)

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

कि मेरा नहीं है नाम, तो मुझे उससे चिढ़ है। (व्यवधान) इसके कारण से यहां खड़ा होकर....

डॉ. शंकर भानूदा : इस पट्ट के टुकड़े करके आपके घर पहुंचाया जाएगा। अपनी जेब से पैसा खर्च करके हमने मंदिरों पर लगाया है। (व्यवधान) नाम की अगर भूख अगर होती तो मंत्री महोदय.....

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई। परसादी लाल मीणा। प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 131 के तहत माननीय सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : हाउस के सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाए जो कि सच्चाई का पता लगाएगी हाउस की कमेटी उस स्थान पर जाएगी और सच्चाई का पता लगाएगी। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय परसादीलालजी मीणा। (व्यवधान) कृपया, ताम्बीजी, बिराजें। अमरा रामजी, बिराजें। माननीय अमराराम जी बिराजें। माननीय परसादीलाल जी। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक (सुमेरपुर) : सर, आन ए पाइंट आफ इन्फोर्मेशन..... (व्यवधान)

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हो गयी।

डॉ. शंकर भानूदा (कपासन) : हमको बोलने का मौका दिया जाए।

श्री सभापति : प्रक्रिया नियम 131 के अन्तर्गत माननीय परसादीलाल जी। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : आन ए पाइंट आफ इन्फोर्मेशन। (व्यवधान) सुनिये तो सही।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सांवलिया सेठ से मांगो जाकर।

(15.10 बजे)

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्रीमती बीना काक : सर, आन ए पाइंट आफ इन्फोर्मेशन।

डॉ. शंकर भानूदा : क्योंकि मेरी तरफ इंगित करके मंत्री महोदय ने कुछ आरोप लगाये हैं। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अभी बहुत ही ज्यादा गैर जिम्मेदार तरीके से मेरी तरफ अंगुली करके कुछ आरोप लगाये। मेरा इसमें निवेदन है कि वह जो शिलापट्ट लगा मंदिर पर, उस पर छह नाम हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डाक्टर साहब, बिराजें। (व्यवधान) बिराजें।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : इनके ऊपर आरोप लगाये हैं.....

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये तो सही।

डॉ. शंकर भानूदा : मेरी तरफ इंगित करके मंत्री महोदय ने आरोप लगाया है, मुझे स्पष्टीकरण देने दीजिये। वह जो शिलापट्ट लगाया उस पर सबसे पहले मुख्य मंत्रीजी का नाम है, स्वागत है। वैसे तो मंदिरों के उद्घाटन पर किसी बड़े नेता का नाम लिखना,

(डॉ. शंकर भानूदा)

कोई उद्घाटन, अपनी जेब से कोई कराये, मंदिर बनाये, वह भी मान सकते हैं लेकिन अगर सार्वजनिक मंदिर है तो उसका उद्घाटन करना, उद्घाटन पर अपना नाम चिपकाना.....

श्री उपाध्यक्ष : आरोप क्या लगाया है ?

डॉ. शंकर भानूदा : यह आरोप लगाया है कि मेरा नाम नहीं लिखा उस पर, इसलिये मैं नाराज हूं। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं, यह आरोप लगाया है मेरे ऊपर, मैं इसे अपनी तौहीन समझता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। आप बिराज जाएं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : यह तो सच है कि उस बोर्ड पर इनका नाम है नहीं, मैं मानता हूं, सच है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया।

श्री अमरा राम (धोद) : मंत्रीजी ने यह कहा कि इनका नाम नहीं है इसलिये यह मुद्दा उठाया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन कर रहा हूं, कृपया बिराजें।

डॉ. शंकर भानूदा : एक मिनट मेरी बात सुन लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप एक मिनट बिराज जाएं, मेरी बात तो सुने पहले। (व्यवधान) मेरी बात सुनिये आप पहले, बिराजिये। मैं निवेदन कर रहा हूं, आप कृपया बिराजें। कार्यवाही को मैं देख लूंगा, उसमें आरोप वाली कोई बात होगी तो मैं हटा दूंगा। कहां दिक्कत आ रही है।

श्री किशन मोटवानी : हटाने वाली बात नहीं है.....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं कार्यवाही को देख लूंगा, देखने के बाद कोई बात होगी तो आपको आज भी उसका खण्डन करने का अधिकार है, कल भी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बिराजें। (व्यवधान)

डॉ. शंकर भानूदा : बहुत ही छोटी बात है। उपाध्यक्ष महोदय, मंदिर पर जो शिलालेख है उस शिलालेख पर मुख्य मंत्रीजी का.....

श्री उपाध्यक्ष : श्री ललित किशोर जी चतुर्वेदी।

श्रीमती बीना काक : सर, आन ए पाइंट आफ इन्फोर्मेशन। एक इन्फोर्मेशन देनी है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आप कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं क्या ?

श्री परसादी लाल मीणा : बोल रहा हूं न।

श्री उपाध्यक्ष : तो बोलिये न। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : सर, आन ए पाइंट आफ इन्फोर्मेशन। (व्यवधान)

डॉ. शंकर भानूदा : और गुलाबचन्दजी कटारिया का नाम है जबकि वह वहां उपस्थित नहीं थे। यह झूठा वहां पर पट्ट लगाया गया

(डॉ. शंकर भानूदा)

है। मंदिर के द्वार पर झूठा पट्ट लगाना, यह कहां की समझदारी है। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : सर, आन ए पाइंट आफ इन्फोर्मेशन।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

सार्वजनिक निर्माण विभाग में कैडर स्ट्रेंथ के आधार पर आरक्षण की पूर्ति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग में कैडर स्ट्रेंथ के आधार पर आरक्षण की पूर्ति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति की ओर सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं।

डॉ. शंकर भानूदा : उपाध्यक्ष महोदय, जब उद्घाटन किया गया था तब न तो ललित किशोर चतुर्वेदीजी वहां थे, न गुलाबचन्दजी कटारिया वहां थे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय, कृपया बिराजें। वह प्रसंग समाप्त हो गया। आप बिराजें।

डॉ. शंकर भानूदा : उसके बावजूद इनका नाम वहां लगाया। शौक इनको है या मेरे को है? उस पट्ट पर इनके साथ नाम लिखवाना मैं अपनी तोहीन समझता हूं। वह सांवलियाजी के दरबार में लगी एच.एस. पट्टिका है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बिराजें।

श्रीमती बीना काक : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट दे दीजिये मुझे। आन ए पाइंट आफ इन्फोर्मेशन।

श्री उपाध्यक्ष : थोड़ा ठहरिये आप। इसके बाद दे देना।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मेरे बाद दे देना।

श्रीमती बीना काक : आप तो पता नहीं है कितना बोलेंगे।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : तो क्या हो गया, क्या तकलीफ है।

श्री उपाध्यक्ष : ज्यादा नहीं बोलेंगे।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के कार्य संचालन सम्बन्धी प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत लालसोट से आने वाले माननीय विधायक महोदय ने मेरा ध्यान आकर्षित किया है उसके विषय में सरकार की ओर से वक्तव्य इस प्रकार है:—

उपाध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग में 20 राजपत्रित संवर्ग एवं 25 अराजपत्रित संवर्ग के पद हैं। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मूलतः राजपत्रित संवर्ग से संबंधित है अतः मैं इस बारे में सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि राजपत्रित संवर्ग में राज्य स्तर सेवा में प्रवेश हेतु प्रावधान निम्नानुसार है:—

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

सहायक अभियन्ता	सीधी भर्ती द्वारा	50 %
	पदोन्नति द्वारा	50 %
सहायक वास्तुविद	सीधी भर्ती द्वारा	75 %
	पदोन्नति द्वारा	25 %
सहायक परीक्षण अधिकारी	सीधी भर्ती द्वारा	50 %
	पदोन्नति द्वारा	50 %
चौथी कैटेगरी है उद्यान अधीक्षक		50 %
		50 %

सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के लिये चयन राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से किया जाता है। इस प्रकार चयन करते समय आरक्षित कोटे के पद नहीं भरे जा सके तो आरक्षित कोटा अपूर्ण रह जाता है। ऐसी परिस्थिति में यह पद अगले तीन वर्षों के लिये कैरी फारवर्ड हो जाते हैं। पदोन्नति से भरे जाने वाले पद सेवा नियमों के अन्तर्गत विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषा के आधार पर भरे जाते हैं। इन पदों को भरने के लिये निम्नांकित प्रक्रिया अपनायी जाती है: —

अगर रिक्त पदों की संख्या 1 है तो जोन आफ कन्सीडरेशन में 5, 2 है तो 8, तीन है तो 10, 3 से अधिक है तो सामान्य पदों में तीन गुना और आरक्षित पदों में पांच गुना। यदि तीन गुना विचार क्षेत्र में ही आरक्षित संवर्ग के पर्याप्त व्यक्ति उपलब्ध होते हैं तो विचाराधीन क्षेत्र को पांच गुने तक ले जाने की आवश्यकता नहीं होती। पदोन्नति से भरे जाने वाले पद क्रमशः मैरिट व वरिष्ठता के आधार पर भरे जाते हैं। यदि मेरिट से भरे जाने वाले पदों के लिये पर्याप्त संख्या में व्यक्ति उपलब्ध नहीं होते तो इन पदों पर वरिष्ठता से भी पदोन्नति की जाती है। यही प्रक्रिया सामान्य एवं आरक्षित व्यक्तियों के लिये एक समान अपनाई जाती है। विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के समय जो ब्यौरा दिया जाता है उसमें पदोन्नति हेतु उपलब्ध कुल पदों में रोस्टर के अनुसार आरक्षित पदों की संख्या भी दी जाती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मुख्यतः सहायक अभियन्ता संवर्ग के विषय में प्रश्न उठाया है। आपके माध्यम से एक जानकारी तो मैं उनको देना चाहूंगा कि उन्होंने सहायक अभियन्ता के कुल पदों की संख्या 925 बताई है किन्तु वह सहायक अभियन्ताओं की संख्या, सिविल की, 897 है जिसमें से 472 स्थाई पद हैं, 303 अस्थाई पद हैं और 95 प्रतिनियुक्ति के हैं। यह प्रतिनियुक्ति के पद समय-समय पर कमी बेशी होते रहते हैं। वर्ष 1996-97 में सार्वजनिक निर्माण विभाग में सहायक अभियन्ताओं के उपलब्ध 362 रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी। इन उपलब्ध पदों में 300 पद कनिष्ठ अभियन्ताओं के पदों की सहायक अभियन्ताओं के पदों में क्रमोन्नति करने के फलस्वरूप एवं 62 पद सेवानिवृत्ति एवं उच्च पदों पर पदोन्नति होने के फलस्वरूप उपलब्ध हुये। इन 62 पदों में से 30 पद राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के माध्यम से भरे जाने थे एवं 32 विभागीय पदोन्नति समिति के

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

माध्यम से भरे जाने थे। इस प्रकार पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों की संख्या 332 निर्धारित हो गयी। इन 332 पदों में से 133 पद कनिष्ठ अभियन्ता डिग्रीधारी, 2 कैटेगरी है, कुछ डिग्रीधारी में से, कुछ डिप्लोमाधारी में से। 332 पदों में से 133 पद कनिष्ठ अभियन्ता डिग्रीधारी एवं 199 पद कनिष्ठ अभियन्ता डिप्लोमाधारी के लिये थे 40 और 60 के रेशों में। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आरक्षण कोटे के अनुसार उक्त 332 पदों में से डिग्रीधारी द्वारा भरे जाने वाले पदों में अनुसूचित जाति के 22, अनुसूचित जनजाति के 16 और डिप्लोमाधारी अधिकारियों में अनुसूचित जनजाति के 32 एवं अनुसूचित जनजाति के 24 पद निर्धारित किये गये। पिछले तीन वर्षों के बैकलॉग को जोड़ते हुये डिग्रीधारी कनिष्ठ अभियन्ता अनुसूचित जाति के 28 पद, जनजाति के 21 पद, डिप्लोमाधारी कनिष्ठ अभियन्ताओं के 44 पद, अनुसूचित जनजाति के 34 पद आरक्षित कोटे में थे। उक्त कोटे के अनुसार अधिकारी पात्रता जोन में उपलब्ध थे अतः वर्ष 1996-97 के लिये रिक्त पदों को रोस्टर के अनुसार भर दिये गये और 1996-97 में कोई बैकलॉग अवस्थित नहीं रहा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां यह भी उल्लेखनीय है कि विभागीय पदोन्नति समिति ने नियम 24 ए उपनियम 11 बी के तहत भविष्य में उपलब्ध होने वाले सहायक अभियंताओं के रिक्त पदों को भरने के लिये पैनल भी तैयार किया था जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों का भी चयन किया गया था। नियमित चयनित व्यक्तियों के पदोन्नति आदेश जारी होने के बाद 1997-98 में हुये रिक्त पद तथा रिटायरमैंट द्वारा, उच्च पदों पर पदोन्नति द्वारा सहायक अभियन्ताओं के प्रतिनियुक्ति पर जाने से एवं विभाग में उपलब्ध सीधी भर्ती से भरे जाने वाले सहायक अभियन्ताओं के पद समय-समय पर उपलब्ध रहे हैं। इन पदों को लम्बी अवधि के लिये रिक्त रखना राज्य हित में नहीं था अतः राज्य सरकार ने समय-समय पर नियमित चयनित सहायक अभियंताओं के उपलब्ध होने तक इन रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति के किये गये पैनल में से कनिष्ठ अभियन्ताओं को रिव्यू एंड रिवीजन के आधार पर पदोन्नति देनी प्रारम्भ कर दी। रिव्यू एंड रिवीजन के आधार पर पदोन्नति प्राप्त करने वाले साधारण, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की संख्या निम्न प्रकार है: ––

रिव्यू एंड रिवीजन के आधार पर पदोन्नति-डिग्रीधारियों में साधारण 39, अनुसूचित जाति में 11, अनुसूचित जनजाति में 8, डिप्लोमाधारी में साधारण 55, अनुसूचित जाति के 21, अनुसूचित जनजाति के 14, प्रतिनियुक्ति पर गये 26 सहायक अभियंताओं को परावर्तन से बात शुरू होती है। 26 अभियंताओं को विभाग ने परावर्तित कर दिया वापस भेज दिया एवं वर्ष 1996-97 में उपलब्ध सीधी भर्ती द्वारा 30 पदों में से 18 सहायक अभियन्ताओं की नियुक्ति भी राज्य

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

सरकार ने कर दी। सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि के कारण पदोन्नति हेतु इस वर्ष रिक्त पदों की संख्या में कुछ कमी आयी है परन्तु उसके कारण उत्पन्न होने वाली समस्या का समाधान पर्याप्त संख्या में सहायक अभियंताओं को प्रतिनियुक्ति पर भेजने के माध्यम से किया गया और इसलिये माननीय सदस्य ने जो अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में चर्चा की है कि सेवानिवृत्ति के कारण पदावनत होने के चांसेज हैं तो वैसे कोई चांसेज नहीं है।

जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया कि विभाग में सहायक अभियन्ता सिविल के कुल स्वीकृत पदों की संख्या 802 और प्रतिनियुक्ति पर गये 95 सहायक अभियन्ताओं को शामिल करते हुये यह संख्या 897 है। इन पदं के विरुद्ध विभाग में इस समय अनुसूचित जाति के सहायक अभियन्ताओं की संख्या 138 है और अनुसूचित जनजाति के सहायक अभियन्ताओं की 107 है और अनुसूचित जाति में यह संख्या होनी चाहिए 143 पांच कम है और अनुसूचित जनजाति में 107 होनी चाहिए जो पूरी है। पांच इसलिये है कि अभ्यर्थी अवेलेबल नहीं है।

मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यगण को आश्वस्त करना चाहता हूं कि एक शंका उनकी भी थी, एक चर्चा हो गयी थी कहीं न कहीं कि पदावनत हो रहे हैं और पदावनत होने में शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के निकाले जाएंगे। मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के हितों के प्रति पूर्णरूप से जाग्रत है तथा किसी भी सहायक अभियन्ताओं को कनिष्ठ अभियन्ताओं के पद पर पदावनत करने का इरादा नहीं रखती है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब कुछ नहीं रहा।

श्री परसादी लाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी को.....

श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी : अब क्या बाकी रह गया?

श्री परसादी लाल मीणा : सुनिये, आप सुन तो लो।

श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी : धन्यवाद देना बाकी रहा अब।

श्री परसादी लाल मीणा : लगाया है, मंत्रीजी को धन्यवाद नहीं दूं?

श्री बद्री प्रसाद गुरूजी : धन्यवाद दे दो अब।

श्री परसादी लाल मीणा : हां, मैं दे रहा हूं धन्यवाद आप देने नहीं दे रहे हो। आप चाहते नहीं हो कि मैं धन्यवाद दूं। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मेरी शंका का निवारण मंत्रीजी ने किया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। एक मेरे को जो जवाब मिला है उसमें आपने लिखा है कि फिलहाल राज्य सरकार का किसी भी सहायक अभियन्ता को, "फिलहाल" शब्द नहीं रखें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : फिलहाल भी नहीं रखा, हटा दिया। हटा दिया फिलहाल को।

श्री परसादीलाल मीणा : बस यही आश्वासन चाहता हूं। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। हां।

श्रीमती बीना काक : आपने इजाजत दी है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में 'ए' क्लास कृषि मंडी है उसमें आज तक कभी भी किसानों से अपने तिलहन, ग्रेन है, फूड ग्रेन है इनको ले जाने के लिये प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाता था। राज्य सरकार जो किसानों के बारे में बहुत बढ़-चढ़ कर बात करती है इस बार ट्रेक्टर, ट्रक, छकड़ा, ट्रेक्टर ट्रालियां जो भी गाड़ियां.....

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह पाइंट आफ इन्फोर्मेशन है ?

श्रीमती बीना काक : महावीरजी, कभी तो आप सीरियस हो जाया कीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : चलो, मैं हो जाता हूं सीरियस।

श्रीमती बीना काक : उनके लिये प्रवेश.....

श्री उपाध्यक्ष : मैं सीरियस हो जाता हूं, आप बिराज जाएं।

श्रीमती बीना काक : मतलब मैं अपना पाइंट आफ इन्फोर्मेशन नहीं बता सकती ?

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, यह पाइंट आफ इन्फोर्मेशन नहीं है।

श्रीमती बीना काक : यह पाइंट आफ इन्फोर्मेशन नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष : नहीं है।

श्रीमती बीना काक : वहां पर धरने पर किसान बैठे हुये हैं और आप इसे कह रहे हैं कि ये पाइंट आफ इन्फोर्मेशन नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बिराज जाएं।

श्रीमती बीना काक : प्रवेश शुल्क लगा दिया गया है 15-15, 20-20 रुपये और 10 रुपये हर छकड़े को जाने के लिये.....(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, ये काहे का शून्यकाल का प्रयोग करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : कल आप शून्य काल का प्रयोग करें, बिराजें आप। (व्यवधान) माननीय मंत्री महोदय, मैंने इजाजत नहीं दी आप बिराज जाएं। श्री वी.पी.सिंह। सुनिये श्री वी.पी.सिंह सिंचाई मंत्री अनुदान की मांग संख्या 46 सिंचाई एवं अनुदान की मांग संख्या 38 लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण विचार एवं मतदान के लिये प्रस्ताव करेंगे।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 46-सिंचाई की प्रस्तुति

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (सिंचाई मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 46 सिंचाई के संबंध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त

श्रीमती बीना काक : वहां हड़ताल हो रही है कह रहे हैं शून्य काल का प्रयोग कीजिये। कल तक रुके रहिये। (व्यवधान) मैं वाक आउट कर जाती हूं। वी.पी.सिंह जी को बोलने दो।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : राज्यपाल महोदय को रुपये 13,37,17,18,000/- (तेरह अरब सैंतीस करोड़ सतरह लाख अठारह हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है प्रदान की जावे।

मांग संख्या 46 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 46 मुख्य शीर्षक सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि: —

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर)

1. सिंचाई योजनाओं को एक-एक वर्ष से ज्यादा लम्बित रखने तथा आक्षेपों की पूर्ति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई)

2. इंदिरा गांधी नहर की समय-समय पर होने वाली सफाई न कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कालूलाल गूजर (मांडल)

3. मेजर फीडर भीलवाड़ा में हो रही भारी टूट फूट से खराब होने वाली पानी की रोक तथा फीडर की मरम्मत के लिये उचित व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

4. बीसलपुर परियोजना से भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर, शाहपुरा, भीलवाड़ा एवं मांडल कस्बे को पेयजल हेतु पानी का हिस्सा तय करने एवं रिजर्व करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमंद)

5. राजसमंद जिले के चिकीलवास बांध से राजसमंद तहसील में सिंचाई नहरों के निर्माण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर)

6. पूगल शाखा की टेल से केजेडी नहर की आर.डी. 146 तक माइनर बनाकर केजेडी नहर के आर.डी. 146 से डाउन स्ट्रीम के काश्तकारों को निर्धारित मात्रा में सिंचाई जल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर)

7. नहरों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

8. गंग कैनालको पक्का करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

9. साधुवाली हैड से शिवपुर हैड तक जाने वाली लिफ्ट को पूरा कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

10. नहरों की टैल पर बसे हुये ग्रामीणों को सिंचाई का पर्याप्त पानी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया (सादुलपुर)

11. नोहर-साहबा लिफ्ट सिंचाई के कार्य में धीमी गति से उत्पन्न जनाक्रोश पर चर्चा के लिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़)

12. सिंचाई विभाग तथा इंदिरा गांधी नहर परियोजना में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

13. जोधपुर जिले के बांधों, एनीकट्स एवं बड़े तालाबों की मरम्मत पर ध्यान नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली)

14. कोटा शहर को बाढ़ से बचाने हेतु कुछ तालाबों का पानी चम्बल नदी में डालने के लिये डाइवरजन कैनाल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

15. कोटा बैराज के पानी की लीकेज बंद करने के लिये चल रहे ग्राउटिंग वर्क के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर)

16. ब्यावर विधान सभा क्षेत्र में रूपाणा फिडर तथा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में सभी तालाबों व मोरियों के उचित रख-रखाव की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (फागी)

17. सिंचाई विभाग के बांधों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

18. छापरवाड़ा बांध से निकलने वाली नहरों को पक्की कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डॉ. जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी)

19. खेतड़ी तहसील में पंचायत हटडिया में खाखली, सुनारी चिटानी में एनीकट के निर्माण एवं लोयल गांव को बाढ़ से बचाने हेतु खोल की ढाणी (नंगली) में एनीकट के पुर्ननिर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर)

20. इस वर्ष इंदिरा गांधी नहर परियोजना के स्त्रोत स्थानों पर पर्याप्त जल उपलब्धि के मद्दे नजर कंवर सेन नहर प्रणाली में 3.9 क्यूसेक्स पानी प्रति हजार यथावत रखे जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

21. कंवरसेन नहर प्रणाली के जल प्रवाह की वर्तमान व्यवस्था 200 क्यूसेक के साथ-साथ एक पारी में 250 व दूसरी पारी में 200 क्यूसेक पानी प्रतिमाह यथावत रखे जाने की आवश्यकता पर चर्चा हेतु।

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा)

22. खैरवाड़ा तहसील क्षेत्र के विभिन्न बांधों की कैनालों की मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

23. खैरवाड़ा में गोदावरी बांध की दो मीटर ऊंचाई करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री दयाराम परमार)

24. झांझरी बांध का कार्य प्रारम्भ नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

25. खैरवाड़ा में सिंचाई उपखण्ड खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई)

26. बीसलपुर बांध पर नहरों के निर्माण में ढिलाई बरते जाने से टौंक जिले में उत्पन्न संकट की स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल (सूरसागर)

27. केशवरायपाटन सिंचित क्षेत्र के अधिकारियों एवं अधिकांश कर्मचारियों के मुख्यालय पर न रहने से नहरी पानी की अव्यवस्था एवं बड़े कृषकों द्वारा मनमानी से पानी लेने से अधिकांश कृषकों को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

28. बून्दी जिले की बांई मुख्य नहर की बून्दी ब्रान्च, कापरेन ब्रान्च एवं केशवरायपाटन ब्रान्च में दो से तीन फीट मिट्टी भर जाने से पर्याप्त पानी छोटी नहरों एवं अन्तिम छोर पर न पहुंचने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

29. चम्बल सिंचित क्षेत्र की बांई नहर क्षेत्र में नहरों डेनों की सफाई, खुदाई एवं जंगल कटाई का पर्याप्त बजट गत कई वर्षों से न देने से नहरों ड्रेनों की हालत खराब होने से कृषक वर्ग को हो रही भारी परेशानी एवं आर्थिक नुकसान से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

30. चम्बल सिंचित क्षेत्र की नहरों की सफाई खुदाई में मशीनों के प्रर्याप्त उपयोग न करने से वर्ष दर वर्ष नहरों की हो रही अत्यन्त खराब हालत से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

31. चम्बल सिंचित क्षेत्र विकास की बांई मुख्य नहर क्षेत्र से एक लाख पांच हजार हैक्टेयर एरिया होने से राज्य सरकार की नीतिनुसार केशवरायपाटन में अधिशासी अभियन्ता कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर (केकड़ी)

32. केकड़ी गुघल्ली बांध के निर्माण नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही)

33. सिरोही तहसील का कमेरा बांध स्वीकृत होने के बावजूद लम्बे समय से बांध का निर्माण कार्य शुरू नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

34. सिरोही जिले का लगभग 6 हजार एम.सी. फीट पानी व्यर्थ बहकर चला जाने एवं उसको रोकने की समुचित व्यवस्था के लिये कैलाश नगर बांध एवं कृष्णगंज में मायला गोड बांध बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

35. जवाई नदी पर जवाई बांध बनाने से शिवगंज तहसील का जल स्तर नीचे चले जाने तथा शिवगंज तहसील के रेगिस्तान में परिवर्तित होने एवं काश्तकारों की खेती को जवाई बांध का पानी न देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर)

36. सिंचाई के बड़े तालाबों की नहरों का उचित रख-रखाव नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भगराज चौधरी (आहोर)

37. जालौर जिले में स्थित बांकली बांध के जलग्रहण क्षेत्र में सरकार द्वारा स्वीकृत पाली जिले की उमकली फीडर सिंचाई योजना को निरस्त करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

38. जवाई नदी के दोनों किनारों पर जालौर जिले में बसे सैकड़ों गांवों के हजारों कृषि कुओं एवं पेयजल विभाग द्वारा जल आपूर्ति हेतु निर्मित सैकड़ों पेयजल स्रोतों में जल स्तर नीचे जाने के कारण जवाई बांध के गेट्स को वर्षा के दिनों में खुले रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम)

39. पांचना बांध का पानी नादौती तहसील के गांवों को दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर)

40. साहवा लिफ्ट का कार्य धीमी गति से चलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

41. साहबा लिफ्ट योजना के अन्तर्गत नोहर तहसील व सरदारशहर तहसील के गांवों में कार्य को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर)

42. राजस्थान का रावी व्यास के पानी पर बने हैड वर्क्स पर संयुक्त कन्ट्रोल नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

43. राजस्थान को अन्तर्राज्यीय समझौतों के अनुसार पानी दिलाये जाने में राज्य सरकार द्वारा त्वरित कार्यवाही की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

44. भरतपुर में यमुना जल समझौते के अनुसार यमुना का जल नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

45. भरतपुर जिले में आई बाढ़ से टूटे हुये बांधों एवं नहरों की मरम्मत शीघ्र करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा)

46. टी.डी. II एनीकट का निर्माण मय नहर एवं देलवास से चावण्ड पीकअप बीयर जयसमन्द की नहरों का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भरतसिंह (खानपुर)

47. कोटा सम्भाग की रियासत काल की रपटों के स्थान पर नई उच्च स्तरीय पुलिया का निर्माण कर एनीकट के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. कोटा के आलनिया बांध की सुरक्षा के कार्य करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

49. हरिश्चन्द्र सागर तथा सावनभादों सिंचाई योजना की नहरों की खस्ता हालत को

(श्री भरतसिंह)

सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर)

50. सुजान गंगा भरतपुर की नहर पर से सिंचाई विभाग के अतिक्रमण को हटाया जाकर प्रति वर्ष शुद्ध जल भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा)

51. राइट मेन कैनाल से खापुरिया लिफ्ट स्कीम की स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

52. बून्दी जिले में चाकल बांध परियोजना को स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

53. कोटा जिले में गणेशगंज लिफ्ट स्कीम पर धोरे (आउटलेट) नहीं बनवाने से पानी व्यर्थ बहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

54. कोटा राइट मैन कैनाल से निकाली गई गणेशगंज लिफ्ट स्कीम की समय पर सफाई व बेड कटिंग नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जयन्तिलाल कोली (रेवदर)

55. पंचदेवल बांध तहसील रेवदर जिला सिरोही को प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

56. रेवदर तहसील जिला सिरोही के सुकली सैलवाड़ा की प्रशासनिक स्वीकृति होने के बाद भी वित्तीय स्वीकृति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर)

57. जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सवाईमाधोपुर द्वारा विशिष्ट योजना के अन्तर्गत आबंटित ग्रामों में सिंचाई विभाग द्वारा वर्ष 1995-96, 1996-97, 1997-98 तक निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करवाने एवं फर्जी तकमीना बनाकर आबंटित राशि उठाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

58. अधिशासी अभियन्ता, कार्यालय सवाईमाधोपुर सहायक अभियन्ता, सवाईमाधोपुर गंगापुर-हिण्डौन-करौली द्वारा वर्ष 1995-96, 1996-97 व 1997-98 में नहरों व बांधों की मरम्मत के नाम पर मात्र तीन दिन के कार्य में लाखों का भुगतान करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

59. अधिशासी अभियन्ता कार्यालय सवाईमाधोपुर द्वारा बरसात ऋतु में वर्ष 1995-96, 1996-97 व 1997-98 में इमरजेन्ट वर्क के नाम पर लाखों रुपयों के फर्जी भुगतान उठा लिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

60. गंगापुर विधान सभा क्षेत्र में मुख्य सिंचाई का बांध, पांचना परियोजना, इक्कीस साल में भी पूर्ण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

Page No. 135

135

श्री भीखा भाई (सागवाड़ा)

61. डोडीसर बांध मारणिया महुडा बांध एवं डूंगरपुर की अन्य सिंचाई योजनाओं तथा अन्य नहरों की दुरुस्ती करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
62. सागवाड़ा माही नहर पर 1970 के दशक से आज तक कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं करने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री भीमराज भाटी (पाली)

63. जवाई बांध जिला पाली की नहरों एवं बांध के जीर्णोद्धार करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
64. जिला पाली के सरदार समन्द, हेमावास, बाणियावास, गरवलिया, खारड़ा बांधों की नहरों एवं बांधों की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
65. जिला पाली के पंचायत समिति रोहट के वायद बांध का जीर्णोद्धार करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)

66. सिंचाई हेतु देश की विभिन्न सिंचाई योजनाओं से राजस्थान को मिलने वाले पानी में राज्य सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।
67. झुन्झुनूं जिले में सिंचाई हेतु नहर द्वारा पानी लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण)

68. माही परियोजना एवं कड़ाणा परियोजना के अन्तर्गत डूब क्षेत्र के प्रभावित किसानों को कृषि हेतु भूमि आवंटित कराने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल शर्मा (धौलपुर)

69. धौलपुर में पार्वती बांध का कमाण्ड एरिया जहां आज तक सिंचाई नहीं हुई है उस कमाण्ड एरिया को समाप्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
70. सिंचाई उप खण्ड धौलपुर के कार्यालय को बाड़ी स्थानान्तरण करने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।
71. धौलपुर जिले का ओंडेला बंधा कई वर्षों से टूटा पड़ा है, मरम्मत के लिये स्वीकृत राशि के बावजूद भी मरम्मत नहीं कराने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।
72. धौलपुर जिले के उर्मिला सागर की नहर को पक्का नहीं बनाने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर)

73. जवाई बांध का पानी जवाई नदी में निर्बाध गति से निरन्तर न छोड़ने से जालौर जिले में भू जल स्तर से आई गिरावट को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा)

74. जालिया II में निर्मित जालिया बांध की नहरों को पक्की बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

75. देवीसागर फिडर रामगढ़ पंचायत मसूदा को पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर)

76. गंगनहर तथा इंदिरा गांधी नहर से सिल्ट निकलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

77. गंगनहर और भाखड़ा प्रणाली की वितरिकाओं तथा माईनर का आधुनिकीकरण कर इन्हें पक्का करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

78. गंगनहर, भाखड़ा नहर व इंदिरा गांधी नहर में अन्तर्राज्यीय समझौते के अनुसार पूर्ण मात्रा में पानी छोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

79. इंदिरा गांधी नहर के तल और पटरियों का पुनर्निर्माण करवाकर सीपेज को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

80. गंगनहर एवं इंदिरा गांधी नहर की नहरों की जीर्ण-शीर्ण अवस्था में सुधार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर)

81. के. पी. एम. माईनर के आर. डी. 16-17 के बीच आम रास्ते पर पुलिया निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

82. चक-3 एस.एल.एम. खाले का निर्माण यथाशीघ्र करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं)

83. इंदिरा गांधी नहर परियोजना में कार्यरत अभियन्ताओं के विरुद्ध चल रही कार्यवाहियों का निस्तारण लम्बे समय से नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

84. सिंचाई विभाग का खण्ड कार्यालय मेड़ता के बजाय जिला मुख्यालय नागौर में स्थानान्तरित करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

85. इंदिरा गांधी नहर से लिफ्ट योजना से लाडनूं तक पानी पहुंचाने की योजना को स्वीकृत नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

86. नागौर जिले में इंदिरा गांधी नहर से पीने का पानी लाने की योजना पर कार्य किये जाने हेतु विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

87. सिंचाई विभाग द्वारा नागौर जिले हेतु पर्याप्त मात्रा में धनराशि आवंटित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिनारायण (खण्डार)

88. सवाईमाधोपुर में ग्राम भैरोपुरा के निकट हम्मीर सागर का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

89. ग्राम मेडोला (सवाई माधोपुर) में फूटा तालाब को बांधने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री हरिनारायण)

90. खण्डार (सवाईमाधोपुर) में प्रस्तावित पीपलड़ा जलोत्थान सिंचाई परियोजना को चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

91. खण्डार (सवाईमाधोपुर) में प्रस्तावित वृहत इंदिरा जलोत्थान सिंचाई परियोजना को चालू कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

92. ईसरदा (सवाईमाधोपुर) में बनास नदी पर बांध निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैयालाल पाटीदार (पिड़ावा)

93. विधान सभा क्षेत्र पीड़ावा के चंवलीबांध परियोजना में अवाप्त की गई भूमि का बकाया मुआवजा शीघ्र दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

94. विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा (झालावाड़) के चंवली बांध परियोजना में डूब में आने वाली भूमि का सीमाज्ञान कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमरचन्द मिड्ढा (सूरतगढ़)

95. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ (गंगानगर) इंदिरा गांधी नहर की 165 आर.डी. मैन कैनाल से देवीदासपुरा, सांवलसर गांवों की सिंचाई हेतु एक माईनर कैनाल निकाली जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुनलाल जीनगर (गंगरार)

96. मरमी एनिकट को पूर्ण करने के लिये पर्याप्त वित्तीय प्रावधान करने एवं बनास नदी पर राशमी घाटे पर एनिकट बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

97. सामरा नाला बांध बल्दरखा (चित्तौड़) की स्वीकृति एवं ओडवाडिया डेम के कार्य को जल्दी पूर्ण कराने व उचकिया बांध के रख-रखाव के लिये पर्याप्त वित्तीय प्रावधान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

98. मात्रकुण्डिया बांध से नहरें निकालकर स्थानीय क्षेत्र के किसानों को कृषि के लिये पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा)

99. फलौदी नहर में चल रही कार्य की गति को तेज करने एवं समयावधि तय कर पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भीमराज भाटी (पाली)

100. हेमावास बांध के कमाण्ड क्षेत्र में मूलिचावास चबरडो की ढांणी काणतरा आदि गांवों की कृषि भूमि को सम्मिलित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

101. रोहट पंचायत समिति एवं पाली पंचायत समिति के गांवों में जवाई बांध का पानी सिंचाई के लिये उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 38-लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण की प्रस्तुति

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह (सिंचाई मंत्री) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-38 लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के संबंध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,46,33,74,000 (एक अरब छियालीस करोड़ तैंतीस लाख चोहत्तर हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है प्रदान की जावे।

मांग संख्या 38 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-38 मुख्य शीर्ष लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/ करेंगी कि: —

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी)

1. बूंदी जिले में गरडदा (लतारिया) बांध छोटे पुराने बांध, नहरों ड्रेनों की दयनीय स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर)

2. तहसील सांचौर में 1990 की बाढ़ से क्षतिग्रस्त एनिकटों का पुनः निर्माण अभी तक नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
3. चितलवाणा व केरिया सैकण्ड क्रोस बांध का निर्माण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डॉ. शंकर भानूदा (कपासन)

4. ग्राम भैरुपाल्या खेड़ा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ में अधूरे पड़े एनीकट को पूरा नहीं करने एवं दो फीट ऊंचा नहीं उठाये जाने से उत्पन्न जन असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई)

5. लघु सिंचाई के लिये दौसा जिले में रेहडिया बांध का विस्तार नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कालूलाल गूजर (मांडल)

6. भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी पर घुवाला (फरेडा) के पास एवं चानसेन के पास एनीकटों का निर्माण कराने हेतु चर्चा के लिये।
7. सिंचाई विभाग भीलवाड़ा द्वारा अकाल राहत कार्यों के तहत बनास नदी पर टुडिया एनीकट व कोठारी नदी पर बागौर के पास महासमितियां एनीकट बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
8. पंचायत समितियों के तालाब जिनमें काफी पानी की आवक है उन्हें बड़े तालाब या बांध बनाये जाने हेतु सिंचाई विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमंद)

9. राज्यावास पंचायत (राजसमंद) के गांव अमलोई के पास बनास नदी पर विचाराधीन एनीकट निर्माण की स्वीकृति

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

10. राजसमंद जिले में कुरज के पास बनास नदी पर निर्मित अधूरे एनीकट को पूरा कराने की स्वीकृति के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़)

11. लघु सिंचाई में हुई अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुनलाल जीनगर (गंगरार)

12. सामरा नाला बांध बन्दरखा (चित्तौड़गढ़) को स्वीकृत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

13. ओडवाडिया बांध साडास (चित्तौड़) के कार्य को जल्दी पूरा करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला)

14. खण्डेला विधान सभा क्षेत्र में छोटे-छोटे बांध बनाकर जलस्तर नहीं बढ़ाये जाने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी)

15. समरा बांध के बनने में हो रहे विलम्ब एवं रुके हुये कार्यों को प्रारम्भ न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डॉ जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी)

16. खेतड़ी निर्वाचन क्षेत्र की पंचायतों को वाटरशेड (भूसंरक्षण) योजना में लेने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर)

17. सुन्दरमाता (बागडी) पंचायत सं. 1 कोटड़ी जिला भीलवाड़ा में नई सिंचाई योजना का सर्वेक्षण कराने, बनास नदी में नये पीकअप एनीकट की योजना बनाने, जहाजपुर नगर हेतु बनास से जलोत्थान सिंचाई योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़)

18. ग्राम बढ़ाना, सवाईपुरा प्रथम चकमिटाई कोटिया के बांधों का कार्य शीघ्र ही स्वीकृत करवाकर कार्य चालू कराने जिनके तकमीने नहीं बने तकमीने तैयार करवाकर स्वीकृति जारी करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

19. दातारामगढ़, नीमकाथाना, खण्डेला (सीकर) क्षेत्र में भूमि के कटाव को तुरन्त रोकने एवं कुओं में पानी के स्तर को बढ़ाने की दृष्टि से एनीकटों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशवरायपाटन)

20. केशवरायपाटन क्षेत्र में पांच नदियों के खालों नालों से हर वर्ष मिट्टी कटाव से हो रहे भारी भू संक्षरण की रोकथाम हेतु छोटे छोटे चेकडेम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

21. लाखेरी (बूंदी) संरक्षण जिग-जिग डेम की मरम्मत कराने से कृषक वर्ग के कुओं का जल स्तर ऊंचा होने एवं छोटे कृषक को लाभ देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

22. केशवरायपाटन क्षेत्र में हजारों हेक्टर खाल नालों की भूमियों को भू-संरक्षण विभाग द्वारा समतल करने में विभागीय उदासीनता पर चर्चा के लिये।

23. चम्बल सिंचित क्षेत्र की केशवरायपाटन ब्रांच के अन्तिम छोर पर घाटका बराना के पास मात्र 1/2 किलोमीटर की दूरी पर से पानी लिफ्ट कर मुख्य नहर में डालकर अन्तिम छोर के तीस गांवों में पर्याप्त पानी देकर कृषक वर्ग को राहत देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

24. केशवरायपाटन क्षेत्र के लाखेरी में भू-संरक्षण विभाग का कार्यालय खोलने एवं सहायक अभियन्ता स्तर के अधिकारी को नियुक्ति देकर क्षेत्र में हो रहे भू-संक्षरण को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शम्भूदयाल बड्गूजर (केकड़ी)

25. बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुये अम्बापुरा बांध के शीघ्र पुनर्निर्माण नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

26. केकड़ी में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुये तालाबों की शीघ्र-अतिशीघ्र मरम्मत नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही)

27. शिवगंज तहसील की पालडी ग्राम पंचायत के गांव कोलरगढ़ (आम्बेश्वरी) में व्यर्थ बहते पानी को रोककर एनीकट बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

28. सिरोही क्षेत्र के ग्राम कृष्णगंज, कालन्द्री, धान्ता एवं मोकरोडा में एनीकट बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

29. सिरोही नगर का कालकाजी तालाब जो छोटे बांध के रूप में सिंचाई के काम आता है पूरा टूट फूट गया है तथा सभी नहरें भी टूट गई है की शीघ्र मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर)

30. राज्य में सर्वे शुदा तालाबों की स्वीकृति जारी नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

31. डूंगरपुर क्षेत्र के पंचायत समितियों की लघु सिंचाई की नहर नहीं बनने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

32. डूंगरपुर जिले में आवश्यक एनीकट नहीं बनने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर)

33. भूमि संरक्षण के मामलों में फैले भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भरतसिंह (खानपुर)

34. रियासत काल के बने तालाबों की सुरक्षा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री भरतसिंह)

35. झालावाड़ जिले में वर्षा ऋतु के व्यर्थ बहने वाले पानी का सदुपयोग करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़)

36. राज्य सरकार द्वारा कुशलगढ़ क्षेत्र में सिंचाई के अधूरे तालाबों को पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

37. राज्य सरकार द्वारा कुशलगढ़ क्षेत्र में पुराने तालाबों की टूट-फूट एवं नहरों को ठीक कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

38. बांसवाड़ा जिले में लघु सिंचाई के नये तालाबों का सर्वे पूरा कराकर स्वीकृति जारी कर किसानों को राहत देने में राज्य सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

39. राज्य सरकार कुशलगढ़ क्षेत्र के गोपलपुरा, पीपलोन, खजुरां, सीमेला, टिडीयां देव, देवली नाका के अधूरे सिंचाई तालाबों को प्लान में स्वीकृत पूर्ण कराने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा)

40. कृषि को बढ़ावा देने हेतु राज्य में अधिकाधिक लघु सिंचाई योजनाओं के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भीखाभाई (सागवाड़ा)

41. सागवाड़ा क्षेत्र की लघु सिंचाई योजनाओं के सर्वेक्षण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

42. नदी नालों में एकत्रित जल को सिंचाई के उपयोग में लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

43. जलाशयों के ओवरफ्लो से बहने वाले पानी को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भीमराज भाटी (पाली)

44. जिला पाली के पंचायत समिति रोहट के वायद बांध के जीर्णोद्धार करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

45. जिला पाली के पंचायत समिति रोहट के पांचपदरिया गांव का कृषिधोरा एवं ग्राम अरटिया के चीलों के घोरे का जीर्णोद्धार करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

46. जिला पाली के पंचायत समिति रोहट के ग्राम राणां के बड़ा तालाब का जीर्णोद्धार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)

47. झुंझुनूं जिले की उदयपुरवाटी तहसील के पहाड़ी इलाके में वर्षा के पानी के सदुपयोग हेतु बांध व एनीकटों के निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. वाटर शेड एरिया में नोन गवर्नमेंट एजेन्सियों के माध्यम से कार्य करवाये

(श्री शिवनाथ सिंह)

जाने की योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

49. वाटरशेड क्षेत्र में लघु सिंचाई व भूमि संरक्षण के कार्य यूजर्स कमेटियों के माध्यम से करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

50. उदयपुरवाटी (झुंझुनूं) क्षेत्र में भूमि संरक्षण के कार्य करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद)

51. धोद क्षेत्र में हर्ष के पास सिंचाई बांध स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण)

52. पंचायत समिति गिर्वा में स्थित अधूरे एनिकट्स को पूर्ण कराना एवं बारापाल तालाब निर्माण की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर)

53. सिरोही, पाली एवं अजमेर जिलों की बरसाती नदियों के तेज बहाव वाले पानी से जालौर जिले में होने वाले भूमि-संक्षरण को रोकने हेतु बचाव कार्य करवाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

54. पंचायत समिति जालौर के मेडाऊपरला बांध की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

55. पंचायत समिति जालौर के भेटाला बांध की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा)

56. मसूदा विधान सभा क्षेत्र के सभी पंचायत के तालाबों की मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

57. भूमि संरक्षण विभाग अजमेर में कर्मचारियों की संख्या और बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद मीणा (उनियारा)

58. लघु सिंचाई परियोजना नया गांव देवली (टोंक) को स्वीकृत नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)

59. सिंचाई विभाग के खण्ड मेहता द्वारा तहसील लाडनूं व डीडवाना में डी.आर.डी.ए. नागौर द्वारा स्वीकृत तालाबों का कार्य सम्पूर्ण नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

60. जल ग्रहण क्षेत्र खामीयाद तहसील लाडनूं जिला नागौर में कराये जा रहे कार्यों पर फर्जी मस्टररोल भरवा एवं मनमाने तरीके से गलत रूप से कमेटियों का गठन करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

61. जल ग्रहण कार्य ग्राम खामीयाद जिला नागौर में काश्तकारों के खेतों पर बनाये गये पानी के सभी टांके वर्षा से पूर्व ही टूटकर नष्ट होने पर सीमेन्ट को बाजार में

(श्री हरजीराम बुरड़क)

बेचने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

62. भूसंरक्षण विभाग के लाडनूं स्थित कार्यालय को जायल जिला नागौर में अनधिकृत रूप से चलाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

63. भू-संरक्षण इकाई जायल जिला नागौर द्वारा जल ग्रहण कार्य ग्राम खामीयाद में विभाग द्वारा प्रदत्त खाद्य व बीज को ब्लैक में बेचने पर चर्चा के लिये।

श्री हरिनारायण (खण्डार)

64. सवाईमाधोपुर में चम्बल व बनास नदियों से लघु जलोत्थान सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण कार्यों को और गतिशील बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम)

65. राजसमंद जिले की भीम व देवगढ़ पंचायत समिति के बांधों/नहरों की मरम्मत हेतु राशि उपलब्ध नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैयालाल पाटीदार (पिड़ावा)

66. विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा (झालावाड़) में बहने वाली नदियों पर झाहू नदी पर गांव सिरपोई के पास रीछड़ नदी पर लाल गांव के पास, काली सिंध नदी पर रायपुर के पास लघु सिंचाई योजनाएं स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा)

67. जोधपुर के चौकसी रियाजसवाली में छोटा बांध (राइजप) सर्वे के अनुसार बनाने एवं बिलाला (जोधपुर) में चौपड़ा फीडर से पूर्व में हुई क्षति को देखते हुये विभाग द्वारा बनाई गई योजनानुसार कार्यवाही न करने के लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

68. जोधपुर जिले के गांगावा बांध के निर्माण एवं इसके टूटने एवं इसके भराव क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमण की शिकायतें प्राप्त होने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं करने एवं इसकी टूट को ठीक करने के संबंध में विभाग द्वारा बरती जा रही लापरवाही से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

69. जसवन्त सागर बांध पिचियाक (बिलाड़ा) जोधपुर में सिल्ट को हटाने एवं इसकी भराव क्षमता में आ रहे अवरोध को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भीमराज भाटी (पाली)

70. जिला पाली के गांव आकेली के पास फूटियासर नहर के अपूर्ण कार्य को पूरा करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

71. जिला पाली के खारड़ा बांध की बान्डाई चोटिला-बिठू नहर पर साइफन एवं नहर का जीर्णोद्धार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारीलाल शर्मा (धौलपुर)

72. धौलपुर जिले के पारवती बंधे को टूटे हुये दो वर्ष हो गए, उसका धीमी गति से मरम्मत कार्य चलने से काश्तकारों को भारी नुकसान से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रमाकान्त शर्मा।

श्रीमती बीना काक : किसानों के हित की बात नहीं सुनने के लिये मैं इस सदन से वाक आउट करती हूं।

श्री रमाकान्त शर्मा : पधारो-पधारो जिससे मैं बोलना शुरू करूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट दे दो। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, (व्यवधान) आइये-आइये, बीनाजी, आइये दो मिनट इनको मौका दीजिये। वहां पर किसान हड़ताल पर बैठे हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इनको रोको, मत जाने दो।

श्री रामनारायण चौधरी : दो मिनट दे दो, साहब।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ये शोभा हैं अपने सदन की।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए। कृपया बिराज जाएं। श्री रमाकान्त शर्मा।

मांग संख्या 38 एवं 46 पर विचार

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हम सिंचाई के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं, मांगों पर चर्चा करने जा रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि जल, हवा के बाद में सिंचाई सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे वह आदमियों के पीने की बात हो चाहे फसल के पीने की बात हो। किसान हमारे देश का बहुत मजबूत है, बहुत कठोर परिश्रमी है, बहुत समझदार है, परन्तु उसे यदि फसल को पानी नहीं मिलता है तो मैं समझता हूं कि उसकी सारी की सारी समझदारी अप्रभावी हो जाती है। हमारे किसान की जितनी तारीफ की जाए।

श्रीमती बीना काक : वाह, वाह, एक तरफ तो वह लड़ रहा है किसान की तारीफ कर रहे हैं.....

श्री रमाकान्त शर्मा : माननीय बिराजिये, आपकी बात भी कही जाएगी। आप बिराज जाओ, यह कोई तरीका नहीं है।

श्रीमती कमला : यह सरकार की तारीफ नहीं कर रहे हैं, किसान की तारीफ कर रहे हैं।

श्रीमती बीना काक : उसी किसान की तो मैं बात कर रही थी कि वह किसान मर रहा है। आप भी मेरी बोलिये, आप भी मेरी बात बोलिये। किसानों के ऊपर शुल्क लगा है। मंत्रीजी ने मुझे आश्वासन दिया है, यह जानना चाहती थी कि मंत्री जी यहां और कह दें कि ऐसा कोई शुल्क नहीं लगा है, नहीं लगाया जाएगा।

श्री रमाकान्त शर्मा : यह आवश्यक है कि आप जिस किसान की बात कर रहे हैं मैं नहीं बात कर सकता उस किसान की? बिराजिए, मैं इन्हीं की बात कर रहा हूं। आज तक इस सदन में मैंने कभी किसी के व्यवधान नहीं डाला, कृपया बिराजें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बिराजें। आप बिराज जाएं। इनके बाद आपको समय दे दूंगा आप बिराजें।

श्रीमती बीना काक : मुझे बहुत + + + है आज इस बात की कि मुझे आपने पाइंट आफ इन्फोर्मेशन.....

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन कर रहा हूं कि रमाकांत जी के बाद में समय दे दूंगा।

श्री रमाकान्त शर्मा : मैं निवेदन कर रहा था, किसान बहुत परिश्रमी है और इस हिन्दुस्तान के किसान ने सारी दुविधाओं के बावजूद एक ग्रीन रिवोल्यूशन लाकर दिखाया और इस बढ़ती हुई बहुत बड़ी आबादी के लिये भी पूरा अनाज उत्पादन किया। परन्तु उसे सिंचाई की जितनी आवश्यकता थी उसकी सिंचाई की आवश्यकता पूरी नहीं हुई और मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा हमको अपने विकास के मामलों में जो सिंचाई को महत्व देना चाहिए था, राज्य सरकार ने तो जरूर दिया होगा, परन्तु सिंचाई विभाग, जो इस काम के लिये है, उसने महत्व नहीं दिया। अमेरिका में यदि कोई किसान यह कहे कि मुझे सोमवार को तीन बजे पानी चाहिए तो उसको सोमवार को तीन बजे पानी पहुंच जाएगा। इसीलिये वह देश, इतना बड़ा औद्योगिक देश होते हुये उसकी सारी इकॉनोमी है वह कृषि का जो उत्पादन है उस पर निर्भर करती है और वह इस बात पर गर्व करता है। उसका किसान कुल मिलाकर 5 प्रतिशत है। उस 5 प्रतिशत किसान के आधार पर वह एक कृषि प्रधान देश है और एक तरफ बोइंग बनाता होगा, परन्तु अपने गेहूं का जो उत्पादन है, गेहूं जो बाहर भेजा जाता है, उसके ऊपर उसको अपने आप पर गर्व है। हमारे यहां पर 77 प्रतिशत किसान हैं और इतने साल बाद भी अभी तक हम मुश्किल से उसको 30 प्रतिशत जमीन पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा पाये हैं। उस 30 प्रतिशत में भी 15 प्रतिशत कुओं से है, जो उसका स्वयं का प्रयास है। राज्य सरकार के सिंचाई विभाग के द्वारा उसको कुल मिलाकर 15 प्रतिशत पर है। जैसा मैंने निवेदन किया कि सिंचाई विभाग में कोई काम करने की कल्चर ही नहीं है, विचार ही नहीं है उसके दिमाग में कि किसान के लिये और हिन्दुस्तान के किसान के लिये जो वास्तव में एक कृषि प्रधान देश है, वास्तव में आगे आने वाले समय में उसकी अत्यन्त आवश्यकता है। ग्रीन रिवोल्यूशन के द्वारा यह तो देख लिया कि सबको इस वक्त गेहूं मिल रहा है परन्तु वह स्थिति आज इसीलिये है कि हमारा आदमी पूरे तरीके से जितनी केलोरीज का गेहूं उसे खाना चाहिये, खा नहीं रहा है। इसलिये

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रमाकान्त शर्मा)

दिखता है कि गेहूं आज बराबर आवश्यकता के अनुसार पैदा हो रहा है, परन्तु ज्यों-ज्यों लोगों के रहन-सहन में परिवर्तन आएगा और ज्यों-ज्यों गेहूं की आवश्यकता बढ़ेगी या खाद्यान्नों की आवश्यकता बढ़ेगी या तेल की आवश्यकता बढ़ेगी, उस समय यदि हमारे किसान को पानी नहीं दिया, यदि हमने सोच-विचार कर इसके बारे में किसी तरीके से योजना बनाकर इस चीज को इग्नोर कर दिया, तो मेरा निवेदन है कि हमारा देश खाद्यान्नों के मामले में बहुत गंभीर परिस्थिति में शीघ्र ही पहुंच सकता है।

माननीय, हम 70 प्रतिशत किसान को बरसात के बैगरीज पर, बरसात के आधार पर छोड़ देते हैं। बरसात आती है, बहुतायत में बरसात जितनी एवरेज है, 600 मिली मीटर मान लीजिए हमारे अलवर में बरसनी होती है, 600 मिलीमीटर बरस जाती है। उसके बावजूद भी किसान के लिये अकाल पढ़ जाता है यदि वह 600 मिली मीटर एक बार में ही बरस गई उसको जितनी बरसात होती है उसकी आधी भी बारिश 15-15 दिन के गेप में मिल जाए, चार उसके स्पेल हो जाए या तीन स्पेल हो जाए तो उसका उत्पादन बहुत बढ़ सकता है, परन्तु यदि वह स्पेल उतने नहीं हुये और एक साथ बारिश आ गयी तो नतीजा यह होता है कि किसान की फसल 77 परसेंट किसान की फसल नष्ट हो जाती है, 70 प्रतिशत जो असिंचित क्षेत्र है उसमें अकाल पड़ जाता है। यदि बरसात ठीक टाइम में, ठीक एवरेज में हो जाती है और उसके बाद भी अकाल पड़े तो यहां पर सिंचाई विभाग का रोल आ जाता है। यदि सिंचाई विभाग यह सोचे कि जितनी बरसात होती है उस सबको हम जगह-जगह पर किसी न किसी प्रकार के बांध, किसी न किसी प्रकार के एनीकट बनाकर उसको रोक लें और उतने ही पानी को रेग्युलेटेड तरीके से किसान को दे दें जुलाई में जो बारिश बरसती है, जुलाई में जो पहला हिस्सा आता है उसको हम रोक लें और हम फसल के अंदर भी इस प्रकार का कुछ अनुसंधान करें, यह हमारे वैज्ञानिक के लिये एक चैलेंज है कि जुलाई के बजाय अगस्त में बोंये, दुनिया में इस प्रकार के अनेक अलग-अलग प्रकार के बीज पैदा किये हैं। मैं उदाहरण के लिये बताना चाहूंगा कि रशिया में 12 महीने में एक दफा उत्पादन होता है। 12 महीने के गेहूं के पौधे को एक महीने में उन्होंने पैदा किया। 10 महीने बर्फ में दब जाता है और 10 महीने बाद जब बर्फ पिघलती है, उसके बाद पैदा होता है और वह 15 दिन में फल दे देता है। वहां के लोगों ने उस तरह से अनुसंधान करके एक इस प्रकार का बीज पैदा किया। हमारे लिये भी आवश्यकता है कि बाजरे या ज्वार या मक्का या जो भी बोते हैं उस दौरान हम जुलाई में जितनी भी बारिश आ जाए, उसको हम रोक लें, उसके बाद रेग्युलेटेड तरीके से उसको नहर के द्वारा या दूसरे तरीके से किसान को दें और हम अगस्त में बोयें और उसको अक्टूबर में काट लें। खेती से संबंधित जो वैज्ञानिक हैं

(श्री रमाकान्त शर्मा)

और सिंचाई से संबंधित वैज्ञानिक या इंजीनियर हैं, उन दोनों का सामंजस्य करके हमने आज इस बारे में बात नहीं सोची तो 20 वर्ष बाद बड़े खतरे की हालत में हम पहुंच जाएंगे। शुष्क खेती या कभी-कभी जाने क्या-क्या उदाहरण दे दिये जाते हैं, यह नहीं चलने वाला है। 20 बरस में हम कई प्रकार की शुष्क खेती के प्रयोग कर चुके हैं, आवश्यकता तो इस समय यह है कि एक-एक बूंद जो आसमान से गिरती है उसका हम इकट्ठा करें और वह बूंद जो आसमान से मिलती है उसको रेग्युलेटेड तरीके से किसान को पहुंचायें जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी जब तक हम शत-प्रतिशत किसान को पानी नहीं उपलब्ध कराएंगे तो जो वर्षा के आधार पर किसान को छोड़ रखा है वह किसान तो बरबाद होगा ही, हर साल बरबाद हो ही रहा है, आगे आने वाले समय में लोगों के लिये खाने को अनाज नहीं मिलेगा।

माननीय, आज का जो सिंचाई विभाग है उसमें काम करने की बिलकुल भी इच्छा है ही नहीं। क्योंकि वह जहां-जहां पर बांध है या जहां-जहां पर इन्दिरा गांधी नहर है या चंबल योजना है उसमें पानी के बंटवारे में वह ज्यादा लगा हुआ है, उसको मजा आ रहा है उसमें। पानी का वितरण करने में उसको एक प्रकार का, जो शब्द मैं नहीं इस्तेमाल करना चाहता, उस काम में लगा हुआ है। नयी बात सोचने में, कहां नये बांध बनाने हैं, किस प्रकार से नहर बनाने की आवश्यकता है, किस प्रकार से क्या काम होने का है, उसमें नहीं जा रहा है। मैं सिंचाई मंत्री जी से कहूंगा कि वह अपने यहां पर दो विभाग कर दें। एक जल वितरण का विभाग कर दें उसमें इंजीनियरों की जरूरत ही नहीं है। दूसरा जो बड़े-बड़े सिंचाई के इम्प्रूव्ड सिस्टम है बहुत सारे देशों में उनमें जल वितरण में सिंचाई इंजीनियर नहीं है, आवश्यकता नहीं है। उनमें तो मैनेजमेंट की आवश्यकता है, मैनेजमैंट प्रबन्धन की आवश्यकता है। यह काम तो छीन लें इन लोगों से और इनको कंस्ट्रक्शन के कामों में लगाएं। आप कहेंगे कि मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूं।

मेरे क्षेत्र में, उदाहरण के लिये कह रहा हूं, कोई कम्प्लेंट नहीं कर रहा हूं। वहां मानसरोवर, मंगलसर, विरटडी यह तीन बड़ी सिंचाई की योजनाएं हैं। जब 70 वर्ष पहले बांध बने थे उस समय नहरें कच्ची बना ली गयी थी, वह सब मिट-मिटा गयीं। मैंने प्रयास करके डी.आर.डी.ए. में यह कहा सिंचाई विभाग के एक्स. ईएन. से कि जितना रुपया चाहे, जो सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत आता है, वह लीजिए और इसकी नहरें बना दीजिये। इन नहरों के नहीं होने से एक तरफ सड़क खराब हो रही है, दूसरी तरफ किसानों की जमीन सारी की सारी सेलाइन हो रही है, उसको तकलीफ हो रही है। टेल एण्ड पर पानी नहीं पहुंचता है, पानी की कोई कमी नहीं है, भरे हुये हैं बांध, दो साल तक भी बारिश न आवे तो भी उसमें पानी की कमी नहीं आती है। सिंचाई का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनाना

(श्री रमाकान्त शर्मा)

नहीं चाहता। पैसे दे दिये जाते हैं, लेते नहीं, अकाल के कारण हम उनको कह देते हैं कि यह पैसा ले लीजिएगा और नहर बना दीजिएगा, नहीं बनाना चाह रहे हैं। वे तो जो पानी जा रहा है खेत में किसान के, उसका उन्हें ध्यान ज्यादा है। निवेदन है कि जब तक इस चीज के बारे में हमारे सिंचाई विभाग वाले ध्यान नहीं देंगे, कुछ नहीं होगा।

इस मौके पर मैं यहां पश्चिमी राजस्थान को और दक्षिणी राजस्थान को तो बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं परिस्थितियां थीं, उनके यहां इन्दिरा गांधी कैनाल बन गयी, चम्बल सारा का सारा सिस्टम बन गया, उदयपुर में भी बड़े-बड़े बांध बन गये। परन्तु, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन 50 सालों के अन्दर अलवर की इतनी उपेक्षा हुई, इतनी भारी उपेक्षा हुई है कि कभी किसी ने कोई नया सिंचाई बांध बनाने की बात ही नहीं सोची। ये सामने बैठे हैं इसलिये मुझे याद आ गया, बांनसूर के अन्दर एक बावरिया बांध है राजाओं के जमाने का.....

श्री रामस्वरूप मीणा : शराब का कारखाना खोल दिया आपके यहां और क्या चाहते हो ?

श्री रमाकान्त शर्मा : बैठ जाओ। बड़े इर्रेलेवेंट बोलते हो। मैं कुछ बात कर रहा हूं, आप खड़े हो गये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बावरिया बांध है जो राजाओं के जमाने में बना था, 25-30 वर्ष पहले वह टूट गया। राज्य सरकार ने सोचा कि इसको दुबारा बनाना चाहिये। अमाउण्ट सैंक्शन कर दिया गया, जितनी धनराशि चाहिये थी उतनी सैंक्शन कर दी, सर्वे हो गया, डिजाइन बन गया और उस काम के लिये टेण्डर हो गये। सिंचाई विभाग ने नहीं बनाया। अब तो मेरे ख्याल से आज तो धनराशि भी नहीं होगी और उस वक्त में बनना था मान लीजिये दो करोड़ रुपये का या तीन करोड़ रुपये का, अब बनेगा वह छह करोड़ रुपये का। तीन करोड़ रुपये की और अधिक जरूरत पड़ेगी। कहां से आएगा? सिंचाई विभाग के + + + के कारण से इस प्रकार के काम, जो इन्दिरा गांधी कैनाल कुल मिलाकर 275 करोड़ रुपये में बननी थी उस पर आज तीन हजार करोड़ रुपये खर्च हो गये। किसका + + + है? एक और धनराशि की कमी होगी परन्तु धनराशि उपलब्ध रही है हर साल में। धनराशि पूरी खर्च ही नहीं की गयी। इसी प्रकार से एक और उदाहरण बताना चाहता हूं।

माननीय, मेरे यहां पर एक नाडूड का एनीकट बनना था सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत। इसलिये मैंने सोचा कि बड़ा बनना था 19-20 लाख रुपये का यह पंचायत से नहीं बनवाकर चलिये सिंचाई विभाग से बनवा लूं। डी.आर.डी.ए. का काम था सिंचाई विभाग को दे दिया। पहले तो लेने में ही मुश्किल, उस समय माननीय मंत्रीजी थे भाटी साहब, उनसे निवेदन किया उन्होंने दबाव दिया

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री रमाकान्त शर्मा)

तो काम ले लिया, दबाव के कारण। तीन वर्ष हो गये, तीन वर्ष से अभी तक उस एनीकट की आधी नींव ऊपर नहीं आयी है, पूरी नींव की बात नहीं है, आधी ही नींव ऊपर नहीं आयी तीन वर्ष के अन्दर। यदि यह काम पंचायत को दे दिया होता, मेरे यहां तो करीब-करीब 72 एनीकट बने हैं ऐसे ऐसे बढ़िया एनीकट बने हैं पंचायत के, देखकर आनन्द आता है तबीयत में आता है कि इन इंजीनियरों की जरूरत कहां पड़ी हुई है। एक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर यदि तीन वर्ष तक एक 19 लाख का एनीकट नहीं बन पाता है और उसका फाउण्डेशन तक ऊपर नहीं आयी है जिसके कारण राज्य सरकार को प्रति वर्ष कम से कम 4-5 लाख रुपये का नुकसान हो रहा है, क्योंकि वह एनीकट बन जाए, तो वह पानी आकर केला-राजगढ़ सड़क है उस सड़क पर नहीं भरे, प्रतिवर्ष केला-राजगढ़ सड़क बंद हो जाती है उसके ऊपर 4-5 फीट पानी आ जाता है और सरकार को दुबारा उस सड़क की मरम्मत करानी पड़ती है। हमारे एक इंजीनियर साहब हैं, बैठे हैं, नहीं कर रहे हैं, बनाना ही नहीं वहां पर आपको पता है, आपके सामने जो चर्चा होती है, इंसान के अन्दर जरा-सा पानी हो, जरा सी लज्जा हो, तो दूसरे दिन जाकर उसको खतम करके बनाकर लाकर रख दे, 15 दिन के अन्दर बनवाकर दे दे। कोई लज्जा भी नहीं है उनको, कितनी बातें होती हैं वहां पर डी.आर.डी.ए. में मंत्री जी यहां पर बैठे हुये हैं, ये अक्सर उसकी अध्यक्षता करते हैं। इनके सामने बातें होती हैं, बोलते नहीं है वह एक्स. ईएन. बैठे रहते हैं। वहां ऐसा लगता है कि जैसे कम्पलीटली रिजेक्टेड स्टाफ है, चाहे ए. ईएन. हो, चाहे एक्सईएन. हो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रमाकान्त जी, सुई का काम सुई ही करती है, तलवार का तलवार करती है, दोनों का अलग अलग काम है।

श्री रमाकान्त शर्मा : वहां हमें तो सुई की जरूरत है और सुई ही दे देना। मैं यही तो सिंचाई मंत्री जी से कह रहा हूं। तलवार काहे को दे रखी है, सुई ही दे दें, सुई से काम चल जाएगा। मुझे तो काम कराना है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको पता है.....

श्री रामनारायण चौधरी : अलवर कल से ताकतवर होने वाला है।

श्री रमाकान्त शर्मा : अलवर कहां पानी आने वाला है।

श्री रामनारायण चौधरी : अलवर कल से ताकतवर होने वाला है।

श्री रमाकान्त शर्मा : ताकतवर तो अभी भी है, जो कुर्सी पर बैठा है वही ताकतवर है, नाम कुछ भी रख दो। ताकत में कहां कमी है। (व्यवधान) माननीय, क्यों मुझे बीच में बाधा डाल रहे हैं?

मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि आप सबको पता है कि पिछले सात साल से एक समरा बांध के बारे में यहां पर जिक्र करता रहा हूं। कई प्रकार से, उसको 131 के अन्तर्गत,

(श्री रमाकान्त शर्मा)

स्पेशल मेंशन के अन्तर्गत, बजट भाषण में, सभी प्रक्रियाओं के अन्तर्गत, मैं धन्यवाद दूंगा, अभी तो बैठे नहीं हैं भाटी साहब, वे सिंचाई मंत्री थे, सैंक्शन हो गया, बहुत मुश्किल के बाद में पर सैंक्शन होने के बाद में एक साल तक तो सिंचाई विभाग सरका और हिला ही नहीं। उसके बाद में उसने टेण्डर कर दिया, टेण्डर करने के बाद 6 महीने तक टेण्डर की स्वीकृति ही नहीं है और अब वहां पर जब यह कहा कि चलिये इसका काम कराना है तो माननीय उप मुख्य मंत्री जी से निवेदन किया कि आप इसका शिलान्यास कर दीजिएगा। तिथि तय हो गयी शिलान्यास करने की, जाने वाले थे वहां पर, पर सिंचाई विभाग के वहां के एक्स. ईएन. के काम करने की मन में नहीं थी, बड़े अलटिरियर मोटिव्ज थे जिससे उनके काम करने की मन में नहीं थी इसलिये वहां 3-4 आदमियों को खड़ा कर दिया कि इस जगह पर पीने का पानी नहीं है, 13 किलोमीटर तक पीने का पानी नहीं है, गरीबी इतनी ज्यादा है कि औरतों पर भी एक कपड़े से दूसरा कपड़ा नहीं है और कोई किसी प्रकार की खेती नहीं होती है वहां पर और जनजाति अनुसूचित जाति के गरीब से गरीब व्यक्ति उस पूरे के पूरे एरिया के अन्दर रहते हैं, उन लोगों के लिये मैंने बांध सैंक्शन कराया कि बांध हो जाएगा और यहां पर सिंचाई होकर यह फसल होने लग जाएगी तो इनका काया पलट हो जाएगा, इनका सारा का सारा मामला बदल जाएगा। कुल मिलाकर तीन आदमी गलत खड़े करके कहा कि आएंगे तब काले झण्डे दिखाएंगे। हमने कहा दिखा दो, कोई बात नहीं है काले झण्डे की। सिंचाई विभाग ने कहा नहीं बनवाएंगे और खबर कर दी उप मुख्य मंत्री जी को कि आप मत आइयेगा, उप मुख्य मंत्री जी नहीं गये। हमारे लिये शर्म की बात है, सिंचाई विभाग के लिये कि उप मुख्य मंत्री जी समय दें दें, वहां पर उनका पहुंचना हो और उसके बाद में सिंचाई विभाग इस तरह कहे कि यह नहीं बनेगा। यदि कोई गड़बड़ करता है तो सिंचाई विभाग ने पुलिस को शिकायत भी नहीं की, एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करवाई कि कौन रोकता है, किस तरह से रोकता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस मामले में कहते हुये बहुत ही कष्ट हो रहा है कि कलक्टर ने लिखित में आदेश जारी कर दिये जिसमें उन्होंने यह लिखा है, स्वयं कलक्टर ने, कि कुछ असामाजिक तत्व इस काम को रोकना चाहते हैं। उन्होंने अपना आदेश दो पन्नों का जिसमें यह लिखा है कि मैंने इस मामले में जिन लोगों को कोई तकलीफ है उनको बुलाया, उनसे बातचीत की और उनकी सब बात सुनी। कलक्टर आगे कहता है कि मैं स्वयं मौके पर गया और मैंने बाकी सब लोगों से बातचीत की, उनकी समस्या का समाधान जैसे वे चाहते थे मैंने कर दिया। अब यदि बात है तो असामाजिक तत्व ही उसको रुकावट डालना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने वहां के पुलिस अधीक्षक को

(श्री रमाकान्त शर्मा)

यह आदेश दिया कि इसमें कोई देरी नहीं होनी चाहिए, तत्काल काम होना चाहिए। उन्होंने आदेश दे दिया, तो काम तो सिंचाई विभाग कराएगा। सिंचाई विभाग की इच्छा तो नहीं है कि वह समरा का बांध बने। मैं सिंचाई विभाग के जो सचिव महोदय हैं उनके पास गया, एक दफा नहीं, तीन दफा गया। पहले तो कहा कि बड़े अच्छे कार्यकर्ता हैं, बड़े अच्छे अधिकारी हैं, पहले तो उन्होंने एकदम से कहा कि ऐसा हो गया? सात दिन के अन्दर शुरू कर दूंगा, वह सात दिन नहीं आये, कई दिन चले गये, महीनों चले गये। मैंने माननीय सिंचाई मंत्री को भी निवेदन किया। ये भी पहले तो बिलकुल चमककर बोले थे कि कल से शुरू हो जाएगा काम, कोई दिक्कत की बात नहीं, उसको भी कई अरसा गुजर गया। मैं और वहां के ढाई सौ तीन सौ आदमी माननीय मुख्य मंत्री जी के पास आये थे और उन्होंने कहा कि हमने क्या अपराध किया है कि हमारे छः-सात हजार आदमी तकलीफ पा रहे हैं सिर्फ दो-चार आदमियों के कारण से यह बांध नहीं बन रहा है। आप हमारा काम कीजिये। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि मैं तत्काल आदेश दूंगा। खैर, उसके बाद में उनको समय नहीं मिला। मैं उनसे कुछ नहीं कहना चाहता। मुझे तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना है कि उन्होंने मेरी बात अच्छी तरह से समझी और जो ढाई-सौ-तीन सौ आदमी आये थे, उनको आश्वासन दिया कि नहीं, चिन्ता मत करो, फिक्र मत करो, कोई बात नहीं है। उसके बाद में समय नहीं मिला और इन दिनों उनकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है इसलिये मैं उस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं।

परन्तु जो परिस्थिति है उसकी मैं ग्रेविटी बता रहा हूं कि परिस्थितियों के अन्दर कितनी बात है। ऐसा-ऐसा बोलने के बाद भी सिंचाई विभाग के जो इंजीनियर हैं उनके मन के अन्दर यह बात नहीं आयी कि क्यों ऐसा नहीं हो रहा है और कैसे करना चाहिए। किसी के पास में आते, वे कलक्टर के पास जाएं, या एस.पी. के पास जाएं या अपने मंत्री के पास जाएं या अपने सचिव के पास जाएं और जाकर के बातचीत करें। यह इनके वर्किंग कल्चर का नमूना है। यदि इसके अन्दर आमूलचूल परिवर्तन नहीं किया गया तो राजस्थान जैसा प्रदेश, जिसको दूसरे प्रदेशों के मुकाबले बहुत ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता है और जिसके अन्दर एक-एक बूंद बहुत महत्व रखती है उसके अन्दर इस प्रकार के विभाग में और रिजेक्टेड स्टाफ को अपन ने सब जगह लगाया हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, इन पर अंकुश नहीं लगाया तो प्रदेश के लिये यह बहुत महंगा पड़ेगा।

माननीय, एक बात और अर्ज करना चाहता हूं। जैसा थोड़ी देर पहले मैंने बाबरिया के बारे में कहा था। अभी तो उसको कोई सत्तावन लाख या साठ लाख का, किसी का ठेका है। ये यह कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से 10-5 दिन और चले जाएं तो वह

(श्री रमाकान्त शर्मा)

ठेकेदार भाग जाए। मुझे पता नहीं, शायद ठेकेदार से कोई न कोई सांठगांठ होगी या किसी दूसरे से सांठगांठ होगी। दुबारा टेण्डर हो गया, काम तो राज का होगा ही होगा। दुबारा टेण्डर हो गया तो जैसे मैंने बताया कि इन्दिरा गांधी कैनाल जो कितने से में बननी थी और कितने रुपये पहुंच गया। आज तो धनराशि उपलब्ध है, दुबारा टेण्डर हो गया तो 80 लाख का आया है। 20 लाख और बढ़ गये। यह 20 लाख ज्यादा खर्च होगा। कोई पूछता नहीं है। सिंचाई विभाग के राजनैतिक प्रशासन को यह देखना चाहिए कि यदि दुबारा टेण्डर हुये तो दुबारा टेण्डर के अन्दर 20 लाख हो गये।

मैं यहां पर इसलिये बोल रहा हूं कि यहां अंकित हो जाए कि 10-20 साल में कभी तो कोई ऐसी चीज आएगी कि जिसमें ये अधिकारी लोग इस प्रकार से डबल खर्चा करवा देते हैं, जिसमें उनसे जवाब तलब हो, उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही हो, ऐसे मामलों में।

श्री रामनारायण चौधरी : आप वाले मामले में ही ऐसा क्यों कर रहे हैं?

श्री रमाकान्त शर्मा : काम ही नहीं करना चाहते। मेरे वाले मामले में ही नहीं, सभी जगहों के मामलों में। एक ही थोड़े बताया, कई मामले बता दिये, सभी पूरे राजस्थान के। चूंकि ये उदाहरण मेरे पास मौजूद हैं इसलिये बता रहा हूं। मैंने प्रारम्भ में ही यह शुरू किया है कि इस विभाग में वर्किंग कल्चर है ही नहीं, बिलकुल भी काम करने की इच्छा नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : यह तो पूरे कुएं में ही भांग पड़ गयी फिर।

श्री भंवरलाल शर्मा (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : यह तो आपकी पटकी हुई है।

श्री परसादी लाल मीणा : आप भी हमारी ही क्रियेशन हैं।

श्री रमाकान्त शर्मा : माननीय, मैं एक बात और कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं, कोई लम्बी-चौड़ी नहीं, छोटी सी बात। एक रेडिया बांध कोई आज के 12 साल पहले.....

श्री रामनारायण चौधरी : रमाकान्तजी के जमाने में ऐसा कुछ भी नहीं था।

श्री रमाकान्त शर्मा : नहीं था, कभी नहीं हुआ। आज का काम आज किया मैंने, सदा ही।

श्री रामनारायण चौधरी : सरकार में he was a very competent officer.

श्री महावीर प्रसाद जैन : काम्पीटैंट थे, इसलिये इन्होंने किया, बाकी तो सारा आपने गुड़-गोबर कर दिया।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप भी काम्पीटैंट थे जब आप सेवा दल में थे। नीला नेकर छोड़कर के खाकी नेकर में आ गये तो आप भी.....

श्री रमाकान्त शर्मा : माननीय, मुझे आखिरी बात कह लेने दीजिएगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं आप जैसा डुप्लीकेट काम नहीं करता हूं।

श्री रमाकान्त शर्मा : रेडिया बांध करीबन आज के 12 साल पहले बना था। यह बांदीकुई और मेरे क्षेत्र की सीमा पर है।

श्री राजेन्द्र पारीक : आप डुप्लीकेट तो नहीं करते हो लेकिन + + + का काम जरूर करते हो। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप रबड़ी खाकर + + + से ज्यादा कर रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बातचीत न करें। बातचीत न करें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मान्यवर, अन्य के नाम पर रबड़ी खा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बातचीत न करें।

श्री रमाकान्त शर्मा : माननीय महावीरजी, मेरी बात पर पहले तो कभी व्यवधान नहीं होता था। आज पहली दफा में व्यवधान सुन रहा हूं।

रेडिया बांध आज के कोई 12 वर्ष पहले बांधा था। बांदीकुई और राजगढ़ तहसील के मेरे क्षेत्र की बोर्डर पर है। वहां पर हजारों बीघा जमीन पानी के नीचे आ गयी थी। सिंचाई विभाग के द्वारा यह कहा गया था कि इसका मुआवजा दे दिया जाएगा। 10 बरस तक नहीं दिया। मैं दो साल पहले या एक-डेढ़ बरस पहले विधान सभा के अन्दर ध्यान आकर्षण के माध्यम से वह प्रकरण उठाया था। तत्कालीन सिंचाई मंत्रीजी ने कहा कि छह महीने के अन्दर-अन्दर यह बांट दिया जाएगा। छह महीने में आधे किसानों को तो बंट गया, उसके बाद में आधे किसान रो रहे हैं।

कितने पत्र लिख दिये, सिंचाई विभाग को, जवाब ही नहीं देते। नीचे से ऊपर तक जा रहे हैं। दूसरे विभाग में काम हो या नहीं हो, कम से कम पत्र का जवाब तो आता है। यहां सिंचाई विभाग में तो आप चाहें मुख्य अभियन्ता को टेलीफोन करें, चिट्ठी लिखें, चाहे अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता को लिखें चाहे किसी को लिखें। वहां तो बात का ही जवाब नहीं मिलता है। ऐसी खराब परिस्थिति है। मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि चन्द दिन हैं आपके पास, कुछ दिखाने के लिये, कुछ करने के लिये। कर सकते हैं तो बदलिये, जो ऐतिहासिक प्रवृत्ति है सिंचाई विभाग की न काम करने की, इसमें बदलाव लाइये। यही मेरा अनुरोध है, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राधेश्यामजी गंगानगर। एक मिनट, राधेश्यामजी, एक मिनट रुकिये। बीनाजी काक।

सूचना

सुमेरपुर विधान सभा क्षेत्र, कृषि उपज मण्डी में प्रवेश शुल्क के विरोध में किसानों का धरना

श्रीमती बीना काक : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की नाराजगी है कि (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपने कह दी न सारी बात।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्रीमती बीना काक : मैंने कह दी तो फिर क्यों उठने दिया मुझे ?

मेरा अधिकार है, उपाध्यक्ष महोदय, कि मैं कोई बात उठाऊं जो कि पब्लिक इण्ट्रेस्ट की हो। मेरे विधान सभा क्षेत्र में किसान मण्डी में धरने पर बैठे हुये हैं, क्योंकि उनके सभी वाहनों के ऊपर, चाहे ट्रेक्टर हों, चाहे ट्रॉली हों, छकड़े हों, ऊंट गाड़ी हों उनके ऊपर राजस्थान सरकार ने प्रवेश शुल्क लगा दिया है 15 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये। अगर इन्होंने चुंगी हटाई है तो क्या इसका विकल्प किसान से प्रवेश शुल्क लेने में निकालने का तय किया है। माननीय मंत्रीजी से मेरी इस बारे में बात हुई है। माननीय मंत्रीजी का भी यह मानना है कि यह सही नहीं हुआ है।

मैं चाहूंगी कि यह विधान सभा के रिकार्ड पर आ जाए कि इस तरह का जो शुल्क उनके ऊपर लगाया गया, प्रवेश शुल्क, वह गलत हुआ है। न जाने कितनी और मण्डियों में लगाया होगा। अभी सुमेरपुर कृषि मण्डी का मेरे पास टेलीफोन आया है। इसलिये मैं यहां आयी। उसके अंदर मैं बात नहीं करना चाह रही थी। मैं चाहूंगी कि प्रभारी मंत्रीजी मुझे आश्वस्त कर दें।

श्री रामस्वरूप मीणा : अगर हमारे यहां भी विचार बना रहे हो तो मत लगाना।

श्रीमती बीना काक : मंत्रीजी से कहलवा दें, साहब, प्लीज।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राधेश्यामजी गंगानगर।

श्रीमती बीना काक : क्या ? ये-ये क्या? उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगी कि मंत्रीजी यहां बिराजमान है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं उनको बाध्य नहीं कर सकता हूं।

श्रीमती बीना काक : बात करने के बाद, क्या उन्होंने..... (व्यवधान) ऑन ए पाइंट ऑफ इन्फोर्मेशन मैंने मांगी है।

श्री रामनारायण चौधरी : She wants to take the information from the Government through the Chair. She has the right.

श्रीमती बीना काक : इसमें लिखा हुआ है—I have a right to ask the Minister. Yes, I have.

श्री उपाध्यक्ष : आपने अपने अधिकार का प्रयोग कर लिया। बिराज जाएं, आप।

श्रीमती बीना काक : बस, अधिकार का प्रयोग करना। लेकिन मंत्रीजी को आश्वासन देना चाहिए। उन्होंने इस बात को..... (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : कर लिया साहब, लेकिन कोई सूचना तो दें।

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर देना जरूरी नहीं है।

श्रीमती बीना काक : नहीं हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : हां।

श्री रामनारायण चौधरी : तो फिर कह दें कि नहीं दूंगा।

श्रीमती बीना काक : फिर क्यों दिया मैंने विधान सभा में यह ?

श्री उपाध्यक्ष : यह कहने की आवश्यकता भी नहीं है कि नहीं दूंगा। उत्तर देना जरूरी नहीं है।

श्रीमती बीना काक : उत्तर देना जरूरी नहीं है ? इन्फोर्मेशन क्यों दी जाती है और क्यों चाही जाती है और क्यों मांगी जाती है ? प्रभारी मंत्री महोदय स्वयं बिराजमान हैं, राजस्थान सरकार के उप मुख्य मंत्री महोदय बिराजमान हैं तो एक एम.एल.ए. का क्या अधिकार है ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री राधेश्यामजी गंगानगर, बोलिये, शुरू करिये।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : आप कहें तो सही। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : आप कहें तो सही।

श्रीमती बीना काक : किसानों के हितैषी .....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी बुलन्द आवाज में बोलें, शुरू करिये।

श्रीमती कमला : या तो वे यह कह दें कि मुझे सूचना नहीं है कि कुछ बढ़ाया या घटाया है।

श्रीमती बीना काक : यह कह दें। खड़े हो जाएं। मंत्रीजी यहां बैठे हैं। नहीं होते तो मैं मानती। (व्यवधान) मेरी बात भी उनसे हो चुकी है।

श्रीमती कमला : या जवाब दें कि मुझको जानकारी है। (व्यवधान) वह तो सूचना चाह रही है। इसका तो जवाब देना पड़ेगा। (व्यवधान) वे कोई समस्या नहीं उठा रही हैं। ये तो जानकारी चाह रही हैं। (व्यवधान) जानकारी दे दीजिये इनको।

श्री रामस्वरूप मीणा : इतनी सी जानकारी नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : मैं तो जानकारी चाह रही हूं। लोग धरने पर बैठे हुये हैं। आपके माध्यम से मैं चाह रही हूं।

श्रीमती कमला : यह तो मंत्री महोदय की अक्षमता का द्योतक है कि वे कोई सूचना ही नहीं देना चाह रहे हैं।

श्रीमती बीना काक : यह सिर्फ सुमेरपुर में लगाया गया है कि राजस्थान की और भी कृषि मण्डियों में भी लगाया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया, बिराज जाएं। बैठिये, आप। श्री राधेश्यामजी। (व्यवधान) कृपया बिराज जाएं। अब आप बिराज जाएं, कृपया बिराज जाएं, माननीय सदस्य।

मांग संख्या 38 एवं 46 पर विचार

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिंचाई की डिमाण्ड पर अपने आपको सम्मिलित करते हुये माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस तरफ आकर्षित करूंगा कि कुछ ऐसे सुझाव हैं जो कीमती सुझाव हैं, मेरी समझ के मुताबिक वह मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को सुझाव दूंगा।

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

मैं सबसे प्रथम तो माननीय सिंचाई मंत्रीजी को बधाई देता हूं कि आप पहली डिमाण्ड यहां सुन रहे हैं और उसका आप जवाब देंगे। जब आप बताएं तो कम से कम जो बातें हमने यहां, क्योंकि कई दफे ऐसा होता है कि मंत्री बात सुन तो लेते हैं पर लास्ट में जब जवाब देने का टाइम आता है तो 1-2 बिन्दुओं को छोड़कर सारा मामला ही हजम हो जाता है। मुझे ऐसी आशा है चूंकि मेरे कई विचार ऐसे हैं, सब को इस बात का पता है और आपके भी ध्यान में है कि गंगानगर जिला नक्शे में भी सबसे ऊपर है और इर्रिगेशन में भी सबसे अधिक सिंचाई वहां होती है। मैं खासकर आपका ध्यान इस बात की ओर लाऊंगा कि महाराजा गंगासिंह जी ने आज से 75 वर्ष पूर्व गंगनहर का निर्माण करवाया था। वह अपने आप में ऐसी अनूठी

(16.00 बजे)

कहानी है, जिसको करने से बहुत समय लगेगा। आप सब लोग, जितने भी यहां इंजीनियर हैं या सैक्रेटरी महोदय या हमारे साथी बिराजमान हैं, सबको इस बात का मालूम है कि महाराजा गंगासिंहजी ने किस तरह पैसा इकट्ठा करके बीकानेर कैनाल और गंगनहर का निर्माण कराया, जो अपने आप में एक बड़ी अनूठी बात थी। जिस वक्त राजस्थान में काली, पीली, लाल, हरे रंग की आंधियां चला करती थीं, किसान बड़ा दुःखी था और अकाल पड़ा करते थे, उस वक्त उस व्यक्ति की सोच जो हुई, उस गंग कैनाल का दिल छलनी हो चुका है। उसकी धड़कने रुक-रुक कर चल रही हैं। यह बड़ी खास बात है कि जिसकी मियाद पचास वर्ष तक रखी गयी थी, यह कैनाल चलेगी, उसको सांस लेते-लेते 75 वर्ष हो गये हैं, पच्चीस वर्ष अपनी आयु से अधिक वह जी चुकी है। न जाने अब किस वक्त, उसकी हालत यह हो चुकी है, 1980 की बात है, उपाध्यक्ष महोदय, यहां जिले के ग्यारह के ग्यारह विधायकों ने और अन्य लोगों ने आकर यहां चीफ मिनिस्टर से प्रार्थना की, हमारी प्रार्थना पर पूरी कैबिनेट ने। सर्वे करने के बाद वहां पर एक कैबिनेट की मीटिंग हुई। उसमें यह निर्णय लिया गया कि वास्तव में नीचे पानी खारा है और बहुत बड़ी आबादी है, इसकी हालत इतनी नाजुक है, न जाने कब यह खतम हो जाए तो पीने का पानी भी लोगों को नहीं मिलेगा। उस पर उन्होंने निर्णय लेकर, पैसे की बहुत कमी थी। यहां से सरकार ने, श्रीमती इन्दिरा गांधी उस वक्त प्रधानमंत्री थीं, हमारे पूरे प्रधान, प्रमुख, विधायक और सांसद और कैबिनेट के साथी और चीफ मिनिस्टर का नोट, वह जब उनके सामने गया,....

(16.03 बजे)

(श्री रमाकान्त शर्मा, सभापति, पदासीन)

आप फाइल को दिखवाएं तो, 122 करोड़ रुपये उस वक्त इस कार्य के लिये तुरन्त मंजूर किये गये। आज तक वह कार्य शुरू नहीं हुआ।

मैं वी.पी.सिंहजी, आपकी जानकारी के लिये प्रार्थना कर रहा हूं। एक लिंक चैनल

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

बनना था, जिससे मैन कैनाल की रिपेयर हो जाए और लिंक चैनल अपने काश्तकारों को अपनी क्षमता के मुताबिक पानी दे सके। उस लिंक चैनल को बने बहुत लम्बा अरसा हो गया लेकिन मैन कैनाल का कार्य आज तक शुरू नहीं हुआ। उस मैन कैनाल का कार्य अगर शुरू हो जाएगा तो राजस्थान का जो अन्य भण्डार है, गंगानगर जिला, वहां का किसान हमारे राजस्थान का टोटल किसान बड़ा मेहनती है। लेकिन गंगानगर, पंजाब, हरियाणा से सटा हुआ है और वहां की कल्चर ही एग्रीकल्चर है इसलिये वहां के लोग हर वक्त सुबह-शाम यह सोचते हैं कि हमारे अन्न का भण्डार कैसे बढ़े ? बड़े मेहनतकश लोग हैं इसलिये मैं आपको प्रार्थना कर रहा हूं। पिछले कई सालों से किसानों की हालत बड़ी नाजुक है। उस कैनाल के लिये हमारे वर्ल्ड-बैंक की टीम आयी। मेरी जानकारी में है, हो सकता है कि कहीं मेरे को किसी ने गलत गाइड कर दिया हो क्योंकि वह तो मंत्रीजी जवाब देंगे। वर्ल्ड-बैंक की टीम ने सारे राजस्थान का इर्रिगेशन का सर्वे किया। उस इर्रिगेशन के सर्वे में उन्होंने गंग कैनाल के सिस्टम को पूरा प्रोजेक्ट बनाकर पैसा देने की पेशकश की और वह पैसा, हमने प्रोजेक्ट बनाया कि नहीं बनाया वह बात भी मंत्रीजी सदन को बताएंगे और मेरे को ऐसा मालूम हुआ है कि वर्ल्ड-बैंक की टीम ने और बैंक ने बार-बार हमें लिखा है कि 800 करोड़ रुपया इस प्रोजेक्ट के लिये हम देना चाहते हैं तो यह जानकारी अगर वह मिल जाती है तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि वह गंग कैनाल जिससे हम तीस लाख हैक्टेयर भूमि सिंचित करते हैं, मेरा विश्वास है कि कम से कम पचास लाख हैक्टेयर भूमि उस कैनाल से सिंचित होगी जिससे राजस्थान सरकार को, राजस्थान की जनता को और खास कर हमारे किसान भाइयों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा और वी.पी.सिंह की जय-जयकार होगी। यह कृपया आप नोट करें। उस नहर के अन्दर इतनी सिल्ट जमा हो चुकी है, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को एक जानकारी और दूं कि सारी दुनिया के अन्दर, नई बात बता रहा हूं आपको, वर्ल्ड के अन्दर महाराजा गंगासिंहजी ने ऐसा सिस्टम कैनाल का रखा कि आठ दिन के बाद वहां बारी लगेगी आपकी। यह मेरा चैलेंज है। ऐसा सिस्टम कहीं भी नहीं है। एक सप्ताह में शुक्रवार को बारह बजे अगर पानी लगा है तो अगले शुक्रवार उसी टाइम उस किसान को पानी मिलेगा। यह अपने आप में, वर्ल्ड की बहुत-सी टीमें आयी हैं, वहां पर और उन्होंने यह स्वीकार किया है और दिल्ली के अन्दर एक बहुत बड़ी शाला है, जिसके अन्दर इसका अध्ययन हुआ है। बुक्स बनी हैं और वह अमरीका और इंग्लैण्ड वालों ने मंगवाई है। यह अपने आपमें कोई छोटी बात नहीं है। क्योंकि आप हमेशा फोरेन का जिक्र करते हैं। मैं इस संदर्भ में.....

श्री महावीर प्रसाद जैन : चुन्नीलालजी इधर बैठे हैं।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मैं चुन्नीलालजी वाली बात पर नहीं आया हूं। मैं अभी गंग कैनाल पर बात कर रहा हूं। वह आएगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : तीस लाख हैक्टेयर कहां है ? कांहे से सिंचाई होगी ?

श्री हीरालाल इन्दौरा : इन्दिरा गांधी कैनाल पर आये नहीं, इर्रिगेशन की बात करते हैं.....(व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : माननीय सभापति महोदय, हम दोनों का पेट भी एक तरह का है और वजन भी एक तरह का है। कृपा रखिये। मैं प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि हमारे वी.पी.सिंहजी जब भी कभी उनको मौका मिला हाउस में तो इन्होंने हमेशा अमरीका, लन्दन, जापान और पेरिस की बात की है, तो यह इर्रिगेशन मिनिस्टर बहुत सूझबूझ वाले बने हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह कुछ-न-कुछ करने की क्षमता रखते हैं और कुछ-न-कुछ करके दिखाएंगे।

दूसरा नम्बर, इस गंग कैनाल के अन्दर सिल्ट के नाम से करोड़ों रुपया उठाया जाता है और सिल्ट कभी नहीं निकाली जाती है। हमेशा सिल्ट किसान निकालता है। जब पैसा लिया जाता है तो फिर वह सुचारू रूप से कार्य क्यों नहीं होता है। इसकी भी आप थोड़ी जानकारी करें। इसके साथ-साथ पिछले चार सालों से निरन्तर हम सब गंगानगर के विधायक यह निवेदन करते रहे हैं कि रिजेक्ट माइनर जो गंगानगर शहर में से बीचों बीच होकर के निकलती है, रामनगर और गंगानगर के बीच में, उसकी दशा यह है कि शहर की जितनी गन्दगी है, वह सारी उसमें डाली जाती है और उस गन्दगी से मेरे ख्याल से हमारा जो पिछला पीरियड बीता है, दो साल में कम से कम पचास मौतें पीलिया और गन्दे पानी पीने के कारण हो चुकी हैं। इस शहर से आगे जो किसान रहते हैं, जिनको उस डेड माइनर से पानी मिलता है, वह सारे किसान वही पानी पीते हैं, और उससे बड़ी परेशानी होती है। मेरी यह भी प्रार्थना है कि इसको भी आप चैक करवाइये। हमने आपसे पूर्व जो सिंचाई मंत्री थे, उनसे भी कई बार निवेदन किया था। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था, मौका देखा था और यह माना था कि यह वास्तव में बहुत गलत चीज है और मैं इसको फोरन बाहर से बाई पास निकाल कर इसका ऐसा प्रबन्ध करूंगा। गंगानगर के सारे एम. एल. ए. मिले थे। गंगानगर की जनता भी आपसे

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मिली थी। अभी से घंटी ?

श्री सभापति : पन्द्रह मिनट हो गयी।

श्री राधेश्याम गंगानगर : आप जितना बोले हो, उतना टाइम तो मैं लूंगा।

श्री सभापति : दस मिनट।

श्री राधेश्याम गंगानगर : जितनी देर आप बोलें, माननीय.....

श्री सभापति : दस मिनट।

श्री राधेश्याम गंगानगर : अब आगे मैं जल्दी कर देता हूं। मैं आपके आदेश को पूरी

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

तरह से मानूंगा। उसके आगे हमारी इन्दिरा गांधी कैनाल जो अपने आप में एक राजस्थान नहीं बल्कि वर्ल्ड के अन्दर पनामा कैनाल के बाद अगर कोई कैनाल बनी है, तो वह इन्दिरा गांधी कैनाल बनी है। वह कांग्रेस की देन है। वह ऐसी कैनाल है, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, जिसके अन्दर 18,800 क्यूसेक्स पानी या 18,400 क्यूसेक्स पानी क्षमता की वह कैनाल बनायी गयी, डिजाइन किया गया। धन्य है हमारे इंजीनियर कि उसमें आठ हजार से अधिक पानी कभी चला ही नहीं, अगर चला हो तो आप पूछ लो। जिस कैनाल का डिजाइन हम करें 18,400 क्यूसेक्स, उस कैनाल में पानी चले 8 हजार क्यूसेक्स और कैनाल से पानी बाहर होने लग जाए तो इसका मतलब क्या होगा। यह भी एक बड़ा जांच का विषय है और उस कैनाल के अन्दर कम से कम दस-दस फीट सिल्ट जमी हुई है। (व्यवधान)

श्री गुरजंट सिंह (राज्य मंत्री, सिंचाई) : तेरह हजार क्यूसेक्स है।

श्री राधेश्याम गंगानगर : हो सकता है आपकी जानकारी अधिक हो। मैं आपकी बात मान लेता हूं। आप मंत्री हो। आपको ज्यादा जानकारी है, तेरह हजार कह देते हैं। हम अपनी बात को सुधार लेते हैं कि ऐसा मंत्रीजी बता रहे हैं कि आठ हजार नहीं तेरह हजार है। तो साढ़े 18 हजार क्यूसेक्स या 18,400 क्यूसेक्स की कैनाल में क्या डिजाइन सही है या गलत है? मैं तो यह पूछता हूं आपसे, इसलिये उस कैनाल के कारण आज हमारा रावतसर एरिया, डबाली का एरिया, सूरतगढ़ का एरिया, वहां डिप्रेशन बनाने पड़े और वहां की हालत सभापति महोदय, अगर आप देख लो तो चार दिन तक रोते रहो, रोटी-पानी खाओ ही नहीं। मतलब लाखों किसान उस सेम से उजड़ गए और अगर उस नहर के अंदर नीचे जो उसका बैल्ट है, अगर उस बैल्ट की समय पर रिपेयर कर दी जाती है और उसकी पटरी को संभाल लिया जाता तो यह नौबत नहीं आती। आज हमें उससे कहीं अधिक पैसा खर्च करना पड़ेगा तब जाकर इस कार्य को हम सम्पादित कर सकेंगे।

सभापति महोदय, विडम्बना यह है कि उस कैनाल के अंदर दस फीट की सिल्ट है। मैंने पहले भी कहा है, उस सिल्ट के ऊपर घास उग गयी, वह पशु खाते हैं। उस कैनाल में जहां पानी के जहाज चलने थे, उस कैनाल के अन्दर पशु चरते हैं। यह अपने आप में बड़ी अजीब बात है। हम जब भी बात करते हैं, जब अधिकारी जाते हैं, महसूस नहीं करेंगे, गैलेरी में बड़े-बड़े अधिकारी बैठे हैं, जब हमारे कोई भी मंत्री पधारे, वह कहते हैं कि बड़ी-बड़ी मशीनरियां आ रही हैं जापान से, वह सिल्ट साफ करेगी। सुनते-सुनते आज हमारे कान पक गए। वह न तो कभी कोई मशीन देखी, न सिल्ट निकालते हुये कभी देखी जिसकी क्षमता इतनी थी, वह तो कम हुई सो हुई, वह तो डिजाइन में किसने गलती की, अब जो पानी आना चाहिए, वह भी हम

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

नहीं ले पाते जबकि हमारे हिस्से का पानी हमें देने को तैयार हैं। लोग पानी के लिये मरते हैं, जान देते हैं और हमें पानी मिल रहा है और हम उन डिप्रेशनों में पानी डालकर सेम को न्यौता दे रहे हैं। रोजाना न्यौता दे रहे हैं।

यही हाल आपकी भाखड़ा कैनाल में कई जगह है। कई जगह भाखड़ा कैनाल टूटी हुई है और टेल पर पानी नहीं पहुंचता। किसान रोता-रोता फिर रहा है। भाखड़ा की हालत अगर वी. पी. सिंहजी देखें तो आप हैरान हो जाएंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूं आपका अभिनन्दन करेंगे हम सब लोग, पार्टी का सवाल नहीं है, सब पार्टी मिलकर करेंगी। आप पधारो। स्वयं मौका देखो कि वहां की क्या हालत है। किस तरह किसान रो-रोकर अपना टाइम पास कर रहा है। यह भाखड़ा की हालत है।

अब आपका आ गया घग्घर फ्लड, जो हमारे यहां आती है। पिछली बार छह हजार करोड़ रुपये का नुकसान घग्घर फ्लड से हनुमानगढ़ को हुआ था। अगर हमारा सिस्टम सही होता तो मेरे ख्याल में ऐसी नौबत नहीं आती। सिस्टम में कमी है, उसको आप सुधारिये। बड़े तरीके से चैनल बनाकर उस पानी को लाइए। पानी किसानों को मिले और उससे ज्यादा से ज्यादा किसान सुखी हों और लोगों का मनोबल बढ़े। हमारे लिये सरकार, महाराजा गंगासिंहजी तो चले गए लेकिन अब वी.पी.सिंहजी और देवी सिंहजी पधारे हैं ये कुछ न कुछ उनके नक्शे कदम पर चलकर जनता को राहते देंगे। देवी सिंहजी तो राहत देते-देते चले गये। कहीं ऐसा न हो कि आप भी चले जाओ और हम यहीं देखते रह जाएं मुंह आपका। कृपा करके आप तुरन्त मेरी बात को नोट करेंगे और आपका जब जवाब हो, उस जवाब में यह बिन्दु आने चाहिए। पता लगे कि वाकई इन चीजों पर आपकी गहरी दिलचस्पी है।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत) : राधेश्याम जी, मेरे लिये आपने क्या फरमाया?

श्री राधेश्याम गंगानगर : मैंने कहा है कि आपने प्रामिस किया था और आपका मन भी था। आप बता दो नहीं था क्या?

श्री देवी सिंह भाटी : यह तो कह रहे हो न कि मन तो था।

श्री राधेश्याम गंगानगर : इसमें कोई शक थोड़े ही है। यह बात थोड़े ही है कि आप चले गए तो आपकी बात ही भूल जाएं। यह नहीं है। ऐसा नहीं करेंगे। यह काम उधर का और इधर का इकट्ठा ही है। सभापति महोदय, हमारे यहां जो सिस्टम मैंने बताए हैं, यह मेरी बात पता नहीं आपको अच्छी लगे कि नहीं लगे, राजस्थान में ही नहीं पूरे भारत में ऐसा एक भी डिस्ट्रिक्ट आपके पास नहीं है जिसमें चार सिस्टम हो अपने आप में। आपके पास सोना है, उस सोने को आप वसूल नहीं कर रहे हो। पूरे राजस्थान का पेट भरने वाला गंगानगर जिला, अगर आप यह चार काम मेरी प्रार्थना के मुताबिक, सारे साथी चाहते हैं, उधर वाले भी चाहते हैं, इधर वाले भी चाहते हैं, अगर यह कार्य कर दें तो मैं पूरे दृढ़ निश्चय

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान का नाम, पंजाब हमारा भाई है, लेकिन राजस्थान के अकेले गंगानगर जिले का नाम पंजाब से ऊपर हो जाए। इतनी हमारे पास जमीन पड़ी है जिसका कोई अन्त नहीं। लेकिन पानी की प्यास से वह टीले रो रहे हैं अपनी किस्तम को।

माननीय मंत्री महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेकर, क्योंकि मेरे सचेतक महोदय बैठे हैं, यह कह रहे हैं इतना लम्बा समय न लो और लोग भी बोलने वाले हैं। मेरे चन्द सवाल, जो मैंने आपके सामने रखे हैं। एक तो वर्ल्ड बैंक ने कोई टीम भेजी और उस टीम ने कोई सर्वे करके यह कहा कि राजस्थान में इर्रिगेशन का हम पैसा देना चाहते हैं, वह केवल गंगनहर को देना चाहते हैं। इस सिस्टम से हमें इनकम और सोर्सेज की उम्मीद है कि यहां से हमारा पैसा वसूल हो जाएगा। वह आठ सौ करोड़ रुपये की या एक हजार करोड़ रुपये की पेशकश हुई है? अगर हुई तो सदन को जरूर यह आप जानकारी दें और अगर नहीं हुई है तो आप चाहे अपने मुंह पर पट्टी बांध लो। आप गंग कैनाल के लिये एक-एक पैसा जुटाकर ऐसे कार्य कीजिये, क्योंकि महाराजा गंगा सिंहजी की आत्मा बोल रही है। अगर कुछ करोगे तो आपको आशीर्वाद मिलेगा, आपकी उन्नति होगी, आपकी तरक्की होगी। सरकार तो बनेगी कांग्रेस की, तरक्की आपकी होगी। धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्री ओम प्रकाश शर्मा।

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर (केकड़ी) : कल से सदन के माननीय नेता मुख्य मंत्रीजी अस्वस्थ हैं और राजस्थान के प्रदेश की जनता और हमको जिज्ञासा है, अभी अनधिकृत रूप से सूचना प्राप्त हुई थी कि उन्हें बोम्बे ले जाया जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि स्वास्थ्य मंत्रीजी सदन को अवगत कराएं।

श्री सभापति : करा दिया उन्होंने अवगत। करा दिया।

श्री राधेश्याम गंगानगर : वह पहले हो गया। सर्वसम्मति से प्रस्ताव भी हो गया और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह जल्दी स्वस्थ हों। पहले से तबियत ठीक है।

श्री ओम प्रकाश शर्मा (बूंदी) : सभापति महोदय, मैं मांग संख्या-46 एवं 38 पर हो रहे वाद-विवाद में अपने आपको सम्मिलित करते हुये पहले मैं सिंचाई विभाग के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। नहर मंत्रीजी बाहर पधारे हुये हैं। मैं चाहता था कि वह भी यहां होते और उनके सामने कुछ बातें रखता। सिंचित क्षेत्र कोटा-चम्बल के लिये मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। सभापति महोदय, जब हम नहरों के बारे में बात करते हैं कि नहरें और ड्रेन्स खराब हैं और दूसरी ओर राजाड़ के माध्यम से 1997-98 में 719.69 लाख रुपये राजाड़ को दिये गये। और यह जो पैसे दिये यह इसलिये दिये कि नालियां खोदी जाएं और नालियों में सीपेज का पानी निकले पाइप डालकर और नालियों के अन्दर पाइप लगे तो जो सीपेज का पानी बाहर

(श्री ओम प्रकाश शर्मा)

निकलेगा, जमीन ऊसर नहीं होगी। इसी में दूसरा दिया गया है, यह किताब मैंने नहीं छपाई, सिंचित क्षेत्र की छपाई हुई है, वह दूसरी ओर यह कहते हैं प्रस्तावित परियोजना के प्रथम चरण के लिये मुख्य कार्यों के अन्तर्गत एक लाख सड़सठ हजार हैक्टेयर से अधिक के कार्य जल विकास 21 किलोमीटर नहर पक्का करने का कार्य किया है, जहां अधिक सीपेज होता था। 854 किलोमीटर नहरी सुविधा बढ़ाना। 157 नियंत्रण ढांचों का सुधारना या बनाना। मैंने यह बात इसलिये निवेदन की है कि हम दायीं मुख्य नहर के लोग, बायीं मुख्य नहर के लोग चाहते हैं कि नहरें पक्की हों, धोरे पक्के हों। यह तो वो करना चाहते नहीं है। वो चाहते हैं राजाड़ में, क्या स्वार्थ है? इस राजाड़ की योजना में 27 करोड़ रुपये राजस्थान के भी हैं। मैं मानता हूं कि केनेडियन सरकार और राजस्थान सरकार के बीच समझौता हुआ था। उस समझौते में नहरों को पक्का करने के अलावा, उसमें शामिल नहीं की, लेकिन सीपेज के लिये नाली बनाना तय किया। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, वो भी किसान के बेटे हैं, वो टेबल पर बैठकर काम नहीं करते इसलिये वे इस समस्या को भली भांति से समझें। अब तक जो अधिकारी बैठे हैं वो इस समस्या को समझ नहीं पा रहे हैं। वहां की जनता चाहती है कि नहरें पक्की हों और यह नालियां खोद कर सीपेज द्वारा पानी निकाल रहे हैं। इसमें कहीं गड़बड़ नजर आ रही है इसलिये, मंत्री महोदय, जवाब में इसके बारे में बतायें।

सभापति महोदय, 1960-61 में पहली बार कोटा बैराज से पानी प्रारम्भ हुआ और 1974 से चम्बल सिंचित विकास परियोजना समन्वित सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, बायीं मुख्य नहर में एक लाख दस हजार हैक्टेयर के करीब जमीन है और वहां पर एक ही अधिकारी है। अधिशासी अभियन्ता एक है जबकि पचास हजार हैक्टेयर जमीन से ऊपर होती है तो दो अधिकारी नियुक्त होने चाहिए। पिछली बार सिंचाई मंत्रीजी, ज्ञान सिंहजी ने यहां पर बूंदी में एक कार्यालय खोला उसके लिये जो धन्यवाद के पात्र थे, सरकार धन्यवाद की पात्र है, परन्तु एक कार्यालय और खुले तब जाकर नहरों का रख-रखाव होगा।

इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज वहां नहरों के रख-रखाव, ड्रेनों, धोरों के रख-रखाव के लिये एक अधिकारी नहीं अनेक अधिकारी हैं। वहां पर नहर कौन बनाएगा, उसके अधिकारी अलग, सफाई कौन कराएगा, उसके अलग, मशीन कौन भेजेगा, उसका अलग अधिकारी, मशीन में तेल कौन डालेगा, उसका अधिकारी अलग है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जब तक आप सहायक अभियन्ता जैसे व्यक्ति को मशीन की जिम्मेदारी नहीं देंगे नहरों की, ड्रेनों की सफाई नहीं होगी। अधिकारी कोटा में बैठते हैं। वहां कमिश्नर साहब हैं, उनकी निगाह में वो

(श्री ओम प्रकाश शर्मा)

अधिकारी आते रहें इसलिये कोटा में बैठते हैं और जमीन सारी बूंदी में है, पूरा बूंदी जिला लगता है इसलिये उसके लिये आपको सहायक अभियन्ताओं को जिम्मेदारी देनी पड़ेगी और उसके बाद ही नहरों की, धोरों की सफाई हो पाएगी।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह सही है कि 15 वर्ष से 20 वर्ष से जब से यह धोरे और नहरें बनीं तब से सफाई नहीं हुई थी, मंत्री महोदय ने, राज्य सरकार ने इस साढ़े चार सालों में 800 किलोमीटर ड्रेन और नहरों की सफाई की है। इसके लिये वो धन्यवाद के पात्र हैं, परन्तु वहां पर तीन हजार किलोमीटर के लगभग नहरें, धोरे और ड्रेनें सारे भरे पड़े हैं और, सभापति महोदय, उस क्षेत्र से बासमती चावल पैदा होता है और वो बासमती चावल विदेशों में बिकता है जिससे विदेशी मुद्रा हम को मिलती है। परन्तु दुर्भाग्य है कि दो वर्ष से पैसा दिया जा रहा है केवल कर्मचारियों, अधिकारियों की तनख्वाह के लिये और वहां पर नहरों, ड्रेनों और धोरों की सफाई के लिये पैसा नहीं दिया जा रहा है। आपके माध्यम से मैं सरकार से, मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस क्षेत्र के लिये पैसे की आवश्यकता है, पैसा दीजिये। आज नहरें टूट फूट गयीं, वहां पानी खेतों में नहीं पहुंच रहा इसलिये जब तक खेतों में पानी नहीं पहुंचेगा ड्रेनों में भी पानी नहीं जाएगा, नहरों में भी पानी नहीं जाएगा और वहां फसल पैदा नहीं होगी।

इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ क्षेत्रों में लिफ्ट लगायी जाए। जैसे बाजड का खाल है, वहां पर लिफ्ट द्वारा पानी दिया जाता है तो उससे अन्तरा माइनर तक पानी पहुंचेगा। पानी बेकार जा रहा है। इसी प्रकार से मांगली नदी पर अगर लिफ्ट लगायी जाती है तो बथवाड़ा तक पानी जाएगा। इसी प्रकार से जब कोटा और अन्ता से बायीं मुख्य नहर निकलती है, सभापति महोदय, पांच गांवों का दुर्भाग्य है कि उन गांवों के बीच से नहर निकल रही है, जागमूंद, तुलसी, कैथूदा, बालापुरा और पितामपुरा, यह पांच गांव हैं जहां से होकर नहर निकल रही है परन्तु उन गांवों को वहां की जमीन सिंचित हो, इसके लिये पानी नहीं है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां लिफ्ट की इजाजत दी जाए। जब हम वहां मिलने जाते हैं तो कहते हैं कि इस नहर से हम लिफ्ट नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? जब और जगह, बारां के अन्दर लिफ्ट दी गयी, क्यों दी गयी और यहां क्यों नहीं दी जा सकती? इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर लिफ्ट योजना लागू की जाए।

सभापति महोदय, इसके साथ बूंदी जिले में बरसाती पानी 85 प्रतिशत आज भी बेकार जाता है। जिस प्रकार से शरीर में रक्त की आवश्यकता है, धमनियों की आवश्यकता है और वो सारे शरीर में पहुंचती है उसी प्रकार से पानी उस जमीन के लिये आवश्यक है। आज बूंदी जिले में 85 प्रतिशत पानी बेकार जा रहा है केवल 15 प्रतिशत पानी को हम

(श्री ओम प्रकाश शर्मा)

काम में ले रहे हैं। मेरे समझ में नहीं आता कि देश को आजाद हुये आज 50 साल हो गये हैं, उससे पहले जब राजा-महाराजाओं का समय था तब उन्होंने जो बंधे बनाये थे उसके बाद बंधे नहीं बने, छोटे-मोटे बंधे बने हैं। मैं गरड़दा के बारे में निवेदन कर रहा हूं, आज केवल 15 प्रतिशत पानी काम में ले रहे हैं और केवल 34 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जा रही है। बूंदी जिले में बड़ी नदियां है, पानी बहुत है, पर्याप्त मात्रा में पानी है और वह सारा का सारा पानी चम्बल नदी में जाकर गिरता है। इसलिये मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि मेज नदी, मांगली नदी, घोड़ापछाड़ नदी, तालड़ी नदी यह ऐसी नदियां है कि जहां का पानी कभी खतम होता ही नहीं है। वहां बांध बनाये जाएं।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : पानी कहां से आता है?

श्री ओम प्रकाश शर्मा : पहाड़ों से आता है, बरसाती पानी आता है।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यहां इतना पानी है अगर इन पर बांध बनाये जाएं तो बूंदी जिले की नहीं उसके आसपास के इलाके की भी एक बीघा जमीन असिंचित नहीं रह सकती है। परन्तु दुर्भाग्य है, मैं इसके साथ निवेदन कर रहा हूं कि आपने अधिकारियों का प्रमोशन कर दिया, बहुत अच्छा किया। कनिष्ठ अभियन्ता, उनके प्रमोशन कर के चार को सहायक अभियन्ता बना दिया। 200 सहायक अभियन्ता आज भी फालतू बैठे हुये हैं। 150 को तो आपने आफिस में लगा रखा है और 50 सर्वे में लगा रखे हैं, क्वालिटी कंट्रोल में क्या होता है क्वालिटी कंट्रोल? क्यों नहीं सर्वे कराया जाता उनसे? तनख्वाह दे रहे हो आप जेईएन. को। वो जेईएन. ही ठीक थे, उनसे सर्वे तो होते। मेरा निवेदन करना यह है कि इनका सर्वे कराया जाए और इस पानी का सदुपयोग किया जाए। जब हमारी सरकार कहती है हम दोनों हाथों को काम देंगे, कहां से दोगे आप? आपने क्या सर्वे कराया? जब अब कुछ करना ही नहीं चाह रहे, आपकी मन की इच्छा होगी पर कर तो कुछ नहीं रहे, कहने से कुछ होगा नहीं। जब तक नहीं करोगे कुछ भी होने वाला नहीं है।

इसके साथ साथ मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि गरड़दा बांध के बारे में, जब से मैं विधायक बना हूं तब से लेकर आज तक बार-बार बोलता रहा हूं। यह बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब से लेकर आज तक पर्याप्त कोशिश की गयी है और उधर की जब सरकार थी, सभापति महोदय, मैं आलोचना नहीं करना चाहता, परन्तु यह बात कई बार आयी कि शिलान्यास कर गये, असत्य बोलते हो। श्री शिवचरणजी माथुर, मुख्य मंत्री थे, गरड़दा में जाकर शिलान्यास किया। स्वीकृति ही नहीं है, वन विभाग की एन.ओ.सी. ही नहीं है, सिंचाई

(श्री ओम प्रकाश शर्मा)

विभाग की एन.ओ.सी. ही नहीं है और आप शिलान्यास कर रहे हो, + + + आनी चाहिए थी। वोट ले लिये इस आधार पर। एक तो पहुंच गये ऊपर, उन्होंने भी शिलान्यास किया और एक मौजूद हैं, वो भाषण देते हैं, उन्हें + + + ही नहीं आती। आज 15 साल हो गये वहां जाकर शिलान्यास कर आये। उसके लिये राज्य सरकार को, अधिकारियों को और मैं देवी सिंहजी भाटी को धन्यवाद दूंगा।

श्री राजेन्द्र पारीक : सभापति महोदय, श्री शिवचरणजी माथुर इस सदन के सदस्य नहीं हैं, इनका नाम लेकर जिस तरह की बात की गयी है, कृपया एक्सपंज कराएं।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : इन्होंने नाम नहीं लिया।

श्री राजेन्द्र पारीक : नाम लिया है इन्होंने श्री शिवचरणजी माथुर का। रिकार्ड में है आप दिखवायें इसको। (व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश शर्मा : हां, मैंने नाम लिया है श्री शिवचरणजी माथुर का।

श्री राजेन्द्र पारीक : श्री शिवचरणजी माथुर ने राजस्थान में जितना विकास कराया है उतनी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। आपकी साइज वहां तक नहीं पहुंच सकती।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : असत्य है बिलकुल + + + (व्यवधान)

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : + + + उतना किसी ने नहीं बिठाया राजस्थान का। (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया किसी का नाम नहीं लेवें।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : श्री शिवचरणजी ने शिलान्यास किया या नहीं किया? (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय श्री ओमप्रकाशजी, जो इस सदन के सदस्य नहीं हों, बाहर के लोग हों उनका नाम नहीं लिया जाए।

श्री रतनलाल ताम्बी : शिलान्यास उन्होंने किया इसलिये सरकार दुर्भावना रखती है और इसीलिये काम पूरा नहीं कराया जाएगा।

श्री परसादी लाल मीणा : ये हार से बौखला रहे हैं। हार हो गयी बूंदी में और आगामी हार से बौखलाकर अपनी कमजोरियों को छिपा रहे हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : वे खुद भी बचेंगे नहीं।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : मैं माननीय सदस्य को चुनौती देता हूं कि मेरे यहां आकर देख लो।

श्री परसादी लाल मीणा : सरकार की जो कमजोरी है, यह तय है कि हार निश्चित है इसलिये ये बौखला रहे हैं। (व्यवधान)

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री सभापति : कृपया व्यवधान नहीं डालें।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : आपको खुली चुनौती है। आकर देखो और जीतकर आवें तब बोलना।

श्री परसादी लाल मीणा : श्री शिवचरणजी माथुर मुख्य मंत्री थे अब आठ साल से श्री भैरोंसिंहजी मुख्य मंत्री हैं। आप श्री भैरोंसिंहजी का नाम लेओ, आप श्री चतुर्वेदीजी का नाम लो।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : आइये खुली चुनौती दे रहा हूं आपको। आ जाओ मैदान में।

श्री परसादी लाल मीणा : इसी वजह से आप हारे हैं। श्री चतुर्वेदीजी की वजह से आपकी हार हुई है। (व्यवधान) माथुर साहब की वजह से नहीं।

श्री सभापति : कृपया बिराजें। हो गयी बात।

श्री राजेन्द्र पारीक : आप एक्सपंज करवाइये। (व्यवधान)

श्री सभापति : ऐसी क्या बात कह दी जो एक्सपंज वाली बात है। कह दिया उनको आइन्दा नहीं लेंगे नाम।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : सभापति महोदय, इनमें, सुनने का माद्दा ही नहीं है।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें आप।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : सभापति महोदय, मैं मेरी बात रखूंगा मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया जाए। सभापति महोदय, हमारे प्रति आरोप लगा रहे हैं और आप कुछ बोलें नहीं।

श्री परसादी लाल मीणा : कुछ नहीं लगा रहे। (व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश शर्मा : मैं निवेदन कर रहा हूं, माननीय सदस्य श्री धारीवालजी बैठे हैं आप इनसे कसम खिलाकर पूछ लो कि शिलान्यास किया कि नहीं किया ?

श्री सभापति : आप अपनी बात कहिये। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा : आप अपनी बात कहिये। (व्यवधान) आप ऐसा आरोप क्यों लगाते हैं ? (व्यवधान) आप दोनों हार गये। पार्लियामैंट के चुनाव में.....

श्री ओम प्रकाश शर्मा : आपमें दम है तो श्री शिवचरणजी माथुर को हराकर दिखा दें।

श्री परसादी लाल मीणा : आप दोनों के विधान सभा क्षेत्रों में कांग्रेस जीती है और बी.जे.पी. हारी है इसलिये आप दोनों बौखला रहे हैं। (व्यवधान)

श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी : आपको तो आने ही नहीं देंगे आप क्यों बोल रहे हैं ? श्री शिवचरणजी आपको आने ही नहीं देंगे ताम्बीजी इसलिये आप क्यों बोलते हो ? (व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश शर्मा : मैं आपको खुली चुनौती देता हूं आ जाओ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अपनी बात कहकर समाप्त कीजिये। आपस में कहने का नहीं।

श्री परसादी लाल मीणा : और कुछ बात तो है नहीं इनके पास। (व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश शर्मा : मैं निवेदन कर रहा था कि गरड़दा बांध के लिये जिसमें 9115 हैक्टेयर जमीन सिंचित होगी, 43 गांव सिंचित होंगे, 43 गांवों की जमीन को पानी मिलेगा। एक लाख बीघा जमीन उससे सिंचित होगी। उसके लिये योजना आयोग की तकनीकी सलाहकार समिति की 64वीं बैठक तारीख 3-4-96 को तकनीकी योग्य पाकर वन विभाग और समाज कल्याण विभाग भारत सरकार की स्वीकृति की शर्तों के आधार पर स्वीकृति प्रदान की गयी थी। और 94 की दरों के आधार पर 39.51 लाख रुपये उसकी लागत थी। मैंने निवेदन किया कि 2215 हैक्टेयर भूमि सिंचित होनी है। मण्डल वन अधिकारी, बूंदी ने 6-12-97 को श्रीमान् वन संरक्षक केन्द्रीय पर्यावरण वन मंत्रालय को लिखा था कि गरड़दा परियोजना के अंतर्गत 205 हैक्टेयर भूमि.....(व्यवधान) हस्तान्तरण की जा चुकी है। 5-11-97 को.....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें। बहुत समय ले लिया है।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : मैं ये बातें इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि मुझे हमारे मंत्री महोदय श्री वी. पी. सिंहजी ने मुझे आश्वासन दिया है कि विधान सभा के सत्र के बाद वे स्वयं जाएंगे। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि योजना को दिल्ली से स्वीकृत कराना है और आप स्वीकृत करना चाहते हो.....

श्री परसादी लाल मीणा : हो गयी।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : आपके क्यों + + + लग रही है? मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस चालू सत्र के बीच में आपके अधिकारियों को भेजिये और उसकी स्वीकृति लाइये। मुख्य मंत्रीजी ने डी.ओ. लैटर लिखा है। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा आपके माध्यम से। मंत्री महोदय, आप अपने अधिकारियों को वन विभाग के अधिकारियों को दिल्ली भेजकर स्वीकृति प्रदान कराएं।

श्री सभापति : अब आप बात कर रहे हैं मंत्री महोदय से। बिराजिये। श्री बनवारी लाल शर्मा।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : सभापति महोदय, केवल एक मिनट में-एक मिनट में खतम कर रहा हूं आप आ जाना मैदान में क्यों चिल्ला रहे हैं यहां।

श्री सभापति : जल्दी कीजिये खतम।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : एक मिनट। बोरदाखान की योजना एक वर्ष से सिंचाई विभाग के अधिकारियों के पास जयपुर में पड़ी हुई है, उसको स्वीकृत कराया जाए। इसी प्रकार गुरजनिया, किशनपुरा, तदोरा, बसोली, कुमारिका, नाका और गरड़दा, इनके बारे में निवेदन किया है। इसी प्रकार की 40 योजनाएं ऐसी और हैं जिनकी स्वीकृति प्रदान करावें। आपने मुझे समय दिया। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री बनवारी लाल शर्मा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : श्री देवीसिंहजी भाटी तो सीधे आदमी हैं ये तो जानते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : शांति रखें कृपया।

श्री परसादी लाल मीणा : तीन महीने में क्या होगा अब। पांच साल से बोलते। (व्यवधान)

श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी : खड़ा करने के लिये श्री राजेन्द्रजी को पुरस्कार दिया जाए।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : हम जीतकर आएंगे और + + +

श्री परसादी लाल मीणा : हाड़ौती से एक भी सीट नहीं आएगी श्री अनंग कुमारजी के यहां। एक भी सीट नहीं जीतेगी।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : फिर आप आ जाओ न लड़ने।

श्री परसादी लाल मीणा : बता दिया आपको। (व्यवधान) आप लोगों ने पहले भी श्री रघुवीर सिंहजी को मरवा दिया और तो कोई मिला नहीं, + + + को मरवा दिया।

श्री सभापति : साइलेंस प्लीज। माननीय श्री परसादीलाल जी बिराजें। आर्डर प्लीज।

श्री कालूलाल गूजर : बूंदी से लड़ो आ जाओ।

श्री बनवारी लाल शर्मा (धौलपुर) : सभापति महोदय, सिंचाई विभाग पर आज चर्चा हो रही है और कुछ साथियों ने अपने विचार प्रकट किये। अभी आप यहां से अपने विचार प्रकट कर रहे थे, आपने खुद आरोप लगा रहे थे अलवर जिले की तरफ सिंचाई विभाग ने कोई ध्यान नहीं दिया। मेरा तो यह निवेदन है कि सिर्फ अलवर जिले तक ही सीमित नहीं है, सिंचाई, विभाग का पूर्वी राजस्थान के किसी भी जिले की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं गया। चाहे वह अलवर हो, चाहे भरतपुर हो, चाहे धौलपुर हो और चाहे सवाईमाधोपुर हो। आप इसी से अन्दाजा लगा सकते हैं कि सिंचाई विभाग द्वारा मेरे धौलपुर जिले में सिर्फ एक डेम पार्वती नाम से बनाया गया। वह करीब 40 साल पहले बनाया गया था और सिंचाई विभाग की अकर्मण्यता के कारण, आप देखिये आज उस बांध को तोड़ दिया गया है, टूट गया। आप इसी से अन्दाजा लगा सकते हैं कि सिंचाई विभाग

+ + + अभिव्यक्तियां अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयीं।

(श्री बनवारी लाल शर्मा)

कितना जागरूक था। मैंने इसी सदन में आज से 15 वर्ष पूर्व सिंचाई विभाग को आगाह किया था कि उसमें दरारें पड़ रही हैं। अगर इसकी व्यवस्था नहीं की गयी तो वह बांध टूट जाएगा। लेकिन सिंचाई विभाग ने, तत्कालीन सिंचाई मंत्री हमारे श्री परसरामजी मदेरणा सीधे वहां भागकर गये, उन्होंने देखा और उन्होंने कार्यवाही की। फिर भी सिंचाई विभाग द्वारा इतनी लापरवाही की गयी, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया और अन्ततः वह बांध टूट गया। कितने दुर्भाग्य की बात है कि सिंचाई विभाग राजस्थान के तथा सेन्ट्रल के पांच-पांच अधिकारी उसमें मारे गये इससे ज्यादा अफसोस की बात और क्या हो सकती है। मेरा तो आपसे निवेदन है कि जो बांध टूटा उससे नुकसान हुआ वह तो सही है। माननीय मंत्रीजी, उसकी मरम्मत में आप करवा रहे हैं लेकिन उसकी मरम्मत कितने साल में आप पूरा करा पाएंगे। क्या इसका भी कोई अन्दाज है? जिस दिन टूटा था उस दिन से दो साल में ठीक होने का कह रहे हैं लेकिन आज स्थिति यह है कि जिससे 35 हजार एकड़ जमीन सिंचाई होती थी वहां पर उन काश्तकारों का नुकसान तो हो रहा है, आपके विभाग का, राजस्व का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। मेरा तो आपसे निवेदन है कि जिस धीमी गति से काम चल रहा है उससे आप अन्दाज लगाएंगे तो अभी तो आप दो साल की कह रहे हैं, मैं कहता हूं दो साल और ज्यादा लगेंगे। मा. श्री देवी सिंहजी भाटी जब मंत्री थे, उनसे भी शिकायत की गयी, उन्होंने मौका मुआयना किया। मेरी जानकारी में आया वहां पर इतना घोटाला हो रहा था, ये इंजीनियर्स को अपने साथ लेकर सेम्पल लिये और इन्होंने घोटालों की जांच की। उनका परिणाम क्या निकला, वह तो मेरी जानकारी में नहीं आया लेकिन मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जिस गति से ठेकेदारजी काम कर रहे हैं विभाग काम करा रहा है उससे लगता है कि कम से कम पांच साल लगेंगे। उस क्षेत्र की जनता की क्या हालत होगी? आप स्वतः ही अन्दाज लगा सकते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेहरबानी करके इस पर गौर करें, इसकी जल्दी से जल्दी मरम्मत कराने की कृपा करें।

इसके अलावा हम तो सैकण्ड पार्वती की मांग कर रहे थे लेकिन यह पार्वती बांध ही बन रहा है तो सैकण्ड पार्वती की मांग के बारे में तो अपन क्या कह सकते हैं, तो इस पर राज्य सरकार विचार करेगी या नहीं करेगी?

लेकिन मेरा फिर भी आपसे निवेदन है, पुनः आपसे अर्ज कर रहा हूं कि यदि आपने इस बंधे को तो बनवाया लेकिन सैकण्ड पार्वती और लोअर पार्वती की तरफ विभाग ने ध्यान नहीं दिया अगर इस पर गम्भीरता से विचार किया तो निश्चित तौर पर उस क्षेत्र की जो असिंचित भूमि है, जो कि इस बंधे से पूरी नहीं हो पाती है, निश्चित तौर से उस क्षेत्र की

(श्री बनवारी लाल शर्मा)

उस असिंचित भूमि की सिंचाई संभव हो सकती है। इसी के साथ-साथ आप सैकण्ड पार्वती और लोअर पार्वती की इसी प्रकार से योजना बनाएं और जब भी आपके आर्थिक साधन सम्भव हों उसको पूरा करने का प्रयास करें।

इसके अलावा मेरा माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि जहां पर जिस एरिया में बांध नहीं बन सकता है या जहां पर सिंचाई के कोई साधन नहीं हों, धौलपुर जिले में चम्बल नदी इतनी बहती है कि चम्बल नदी का हम इतना उपयोग नहीं उठा पा रहे हैं जितना कि मध्य प्रदेश उठा पा रहा है। सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि इस चम्बल से आप लिफ्ट इर्रिगेशन करके उस एरिया का, धौलपुर जिले के उस क्षेत्र का लाभ उठा सकें जिस क्षेत्र में कि अन्य किसी साधन से सिंचाई नहीं की जा सकती। योजना बन गयी है, सर्वे पूरी हो गयी है लेकिन फिर भी आज उस लिफ्ट योजना को कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। उसकी तरफ गौर करें।

इसके साथ साथ माननीय मंत्री जी तो नहीं हैं, मैं इतना खास तौर से निवेदन करूंगा कि इस समय धौलपुर में थर्मल पावर बन रहा है और धौलपुर के थर्मल पावर वालों को चम्बल से लिफ्ट इर्रिगेशन करके, पानी उठाकर अपनी उस योजना को पूरा करना पड़ेगा। मेरा तो सिंचाई विभाग से और सिंचाई मंत्री जी से निवेदन है कि किसी प्रकार से जो पावर स्टेशन बना रहे हैं उस कम्पनी से मिलकर और सिंचाई विभाग मिलकर योजना बनाएं क्योंकि उनको लिफ्ट करना है, आप भी लिफ्ट करें उनसे सहयोग लेकर के। इस प्रकार से उस लिफ्ट इर्रिगेशन को पूरा करिये तो उसका लाभ मिल सकता है, क्योंकि उनको स्टोरेज करना है, उनको पावर स्टेशन वालों को लिफ्ट करनी है। उनको स्टोरेज करना है, उनको ले जाना है। आप मेहरबानी करके यह जो गोयनका जी बना रहे हैं थर्मल पावर स्टेशन उनसे कांटेक्ट करके, सम्पर्क करके इस प्रकार की योजना बनाएं जिससे कि लाभ उठाया जा सके।

इसके अलावा मेरा आपसे निवेदन है कि आपने धौलपुर जिले में सिर्फ स्टेट टाइम के जो बंधे हैं वहीं बंधे हैं और वहीं नहरें हैं। कोई भी नया बांध नहीं बनाया है। चाहे वह उर्मिला सागर का बांध हो, चाहे वह रामसागर का बांध हो, वहीं पुराने बंधे हैं वहीं पुरानी नहरें हैं। आज तक आपने उनको न तो पक्का कराया जिससे कि करीब तीन-तीन हजार बीघा के करीब की सिंचाई होती है और आज तक उनकी तरफ कोई गौर नहीं किया गया। मेरा आपसे निवेदन है कि चाहे वह रामसागर का बंधा हो, चाहे वह उर्मिला सागर का बंधा हो, उसकी नहर है उसको बनाइये जिससे कि टेल एंड तक उसका पानी पहुंच सके वर्ना बीच में लोग तोड़ देते हैं और पानी का उपयोग नहीं कर पाते हैं।

(श्री बनवारी लाल शर्मा)

इसके अलावा मेरा आपसे निवेदन है कि जैसे मैं आपसे चम्बल नदी से लिफ्ट की कह रहा हूं उसी तरीके से पार्वती नदी है उसमें भी हमेशा पानी बहता रहता है। तो जहां पर जिस इलाके में बंधा नहीं बन सकता है या इस इलाके में और किसी तरह से नहीं ले सकते हैं वहां पर पार्वती नदी से भी आप लिफ्ट इर्रिगेशन की कोई योजना बनाएं और जितनी छोटी-छोटी योजनाएं बनाकर के वहां के क्षेत्र को लाभ दे सकते हैं उनको दें। खास तौर से चम्बल के बीहड़ इलाकों में, चम्बल से लगे हुये इलाकों में जहां पानी नहीं पहुंच सकता है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वहां पर ट्यूबवैल बनवाएं पाताल तोड़ कुएं बनवाएं किसी तरह से एनोकट्स बनायें। आज तक विभाग द्वारा कोई भी इस प्रकार की योजना नहीं बनायी गयी है जिससे कि उस असिंचित क्षेत्र को सिंचित किया जा सके।

माननीय मंत्री जी ओडेंला ताल स्टेट टाइम का ताल बना हुआ है और वह सन् 1984 से टूटा हुआ पड़ा है। इससे 200 एकड़ बीघा जमीन की कभी सिंचाई होती थी। इसमें 9 लाख रुपये की मंजूरी भी सरकार द्वारा, विभाग द्वारा की गयी थी। दो लाख रुपये खर्च भी किये गये थे लेकिन उसकी आज तक मरम्मत नहीं करायी गयी आखिर कारण क्या है? स्टेट के समय का तालाब, उस पर नौ लाख रुपये की मंजूरी भी हो गयी, विभाग ने दो लाख रुपये खर्च भी कर दिये और फिर भी उसकी मरम्मत नहीं करायी जा रही है इसका कारण क्या है? इसकी जांच करें और क्यों नहीं उसकी मरम्मत करायी जा रही है? इसके अलावा मेरा यह है कि उसका कैचमेंट एरिया बढ़ायें उससे और ज्यादा इर्रिगेशन बढ़ाने का प्रयास करें। इसके अलावा मेरा एक और निवेदन है कि नदी, नाले और जो असिंचित जमीन है उसमें नहर द्वारा सिंचाई कराएं कुएं बनाएं और किसी प्रकार से इस प्रकार की व्यवस्था करें कि उस असिंचित क्षेत्र को सिंचित करें।

इसके अलावा मेरा अन्त में एक निवेदन है कि धौलपुर एईएन. उप खण्ड कार्यालय था और जिसमें करीब 16 तालाब आते हैं। जिसमें राजाखेड़ा तहसील के तालाब, धौलपुर पंचायत समिति के तालाब आते हैं, उस कार्यालय को बाड़ी स्थानान्तरित कर दिया है। आज अंदाजा लगाइये कि राजाखेड़ा के किसी भी काश्तकार को अपनी अगर कोई परेशानी है तो 35 किलोमीटर धौलपुर, 35 किलोमीटर बाड़ी, 70 किलोमीटर चलकर आना पड़ेगा जब अपनी समस्याओं के बारे में अर्ज कर सकेगा। धौलपुर ज्योग्राफिकल स्थिति से देखा जाए तो 35 किलोमीटर पूरब में राजाखेड़ा है और पश्चिम में बाड़ी है। क्यों नहीं उस एईएन. कार्यालय को धौलपुर में ही रखा जाए? जो स्टेट के टाइम से कार्यालय था उसको पता नहीं क्यों हटा दिया गया? मेरा आपसे निवेदन है कि इस पर गौर करें और

(श्री बनवारी लाल शर्मा)

इस कार्यालय को धौलपुर ही स्थानान्तरित करें। मेरे जो सुझाव हैं उन पर गौर करें और धौलपुर क्षेत्र की तरफ ध्यान दें। आपने मुझे समय दिया उसके लिये धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्री शांतिलाल खोईवाल।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री सुरेन्द्र गोयल (उप मुख्य सचेतक) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घंटे के लिये बढ़ाया जाए।

श्री सभापति : सदन का समय दो घंटे के लिये बढ़ाया गया।

मांग संख्या 38 एवं 46 पर विचार

श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमंद) : माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 46 सिंचाई विभाग की मांग पर चर्चा हो रही है। सिंचाई विभाग एक बहुत महत्वपूर्ण महकमा है। मैं समझता हूं राजस्थान की सारी समस्याओं का निराकरण यदि सिंचाई विभाग को मजबूत कर दें तो निराकरण हो जाएगा। आज पानी की समस्या है राजस्थान में, पेयजल की समस्या है, आज रोजगार की समस्या है। अब रोजगार की बात करेंगे, माननीय सभापति महोदय, यदि सिंचाई के लिये पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध होगा तो निश्चित तौर से ग्रामीण परिवेश की बेरोजगारी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी यदि सिंचाई विभाग को मजबूत करेंगे। जो पानी हमारे स्टेट से बहकर बाहर चला जाता है, उसकी रोकथाम की व्यवस्था कर देंगे, छोटे-छोटे एनीकट्स का निर्माण करा देंगे, छोटे-छोटे बांधों का निर्माण करा देंगे तो निश्चित तौर से वाटर टेबल बढ़ जाएगा और इससे पेयजल की समस्या का भी निराकरण हो जाएगा। सभापति महोदय, ऐसी स्थिति में सिंचाई विभाग को जितना मजबूत किया जाए उतना कम है और यही एक ऐसा रामबाण है जो राजस्थान की सारी समस्याओं का निराकरण एक ही विभाग कर सकता है। यदि इसमें बजटरी प्रोवीजन्स बढ़ाने की आवश्यकता है तो बजट बढ़ाना चाहिए। यदि राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर फाइनेंशियल एजेंसीज से सिंचाई विभाग को मजबूत करने के लिये इमदाद लेनी है तो निःसंकोच लेनी चाहिये ताकि दुनिया भर की समस्याओं का निराकरण एक ही विभाग कर देगा। ऐसी मेरी व्यक्तिगत सोच है। मैं समझता हूं आप लोग भी मेरी बात से सहमत होंगे।

सभापति महोदय, आज किसान परेशान है पानी के लिये, ग्रामीण जनता पेयजल के लिये परेशान है। शहर की जनता भी कम परेशान नहीं है पेयजल की दृष्टि से। ऐसी स्थिति में जैसा कि मैंने आपको अनुरोध किया, निवेदन किया कि सिंचाई मंत्री जी इस पर

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

ज्यादा ध्यान दें, ज्यादा बजट उपलब्ध कराएं, ज्यादा एनीकट्स बनाएं।

मैं इसी के साथ राजसमन्द जिले के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, कि वहां पर नमाणा बांध से पानी राजसमन्द झील को फीडर के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है और अब चीकलवास बांध भी तैयार हो चुका है। चीकलवास बांध के पानी का उपयोग भी राजसमन्द झील को भरने का है ऐसी स्थिति में जो वहां की फीडर बनी हुई है उसे और ऊपर उठाने की जरूरत है ताकि ज्यादा पानी उस फीडर के माध्यम से राजसमन्द झील में आएगा और उसकी भराव क्षमता बहुत है। ऐसी स्थिति में उस फीडर की ऊंचाई को और बढ़ाने की आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, इसी के साथ चीकलवास बांध मूल रूप से पेयजल के साथ-साथ सिंचाई का तो उद्देश्य था उसका निर्माण कराते समय मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय राजसमन्द तहसील में सिंचाई के लिये नहरों का निर्माण कराएं। अभी तक इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं हुई है जबकि बांध तैयार हो चुका है और मैं समझता हूं ईश्वर की कृपा से इस वर्ष अच्छी बरसात हुई तो निश्चित तौर से पानी का उपयोग हम नहीं कर पाएंगे उस फीडर की ऊंचाई के अभाव में।

सभापति महोदय, राजसमंद झील का पानी पेयजल और सिंचाई के लिये भी उपयोग किया जाता है और पूरी तहसील की लाइफ लाइन उस राजसमंद झील पर निर्भर करती है। वहीं राजसमंद तहसील के बीच में एक रेलवे ट्रेक है मावली जंक्शन। उस रेलवे ट्रेक के बियोंड मोही और पीपलीआचार्या जिसकी हजारों एकड़ भूमि की सिंचाई होती है। उस सिंचाई के लिये जो एक पाइप रेलवे ट्रेक के नीचे गांव में गुजारने के लिये फिट कर रखा था। वह पाइप इतना संकड़ा है कि पर्याप्त मात्रा में पानी सिंचाई के लिये उन गांवों के लिये उपलब्ध नहीं हो पाता।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि उस पाइप को चौड़ा कराने के लिये ढाई लाख रुपये का एक एस्टीमेट रेलवे विभाग ने भेजा है और पहले सिंचाई विभाग ने भी अनुरोध किया था कि पर्याप्त पानी यहां उपलब्ध नहीं हो पाता है इसलिये इसको और चौड़ा करने की आवश्यकता है। वह एस्टीमेट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, राजसमंद के पास उपलब्ध है और मेरा अनुरोध है कि ढाई लाख रुपये की राशि बहुत कम है। मंत्री महोदय यह ढाई लाख रुपये उपलब्ध कराएंगे तो मैं समझता हूं हजारों बीघा जमीन पर सिंचाई होना संभव हो पाएगा।

इसी तरह गोसूंदा डैम के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मूल रूप से गोसूंदा डेम सिंचाई विभाग के द्वारा निर्माण करना था लेकिन इसी बीच में चंदेरिया जिंक स्मेलटर की स्थापना हुई। राजस्थान सरकार और केन्द्रीय सरकार के बीच में अनुबंध हुआ।

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

आधा अधूरा काम राजस्थान सरकार ने छोड़ कर इसको स्थानांतरित कर दिया हिन्दुस्तान जिंक को। हिन्दुस्तान जिंक के अनुबंध के अनुसार एक निर्धारित ऊंचाई तक इनको बनाना था जितना पानी की क्षमता का उपयोग वह हिन्दुस्तान जिंक के लिये कर सके लेकिन इसके ऊपर भी बनाने की काफी गुंजाइश थी और लोगों की जो जमीन एक्वायर की थी उसका मुआवजा भी भुगतान किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि उस गोसूंदा डेम को ऊंचाई बढ़ाने के लिये आप 2 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी करेंगे तो निश्चित तौर से वहां पर लाखों हैक्टेयर जमीन का उपयोग सिंचाई के माध्यम से होना संभव हो जाएगा अन्यथा जिनकी डाउनस्ट्रीम जमीनें हैं बेड़च नदी पर उन लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है और आपके अनुबंध में भी है कि आप यदि एक निर्धारित ऊंचाई के ऊपर राजस्थान सरकार बनाना चाहे तो बना सकती है। यदि वह बन जाता है और उस बांध की पानी की क्षमता बढ़ती है तो निश्चित तौर से वहां के किसानों को लाभ होगा। वहां के किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मेरा अनुरोध है कि इसके बारे में मंत्री महोदय आप ध्यान दें और यह मुद्दा पिछली बार भी जब माननीय श्री देवी सिंहजी भाटी इस विभाग के मंत्री थे तब उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि हम इस बांध को राजस्थान सरकार के माध्यम से और ऊंचा बढ़ाने की कार्यवाही करेंगे। मैं समझता हूं उसमें कार्यवाही नहीं हुई प्रतीत हो रही है। ऐसी स्थिति में श्री वी. पी. सिंह साहब आपके पास यह महकमा है। आप भी बहुत उत्साही मिनिस्टर हैं। मेरा अनुरोध है आपसे कि इसके बारे में यथासंभव जल्दी से जल्दी और राशि मंजूर करें इस बांध को ऊपर उठाने के लिये तो निश्चित रूप से उसका लाभ गोसूंदा बांध की ऊंचाई बढ़ने से पूरे जिले के मैं समझता हूं आधे से अधिक जिले को लाभ मिलेगा। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं आप इसके बारे में यथा संभव कोई जल्दी कार्यवाही करेंगे तो मैं आपका बड़ा आभारी होऊंगा। मुझे आपने समय दिया उसके लिये धन्यवाद और मैं उम्मीद करूंगा कि मैंने जो निवेदन किया है उस पर मंत्री महोदय ध्यान देंगे।

श्री सभापति : माननीय श्री फतेहसिंहजी (अनुपस्थित)। श्री रतनलाल जी ताम्बी।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय सभापति महोदय, हमारे जीवन में पानी की बहुत आवश्यकता है और पानी हमारे राजस्थान में बहुत सारे हिस्सों में उपलब्ध है। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि पानी की आवश्यकता को देखते हुये, संभावित जो स्थितियां आज आ रही हैं उनको देखते हुये राजस्थान में एक दीर्घकालीन जल नीति बनाना बहुत आवश्यक है। सब तरह की नीति आपने बनायी और यह महत्वपूर्ण जल नीति के बारे में अभी राजस्थान सरकार ने बहुत मानस नहीं

(श्री रतनलाल ताम्बी)

बनाया। मैं चाहूंगा कि नये सिंचाई मंत्रीजी इस शुभ काम को आप शुरू करें। यह बहुत आवश्यक है।

इसके साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिलेवाइज सिंचाई योजनाओं का मास्टर प्लान भी आप तैयार करवाएं और उस मास्टर प्लान के माध्यम से अनेक ऐसी योजनाएं बन सकती हैं। इसके लिये, योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाए, यह मेरा निवेदन है।

मैं इस मौके पर यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे जिले राजस्थान में हैं जहां पर विपुल पानी होते हुये योजनाओं का सर्वेक्षण, अनुसंधान का जो काम है वह इन वर्षों में देख रहा हूं कि एक तरह से लोप होता चला जा रहा है, या उसको महत्व नहीं दिया जा रहा है। इसलिये इस तरह के जिलों में या दो जिलों के बीच में सर्वे इंवेस्टीगेशन द्वारा एक्सईएन. उसके कुछ एईएन., जेईएन. आपको निश्चित रूप से वापस इसको पुनर्गठित करके तैयार करने की आवश्यकता के लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं।

मैं पूर्व सिंचाई मंत्री माननीय श्री देवी सिंहजी भाटी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। खास तौर से यह चार जिले ऐसे थे उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा। इन चार जिलों का तीन सौ, साढ़े तीन सौ किलोमीटर का पानी विभिन्न नदी, नालों के जरिये बीसलपुर में पहुंचता था और बीसलपुर बांध की क्षमता से अधिक पानी आता था। उसके बावजूद भी उस केचमैंट क्षेत्र के चार जिलों के बहुत सारे सिंचाई के बांध, बहुत सारे एनीकट्स, अधूरे बांध, यह सारे के सारे पिछले 6-7 साल से एक अवरोध बना हुआ था। हम सब लोगों ने विधान सभा के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से, आंकड़ों के माध्यम से उनसे अनुरोध किया और मैं इसलिये धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इसे बहुत गंभीरता से लिया और लेने के बाद उन चार जिलों की पिछले तीन वर्षों में लगभग दो ढाई दर्जन योजनाएं स्वीकृत हुईं और वह लगभग निर्माणाधीन हैं। इसके लिये धन्यवाद देना मैं उचित समझता हूं।

इसके साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, सिंचाई मंत्री महोदय, आप इसको विभाग के स्तर पर दिखवा लें। जहां भाटी साहब ने बहुत जोर दिया था कि जितनी अधूरी योजनाएं इसके अन्तर्गत आ रही हैं उन सबको पूरा तैयार करवा कर लाओ। अधिकारियों से बात भी की, हमने चिट्ठियां भी लिखीं। उन्होंने उसका जवाब भी दिया और नीचे लिखा गया। उस सबके बावजूद भी मैं बहुत अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि जो जयपुर से नीचे के अधिकारी हैं उन्होंने उन लम्बित योजनाओं को, जो अधूरी योजनाएं हैं, जिन पर काफी पैसा लग चुका सर्वेक्षण का काम, या उसमें बी.सी. रेशो का काम, या उसमें छोटे-मोटे आक्षेप आब्जर्वेशन गये, उनको चार-चार वर्ष से वापस जयपुर तक स्वीकृति के लिये नहीं भेजा। मैं आपसे खास तौर से निवेदन करना चाहता हूं कि इन चारों जिलों की योजनाओं को, जहां किसी स्तर पर लंबित

(श्री रतनलाल ताम्बी)

हैं और जिन अधिकारियों के कारण लंबित हैं उनको, आप मेरा अनुरोध है कि विशेष रूप से देखें और उन योजनाओं को क्रियान्वित करने में आप पहले करें, यही मेरा अनुरोध है।

मैं इसको साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत सारे बांध वर्षों पहले बने हैं। कुछ राजाओं-महाराजाओं के जमाने में बने हैं। उसके बाद जनतांत्रिक सरकारें आने के बाद बने। उन बांधों का रख-रखाव, उनकी नहरों का रख-रखाव बहुत दयनीय स्थिति में हैं और 25 प्रतिशत मेरा जहां तक ख्याल है सिंचाई क्षमता इन बांधों की, इन नहरों की स्थिति के कारण और संधारण के कारण कम हो गयी है। इसलिये मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने प्रभाव का उपयोग करें। सारे विभाग को देखें। सबसे पहले जो आपका तनख्वाहों पर खर्चा चला जाता है, वर्क चार्ज पर खर्चा चला जाता है, रख-रखाव के स्थान पर। उसके बजाय आप इन तालाबों के रख-रखाव और इसको ठीक करने के बारे में एक दीर्घकालीन योजना प्रत्येक बांध की तैयार करें और जिसमें प्रायोरिटी से जो बहुत खराब हालत में हैं, टूटने की स्थिति में हैं, पिलाई की व्यवस्था ठप्प हो रही है, उनको आप सबसे पहले प्रायोरिटी दें। यह मेरा निवेदन है।

मैं अब आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं और मैं मेरे क्षेत्र की कुछ बातें निवेदन करके बीसलपुर बांध पर आना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र में आज भी कूचलवालाकलां, गंधेर पचानपुरा, बुड्ढा रोजड़ी, रतनसागर, बेरूंदा, साला सागर, मोरपीपड़ा, गांधीथड़ा, बासेद, यह इस प्रकार की योजनाएं हैं जो कि काफी रुपये लग चुके हैं इन पर, थोड़ा - थोड़ा पैसा लगना और बाकी है, उससे तैयार हो सकती हैं तो

(17.00 बजे)

कृपया करके प्राथमिकता दें। साथ ही कुछ ऐसी योजनाएं हैं रतनगढ़, अमरगढ़ के पास डगारिया पीपलोंद, सुन्दर मार्ग कोटड़ी और समेलिया कूटना ये सिंचाई योजनाएं सर्वे होने के बाद लम्बित हैं। बीसलपुर के नाम पर नई योजनाएं स्वीकार नहीं की जा रही थी। मैं समझता हूं आपको नई योजनाएं भी प्राथमिक देकर स्वीकृत करने का, मैं अनुरोध करना चाहूंगा। समय की दृष्टि से मैं ज्यादा लम्बी बात नहीं करूंगा।

बीसलपुर के बांध के सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा कि यह बांध खास तौर से पेयजल की दृष्टि से बनाया गया था। आज भी सोलह सौ बीस करोड़ घन फीट पेयजल की लिये और 900 करोड़ घन फुट सिंचाई के लिये बांध में जो स्वीकृति है, यह प्रोविजन है। जैसा कि मैं निवेदन कर चुका हूं इस बांध में चार जिलों से करीब 300 किलोमीटर से पानी आता है। किन्हीं कारणों से, पहले इन चार जिलों में भी कुछ बांध बनाने की योजनाएं थीं, बनास नदी पर, कहीं ज्यादा गांव डूब में आ रहे थे, कहीं क्या झगड़ा था, नहीं बन पाया। बीसलपुर के नाम पर आप जयपुर में पानी दें, अजमेर में पानी दें, ब्यावर-किशनगढ़ में पानी दें इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। पानी आप

(श्री रतनलाल ताम्बी)

दे रहे हैं सब गांवों को जहां आवश्यकता है, मगर माननीय मंत्री जी, मानवीय दृष्टिकोण से विचार करें। इन 350-400 किलोमीटर के लोगों के साथ तो बांध के नाम पर आप न्याय करें। इस बांध का पानी पेयजल की दृष्टि से भीलवाड़ा जिले के भीलवाड़ा, शाहपुरा, बनेड़ा, जहाजपुर और हुरडा-गुलाबपुरा तक के इलाके हैं, पानी के लिये तरह रहे हैं। फ्लोराइड का पानी है.....आ गया ना। वह तो अंडरस्टुड है। मंत्री जी को कहने की जरूरत नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि फ्लोराइड से युक्त सैकड़ों गांव में जो नाम ले रहा हूं। उन क्षेत्रों में मौजूद है। उन गांवों में बहुत सी आपको पेयजल की योजनाएं भी इसमें बनानी चाहिए और मैं इसके लिये निवेदन करना चाहता हूं। मैं इस बांध के बारे में, आपने वहां जो अभी वर्तमान में पानी का भी एस्टीमेट किया हुआ है वह सील्ट जमा होने के बाद बीसलपुर में प्रतिवर्ष 145 एम.सी.एफ.टी. कैचमैंट के अन्य तालाब जो अभी बने हुये हैं उनसे 250 और करीब-करीब और जो बनाने के लिये प्रस्तावित हैं उनसे 390 एम.सी.एफ.टी. सील्ट जमा होगी। उसके आधार पर पानी आपके पास काफी बचेगा जो एस्टीमेट किया हुआ है और वह पानी आपका चम्बल और यमुना में जाएगा। यह निश्चित रूप से आप नोट करिये। इसलिये इस बांध को और आप बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं पर पेयजल की दृष्टि से रास्ते में आने वाले जगह-जगह जो इलाके हैं उनको आप पानी सुलभ कराएं। इसके साथ में मेरा बनास नदी के सम्बन्ध में भी यह सुझाव है कि कुछ पिकअप बनाकर के कुछ बड़े एनीकट बनाकर के पेयजल की समस्या और आसपास सिंचाई की सुविधा भी सुलभ हो सकती है।

पहले सिंचाई विभाग कुछ लिफ्ट इर्रिगेशन स्कीम्स चलाया करता था। इन वर्षों में सिंचाई विभाग ने लिफ्ट इर्रिगेशन स्कीम डी.आर.डी.ए. के नाम पर जो शहरी इलाके हैं, जैसे जहाजपुर में है, चार हजार बीघा जमीन नदी के किनारे स्थित है, वह डी.आर.डी.ए. के क्राइटेरिया में नहीं आती है। मैं चाहूंगा सिंचाई विभाग वे योजनाएं चालू करें। बनास से लिफ्ट इर्रिगेशन स्कीम बनायी जाए। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि बीसलपुर के बाद बेड वाटर भीलवाड़ा जिले में 40 किलोमीटर तक नदी के पेटे में पड़ा रहेगा। उसका किस प्रकार उपयोग हो, उसकी किस प्रकार की सिंचाई की जलोत्थान योजनाएं बन सकती हैं उस दृष्टि से भी मैं आपका ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं। मैं समझता हूं आप इन सब बातों को एक बार पुनः देखेंगे। इसके वाष्पीकरण के मामले में भी अजमेर में इसको रखा जा रहा है। उसके लिये सारा जो परीक्षण है, उसका जो अनुसंधान है उसमें कितना पानी वहीं सूखता है उसके लिये जो यंत्र लगाया हुआ है उससे सही आंकड़ें आपको सुलभ नहीं होंगे, क्योंकि उस तरफ से इस बांध का जो डायरेक्शन है उससे सही

(178)

(श्री रतनलाल ताम्बी)

स्थिति नहीं आ सकती। सारे बांध को एक तरह से आप नये दृष्टिकोण से देखें। पानी आपके पास काफी बचा हुआ है। उस पानी का किस तरह उपयोग हो सकता है। कैचमैंट और बीसलपुर में सील्ट इतनी जमा होने के बाद पानी आपके पास सरप्लस रहेगा। इसको भी आप अपने वैज्ञानिकों से, विशेषज्ञों से जानकारी प्राप्त करिये।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं कर रहा हूं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में कहना चाहूंगा कि भीलवाड़ा जिले के साथ आप न्याय करें। बनास, भीलवाड़ा जिले के नदी-नालों के साथ 200-250 किलोमीटर भीलवाड़ा जिले में चलती है, वहां के लोग प्यासे हैं, परेशान हैं। फ्लोराइड के गांव हैं इसलिये सिंचाई मंत्री महोदय, पेयजल के लिये आपने यह बांध बनाया तो सबसे पहले प्रायोरिटी आप पेयजल को दें और इसके आसपास के इलाकों को भी पानी पीने का सुलभ कराएं। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्री शांति धारीवाल।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सभापति महोदय, यहां बीसलपुर की बात कुछ कही है। श्री शिवचरणजी माथुर, जो भीलवाड़ा चीफ मिनिस्टर रहे हैं।

श्री रतनलाल ताम्बी : राजस्थान के थे।

श्री परसादीलाल मीणा : भीलवाड़ा के रहने वाले थे।

श्री सभापति : इनका मतलब यह है कि भीलवाड़ा के रहने वाले।

श्री महावीर प्रसाद जैन : और स्वयं भी मंत्री रहे हैं। इनसे तो कोई + + + नहीं और आज कह रहे हैं कि जो बांध बन गया उसका हम पानी ले लेंगे।

श्री रतनलाल ताम्बी : माननीय मुख्य सचेतक महोदय इस योजना को आप देख लें। यह पेयजल के लिये योजना बनी थी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह भूल जाओ।

श्री रतनलाल ताम्बी : पेयजल के लिये ही मुख्य मामला था इस योजना का।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह भूल जाओ। आपको न योजना का पता है और न आपको बीसलपुर का पता है। आपको किसी ने कह दिया जो दोहरा दिया।

श्री परसादी लाल मीणा : इन्हें सब पता है।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं 40 साल से इस बांध की सारी जानकारी रखता हूं। सारा पानी, केवल 3-4 किलोमीटर टौंक जिले का आता है बाकी टोटल पानी भीलवाड़ा जिले से आता है। चित्तौड़ से, राजसमंद से मुझे सब याद है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : पानी + + + पानी किसी का नहीं है।

+ + + शब्द/अभिव्यक्तियां अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयीं।

श्री रतनलाल ताम्बी : पानी हम पिलाएंगे आपको। चिन्ता मत करो। पानी तो हम ही पिला दें। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : वह तो हमारी कृपा होगी जब ही पीयोगे वरना + + +

श्री सभापति : कृपया बिराजें आप। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं.....

श्री सभापति : अब आप बिराजें। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह मैं मंत्री जी को भी और इनको भी जानकारी देना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : यह जो आपने प्रगति पुस्तिका दी है 40 पेजों की। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गूजर : यह किसी मांग पर चर्चा हो रही है या आपस में दो जिलों का टकराव हो रहा है? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यदि ये भीलवाड़ा में पानी चाहते हैं तो इसकी दूसरी योजनाएं हैं और दूसरे प्रकार से आ सकता हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इनका क्या भाषण हो रहा है?

श्री महावीर प्रसाद जैन : बीसलपुर का पानी नहीं जाएगा। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : यह सैन्ट्रल वाटर कमीशन से मंजूर भी है कि नहीं? (व्यवधान) यह कल्याण विभाग से, सैंट्रल वाटर बोर्ड से मंजूर हुआ कि नहीं?

श्री सभापति : कृपया बिराजें। माननीय धारीवालजी।

श्री रतनलाल ताम्बी : पेयजल के लिये यह आपकी किताब है, देख लें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इस षड़यंत्र को मैं सफल नहीं होने दूंगा।

श्री रतनलाल ताम्बी : फिर से पढ़ लीजिए। फिर से पढ़ लीजिए।

श्री सभापति : बिराजें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह आप नोट कर लो कि इस षड्यंत्र को। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : पेज संख्या 46 को पढ़ लीजिए। बांध किस लिये बना? पेयजल के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : क्या?

श्री रतनलाल ताम्बी : और इसकी अभी तक भी क्लीयरेंस नहीं है। कल्याण विभाग से, पर्यावरण से, सैन्ट्रल वाटर बोर्ड से हर जगह से। (व्यवधान) भीलवाड़ा जिले की जनता पानी लेकर रहेगी। (व्यवधान)

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) : आपने जो फाइनेंस मिनिस्टर से स्टेटमैंट

+ + + अभिव्यक्तियां अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयीं।

Page No. 180

(180)

(श्री किशन मोटवानी)

दिलाया है। उसका नोटिस भी उनको दूंगा कि इन्होंने इसको इस हाउस में..... (व्यवधान)

श्री सभापति : अभी तो माननीय श्री धारीवाल जी को बोलने दीजिये।

श्री किशन मोटवानी : अवमानना की है और आप भी उस असत्य बोल रहे हैं। मैं अभी आपको दो दिन में दे दूंगा। मैं सारे आंकड़े दे दूंगा बीसलपुर के। (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजें। कृपया सभी बिराजें।

श्री किशन मोटवानी : उसके बाद नोटिस भी दूंगा। यह कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजें। माननीय श्री धारीवालजी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप नोटिस दें। मेरा आपको चैलेंज है कि यदि मैं जो कुछ कह रहा हूं वह असत्य हो तो आप तो विधान सभा की बात करते हो मैं इस संसार में नहीं रहूंगा। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय श्री धारीवालजी, कृपया प्रारम्भ करें। (व्यवधान)

श्री शांतिलाल खोईवाल : .....सदन का समय खराब कर रहे हैं .....(व्यवधान)

श्री कालूलाल गूजर : सभापति महोदय, एक तो शशी ने यहां पर आत्मदाह करने की धमकी दी और महावीर जी ने दी है। क्या हो रहा है माननीय सदस्यों पर? (व्यवधान)

श्री सभापति : श्री धारीवालजी, कृपया प्रारम्भ करें। आप चुपचाप रहेंगे तो यह बोलते रहेंगे। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा : महावीर जी ने संसार में नहीं रहने की धमकी दी है। उसको कार्यवाही से निकालो।

श्री सभापति : निकालेंगे।

श्री परसादी लाल मीणा : निकालो। कार्यवाही से निकालो।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : इस विधान सभा सत्र में कोई तो अन्न त्याग रहा है, कोई आत्मदाह कर रहा है और कोई संसार छोड़ रहा है। ऐसी क्या निराशा की बात हो गयी? क्या हो रहा है यह? (व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा : चतुर्वेदीजी, जो लोग लोक सभा चुनावों में..... (व्यवधान) बी.जे.पी. हार गयी है। वह सब लोग....(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैंने कोई संसार छोड़ने की घोषणा नहीं की है। मैंने यह कहा है कि अज्ञानतावश आप ऐसी सूचना विधान सभा में नहीं दें।

श्री परसादी लाल मीणा : बी.जे.पी. दस हजार से हार गयी इसलिये संसार से ही जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : ये बोल रहे हैं कि 9 हजार घन फीट पानी उपलब्ध है सिंचाई के लिये (व्यवधान) वह 9 हजार घन फीट पानी उसके लिये है ही नहीं....(व्यवधान) सात हजार (व्यवधान)

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : यह जैन मुनि बनना चाहते हैं..... (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजें आप। कृपया बिराजें बहुत हो गया अब।

श्री रामनारायण चौधरी : सभापति महोदय, यह गंगानगर में आत्मदाह के बाद क्या सिलसिला चला है कि हमारे गवर्नमैंट के चीफ व्हिप भी आत्मदाह करने की धमकी दे रहे हैं।

श्री सभापति : अब आप बिराजें। ज्ञान की बौछारें बहुत हो चुकी हैं। माननीय श्री धारीवालजी, सिंचाई पर बोलें अब आप। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : आप छोड़ सकते हो। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आत्मदाह करना पड़ेगा। उसके बाद..... (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : आप वापस लीजिए। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय धारीवालजी, कृपया आप प्रारम्भ करें। नहीं तो मैं दूसरा नाम बोल दूंगा।

श्री रतनलाल ताम्बी : क्या बोलेंगे आप? आपके कह देने से पानी की प्यास नहीं रहेगी, वहां की जनता प्यासी नहीं रहेगी।

श्री सभापति : आप बोलिये न। आपका तो गला बहुत ऊंचा है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह तो श्री देवीसिंहजी भाटी ने थोड़ी मेहरबानी कर दी कि कुछ पानी आपके यहां रुक गया, नहीं तो आप में दम होता तो रोक लेते। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : आपके पानी बचा ही नहीं है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (सिंचाई मंत्री) : सभापति महोदय, मैं इण्ट्रप्ट नहीं करना चाहता था पर चूंकि दोनों तरफ से बीसलपुर के लिये इतनी बात कह दी गयी है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कृपया बाद में बता देना, पहले पूरी बात सुन लें, तसल्ली से बता देना।

श्री सभापति : आप तो उत्तर में बता दीजिये।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : कोई ऐसा रास्ता हम निकाल देंगे कि महावीरजी को भी ऐसा कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और पानी भी पहुंच जाएगा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कोई न मरे, हम सब जानते हैं।

श्री सभापति : अब आप आगे बढ़ने दीजिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सभापति महोदय, मैं तो इसलिये कह रहा हूं कि ये इस समय राज्य के मंत्री हैं। मेरा निवेदन है कि वे संयम से अपना वक्तव्य दें। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गूजर : पीछे बैठने की जरूरत नहीं है, आप भीलवाड़ा जिले के हो, इसलिये ध्यान रखना भीलवाड़ा जिले का। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा : संयम तो आपने खो दिया, महावीरजी। इससे बड़ा संयम क्या खोएंगे।

श्री सभापति : आप दो-दो मत बोलिये, किस की बात रिकार्ड हो रही है? आपकी या उनकी..... (व्यवधान) बारह मिनट बरबाद कर दिए, अब यह बारह मिनट मैं आपके जोड़ दूंगा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : माननीय सभापति महोदय, ज्योग्राफिकली अगर देखें तो राजस्थान का क्षेत्रफल, भारत के क्षेत्रफल का करीब 11 प्रतिशत है। पूरे देश की जनसंख्या से देखा जाए तो राजस्थान का करीब 5 प्रतिशत हिस्सा है। अगर जल की दृष्टि से देखा जाए तो पूरे देश के जल का सिर्फ डेढ़ या दो प्रतिशत राजस्थान को मिल पाता है। आज जरूरत इस बात की है, क्योंकि हमें सिंचाई के लिये पानी मांगना पड़ता है, कभी हरियाणा से तो कभी पंजाब से। यहां तक कि मध्यप्रदेश की नर्मदा नदी से गुजरात होकर जालौर जिले के लिये भी पानी मांगना पड़ता है। जरूरत इस बात की है कि हम यहां के पानी को रोकें, उस पर बांध बनाएं और सिस्टम में इम्प्रूवमेंट लाएं, चाहे वाटर मैनेजमेंट हो चाहे किसी भी तरह का, वगैरह-वगैरह कई चीजें हैं।

चम्बल पर आपने बांध बनाएं, कई बांध बनाएं लेकिन आज है मौजूद पोरेंशल इस राजस्थान में। काली सिन्ध पर बांध बन सकता है, जिसमें 12 महीने पानी बड़ी तेज गति से बहता है। पार्वती पर बांध बन सकता है। परवल पर बांध बन सकता है। एक अकेले झालावाड़ जिले के 140 माइनर प्रोजेक्ट आज विचाराधीन है। एक अकेले बारां जिले के 30 हैं। ये आज कहीं न कहीं पड़े हुये हैं प्रस्ताव खामोशी में, चाहे वह दिल्ली में पड़े हों, चाहे जयपुर में पड़े हों, मंत्री महोदय बताएंगे।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अब जरूरत इस बात की पड़ गयी कि हमें बून्द-बून्द पानी रोकने की आवश्यकता है और जहां-जहां भी ग्राउण्ड वाटर मौजूद है, हम उसे सिंचाई के बतौर काम लें। एक एक्सपर्ट ने यह लिखा है। मैं एक्सट्रैक्ट को पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

"Almost 80% of increase in food production has been due to introduction of irrigation from all types of sources like surface and ground water. The irrigated area in the Rajasthan increased from 11.70 lakh hectares to 44.71 lakh hectares from 1951 to 1992-93. The food grain and oilseed production in this period increased from 3.39 million tonnes to 14.36 million tonnes. This horizental expansion of irrigated

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

area has been able to cater to a population growth of 2.4 at the national level or 2.8 in Rajasthan.

Assuming the same rate demographic growth the agriculture production from the irrigated area shall have increased about 3.5 percent per year. The scope of horizental expansion in irrigated area is now very limited primarily because the remaining water sources are now in dfficult areas and require very high level of investment likely addition of the irrigated area from new irrigation project or from ground water upto the year 2000 can be fairly and accurately estimated now."

श्री घनश्याम तिवाड़ी (ऊर्जा मंत्री) : अंग्रेजी में बात कर रहे हैं इनसे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप से कर लूं। अब आप पढ़े-लिखे होते तो आपसे कर लेता। ये पढ़े-लिखे दिखे मुझे इसलिये अंग्रेजी बोल रहा हूं। (व्यवधान) हमारे कोटा से आने वाले विधायक चले गए। खैर, सभापति महोदय, इससे हटकर मैं फ्लड की बात कर रहा हूं। फ्लड का आपके विभाग से कोई ताल्लुक नहीं है। सुझाव आपको ही दे रहा हूं। फ्लड की बात कर रहा हूं कि कुछ फ्लड तो अपने आप आते हैं और कुछ लाए जाते हैं। स्थितियां इस प्रकार की बन जाती है कि जब फ्लड अपने आप आता है, हालात जब फ्लड के बनते हैं जब भी शहर के नदी-नालियों के बीच बस्तियां बन जाती है। नदियों-नालों को रोक कर खेत और बाड़े बन जाते हैं और इस तरह से रुकावट हो जाती है, बहते पानी में फ्लड आती है।

मैं कोटा शहर के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि वहां आज के हालात ऐसे हैं कि पूरी बारिश में कम से कम पांच-छह फ्लड आती है। यह फ्लड प्रोन एरिया हो गया है और जब भी फ्लड आता है, रात में आता है और सुबह वाश-आउट हो जाता है, सारा का सारा। हालत यह है कि कई हजारों मकानों में जहां पर लोग खाट पर सोते रहते हैं, पलंग पर सोते रहते हैं, उनको सुबह चार बजे या तीन बजे यह पता लगता है कि मेरी पीठ गीली कैसे हो गयी मकानों में पानी घुस आता है और जब वह आंख खोलकर देखते हैं तो किसी का टी.वी. तैरता हुआ नजर आता है तो किसी का क्या नजर आता है। कम से कम चार लाख आदमी, कोटा शहर में रहने वाले, जो नई बस्तियां बनी हैं, जहां बड़े-बड़े नए नगर बने हैं, नई कॉलोनियां बनी हैं, उनके लोग आज परेशान हैं और हर साल कम से कम 10-12 करोड़ रुपये का नुकसान तो नागरिकों का होता है और कम से कम 10-20 करोड़ रुपये का नुकसान इण्डस्ट्रियल यूनिट्स को होता है। मैं उसके बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, क्योंकि सिंचाई विभाग ने दो-तीन साल पहले और आठ-दस

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

साल पहले भी एक प्रोजेक्ट बनाया था, 12-15 करोड़ रुपये का और आप किस तरह से डाइवर्सन कैनाल बनाकर इस फ्लड एरिया को, क्योंकि पठार पर पानी बरसता है, स्टेट टाइम के जो बंधे बने हुये हैं, स्टेट टाइम के जो बड़े-बड़े तालाब बने हुये हैं, (व्यवधान) लिमिटेड और अनलिमिटेड का आप क्या समझो, अगर समझते होते तो मिनिस्टर दुबारा बन जाते।

मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि कुल मिलाकर 15 करोड़ रुपये की स्कीम के खाते में हर साल कम से कम 50-60 करोड़ रुपये का नुकसान नागरिकों का और इण्डस्ट्रियल यूनिट्स जो कोटा शहर में हैं, उनको उठाना पड़ता है। मैंने इस बात को तब उठाया, मुझे यह ध्यान था कि शायद कोटा के विधायक और माननीय पी.डब्ल्यू.डी. के मंत्री महोदय यहां बिराजमान थे लेकिन मेरे बोलने के पहले ही पता नहीं कब चल दिए। मुझे पता नहीं लगा, नहीं तो। मैं आपके माध्यम से उनसे, जहां पर भी अगर वह हैं टी.वी. पर जरूर सुन रहे होंगे, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि इतनी लापरवाही न बरतें, कोटा के नागरिक माफ नहीं करेंगे। प्लान यहां से बनकर जा चुका है, मंजूर करवाने के लिये प्रयत्न करें। यह चेतावनी है।

श्री मदन दिलावर (राज्य मंत्री, समाज कल्याण) : कुछ भी कहो, कोटा से तो नहीं जीतोगे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप अटरू से जीत लेना अब।

श्री मदन दिलावर : आ जाना।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आ क्या जाऊंगा, कोई अनुसूचित जाति का तलाश करूंगा, मैं कहां से आ जाऊंगा?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, भाषा का ख्याल रखें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : साहब, वह कह रहे हैं कि आ जाना, मैं कैसे चला जाऊंगा? वह कास्ट की सीट है, कास्ट का ही आदमी भेजूंगा। सभापति महोदय, चम्बल के बांध के बाबत 1955 से 1960 के बीच, चम्बल नदी पर गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज इन चारों बांधों का निर्माण हुआ। आज 38 साल के बूढ़े ये बांध हो चुके और इन 38 सालों में इन बांधों के रख-रखाव के लिये जितनी टैक्निकली उन बांधों की सुरक्षा के लिये आवश्यकता थी उतना काम नहीं हुआ। हमें इस बात के लिये सोचना चाहिए। चेतावनी आ गयी। चेतावनी यह आ गयी कि कोटा बैराज में एक रिसाव पैदा हुआ है और 12 क्यूसेक्स पानी उससे तेजी से निकलता जा रहा है, ग्राउटिंग का काम सिंचाई विभाग कर रहा है, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं निकल पा रहा है। वर्ल्ड बैंक के 10 एक्सपर्टस आए और उन्होंने अपनी ओपिनियन भी दी। 10 करोड़ रुपया उन्होंने कर्जे के बतौर मंजूर भी किया, पैसा भी आया, कुछ काम भी हुआ, लेकिन जो इर्रिगेशन के इंजीनियर्स चाहते हैं, ग्राउटिंग का काम, उस रिसाव को बंद करने का काम जिस तरीके से होना चाहिए उसकी

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

उनको इजाजत नहीं दी जा रही है। क्यों नहीं दी जा रही है?

सभापति महोदय, आप देखिए, इर्रिगेशन के चीफ इंजीनियर वहां पर आए, पी.एच.ई.डी. के दोनों चीफ इंजीनियर वहां पर आये, थर्मल के चीफ इंजीनियर को बुलाया गया, आर.एस.ई.बी. के चीफ इंजीनियर को बुलाया गया और इन सब एक्सपर्टस की एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में यह तय हुआ कि इस ग्राउटिंग का काम तब चालू होगा, यह रिसाव तब बंद होगा जब कोटा बैराज का लेवल 848 की बजाय 842 रखा जाएगा। समझौता हो गया 847 पर, कि 847 कर लेंगे। लेकिन एक और नये एक्सपर्ट आ गये, हमारे पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर उसके बाद में। इंजीनियर्स में समझौता हो गया, काम चालू हो गया, लेकिन पता नहीं कहां से कोई एक्सपर्टाइज करके बीच में आ गये कि नहीं, यह समझौता कुछ नहीं, लेवल वही 848 रहेगा। आज नतीजा यह है कि लाखों रुपये उस ग्राउटिंग के काम पर खर्च हो चुके हैं और वह रिसाव 12 क्यूसेक्स का 12 क्यूसेक्स ही बना हुआ है। उसमें कतई सुधार नहीं हुआ है। इससे कोटा की जनता को ही नहीं, बल्कि सैकड़ों गांवों को इतना जबर्दस्त खतरा पैदा हो गया कि कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। सात लाख हैक्टेयर भूमि को जिस बांध से पानी मिलता हो, न केवल राजस्थान को, बल्कि 7 लाख ही मध्यप्रदेश की जनता को पानी मिलता है। 10 लाख आदमी जिससे पीने का पानी लेते हो यदि उस बांध को कोई भी नुकसान हो गया या कोई बड़ा हादसा हो गया तो इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा। इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए। अभी भी वक्त है इस पर एक्सपर्टस की ओपिनियन के अनुसार काम करवाया जाए। कोई दिक्कत नहीं थी, सिर्फ उनको यह डर था कि तीन या चार महीने के बाद चुनाव आने वाले हैं और बैराज का लेवल नीचे कर दिया गया तो कोटा शहर की जनता पीने के पानी के लिये त्राहि-त्राहि करेगी। त्राहि-त्राहि कतई नहीं करती, सिर्फ डेढ़ करोड़ का मामला था। डेढ़ करोड़ रुपया यदि पी.एच.ई.डी. को दे दिया जाता तो वह अपने पम्पिंग सैट को, सक्शन पाइप को नीचे कर सकते थे, नीचे से पानी उठा सकते थे। 842 से पानी उठाकर पूरे शहर का पानी दे सकते थे जितना आप देते आए हैं। लेकिन सिर्फ अपनी एक जिद्द की वजह से और उस गलत निर्णय की वजह से.....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अभी कहां साहब। मेरे 14-15 मिनट तो चीफ व्हिप साहब ने ले लिये। आप उनसे कहा तो करो।

श्री सभापति : आपने 5.12 पर शुरु किया है और इस वक्त 5.25 हो चुके हैं। 10 मिनट ज्यादा है। 10 मिनट का कायदा है, मुझे 10 मिनट देने हैं। आप 13 मिनट पहले बोल चुके हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अभी 13 मिनट ही तो बोला हूं। अभी मैं कम से कम 8-10 मिनट और लूंगा। डेढ़ करोड़ रुपया

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

अगर पी.एचई.डी. को दिला दिया जाता और आज भी दिला दिया जाए तो पी.एचई.डी. के चीफ इंजीनियर इस बात को लेकर तैयार हैं कि सेक्शन पाइप को हम नीचे पहुंचा सकते हैं, बैराज का लेवल 842 फीट पर रखा जा सकता है और इर्रिगेशन के इंजीनियर दो परसेंट ग्राउटिंग के काम को करके उस रिसाव को बंद कर सकते हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा और खासकर हमारे नये सिंचाई मंत्री जी बने हैं, योग्य हैं, मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने पद को, अपने रुतबे को काम में लीजिए और अपना दबाव डालिये और डालकर समस्या को सुलझाइए। वरना आपके वक्त यह बैराज टूट गया तो बंटाधार हो जाएगा।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कोटा में सी.ए.डी. की हालत के ऊपर कुछ बोलना चाहता हूं। कोटा में चम्बल कमाण्ड एरिया की हालत बहुत खस्ता है। इस वर्ष एक नया पैसा भी रख-रखाव के लिये वहां पर खर्च नहीं किया गया। जितना पैसा आया है वह पिछले दो साल में जो खर्चों के भुगतान करने थे उनमें चुक गया। उसका नतीजा यह हुआ कि सब जगह कैनाल्स की हालत जर्जर हो रही है। कनाडा ने 150 करोड़ रुपये हमें मुफ्त में दिए, यानी गिफ्ट में दिए। हमने उस 150 करोड़ रुपये का यह उपयोग किया कि किसान के खेत में जबर्दस्ती पाइप डालने में लग गये। यदि यही 150 करोड़ रुपया कैनाल्स के, माइनर्स के, डिस्ट्रीब्यूटरीज के रख-रखाव में लगाया जाता, उनकी लाइनिंग में लगाया जाता तो यह मेरा दावा है कि एक अकेला कोटा संभाग पूरे राजस्थान को पानी दे सकता था। यह सिस्टम उस वक्त 1955 से लेकर 1960 के बीच में बनाया गया। यह आज पुनर्जीवित हो जाता, कहीं कोई कम्पलेंट नहीं थी। टेल एण्ड के काश्तकार को पानी मिल सकता था। इस 150 करोड़ रुपये का इतना जबर्दस्त दुरुपयोग हुआ है कि वहां का काश्तकार देख नहीं सकता।

अभी श्री ओमप्रकाश जी शर्मा, बूंदी के विधायक ने एक समस्या उठायी थी 400 एईएन. की बाबत। उसके बारे में सिंचाई मंत्रीजी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आपने पदोन्नति करके 400 एईएन. बना दिए और 60 के करीब एक्स. ईएन. बना दिए, लेकिन उनको तनख्वाह वही पुराने पद की, लोअर पोस्ट की दी जा रही है। आपने उनको ऐसी जगह पर रखा है कि उनका काम करने का मन ही नहीं है। यदि आपको उनका उपयोग लेना है तो उनको पूरी तनख्वाह दीजिये, जिस पोस्ट पर आपने उनको पदोन्नति दी है। तब जाकर वे कोई एफिसिएंटली वर्क कर सकेंगे।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के 80 परसेंट काम सिर्फ 17 कम्पनियों के द्वारा करवाये गये और जिन कम्पनियों के द्वारा करवाये गये वे बी.एस.आर. से 15 परसेंट से लेकर 55 परसेंट अबव में काम हुये। अब वही काम बी.एस.आर. से पांच परसेंट से 15

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

परसेंट तक बिलों में हो रहे हैं। इसकी जांच करायी जानी चाहिए। आखिर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ ? मैं जांच की मांग कर रहा हूं।

आखिर में निवेदन करना चाहता हूं, सिंचाई मंत्री महोदय, यह आपके ही क्षेत्र के लोगों का मामला है, भीलवाड़ा का ही नहीं, बल्कि बदनौर का है, आपको सुनकर ताज्जुब होगा। सिंचाई पटवार प्रशिक्षण। 1986-87 में प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र इन लोगों ने हासिल किए। प्रशिक्षण लिया और आज की तारीख में आपके पास 450 पद रिक्त हैं। 17 तो आपके भीलवाड़ा में हैं और 13 प्रत्याशी कम से कम बदनौर विधान सभा क्षेत्र के हैं जो बाहर खड़े हुये हैं। इनको प्रमाण-पत्र हासिल करने के 12 साल बाद भी नौकरी नहीं मिली। इसलिये मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इनको नौकरी दिलाने की कृपा करें।

एक आखिरी निवेदन करना चाहता हूं। यमुना के पानी पर बहुत शोर हुआ कि आ गया, आ गया। न तो एक इंच काम हुआ और न एक इंच पानी आया। जो नर्बदा का पानी जालौर आ रहा है और जो डिजाइन मंजूर की गयी, केन्द्रीय सरकार की संस्थाओं के द्वारा उस डिजाइन पर काम न होकर एक अलग डिजाइन पर काम हो रहा है। आप इसको चैक कराए। उसका नतीजा यह हो रहा है कि 10 गुना खर्च बढ़कर हो रहा है। दूसरी बात यह है कि जितनी इर्रिगेटेड लैण्ड क्रीएट की थी, हम ओरिजनल डिजाइन से कर सकते थे। उससे आधा भी जाकर के इर्रिगेशन लैण्ड हम क्रीएट नहीं कर पायेंगे। जरा इसको दिखवायें, यह बहुत गम्भीर मामला है। आपने टाइम दिया, इसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्रीमती तारा भण्डारी।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : सभापति महोदय, आज सिंचाई की मांगों पर विचार हो रहा है और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि सिंचाई के मामले में सिरोही जिला बहुत पीछे रहा। चाहे इधर वालों का राज रहा हो, चाहे इधर का रहा हो, सिरोही जिले के साथ न्याय नहीं हुआ। सिरोही जिले में लगभग 4 हजार एम.सी.एफ.टी. पानी यों ही बहकर चला जाता है। केचमैंट एरिया है, वहां पर सम्भावना है कि अगर हम उस पानी को रोककर एक-एक बूंद का अगर उपयोग कर पाते तो हमारा काश्तकार आज निहाल हो जाता।

सभापति महोदय, सबसे ज्यादा भट्टा तो इस सिंचाई विभाग ने हमारे यहां दो-दो एक्सईएन. बनाकर किया। सिरोही जिले में आधे जिले के एक्सईएन. अलग बैठते हैं और आधे जिले के एक्सईएन. जवाई या सुमेरपुर में बैठते हैं। सभापति महोदय, कहां तो ओडा माइनर के टेलर एण्ड के गांव, मनोरा, सतारपुरा इतनी दूरी से और कहां पर सुमेरपुर। काश्तकार कभी परेशान होकर जाए भी तो एक्सईएन. महोदय की शक्ल भी नहीं दिखती। जिले की बैठकों में भी हमारे सुमेरपुर एक्सईएन. दिखते नहीं। पता नहीं घूमते हैं, क्या करते हैं। कभी तय कर लिया

(श्रीमती तारा भण्डारी)

जाए कि आज तो इन एक्सईएन. महोदय को ढूंढ़कर के भी बात करेंगे तो झांसा देकर निकल जाते हैं और उसका परिणाम है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि किस तरह से काम हो रहा है। लगभग 59 लाख के काम हमारे जिले के हैं, मैं आपको पढ़कर सुना सकती हूं। ओडा नहर आर.डी. 23 से 26.5 लाख 23 हजार का काम अपूर्ण, ओडा माइनर नम्बर 5-4 लाख 6 हजार का काम अपूर्ण, ओडा माइनर नम्बर 6-5 लाख का काम अपूर्ण, कृष्णासागर लाइनिंग-अपूर्ण, कानाकोला लाइनिंग-अपूर्ण चुखाणा लाइनिंग-अपूर्ण, गोडाना लाइनिंग-अपूर्ण, झाड़ोलीवीर-अपूर्ण, ओडा माइनर नम्बर 4-कार्य अपूर्ण, ओडा माइनर नम्बर 5-कार्य अपूर्ण। एक लम्बी लिस्ट है अपूर्ण कार्यों की। बड़ी मुश्किल से ई.ए.एस. जे.आर.वाई. में हमने पैसा स्वीकृत कराया, दिलाया लेकिन एक्सईएन. महोदय को फुर्सत ही नहीं। दुरवाणा और गोडाना का मैंने नाम लिया, वह हमारे वहां दुरवाणा बांध और गोडाना बांध के नीचे एक और एनीकट तैयार कर रहे हैं। वहां के काश्तकार कहते हैं कि इस एनीकट से नहरें नहीं निकलनी चाहिए, नहरें निकलीं तो हमारा जल स्तर नहीं बढ़ेगा। लेकिन एक्सईएन. महोदय कहते हैं कि हमारा प्लान, डिजाइन पास हो गया, अब तो यही डिजाइन रहेगा और इसी में काम होगा। मुझे समझ में नहीं आता कि यह एक्सईएन. किसके कहने से काम करते हैं। जन-प्रतिनिधियों की राय नहीं, वहां के निवासियों की राय नहीं और जो मर्जी आये वह काम करते रहते हैं।

सभापति महोदय, मैं इसी के साथ दूसरा उदाहरण और देना चाहती हूं। माननीय देवीसिंह जी जब सिंचाई मंत्री थे तो मेरे यहां बरलूट बांध स्वीकृत किया। आज वह बरलूट बांध अधूरा पड़ा है। किसके कहने से पूरा का पूरा डिजाइन चैंज हो गया। उसकी नहरें नहीं बन रही हैं। सरकार का वहां पर कम से कम डेढ़ करोड़ रुपया लग चुका जो आज किसी काम का नहीं, एक बूंद पानी नहीं है। इसी तरह से कामेरी बांध 1990 में जब अतिवृष्टि हुई तो यह सिरोही का कामेरी बांध पहली बरसात में ही टूट गया था। भरा ही नहीं था। अब इसके लिये बार-बार मैंने विधान सभा में सवाल उठाया, सम्पर्क किया। जब सवाल उठाती तो जवाब आता कि इस बांध में भयंकर भ्रष्टाचार हुआ है, जांच हो रही है। जब मैं पूछती की जांच के क्या परिणाम आये तो कोई दोषी नहीं, किसी के खिलाफ कार्यवाही नहीं। न तो बांध में भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्यवाही हुई और न बांध का भ्रष्टाचार उजागर हुआ। यह बात सही है कि बांध में भ्रष्टाचार हुआ, जमकर हुआ। बिना बांध भरे 90 में टूट गया। इसका मतलब तो साफ है कि भ्रष्टाचार हुआ। लेकिन विभागीय अधिकारी एक-दूसरे को चैन बनाकर और इस चैन से इस सारे मामले को दबा दिया। आज कामेरी बांध तो टूटा का टूटा पड़ा है। 90 से लेकर 98 की साल आ गयी और इन अधिकारियों की बात देखें कि 35 लाख का वहां पर फीडर बना दिया। अब यह 35 लाख रुपया और क्यों डुबोया? जब उस

(श्रीमती तारा भण्डारी)

बांध में पानी नहीं ठहर सकता तो 35 लाख खर्च करके उसका फीडर क्यों बना दिया? मेरा स्पष्ट यह कहना है, बांध में पानी ठहरे। बार-बार डिजाइन बदलते रहे, मंत्री महोदय को अनुभव ज्यादा है। 8 साल तक डिजाइन ही बदलते रहे। अब वह डिजाइन बांध का बदला या इनके कोई मन के डिजाइन थे या कोई कमीशन की बात थी। क्या था कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं आप पर आरोप नहीं लगा रही हूं, मैं इन अधिकारियों की बात कर रही हूं जिनकी एक-दूसरे की मिलीभगत से कामेरी बांध (व्यवधान) + + + अभी आपकी बात बोलूंगी तो + + + आ जाएगी। सभापति महोदय, यह तो बोलने लायक नहीं है। मेरे यहां एक बांध था, सूंकड़ी, इनंडेशन उसका नाम है, 1970 में वह बांध टूट गया था। वहां के ग्रामीणों के पास हम जाते तो कहते कि रहने दो, रहने दो, कोई नहीं बनाएगा ये बांध। घणै ही एम.पी जीत गये, घणै ही एम.एल.ए. जीत गये, किसी ने जीतकर मुंह नहीं बताया। सभापति महोदय, बात सही है, मेरे यहां से खूब एम.पी. जीतकर गये, लोगों को दिलासा देते रहे कि सूकड़ी बांध बनाएंगे। खूब एम.एल.ए. जीते लेकिन मुंह कहां से दिखावें, जीतकर वापस गये नहीं दुबारा। या तो टिकट कट गया या हार गये। लेकिन सभापति महोदय, मैं इस मामले में सरकार का धन्यवाद करती हूं, तहेदिल से धन्यवाद करती हूं कि 1970 में टूटा हुआ बांध जब श्री भैरोसिंह जी मुख्य मंत्री सिरोही आये तो हमारे ग्रामीणों ने ज्ञापन दिया कि ऐसा 2-3 करोड़ का काम है और हमारे यहां ढाई हजार हैक्टेयर में सिंचाई होगी। उस बांध का एक अलग नमूना है। सभापति महोदय, या तो भरतपुर में इनंडेशन स्कीम है या यह सिरोही जिले में है। उस बांध को इस सरकार ने लगभग साढे तीन करोड़ रुपया लगाकर ऐसा बनाया कि उसकी जितनी तारीफ करो, थोड़ी ही है। सभापति महोदय, यह तो बोलने लायक नहीं हैं। 40 साल में कोई मेजर काम इन्होंने नहीं किया। लेकिन हमारी सरकार से आशा थी और इन्होंने ही अभी बनाया।

श्री रामस्वरूप मीणा : कहते हुये + + + (व्यवधान) यह कांग्रेस की देन है जो आप आज बोल रही हैं। आप कहती हैं कि 40 साल में कुछ नहीं किया, सब कांग्रेस ने किया 40 साल में। आपने क्या किया यह बताइए। (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : बैठो। सुनो। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : कह दिया कुछ नहीं किया। यह किया जो आप आज बोल रही हो। (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : सभापति महोदय, मेरे जिले में तो इनके लिये + + + भी नहीं है। वहां तो सब बी.जे.पी. ही जीतकर आ रही है। इनके लिये कुछ भी नहीं। + + + नहीं है। (व्यवधान)

+ + + शब्द/अभिव्यक्तियां अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयीं।

श्री रामस्वरूप मीणा : आपको आरक्षण कर दिया। पंचायतों में आरक्षण की भी राजीव गांधी की देन है। (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : आप तो बोलो ही मत। मेरे जिले में तो आपके लिये + + + भी नहीं है। आने की कोशिश मत करना। वहां तो जीत तो बी.जे.पी. की होती है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : आपको आवश्यकता है + + + (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : सभापति महोदय, अब इनको आप रोको। (व्यवधान)

श्री पराक्रम सिंह (बनेड़ा) : रामस्वरूपजी, एक बांध तो श्री देवीसिंहजी भाटी ने बनाया और दूसरा वी.पी. सिंहजी बनायेंगे।

श्रीमती तारा भण्डारी : बिलकुल बनाएंगे। श्री देवीसिंहजी भाटी, सिंचाई मंत्रीजी का मैं आभार मानती हूं और मैंने कई बार कहा भी था कि आप आइये और इस बांध का उद्घाटन करिये। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : मंत्री नहीं बनाया इसलिये दु:खी हो रही हैं।

श्रीमती तारा भण्डारी : सच्चाई बहुत कड़वी होती है। इधर वाले लोग सुन रहे हैं, मैंने इनकी भी बात कही है। आपको + + + आज मेरी सरकार है। (व्यवधान) बैठ जाओ, बैठ जाओ।

श्री सभापति : कृपया बाधा नहीं डालें। माननीय सदस्य, बाधा नहीं डालें। आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : सभापति महोदय, सच्चाई कड़वी होती है लेकिन धन्यवाद है इस पक्ष के लोगों का कि मैंने सरकार में रहते हुये भी इन्हें उलाहना दिया। लेकिन ये नहीं बोले परन्तु कांग्रेस, वाले क्यों बोले, ये तो बोलने जैसे है ही नहीं। इन्होंने तो कोई भला ही नहीं किया। आज हमारे जिले का पानी इतना फालतू बहकर चला जा रहा है। हमारे काश्तकार की हालत क्या है। जब कभी हम बात पूछते हैं कि एक बीघा में कितनी खेती होती है तो हमारे यहां मुश्किल से एक बीघा में डेढ़-दो क्विंटल अनाज फसल आती है। आप गंगानगर में देखिये, एक बीघा जमीन में 10-10 क्विंटल अनाज बनता है, 15-15 क्विंटल। हमारे जिले में अगर तीन क्विंटल एक बीघा में अनाज आ जाए तो किसान खुश हो जाता है। यह आलोचना का विषय नहीं है। न मैं इनकी कर रही हूं, न उनकी कर रही हूं। यह तो मेरे जिले का दर्द है वह मैं आपके सामने रखना चाहती हूं और मैंने हर साल रखा है सिंचाई के मामले में तो मेरा यह मानना है कि एक तरफ सारा विकास और एक तरफ सिंचाई का विकास। जब तक सिंचाई योजनाओं को सुदृढ़ करके एक-एक बूंद का उपयोग नहीं करेंगे तब तक हमारा विकास नहीं होगा।

+ + + शब्द/अभिव्यक्तियां अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयीं।

(श्रीमती तारा भण्डारी)

सभापति महोदय, हमारा जिला फ्लोराइड के पानी का जिला है। आज लोग बांके और टेढ़े हो रहे हैं, इतना फ्लोराइड है पानी में। सबके घुटने खराब होते हैं, दांत खराब हो जाते थे। कई कई तो कुबड़े हो गये, बेचारों की शादियां भी नहीं होती, ऐसे-ऐसे गांव भी हमारे हैं। मेरे कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा पानी बरसाता है, उसको कहीं न कहीं इकट्ठा करने की योजना बनाएं। मैंने इसलिये कहा कि यह हमारे जो दो एक्सईएन. बैठे हैं। आप तो इनका निपटारा करके सिरोही जिला एक किया जाए। सिरोही जिला एक होगा तो ही हमारा निपटारा होगा, हमारी समस्याओं का समाधान होगा। जवाई का एक्सईएन. अपने मतलब से घूमता है। उन्हें अपने कमीशन के अलावा और कोई काम नहीं रह गया। कभी जनप्रतिनिधि से मिलना नहीं। सभापति महोदय, आपने मुझे सूचना तो दे दी पर इन लोगों ने डिस्टर्ब किया। मैं तो अपनी बात बहुत जल्दी समाप्त करूंगी लेकिन बात पूरी करने का थोड़ा अवसर दें। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय रामस्वरूपजी।

श्रीमती तारा भण्डारी : सभापति महोदय, आप गुस्सा नहीं करिये। इनकी आदत पड़ गयी है। अभी महिला आरक्षण बिल जब लोक सभा में पेश हुआ तो भी कांग्रेस ने दो रुख अपनाये। अन्दर से दूसरा, बाहर से दूसरा। इनकी तो आदत पड़ गयी। अब इनकी आदत सुधरने वाली नहीं है। सोनिया गांधी कहती हैं कि आरक्षण होना चाहिए और कांग्रेसी अन्दर ही लड़ रहे हैं। कभी अल्पसंख्यक के नाम पर मांग करते तो कभी पिछड़ी जाति के नाम पर मांग लो, इनकी आदत पड़ गयी है। ये कभी भी कोई महिला बोलती है तो चुपचाप सुन नहीं सकते हैं। महिला अपनी आत्मा से बात कहती है, असत्य नहीं बोलती है। मैं किसी तरह का असत्य गढ़कर यहां नहीं आई, सभापति महोदय।

मैं कहना चाहूंगी कि अगर जिले में एक एक्सईएन. हो पूरे जिले का समग्र विकास होगा। कहां योजना अवरुद्ध है, कहां नहीं है। गवर्निंग कौंसिल की बैठक होती है, जिले में और भी बैठकें होती हैं। हमारा जवाई एक्सईएन. अलग रह जाता है। कोई बुलाता है तो कभी आता ही नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जिले में हमारी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। डी.डी.पी. है, ई.ए.एस. के माध्यम से वाटर शैडिंग है। अब वाटर शैडिंग और डी.डी.पी. की योजना है, चाहे सिंचाई की लघु परियोजना है, मेरा यह सुझाव है कि मेरे यहां बहुत अच्छे एनीकट्स बनने की सम्भावना है। पिछले काफी सालों से सरकार ने एनीकट्स लगभग बन्द कर दिये हैं लेकिन हमारा पहाड़ी इलाका है।जितना पानी बरसा, रात को बरसा तो सुबह सूखी जमीन मिलेगी। ऐसे पहाड़ी इलाकों में छोटे-छोटे एनीकट्स या पिट्स बनाकर पानी नहीं रोकेंगे तो हमारा जल स्तर ऊंचा नहीं आएगा। आज हमारे जल स्तर की हालत क्या है। जवाई बांध नहीं बना था उससे पहले हमारे शिवगंज तहसील में पानी

(श्रीमती तारा भण्डारी)

15-20 फुट पर मिल जाता था। घर-घर में हैण्ड पम्प और 10-15 फुट में पानी मिल जाता था। जवाई बांध बनते ही यह शिवगंज तहसील का नक्शा बदलना शुरु हो गया और आज धीरे-धीरे शिवगंज डेजर्ट में डाइवर्ट होती जा रही है, क्योंकि पानी नहीं है। कुओं का जल स्तर इतना नीचे चला गया कि अब जब काश्तकार अपना कुआ गहरा करता है तो कुआं ही दब जाता है और लोगों की जीवित समाधि हो जाती है। आज आप सर्वे करा लें, अगर मेरी बात असत्य मिले तो सबसे ज्यादा कुएं कहां ढहे हैं और सबसे ज्यादा लोग जीवित किस जगह पर कुओं में दबे तो आपको उस सर्वे का रिजल्ट मिलेगा, शिवगंज तहसील। शिवगंज तहसील में जवाई नदी पर बांध बनते ही हमारा बहबूदी समाप्त हो गयी। हमारे काश्तकार को आश्वासन दिया गया कि जवाई का पानी आपको भी देंगे, आप शांत रहें, चुप रहें। वर्षों हो गये शांत और चुप रहते, हमारा काश्तकार आज बरबाद हो गया इसलिये मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्रीजी से कहना चाहती हूं कि हमारा जिला टेल-एण्ड का जिला है। मुझे मालूम है कि सारे जिलों का विकास होने के बाद में कुछ पैसा बचेगा तो ही हमारे हिस्से में आएगा लेकिन जब तक सिरोही जिले पर ध्यान नहीं देंगे, जवाई का पानी शिवगंज तहसील के काश्तकारों को नहीं देंगे, हमारी बहबूदी लौटने वाली नहीं है और शिवगंज तहसील को अगर डेजर्ट बनाने से बचाना है तो यह जवाई का पानी हमारे काश्तकारों को देना पड़ेगा नहीं तो कोई उपाय नहीं। और भी मैं कहना चाहती हूं आपको.....

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें। नहीं, बहुत समय हो गया है।

श्रीमती तारा भण्डारी : सभापति महोदय, मैं कभी तो समय लेती हूं। चलिये, समाप्त कर देती हूं, कोई बात नहीं।

श्री सभापति : मैं महिलाओं को ज्यादा कुछ कह नहीं सकता इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि अब आप समाप्त करें।

श्रीमती तारा भण्डारी : ये सब प्रभावशाली लोग हैं।

श्री सभापति : आपसे ज्यादा प्रभावशाली कौन हैं? अब आप समाप्त करें।

श्रीमती तारा भण्डारी : तो मैं एकदम सुझाव पर ही आ जाती हूं।

एक तो बरलूट बांध अधूरा रह गया है, उसको पूरा करिये। उसकी नहरें बनायी जाएं तो काश्तकारों को फायदा मिलेगा। एक हमारा कैलाश नगर बांध है जिसका वर्षों पहले थोड़ा बहुत काम हुआ। हर बार जब वहां एम.पी. के चुनाव होते हैं, श्री बूटा सिंह जी भी हमारी जनता को झांसा देकर वोट ले जाते हैं लेकिन आज तक कैलाश नगर बांध शुरू नहीं हुआ। मैं सिंचाई मंत्रीजी से कहना चाहती हूं कि कैलाश नगर बांध, कृष्णागंज का मायलागौड बांध और बरलूट बांध, ये परियोजनाएं अधूरी हैं। काम इसमें कुछ-कुछ हुआ है। इनको पूरा

(श्रीमती तारा भण्डारी)

करें। साथ ही साथ कामेड़ी बांध की स्वीकृति हमारे पूर्व सिंचाई मंत्री श्री देवीसिंहजी भाटी दे चुके हैं, 3 करोड़ 23 लाख रुपये की स्वीकृति आई है लेकिन यह ढिलाई सिंचाई विभाग की है कि अभी तक हमारा काम शुरू नहीं हुआ और माननीय श्री भाटी जी अभी बता भी रहे हैं कि डिजाइन बदलना है। कब तक डिजाइन बदलेंगे। उनके मनो मस्तिष्क के डिजाइन को बदलने की जरूरत है। कामेड़ी बांध के बारे में हमारे नये माननीय सिंचाई मंत्रीजी से कहना चाहती हूं कि विशेष रुचि लेकर इसी दिन से, आज से ही चिन्ता करके और वह स्वीकृत बांध है, उसको जल्दी से जल्दी शुरू करावें। इसके अलावा कुछ एनिकट्स भी हैं.....

श्री सभापति : धन्यवाद। आप फिर दूसरों का समय खुद रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकेंगी।

श्रीमती तारा भण्डारी : एक बस एनीकट्स का सुझाव देकर....(व्यवधान) सभापति महोदय, ये डिस्टर्ब करते हैं तो मैं भूल जाती हूं। मेरे यहां के.....

श्री हरिसिंह (महुवा) : आसन पर जाने के बाद आपकी व्यवस्था बदल जाती है।

श्रीमती तारा भण्डारी : .....नून बांध था, वह भी 1990 के साल में टूटा था, वह मैंने राज्य सरकार से, सम्पर्क करके तो स्वीकृति कराई, पैसा भी लाया लेकिन कोई चारा नहीं। अभी तक वह नून बांध शुरू नहीं हुआ। इस तरह से कुछ एनीकट्स हैं जिनसे हमारे कुओं का जल स्तर बढ़ सकता है। हमारा काश्तकार खुशहाल होगा। एक गंगा वेरी एनीकट है। रामेश्वर एनीकट है, झाड़ोलीवीर का खड़ीन का कार्य, सत्तापुरा का कार्य है, वाडेली एनीकट है, कालिन्द्री एनीकट है, सडालिया का फ्लोराइड बैरियर है। इसी तरह से लम्बी लिस्ट है सिंचाई विभाग की, जो मैं लेकर आई हूं। सिंचाई विभाग सिरोही ने बहुत सारे प्रस्ताव सिंचाई मंत्री को भेजे हुये हैं, सिंचाई विभाग को भेजे हुये हैं उन्हें जल्दी स्वीकृत किया जाए। अब में ज्यादा समय नहीं लेकर इतना ही कहूंगी कि छोटी-छोटी योजनाएं, अणगौर बांध का पानी सिरोही को मिलता है, पेयजल के लिये मिलता है। अब पेयजल के लिये पानी तो उसमें रखते हैं लेकिन अणगौर की दीवार जब तक ऊंची नहीं करेंगे, पानी रुकेगा नहीं तो सिरोही को पीने के लिये क्या मिलेगा इसलिये अणगौर की पाल ऊंची करके और छोटे-छोटे प्रस्ताव हैं, करीब 90 लाख से ज्यादा है नहीं। इतना ही शिवगंज में है। करीब डेढ़ करोड़ के छोटे-छोटे प्रस्ताव है। अगर ये डेढ़ करोड़ के काम हमारे सिंचाई मंत्रीजी स्वीकृत कर दें तो निश्चित रूप से हमारे कुओं का.....

श्री सभापति : आप मंत्रीजी को दे देना, वे देख लेंगे। धन्यवाद।

श्रीमती तारा भण्डारी : .....जल स्तर ऊंचा होगा और हमारे जिले में भी.....सभापति महोदय, मैं समाप्त ही कर रही हूं।

श्री सभापति : हो गया समाप्त।

श्रीमती तारा भण्डारी : नहीं, एक लाइन बोलकर पूरा कर रही हूं। हमारा जिला जो सबसे पीछे हैं, यहां पर जयपुर, बीसलपुर, कोटा, सबको मिलने के बाद हमको उस पैसे का कुछ अंश मिलता है इसलिये मैं सिंचाई मंत्रीजी से पुरजोर रूप में कहना चाहती हूं कि सरकार को सिरोही जिले का आभारी होना चाहिए कि लगातार दो-दो चुनावों में तीन-तीन विधायक चुनकर भेज दिये हैं। सिंचाई का प्रबन्ध आप करिये। जवाई का पानी सिरोही के काश्तकारों को दीजिये। हम आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री हीरालाल इन्दौरा।

श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर) : माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 46 सिंचाई जो कि महत्वपूर्ण विषय है, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं.....

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : इसमें हमारा नाम नहीं है। हमारा नाम काटा है क्या?

श्री सभापति : आपके सचेतक ने काटा, मैंने नहीं काटा। मैं नहीं करता ऐसा काम काटने-पीटने का, मैं तो जोड़ने का काम करता हूं, काटने का काम मैं नहीं करता। यह तो आप उनसे पूछिये। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : + + + कि हम हमारे सचेतक जी से बात करें हम।

श्री सभापति : यह तो आप उनसे पूछिये जिन्होंने पर्ची दी है.....

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : + + +

श्री सभापति : देखिये, मेरा निवेदन सुनिये, यहां पर एक लिस्ट दी जाती है.....

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : उस लिस्ट में नाम था, फिर नहीं बुलाया गया इसीलिये तो यह बात हो रही है। (व्यवधान) इसमें हठधर्मी की जा रही है, कोई सेंक्टिटी नहीं है इस लिस्ट की..... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, हमें एक लिस्ट दी जाती है, उसमें किसी को कुछ.....

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मैंने रिक्वेस्ट की थी, मुझे जाना है।

श्री सभापति : रिक्वेस्ट मैं नहीं मानता। आपके सचेतक महोदय जो भी आर्डर देते हैं। आपको जो कुछ कहना है अपने सचेतक महोदय से कहिये।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : मैं मेरी बात कहूंगा + + + मैं + + + । (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य मैं लिस्ट नहीं गड़बड़ करता।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : + + +

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं कुछ नहीं करता। आपके सचेतक जो आर्डर देते हैं, आप उनसे बात करें। मैं कुछ नहीं चेंज करता।

श्री परसादी लाल मीणा : अब आपको उपाध्यक्ष बना रहे हैं, आप ऐसा मत करिये।

+ + + अभिव्यक्तियां अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयीं।

श्री सभापति : नहीं-नहीं, ऐसा नहीं है। देखिये, माननीय परसादीलालजी मैंने सब को निवेदन किया कि मैं लिस्ट में गड़बड़ नहीं करता। ये आये। मैंने कहा, आप लिखा लाइये। वह लिखा लाये सचेतक महोदय, मैं बोल दिया, मेरा क्या लेना-देना है इसमें।

श्री परसादी लाल मीणा : आपको जो लिस्ट पहले दे दी, वह ही मानें। बाद वाली को बिलकुल नहीं मानें।

श्री सभापति : नहीं-नहीं वह दस्तखत को इस पर भी उन्हीं के हैं.....

श्री परसादी लाल मीणा : हो गये होंगे दस्तखत।

श्री सभापति : दस्तखत इस पर भी उनके हैं, उस पर भी उन्हीं के हैं .....

श्री परसादी लाल मीणा : जो बाद में दी जाती है वह फर्जी लिस्ट होती है.....

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : जो कटमोशन देते हैं उनके हिसाब से लेना चाहिए....

श्री हीरालाल इन्दौरा : अब मेरा कटमोशन है, भाई।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : जो कटमोशन देते हैं न, उस हिसाब से लेना चाहिए, हम को कटमोशन दे देते हैं.....(व्यवधान)

श्री सभापति : मैं जो भी दोनों पक्षों के सचेतक महोदय जो देते हैं उनसे गाइडेड होता हूं यहां पर। (व्यवधान) यह आपका इन्टरनल पार्टी का मैटर है, आप उनसे डिस्कस कीजिये।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : हमारा कोई पार्टी का मैटर नहीं है।

श्री सभापति : आपके पार्टी के दस्तखत हैं मेरे पास में और उन्होंने एक आपकी लिस्ट में जो नाम दिये हैं वह बोल रहा हूं मैं.....(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : मैं अब कहां जाऊं उनके पास में। (व्यवधान)

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : सभापति महोदय, हमारा कोई मुख्य सचेतक तो है नहीं और हम व्यक्ति आपको लिख कर देते हैं। हमारा नम्बर आएगा या नहीं ?

श्री सभापति : आपका भी आएगा नम्बर, बैठिये। अभी आएगा नम्बर।

श्री हीरालाल इन्दौरा : सभापति महोदय, मांग संख्या 46, जिस पर सदन चर्चा कर रहा है, मेरा सरासर इस सरकार पर आरोप है कि दस साल के अरसे से इस सरकार ने गंगानगर की सिंचाई व्यवस्था के संबंध में एक भी पैसा खर्च नहीं किया। 1982 में पुरानी गंग नहर जो बीकानेर के नाम से जानी जाती है, 75 साल पुरानी थी और उसको पक्का करने के लिये तीन अगस्त, 1982 को पूरा मंत्रिमण्डल गंगानगर गया और यह निर्णय लिया कि पुरानी गंग नहर जो राजा के जमाने में बनी थी 75 साल पहले, उसको पक्का कर दिया जाए तो किसानों को ज्यादा पानी मिल जाएगा और

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

उसको पक्का करने का निर्णय ले लिया गया। लेकिन पानी की व्यवस्था के लिये एक लिंग कैनाल चैनल 74 किलोमीटर लम्बी लोहगढ़ (पंजाब) से इन्दिरा गांधी नहर से और शिवपुर हैड से साधुवाला तक उसको बनाने का निर्णय भी लिया गया और करोड़ों रुपये खर्च करके वह लिंग चैनल कैनाल बना दी गयी। लेकिन आज तक उस लिंग कैनाल का उपयोग नहीं हो रहा है। बीकानेर कैनाल का, गंग कैनाल का पानी कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है। यदि लिंग कैनाल में लगातार पानी चालू कर दिया जाए तो किसानों को जो कमी-पूर्ति का पानी है वह मिल जाएगा। करोड़ों रुपये लगने के बाद भी लिंग कैनाल का उपयोग नहीं कर पा रही है सरकार। साधुवाली हैड से शिवपुर हैड तक एक लिफ्ट चैनल बनाने की बात थी, कैनाल खोद दी गयी। दस साल से कैनाल खुदी पड़ी है। उसमें सफेदे के पेड़, कीकर टाली के पेड़ खड़े हो गये कैनाल के अन्दर, लेकिन आज तक वह लिफ्ट कैनाल स्वीपर हैड तक, साधुवाली से शिवपुर हैड तक बननी थी वह आज तक अधूरी पड़ी है और सरकार सोई हुई है।

माननीय सभापति महोदय, एक तरफ डिप्रेशंस से पानी छोड़ा जाता है, पानी का उपयोग नहीं हो पा रहा, दूसरी तरफ किसान बारानी भूमि के लिये पानी की मांग कर रहे हैं लेकिन यह सरकार उस पानी का उपयोग नहीं कर पा रही है। मैंने कई बार यहां एक मामला उठाया "ए" माइनर का। यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 'ए' माइनर है जो 27 क्यूसेक्स की कैनाल है। दस गांवों के लोगों को यह पीने का पानी देती है और सिंचाई का पानी भी देती है। यह कैनाल शहर के बीचों-बीच निकल कर दस गांवों के किसानों को सिंचाई का और पीने का पानी देती है। मैंने कई बार ध्यानाकर्षण प्रस्ताव द्वारा और दूसरी मांग के द्वारा माननीय मंत्री महोदय का, सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया कि जो 'ए' माइनर है शहर से बाहर निकाल जाए ताकि किसानों को पीने का पानी स्वच्छ मिल सके। श्री देवी सिंहजी भाटी मंत्री थे सिंचाई के, उनकी मंशा भी थी कि यह कैनाल शहर से बाहर निकाल कर बनायी जाए लेकिन वह नहीं कर पाये। मेरा अनुरोध है कि 'ए' माइनर कैनाल को शहर के बाहर से निकाल कर गांवों को पानी पहुंचाया जाए ताकि गांव के लोगों को स्वच्छ पीने का पानी और सिंचाई के लिये पूरा पानी मिल सके।

सभापति महोदय, एक वर्ष पहले माननीय श्री शीशरामजी ओला भारत सरकार में जल संसाधन मंत्री थे। उन्होंने सेम के पूरे इलाके में प्लानिंग कमीशन के मेम्बरों को साथ लेकर पीलीबंगा, बड़ोपर, लक्खूवाली, सूरतगढ़ और रावतसर, बहुत से इलाके में जाकर सेम का जायजा लिया और राजस्थान सरकार को यह अनुरोध किया कि राज्य सरकार सेम की समस्या के समाधान के लिये यदि कोई प्रोजेक्ट प्लान बनाकर भारत सरकार को भेजती है तो भारत सरकार उस प्रोजेक्ट प्लान का आधा पैसा मुहैया करवा देगी, लेकिन आज तक राजस्थान सरकार सेम का प्रोजेक्ट

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

बनाकर भी भारत सरकार को नहीं दे सकी। दूसरे लोक सभा के चुनाव हो गये और श्री शीशरामजी ओला मंत्रिमण्डल से हट गये।

माननीय सभापति महोदय, गंगानगर के इलाके के किसानों के साथ सौतेला सा व्यवहार हो रहा है। 75 साल पुरानी गंग कैनाल जो महाराजा के समय से लायी गयी थी वहां सी.ए.डी. का काम आज तक लागू नहीं हुआ जबकि इन्दिरा गांधी नहर बाद में आई, वहां पक्के नाले बन गये, पक्की नहर बन गयी, लेकिन गंगानगर की पुरानी कैनाल जिसकी 22 शाखाएं हैं, वितरण शाखाएं हैं, कच्ची पड़ी हैं, उनके नाले कच्चे पड़े हैं, जिससे वाटर का लोसेज होता है लेकिन राज्य सरकार का ध्यान इस ओर कतई नहीं है कि गंग कैनाल के इन नालों को पक्का किया जाए, गंग कैनाल की वितरिकाओं को पक्का किया। इस ओर बिलकुल

(17.58 बजे)

(श्रीमती तारा भण्डारी, सभापति, पदासीन)

ध्यान नहीं दे रही है। मेरा सरासर आरोप है कि राजस्थान सरकार गंगानगर के पुराने इर्रिगेशन सिस्टम की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। माननीय सभापति महोदय,.....

श्री मदन दिलावर : महोदया।

श्री हीरालाल इन्दौरा : महोदया, सिंचाई विभाग की मंशा पर शूगर मिल को लिखा गया कि आप किसानों को कहें कि गन्ना ज्यादा उपजायें, गन्ना ज्यादा बोयें और पानी हम उनको मुहैया करवाएंगे, पानी उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन हुआ क्या, इर्रिगेशन की मांग पर, सिंचाई विभाग की मांग पर शूगर मिल के कहने से किसानों ने अपने खेतों पर गन्ना बो दिया। आज लोग पानी के लिये तरस रहे हैं। 13 एच, 14 एच, 15 एच, 16 एच, जो एच माइनर के गांव हैं, दस एच से लेकर 16-17 एच के लोगों ने गन्ना बो दिया। गन्ना खड़ा हुआ है और पानी के लिये इर्रिगेशन में जाते हैं, शूगर मिल कहती है पानी दीजिये गन्ने के लिये, लेकिन पानी नहीं मिल रहा है। एसई. सिंचाई ने पहले क्यों लिखा कि गन्ना बो दीजिये, हम पानी देंगे। सभापति महोदया, यह किसानों के साथ सरासर अन्याय है, जो उन्होंने पैसा इस काश्त पर खर्च किया है, गन्ने की फसल पर खर्च किया है, यदि उनको पानी नहीं दिया जाएगा तो जो हजारों बीघा जमीन में गन्ना बोया गया है, उन काश्तकारों का क्या हाल होगा। उनकी हालत खराब होगी। सभापति महोदया, इस ओर भी आप ध्यान राज्य सरकार का दिलायें।

सभापति महोदया, बागों के पानी के बारे में मैं कहना चाहता हूं। मनमाने तरीके से स्टेट के जमाने में जब गंग कैनाल आई और उसके बाद में बागों का पानी दिया गया, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक किसान को जो पानी फिक्स है वह मिलता है लेकिन बाग हटने के बाद में वह पानी दूसरे गांव के मोघे पर वितरित कर दिया गया जबकि कानून से वह पानी दूसरे गांव में नहीं जाना चाहिए और बड़े तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को फायदा पहुंचाने के लिये, बी.जे.पी. के कार्यकर्ताओं को, और एक गांव का पानी दूसरे गांव के मोघों पर दे दिया गया। क्या उस गांव के लोगों के साथ न्याय

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

हुआ यह? माननीय सभापति महोदया, इस तरह के बहुत से मामले हैं, रख-रखाव का मामला है, मेंटीनेंस का मामला नहरों का, कहां जाता है पैसा? सिल्ट तो किसान निकालता है, मिट्टी किसान निकालता है। तो रख-रखाव पर पैसा जो सरकार दे रही है वह कहां है, कहा जाता है क्या सरकार ने कभी इस ओर देखा? मोघे में मोघे बनाने में, उनके उलटफेर करने में धांधली चल रही है। मर्जी चाहे मोघा तोड़ दिया, मर्जी चाहे मोघा बना दिया। मनमाने तरीके से अपने बी.जे.पी. के कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन देने के लिये और मोघों को तोड़-फोड़ करके उलटा पानी दिया जा रहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री कालूलाल गूजर : यह गलत है बिलकुल।

श्री हीरालाल इन्दौरा : मेरे पास उदाहरण हैं ऐसे मोघों के, सभापति महोदया, सिंचाई मंत्री चाहेंगे तो मैं उनको उपलब्ध करवा दूंगा। मेरा सरासर आरोप है कि मोघों में धांधली गंगानगर में हो रही है। उसको रोका जाए। प्रत्येक किसान को अपना सही हक मिलना चाहिए।

श्री कालूलाल गूजर : यह बात ठीक है।

श्री हीरालाल इन्दौरा : और उसके अधिकार मिलने चाहिये। आज टेल एण्ड के किसान की हालत क्या है, जो टेल एण्ड का किसान है उसको पानी पूरा नहीं मिल रहा है। आज रेग्यूलेशन सिस्टम का क्या है, जो रेग्यूलेशन सिस्टम है उसका क्या हाल है? मनमाने तरीके से रेग्यूलेशन का जो चार्ट बनाया जाता है और अपने हिसाब से दिया जाता है। फिर यह रेग्यूलेशन कमेटी। किस बात की है। माननीय सभापति महोदया, इस तरह का पक्षपात गंगानगर के किसानों के साथ किया जा रहा है, जो सबसे पुराना हरित क्रांति लाने वाला गंगानगर जिला है और राजस्थान का सबसे ज्यादा अन्न उपजाऊ जिला है उसकी ओर राज्य सरकार ध्यान नहीं दे रही है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

ट्यूबवैल कनेक्शंस की बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ट्यूबवैल कनेक्शन आज भी जरूरी है इरिंगेशन के लिये, लोग मांग रहे हैं। क्या डिपार्टमेंट ने आर.एस.ई.बी. से बात करके कोशिश की? कि किसान को सिंचाई के लिये ट्यूबवैल लगाने के लिये ट्यूबवैल कनेक्शंस चाहिए कांग्रेस के राज में हम लोगों ने प्रत्येक ईयर में ट्यूबवैल कनेक्शन आर.एस.ई.बी. से मांग करके सिंचाई विभाग ने उपलब्ध कराये हैं। क्या माननीय श्री वी.पी.सिंहजी, सिंचाई मंत्री आर.एस.ई.बी. से बात करके किसानों को ट्यूबवैल दिलवाने की कोशिश करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा सिंचाई हो सके? इतनी ही बात कहते हुये मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री कालूलाल गूजर। श्री उगमराज मेहता।

एक माननीय सदस्य : कालूलाल जी हैं।

श्री सभापति : हैं?

श्री कालूलाल गूजर (माण्डल) : माननीय सभापति महोदया, आज सिंचाई विभाग की मांग पर चर्चा हो रही है, राजस्थान कृषि प्रधान राज्य है। इसमें जितना पानी कृषि के लिये मिलेगा उतनी ही खेती की इनकम बढ़ेगी और राजस्थान की बहबूदी बढ़ेगी। वैसे मैं भीलवाड़ा जिले से आता हूं। राजस्थान के सबसे ज्यादा तालाब और बांध भीलवाड़ा जिले में हैं।

सभापति महोदया, मैं सिंचाई विभाग के माननीय मंत्री महोदय को कुछ निवेदन करता हूं और कुछ सुझाव देना चाहता हूं कि जितने भी तालाब आपने बना रखे हैं, पुराने तालाब हैं उनके पाल के ऊपर जितने पेड़ लगे हुये हैं, अधिकतर पेड़ अन्दर की तरफ लग गये हैं, तालाब के अंदर की तरफ, उनकी जड़े तालाबों, या बांधों में जहां कि पाल पक्की नहीं है, कच्ची पाल हैं, वहां पर उनकी जड़ों से भारी नुकसान हो रहा है। अभी भीलवाड़ा जिले में जितने तालाब टूटे हैं दो साल पहले उनमें अधिकतर पाइपिंग हो करके टूटे हैं क्योंकि उनमें जड़ें हैं। जब कभी पेड़ सूख जाता है तो जड़े सूख जाती हैं, फिर गल जाती हैं तो अन्दर उसमें पाइपिंग हो जाती है, पानी का रिसाव होता है, अचानक मिट्टी कटती है और इससे तालाब तुरन्त टूट जाता है। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि जितने भी तालाबों के ऊपर पेड़ लगे हुये हैं उन सारे पेड़ों को, जिनसे तालाबों को नुकसान नहीं हो रहा है उनके अलावा जो पेड़ हैं उनको कटवाया जाए और तालाबों की उनसे सुरक्षा करवायी जाए।

दूसरा, मेरा सुझाव यह है कि जब-जब भी अकाल राहत कार्य चले तब-तब आपने इर्रिगेशन विभाग के माध्यम से आपने कई एनीकट और तालाब बनवा दिये और बनवाकर, आपने उनको लावारिस छोड़ दिया। अब आश्चर्य की बात यह है कि ऐसे कई तालाब हैं जैसे भीलवाड़ा जिले में मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र में बता सकता हूं कि वाकली का तालाब, गराडिया का तालाब, बराबलों का खेड़ा का तालाब, इसी तरह से और भी 4-5 तालाब हैं। इन तालाबों पर सिंचाई विभाग से जब-जब भी अकाल राहत कार्य चले पैसा स्वीकृत हुआ, तालाब बना दिया और तालाब बनाकर के छोड़ दिया। आपके विभाग के अंदर उनका कोई अंकन नहीं है। सभापति महोदया, जब-जब भी तालाब टूटते हैं हम इर्रिगेशन विभाग से निवेदन करते हैं हैं कि ये तालाब टूटे हैं इनको बनवाइये वह कहता है कि नहीं हमारे विभाग की सूची में यह तालाब है ही नहीं। अब आश्चर्य की बात यह है कि आपके नहीं है तो वह किसके तालाब हैं? तब कहा जाता है कि पंचायत समिति का होगा। पंचायत समिति कहती है कि हमने तो बनाया नहीं हमारी सूची में कहां से आ गया, हमारा कोई लेना-देना नहीं है आश्चर्य इस बात का है कि ऐसे कई तालाब लावारिस बनाकर भीलवाड़ा जिले में छोड़ रखे हैं। मंत्री महोदय, जो कि हमारे भीलवाड़ा जिले से पधारे हैं मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम एक बार आप यह सारा सर्वे करवा लें। मैंने जिला परिषद की मीटिंग में भी यह मामला

(श्री कालूलाल गूजर)

उठाया था और सतर्कता की मीटिंग में भी उठाया था। मैंने कहा था कि जितने भी तालाब और एनीकट जो अच्छे मजबूत बनाये आपने लेकिन उनमें टूट-फूट हो रही है या वे टूट गये हैं, उनको इर्रिगेशन विभाग अपना नहीं मानता तो उनको कम से कम अपने विभाग द्वारा बनाये हुये माना जाए और उनके आगे की रिपेयरिंग, आगे की उसकी देखरेख का, रखरखाव का काम भी विभाग के हाथ में लिया जाना चाहिए।

तीसरा, मेरा सुझाव यह है कि जितने पंचायत समिति के पुराने तालाब हैं हालांकि आपका एक नियम है कि पांच सौ हैक्टेयर से ज्यादा सिंचाई जिनसे होती है वे आप इर्रिगेशन में लेते हैं लेकिन ऐसे कई तालाब हैं, सभापति महोदया, इनके नियम के अनुसार, नार्म्स के अनुसार ज्यादा सिंचाई के तालाब हैं लेकिन अभी भी वे पंचायत समितियों में हैं और पंचायत समिति में इंजीनियर्स केवल जेईएन. होता है बाकी बड़े अधिकारी नहीं होते हैं। किस तरह से उन तालाबों का रख-रखाव किया जाए, उनकी मेंटीनेंस की जाए वह जानते नहीं हैं इसलिये उन तालाबों की दुर्दशा हो रही है। कई ऐसे बड़े-बड़े तालाब हैं जिनमें खूब पानी आता है, बहुत आवक होती है लेकिन उस पानी की आवक को रोकने के लिये उन तालाबों को बड़ा बनाने की आवश्यकता है। अब पंचायत समितियों के पास फंड है नहीं इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि ऐसे तालाब जिनसे आपके नार्म्स के अनुसार सिंचाई होती है और उनको भी इर्रिगेशन विभाग में लिया जा सकता है उनको आप विभाग में लेने की प्रक्रिया शुरू करें ताकि उन तालाबों की देखरेख और रखरखाव ठीक से हो सके।

सभापति महोदया, अभी मेरे से पहले जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बीसलपुर परियोजना से पानी की मांग की थी। मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से कि आपका जिला भी भीलवाड़ा है और अपने पूरे भीलवाड़ा जिले का पानी बीसलपुर में आता है चूंकि पहले तो पूरा भीलवाड़ा जिला केचमैंट एरिया में था इस कारण से वहां पर कोई एनीकट वगैरह बनाने की भी रोक लगा रखी थी। मैं माननीय श्री भाटी साहब को, जो कि पूर्व सिंचाई मंत्री हैं, उन्हें धन्यवाद दूंगा। माननीय श्री भाभड़ा साहब की अध्यक्षता में यहां पर एक कमेटी बनी और उसमें यह निर्णय हुआ कि जो छोटे-छोटे एनीकट हैं, जो 6 फीट, 7 फीट की ऊंचाई या दो मीटर तक की उंचाई के हैं, वह बना सकते हैं, यह छूट हुई इसके लिये धन्यवाद। परन्तु अभी इर्रिगेशन विभाग से जितने भी पुरानी एनीकट बने थे मैं मंत्री महोदय आपसे निवेदन करूंगा कि उन एनीकट्स को आप पूरा करवाएं। जैसे बनास नदी के ऊपर एक दूड़िया गांव है उसके पास में एनीकट अधूरा बना हुआ है, आधे से ज्यादा 3/4 काम हो रखा है केवल 1/4 काम बाकी है अगर उसका काम पूरा हो जाए तो बनास के पानी में थोड़ा सा रुकाव होगा और कई कुओं

(श्री कालूलाल गूजर)

के अंदर पानी बढ़ेगा। इसी तरह से बागौर के पास में कोठारी नदी पर भी एक महासत्वा नामक एनीकट है और उस एनीकट में भी थोड़ी कमी है, वह भी 3/4 बना हुआ है केवल 1/4 बाकी है, मेरे ख्याल से 5-5 10-10 लाख रुपये की आवश्यकता है। यदि इन दोनों एनीकट्स को बना दिये जाए तो 8-8, 10-10 गांवों के अंदर पीने के पानी मिलेगा और तालाबों और कुओं के अंदर भी पानी बढ़ेगा। इस प्रकार के जो छोटे-छोटे एनीकट्स हैं उन एनीकट्स को आप सिंचाई विभाग से पूरा करवाएं।

दूसरी मेरा मांग यह है कि जो बीसलपुर परियोजना में पानी रुक रहा है, पानी खूब आता है और भगवान की कृपा है कि हर एक छोटी सी बारिश में ही यह भर जाता है। परन्तु खूब लम्बी दूरी से पानी आता है। पीने के पानी की समस्या भीलवाड़ा में है, जहाजपुर में है, शाहपुरा में है, बनेड़ा में है, मांडल में है। यह पांच तहसीलें जो सीधे ही एक ही लाइन में पड़ती हैं। इनको पीने के पानी बीसलपुर से मिले इसके लिये योजना तो पी.एच.ई.डी. विभाग बनाएगा, परन्तु पानी सुरक्षित रखें। हालांकि इस योजना में यह है लेकिन मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि सुरक्षा वहां पर करवायी जाए। पीने के पानी की दृष्टि से भीलवाड़ा को यहां से पानी दिलवाया जाए।

सभापति महोदया, मैं अंत में यह निवेदन करूंगा और मैं धन्यवाद भी दूंगा सरकार को, कि मेरे यहां पर एक तालाब अधूरा था, गंगनहर परियोजना में उसकी स्वीकृति करा दी। लेकिन उसका काम समय पर पूरा हो, इसके लिये थोड़ा ज्यादा मानीटरिंग की जाए तो उसका बहुत बड़ा लाभ हमको मिल सकता है। इसी तरह से एक पुराना बांध भीलवाड़ा और चित्तौड़ जिले के बीच बनास नदी पर बनाने का प्रस्ताव था, लेकिन उसको बनाया अभी तक नहीं गया और अभी भी वह योजना लटकी हुई है। मंत्री महोदय, आप इस योजना को दिखवाएं, अगर एक बांध भीलवाड़ा जिले में बनास नदी पर और बनता है तो उसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। मेज बांध भीलवाड़ा जिले में सबसे बड़ा बांध है और इसके ऊपर जो फीडर बनी हुई है वह फीडर काफी पुरानी है और काफी टूट-फूट गयी है। जब पानी फीडर में छोड़ा जाता है तो बीच में टूट-फूट होने के कारण बहुत पानी वेस्ट होता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस फीडर की भी रिपेयरिंग का कार्य पूरा कराया जाए ताकि भीलवाड़ा में पीने के पानी की सुविधा हो सके। बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री जितेन्द्र जी, श्री जितेन्द्र नीनामा। मैंने जितेन्द्र जी बोला, सिंह नहीं बोला, श्री जितेन्द्र नीनामा। कोई बात नहीं आपको भी बुलवा देंगे।

श्री अमरचन्द मिड्ढा (सूरतगढ़) : सभापति महोदया, हमारा नम्बर भी है क्या?

श्री सभापति : नहीं होगा तो दे देंगे।

श्री जितेन्द्र नीनामा (घाटोल) : सभापति महोदय, आज सिंचाई की चर्चा हो रही है,

(श्री जितेन्द्र नीनामा)

उसमें मैं अपने आपको शामिल करते हुये बांसवाड़ा जिले के माही बजाज सागर की समस्या के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, बांसवाड़ा जिला एक आदिवासी बाहूल्य क्षेत्र है। 80 परसेंट आदिवासी लोग रहते हैं। वहां पर बहुत बड़ा माही डेम बना हुआ है लेकिन जिस मंशा से डेम बनाया गया, उसमें पानी बहुत है लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से हमारी इस परियोजना के लिये धनराशि बहुत कम उपलब्ध करायी जा रही है। नहरों के विकास के बारे में इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है। आपने एक करोड़ रुपया सिर्फ धोरों के लिये दिया है, वह बहुत कम है। मेरा सिंचाई मंत्री जी से अनुरोध है कि इतना बड़ा डेम और इतना बहुतायत पानी है जो बांसवाड़ा जिले के लिये नहीं, डूंगरपुर जिले के लिये भी काफी है। मेरा अनुरोध है कि आप इस बजट में वृद्धि करें और कई ऐसी समस्याएं हैं जिसका समाधान भी सिंचाई मंत्री जी करेंगे।

इसी के साथ मेरा दूसरा निवेदन यह है कि हमारे विधान सभा क्षेत्र घाटोल में कई ऐसे तालाब हैं जो माही डेम बनने के पूर्व के बने हुये हैं और उनमें भी पानी बहुत है। उसमें जमीन काफी रुकी हुई है, पानी भरा हुआ रहता है और वह पानी सिंचाई के काम में नहीं आता है। मेरा सिंचाई मंत्री जी से निवेदन है कि उन तालाबों को खाली करा कर, जो 112 गांव उजड़ गये हैं, आज भी वह काश्तकार भटक रहे हैं, उनको कहीं नहीं बसाया गया है, उनके घर-परिवार उजड़ चुके हैं, अगर वह बांध खाली कर उनको जमीन अलाट की जाए तो उनके बाल-बच्चों का भरण-पोषण हो सकता है, इस पर सिंचाई मंत्री महोदय गौर करेंगे।

इसी के साथ, सभापति महोदय, मेरा दूसरा निवेदन यह है कि दो-तीन साल से माही की नहर खुद गयी है। जिनके कुएं गये हैं, जिनकी खेती गयी है उन काश्तकारों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। सिंचाई मंत्री महोदय, मेरा निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी उन काश्तकारों को मुआवजा दिलवायें। दूसरा मेरा निवेदन है कि कई नहरों का सर्वे हो चुका है, सर्वेशुदा पड़ी हुई हैं पर अभी तक काम चालू नहीं हुआ है। हम अधिकारियों के पास जाते हैं तो अधिकारियों का कहना है कि बजट के अभाव में हम नहीं कर सकते हैं। अतः इसके लिये मंत्री महोदय, धन उपलब्ध करवा कर नहरों का विकास करें।

इसी के साथ मेरा एक और सुझाव है, नॉन कमांड एरिया भी हमारे क्षेत्र में पड़ता है पीपलखूंट क्षेत्र, उसमें भी कई तालाब ऐसे हैं जैसे बोरी बांध घाटी, गवर्नमैंट का बहुत पैसा खर्च हो चुका है उस तालाब पर लेकिन पैसे की कमी के खातिर वह तालाब अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है। मेरा निवेदन है कि इनको भी ध्यान में रखें, धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री सभापति : श्री महादेव सिंह।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : सभापति महोदय, आज सिंचाई विभाग की मांग पर जो चर्चा हो रही है। उसमें मैं अपने आपको सम्मिलित करते हुये आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे सीकर जिले की भौगोलिक स्थिति ऐसी बनी हुई है जिसमें कहीं से भी नहर नहीं आ सकती और सीकर जिले में भी विधान सभा क्षेत्र खण्डेला इलाका जिसमें पहाड़ी एरिया है, पठारी भूमि है और सिंचाई के कोई साधन नहीं है। न हमारे कहीं से नहर आ सकती है, न सदा बहने वाली नदियां हैं। वहां के किसान वर्षा पर आधारित हैं। वर्षा से कभी अतिवृष्टि होती है, कभी असामयिक वर्षा होती है और कभी अनावृष्टि होती है, कभी असामयिक वर्षा होती है और कभी अनावृष्टि होती है। इस प्रकार से वहां के किसान बिलकुल ही सिंचाई के मामले में भगवान के भरोसे पर निर्भर रहते हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि हमारे इलाके में बरसात के पानी को ज्यादा से ज्यादा रोका जाए, उस पानी के द्वारा उस इलाके में ज्यादा से ज्यादा बांध बनाये जाएं और ज्यादा से ज्यादा तालाब बनाये जाएं तो वहां के किसान को थोड़ी राहत मिलेगी।

सभापति महोदय, हालत यह है कि जमीन में पानी का स्तर ढाई-तीन सौ फीट गहरा गया और पुराने जमाने के जो कुए बने हुये थे उनमें भी पानी नहीं है। आज हम बैलों द्वारा, ऊंट के द्वारा तो वहां सिंचाई कर ही नहीं सकते हैं। अगर सिंचाई के लिये कोई साधन है तो कुओं में बिजली लगाई जाती है। जब बिजली की शुरुआत हुई थी उस समय हमारे ज्यादा से ज्यादा पांच या साढ़े सात हार्स पावर की मोटर काम में ली जाती थी। लेकिन जमीन का पानी इतना नीचे गया कि आज साढ़े बारह और पन्द्रह हार्स पावर की मोटर से भी पानी नहीं उठता है। अगर बोरिंग करके पानी निकाला जाता है तो ज्यादा से ज्यादा कुआ घंटा भर या दो घंटे पानी निकालता है फिर पानी छोड़ देती है। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि हमारे इलाके में ज्यादा से ज्यादा बांध बनाये जाएं और तालाब बनाये जाएं, उससे पानी इकट्ठा होगा और जमीन में पानी का स्तर ऊंचा आएगा।

मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहूंगा पिछले साल उस समय के सिंचाई मंत्री जी श्री देवीसिंह भाटी ने हमारे कारोही बांध की स्वीकृति के लिये मुझे एक पत्र लिखा था कि आपके कारोही में एक बांध स्वीकृत कर दिया गया है जिसकी लागत 22 लाख और कुछ हजार रुपये हैं। मेरा निवेदन है कि एक साल होने को आया हमने बार-बार सरकार से निवेदन किया, अधिकारियों से भी मैं मिला लेकिन कारोही के बांध का निर्माण आज तक चालू नहीं किया गया है। दूसरा बांध रामपुरा का बांध था जिसकी स्वीकृति के लिये भी मुझे अभी ज्ञात हुआ है कि सरकार ने स्वीकृति दे दी है लेकिन अभी तक बांध नहीं बनाया गया है। कारोही के बांध की हालत यह है कि अगर वहां बांध नहीं बनाया जाता है तो किसानों को पानी मिलेगा ही नहीं। इसके

(श्री महादेव सिंह)

साथ-साथ कारोही गांव और उसके आसपास की ढाणियों से, पहाड़ से पानी आता है उससे जमीन का भयंकर कटाव हो गया है और वहां की जो आबादी है उसको भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है। इसलिये मैं आपके मार्फत सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि करोही बांध का निर्माण कार्य और रामपुरा बांध का कार्य शीघ्रातिशीघ्र चालू करवाया जाए। इसके साथ ही स्टेट टाइम में हमारे सलेदीपुरा में एक बांध था वह बांध बहुत वर्षों पहले बना हुआ था, बांध धीरे-धीरे टूटता जा रहा है और बांध का जो अन्दर का भराव है वह भी मिट्टी से बहुत ज्यादा भर गया है इसलिये उस बांध का पुनः रखरखाव करने के लिये, उसका पुनर्निर्माण करने के लिये सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं।खण्डेला राजाजी

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

के टाइम से होद के अन्दर एक बहुत बड़ा तालाब बना था।

श्री राजेन्द्र चौधरी : + + +

श्री सभापति : आप आसन को चैलेंज नहीं करें। चिट्ठ में दो मिनट ही मांगी थी इन्होंने और मैं पांच मिनट तक बोली ही नहीं। हां, तो यह आसन को चुनौती है, एक-एक मिनट का हिसाब रखा जाता है और मैं कितना बोली और किसने कितना बोला, यहां हिसाब ले लेना आप। चुनौती मत दीजिये।

श्री राजेन्द्र चौधरी : न्याय करिये।

श्री सभापति : इनको चिट्ठ में दो मिनट लिखे हुये हैं, न्याय करूं।

श्री महादेव सिंह : स्टेट टाइम से जो तालाब बना हुआ है होद में उसका कम से कम सौ एकड़ का भराव है उसकी चार दीवारी बनी हुई है उस चार दीवारी के ऊपर हम बराबर से दो गाड़ियां ले जा सकते हैं बहुत ही बढ़िया चारदीवारी है लेकिन 1991 में जब भयंकर बरसात हुई तब वह तालाब टूट गया। आठ साल तक बराबर सरकार से निवेदन करते रहने पर भी उस तालाब को दुबारा ठीक नहीं कराया गया। आज तालाब की हालत यह है कि उसका पानी निकलेगा तो गांव और ढाणियों में जाता ही जाता है, उससे जमीन का कटाव होता है और पानी जहां भरता था उस भराव की जगह मिट्टी भर गयी है। इसलिये मेरा सरकार से निवेदन है कि उस होद के तालाब को पुनः ठीक करवाया जाए और उसका जहां भराव था वहां मिट्टी भर गयी है उसको निकलवाया जाए जिससे वहां के किसानों को राहत मिले।

इसी प्रकार से हमारे यहां खण्डेला से जो कोटड़ी गुहाला होते हुये नदी जाती है, मेरा सुझाव है कि उस नदी के ऊपर यदि एक-एक, आध-आध किलोमीटर पर जगह-जगह एनीकट्स टाइम बना दिये जाएं तो उस नदी का पानी जगह-जगह रुकेगा और रुकने से वहां के किसानों को लाभ मिलेगा, पशुओं को लाभ मिलेगा और जल स्तर भी बढ़ेगा।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री महादेव सिंह)

प्रीतमपुरी से लेकर कांवट तक रेतीली जमीन है और वहां जो नदी आती है, पहाड़ से पानी गिरकर आता है तो उस बहाव की वजह से मिट्टी कट-कट करके वह नदी इतनी गहरी चली गयी है कि कोई जमाना था कि वहां के किसानों को 15, 16 और 20 फीट पर पानी मिल जाया करता था लेकिन आज नदी की गहराई 50 फीट तक चली गयी है। 50 फीट के नीचे पानी वहां चला गया, वहां का जल स्तर इतना नीचे चला गया कि अगर उस नदी पर दो या तीन जगह छोटे-छोटे एनीकट्स बना दिये जाएं और उसका कटाव रोक दिया जाय तो वहां के किसानों को बहुत बड़ा लाभ होगा। सभापित महोदया, आपने मुझे समय दिया, इसके लिये मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति : श्री उगमराज जी मेहता।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : सभापति महोदया, मेरे क्षेत्र में इतने कोई बड़े बांध नहीं, मेरे क्षेत्र में जो भी सिंचाई का साधन है वह बड़े-बड़े तालाब हैं या एनीकट्स हैं और जितने भी सिंचाई विभाग ने एनीकट्स बनाये हैं वह डी.आर.डी.ए. के पैसे से अभी चार साल में बने हैं और उनका काम भी इतना अच्छा है कि आज सारे एनीकट्स अभी एक दो बारिश में पूरे भरे हुये हैं। माननीय मंत्री महोदय, मैंने एक रूपाणा फीडर के लिये रूपाणा फीडर बहुत इम्पोर्टेंट फीडर है। माननीय मंत्री महोदय, आप मेरे पड़ोस से हैं। आपको जाने का रास्ता भी उधर से ही है और आप मिलनसार भी हैं। मुझे विश्वास है कि यह रातावाड़ा फीडर आज इस मांग में उसको सैंक्शन करेंगे। आपके द्वारा ही मैं उसका शिलान्यास करवाऊंगा।

इसके साथ ही एक मोडिया बांध टाटगढ़ बहुत इम्पोर्टेंट जगह है। टाटगढ़ आबू के बाद में ऊंचाई में आपको मालूम है कि दूसरा नम्बर टाटगढ़ का आता है। आपके पड़ौस में ही है वह भी। टाटगढ़ का पानी दिन रात बेकार बहकर यों ही चला जाता है। मोडिया बांध की लागत आपके विभाग के अनुसार 27 लाख रुपये आती है। उस मोडिया बांध को भी सैंक्शन करवाएं। एक भोमाया बांध है जो बहुत पहले अकाल राहत में बना था। उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है, क्योंकि सिंचाई में काम नहीं आता है इसलिये मैं पी.एच.ई.डी. मंत्रीजी से और आप से, दोनों से एक निवेदन करना चाहूंगा कि उसका सर्वे कराकर उसकी ऊंचाई और लेकर पेयजल के उपयोग के काम आ सकें ऐसी योजना बनवाएं।

बदनौर राजियावास होते हुये आप पास होते हैं और आगे एक सुरेभाटा फीडर है। उसको 1977-78 में करवाया था और सिर्फ 10 प्रतिशत काम रहा। वह सुरेभाटा फीडर अगर पूरी हो जाती, 10 प्रतिशत का काम आपको करना था, अगर वह हो जाए तो राजियावास कालिंजर, पूरे तालाब टैंक जितने बड़े-बड़े भी तालाब हैं, सब भरे हुये मिलेंगे। सुरेभाटा फीडर राजियावास से आगे ही आपके रोड पर जाते हैं उसी पर ही हैं इसलिये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। सभापति महोदय,

(श्री उगमराज मेहता)

आपने समय दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री शंकरलाल अहारी।

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) : माननीया सभापति महोदया, आज मांग संख्या-46 और 38 पर चर्चा हो रही है, मैं भी सम्मिलित होते हुये आपको पिछले समय का कुछ वर्णन करना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदया, 50 साल पहले जब हमको आजादी मिली और उस आजादी में राजस्थान की धरती पर हमने कुछ नहीं पाया था। राजस्थान की धरती पर हमारे कांग्रेस के लोगों ने प्रदेश का और प्रदेश की जनता का सहयोग लेते हुये राज किया। उस राज के अन्तर्गत हमारे लोग जो अच्छे बुद्धिमान, गुणवान, अच्छी सोच रखने वाले और हमारे जो अगुवा थे, हमारे जो नेता थे इनके दिल दिमाग में एक सोच आयी कि यह राजस्थान की धरती जो है वह सूखी धरती है उसको कैसे हरा-भरा किया जाए। हमारे राजस्थान प्रदेश के किसानों की उस समय हालत दयनीय थी। वास्तव में एक सोचनीय विचार था, उस सोचनीय विचार को लेकर हमारे नेताओं ने इस धरती का अध्ययन किया और इस धरती का नमन करते हुये इसको कंचन कैसे किया जाय, यह एक दिमाग में लिया। हमारे इंजीनियरों के सहयोग से राजस्थान की धरती पर मास्टर प्लान बनाये और मास्टर प्लान बनाने के बाद इन किसानों को कैसे पानी दिया जाए, किसानों के खेतों में पानी कैसे पहुंचाया जाए इस प्रकार का एक विधि विधान सिंचाई का तैयार किया। जब एक सिंचाई का ढांचा हमारे सामने आया, हमारा एक लक्ष्य था, हमारा एक उद्देश्य था कि हम हर किसान को, हर मजदूर को किसी न किसी रूप से सिंचाई की सुविधा से जोड़े तो यहां के किसानों की जो आर्थिक हालत है, माली हालत है, ऊपर उठा सकें। यह यत्न किया और इसके साथ में निरन्तर राजस्थान का निवासी प्रदेश के वासी विकास की ओर बढ़ते रहें। मैं आपका ध्यान कुछ बांधों पर दिलाता हूं। हमारे साथी कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस की देख रेख में इनकी अगुवाई में राजस्थान प्रदेश में कुछ बांधों का निर्माण किया। राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज, माही बांध, मेजा बांध, जाखम बांध, जवाई बांध, कडाना बांध और कई बांधों का निर्माण किया। इसमें बड़ी-बड़ी कैनालों का निर्माण किया। यह सत्य है कि वास्तव में जो पिता होता है उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और पिता की मेहनत से पुत्र उसकी मेहनत और उसकी कमाई पर खाता है और हक जमाता है। इसमें कोई शंका नहीं है। यह परम्परा है और परम्परा के अनुसार हम सबको चलते रहना है।

आज यह हालत है कि सिंचाई के क्षेत्र में हमको अच्छा लाभ मिला। परन्तु जो हमारे बांध थे, वे धीरे-धीरे, शनैः शनैः मिट्टी से भरते गये। जब मिट्टी से भराव भरने में आता है तो जिस मकसद से और जिस उद्देश्य से हमने जो

(श्री शंकरलाल अहारी)

कैनालें निकाली हैं कि अमुक कैनाल से अमुक जगह तक सिंचाई हम दे सकेंगे, मिट्टी के भराव से सिंचाई की क्षमता कम हुई है और किसान वास्तव में जो आशा लेकर के बैठा रहता था उतनी सिंचाई उसको नहीं मिल पाती है।

मैं अधिक समय नहीं लेता हुआ, दक्षिणी राजस्थान की तरफ आपका ध्यान दिलाता हुआ निवेदन करूंगा कि दक्षिणी राजस्थान में डूंगरपुर जिला है। वह पहाड़ी क्षेत्र से घिरा हुआ जिला है। वहां कुछ बांध बांधे हैं। उसमें मैंने कई बार इस सदन में रहकर के सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान दिलाया था कि हमारे जो बांध हैं, वास्तव में उन बांधों की जो हालत है अभी वह खराब होती जा रही है। नहरें टूट रही हैं। नहरों की मरम्मत करने की आवश्यकता है, उसमें पैसा लगाने की आवश्यकता है। हमने जिस मकसद से किसानों को नहरें दी थीं कि हम पानी आपके खेतों में पहुंचाएंगे, आज पानी नहीं पहुंचकर के वह पानी सीपेज हो जाता है और वह किसान वहीं का वहीं रह जाता है। फिर उसकी आमदनी में कमी आती है।

माननीय सभापति महोदया, मैं इस समय माननीय श्री भाटी साहब को, जो सिंचाई मंत्री थे, उनको धन्यवाद दिये बगैर नहीं रह सकता। हमारे डूंगरपुर जिले की मेवाड़ा परियोजना के सम्बन्ध में मैंने निवेदन किया, उनसे अनुरोध किया, हाथ जोड़े। मेरी बात को उन्होंने स्वीकार किया। इसलिये स्वीकार किया कि हमारा जो दुःख-दर्द है उसको वे वास्तव में समझ गये थे। समझने के बाद में, हम सही बात के लिये उन्हें धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने 4-5 करोड़ की योजना को प्रारम्भ करा दिया। प्रारम्भ कराने के बाद, काम पूरा हो गया है। नहरों का काम चालू है। सही बात को कांग्रेस के लोग कहने से नहीं चूकते हैं। परन्तु दुर्भाग्य यह है कि हमारे बी.जे.पी. के साथी टालमटोल और तिल का ताड़ बनाकर के कह देते हैं, वह थोड़ा सा हमको दुःखता है।

माननीय सिंचाई मंत्रीजी, जो नये मंत्री बने हैं, उनसे मुझे आशा है और पूर्ण आशा रखता हूं। मेरे वहां एक अमरपुरा करके परियोजना है। माननीय सिंचाई मंत्रीजी, अमरपुरा परियोजना है उसकी लागत, उस अमरपुरा परियोजना का पूर्ण रूप से सर्वे हो चुका है। सारी तकनीकी सर्वे जो चाहिए थी, वह तैयार है। यह ग्यारह करोड़ की स्कीम है। इस पर 1985 में एन.आर.ई.पी. के अन्तर्गत 5 लाख का खर्चा भी किया है। जब-जब भी फैमिन आया, फैमिन में भी हमने काम करवाया। परन्तु वह योजना आज अधरझूल में है। इस योजना से, उसके पानी से 1601 हैक्टेयर जमीन में सिंचाई होती है। बारह गांव उस पानी से जुड़ते हैं और 12 गांवों को उस पानी से लाभ मिलता है। वहां का एरिया, पूरा, शत-प्रतिशत आदिवासी क्षेत्र है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस आदिवासी क्षेत्र के हिसाब से आप इस योजना को हाथ में लेकर के यथाशीघ्र प्रारम्भ करें। यही सिंचाई मंत्री महोदय से निवेदन है।

(श्री शंकरलाल अहारी)

मेरा एक और निवेदन यह है कि हम समय-समय पर कुछ तालाबों की सर्वे के लिये निवेदन करते रहे हैं। परन्तु इर्रिगेशन के द्वारा उसका कोई न तो सर्वे करवाया गया और न ही उसका कोई प्रारूप और कोई ढांचा तैयार किया। भोर का पांटड़ा है, बलवनिया है, रातां-घाटा है। इन तालाबों में हमने काम करवाया भी है। फैमिन में जब-जब भी, और ये अधूरे पड़े हुये तालाब हैं। इन तालाबों को बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। किसानों की कोई जमीन डूबत में नहीं जा रही है जो कोई व्यवधान पैदा हो। ऐसी कोई परेशानी नहीं है। अगर ये तालाब बन जाते हैं तो कई आदिवासी भाई लोगों का भला हो सकता है। हमारे वहां सूखा क्षेत्र है, सूखी जमीन है और हमको सिंचाई का लाभ मिल सकता है बांधने से।

मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा मांडली ग्राम है और वहां जो नदी है वह गुजरात की तरफ जा रही है, उसको हमने रोका। एक बूंद भी पानी हम गुजरात नहीं जाने देते हैं। वहां इर्रिगेशन के माध्यम से एक एनीकट बना। पहले एनीकट नहीं था तो 3 मोटर लगी हुई थीं। श्री कटारिया साहब अच्छी तरह जानते हैं कि मांडली में 96 मोटर लगी हुई हैं। हमें खुशी होती है कि सिंचाई विभाग एनीकटों का काम हाथ में लेकर करे, छोटा-छोटा जल स्तर उपलब्ध हो जाए ताकि हमारे किसानों की जो परेशानी है, उस पर पम्प लगाकर सिंचाई स्वतः ही हम करते रहते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं आशा करता हूं कि माननीय सिंचाई मंत्री महोदय, आप अपने भाषण में डूंगरपुर जिले की अमरपुरा परियोजना के लिये जिक्र करेंगे, तो मुझे बड़ा विश्वास होगा। इन्हीं बातों के साथ में, सभापति महोदय, ने जो घण्टी बजाई, मैं आपका आदर और कद्र करता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं। जयहिन्द, धन्यवाद।

श्री पराक्रम सिंह : सभापति महोदय, पाइंट आफ इन्फोर्मेशन।

श्री सभापति : बोलिये।

श्री पराक्रम सिंह : सभापति महोदया, सदन के नेता के स्वास्थ्य के बारे में अनेक चर्चाएं चल रही हैं। वे मुंबई रवाना हो गये हैं और कुछ कह रहे हैं कि नहीं गये हैं। मैं चाहूंगा कि स्वास्थ्य मंत्रीजी बैठे हैं, वे सदन को अवगत कराएं। सभी विधायक इस विषय में उत्सुक हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) : सभापति महोदया, सदन के नेता और माननीय मुख्य मंत्रीजी का स्वास्थ्य अभी ठीक है। चिकित्सकों ने उन्हें पूर्ण विश्राम की सलाह दी है। मुंबई जाने का उनका निर्धारित कार्यक्रम आज का था, परन्तु आज नहीं पधार रहे हैं। आगे मुंबई या दिल्ली, दोनों से सम्पर्क साधे हुये हैं, जहां जरूरत है, वहां चले जाएंगे। परन्तु स्वास्थ्य बिलकुल ठीक है और लगातार स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है।

श्री सभापति : मैं खुद भी जाकर आयी हूं। मुंबई जाने का कार्यक्रम है नहीं, और ठीक हैं।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री सुरेन्द्र गोयल (उप मुख्य सचेतक) : माननीय सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 38 और 46 पर माननीय सदस्यों द्वारा विचार रखने, मंत्रीगण द्वारा जवाब देने और मांगें पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए।

श्री सभापति : सदन का समय मंत्री महोदय का जवाब देने और मांगें पारित होने तक बढ़ाया जाता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पूछो तो सही, बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है।

श्री सभापति : बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाएं?

कई माननीय सदस्य : हां।

श्री सभापति : सबकी हां है। मैंने आपकी मंशा जानकर बढ़ा दिया था। श्री गोपीरामजी जाट।

मांग संख्या 38 एवं 46 पर विचार

श्री गोपीराम जाट (आमेर) : सभापति महोदया, आज सिंचाई विभाग पर सदन में चर्चा हो रही है। मैं भी अपने आपको इसमें शामिल करते हुये निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अधिकांश भाग में सिंचाई कुओं से होती है। कुछ क्षेत्रों में नहरों से होती है। लेकिन जयपुर जिला एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर ज्यादातर सिंचाई कुओं से होती है और जो हालात पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि बरसात कम हो रही है और कुओं का जल स्तर निरन्तर गिरता चला जा रहा है। ऐसी स्थिति में एक बहुत ही चिन्ताजनक स्थिति बनी हुई है। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां का जल स्तर नीचे जाने के साथ-साथ यदि किसान और गहरी बोरिंग कराता है तो नीचे पत्थर आ जाता है। पत्थर आने के बाद में 2-2 सौ, 3-3 सौ फुट तक पत्थर चीरने के बाद भी पानी नहीं आता। तो जो एरिया खास तौर से खेती पर निर्भर है और खेती करने के लिये सिंचाई की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में जहां पर जल स्तर गिर रहा है, बहुत ही चिन्ता का विषय है। किसान के सामने परेशानी आ रही है। ऐसी स्थिति में किसानों को राहत पहुंचाने के लिये, किसानों की खुशहाली के लिये ऐसे क्षेत्र में सरकार के द्वारा इस तरह के नल-कूपों का निर्माण होना चाहिए। इतने गहरे पाताल तोड़ कुओं का निर्माण होना चाहिए, जहां पर न तो नहर की सिंचाई है और न और कहीं से पानी लाने की सम्भावना है। ऐसे एरिये के अन्दर पाताल तोड़ कुएं बनाकर और किसानों को सिंचाई के लिये पानी उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की जानी चाहिये। हालांकि पूर्व में हमारे दौसा से जो सांसद महोदय निर्वाचित हुये थे, वे केन्द्र सरकार में मंत्री भी रहे, उन्होंने भी कई बार घोषणा की थी कि इस क्षेत्र में मैं

(श्री गोपीराम जाट)

पाताल तोड़ कुएं बनाकर किसानों के पीने के पानी और सिंचाई के पानी की व्यवस्था करवाऊंगा। लेकिन आज तक उस सम्बन्ध में किसी तरह की सरकार के द्वारा और न अधिकारियों के द्वारा कोई योजना किसानों के हित में यहां प्रेषित की गयी। यह इस क्षेत्र के लिये बहुत ही चिन्ता का विषय है।

मेरे क्षेत्र के अन्दर एक गुणावता गांव है। उस गुणावता गांव के किसान जब बरसात आती है तो बहुत खुश होते हैं कि बरसात आ रही है। बरसात आने से हमारे खेतों के अन्दर बुवाई-जुताई होगी, फसल होगी लेकिन उसके साथ-साथ एक चिन्ता और खड़ी हो जाती है। जब ज्यादा बरसात होती है तो वहां पर पानी के साथ में मिट्टी की नदी भी साथ में चलना शुरू हो जाती है। ऐसी स्थिति में गुणावता, ढंढ, खोरामीणा और कूकस के किसानों के खेतों के अन्दर पानी के साथ-साथ मिट्टी की नदी आ जाती है। उस मिट्टी की नदी आ जाने से उस जमीन का उपजाऊपन तो खतम होता ही है, उसके साथ-साथ रास्ते भी उबड़-खाबड़ हो जाते हैं। जो कुएं उसकी चपेट में आते हैं, वे कुएं भी मिट्टी से भरकर साफ हो जाते हैं। ऐसी स्थिति के अन्दर एक बहुत बड़ी समस्या का सामना किसानों को करना पड़ता है। इस गुणावता बांध के लिये बहुत वर्षों पहले, 1990 में जब हमारी सरकार बनी थी, उसके पहले की योजना बनी हुई थी और वह उस योजना मात्र 28 लाख रुपये की थी लेकिन गत दो वर्ष पहले जब श्रीमान् देवीसिंहजी सिंचाई मंत्री थे, मैंने उनका ध्यान आकर्षित किया और उनके सामने जब फाइल पुटअप की गयी तो वह योजना सवा करोड़ की बन गयी और उस योजना को अब तो मैं महसूस कर रहा हूं कि शायद वह योजना पूरी वाइंड-अप होकर फाइल ही दफ्तर-दाखिल हो चुकी है। ऐसी स्थिति में हम किसानों की बात करते हैं, किसानों के बारे में चिन्ता करते हैं, मैं समझता हूं कि इस तरह की योजनाओं को दफ्तर-दाखिल कर दिया जाता है तो यह बहुत चिन्ता का विषय है। किसानों के हितों के लिये और खास तौर से किसान भी वह किसान जो अनुसूचित जन जाति के लोग हैं, अब उनके प्रति भी सरकार को उदारता दिखानी चाहिए और उस गुणावता बांध की योजना एक साथ नहीं तो पेजेज में तैयार करके जो पहाड़ से मिट्टी बहकर खेतों में आती है, उसको रोकने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

सभापति महोदया, मेरा दूसरा निवेदन यह है कि जल-महल से पानी निरन्तर चलता रहता है और यह जल महल का पानी किसानों के खेतों में उपयोग लेने के पश्चात् नदी में जला जाता है इसलिये इस पानी का कोई उपयोग नहीं होता। जल महल से कूकस बांध की नहर जिसके बारे में मैंने कई बार आग्रह किया है, अधिकारियों को मैंने सर्वेक्षण के लिये भी साथ ले जाकर दिखवाया। आज तक उसकी कोई योजना नहीं बनी। यदि जल महल से कूकस बांध की नहर को मिला दिया जाता है तो काफी बड़ा भूभाग हमारे क्षेत्र का सिंचित

(श्री गोपीराम जाट)

हो सकता है। हमारे वहां के किसानों के कुएं का जल स्तर ऊपर आ सकता है। ऐसी स्थिति के अन्दर उस नहर का बनाया जाना अति आवश्यक है। मेरा सिंचाई मंत्रीजी से आग्रह है कि उसमें कोई ज्यादा लागत का विषय नहीं है, जयपुर शहर के नजदीक का एरिया है, जयपुर शहर के अन्दर सब्जी, दूध, यही एरिया, आमेर, चौमूं, सांभर और सांगानेर का जो एरिया है, जयपुर में सप्लाई करता है। ऐसे एरिये में सिंचाई के लिये निश्चित रूप से कोई उपाय किये जाने चाहिए जिसकी बहुत बड़ी आवश्यकता महसूस की जा रही है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर एक भावसागर बांध है। वह भावसागर बांध जिसका पानी कूकस में आता है और कूकस से आगे उसकी सिंचाई होती है और हमारे जो एक राष्ट्रीय उद्यान है, जो नाहरगढ़ अभ्यारण्य के नाम से बन रहा है, उसके अन्दर भी जो पानी आएगा वह भाव-सागर से ही आता है। लेकिन वहां पर भाव सागर बांध के ऊपर एप्रोच-रोड के लिये टेंडर भी हो गये। कई बार मैंने उस सड़क को बनाने के लिये कहा, क्योंकि आमेर आने के लिये, हमारे उसके आस-पास के अठेपुरा पंचायत, बिशनगढ भाटयां, ऐसे वहां के लोगों को आने के लिये एक सीधा रास्ता उधर से है और उसकी एप्रोच रोड यदि बना दी जाती है तो वहां के किसानों को आने में काफी फायदा महसूस होगा और काफी लाभ होगा।

इसी के साथ-साथ बस्सी तहसील के अन्दर जो कानौता का बांध है, 1981 में मात्र दो करोड़ रुपये की योजना बनी थी और आज तक उसके ऊपर छह करोड़ रुपये खर्च हो गये लेकिन उसमें एक बूंद पानी वहां पर रुक जाए इस तरह की व्यवस्था नहीं हुई और मुझे लगता है कि यह कब जाकर के यह बांध पूरा होगा और इसका इतना शिथिलता के साथ कार्य चल रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? इस बांध को जल्दी से जल्दी पूरा कराया जाए, ऐसा मेरा निवेदन करना है।

इसी के साथ खारली का बांध चाकसू में है। खारली के बांध का निर्माण हो चुका है। निर्माण होने के बाद में जो खेत डूब में वहां के किसानों के आये हैं, उन किसानों को बसाने की आज तक कोई योजना नहीं बनायी। माननीय सभापति महोदया, आप जानती हैं कि किसान कृषि पर निर्भर है। यदि उसके खेत में अनाज होगा तो उसका परिवार पलेगा, उसका परिवार शिक्षित होगा और यदि उसके खेत के अन्दर किसी तरह यदि खेती नहीं हो पायी तो उन किसानों की हालत क्या होगी? उनको मुआवजा नहीं दिया गया और कहीं बसाने की योजना नहीं बनायी गयी तो मेरा मंत्री महोदय से आग्रह है कि इस तरह के चिन्ताजनक विषय पर ध्यान देकर के उनको कहीं-न-कहीं बसाने की योजना बनायी जानी चाहिए।

इसी के साथ मेरा एक निवेदन और है कि इसी बस्सी तहसील में डूबला बांध है और डूबला बांध के एरिये के अन्दर हजारों हरे पेड़ हैं। हरे पेड़ों की कटाई वहां के कर्मचारियों और अधिकारियों ने मिलकर की। गांव के

(श्री गोपीराम जाट)

लोगों ने शिकायत की। गांव के लोग..... (व्यवधान) डूबली है और उसके अन्दर शिकायत करने के बाद में एफ.आई.आर. दर्ज हुई लेकिन वह सारा प्रकरण दबा दिया गया तो एक तरफ तो सरकार और पूरा देश पर्यावरण के लिये चिन्तित है और दूसरी तरफ इस तरह की जो अन्धाधुंध कटाई होती है, इसके ऊपर किसी तरह की कार्यवाही नहीं की जाती है तो इसके ऊपर निश्चित रूप से कोई-न-कोई कार्यवाही की जानी चाहिए। मेरा इतना ही निवेदन है। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री भरतसिंहजी।

श्री भरतसिंह (खानपुर) : सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा मगर उससे पूर्व में आपसे भी अनुरोध करूंगा कि घंटी बजाने का अधिकार आपको है, कृपा करके बिजली गुल हो, उस प्रकार घंटी नहीं बजाएं। आप मेरे पाइंट खतम हो जाए, आप घंटी बजाएं, आपकी आज्ञा का पालन होगा, यह मेरा आपसे विनम्र निवेदन है।

श्री सभापति : ऐसा आरोप तो मुझ पर लगा नहीं कभी, अब आप लगा दो तो.....

श्री भरतसिंह : नहीं, आरोप नहीं लगा रहा, निवेदन कर रहा हूं मैं। माननीय सभापति महोदया, सिंचाई मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यह दसवीं विधान सभा का पांचवा बजट है और हर बजट में ..... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री भरतसिंह : प्रथम पृष्ठ पर एक बात का उल्लेख होता है, और वह किस चीज का उल्लेख होता है, अर्थव्यवस्था में पिछड़ेपन के कारणों का जब उल्लेख होता है तो एक बात कही जाती है कि 61 प्रतिशत राजस्थान में रेगिस्तान है। और दूसरी बात जो कही जाती है कि जो राष्ट्र में टोटल सरफेस वाटर अवेलेबल है, उसका केवल मात्र एक परसेंट राजस्थान के हिस्से में है। यह हमें बिरासत में मिला है। इस प्रदेश को एक परसेंट टोटल सरफेस वाटर मिला है। पर उस एक परसेंट सरफेस वाटर का प्रदेश में यूटिलाइजेशन क्या है? हमारे पास वन थाउजेंड वन हंड्रेड एण्ड टेन टी.एम.सी. सरफेस वाटर अवेलेबल है और इस अवेलेबल सरफेस वाटर का 59 परसेंट सरफेस वाटर हम यूटिलाइज कर रहे हैं। मैं आपका जो ध्यान दिलाना चाहता हूं सिंचाई मंत्रीजी, वह है जो बैलेंस 41 परसेंट सरफेस वाटर है, जिसका यूटिलाइज नहीं हो रहा है, उस पर विशेष रूप से ध्यान दिलाना चाहता हूं और क्यों? क्योंकि इस प्रदेश में 75 परसेंट आदमी कृषि पर जीवित है। कृषि पानी पर जीवित है। जिस खेत में पानी है, उपज है। जिस खेत में पानी नहीं है, वह काश्तकार जिन्दा नहीं रह सकता तो सरफेस वाटर नहीं मिलेगा तो काश्तकार अपनी जिस जमीन पर बैठा है, उस जमीन के अन्दर से पानी निकालेगा और जमीन से पानी निकालने का उसका अधिकार है। अपने परिवार का पालने का उसको अधिकार है, उसके परिणाम क्या हो रहे हैं? अखबारों में क्या खबर छपती है?

(श्री भरतसिंह)

अखबारों में खबरें छपती हैं अव्यवस्थित दोहन से भूमिगत जल भंडारण सीमित, समाप्त होने के कगार पर। और यह कोई धमकियां नहीं हैं, जो काश्तकार है, वह देख रहा है, उसके खेतों में जल स्तर गिरता जा रहा है दूसरी तरफ जो सरफेस वाटर है, जो अवेलेबल सरफेस वाटर है, 41 प्रतिशत सरफेस वाटर अवेलेबल है, उसके यूटिलाइजेशन के बारे में गत वर्ष मुख्यमंत्रीजी की एक बैठक हुई थी। उन्होंने राज्य जल संसाधन परिषद् की बैठक में यह उल्लेख किया था कि जो हमारे पास सरफेस वाटर अवेलेबल है, उसको हमें यूटिलाइज करना चाहिए और मुख्य मंत्रीजी ने नदियों के पानी को रोकने की बात कही है। इसी बात के सन्दर्भ में झालावाड़ जिले की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। राजस्थान में जो अवेलेबल सरफेस वाटर है उसका आप 59 परसेंट यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। झालावाड़ जिला राजस्थान का वह जिला है जिसमें 10 नदियां बहती हैं, पेरेनियल रिवर्स, और उन नदियों का पूरा पानी बरसात में बहकर चला जाता है। सबसे अधिक वर्षा राजस्थान में अगर कहीं होती है तो झालावाड़ में होती है। आल मोस्ट वन थाउजेंड एम.एम. बारिश वहां पर होती है और उसका उपयोग कितना हो रहा है? 58 एम.सी.एफ.टी. का उपयोग झालावाड़ जिले में 9 प्रतिशत, जहां हम 59 प्रतिशत अवेलेबल सरफेस वाटर का यूटिलाइज कर रहे हैं, झालावाड़ में जो अवेलेबल वाटर है, उसमें जो योजनाएं चल रही हैं आपकी और जो पाइप लाइन में हैं, उनको भी हम मान लें, उसको जोड़ने के बाद टोटल यूटिलाइजेशन आफ सरफेस वाटर 9 प्रतिशत से अलग नहीं है, ज्यादा नहीं है। आपका पूरा पानी नदियों में बहकर जा रहा है और नतीजा क्या हो रहा है? बारिश अधिक है, बरसात में पानी गिरता है, जमीन के ऊपर से पूरी मिट्टी कटकर जा रही है। सोइल इरोजन हो रहा है। जमीन की पैदावार कम हो रही है। एक तरफ जमीन की पैदावार कम हो रही है और काश्तकारों के पास पानी नहीं है।

झालावाड़ में दो तहसीलें हैं उनमें डार्क जोन है। पीने का पानी नहीं है। इर्रिगेशन के लिये पानी नहीं है, पीने के लिये पानी नहीं है और झालावाड़ जिले में जहां सरफेस वाटर अथाह अवेलेबल है, उसमें पेयजल संकट हो रहा है और पीने का पानी नदियों में से रोककर उस पानी का उपयोग किया जा सकता है। पूरा पानी जमीन के अन्दर से निकल रहा है और उस व्यवस्था को हम और नीचे बिठा रहे हैं। आपकी विभाग की जो स्कीम्स हैं, 1995 के अन्दर एक डिस्ट्रिक्ट पोवर्टी इरेडिकेशन प्रोजेक्ट झालावाड़ के लिये तैयार किया गया था गरीबी उन्मूलन के लिये, उसमें जो कुछ बातें लिखी हैं, उनको मैं आपके सामने पढ़कर सुनाऊंगा। मैं कह रहा हूं कि आपके सिंचाई विभाग के अधिकारी और प्लानिंग के जो अधिकारी हैं, उन्होंने गवर्नमेंट के सामने जो बातें रखी हैं, और क्या बातें हैं वह: —

(श्री भरतसिंह)

District Poverty Evadication Project - Jhalawar

"The Jhalawar strategy will concentrate on harvesting the available surplus water, which otherwise runs off, for irrigation and drinking purposes. The rural poor dependence on water is extreme and efficient utilization of available water will undoubtedly have a sustainable impact on their survival base."

गरीबी उन्मूलन की जो रिपोर्ट है उसमें उस बात को उल्लेख किया गया है कि आपका जो सरफेश वाटर है, उसको यूटिलाइज करने से ही इस जिले का भला हो सकता है, गरीबी मिट सकती है।

"For execution of irrigation....."

सिंचाई विभाग ने उसमें अपनी तरफ से जो बात कही है, जो आपके विभाग ने कही है और आपको सुझाव दिया है उस झालावाड़ के पानी के यूटिलाइजेशन के वास्ते, 1995 की रिपोर्ट है जिस पर अमल नहीं किया गया है और जिसके ऊपर मैं आपका ध्यान दिलाऊंगाः —

"For execution of irrigation programmes, additional staff is re-quired in the existing sub-division. It is proposed to create a new division with four Sub-division to look after the survey, investigation, preparation of final cost estimates and construction work in three panchayat samities for the first year. Thereafter two divisions with 8 sub-divisions will be required for three years. In the last year, one additional division with four sub-divisions will be required. The present division is to look after the work of three other panchayat samities. The expenditure on one division and four sub-divisions for two years and two divisions and eight sub-divisions is Rs. 330.19 lakhs."

यह आपकी आवश्यकता है झालावाड़ के अन्दर जो आपके पास स्कीम्स तैयार हैं, विभाग ने जो आपके पास सामान ऊपर रख रखा है कि यहां पर हण्ड्रेड एण्ड फोर्टी वन माइनर इर्रिगेशन की एक-आध स्कीम नहीं है Hundred & Forty-one minor irrigation schemes. और राजस्थान में जो आपने बजट अलॉट किया है, कितना पैसा, not more than 65 crores. 24 स्कीम्स, एक झालावाड़ जिला है, उसमें वह होनी चाहिए या तो आप उसका 1 प्रतिशत उल्लेख नहीं करें पांच साल तक, लगातार, यह नहीं

(श्री भरतसिंह)

कहें कि कुदरत ने हमको पानी नहीं दिया है। जो पानी दिया है वह बहकर जा रहा है। उस इलाके का, उस क्षेत्र का आदमी उस पानी का उपयोग नहीं कर पा रहा है।

माननीय मंत्री महोदय, आपसे मेरा निवेदन है कि आपके यहां पर अभी 3 मेजर्स स्कीम्स हैं, 10 मीडियम स्कीम्स हैं और 141 माइनर इर्रिगेशन स्कीम्स हैं झालावाड़ में। जो मेजर स्कीम्स हैं उनकी विडम्बना यह है कि इनका कैचमैंट एरिया सब स्कीम्स का मिलाकर लगभग आठ हजार एकड़ होगा। समूचा मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से आपको कैचमैंट एरिया की बात करनी पड़ेगी। यह आपके अधिकारी स्तर पर नहीं होगा। उसके लिये आवश्यकता है कि चीफ मिनिस्टर स्वयं मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर स्तर पर वार्ता करें तब जाकर कहीं उसकी प्रगति होगी। मेजर स्कीम्स को तो आप अपने चीफ मिनिस्टर स्तर पर बात करें, वह लम्बा प्रोसीजर है क्योंकि उसमें लोगों को हटाना पड़ेगा और उसमें काफी समय लग जाएगा। मगर जो आपकी माइनर स्कीम्स हैं, जो मीडियम स्कीम्स हैं उन पर जो आप प्राथमिकता के आधार पर काम लें और इसके लिये सिंचाई मंत्रीजी, मेरा आपसे अनुरोध है कि साढ़े चार महीने में आप बांध तो नहीं बनवा सकते मगर जो व्यवस्था आप कर सकते हैं, क्योंकि आपकी नीयत है काम करने की, वहां झालावाड़ में आप सर्वे के लिये चीफ इंजीनियर की पोस्ट कायम करिये और वह सब पोस्टें दीजिए, जो आपके अधिकारियों ने, जो रिपोर्ट मैंने पहले रखी थी, ताकि उससे यह 141 स्कीम्स माइनर इर्रिगेशन की, प्राथमिकता के आधार पर उन पर सर्वे हो सकेगा और इसको आप प्राथमिकता दे सकेंगे।

इसके अलावा माननीय सिंचाई मंत्रीजी, मैं कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स पर आपका ध्यान दिलाऊंगा.....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : मैं अब आपको चेतावनी दूंगी।

श्री भरतसिंह : अब मैं आपका ध्यान कुछ उन डेम्स के बारे में दिलाऊंगा जिन पर आप बहुत कम राशि के अन्दर क्षेत्र के लोगों को लाभ दे सकते हैं। हरिश्चन्द्र सागर है झालावाड़ के अन्दर, जिसकी जो ओरिजनल डिजाइन थी, उसमें 31085 एकड़ सिंचाई हो रही थी। यह बांध 1956 में बना था। आज इससे आधी सिंचाई हो रही है और काली सिंध नदी 175 किलोमीटर झालावाड़ में से होकर कोटा में बह रही है। 358 किलोमीटर, जो दस नदियां हैं, उनकी पूरी लम्बाई 358 किलोमीटर झालावाड़ जिले में बहकर जा रही हैं। इस हरिश्चन्द्र सागर पर आप 25 किलोमीटर पहले डैम बनाने का प्रपोजल है, उसको आप लें। भीम सागर आपका एक बांध है झालावाड़ में, जिससे सिंचाई हो रही है। उसमें आपको कुछ नहीं करना है। दो फीट ऊंचे आपके प्रपोजल हैं, दो फीट उसको ऊंचा करिये, दो फीट ऊंचा करेंगे तो इससे

(श्री भरतसिंह)

अतिरिक्त सिंचाई होगी। इसके साथ ही परवन लिफ्ट प्रोजेक्ट है जिसे 1997-98 में कम्पलीट होना चाहिए था। वह प्रपोजल कम्पलीट इसलिये नहीं हो रहा है, उस पर एक एनीकट का निर्माण, जिसका 1995 में 80 परसेंट कम्पलीट हो गया है, उस एनीकट को अधूरा छोड़ रखा है सिंचाई विभाग ने, और मुझे खुशी है कि सार्वजनिक निर्माण मंत्री यहां पर बिराजमान हैं, वह एनीकट जो परवन लिफ्ट है, 1995 के अन्दर उसका 80 परसेंट काम पूरा हो गया और बाकी जो काम बचा हुआ है वह इसलिये बचा है कि स्टेट हाइवे पर जो पुल बनना है, उसके लिये जो आपने एस्टीमेट तैयार करवाए हैं, उसको आप और सिंचाई मंत्रीजी, यह बजट के आखिरी प्रोविजन में है, आपने एक बहुत बड़ा काम किया है कि काली सिंध का पुल बना दिया। आप बारां और झालावाड़ जिले के अन्दर उस पुल को बनवाएं ताकि आपका पुल भी बनेगा और पुल के बनने के बाद ही सिंचाई विभाग उस एनीकट को पूरा कर सकता है, क्योंकि उसको पहले बना देंगे तो वह काज वे है, वह डूब जाएगा। इसलिये काम रुका हुआ है। आपने मुझे समय दिया। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री अमरचन्द जी मिड्ढा।

श्री अमरचन्द मिड्ढा (सूरतगढ़) : सभापति महोदया, आज सदन में सिंचाई–46 मांग पर बहस हो रही है, इसमें मैं अपने आपको शामिल करता हुआ कई प्रश्न मंत्री महोदय के सामने रखूंगा। प्रथम चरण में पक्के खालों का भेदभाव बढ़ता जा रहा है पास में जो चक हैं, उन पर पक्के खालें बने हुये हैं, उनके पड़ोस में पक्के खालें नहीं बनाये गये क्योंकि कुछ में टीबें आ जाते हैं उस वजह से पानी कच्चे खालें में लग ही नहीं सकता।

(19.00 बजे)

इस वास्ते मंत्रीजी इसको जवाब में कहेंगे कि यह खाले बनने चाहिए।

दूसरे, 165 आर. डी. माइनर मैन कैनाल से अगर माइनर निकाल दी जाए तो अकाल राहत का काम बंद हो जाएगा, पी.एच.ई.डी. की समस्या भी हल हो जाएगी और लोगों के सिंचाई भी होगी। हर साल करोड़ों रुपये अकाल राहत में लगते हैं, करोड़ों रुपये पी.एच.ई.डी. खर्च करता है। 35 किलोमीटर दूर से पानी आता है क्योंकि लोग नाले काट देते हैं इस वास्ते पानी नहीं पहुंच पाता है और लोग गर्मी में त्राहि-त्राहि करते हैं। अगर यह तीन महकमे मिल कर एक साल का पैसा भी लगा दें तो यह माइनर निकल सकती है।

एक पी.पी.एम. माइनर हमारे 10 साल से बनी हुई है जो सिर्फ 10 घंटे चली है। अब इसका क्या कारण है, क्या नहीं है यह तो अधिकारीगण ही जानते हैं। बनी हुई है, जी.बी. नहर में डाला था उसमें सिर्फ 10 घंटे पानी चला था। अब पता नहीं किस वजह से रुक रहा है।

40 साल लो लेवल ब्रांच को हो गये आये हुये, गंग कैनाल को 70 साल हो गये। गंग कैनाल में कभी मोगे उल्टे-सीधे नहीं होते क्योंकि इन दोनों ब्रांचों के एक महीने के

(श्री अमरचन्द मिड्ढा)

अन्दर मोगे बदल देते हैं। मोगा चक के ऊपर रख देते हैं और कहते हैं कि ठीक है ऊपर से यह हुकुम आया है कि टेलों पर पानी पहुंचाना है, टेलों पर पानी क्या पहुंचाना है मोगा तो वहीं का वहीं रहना है। अब क्या बतायें, कुछ कहना ठीक भी नहीं है। इस वास्ते इसकी भी सरकार कोई व्यवस्था करे। उसके पचास-पचास हजार रुपये मांग लेते हैं और कहते हैं कि भाई, तुम्हारा मोगा ठीक कर देंगे, ठीक क्या करना है वहीं लगना है जहां लगना है। इस वास्ते सरकार या सिंचाई विभाग इसकी भी कोई व्यवस्था करे कि रोज जमींदार तंग नहीं हो, जहां भी लगाना है फिक्स कर दें ताकि इससे लोगों को कष्ट नहीं होवे और हर साल पांच-छह लाख रुपये एक चक को नहरी विभाग को देना नहीं पड़े।

घग्गर फ्लड 100 किलोमीटर मेरे विधान सभा क्षेत्र में आती है। पाकिस्तान ने इतना बांध बना रखा है कि जितनी जरूरत होती है उतना पानी ले लेता है बाकी का पानी हमारी फसलों का नुकसान करता है। पानी की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। दो हजार क्यूसेक्स पानी लो लेवल ब्रांच में डालने के लिये तीन साल पहले एक कमेटी बनी थी, जिसमें मंत्रीजी भी थे, सी.एम. साहब भी थे, शायद चतुर्वेदी साहब भी थे, मैं भी था, गुरजंट साहब भी थे, वो पास हुआ था। कहते हैं पास हो गया, काम हो रहा है, टेंडर हो रहे हैं। वह आज तक नहीं बना। पाकिस्तान को पानी जा रहा है और लो लेवल ब्रांच में पानी नहीं जा रहा है। इससे कोई फायदा नहीं है, नुकसान हो रहा है और इसकी विभाग कोई परवाह नहीं कर रहा है।

एक गवर्नमेंट ने कोई 6 बीघा की स्कीम बनायी कि जहां आगे पानी बहाव चलता है वहीं 6 बीघा कोई बांध नहीं बांध सकेगा। आज लड़ाइयां हो रही हैं, कत्ल हो रहे हैं। अफसरों ने रेस्ट हाउस में बैठ कर स्कीम बना दी, इन्होंने कोई पहले की नहीं देखी कि कहां से नाली चलती थी जहां मर्जी आये जहां लीक खींच दी और आज लड़ाइयां हो रही हैं, रोज मुकदमेबाजी हो रही है और वहां पुलिस बैठी है, ए.डी.एम. बैठा है, एक्सई.एन. बैठा है। यह इनके हालात हैं।

दो-तीन बार में जैसलमेर गया, वहां लोग डूब रहे हैं पानी में क्योंकि इनके कोई एस्केप रखा होता है, क्या रखा होता है, उसमें पानी छोड़ रखा है और पीछे जमींदार पानी को तरस रहे हैं। इंदिरा गांधी नहर के अन्दर वहां पानी इकट्ठा हो रहा है। एक दिन मैं और श्री गुरजंट सिंहजी वहां गये हुये थे, काश्तकार भाग कर आये कि हमारा गांव डूब रहा है तो इन्होंने कोई नहर बंद करवायी, वो एस्केप बंद करवायी। कह रहे थे हम तो डूब जाएंगें यह व्यवस्था है।

सभापति महोदया, पी.एचईडी. को, अकाल राहत को और सिंचाई मंत्री को बैठ कर इस विषय में कोई न कोई हल निकालना चाहिये ताकि इसमें कोई लोगों को फायदा हो सके और गवर्नमेंट का एक साल का जो पैसा

(श्री अमरचन्द मिड्ढा)

है, मैं पहले भी कह चुका हूं, यह लग जाए। आपने समय दिया इसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री आर.पी.शर्मा–(अनुपस्थित)। श्री हरिसिंह (कुम्हेर)।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : सभापति महोदया, मैं आपको धन्यवाद के साथ अपनी बात प्रारम्भ करना चाहता हूं। बहुत ही प्रमुख जीवन के तत्व पानी पर आज यह मांग है और एक शास्वत सत्य है, बिहारी के शब्दों में—"रहिमन पानी राखिये बिन पानी सब सून। पानी गये न उबरे मोती मानस चून॥"

माननीय इर्रिगेशन मंत्री महोदय यह जानते हैं कि राजस्थान का क्षेत्रफल तो जैसा मेरे पूर्व वक्ता बता रहे थे, भारत के क्षेत्रफल के 11 प्रतिशत है और पानी केवल 1.16 प्रतिशत है। पानी को हम मिलियन एकड़ फीट में नापें तो राजस्थान में जो सतही पानी है वह है 15.8 मिलियन एकड़ फीट और जैसा मेरे पूर्व वक्ता बता रहे थे, उसका उपयोग होता है आपका 59 प्रतिशत। इसका मतलब यह हुआ कि 6.4 मिलियन एकड़ फीट पानी आप और यूज कर सकते हैं। इसको मैं और विस्तार से आपको समझाऊं तो यमुना के वाटर का समझौता 1.119 बी.सी.एम. का हुआ है, उसका सात गुना पानी अभी तक आप यूज नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा अन्तरराज्यीय जो हमारे पानी के समझौते हैं उनसे हम को 13.4 मिलियन एकड़ फीट पानी उपलब्ध होता है। अब मैं यहां यह निवेदन करना चाहता हूं कि पानी के सदुपयोग के लिये तीन बातें जरूरी हैं। एक तो जो आपके पास में पानी उपलब्ध है राजस्थान की सीमाओं में, उसका उपयोग करें। दूसरा, जो अन्तरराज्यीय पानी हम को 13.4 मिलियन एकड़ फीट मिलना है उसको पूरा ले लें। तीसरा, जितना पानी उपलब्ध है उसका सही उपयोग करें। यहां मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि इजराइल की हम से जो पानी की अवेलेबिलिटी है वह 1/6 है लेकिन पैदावार हम से 6 गुना ज्यादा हुई है। कारण यह है कि वे पानी की एक बूंद भी वेस्ट नहीं करते हैं। एक-एक बूंद पानी का सदुपयोग वो करते हैं।

इसी प्रकार से मैं कहना चाहता हूं कि आप किसानों को पानी दीजिये, जितना अवेलेबल है उतना नहीं पर जितनी उसको आवश्यकता है उतना पानी आप दें और जितना पानी वो लेता है उसका मेजरमैंट भी आप कर सकते हैं। उसको आप इस ढंग से पानी दे सकते हैं कि आप नहरों के अन्दर वाल्व फिट कर सकते हैं और जितना पानी चलेगा उतने पानी के बाद वाल्व बंद हो जाएगा।

यह तो मैंने आपको संक्षेप में बात कही, अब मैं आपको ले जाना चाहता हूं अन्तरराज्यीय पानी के जो समझौते हैं, उसके हिसाब से। मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यमुना जल का समझौता हुआ और आपने उस बात का क्रेडिट भी लेना चाहा कि भारतीय जनता पार्टी ने, भैरोंसिंहजी

(श्री हरिसिंह)

ने राजस्थान के लिये एक बड़ी उपलब्धि पैदा की है कि यमुना जल समझौता हुआ। यह केवल मिथ के अलावा कुछ नहीं है, केवल भ्रम के अलावा कुछ नहीं है, केवल झलावे के अलावा कुछ नहीं है। यमुना के पानी का समझौता तो, पानी का हिस्सा तो 1960 के अन्दर जबकि सेंटर वाटर कमीशन बोर्ड की मीटिंग लाइब्रेरी होल में हुई थी, उस समय ही यह तय हो गया था और उस समय ही तय हो गया था कि भरतपुर जिले के लिये 500 क्यूसेक्स पानी गुडगांवा नहर के लिये और 300 क्यूसेक्स पानी भरतपुर फीडर के लिये मिलेगा। तब से मिलता चला आ रहा था। आपने यह जो समझौता किया उसमें वो ही दोष रहे जिनकी वजह से भैरोंसिंहजी ने हमारे तत्कालीन गवर्नर, रेड्डीजी को मना कर दिया था कि इस पर आप दस्तखत नहीं करिये, चुनी हुई सरकार जब आएगी तब इस पर दस्तखत किये जाएंगे। उसमें क्या दोष था? जो 12-5-94 को समझौता हुआ और जो रेड्डीजी के सामने समझौता होने जा रहा था उसमें दो दोष थे। एक तो यह कि जो और स्टेट्स हैं वो पानी के नॉन-कंजरवेटिव रूल्स के सम्बन्ध में उसमें कोई बात लिखी हुई नहीं है। बगैर उपयोग के पानी का उपभोग आप नहीं करें और दूसरा, बिजली के सम्बन्ध में क्या बात है, तीसरा, एडिशनल वाटर जो होगा उसके बारे में क्या समझौता होगा? अब मैं आपको यहां निवेदन करना चाह रहा हूं कि जो समझौता आपका हुआ वह हुआ लेकिन समझौते के बाद में जो हमारे अपर यमुना रिवर बोर्ड का गठन हुआ। उस गठन के अन्तर्गत, 5-12-94 को समझौता हुआ और समझौते के बाद फिर जब गठन हुआ उसमें उस गठन के जो नोटिफेकशन हैं उसमें हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री महोदय ने यह एड कर दिया अपनी तरफ से कि स्टेट्स के अन्दर यहां होकर नदी का पानी आएगा। वह उस पानी के नॉन कंजरवेटिव यूज को ले सकेंगे जिससे कि हमको बहुत ज्यादा डर था और उसका आपने फिर विरोध भी किया और बिरोध नहीं माना गया तब आपने सुप्रीम कोर्ट में भी प्रार्थना पत्र पेश किया। जो सिन्हा साहब की रिट चल रही थी उसमें आपने पार्टी बनने के लिये भी दरख्वास्त पेश की थी। अब मैं आज सिंचाई मंत्री महोदय आपसे जानना चाहता हूं कि उस सुप्रीम कोर्ट में जो रिट हुई थी उसका क्या नतीजा आया। आज क्या हो रहा है उसके अन्दर? जो पानी का नॉन कंजरवेटिव यूज हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री महोदय ने उसमें लेने का अधिकार अपना ले लिया उसका क्या किया आपने? उसके बाद ठीक है जो कुछ भी आप कर सकें या नहीं कर सकें उसके ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करते हुये, क्योंकि पहले मंत्री महोदय ने नहीं किया लेकिन अब आप एक सजग मंत्री हैं आप इस पर कुछ ध्यान देंगे। लेकिन अब जितना पानी हमको मिलना चाहिए यमुना का उसको आप ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? हमारा 1.119 क्यूसेक्स पानी मिलने का हिस्सा है। वह जुलाई-अक्टूबर में हमको मिलना चाहिए।

(श्री हरिसिंह)

0.963 पी.सी.एम. और नवम्बर से फरवरी में मिलना चाहिए 0870 पी.सी.एम.। और मार्च से जून में मिलना चाहिए हमको 0.086 पी.सी.एम. अब यह पानी लेने के लिये क्या आपके पास में आपने इतने समय के अन्दर आज चार साल हो जबकि हमको बरसात में पानी की अवेलेबिलिटी है और पानी के लिये तो आप कह सकते हैं कि ओखला के अन्दर बैराज नहीं बनाये इसलिये पानी नहीं मिलेगा हमें। लेकिन जुलाई से अक्टूबर महीने के अन्दर जो पानी की अवेलेबिलिटी है और कितना पानी हमको मिल सकता है वह मिल सकता है 22-9-94 के एग्रीमैंट के हिसाब से 3080 क्यूसेक्स। और 3080 क्यूसेक्स लेने के लिये आपने चार साल में एक क्यूसेक्स पानी अधिक लेने के लिये क्षमता नहीं बढ़ायी। यह आप राजस्थान के लिये क्षमता बढ़ाकर अच्छा नहीं कर रहे। मैं बहुत ही नम्र निवेदन करना चाहता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : समय की सीमा है मेरे सामने। आप पूरा करें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : भरतपुर जिले से अकेले बोल रहे हैं।

श्री सभापति : यह कोई जिले से बंटवारा तो हुआ नहीं। आप पूरा कर लें।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : सभापति महोदया, बहुत जल्दी बोलूंगा स्पीड से। 3080 क्यूसेक्स पानी की हमारी इस समय जो क्षमता है। केवल 840 क्यूसेक्स पानी लेने की है। 500 आप गुडगांवा कैनाल के अन्दर ले सकते हैं, 300 आपकी क्षमता है भरतपुर फीडर में लेने की और 40 आपकी क्षमता है डीग स्केप में लेने की। 840 क्यूसेक्स पानी लेने की क्षमता है आपकी और 3080 क्यूसेक्स ले सकते हैं आप। 2440 क्यूसेक्स अलवर को मिल सकता है, भरतपुर को मिल सकता है और कई जगह मिल सकता है। इस पानी को लेने के लिये आपने इस पीरियड के अन्दर कोई काम नहीं किया है इसलिये आप कृपा करके इस सम्बन्ध में आगे बढ़ेंगे और गुडगांवा भरतपुर फीडर की क्षमता है 500 क्यूसेक्स की क्षमता के अंगेस्ट में हम केवल 300 क्यूसेक्स पानी ले सकते हैं। भरतपुर फीडर की क्षमता 300 क्यूसेक्स की है उसमें हम 100 क्यूसेक्स पानी ले सकते हैं। क्यों? इसलिये ले सकते हैं कि इनकी कैपेसिटी जो है, वह सिल्ट अप हो चुकी है। मैं नहीं कह रहा हूं इस बात को। इंजीनियर्स साहिबान की जो जोइंट मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने यह कहा है कि इस बात को कैपेसिटी सिल्ट अप हो चुकी है गुडगांवा कैनाल की और भरतपुर फीडर की। ज्वाइंट इंस्पेक्शन में यह बात कही गयी है। 500 क्यूसेक्स पानी गुडगांवा के अन्दर आ सकता है। 1700 लेता है हरियाणा और 1500 लेते हैं हम। 2200 क्यूसेक्स की क्षमता के अंगेस्ट में इसमें केवल 400 क्यूसेक्स पानी आ सकता है। आप इस पर मुलाहजा करें और फिर चार के अन्दर आप क्षमता नहीं बढ़ा पा रहे हैं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यमुना के अन्दर जो पानी आ रहा है। वह

(श्री हरिसिंह)

इतना प्रदूषित आ रहा है कि आपके वैज्ञानिकों ने कहा है कि यमुना का पानी अब पीने योग्य नहीं रहा। इस सम्बन्ध में आपने क्या स्टेप्स लिये हैं? यह मैं जानना चाहता हूं।

इसके अलावा मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, श्रीमान् कि रूपारेल का पानी जो भरतपुर को मिलता है। भरतपुर अलवर स्टेट के बीच में जो वायदा हुआ था। आज नहीं बल्कि 1910 में हुआ था और 1910 में जो वायदा हुआ था हमारे और उनके बीच में वह कोई स्ट्रेस के अन्दर हो गया हो, ऐसी बात नहीं है। बल्कि यह मामला हमारा गया गवर्नमेंट आफ इण्डिया के सैक्रेटरी आफ स्टेट के पास में। इस बात के लिये यहां के एजेन्ट ने गवर्नर जनरल को भेजा और उसके साथ में मीटिंग हुई 1910 में और यह तय हुआ कि वन इज इक्वलटू 1 : 23 रेशों में अलवर और भरतपुर को पानी मिलेगा। अलवर वाले इस पानी को रोकना नहीं चाहते, क्योंकि उनको उस पानी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपने फ्लड वाटर को कन्ट्रोल करने के नाम से जो वैषकोष बनाया है। एक एजेंसी के लिये दिया है। उस वैपकोष एजेंसी ने यह जो रिपोर्ट पढ़ रहा हूं "इस योजना के अनुसार खरीफ के मौसम में बांधों में जल भराव से जो हानि होती है उसको नियंत्रित किया जाएगा एवं आवश्यकता होने पर सिंचाई के लिये जल उपलब्ध कराया जाएगा। इस कार्य के लिये बरसात के मौसम में बाहर के पानी को उपयुक्त स्थानों पर भण्डारण करने की योजना है और यह व्यवस्था होगी कि यशमत बांध को पूरा भरने के बाद अतिरिक्त पानी बाराबीयर से आता है तो उसे गेट के द्वारा सम्पूर्ण रूप से भरतपुर की तरफ मोड़ दिया जाएगा।"

माननीय सिंचाई मंत्री महोदय, यह बहुत ही इम्पोर्टेन्ट इश्यू है, अगर भरतपुर का पानी अलवर से यशमत बांध में रोक दिया गया तो भरतपुर के अन्दर राइट्स होगी। भरतपुर की जनता इस बात को टोलरेट नहीं कर पाएगी। यह वैषकोष ने दो स्टेट्स के बीच, अव्वल में तो हमारा राइपेरियन राइट है यह। अगर राइपेरियन राइट नहीं है तो आप भाखड़ा और सतलज का पानी कैसे ले सकते हैं? इस पर आप ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं हो कि वन इज इक्वल टू 1 : 23 रेशों में हमको जो पानी मिलता है रूपारेल का वह हमें नहीं मिला।

इसके अतिरिक्त मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि करौली के अन्दर अभी आपने पाचना बांध बनाया है। उसका पानी बयाना के अन्दर आता है। उस पानी के वैटर यूटिलाइजेशन के लिये आपने वहां पर एक एक्सईएन. का आफिस खोला है और उसको आपने अभी तक अस्थायी कर रखा है। ऐसा नहीं हो कि उस एक्सईएन. आफिस को आप समाप्त कर दें। अगर समाप्त हो जाएगा तो फिर जितने फ्लड्स का पानी आता है वह उसमें रह नहीं सकेगा।

तीसरी बात मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि भरतपुर फीडर के अन्दर जो

(श्री हरिसिंह)

पानी आता है उस पानी को कन्ट्रोल करने की जितनी जहां आवश्यकता है, उसको रेगुलेट करें आप। बीच में लोग पानी काट लेते हैं। यू.पी. वाले पानी काटते हैं और टेल एण्ड तक पानी नहीं पहुंच पाता है। इसलिये जितना पानी आता है आप उस पानी को टेल एण्ड तक पहुंचाने का प्रयास करें।

संक्षेप में मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि यमुना वाटर को प्रोपर लेने के लिये आपको भरतपुर के अन्दर एक चीफ इंजीनियर का आफिस खोलना चाहिए। ऐसा कहीं नहीं है कि जहां, कोटा के अन्दर राजेड़ा आया है, आपका गंगा वाटर आ रहा है या नर्मदा का पानी है और पानी अन्तरराज्यीय समझौते के हिसाब से जहां पानी का सवाल है, वहां आपने चीफ इंजीनियर आफिस खोले हैं। इस तरह एक महत्वपूर्ण पानी का समझौता.....

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : एक मिनट में समापन कर रहा हूं। मैं आपसे स्ट्रेस करके कहना चाहता हूं कि यमुना का पानी यूज करने के लिये जब तक आप भरतपुर में चीफ इंजीनियर का आफिस कायम नहीं करेंगे तब तक आप भरतपुर में या अलवर में पानी देने के लिये नहरों की जो क्षमता है वह बढ़ा नहीं पाएंगे।

अभी असेम्बली के अन्दर मुझे उत्तर दिया गया कि हमने इस पानी के मैटर को रैफर कर रखा है सेन्टर को। दो साल पहले आपने रैफर किया है। उसके बाद अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। तो कृपा करके इस पानी को लेने के लिये शीघ्र ही वहां चीफ इंजीनियर का दफ्तर कायम करके इसकी केपेसिटी आप बढ़ायें और साफ पानी आवे, इसके लिये भी आप प्रयास करें। धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री सभापति : श्री भवानी जोशी।

श्री भवानी जोशी (बांसवाड़ा) : माननीय सभापति महोदया, सिंचाई के बारे में सदन में चर्चा हो रही है उसमें मैं अपने आपको सम्मिलित करते हुये माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि बांसवाड़ा जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में माही परियोजना गुजरात एवं राजस्थान सरकार के सहयोग से निर्माणाधीन है। यह प्रदेश की प्रमुख जल विद्युत परियोजना है। यह परियोजना आदिवासियों के लिये आर्थिक रूप से पिछड़े हुये लोगों के लिये, उनका आर्थिक विकास हो, उसके लिये बनायी गयी थी। लेकिन आज जिस स्थिति में माही परियोजना है, बांसवाड़ा के लोगों का मानना है कि माही परियोजना जो बांसवाड़ा के लिये वरदान साबित होने वाली थी, आज एक अभिशाप के रूप में खड़ी हुई है। लोगों का उस समय वह सोच था कि माही परियोजना से हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, खेतों को पानी मिलेगा लेकिन आज जगह-जगह माही परियोजना की कैनालें टूट गयी हैं, पानी सीपेज हो रहा है और पानी के सीपेज होने की वजह से बांसवाड़ा की अधिकांश भूमि बिलकुल ऊसर होती जा रही

(श्री भवानी जोशी)

है। बार-बार वहां के अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है, कहा जाता है, वह कहते हैं हमारे पास बजट नहीं है हम इन कैनालों की कैसे मेंटिनेंस करें, इनकी रख-रखाव कैसे करें। आप राज्य सरकार से बात करें और हमें पूर्ण बजट दिलवाएं। मैंने उन्हें यह बताया कि जब आप एक तरफ यह कर रहे हो कि हम माही का पानी सागवाड़ा तक पहुंचा देंगे। जब बांसवाड़ा क्षेत्र के टेल पोर्शन तक पानी नहीं पहुंच पाता तो सागवाड़ा कैनाल के निर्माण की आवश्यकता ही क्या है? जब आप सम्पूर्ण रूप से बांसवाड़ा के लोगों को पानी पहुंचा देवें उसके बाद अगर सागवाड़ा कैनाल का निर्माण आपने किया होता तो उसका कोई औचित्य भी होता। आज बांसवाड़ा की जमीन और वहां की नहरों में कोई सामंजस्य नहीं है। पानी पहुंच नहीं पाता। वह कहते हैं कि हैड के लोग जबर्दस्ती पानी ले लेते हैं, हम उसका क्या कर सकते हैं। अधिकांश रात के समय देखा जाता है कि कैनालों का पानी नदियों और नालों में बहता रहता है और बांसवाड़ा का अधिकांश पानी व्यर्थ बह रहा है। काश्तकारों को उसका पूर्ण लाभ जो मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पाता है।

इसी तरह आनन्दपुरी कैनाल, वर्षों से उसका निर्माण हो रहा लेकिन आज तक आनंदपुरी में आदिवासियों को पर्याप्त पानी नहीं पहुंचता है। इस परियोजना का अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में निश्चित उस क्षेत्र का विकास बिलकुल अवरुद्ध हो जाएगा। बार-बार बजट की बात होती है। राज्य सरकार बजट देती है। अबकी बार राज्य सरकार ने चालीस करोड़ रुपये का बजट दिया है।

चालीस करोड़ में बीस करोड़ रुपया माही के अधिकारियों के वेतन में खर्च हो जाता है, दस करोड़ रुपया मेंटिनेंस में खर्च हो जाता है और दस करोड़ में क्या काम उस परियोजना के होंगे जो अरबों और खरबों रुपये की परियोजना है। जहां दो-दो विद्युत गृह चल रहे हैं। जिन दोनों विद्युत गृहों की वजह से पूरा डेम का पैसा अपना निकालकर उसने राज्य सरकार को दे दिया। आज माही के ऊपर किसी प्रकार का कोई कर्जा नहीं है या यह नहीं कह सकते कि माही डेम बनने के बाद इस परियोजना का कोई पैसा राज्य सरकार को नहीं मिला। इतना पैसा मिलने के बाद जनजाति क्षेत्र में जिस तरह माही के पानी का उपयोग होना चाहिए था, वह उपयोग नहीं हो पाता।

इसी तरह बांसवाड़ा में अभी एनीकटों का निर्माण हुआ। कई जगह छोटे-छोटे एनीकट बनाकर यह प्रयास किया गया कि इन एनीकटों के माध्यम से इस क्षेत्र के लोगों को अधिक सुविधा उपलब्ध होगी, पर्याप्त रूप में पानी मिलेगा लेकिन, माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपके विभाग ने एनीकट बनाये हैं और करोड़ों रुपया खर्च किया है, आप इस विधान सभा सत्र के स्थगित होने के पश्चात् बांसवाड़ा पधारें। मैं उन एनीकटों को आपको

(श्री भवानी जोशी)

ले जाकर दिखाऊंगा, उनमें एक लौटा पानी भी नहीं रहता है। करोड़ों रुपया खर्च कर दिया बांसवाड़ा में। जनजाति क्षेत्र के लोगों का उत्थान करेंगे, यह हमारी सरकार भी कहती है कि हम उस क्षेत्र के लोगों का उत्थान करेंगे। मैं माननीय मंत्री जी से और अधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि ऐसे एनीकटों का निर्माण आपने कराया जिनमें एक लोटा पानी नहीं रुकता फिर उस क्षेत्र के जनजाति के लोगों का कैसे आप विकास करेंगे? एक तरफ सद्गुरु फाउन्डेशन वाले वहां एनीकट बनाते हैं। मैं माननीय मंत्रीजी आपको और आपके अधिकारियों को वहां ले जाऊंगा। एक तो वह एनीकट किस तरीके का बना, उस नदी में दो-दो, तीन-तीन किलोमीटर तक पानी चलता रहता है और भरा हुआ रहता है। गर्मी के समय में। यहां तो स्थिति यह है कि बारिश के समय एक लोटा पानी नहीं रुकता और एनीकटों के निर्माण पर करोड़ों रुपया खर्चा कर रहे हैं। तो कम से कम व्यर्थ में पैसा नहीं खर्च करके माही प्रोजेक्ट पर उसकी कैनालों की रख-रखाव और उसके मेंटीनेंस में पैसा खर्च करें। पक्की नहरों का निर्माण कराएंगे तो निश्चित ही बांसवाड़ा के जनजाति क्षेत्र के लोगों को उसका लाभ मिलेगा।

मैं माननीय मंत्री जी ये यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि बांसवाड़ा में घाटोल विधान सभा क्षेत्र में बोरी बांध घाटी तालाब पिछले दो वर्ष पूर्व स्वीकृत हुआ था और साढ़े तीन करोड़ रुपया उसका मंजूर भी हो गया था लेकिन उस तालाब के निर्माण का कार्य आज तक नहीं हुआ। उसी तरह पेवर तालाब जो दानपुर क्षेत्र में है उसके भी बाइस लाख रुपये स्वीकृत हुये थे, वह भी काम नहीं हुआ। दानपुर के आसपास जो भी आदिवासी क्षेत्र हैं वहां के लोग पानी को देखते हैं और उनके लिये पानी सिर्फ देखने के लिये ही है लेकिन उनके खेतों में पहुंचने के लिये नहीं है। मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि लिफ्ट योजना द्वारा उस क्षेत्र के जनजाति क्षेत्र के लोगों को पानी देने का प्रयास करें। काश्तकार को पानी के अलावा कोई विकास कार्य नहीं चाहिए। न सड़कें चाहिए, न पक्की बिल्डिगें चाहिए लेकिन समय पर उनको अगर पानी हम पहुंचा देते हैं तो वह प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि हमको पानी मिल गया।

मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि आप आज भी अगर बांसवाड़ा में बात कर लें तो आपके हैडक्वार्टर पर एक भी एईएन. या जेईएन. रहने के लिये तैयार नहीं है। बांसवाड़ा के वह एईएन. या जेईएन. दो बजे चलते हैं, पांच बजे अपने घर वापस आ जाते हैं और उनका काम पूरा हो जाता है। उनको रात को गश्त करनी चाहिए, क्षेत्र में घूमना चाहिये। काश्तकार पानी का उपयोग कर रहा है या नहीं कर रहा है उनको दिशा-निर्देश देना चाहिए, क्योंकि बांसवाड़ा क्षेत्र के लोग कृषि के मामले में बिलकुल अज्ञानी हैं, जानते नहीं कृषि करना। पानी का कितना उपयोग करना चाहिए कितना उपयोग नहीं करना चाहिए उसके बारे में जानकारी

(श्री भवानी जोशी)

अगर अधिकारी देंगे तो आम जनता में उनका अच्छा सामंजस्य भी बैठेगा, उनसे सम्पर्क भी बढ़ेगा और काश्तकार भी खुश होंगे। मैं यही बात कहता हूं कि बांसवाड़ा के लिये अधिक से अधिक बजट मुहैया कराने का प्रयास किया जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति : डॉ. जितेन्द्र सिंह।

डॉ. जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी) : सभापति महोदया, आज सदन में सिंचाई पर बहस हो रही है। हिन्दुस्तान जो किसानों और गांवों का देश है, आज वही किसान पानी के कारण तरस उठा है। सबसे दयनीय स्थिति राजस्थान की है पानी के सम्बन्ध में। बहुत पहले जब यह वृहद् जल योजना बनायी गयी थी तो हालैण्ड पैटर्न के ऊपर हिन्दुस्तान की सभी नदियों को नहर द्वारा जोड़ने की योजना थी और जहां बाढ़ थी वहां का पानी राजस्थान की और डाइवर्ट करने की योजनाएं थीं। वह कार्यान्वित नहीं हो सकी, मैं नहीं जानता किस वजह से। योजनाएं थीं, मंत्री महोदय को उनके बारे में विशेष ध्यान है, उन बातों का।

महोदया, मैं आपका ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति अलग-अलग है, गंगानगर में अगर नहरें हैं तो सीकर और झुन्झुनूं के अन्दर, जिसने भारत की सेना को एक लाख सैनिक दिये हैं, सीकर और झुन्झुनूं के सैनिकों की दुर्दशा का कारण है गांवों में पानी का अभाव, खेतों में पानी की कमी। और तो और, सभापति महोदया, आज से अगर वर्षों पहले का इतिहास देखों तो बिड़ला या सिंघानिया या तापड़िया इसलिये गांव छोड़कर चले गये थे कि हमारे सीकर झुन्झुनूं में पानी की कमी थी, खेती नहीं थी। महोदया, सीकर और झुन्झुनूं को जो विशेष तौर से हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहां एनीकट्स का अपना महत्व है और मैं तो मंत्रीजी को यह कहना चाहूंगा कि अगर बड़े-बड़े बांधों के स्थान पर जहां आप 2-2 करोड़ रुपया खर्च करते हैं, अगर छोटे-छोटे पंचायतों में आप एनीकट बनवा दें तो वहां का जल स्तर भी बढ़ जाएगा.....

श्री पराक्रम सिंह : सिंघानिया छोड़ कर चले गये, बिड़ला छोड़कर चले गये, जिन जिनने भी छोड़ा वह फायदे में रहे।

डॉ. जितेन्द्र सिंह : इसीलिये तो कह रहा हूं हम नहीं छोड़ रहे। हम तो पड़े हैं वहीं पर मय मंत्रीजी के।

सभापति महोदया, हमारे वहां की जो भौगोलिक स्थिति है सीकर, झुंझुनूं उसके साथ आप जयपुर और सवाईमाधोपुर को भी ले लें, तो जहां पहाड़ी क्षेत्र है, वहां की बजाय यह 2-2, 3-3 करोड़ रुपये पाचना या माही, या बड़े-बड़े डेम्स की बात होती है, हम तो ख्वाब में भी नहीं सोच सकते उन बांधों के बारे में। हम तो यह सोच सकते हैं कि थोड़े से गांव के आस-पास कोई एनीकट बन जाए 5-7 लाख रुपये का तो उसी से दोनों काम होंगे। मंत्री महोदय, इस पर विशेष ध्यान दें कि दो जगह पर्टिकुलर सीकर, झुंझुनूं इस तरह के क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं। जैसे नीमकाथाना है, खेतड़ी है,

(डॉ. जितेन्द्र सिंह)

खंडेला है या उदयपुरवाटी है, ऐसे और बहुत से हैं जिनके ऊपर अगर हर पंचायत के साथ एक एनीकट बना दिया जाए तो वहां कुए की वाटर टेबल भी चढ़ जाएगी, वहां पर उनको पानी भी मिल जाएगा और पशुओं को भी और वह खेती के लिये भी इस्तेमाल हो जाएगा। मैं मंत्री महोदय से विशेष तौर से निवेदन करूंगा शेखावाटी में हमारी एक मात्र नदी काठली है। जो सीकर की गंगा है और झुंझुनूं की भी गंगा है। तो सौ साल से, वर्षों से देखते आ रहे हैं कि इस पर किसी वक्त कोई बांध बनेगा। मंत्री महोदय, अगर आपके बजट में 361 करोड़ में से कहीं एक-दो करोड़ रुपये की गुंजाइश हो तो मैं आपसे अरदास करूंगा और मंत्रीजी से भी निवेदन करूंगा, आपके बगल में जो तशरीफ रखे हुये हैं, कि हमारे जिले की भलाई के लिये उस पर आप बांध बनवाइये ताकि सीकर और झुंझुनूं दोनों इलाके के लोगों की बहबूदी होगी और किसानों को फायदा होगा।

इसके अलावा सीकर और झुंझुनूं में गत दस वर्ष से बारिश का एवरेज ठीक रहा है। उस वजह से जल स्तर बढ़ रहा है। इन्होंने हमारे सीकर और झुंझुनूं जिले की तकरीबन 95 परसेंट जो हमारी पंचायत समितियां हैं उनको ड्राई जोन घोषित कर रखा है। हमारे यहां बांध के अलावा एक मात्र साधन ट्यूबवेल है। अब उन्होंने ड्राई जोन घोषित कर दिया तो किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा है कुए खोदने का। 5-6 वर्ष में बारिश की वजह से जल स्तर बढ़ गया है। मैं निवेदन करूंगा कि डार्क जोन का री-सर्वे करवाया जाए तो निश्चित रूप से हमारी आधी पंचायतें डार्क जोन से बाहर निकलेंगी।

विद्युत मंत्रीजी तशरीफ रखे हुये हैं उनसे भी निवेदन करूंगा। कुओं के लिये पांच साल की छूट इन्होंने दे रखी है री-कनेक्शन के लिये। पांच साल से अधिक को वह नर्सरी में लेते हैं। महोदय, पानी तो दस वर्ष पहले ही सूखा था, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा पांच वर्ष की री-कनेक्शन की सीमा को दस वर्ष बढ़ाय जाए ताकि किसानों को इसका लाभ मिल सके। वर्ना वह सारे के सारे आपकी नर्सरी योजना में आ जाते हैं.....

श्री घनश्याम तिवाड़ी (ऊर्जा मंत्री) : सीमा रखे ही नहीं तो?

डॉ. जितेन्द्र सिंह : अब के हटा दिया नर्सरी। बहुत-बहुत धन्यवाद। इसके लिये मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं।

मंत्री महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र की कुछ आपको निवेदन करूंगा। मेरे थलड़िया गांव में एक खाकली एनीकट है, कृपया उसको बनवाने का कष्ट करें। बगड़ियों की ढाणी का बहुत महत्वपूर्ण एनीकट है, कृपया उसको बनवाने का कष्ट करें। उसके अलावा अभी हाल ही में गत वर्ष बारिश के अन्दर मेरा एक बांध टूट गया था, वह नगली गांव में था खोल की ढाणी का, उससे पूरा लोयल गांव बाढ़ की चपेट में आ गया था। मंत्री महोदय, कृपया उसे नोट करें। मंत्री महोदय

श्री सभापति : मंत्री महोदय।

डॉ. जितेन्द्र सिंह : मंत्री महोदय।

श्री सभापति : मंत्री महोदय, आपका ध्यान मांग रहे हैं।

डॉ. जितेन्द्र सिंह : मेरे दो बांध टूट गये और उसमें गांव डूबते-डूबते बचे। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा.....

श्री सभापति : आपके ध्यान की मांग हो रही है उधर।

डॉ. जितेन्द्र सिंह : महोदय, हमारे टीम के आप कप्तान हैं और यह कई बार मैदान में यूं ही झूम जाते हैं..... (व्यवधान)

श्री सभापति : धन और ध्यान दोनों।

डॉ. जितेन्द्र सिंह : तो कप्तान साहब से मैं निवेदन करूंगा कि स्पेशल प्रिविलेज लेते हुये कृपया मेरे जो एनीकट्स टूटे हैं, एक तो सिलाटी बांध है और एक हलड़िया का मेरा एक बांध है और यह टूट गया.....

श्री सभापति : अब हो गया डाक्टर साहब।

डॉ. जितेन्द्र सिंह : लास्ट, मैं ज्यादा नहीं कहूगां। आपके बांधों का जो सीपेज हो रहा है। सीपेज के कारण मेरे वहां अकेले नीमकाथाना और खेतड़ी के अन्दर दो वर्ष पहले 50-60-70 हजार मलेरिया के रोगी थे और उसमें सबसे बड़ा योगदान था बांधों का जो सीपेज हुआ है एक्सेस वाटर से, उससे नेचुरल डेम बन गये और उनका जो वाटर वहां पर डिपॉजिट हुआ that was the harbour for the mosquitos. और एक-एक गांव में सैंकड़ों मौतें नीमकाथाना और खेतड़ी में हो गयीं। मैं, निवेदन करूंगा कि यह जो सीपेज आफ दी वाटर होता है और आपके जैसलमेर की तरफ जो यह मलेरिया और डैथ हुई I don't know how many deaths were there. उसका बहुत बड़ा कारण यह था कि यह डिपाजिट जो लीकेज फ्रोम दी कैनाल, और बारिश में भी यही स्थिति होने वाली है तो बांध के साथ स्वास्थ्य और सब स्थितियां जुड़ी हुई हैं तो इस बारे में भी गौर करें। बहुत-बहुत धन्यवाद आपने मुझे समय दिया।

श्री सभापति : श्री जयन्तिलाल कोली।

श्री जयन्तिलाल कोली (रेवदर) : सभापति महोदया, आज मांग संख्या 46 और 38 पर सदन में चर्चा हो रही है। मैं इसमें अपने आपको शरीक करते हुये सरकार को, मंत्री महोदय, तत्कालीन मंत्री महोदय माननीय श्री देवीसिंहजी भाटी को सिरोही की जनता को सिंचाई की ओर बांध बनाने के लिये जो आपने प्रगति की कोशिश की, उसके लिये मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे वहां पर करोड़ीदज बांध जो करीब तीन करोड़ रुपये का था आपने उसको स्वीकृत कराया और जल्दी से जल्दी पूर्ण भी करवा दिया। इसी तरह रेवदर विधान सभा क्षेत्र का तीन करोड़ का निमोडा बांध उसको भी आपने स्वीकृत करवाया और पूर्ण भी करवा दिया।

(श्री जयन्तिलाल कोली)

इसी आधार पर हमारे अनुसूचित जाति और अनुसूजित जनजाति क्षेत्र हैं उसमें आपने धौलपुरा बांध स्वीकृत करवाकर पूर्ण भी करवा दिया। इसी तरह जैतपुरा बांध जो करीब 12 करोड़ रुपये का था, वह भी आपने पूर्ण करवाया उसके लिये मैं यहां सदन में जनता की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। इसी प्रकार टुगली सेलवाड़ा सिंचाई परियोजना जो 1984 में स्वीकृत हुई थी और 5 करोड़ रुपये स्वीकृत हुये थे लेकिन उसमें प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति किसी कारणवश नहीं हुई थी और मैंने सदन में आते ही माननीय भाटीजी से एक प्रश्न पूछा था, वह परियोजना जो करीब 14 साल से विचाराधीन थी, उसकी स्वीकृति नहीं हुई थी पर माननीय श्री भाटीजी ने चिन्ता करके केन्द्र सरकार और राजस्थान सरकार, दोनों में आपस में तालमेल करवाकर गये साल उसकी प्रशासनिक स्वीकृति दिलवा दी, उसके लिये भी मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ ही वर्तमान मंत्री महोदय से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि वित्तीय स्वीकृति अभी तक नहीं मिली है। मैं इस सदन में जनता की तरफ से आपको करबद्ध निवेदन करूंगा कि आप उसमें वित्तीय स्वीकृति दिलाने का कष्ट करें।

पंचदेवल बांध जो हमारे विधान सभा क्षेत्र में है और यह जो सुगली सेलवाड़ा परियोजना है इससे चालीस गांव के काश्तकारों को सिंचाई सुविधा मिलेगी और करीब पन्द्रह गांवों के कुओं का जल स्तर ऊपर बढ़ेगा। मेरा आपसे निवेदन है कि इसमें वित्तीय स्वीकृति दिलाने का कष्ट करें।

रेवदर में आबू रोड तहसील विधान सभा क्षेत्र है। गेसासिंह बांध की भी स्वीकृति करावें। साथ ही हमारे सिरोही जिले में जितना भी पानी है वह गुजरात में चला जाता है तो जो भी छोटे-छोटे बांध और एनीकट अपूर्ण रहे हैं, उन्हें भी पूर्ण कराने की कोशिश करें। एनीकट में हमारे वहां दादराई का एनीकट, रहुआ में हनुमानसागर, बारका का भीलमगरी बासका दताणी एनीकट नागाणी में एनीकट बनाने का भी कष्ट करावें। आपसे मैं एक बार फिर निवेदन करूंगा कि यह बांध जो बनें इनमें तो करीब-करीब कार्य पूर्ण हो चुका है। लेकिन करीब 10 साल पूर्व हमारे जिलावर बांध बना था जिसकी वजह से उसकी नहर अभी तक अधूरी पड़ी हुई है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि उसे पूर्ण कराने का कष्ट करें और एक बार फिर आपसे यह निवेदन करूंगा कि हमारे सुगली सेलवाड़ा बांध की आप वित्तीय स्वीकृति दिलाने का कष्ट करें। आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री राजेन्द्री चौधरी–(अनुपस्थित)। श्रीमती इन्दिरा मायाराम।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : सभापति महोदया, आज सिंचाई विभाग की मांग पर चर्चा चल रही है। मैं भी अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं के बारे में यहां बताना चाहती हूं। अनाज और पानी दोनों ही बहुत

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

जरूरी हैं और पानी के बिना अनाज नहीं हो सकता इसलिये पानी बहुत जरूरी है यह तो सब लोग जानते हैं। लेकिन जितना सिंचाई विभाग पर पहले ध्यान दिया गया, बड़े-बड़े बांध बनाये गये उतना ही आज कम महत्वपूर्ण सिंचाई विभाग हो गया है। मैं पिछले साढ़े चार साल से बार-बार निवेदन करती रही हूं, पूर्व सिंचाई मंत्रीजी यहां बैठे हैं, श्री भाटी साहब, उन्होंने कुछ बांधों की मंजूरी करने की कोशिश भी की, किन्तु मुझे खेद है कि सिवाय एक बांध के कोई भी बांध पर काम शुरु नहीं हुआ। बार-बार कहने के बावजूद मंत्री महोदय खुद भी वहां गये, देखने के लिये, क्योंकि इनके इंजीनियर इनको यह बताते रहे कि जो गुलर का बंधा है वह तो बन ही नहीं सकता है। यह बात सही है कि मंत्री महोदय वहां गये, उन्होंने देखा और उसके लिये रुपया भी मंजूर किया। लेकिन उसमें काम शुरू नहीं हुआ और इन्होंने नेवटा का जो बांध बनाया, बहुत अच्छा बनाया, किन्तु वह बिलकुल बेकार पड़ा है क्योंकि जब तक गुलर का बंधा नहीं बनेगा, जब तक नेवटा के बंधे में पानी नहीं जा सकेगा। नेवटा के बंधे में पानी नहीं जाएगा तो चिरौंटा के बांध में नहीं जाएगा, चिरौंटा के बंधे में पानी नहीं जाएगा तो छितरौली के बंधे में पानी नहीं जाएगा। इसी तरह रामचन्द्रपुरा के बंधे के लिये मैं पूरे साढ़े चार साल से कहती आ रही हूं कि वहां बड़ी बुरी हालत है। दो बार किसानों ने एक-एक लाख, दो-दो लाख लगाकर बनाया भी, टूट गया और एक आदमी भी मर गया। उसके बावजूद भी आज तक उस पर कोई काम शुरू नहीं किया गया है। रामचन्द्रपुरा का बंधा नहीं बनेगा तब तक वह पानी चंदलाई में नहीं जाएगा चंदलाई में पानी नहीं है। मेरे क्षेत्र में तो पूरा का पूरा इतना बढ़िया सिस्टम बना हुआ है पानी का सिर्फ उसको सही तरीके से मरम्मत करने की जरूरत है। एक बांध से दूसरे बांध, दूसरे बांध से तीसरे बांध में लेकिन उनकी मरम्मत न करने के कारण एक और तो सिंचाई का काम नहीं हो रहा है, बांध टूटे पड़े हैं। अभी चंदलाई के लिये थोड़ा पैसा मंजूर किया, मिट्टी-डालकर के छोड़कर चले गये। उससे और ज्यादा नुकसान हो गया। बरसात में सारी बह गयी। मैं आपसे यही निवेदन करना चाह रही हूं कि इतना महत्वपूर्ण विभाग है, मंत्री महोदय अभी नये आये हैं, वह उसको उसी महत्ता से लें कि सिंचाई बहुत जरूरी है। खाने के लिये आपको, हमको गरीब अमीर सबको अनाज चाहिए और सिंचाई बिना अनाज नहीं हो सकता।

मेहरबानी करके एक तो हमारे यहां जो बांधों की स्थिति मैंने आपको बतायी है। रामचन्द्रपुरा का बांध वहां से पानी चंदलाई भी जाए और रामचन्द्रपुरा भी आये। इसके लिये भी सम्बन्धित इंजीनियर्स को मैंने कई बार कहा कि आप वहां जाकर सर्वे करा लीजिये। लेकिन उसके ऊपर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। दूसरी ओर स्थिति यह हो रही है कि हमारे यहां सांझरिया एक नदी थी जिसके

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

कारण बगरू बसा, बगरू में छपाई का काम शुरू ही इसलिये हुआ कि उसके किनारे नदी थी सांझरिया और छपाई में पानी बहुत जरूरी होता है। ऐसे ही सांगानेर इसलिये बसा कि इसके पास भी पानी था। उस सांझरिया नदी में पानी सिर्फ बरसात में आता है और उसकी वजह से आसपास के कुओं में पानी का स्तर ठीक रहता है, क्योंकि आसपास का जो इलाका है उसमें पत्थर भी हैं। उस सांझरिया नदी में पेप्सी कोला ने इंडस्ट्री लगाकर के चार बड़े-बड़े बोरिंग लगा दिये 400 फीट पानी के और सारा वहां का पानी खींच लिया गया। अब उस एरिये में पहले पत्थर, ऊपर से पानी सारा नदी का खींच लिया गया और वहां आसपास में पानी का स्तर इतना नीचे चला गया कि जो हैण्ड पम्प भी लगाये जाते हैं पीने के पानी के लिये, उनमें भी पानी नहीं आ रहा है, तो कृपा करके आप बड़े उद्योग लगाते हैं तो इस बात का ध्यान रखिये कि उद्योग तो आपको कितना काम देंगे। इससे पहले जो सिंचाई का काम था वह तो सारा खतम हो गया। उद्योगपति तो पैसे वाले होते हैं वह तो दूर से, कानौता से भी पानी ला सकते हैं। सांझरिया, ठीकरिया, महापुरा, दहमी कलां जो आसपास की पंचायतें हैं उन सबका पानी सूख गया है उनमें सिंचाई का काम कैसे होगा? तीसरी तकलीफ यह है कि उसको डार्क जो घोषित कर रखा है जबकि इतने बांध हैं हमारे एरिये में वहां किसी कुए के लिये कोई लोन नहीं मिल सकता, कुछ नहीं मिल सकता। उसका मेहरबानी करके दुबारा सर्वे करवाएं। डार्क जोन को खतम किया जाए। क्योंकि पानी वहां है आप उसको नहीं संभाल पा रहे हैं, बांधों को नहीं बना रहे हैं इसलिये उसको डार्क जोन घोषित न करें पानी की कमी नहीं है। लेकिन पता नहीं कैसे हमारे क्षेत्र में डार्क जोन घोषित कर रखा है।

चौथी, जो सबसे बड़ी समस्या है वह यह है कि जो सामान्य बिजली के कनेक्शन दिये जाते हैं कुओं में, सन् 1983 से लेकर के आज तक सामान्य कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं। अब नर्सरी वाले कितने ले सकते हैं। उसमें गरीब आदमी, अनुसूचित जाति, जनजाति का तो कोई अभी ले नहीं पा रहा है और फिर उसके बाद में जो कनेक्शन हैं उन पर भी ज्यादा फ्लट रेट लगाकर के पैसे लिये जाते हैं। किसानों को हर तरह से सिंचाई से वंचित करने का जो इस सरकार ने एक बीड़ा उठाया है। मेहरबानी करके उसको बदल दीजिएगा और यह सिंचाई का जो काम है उसमें मदद कीजिएगा। सांगानेर की और चाकसू की जो पंचायतें हैं उनके लोगों में.....

श्री मदन दिलावर : एस.सी. और एस.टी. के लोगों को नर्सरी में कनेक्शन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि सामान्य लाइन में ही उनको सामान्य रेट्स में कनेक्शन मिल रहे हैं।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : नहीं, मिले हैं। मेरे यहां 1983 के बाद में कनेक्शन किसी को भी नहीं मिले हैं। मैंने अभी बात की थी

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

आपके बिजली विभाग वालों से उन्होंने कहा कि हम कैसे जल्दी दें? 1983 के बाद नहीं मिल रहे हैं।

श्री पराक्रम सिंह : आपने पैरवी ठीक तरह से नहीं की।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मैंने पैरवी बहुत की। लेकिन इंजीनियर ने जब मुझे कानून ही बता दिया कि 1983 के बाद हम नहीं दे सकते और हम तो लिस्ट से दे रहे हैं तो मैं लड़ाई तो नहीं लड़ सकती। मैं मंत्री महोदय से लड़ाई नहीं लड़ सकती तो आपके.....(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया माननीय सदस्य।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : लेकिन मुझे कहा गया कि 1983 के बाद सामान्य कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं। मुझे यह बताया गया है। आपको सिर्फ यह कहना चाहती हूं कि जो 1983 के बाद में कनेक्शन नहीं दिये गये हैं यह सच है या नहीं मेहरबानी करके मालूम करियेगा और मुझे बताइएगा। मेरा मतलब है कि आप बोल रहे हैं इसलिये विद्युत मंत्री जी से मालूम कर लीजिये। क्योंकि मुझे अगर मुख्य अभियन्ता ने गलत बोला है तो आप उनके खिलाफ जांच कीजियेगा। पर मुझे यह बताया गया है कि 1983 के बाद सामान्य कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं, तो मेहरबानी करके यह आप वहां मालूम कर लें कि इस क्षेत्र में अभी तक कनेक्शन क्यों नहीं दिये जा रहे हैं?

श्रीमती नरेन्द्र कंवर (राज्य मंत्री, पर्यटन) : यह बिजली की डिमाण्ड नहीं है।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मैं बिजली की डिमाण्ड पर नहीं बोल रही हूं मैडम। मैं यह बोल रही हूं कि वहां पर सिंचाई के लिये तकलीफ हो रही है और कनेक्शन नहीं मिलने से सिंचाई का काम नहीं हो रहा। आप समझने की कोशिश कीजिये। सिंचाई सिर्फ तालाबों से ही नहीं होती है। शायद आप किसानों में रहती नहीं हैं, सिंचाई कुओं से भी होती है। सिंचाई बिजली से भी होती है। सिंचाई डीजल इंजन से भी होती है। मेहरबानी करके आप समझने की कोशिश करें। अब मैं निवेदन करूं मेरा टाइम, फिर घंटी बजाएंगी, सभापति महोदया, इसलिये मुझे बोलने दीजिए मैं थोड़ा सा ही समय लूंगी।

श्री सभापति : शांति रखिए, माननीय सदस्य।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : इसके लिये मैं थोड़ा सा समय लूंगी। मैं एक यह निवेदन कर रही थी, जैसा कि हमारे यहां.....

श्री सभापति : माननीय सचेतकजी, महिला बोल रही है, सुनिए। मातृ शक्ति को इन्टरप्ट मत कीजिये।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : माननीय सदस्य, एक यह बता रहे थे कि जयपुर और उसके आसपास के इलाकों में कहीं पहाड़ी, कहीं ऊंचा-नीचा इलाका है तो यहां एनीकट बहुत कम देते हैं। पहले यहां बराबर एनीकट बनते थे। मेरे क्षेत्र में बहुत पानी ऐसा है जो

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

इकट्ठा होता है लेकिन इन दिनों एनीकट बनाना बंद करने के कारण पानी, कुओं का पानी भी नीचे जा रहा है और छोटे-मोटे तालाब जो सिंचाई के काम में आते थे, वह भी नहीं हो रहे हैं। तो मेहरबानी करके जहां एनीकट बनाने आवश्यक हों, बन सकते हों, वहां एनीकट बनाए जाएं ताकि सिंचाई के काम में वह भी मदद दे सकें। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री शम्भूदयाल बड़गूजर। (व्यवधान) लिस्ट चल रही है, आप ही की समस्याओं पर वह बोल रहे हैं..... (व्यवधान).....मैं पूरी इस लिस्ट के साथ हूं।

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर (केकड़ी) : सभापति महोदया, मांग संख्या 46 और मांग संख्या 38 पर सदन में विचार हो रहा है। मैं भी अपने आपको इस चर्चा में सम्मिलित करता हूं। कृषि के लिये सिंचाई बहुत आवश्यक है। कृषि मानसून का जुआ है। कभी समय पर मानसून आ जाता है और कभी असमय, कभी अतिवृष्टि हो जाती है तो कभी अनावृष्टि और कभी ओला वृष्टि। इस प्रकार राजस्थान के किसान की खेती बहुत ही असुरक्षित हो जाती है और किसान ऐसे समय में केवल सिंचाई के साधनों की तरफ निगाह फैलाता है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, सुझाव भी दें। आपका नम्बर तो रोज आता है, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, इसलिये रोज नम्बर आ रहा है।

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर : माननीय सभापति महोदया, मेरा नम्बर बहुत पहले था। राजस्थान की सरकार 1990 से लेकर अब तक सतत प्रयत्नशील है कि राजस्थान में किस प्रकार गांव के गरीब किसान के लिये सिंचाई के साधन मुहैय्या कराए। वर्ष 1998-99 में सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिये 361 करोड़, 14 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। यह दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री श्री भैरोसिंहजी शेखावत की सरकार राजस्थान में सिंचाई के साधनों को विकसित करने के लिये आतुर है। यह प्रावधान गत वर्ष के प्रावधान से 46 प्रतिशत अधिक है। इस वर्ष 21,200 हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधाएं सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है।

माननीय सभापति महोदया, मैं सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान मेरे सुझाव की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे बड़ेरों के समय पचासों साल पहले जो नाड़ी और तालाब बनाए गए थे, इन पचास सालों की भयंकर बारिश में भी अब तक नहीं टूटे हैं लेकिन गत 20-30 वर्षों में जो तालाब और बांध बने हैं, उनकी स्थिति यह है कि कई बांध और तालाब तो एक-एक बार की बरसात में ही टूट जाते हैं।

मैं इसका एक उदाहरण देना चाहूंगा। मेरे केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में अम्बापुरा बांध बना है। बना तो वह कांग्रेस के शासन काल में था लेकिन उसमें पानी भारतीय जनता पार्टी

Page No. 233

(233)

(श्री शम्भूदयाल बड़गूजर)

के शासन काल में आया पहली बरसात में ही उसकी हालत यह हो गयी वह छलनी हो गया। इसलिये प्रथम तो मेरा निवेदन यह है कि जितने भी सिंचाई के कार्य हैं, माननीय मंत्री महोदय आपकी क्षमता है, कुछ कर गुजरने की और आप बहुत दिनों से आतुर भी थे कि आपको कलम चलाने का मौका मिले। राजस्थान के किसान आपकी बाट जोह रहे हैं। इसलिये जितने भी कार्य और बड़े-बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनकी गुणवत्ता पर आप ध्यान दीजिये। मेरा निवेदन है कि आप एक सैंट्रल फ्लाइंग स्क्वाड ऐसा बनाए जो उन प्रोजेक्ट्स पर गुणवत्ता की दृष्टि से नजर रखे। जो पैसा आप दे रहे हैं, उसमें आधा पैसा निश्चित रूप से वहां लग नहीं रहा है। मेरा निवेदन है कि आप सबसे पहले गुणवत्ता पर नजर रखें।

दूसरा निवेदन है कि पिछली बार अतिवृष्टि और बाढ़ की वजह से कई बांध और तालाब क्षतिग्रस्त हुये हैं। इन क्षतिग्रस्त बांधों और तालाबों को आप योजनाबद्ध ढंग से, आपको जो बजट मिला है उसमें 1996-97 के वर्ष में जो बंधे और तालाब टूटे हैं, उनकी मरम्मत का प्रावधान रखा है। बन्धे और तालाब भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बहुत बने हैं और बनते भी रहेंगे।

श्री रतनलाल ताम्बी : और टूटे भी हैं।

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर : आपके टाइम में भी टूटते थे। मैं पूर्व सिंचाई मंत्री श्री देवी सिंह जी भाटी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि मेरे पड़ोसी विधान सभा क्षेत्र भिनाय में मुण्डोती बांध की स्वीकृति दी, एक करोड़ रुपये से ऊपर स्वीकृति दी और मुझे यह बड़ी खुशी के साथ कहने का मौका आज मिल रहा है कि मुण्डोती बांध की प्रगति बहुत युद्धस्तर पर चल रही है और बांध का कार्य लगभग पूरा होने जा रहा है। वहां के किसानों की एक समस्या है कि बांध के डूब क्षेत्र में आने वाले किसानों की भूमि जो अवाप्त की गयी है उसका मुआवजा उनको नहीं मिला है अभी तक। मैं माननीय सिंचाई मंत्रीजी आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि उन अवाप्त भूमिशुदा किसानों को मुआवजा दिलाने की आप कृपा करावें।

मुण्डोती बांध भरने से सोदरा नदी भरी रहती है। गांववासी और पशुओं के बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है इसलिये मुण्डोती से सदापुर के रास्ते पर पुलिया निर्माण करना बहुत आवश्यक हो गया है।

माननीय सभापति महोदया, मेरे विधान सभा क्षेत्र का यह अम्बापुरा बांध जो कई सालों से चर्चा में रहा है, मैंने बजट पर चर्चा के समय भी इस बांध का मुद्दा उठाया था, 21 तारीख को 295 में भी मैंने इसे लगाया था और आज मुझे सूचना मिली है कि सहायता विभाग के माध्यम से, यह बांध जो 1992 में क्षतिग्रस्त हुआ था, 79 लाख रुपये सहायता विभाग के माध्यम से वित्त विभाग से स्वीकृति मिल गयी है। मंत्री महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा एक आप [illegible] इस

Page No. 234

(234)

(श्री शम्भूदयाल बड़गूजर)

मांगों पर घोषणा करने का बहुत बड़ा सुअवसर है। आप यहां से पर्ची मंगा लें और ये 70 लाख रुपये जो अम्बापुरा बांध के पुनर्निर्माण के लिये दिए जाएंगे, मैं समझता हूं कि यह आपके कार्यकाल की पहली स्वर्णिम घोषणा होगी।

मेरा निवेदन है कि 1997 में मेरे विधान सभा क्षेत्र के कुछ बांध क्षतिग्रस्त हुये हैं। लसाड़िया बांध एवं कैनाल, चारोलाव टैंक सांवर, वाडवलाव टैंक, सांवर, कांकड़िया तालाब घटियाली, चित्तीवास टैंक, नया तालाब सदारा, कल्याण सागर, फारकिया, बड़ा तालाब आलोली, शिवसागर खवास, बड़ा तालाब टोडा मुलकिया, पंचायत उम्मेद सागर घटियाली, चावंड सागर, भिनाय, अजमेर।

उपरोक्त बाढ़ से क्षतिग्रस्त बांधों के आपके यहां प्रस्ताव आए हुये हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन क्षतिग्रस्त बांधों को शीघ्र स्वीकृत कराकर पुनर्निर्माण का कार्य कराएं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में माननीय पूर्व सिंचाई मंत्री श्री भाटी साहब ने एक सप्ताह में गुडली बांध का सर्वे द्रुत गति से करवाया जो श्यामपुरा सूबा ग्राम पंचायत का है वह 54 लाख रुपये का प्रोजेक्ट बना लेकिन उनके मंत्री पद से हटते ही कोई मालूम नहीं कि वह सर्वे और प्रोजेक्ट कहां चला गया।

अभी मैं और सहायता मंत्रीजी खवास ग्राम गए तो वहां चार-पांच ग्राम पंचायतों, आलोली, भीमड़ावास, खवास और सूबा ग्राम पंचायत के हजारों ग्रामवासी आए और उन्होंने कहा कि बांध का सर्वे तीव्र गति से हुआ। सुना है 54 लाख रुपये पास भी हो गए लेकिन वह गुडली बांध, आप नोट कर लें मंत्रीजी, यह श्यामपुरा सूबा ग्राम पंचायत, इन चारों ग्राम पंचायतों के किसानों को लाभ देगा इसलिये इस गुडली बांध का आप डिटेल सर्वे कराकर जल्दी से जल्दी स्वीकृति दिलाने की कृपा करें।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में रणजीतसागर प्रानेडा बांध बना हुआ है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसके दो फीट के रेजिंग के प्रस्ताव जो विभाग को भिजवाएं हुये हैं, उसकी भी आप मंजूरी दिलाएं। इसी प्रकार उगानखेड़ा, सरसरी ग्राम पंचायत में रूडी बांध है, उम्मेदसागर घटियाली का है, इसमें भी मैंने 10-12 लाख रुपये अकाल राहत कार्यों के माध्यम से सिंचाई विभाग से स्वीकृत कराएं। सिंचाई विभाग के अधिकारी कहते हैं कि ग्राम पंचायत से करवा लो जबकि इसका सम्पूर्ण कार्य अकाल राहत का सिंचाई विभाग के माध्यम से हुआ और घटियाली चौसला, बाजला, तीनों ग्राम पंचायतों के लोग चाहते हैं कि सिंचाई विभाग के माध्यम से वह कार्य पूरा हो। उम्मेदसागर घटियाली का भी मैंने निवेदन किया है, यह भी नोट करवा लें।

मेरा एक और निवेदन है कि सरवाड़ की डाई नदी पर पहले मालियान एनीकट का हमने अकाल राहत कार्यों में शुभारम्भ करवा दिया था और डाई नदी पर लसाडिया बांध भी बना हुआ है, एक पुलिया अभी हमने

(श्री शम्भूदयाल बड़गूजर)

बनाई, कांज-वे था, उसकी वजह से एनीकट की भी जरूरत महसूस नहीं होती थी, उस काज-वे को तो तोड़ दिया गया, पी.डब्ल्यू.डी. विभाग ने पुलिया बना दी इसलिये आसपास के किसानों को जो पानी रुक जाता था, वह नहीं रुक पाता है इसलिये मेरा निवेदन है कि सरवाड़ की नदी पर मालियान एनीकट के नाम से हमने अकाल राहत में कार्य चलाया है, एक एनीकट आप स्वीकृत करने की कृपा करें।

सभापति महोदया, मुझे समय दिया, इसके लिये धन्यवाद।

(20.00 बजे)

श्री सभापति : श्री हीरालाल सहरिया। आपने दो मिनट मांगे हैं, दो मिनट में समाप्त कर दें।

श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज) : सभापति महोदया, आज जो सिंचाई की मांग पर बहस चल रही है उसमें मैं अपने आपको सम्मिलित करते हुये बारां जिले की जो सिंचाई परियोजनाएं हैं, जो मेरे क्षेत्र में पड़ती हैं उनके बारे में ही बताऊंगा।

सभापति महोदया, मैं सिंचाई मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि हमारे किशनगंज विधान सभा क्षेत्र में कम से कम इकलेरा सागर, कालीसौत, डिकवानी और छत्रपुरा ये बांध बहुत पुराने बंधे हुये हैं। इनमें सिल्ट भर गयी है, मिट्टी भर गयी है, इनकी भराव क्षमता कम हो गयी है जिससे इनमें जो पानी टेल पोर्शन पर जाना चाहिए वह नहीं जाता। इसके लिये मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि इनमें रख-रखाव के लिये बजट की व्यवस्था करवाएं।

दूसरा, मेरे यहां जो उम्मेद सागर बांध है उसकी मुख्य दायीं नहर इतनी क्षतिग्रस्त हो रही है कि उसके लिये इन पांच सालों में एक्र पैसा सिचांई विभाग ने मेंटीनेंस के लिये दिया हो तो मुझे पता नहीं है। इसलिये मैं उम्मीद करता हूं कि इस बजट में कम से कम उसकी मेंटीनेंस के लिये पैसा आवंटित करें ताकि टेल पोर्शन पर, जो आदिवासी क्षेत्र है, अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र है उनको पानी की सुविधा मिल सके।

माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि हमारे जो तीन-चार प्रोजेक्ट बने हुये हैं उन पर लाखों रुपये खर्च हो गये। इनमें बरनी प्रोजेक्ट, हथियादेह प्रोजेक्ट, कराई डैम और एमदी। इन चारों प्रोजेक्ट्स के बारे में पिछले सत्र में मैंने प्रश्न के माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया था कि ये क्यों लम्बित पड़े हुये हैं। आपने पर्यावरण और फोरेस्ट का हवाला देते हुये इन परियोजनाओं को लम्बित बताया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप बहुत जानकार हैं और आपकी केन्द्र में अच्छी पूछ है, उसका सर्वे किया हुआ है, लाखों रुपया उसमें खर्च हुआ है रख-रखाव पर। वह लम्बित है उसको स्वीकृत कराएं और हमें उसकी स्वीकृति दिलाएं ताकि वह आदिवासी क्षेत्र में काम आ सके।

(श्री हीरालाल सहरिया)

मैं यह भी कहूंगा कि हमारे सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने एक एनीकट डांग क्षेत्र योजना के अंतर्गत स्वीकृत किया जिसकी लागत 10 लाख रुपये है। लेकिन एक साल से उसको नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया, कि उस जगह पर बन ही नहीं सकता था। जिसके लिये उसको बनाया गया, बिलासी फीडर में पानी डालने के लिये उस एनीकट को बनाया जाना प्रस्तावित है, लेकिन बिलासी फीडर बिलासी परियोजना के पानी से भर जाता है तो उसको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी उन्होंने दुबारा वहीं सर्वे किया और उसकी लागत 20 लाख रुपये बता दी। इसकी बजाय अगर यह एनीकट हमारे उम्मेद सागर की जो कैनाल टूट रही है, क्षतिग्रस्त हो रही है उसके नीचे गौघाट पर बना दिया जाता तो इस टेल पोर्शन की जो लड़ाई हमारे में और सागर कैनाल पर रहती है वो खतम हो जाएगी। उस एनीकट पर एक करोड़ के लगभग लागत आएगी। यदि उसको बना दिया जाए तो उससे सिंचाई मिलेगी।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि जो बिलासी परियोजना की नहरें और धौरे जो इन्होंने बनाये हैं उनमें जो किसानों की भूमि आयी है उसका आज तक मुआवजा नहीं दिया है। किसान इनके अधिकारियों के यहां चक्कर काट रहे हैं। कभी एल.ओ. का नाम ले देते हैं, कभी एल.ओ. कहता है कि वहीं आ रहा हूं। मेरी समझ में नहीं आता इनकी पैसा देने में नीयत क्या है। ये किसानों का भुगतान समय पर क्यों नहीं कर रहे हैं? उनकी जमीन की जमीन गयी और पैसा और नहीं देना चाहते। इसलिये मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि आप आज ही घोषणा करें कि आठ दिन के अंदर-अंदर जिनकी जमीन अवाप्त की गयी है उनको भुगतान कर दिया जाएगा।

श्री सभापति : हो गया आपका सुझाव।

श्री हीरालाल सहरिया : एक मिनट। हमारे जो एनीकट सहरिया परियोजना के माध्यम से एक साल से स्वीकृत हैं, एक साल से स्वीकृत है। लेकिन इनका विभाग इतना निष्क्रिय है कि पैसा होते हुये भी उनका निर्माण क्यों नहीं करा रहा है, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इसलिये मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान उस ओर दिला रहा हूं कि इनको शीघ्र कराएं। सहरिया परियोजना का पैसा पड़ा हुआ है, उस पैसे का ये सदुपयोग करना नहीं चाह रहे हैं। हमारे आदिवासी क्षेत्र में हम कहते हैं एनीकट नहीं बन रहे हैं, नहीं स्वीकृत होते हैं, लेकिन जो स्वीकृतशुदा एनीकट हैं वे भी नहीं बनते तो हम और क्या करेंगे? उन आदिवासियों को हम क्या जवाब दें। इसलिये माननीय मंत्री महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इन अधिकारियों को आप कहें ताकि वे उन एनीकटों को बनावें जिससे सिंचाई की सुविधा आदिवासियों को मिल सके। आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : आदरणीय सभापति महोदया, मांग संख्या 46 पर आज चर्चा हो रही है। मैं सीधा ही अपने सवाईमाधोपुर और करौली जिले के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। सवाईमाधोपुर और करौली जिले में कृषि योग्य भूमि आठ लाख एकड़ के करीब है और कृषि होती है साढ़े चार लाख एकड़ जमीन में। इसमें भी 60 परसेंट कुओं के माध्यम से होती है, 15 परसेंट बांध और तालाबों के माध्यम से और बाकी की जमीन बरसात पर निर्भर करती है। सभापति महोदया, हमारे सवाईमाधोपुर जिले की प्रभारी मंत्री भी बैठी है। (व्यवधान) आप मंत्रीजी, जरा सुन लो। सवाईमाधोपुर प्रोपर से आप आती हैं। सवाईमाधोपुर जिले के अंदर चम्बल और बनास दो नदियां हैं जो बारह मास बहने वाली हैं। उनका सवाईमाधोपुर जिले के लिये क्या उपयोग है, यह जानना चाहता हूं।

एक माननीय सदस्य : 40 साल में क्या किया?

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : सुन लो, मैं बता दूंगा 40 साल में क्या किया? मैं कहने में नहीं हिचकिचाऊंगा। आपके सवाईमाधोपुर जिले के लिये चम्बल और बनास का क्या उपयोग है? गत 12 वर्षों से इन्दिरा लिफ्ट योजना का सर्वे हो रहा है। माननीय तत्कालीन मंत्रीजी ने जोर-जोर से यह कहा था कि सर्वे पूरा करा दिया जाएगा। उस दिन तो भगवान जाने किस मूड में थे। खैर, उन्होंने कह दिया। सर्वे कराते हुये 12 साल हो गए, लेकिन आज तक इसका सर्वे पूरा नहीं हुआ। माननीय मंत्री महोदय, सर्वे क्यों नहीं पूरा हुआ यह तो आप जानकारी लें। जो हमारी इंदिरा लिफ्ट योजना है उससे सवाईमाधोपुर जिले की एक लाख 10 हजार एकड़ जमीन की पिलाई हो सकती है जिसमें सवाईमाधोपुर तहसील, खण्डार तहसील, बौंली तहसील, गंगापुर तहसील का कुछ हिस्सा, नादौती तहसील और टोडाभीम तहसील, ये सभी तहसीलें उसमें आती हैं जिसकी पत्थरगढ़ी भी हो चुकी है। खैर, नहीं हुआ। हम यह नहीं कहते कि आपकी सरकार ने नहीं किया, हमारी सरकार ने और आपकी सरकार ने दोनों ने ही सवाईमाधोपुर जिले के साथ सौतेला व्यवहार किया है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं। मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। आप पांचना बांध की बात करते हो।

सभापति महोदया, सन् 1977 की फरवरी में तत्कालीन सिंचाई मंत्री श्री हीरालाल देवपुरा ने इस पाचना बांध की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की थी इसी सदन के अंदर मेरे प्रश्न के उत्तर में। खैर, 1977 में बांध बनना चालू हुआ, 1978 से निर्माण कार्य चालू हो गया, 1980 के अंदर सी.डब्ल्यू.सी. ने इस पर ऑब्जेक्शन किया कि आप मिट्टी का बांध तो बना रहे हैं लेकिन इस बांध की स्थिति क्या है। उन्होंने मेजर ऑब्जेक्शन लगाकर भेजे। फिर उन्होंने सुझाव भी दिए कि इस-इस तरह से बांध को पक्का सही ढंग से

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

किया जा सकता है। 1981 के अंदर अतिवृष्टि के कारण से, भयंकर बरसात आयी। उस समय यह हो गया कि पाचना बांध टूट रहा है। खैर, जैसे-तैसे करके पाचना बांध बनना चालू हुआ, लेकिन आज तक इसकी स्पिल-वे नहीं बनी। आप कहते हैं कॉपर डैम नहीं टूटा और मैं कहता हूं 1996 में कॉपर डैम तोड़ा गया था। मैंने उस दिन भी यही कहा था कि कॉपर डैम क्यों तोड़ा गया था। वे यह चाहते थे कि स्पिल-वे इसके ऊपर अटवाल एण्ड कम्पनी काम कर रही थी। उसने काम तो कुछ नहीं किया और उसमें जो किया था वह बह गया। यह कह दिया कि यह तो बह गया और काम पूरा हो गया। अटवाल एण्ड कम्पनी ने, मैं खुले रूप से कह रहा हूं और अब तक भी यही स्थिति है। मैं तो आपको कहता हूं मेरे गंगापुर विधान सभा क्षेत्र के 19 गांव कमाण्ड एरिया में हैं। 16 हजार एकड़ जमीन की पिलाई मेरे क्षेत्र में होती है। 1997 में लोग रो रहे थे एक बूंद पानी उनके लिये नहीं मिला। खैर, आप इसकी जांच करवा लेना। जांच के लिये तो मैंने न जाने क्या-क्या लिखकर दिया है। आप जाकर पूछ लेना कि टूटा है या नहीं टूटा। ये तो कहते हैं टूट गया, हम कहते हैं तोड़ दिया। इसकी भी आप जांच करवा लेना।

सभापति महोदया, सवाईमाधोपुर जिले का एक ही बांध है पांचना बांध। मेरे क्षेत्र को दुःख होता है.....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : मुझे समय का ध्यान रखना है।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : मैं सुझाव ही दूंगा। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। ये कह रहे थे, ठीक है, माननीय सदस्यों के बहुत काम करा दिये, बहुत कराये लेकिन मेरे गंगापुर विधान सभा क्षेत्र में एक भी बांध बनाया हो साढ़े चार साल के अन्दर तो बता दीजिये कि यह बनाये। तत्कालीन मंत्रीजी ने डिवीजनल एरिया की मीटिंग बुलायी और कहा कि एम.एल.ए. साहब जो 1986-87 में एक चूली का बांध है जिसमें अकाल राहत में मैंने साढ़े सात लाख रुपया खर्च कराया था, मैंने कहा कि इसको माइनर इर्रिगेशन में ले लीजिये। उन्होंने कहा कि हो गया पक्का। जिसका सर्वे भी हो गया, जिसका तकमीना भी बन गया, सब कुछ हो गया कि हो गया। मैं तो यहां तक कह सकता हूं, सवाईमाधोपुर जिले की तो मैं कह भी नहीं सकता, मुझे मालूम है कि सिर्फ एक या दो बांध बनाये हैं; ज्यादा नहीं बने हैं लेकिन गंगापुर क्षेत्र में एक भी तालाब नहीं बनाया। खैर, सभापति महोदया, मैं इस चक्कर में नहीं। अब नये मंत्रीजी आये हैं, यह चूली के इस बांध को लघु सिंचाई में ले लेंगे तो जो साढ़े सात लाख रुपये इसमें खर्चा हो चुका है अकाल राहत में, अगर इसको ले लेंगे तो गंगापुर क्षेत्र की जनता का भला हो जाएगा।

सभापति महोदया, एक बात और आपसे कहना चाहता हूं कि कुओं से हमारे सिंचाई होती है। हमारे यहां पर डार्कजोन घोषित कर

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

रखा है, नये कुएं बन नहीं सकते और उनको लोन मिल नहीं सकता जबकि सिंचाई का मुख्य साधन है। हमारे यहां कानीगोह है, पीपली है, ये जो छोटी-छोटी 3-4 परियोजनाएं हैं इनको आप बना दीजिये।

अब आखिर में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। जैसा कि कल मैंने अपने विशिष्ट योजना मंत्रीजी से भी निवेदन किया था और आज मैं पुनः इस बात को दोहरा रहा हूं कि सवाईमाधोपुर जिले में 1200 तालाब हैं लेकिन हैं वे प्राइवेट। 50 एकड़ से लेकर 500 एकड़ तक की जमीन की पिलायी हो सकती है। आप भी बड़े-बड़े बांध और तालाब बना रहे हैं, आप उन तालाबों की, जो 50 एकड़ से 500, 700, 800 बीघा जमीन तक कि पिलाई करते हैं, रिपेयरिंग करवा दीजिये।

हमारे यहां सिंचाई की समस्या है क्योंकि बाढ़ आती है। बाढ़ के अन्दर जब तक इन्दिरा लिफ्ट योजना नहीं आये तो और कोई साधन नहीं है इसलिये मेहरबानी करके आप किसी योजना के माध्यम से अपने सिंचाई विभाग में उन प्राइवेट तालाबों को सरकारी करते हुये जो सरकारी करने की प्रक्रिया है, पटवारी रिपोर्ट करेगा, गांव के खातेदार लिखेंगे फिर प्रस्ताव राज्य सरकार को जाएगा, यानि वह किसान उस प्रक्रिया में उलझना नहीं चाहता तो हमारे सवाईमाधोपुर जिले के अन्दर और खास तौर से मेरे गंगापुर के अन्दर, गंगापुर में इस प्रकार के 400 तालाब हैं, ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें 5-5 तालाब नहीं हो। वह अपने आप जो टूट जाते हैं तो मरम्मत कर लेते हैं, अगर मरम्मत नहीं हो पाती है तो उनमें पानी भरता नहीं है और वह सिंचाई से वंचित हो जाते हैं। इसलिये मेहरबानी करके उन तालाबों की ओर ध्यान दीजिये। इस बात को मैं आज 14वीं बार सदन में उठा रहा हूं। इन छोटे-छोटे तालाबों की मरम्मत के लिये आज मैंने काउंट करके देखा कि 14वीं बार मैं इस सदन के अन्दर मांग कर रहा हूं। तो, सभापति महोदया, मैं माननीय मंत्रीजी से, मुख्य मंत्रीजी से, विशिष्ट योजना मंत्रीजी से, सबसे निवेदन करूंगा कि आप इन छोटे-छोटे तालाबों की, जो प्राइवेट हैं, रिपेयरिंग का प्रावधान करवाइये जिससे कि किसानों का भला होगा। आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति : श्रीमती मीना अग्रवाल।

श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर) : माननीय सभापति महोदया, अलवर विधान सभा क्षेत्र में टेडिंग बांध है। यह एक कच्चा सा बांध बना हुआ है। पिछली बार, दो साल पहले हमारे पूर्व मंत्री श्री भाटी साहब वहां गये थे और अलवर जिले के बांध की हालत देखी तो उनकी आत्मा को बहुत तकलीफ हुई। उसके कारण कई जे. ईएन. को मजबूरन उनको सस्पेण्ड करना पड़ा और काफी बांधों को पैसा भी उन्होंने दिया। मगर उस पैसे का इस्तेमाल अधिकारी नहीं करना चाहते। वे यह चाहते हैं कि हम यह नहीं दिखायें कि यह जो सरकार चल रही है वह काम सही कर रही है। अधिकारियों की नीयत में थोड़ा गलत आ रहा है कि हम इस सरकार को शाबाशी नहीं देना

(श्रीमती मीना अग्रवाल)

चाहते। जनता यह नहीं कहे कि यह सरकार अच्छी चल रही है। पैसा मंजूर होने के बाद भी अधिकारी लोग काम नहीं करते हैं। ये कामचोर अधिकारी बैठे हैं यहां।

इसी तरह मैं आपसे कहूंगी कि मेरे पड़ोस में बानसूर तहसील है और वहां से यातायात मंत्रीजी रोहिताश्वजी भी हैं। बानसूर में बावरिया बांध है जो 35 साल से टूटा हुआ है। पैसा मंजूर है और फिर जाकर नहीं देख रहे हैं। आज सिंचाई नहीं होगी तो खेती कहां से होगी? खेती का अनाज तो अधिकारी भी खाते हैं और हम भी खाते हैं। कोई तो कहता है कि सरकार पैसा नहीं देती है और जो सरकार पैसा देती है उसकी इनकी निगाह में इज्जत नहीं है। फिर सरकार ने जेईएन., एईएन., एक्सईएन., एसई. क्योंकि बिठा रखे हैं? जब बिठा रखे हैं तो इनको काम करना चाहिए।

इसके अलावा मैं एक बात और बताना चाहूंगी, सिंचाई की बात है। सिंचाई विभाग में जो झील है सिलीसेढ़ अलवर के अन्दर। उसमें नौका विहार चल रहा है। वह पैसा पर्यटन विभाग में जाता है या सिंचाई विभाग में जाता है इसकी कोई जानकारी नहीं है। इसके अलावा सिंचाई विभाग में अतिक्रमण हो रहा है। जमीन में खेती हो रही है। कोई जमीन ऐसी है जहां दुकान खुल गयी है। कोई जमीन में कोई झौपड़ी लगाकर अड्डा जमा रखा है। मगर कोई अतिक्रमण की सुनवायी नहीं है। जमीन में जो झीलें है उनमें मछली पैदा कर रहे हैं, उन मछली की आमद का कोई पता नहीं है। सिंचाई विभाग की जमीन है, पानी सिंचाई विभाग का है।

इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि सिंचाई विभाग की जमीन में जो पेड़ उगते हैं उनमें फलों के पेड़ भी हैं, और पेड़ भी हैं। उनकी लकड़ियां काट ली जाती है पर कोई पता नहीं है। उनमें शहद पैदा होता है, आम पैदा होते हैं। उनका कितना ठेका छूटता है, किसी साल को ठेका ही नहीं छूटता और ठेका छूटता है तो उसका कोई पता नहीं है। यह सिंचाई विभाग है। उसकी आमद का पता नहीं है, पानी को कौन कौन इस्तेमाल कर रहा है उसका पता नहीं है, जमीन को कौन इस्तेमाल कर रहा है उसका पता नहीं है। अभी दो महीने पहले हमारे मंत्रीजी गये थे तो मैंने इनके सामने यह बात रखी। आप पता लगाओगे इतने दिन में क्या रह गया है साढ़े चार साल में। तो मैंने इनके सामने भी रखी, एक्सईएन. को भी बिठाया मगर एक्सईएन. के दिमाग में कोई जूं तक नहीं रेंगी। जवाब नहीं दिया। न चिट्ठी का जवाब, न कोई बाद का जवाब और न कोई कार्य कर दिखाया दो महीने के अन्दर। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगी कि ऐसा अन्याय जनता के साथ नहीं किया जाए। अधिकारी भी जनता की तरह, हमारी तरह के ही आदमी हैं। वह अपना कार्य, अपनी ड्यूटी सही टाइम पर करें। मेरा यही निवेदन है। यह कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करती हूं।

श्री सभापति : श्री रामगोपाल बैरवा।

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से आज मांग संख्या 46, 38 जो सिंचाई से सम्बन्धि है, इन पर सदन में चर्चा की जा रही है, उसमें मैं भी अपने आपको शरीक करता हूं।

माननीय सभापति महोदया, मैं बात सीधा मेरे विधान सभा क्षेत्र से शुरू करता हूं। कोटा बैराज में जो राइट मेन कैनाल और लैफ्ट मेन कैनाल निकाल कर के नहरें और वितरिकाओं के माध्यम से जो किसानों के खेतों में पानी पहुंचाने का कार्य हाथ में लिया गया था और ये योजनाएं हाड़ौती के किसानों के लिये एक वरदान साबित हुई थीं। लेकिन 38 साल के समय के बावजूद इन योजनाओं पर नहरों की सफाई के अभाव में पेड़ कटिंग के अभाव में, पर्याप्त बजट नहीं मिलने के कारण से आज नहरों की दयनीय स्थिति है और इस दयनीय स्थिति से प्रतिवर्ष जिन अन्तिम छोर के किसानों को पानी पहुंचता था, प्रतिवर्ष दो किलोमीटर तक के किसान पानी से वंचित रह जाते हैं। पर आज 38 साल के बाद जो ये योजनाएं हैं इनमें री-मोडलिंग की जरूरत है। इसके लिये जो बजट की आवश्यकता है, आज आपके माध्यम से सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि हाड़ौती के किसानों के लिये जो ये योजनाएं वरदान साबित हुई थीं, आगे जाकर भविष्य में ये उन्हीं किसानों के लिये गलत साबित न हो जाए इसके लिये इन पर पर्याप्त बजट दें ताकि इनकी सफाई हो सके।

दूसरा, हमारे विधान सभा क्षेत्र में राइट मेन कैनाल से जो गणेशगंज लिफ्ट स्कीम निकाली गयी थी उस गणेशगंज लिफ्ट स्कीम की भी बजट के अभाव में वही स्थिति है। समय से इस पर पेड़ कटिंग का कार्य और सफाई नहीं होने के कारण से इसकी जो भराव क्षमता थी, जितना क्यूसेक्स पानी इसमें जाना चाहिए था वह आज नहीं जा पाता और उससे अन्तिम छोर के किसानों के खेतों में पानी नहीं पहुंचता। दूसरी तरफ जो इन पर बिजली का कनेक्शन दिया हुआ है, समय पर सिंचाई विभाग द्वारा जमा नहीं कराने के कारण बिजली का कनेक्शन काट दिया जाता है और किसानों को समय पर पानी उपलब्ध नहीं होता है तो जो गणेशगंज लिफ्ट स्कीम है किसानों के लिये, उसमें अव्यवस्था होती है। इसके लिये भी माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि पर्याप्त बजट देकर इसमें जो अव्यवस्था है और सफाई का कार्य करने के लिये पर्याप्त बजट दिया जाए।

इसी तरह से सिंचाई विभाग के द्वारा गणेशगंज लिफ्ट स्कीम बनाई गयी थी और इस योजना के सही क्रियान्विति के लिये जो सहायक अभियन्ता का सब डिवीजन कार्यालय मांगरोल में स्थापित किया गया था। गत सालों से उसको मांगरोल से कहीं अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया है। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि गणेशगंज लिफ्ट स्कीम के सही रखरखाव के लिये, इसकी सही क्रियान्विति के लिये इस

(श्री रामगोपाल बैरवा)

सब डिवीजन को वापस मांगरोल में स्थापित करने का कष्ट करेंगे।

दूसरी ओर आज किसानों की समस्याओं को देखते हुये मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो योजनाओं, जिसमें रकतपुरा लिफ्ट स्कीम और चाकल बांध परियोजना सरकार के पास विचाराधीन है और पिछले समय में जब मैंने इन दोनों योजनाओं के ऊपर विधान सभा में प्रश्न लगाया था, इसकी सारी कार्यवाही हो चुकी है, थोड़ी थोड़ी बात के ऊपर यह अटकी हुई है। यह रकतपुरा लिफ्ट स्कीम है, उसमें वित्तीय स्वीकृति तक भी प्रावधान कर दिया गया है लेकिन सी.ए.डी. विभाग के अधिकारियों के द्वारा इस लिफ्ट स्कीम के लिये पानी नहीं देने के कारण से समस्या है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जितना क्यूसेक्स पानी इस लिफ्ट स्कीम के उपयोग में आएगा, उसका राइट मैन कैनाल के ऊपर परवन नदी है, वहां पर लिफ्ट स्कीम वगैरह से इस राइट मैन कैनाल में पानी डालकर इस लिफ्ट स्कीम को सी.ए.डी. के अधिकारियों से बात करके रकतपुरा लिफ्ट स्कीम जो आपके यहां पर प्रस्तावित है, उसमें टैक्नीकल सब तरह की बातें सही हैं, आप इस लिफ्ट स्कीम को स्वीकृत करने का कष्ट करें।

बूंदी जिले में चांगल बांध परियोजना है जो किसानों के हितों के लिये काफी महत्व रखती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं इसके लिये भी, यह भी आपके यहां प्रस्तावित है। आप इस चांगल बांध परियोजना को भी स्वीकृत करने का कष्ट करें।

इस तरह से, सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि विनायका में एनीकट का निर्माण कार्य है, जो खाड़ी के माध्यम से पानी वेस्टेज बहकर चला जाता है, छोटे एनीकट है और इसमें ज्यादा राशि खर्च नहीं होगी। विनायका कोटा जिले में एक एनीकट के नाम से राशि स्वीकृत करने का कष्ट करें। माननीय सभापति महोदय, आपने समय दिया, इसके लिये आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : पराक्रम सिंह।

श्री पराक्रम सिंह (बनेड़ा) : सभापति महोदय, आपने समय दिया, इसके लिये धन्यवाद। मैं एक मिनट से ज्यादा समय नहीं लूंगा। मेरे जो सुझाव है लिखित में मैं मंत्री महोदय को नजर कर दूंगा। मैं यहां एक बात कहना चाहता हूं। अभी प्रतिपक्ष के मित्रों ने कहा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के शासन में कोई तालाब या बांध नहीं बना है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि माननीय श्री देवी सिंह जी भाटी सिंचाई मंत्री थे, जब 15 साल से बनेड़ा के अन्दर जाखम परियोजना की मांग करते थे.....

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : आपके हो गये होंगे काम, मेरे विधान सभा क्षेत्र गंगापुर में एक भी काम नहीं हुआ, आपके हो गये होंगे। तो आपने कह दिया प्रतिपक्ष। (व्यवधान)

श्री पराक्रम सिंह : .....करोड़ रुपये स्वीकृत करके बांध का निर्माण कार्य चालू

(श्री पराक्रम सिंह)

कराया। मैं सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे स्वयं जानते हैं, कर्नल टॉड ने भी अपनी किताब में होड़ा सेजा का जिक्र किया है। उस होड़ा सेजा का आज यह हाल है उस खारी नदी के ऊपर एक बांध बना जालिया और आज उससे सेजा बिलकुल बेरंग होता जा रहा है। मेरा एक निवेदन है मंत्रीजी, उस बांध के गेट पहली बारिश में खोल दिये जाएं ताकि पानी नदी में चला जाए। नदी में पानी जाने से न सिर्फ मेरे विधान सभा क्षेत्र में बल्कि माननीय श्री कोगटा जी, माननीय श्री सांवरलाल जी जाट के क्षेत्र में और यहां तक कि लाखों बीघा जमीन उससे प्रभावित होती है। आपने समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : कन्हैयालाल पाटीदार।

श्री कन्हैयालाल पाटीदार (पिड़ावा) : सभापति महोदय, मैं सर्वप्रथम सिंचाई मंत्री, पूर्व सिंचाई मंत्री, माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा में चवली बांध मध्यम सिंचाई परियोजना 1994 में स्वीकृत की और उसका कार्य आज द्रुत गति से चल रहा है। वैसे तो सिंचाई विभाग ने किसानों का काफी हद तक मुआवजा चुका दिया है लेकिन सिंचित और सिंचित भूमि के विवाद में कुछ किसानों का मुआवजा अभी तक अटका हुआ है। माननीय श्री भाटी साहब जब हमारे झालावाड़ जिले के दौरे पर थे और आपसे भी इस विवाद के बारे में हमारे किसानों ने जिक्र किया था। उस समय आपने कलक्टर को निर्देश दिये थे और कलक्टर की अध्यक्षता में, एक सिंचाई विभाग का अधिकारी, तहसीलदार और एस.डी.ओ., इन चार व्यक्तियों की एक कमेटी गठित की थी। वह सिंचित और असिंचित का मामला तय करेंगे। उस मामले को राज्य सरकार को भी रेफर किया गया। राज्य सरकार के यहां से उस कमेटी को यह निर्देश दिया कि चार या पांच वर्ष पूर्व से जिस भूमि में सिंचाई कुओं से या अन्य किसी स्रोत से हो रही है तो उसको मुआवजा दे दिया जाए चाहे रिकार्ड में वह सिंचित दर्ज नहीं हो। लेकिन मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे इस बारे में ध्यान दें। इस कमेटी का गठन हुये तीन वर्ष हो चुके हैं और निरन्तर उन किसानों को बहलाया जा रहा है। किसान 2-3 बार जयपुर पहुंचे हैं उस समय माननीय श्री भाटी साहब को भी हमने निवेदन किया था। झालावाड़ के कलक्टर से हमने कितनी बार बात कर ली लेकिन उन किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है। मैं सिंचाई मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि आप इसमें हस्तक्षेप करें, पैसा हमारे सिंचाई विभाग का है, राज्य सरकार का है, कलक्टर के घर का पैसा नहीं है। कलक्टर की स्वीकृति के बिना वह हमारे गरीब किसानों को पैसा आवंटित नहीं हो रहा है। सभापति महोदय, जिन लोगों को हमने विस्थापित किया है, उनको घर बार छुड़ाया है, उनकी जमीन छुड़वाई है तो उनके प्रति हमारे सीने में दर्द होना चाहिए और उनको जो मुआवजा सरकार ने स्वीकृत किया है उसको तत्काल दे दिया जाना चाहिए।

इसी तरह से वहां के किसानों की यह मांग भी काफी समय से चली आ रही है कि

Page No. 244

(244)

(श्री कन्हैयालाल पाटीदार)

हमें हमारी उस भूमि का सीमा ज्ञान कराया जाए कि यहां तक की भूमि डूब में आएगी ताकि उस शेष रही भूमि पर अपनी बाड़ लगा सके, या दीवार बना सके, उसको सुरक्षित करने का कोई उपाय किया जा सके। इस बारे में हमने माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि आप वहां के सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करें कि उन लोगों को सीमा ज्ञान कराये।

श्री सभापति : सुझाव देकर पूरा करें।

श्री कन्हैयालाल पाटीदार : यह तो दर्द है किसानों का, वह तो बताना ही पड़ेगा।

श्री सभापति : अब तो सुझाव दीजिये। मंत्रीजी का जवाब होगा अभी।

श्री कन्हैयालाल पाटीदार : अब सुझाव दे रहा हूं। सभापति महोदय,.....

श्री अनंग कुमार जैन (राज्य मंत्री, वित्त) : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब सब जगह, पूरे राजस्थान में पानी बचा है तो हाड़ौती में बचा है और यह इर्रिगेशन महकमा, आज कई बड़े लोग बैठे हैं, बड़ी-बड़ी जगह के कई लोग यहां बैठे हुये हैं इसलिये उनको बोलने दें। वहां पानी बचा है।

श्री सभापति : आप भी तो बड़ी जगह बैठे हैं।

श्री अनंग कुमार जैन : उपयोग वहां हो रहा है तो इसलिये कह रहा हूं, उनको बोलने दें। झालावाड़ से अभी कोई नहीं बोला है।

श्री सभापति : झालावाड़ से बोले हैं।

श्री अनंग कुमार जैन : तो इनको थोड़ा समय दिया जाए। मैं तो माननीय सभापति महोदय, बहुत विनम्र शब्दों में निवेदन कर रहा हूं कि इनको थोड़ा समय दिया जाए। (व्यवधान)

श्री सभापति : मुझे सबको समय देना पड़ेगा फिर।

श्री कन्हैयालाल पाटीदार : कोई नहीं बोला है, पहली बार बोल रहा हूं।

सभापति महोदय, हमारे झालावाड़ जिले में लगभग 7-8 बड़ी नदियां बहती हैं, उसमें 12 महीने पानी उपलब्ध रहता है। मैं जब भी समय मिला चाहे विधान सभा में हो चाहे हमारे जिले में मीटिंग हो, मैंने हर बार यह सरकार से आग्रह किया है किसी भी तरह से उन नदियों के जल को रोका जाए ताकि वह वर्षों से उपेक्षित क्षेत्र जो झालावाड़ जिला है उसके किसान कुछ राहत महसूस कर सके। हमारी केन्द्र सरकार की भी यह घोषणा है कि बहने वाले जल की एक एक बूंद का हम उपयोग करेंगे। हमने भी अपने बजट में कहा है कि हम बहने वाले पानी का पूरा पूरा उपयोग करेंगे।

माननीय सभापतिं महोदय, मैं सिंचाई मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि सिंचाई विभाग ने भी जो माइनर इर्रिगेशन में पाइंट तय किये हैं उनका भी मैं जिक्र कर दूं ताकि उनकी भी आप स्वीकृति प्रदान कर

(श्री कन्हैयालाल पाटीदार)

सकें। आहू नदी के ऊपर सिरपोई के पास में, काली सिंध के ऊपर रायपुर के पास में और रीछड़ नदी पर लाल गांव के पास में, ये तीन पाइंट इर्रिगेशन झालावाड़ ने भी तय किये हैं। साथ ही कुछ तालाब के प्रस्ताव भी इर्रिगेशन से प्रपोज्ड हैं, सरखेड़ी का तालाब, सरवर का तालाब, सारंगा खेड़ा का तालाब, निम्बाहेड़ा का एनीकट है जिसे कुछ वर्षों पूर्व अकाल राहत के दौरान बनाया गया था लेकिन वह टूट गया है तो उसको भी यदि हम अपने सिंचाई विभाग के अन्तर्गत पूरा करवा दें या नव निर्माण करवा दें तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र के आसपास के गांवों के किसानों को काफी राहत महसूस होगी। इसी तरह जूना पानी का एनीकट, और सेमली चौहान का तालाब, यह कुछ बड़े-बड़े तालाब और दो एनीकट के प्रस्ताव इर्रिगेशन में प्रपोज्ड हैं उनकी भी स्वीकृति आप कराएंगे, ऐसा मैं माननीय सिंचाई मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा।

सिंचाई मंत्री महोदय से एक और अनुरोध है कि मेरे क्षेत्र पिड़ावा और क्षेत्र डग के गांवों को छूती हुई एक नदी पीलाद नदी बहती है वह प्रपोज्ड है और वह स्कीम सारे बंधनों को पार कर चुकी है, सी. डब्ल्यू. सी. से भी क्लियर हो गया है, कहीं भी कोई अड़चन नहीं है, पता नहीं उसकी स्वीकृति क्यों जारी नहीं हो रही है। मैं सिंचाई मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि पीपलाद नदी की जो मध्यम सिंचाई योजना है उसे शीघ्र मंजूरी दिलवाएंगे ताकि उस क्षेत्र के किसानों को

(20.31 बजे)

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

भी सिंचाई का लाभ मिल सके। उपाध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद दूंगा, इस अवसर पर मुझे मौका दिया, मेरे क्षेत्र की समस्या रखने का अवसर प्रदान किया, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरड़क।

श्री भगराज चौधरी : आपका समय मुझे दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : पांच मिनट में आप बोल दें।

श्री भगराज चौधरी (आहोर) : उपाध्यक्ष महोदय, पांच मिनट में क्या होगा। मेरे तो इतनी समस्या है सिंचाई के बारे में। चलिये, कोई बात नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पानी हमारे लिये अमूल्य वस्तु है और इसका उपयोग बहुत बुद्धिमानी और समझदारी से करना चाहिए। जहां कहीं पानी अवेलेबल हो तो उसका तो खैर उपयोग करना चाहिए, उसके लिये खडीन है, एनीकट है, बांध बनाना चाहिए। मगर जहां पहले से कहीं बांध बना हुआ है और उस बांध का कोई कैचमेंट एरिया ऊपर से आ रहा है अप स्ट्रीम से, उस कैचमेंट एरिया को डिस्टर्ब करके और उस कैचमेंट एरिया को इन्टरसेप्ट करके अगर आप कोई दूसरी अपस्ट्रीम में अगर कोई और बांध

(श्री भगराज चौधरी)

बना लेते हैं तो पुराना बांध बना हुआ बेकार हो जाएगा। यह स्थिति मेरे जालौर जिले में बन रही है। वहां पर एक बांकली बांध, जिसका कि कैचमेंट एरिया करीब 35 हजार बीघा है और करीब 15 गांवों को सिंचाई होती है। उस बांध का कैचमेंट एरिया है कुलथाणा नदी। उस कुलथाणा नदी में से बांध से करीब पांच-छह किलोमीटर दूरी पर एक उमकली फीडर सिंचाई योजना के नाम से उस नदी में नहर बना करके पानी को इन्टरसेप्ट करके, नहर बनाकर पानी डाइवर्ट किया जा रहा है उमकली गांव के अन्दर। कुछ परिवारों के लोगों को लाभान्वित करने के लिये और करीब दो करोड़ रुपये की लागत खर्च कर रहे हैं। वैसे तो खैर, नदी में, उस कैचमेंट एरिया मे, जो कैचमेंट एरिया में मुख्य स्रोत है कुलथाणा नदी, उसमें सरप्लस पानी कतई नहीं है मगर फिर भी अगर सरप्लस पानी थोड़ा-बहुत भी है और कभी-कभी अतिवृष्टि होने पर कभी मान लो बांध से पानी बाहर निकलता भी है तो वह बहने वाले पानी का भी नीचे के गांवों में उपयोग होता है, क्योंकि पाली जिले के पास से बांडी नदी, जो सारा केमिकलाइज्ड वाटर वहां पर बहाती है, डाइंग एण्ड प्रिंटिंग फैक्ट्रीज का, जिससे सारे कुएं नीचे वाले खारे हो गये हैं, तो उस पानी में यह कभी-कभी एक्स्ट्रा पानी, निकलने वाला पानी बाई वाश के जरिये उस नदी में जाकर मिलता है जिससे कि कम से कम सैकड़ों कुएं रिचार्ज भी होते हैं और पानी को बराबर ठेठ बालोतरा तक बराबर मीठा बनाये रखते हैं। इसलिये ऐसी स्थिति के अन्दर वैसे तो खैर बांकली डेम में सरप्लस पानी नहीं है, भरने के अलावा, अगर फिर भी थोड़ा बहुत पानी कभी-कभी अतिवृष्टि होने पर हो तो मेहरबानी करके इस पानी को आप ऊपर मत रोकिये और उमकली फीडर सिंचाई योजना के नाम से जो आपने दो करोड़ की लागत से बांध सेंक्शन, स्कीम जो बना ली है, जिसका काम शुरू करने वाले हैं इसको मेहरबानी करके ड्राप करिये वरना 15 गांव बरबाद हो जाएंगे सात-आठ गांव तो हैं पाली जिले के और सात गांव हैं जालौर जिले के। अगर आपने इस काम को नहीं रोका तो हमें मजबूरी की हालत में वहां पर बड़ा भारी आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा और कहीं ऐसी स्थिति नहीं बन जाय जैसी कि थोड़े दिनों पहले गंगानगर में बन गयी थी। दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपका यह कहना कि इस स्रोत के अन्दर एक्सट्रा पानी है, सरप्लस पानी है, इसको हम तो टेप कर रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारे इंजीनियर्स के पास में क्या मापदण्ड है। एक छोटा सा मैं निवेदन करना चाहूंगा, बीसलपुर सिंचाई परियोजना हमने बनायी। उसके बारे में आडिट ने जो पैरा बनाया, उसको मैं संक्षेप में पढ़ना चाहता हूं: —

"Selection of a wrong site of downstream of Coffer Dam due to inadequate planning resulted in an extra expenditure of Rs. 1.35 crores." Number one.

(श्री भगराज चौधरी)

Number two. Bisalpur Irrigation Project was taken up for execution in the year 1987 and about Rs. 140 crores were spent but irrigation could not be started till 1997 end.

So this shows that our engineers made wrong and faulty planning. They have no idea as to whether we have extra surface water or not. But still for the purpose of spending money and to make some funds out of that, we prepare schemes and start execution." अगर नीचे कोई बांध बना हुआ है तो आपको क्या अधिकार है उस पानी को अपने बीच में रोकने का। राइपेशियन राइट्स का कानून बना हुआ है। इसलिये मेहरबानी करके आप बांकली वाले बांध को, पानी को डिस्टर्ब मत करिये। ऊपर उमकली फीडर नाम से जो योजना बनाई है उसको निरस्त करिये वरना उसके बहुत भयंकर परिणाम होंगे। उसके बाद में निवेदन करना चाहूंगा इसी बांकली बांध के इर्रिगेशन सिस्टम को सुधारने के लिये वर्ल्ड बैंक की सहायता से करीबन साढ़े तीन करोड़ रुपये की योजना हमारी विचाराधीन है, इसको आप स्वीकृत कराएं जिससे कि पुराना जो सिस्टम है इर्रिगेशन का, बिगड़ा हुआ है, नहरों की कैरिंग कैपेसिटी पानी की बहुत कम हो चुकी है, सीपेज हो रहा है, उसको इम्प्रूव कर सकें जिससे कि ज्यादा से ज्यादा एरिया में सिंचाई हो सके और पानी का जो वेस्टेज हो रहा है सीपेज के जरिये, वह रोका जा सके।

इसके अलावा मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा। जवाई बांध क्या बना जालौर जिले के लिये, आप देखिये, एक समस्या खड़ी हो गई। जैसा कि माननीय सदस्या ने कहा था, जो अभी सभापति के पद पर बिराजी हुई थी, जवाई नदी शुरू होती है अरावली पहाड़ों से, बहती-बहती जालौर जिले के करीबन 200 किलोमीटर के एरिया को पार करने के पश्चात् आखिर में जाकर के गांधव पुल के पास होकर के कच्छ की खाड़ी में गिरती है तो इस जवाई नदी पर जालौर जिले के सैकड़ों गांव, जिसमें हजारों कुएं सिंचाई के लिये बने हुये हैं गांवों के किनारों पर और सैकड़ों स्रोत पेयजल के बने हुये हैं, अब इस बांधी के पानी के कारण हमारी नदी में पानी आना बंद हो गया, कुएं सूख गये पानी के स्रोत भी सूख गये। आज ऐसी बुरी हालत हो गयी है कि हम तो बिलकुल अनाथ जैसे हो गये। इसलिये मेहरबानी करके कम से कम आप जवाई बांध के जो गेट हैं, इस साल तो खैर बरसात भी नहीं हुई, पर बरसात होने पर कम से कम चार-पांच गेट को खुला रखने की व्यवस्था करावें जिससे कि कम से कम सैकड़ों गांव जो अनाथ की स्थिति में आ गये हैं, निर्जल हो गये हैं, व्यवस्था सारी हमारी, जो आर्थिक आधार है हमारा, खतम हो गया है वह दुबारा बहाल हो सके नदी में पानी अगर चलेगा तो

(श्री भगराज चौधरी)

हजारों कुएं जो सिंचाई के हैं वह रिचार्ज हो जाएंगे और उससे हमारा जीवन दुबारा, जो समाप्त होने जा रहा है, बहाल रखने में हमको सहायता मिलेगी।

दूसरे में निवेदन करना चाहूंगा, इसी जवाई नदी के अन्दर आने वाले पानी का एक स्रोत था, पाली जिले के अन्दर पंचदेवल नाम का एक स्थान है, पोषाणा नदी है, उस पोषाणा नदी पर इस नदी के अन्दर आने वाले पानी को हमने फिर वहां टेप कर लिया। आज से सात-आठ साल पहले हमने वहां पर फिर योजना बना ली, मैं खुद देख कर आया, करीबन आठ-दस फीट ऊंची एक बहुत बड़ी जबरदस्त खडीन बना ली और सारी नदी का सोर्स ही हमने रोक दिया। आखिर में हम क्या कर रहे हैं। नीचे हमारी योजना बनी हुई है, नीचे हमारा बांध बना हुआ है, पानी जा रहा है और ऊपर हमने बिना सोचे-समझे उसको टेप कर लिया। यानि कितनी हमारी गलत फाल्टी प्लानिंग है। पैसा बरबाद कर रहे हैं, जहां सरप्लस पानी हो, जहां पानी फिजूल जा रहा हो, उसको जरूर रोकिये। मगर जिस पानी का उपयोग हो रहा है उससे पानी को रोकने का क्या मतलब है, अर्थ क्या है, क्या सार्थक परिणाम निकलने वाले हैं। ऐसी स्थिति के अन्दर मेहरबानी करके जवाई नदी चलाने के लिये आप जवाई बांध के गेट खुला रखने की व्यवस्था करावें। मुख्य मंत्री महोदय ने कमिटमेंट दे रखा है, मगर यह कब करेंगे इसके बारे में शीघ्र कोई निर्णय लेना चाहिए।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा, एक भाद्राजून नाम की एक अपने डिप्रेशन का एरिया है, जिसमें पांच-छह हजार बीघा अतिवृष्टि होने पर पानी वहां पर भरा हुआ पड़ा रहता है। तो पानी भरे रहने के कारण से करीबन पांच-छह हजार बीघा के अन्दर काश्तकार खेती नहीं कर पाते। यह सरप्लस पानी पड़ा रहता है डूब में, जिसका कोई उपयोग नहीं है। इस पानी को नहर बना कर आपको कम से कम अपने वाकली बांध के अन्दर पानी को डालना चाहिए जिससे कि पानी का उपयोग हो सके। लोग मेरे से मांग कर रहे हैं कि हमारे सात-आठ गांव की कम से कम छह-सात हजार बीघा जमीन हमारी बेकार पड़ी रहती है डिप्रेशन के अन्दर, हम खेती नहीं कर पाते हैं तो इस प्रकार की योजना बनावें जिससे कि दोहरा आपको लाभ मिल सके। पानी का सिंचाई में उपयोग होगा आपको आर्थिक कुछ लाभ भी मिलेगा और जमीन कम से कम जो बेकार रहती है वह खेती लायक हो जाएगी। इस योजना का नाम है भादरज उनान फीडर सिंचाई योजना।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जवाई बांध के सिंचाई के सिस्टम को सुधारने के लिये वर्ल्ड बैंक की सहायता से हमने कोई योजना बनायी है। मेरे क्षेत्र के करीबन 30-32 गांव जो जालौर जिले की आहोर तहसील के हैं वे जवाई बांध के कमाण्ड क्षेत्र में आते हैं। उसकी बहुत सी वितरिकाएं कच्ची हैं, वितरिकाएं टूटी-फूटी हैं बहुत सीपेज होता है और पानी टेल एण्ड तक पहुचंता नहीं है।

(श्री भगराज चौधरी)

आपने योजना बनायी है तो मेहरबानी करके इस बात को भी मंत्री महोदय देखिये कि कम से कम जो हमारा इर्रिगेशन सिस्टम है, जो पूरा डवलप किया हुआ नहीं है, कच्चा है पानी का सीपेज हो रहा है और पानी देर से पहुंचता है जिससे लोसेज काफी ज्यादा होता है। आप उस पानी का बेहतर ढंग से उपयोग करने के लिये इर्रिगेशन सिस्टम जो आलरेडी बन चुका है उसको पक्का क्यों नहीं कर रहे हैं मैं यह उम्मीद करता हूं कि ये जो योजना आपने बनायी है वर्ल्ड बैंक की सहायता से उसमें मेरे आहौर तहसील की जो भी सारी माइनर्स हैं उनको ठीक-ठाक कराएंगे और इर्रिगेशन सिस्टम को आप सुधारने की व्यवस्था करवाएंगे।

एक और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जवाई बांध का पानी पीने के लिये जोधपुर शहर को हम कई साल से देते आ रहे हैं। कब तक देते रहेंगे। अब तो आपने इन्दिरा गांधी नहर का पानी जोधपुर शहर को देना भी शुरू कर दिया, लिफ्ट सिंचाई के माध्यम से पानी भी पहुंचा दिया। पानी उनको मिल रहा है तो मैं निवेदन करना चाहूंगा मेहरबानी करके जालौर जिले पर आप इतना अत्याचार मत करिये। आप पानी यहां पर भेजना बंद करिये और ये पानी आपने पाली में भी देना शुरू कर दिया। मुख्य तौर से इस पानी का उपयोग करने का अधिकार हमारा है। राइपेरियन राइट्स के बारे में कहा जाता रहा है कोर्ट्स द्वारा फैसले हो चुके हैं। कानून के आप भी जानकार हैं हम भी जानकार हैं, क्योंकि जहां से सोर्स स्टार्ट हुआ और वहां से होता-होता सोर्स जहां तक जाएगा बीच में उसको टेप नहीं किया जाएगा जिससे कम से कम अपस्ट्रीम एंड तक उस पानी का उपयोग हो सके इसलिये जवाई बांध का पानी जोधपुर देना बंद करिये और बंद करने के बाद में वह बचा हुआ पानी है आप सिंचाई के लिये और पेयजल के लिये जालौर जिले में देने की व्यवस्था करावें।

अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई थी हमारे जालौर के एस. ई. से, उन्होंने कहा कि आज आपकी सिंचाई की डिमाण्ड है। आप मेहरबानी करके जवाई बांध के पानी पर आधारित कुछ पेयजल योजनाएं बनाने की व्यवस्था करावें जिससे कि पानी की व्यवस्था हम कर सकें। वरना तो इस गर्मी के मौसम के अन्दर आहौर तहसील के बहुत से गांवों में पानी की समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। मैंने उनसे कहा कि मुख्य मंत्रीजी बीमार हैं, गेट खोलने का उन्होंने वायदा किया था मैं पुरजोर कोशिश करूंगा, मांग उठाऊंगा पर आखिर में गेट खोलने के बारे में कब सरकार निर्णय करेगी, कैसे करेगी यह तो एक वाद का विषय है, पर मैंने कहा कि मैं कोशिश जरूर करूंगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जोधपुर शहर को पानी देना बंद करिये और बचा करके जालौर जिले के अंदर पेयजल के लिये और सिंचाई के लिये हमको देने की व्यवस्था करावें।

(श्री भगराज चौधरी)

मैं एक आपको और निवेदन करना चाहूंगा, अन्त में एट दी कोस्ट आफ रिपीटिशन उमकली फीडर सिंचाई योजना जो पाली जिले में दो करोड़ की लागत से बनाई जा रही है। जैसा मैंने पहले कहा और उससे आपको फायदा क्या होने वाला है। आप पैंतीस सौ बीघा के अंदर सेवज की खेती वहां करने की व्यवस्था कर रहे हैं। सेवज का मतलब यह है कि पानी को आप वहां पर डाइवर्ट करेंगे, करीबन डेढ़-दो महीने वहां पर स्टोर करके रखेंगे जमीन के अन्दर जब माइश्चर डवलप हो जाएगी उसके पश्चात् बिना इर्रिगेशन के बिना फ्लो इर्रिगेशन के वहां पर आप खेती करने की व्यवस्था कराएंगे। बोलिये कितने पानी का वहां पर नुकसान हुआ और सीपेज के जरिये इवेपोरेशन लॉसेस कितनी होगी? आर्थिक भार आपको अलग पड़ रहा है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हमारे ऊपर अलग है तो आप दो करोड़ रुपये बरबाद करके अगर कुलथाणा नदी, जो कि हमारे बागली बांध का मुख्य स्रोत है, वैसे तो खैर उसमें सरप्लस पानी नहीं है अगर थोड़ा बहुत सरप्लस पानी है भी तो आप हमारे बागली बांध की हाइट को ऊंचा बढ़ाने की व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर बागली डैम की हाइट बढ़ जाएगी और पानी ज्यादा स्टोर होगा तो डाउनस्ट्रीम में और गांवों को हम पानी देने की व्यवस्था कर सकेंगे कम लागत पर जिससे जालौर और बाड़मेर के जो इलाके हैं, जो रेतीले इलाके हैं, आम तौर से बरसात कम होती है, इस बार अभी तक वहां पर बरसात नहीं हुई है ऐसी स्थिति है और 10 साल के अंदर अक्सर करके चार तो अकाल पड़ते ही रहते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर आप यह पानी ऊपर डाइवर्ट मत करिये उस पानी को मोड़ने, इंटरसेप्ट करना कतई गैर कानूनी है और मेहरबानी करके आप उमकली फीडर से इसको ड्राप करिये।

मंत्री महोदय, आपकी शायद जानकारी में नहीं होगा मेरी मुख्य मंत्री से बात हो चुकी है और अधिकारियों से बात भी हो चुकी है। मुख्य मंत्री महोदय ने इस समस्या की गम्भीरता को देखते हुये आज से चार महीने पहले, जनवरी माह में इस स्कीम पर काम करना रुकवा दिया था। अभी मुझे जानकारी मिली है कि दुबारा इस स्कीम को चालू करने के बारे में शायद मेरे ख्याल से विचार किया जा रहा है अगर इस प्रकार का विचार किया गया है और काम शुरू किया जाता है तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हजारों आदमी वहां पर एकट्ठा हो जाएंगे, मरेंगे, कटेंगे, लड़ेंगे, भिड़ेंगे, संघर्ष, करेंगे और जो कुछ भी समस्या होगी इसके लिये सरकार जिम्मेदार होगी मगर एक ईंट भी वहां पर हम नहीं लगाने देंगे। यह इस प्रकार का हमने मन बना लिया है। पानी की एक-एक बूंद के लिये हम लड़ते आये हैं। जागीरदारी के समय में एक गांव से दूसरे गांव को पार करता जब कोई पानी का बाड़ा जाता था और नीचे जाने से रोक लिया जाता था तो वहां पर संघर्ष चलता था। सैकड़ों साल तक, कई साल तक कोर्ट में मामले भी गये हैं। हम

(श्री भगराज चौधरी)

भी हमारे हक का बागली बांध का जो पानी है इसको कतई ऊपर नहीं रोकने देंगे, डाइवर्ट करने नहीं देंगे। इस बात को अधिकारीगण अच्छी तरह से समझ लें और सरकार अच्छी तरह से समझ ले। मुझे दुःख इस बात का कहते हुये होता है कि केवल मात्र पैसा खर्च करके उसमें से कुछ पैसे का दुरुपयोग करने के लिये ऐसी स्कीम बना लेते हैं कितने शर्म की बात है। अगर पानी एक्स्ट्रा है तो आप बांध की हाइट को ऊंचा क्यों नहीं करते? मैंने आज से दो साल पहले तारांकित प्रश्न अपना लगाया था इस बांध की हाइट को ऊंचा करने के लिये उसमें मुझे जवाब दिया गया.....

श्री उपाध्यक्ष : आप रिपीटिशन बहुत करते हैं।

श्री भगराज चौधरी : I am sorry if I do like that. मुझे जवाब दिया गया कि बागली बांध के अंदर कतई सरप्लस पानी नहीं है और सरप्लस पानी नहीं होने के कारण बांध की हाइट को ऊंचा करने की कतई जरूरत नहीं है। वह आज दिन तक सरकार की ओर से जो लिखित में उत्तर दिया हुआ है मेरे पास पड़ा है। तब कैसे आप कह रहे हैं कि इस बांध के भरने के बाद में इसके स्रोत के लिये सरप्लस पानी है। मेरे ख्याल से सरप्लस पानी कतई नहीं है।

मैं अन्त में, जैसा कि मुझे आसन द्वारा कहा जा रहा है मैं अपनी बात को इतना ही कहते हुये समाप्त कर रहा हूं कि मेहरबानी करके उमकली फीडर सिंचाई योजना को आप निरस्त कर दीजिए। यह मेरा आपसे निवेदन है और जवाई बांध के गेट को चालू करवा दीजिये, खुलवा दीजिये। तीसरा, जोधपुर जो पानी भेज रहे हैं उसको आप बंद कर दीजिये। यह मेरी अपनी मुख्य-मुख्य मांगें थी। आपने मुझे समय दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट माननीय सदस्य ने जो अपस्ट्रीम पर दूसरा बांध बनाने की चिन्ता व्यक्त की है। यह पूरे स्टेट के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर समस्या उत्पन्न है। और मैंने मेरे समय में मुझे ध्यान है कि इस बाबत में पाबंदी लगाई थी। माननीय मंत्री महोदय आपकी जानकारी के लिये बता देना चाहती हूं कि आलरेडी फ्लो आफ वाटर पर कोई बांध बना हुआ है उसके अपस्ट्रीम अगर कोई बांध बनाने की स्कीम आएगी, वह तब तक मंजूर नहीं की जाएगी जब तक कि अधिकारी फुल्ली जस्टीफाई नहीं कर दें। पिछले 5-7 वर्षों के पानी के ओवर फ्लो के आधार पर और अगर गलत कोई स्कीम इस तरह की प्रपोज्ड की जाएगी तो उसका सारा का सारा उत्तरदायित्व उस अधिकारी का होगा। इस तरह की व्यवस्था की गयी थी। क्योंकि अकाल के दौरान एक ही नदी के ऊपर तीन-तीन बांध बनाये गये दो रिडन्डेन्ट हो गये और एक काम करता रहा। यह जो वेस्ट आफ मनी और एक तरह से कहना चाहिए उस पालिसी का भी एक तरह से हनन हो रहा था। वह पालिसी, वे निर्देश,

(श्रीमती कमला)

वे व्यवस्थाएं कायम हैं या नहीं हैं मुझे नहीं पता लेकिन आप उसको रीइटरेट करें और पाबंदी के साथ में लागू करें जिससे कि जो इनकी चिन्ता है वह अन्य माननीय सदस्यों की भी हो सकती है उसका निराकरण हो सके।

श्री रामस्वरूप मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पर मेहरबानी कर दो। नहीं तो अब धैर्य का बांध टूट जाएगा। (व्यवधान)

श्री भगराज चौधरी : तत्कालीन सिंचाई मंत्री श्री देवी सिंहजी ने और मुख्य मंत्री ने कहा था कि बीसलपुर बांध की योजना को विपरीत प्रभाव डालने वाली, आप इसी पर अगर कोई मान लो कोई एनीकट बनाते हैं, खडीन बनाते हैं, बांध बनाते हैं, तो हम नहीं बनाने देंगे। वह जो आपने सैद्धान्तिक जो निर्णय ले रखा है उसी सैद्धान्तिक निर्णय को लागू करते हुये आप अब इसमें कोई किसी प्रकार का, कोई नया खडीन अथवा बांध नहीं बनाएं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। मेरे ख्याल से काफी समय हो गया।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह रोजाना हालत होती है। यहां सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं दो-दो मिनट के लिये + + + और जो बैठने वाले जाने वाले चले गये और वे रोजाना ही चले जाते हैं, सीटें खाली पड़ी हैं और हम बैठने वालों को दंड मिलता है दो मिनट भी हमारे को हमारी समस्याओं को रखने के लिये नहीं मिलते हैं, + + + इस दो मिनट के लिये इससे बड़ी और बुरी बात इस सदन के अन्दर क्या होगी? आप हमारे न्याय के लिये यहां बैठे हुये हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : उपाध्यक्ष महोदय, श्री रामस्वरूपजी को आप समय दें तो हमें भी देना।

श्री रामस्वरूप मीणा : खैर, आपकी मर्जी है।

श्री उपाध्यक्ष : वे कह रहे हैं कि श्री रामस्वरूपजी को समय दें, तो हमें भी देना पड़ेगा।

श्री हरिनारायण बैरवा : हमें भी देना।

श्री भीमसेन चौधरी : समय तो देने की जरूरत है, साहब।

श्री रामस्वरूप मीणा : करो मेहरबानी रोजाना कहना पड़ता है साहब यह बड़े दुःख की बात है।

श्री भीमसेन चौधरी : डिमाण्ड्स के ऊपर बोलना चाहेंगे सबको बोलने का समय दिया जाए।

श्री रामस्वरूप मीणा : आप सर्वोपरि हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : जितना मिनट वे बोलेंगे उतनी मिनट मैं बोलूंगा।

श्री रामस्वरूप मीणा : आसन सर्वोपरि है। आसन हमारे न्याय के लिये बैठा है।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : हां, आपको दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप दो मिनट में अपनी बात कह दें।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी (मांडलगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। सबसे पहले तो मैं पूर्व सिंचाई मंत्री श्री देवीसिंह भाटी जी को धन्यवाद दूंगा कि मेरे क्षेत्र में दो बांध डेढ़-डेढ़ करोड़ के करीब इन्होंने बनवाएं जिनका उद्घाटन भी यह कर आये हैं और 6 करोड़ रुपया करीब इन पिछले चार साल में सिंचाई पर मेरे क्षेत्र में खर्च हुये हैं। आज जो सिंचाई मंत्री बने हैं उनको भी मैं अग्रिम धन्यवाद दूंगा। श्री वी.पी.सिंह जी बहुत ही मित्रणीय हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, परन्तु इनका जो दिमाग चल रहा है उससे सिंचाई विभाग में निश्चित रूप से आमूलचूल परिवर्तन होगा और एक नया इतिहास रचा जाएगा। इन्होंने मेरे यहां एक तो देवली नाला स्कीम और मंडोर बांध को दो फीट ऊंचा करने की स्वीकृति दी, अगस्त में वह काम हो जाएगा। देवली नाला का रेशों भी आ गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बिन्दु की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आज पानी की जो समस्या है, पानी रोकना चाहिए, पानी वेस्ट नहीं जाना चाहिए। पर अंडर ग्राउंड वाटर का जो लेवल खतम होता जा रहा है यह सबसे बड़ा चिंता का विषय है। मैंने पहले भी सुझाव दिया था कि जो नदियां हैं उनमें यदि लेवल पर पानी को रोका नहीं जाए और अंडर ग्राउंड नीचे खोद कर और मिट्टी का बांध जैसे बनाते हैं, 10-20 फीट नीचे उसमें बना दें और उसका लेवल नदी के लेबल से ऊपर नहीं लाए तो निश्चित रूप से अंडर ग्राउंड वाटर में हमें चार्ज होने में मदद मिलेगी। कम से कम मैंने जो सुझाव दिया है यदि यह उपयोगी हो तो निश्चित रूप से इस पर काम करना चाहिए जिससे कि अंडर ग्राउंड वाटर बढ़े। आपने जो समय दिया उसके लिये धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : जवाब दिलवा दें ?

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरी समस्याओं के बारे में दो मिनट में निवेदन करना चाहात हूं।.....

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : कभी बोलते ही नहीं है आज तो बोलने दो उनको।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, रामस्वरूपजी मैं निवेदन कर रहा हूं, मंत्री महोदय इतने विस्तार से जवाब देंगे कि आपको क्वेश्चन करने की आवश्यकता ही नहीं है.

श्री रामस्वरूप मीणा : मैं बोलता हूं तब देते हैं विस्तार से जवाब ? एक-एक घंटे लोग बोल गये, आधा-आधा घंटे लोग बोल गये उनके लिये तो विस्तार नहीं होता है और मेरा नंबर आया और मंत्री जी का टाइम हो गया।

श्री उपाध्यक्ष : आप दो मिनट में अपनी बात कहिए, दो मिनट में।

श्री रामस्वरूप मीणा : पांच मिनट भी नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : दो मिनट में।

श्री रामस्वरूप मीणा : दो मिनट में भूमिका बनती है साहब, यह सोचने की बात है, ऐसा अन्याय क्यों करते हो ?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से वर्षा ऋतु आती है तो पेड़ों में हरियाली आ जाती है उसी प्रकार सिंचाई विभाग में जैसे ही वर्षा ऋतु आती है तो इनके मन भी प्रसन्न हो जाते हैं। कारण क्या है ? इनके यहां एक वर्क होता है, इमरजेंट वर्क, इस इमरजेंट वर्क में करोड़ों रुपया यहां आता है और वह बाद में उसमें से एक लाख का एग्रीमेंट होता है और आठ लाख का उसमें से पेमेंट कर दिया जाता है। इस प्रकार के कार्य इनके इसी इमरजेंट वर्ग में आते हैं। जिसमें करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाया जाता है जिसका कोई न हिसाब न किताब और बराबर कर देते हैं। इसलिये मन प्रसन्न होते हैं इनके इस समय में। इसलिये जो इमरजेंट कार्य हैं इन कार्यों को बंद किया जाए या इन पर पाबंदी लगायी जाए या इनके ऊपर कोई कमेटी बैठायी जाए कि इस प्रकार के कार्य जो विभाग में आते हैं कृपया उनकी जांच कमेटी हो जो अपनी देखरेख में विभाग में इस पैसे को लगवाए।

दूसरा, मेरा निवेदन है कि नहरों की मरम्मत के लिये जो पैसा आता है, नवम्बर में इनको पैसा देते हैं मरम्मत के लिये और नवम्बर में नहरें खोल दी जाती है। क्या 10-15 दिन में सारी मरम्मत हो जाती है ? नहरों की मरम्मत नहीं होती है अधिकारियों के पेटों की मरम्मत होती है इसमें।

तीसरा, मेरा निवेदन है कि हमारे पांचना बांध में बार-बार खतरा होता है, अब टूट रहा है। अभी आज से 5-7 दिन पहले मैं बार-बार सदन में कह रहा था कि पांचना बांध टूटने वाला है। इसका कारण क्या है ? पांचना पर दो बाध और बंधने थे, कालीधे बांध और तुरगसी बांध।

श्री उपाध्यक्ष : वह आपकी भविष्यवाणी सही नहीं हुई है।

श्री रामस्वरूप मीणा : वह तो प्रभु ने कृपा कर दी, हमारी आवाज को सुन लिया इसलिये बच गये सारे लोग। यह तो बड़ी मेहरबानी है आपकी, आप हमारे अध्यक्ष होने जा रहे हो, आपकी मेहरबानी से बच गया वह बांध। मेरा निवेदन है कि जो टाइम खराब हुआ है वह आप और बढ़ा दोगे।

पांचना के लिये दो बांध बंधने थे कालीधे बांध और तुरगसी बांध। अगर दोनों ओर सपोर्ट बांध बांध दिये जाते तो यह टूटने की नौबत नहीं आती। पानी उनके अंदर भी जा सकता था और वह पानी बाद में काम आता।

मेरा चौथा पाइंट है इन्दिरा लिफ्ट योजना। यह योजना हमारे यहां चंबल के ऊपर बनने वाली थी जिससे हमारा करौली

(श्री रामस्वरूप मीणा)

जिला, सवाईमाधोपुर जिला, भरतपुर जिला, दौसा जिला, इतने जिलों को लाभ मिलता। लेकिन बड़े दुःख की बात है कि कांग्रेस ने तो इस इन्दिरा लिफ्ट योजना को दिल्ली भेज दिया लेकिन माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके पास यह योजना पड़ी हुई है। माननीय मुख्य मंत्री जी तो यहां आज बिराजमान नहीं हैं, उनको भगवान स्वस्थ बनाये, लेकिन जो सिंचाई मंत्रीजी यहां बिराजमान हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप इन्दिरा लिफ्ट योजना को दिल्ली से मंजूर करा के लावें। इन्दिरा लिफ्ट योजना, जिससे सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि आप तुरन्त उसको मंजूर करा कर लावें।

पांचवा मेरा निवेदन है..... (व्यवधान) दो निवेदन बस, मात्र दो निवेदन उपाध्यक्ष महोदय, पांचवा मेरा निवेदन है कि हमारे यहां एक बान घाट बंधा है उस बान घाट बंधे की हमारी एक नहर है जो मेहन्दीपुर बालाजी मोड़ से हमारे टोडाभीम होती हुई बाल घाट भण्डारी बांध में जाती है। भूतपूर्व माननीय सिंचाई मंत्री जी, यहां बिराजमान हैं वे इस समय बातों में लगे हुये हैं, मैं इस बात के लिये उन्हें धन्यवाद देता हूं 40 लाख रुपये इन्होंने हमारे लिये मंजूर किये थे लेकिन मेरा दुर्भाग्य है, इनका तो मंत्री पद गया, इन्होंने त्याग दिया लेकिन मेरी नहर को भी त्याग दिया आपने तो। आज वह नहर अधूरी रह गयी। अब हमारे बड़े विद्वान मंत्री आये हैं श्री वी.पी.सिंह जी, मैं इनसे निवेदन करूंगा कि आप इनके अधूरे कार्यों को पूरा करा देना। मत देना मुझे तो एक पैसा भी आप। मेरी इस नहर को पूरा कर दो और कुछ नहीं कर सकते हो तो। यह भण्डारी बांध है, राजपूतों का बांध है, उन्होंने ही बनाया था, इनके बड़ों ने।

श्री उपाध्यक्ष : अब बिराजिए आप, बिराजिए।

श्री रामस्वरूप मीणा : आखिरी बात और कह रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आखिरी बात है मेरी। हमारे यहां नादौती तहसील है। नादौती तहसील में हमारे सोत का बंधा है जहां पर एस.टी.के. लोग रहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस बांध के लिये 18 लाख रुपया मंजूर हुआ था। माननीय श्री भाटी जी मंजूर कर गये थे लेकिन जो पैसा मंजूर हुआ उस पैसे को तो बराबर कर दिया भाटी जी, जैसे आपने भी बराबर कर दिया इनको। लेकिन मजदूरों की मजदूरी आज तक नहीं दी। सोत ग्राम के मजदूरों की, मजदूर रो रहे हैं इनको और जब मजदूरों ने पैसा मांगा तो उनके खिलाफ केस लगा दिये, एफ.आई.आर. दर्ज करवा दीं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विभाग द्वारा उन मजदूरों की मजदूरी दी जाए उनके खिलाफ जो केस लगाये हैं उनको वापस लिया जाए और बंधे का कार्य भी रुकवा दिया उसको आप पूरा करावे, यह मेरा आपके माध्यम से निवेदन है। अंत में यह कहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे यहां के जितने भी निजी बांध हैं उनको सरकारी बांध

(श्री रामस्वरूप मीणा)

में ले लिया जाए ताकि उनका विकास हो सके।

मैं पुनः आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां जो पाचना बांध है उसकी नहर की नादौती तहसील के लिये बनी थी उसको आगे बढ़ाया जाए। इन्हीं सभी बातों के साथ पुनः मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि मैंने जो योजनाएं कहीं रखी है उनका आप सर्वे करवाएंगे और मेरे कार्यों को चालू करवाएंगे। उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो मुझे टाइम दिया उसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : आप भी दो मिनट में अपनी बात कहें।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : मैं संक्षेप में अपनी बात कहना चाहता हूं। सबसे पहले हमारे यहां पाक विस्थापितों और महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के विस्थापितों का एरिया है उसमें चक तीन एस.एल.एम. वाटर कोर्स है। वह कई बरसों से अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसके बारे में सरकार ने कोई फैसला नहीं किया है। सरकारी स्तर पर फैसला करने की आवश्यकता है, जिससे कि पाक विस्थापित और महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के काश्तकारों को लाभ मिल सके। इसके अलावा 507 स्केप है गंग कैनाल से इंदिरा गांधी नहर पर। इस इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के आर. डी. 507 स्केप से आसपास के किसानों की सेम की समस्या पैदा हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय को सुनने के बाद कोई बात पैदा हो पारीक साहब, तो फिर बोलिये, मंत्री महोदय को आप सुन लें पहले।

श्री भीमसेन चौधरी : इसके अलावा हमारी साबा नहर योजना से सूई कैनाल बनानी है। उसका काम बहुत ही धीरे से चल रहा है। मैं चाहता हूं कि उसका काम तेजी से किया जाए ताकि लूणकरणसर तहसील के जो 10 गांव प्रभावित होने वाले हैं, उनके जो लाभ मिलने वाला है, उसका लाभ जल्दी मिलना शुरू हो जाए। इसके अलावा मेघाना और रामबाग माइनर कंवर सैन लिफ्ट की है इन दोनों माइनर्स का काम तेजी से किया जाए, इसका काम बहुत स्लो चल रहा है। इसके अलावा हमारे के. जेडी. नहर है उसके 146 आर.डी. से डाउन स्ट्रीम के काश्तकार हैं उनको सिंचाई की सुविधा पूरी नहीं मिल रही है। इसके लिये बराबर तीन-चार साल से मैं सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। पूगल ब्रांच के टेल से एक माइनर निकाल कर डाउन स्ट्रीम के काश्तकारों को पानी दिया जा सकता है और इससे उस जमीन को भी पानी मिल जाएगा जो अभी सिंचित नहीं है। सरकार को इसमें जो खर्चा होगा वह इस जमीन से, सिंचित जमीन से उसका लाभ मिलेगा। उस जमीन से जो पैसा है वह सरकार को मिल सकेगी और मैं समझता हूं कि सरकार इस बारे में ध्यान करेगी। तीसरी बात सबसे बाद में मैं यह कहना चाहता हूं कि गंगा फ्लड वाटर में हिस्सेदारी का मामला राजस्थान सरकार ने उठा रखा है, मैं समझता हूं कि इसके बारे में

(श्री भीमसेन चौधरी)

जो गंगा फ्लड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग अभी तक तीन साल से नहीं हुई, सरकार को इस समस्या के बारे में ध्यान देना चाहिए। यही निवेदन करना चाहता हूं।

(21.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट बोलिये।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सीकर में एक शोभावती डैम का प्रोजेक्ट काफी समय से लम्बित पड़ा हुआ है। मेहरबानी करके उस डेम के बारे में आप विचार करें। पर्टिकुलर शोभावती नदी की वजह से वहां का जो नमक उद्योग है वह बिलकुल चौपट हो गया। उस शोभावती नदी का पानी आकर रेवासा बांध है उसमें इकट्ठा होता है, वहां पर नमक का काफी बड़ा उद्योग था वह बांध का पानी 7-7, 8-8 फीट उस पर चढ़ जाता है। वहां का नमक उद्योग बिलकुल बरबाद हो गया दूसरा, एक हरिपुरा बांध है जो अभी टूट गया। उस हरिपुरा बांध के टूटने की वजह से पिछली बार दो साल पहले भी राणोली, सवाईपुरा और चकमेटाई में काफी बड़ी तबाही मची थी और एक व्यक्ति उसमें दब गया था। दो वर्ष बाद, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसकी डेड बाडी अभी 4-5 रोज पहले मिली है। एक बराल का बांध है, बराल का बांध टूट गया और करीब सौ बीघा जमीन को बीच में से कटकर इतने ज्यादा खड्डे हो गये कि अब रास्ते चलने के लिये कोई जगह भी नहीं बची है। वहां पर कोई गाइड बांध बनाने की कुछ व्यवस्था कर सकें, तो बड़ी मेहरबानी होगी। बहरलाल हरिपुरा, हात्याद बलासरा आदि इन गांवों में काफी बड़ा नुकसान हुआ है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अर्जुनलाल जीनगर।

श्री अर्जुनलाल जीनगर (गंगरार) : माननीय उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं शेखावत साहब और सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा और पूर्व सिंचाई मंत्री श्री देवीसिंहजी भाटी का विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने मेरे क्षेत्र में जो 40-50 साल से प्रस्ताव पैंडिंग पड़े थे उन स्कीमों को आपने स्वीकृत किया। उसमें सोमी सरोवर और ओडवाड़ा बांध है। वर्तमान मंत्री महोदय से मैंने निवेदन किया था कि मेरी एक सिंचाई योजना और स्वीकृत हो जाए तो पूरे क्षेत्र सरसब्ज हो जाएगा। वह है सामरानाला बांध, बंद रखा, यह सिंचाई विभाग चित्तौड़ प्रथम में आता है। मंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया है कि इसी वित्तीय वर्ष में इसको स्वीकृत करके बना दिया जाएगा।

अन्त में, ज्यादा समय नहीं है पर फिर भी मैं कुछ बात कहना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र में दो प्रमुख नदियां हैं। एक तो बनास, जो मेवाड़ की गंगा कहलाती है, दूसरी भेड़च। भेड़च नदी के अन्दर पानी वर्ष भर बहता है। इस नदी के अन्दर लघु सिंचाई जलोत्थान परियोजनाएं लागू हैं अगर वहां जगह जगह पर छोटे-छोटे एनीकटस् बना दिये जाएं ताकि वहां के छोटे-छोटे एरिये में जलोत्थान सिंचाई

(श्री अर्जुनलाल जीनगर)

परियोजना के द्वारा सिंचाई हो सके। अतः छोटे-छोटे एनीकट्स बनाने की स्वीकृति प्रदान करें।

दूसरी बात, कांग्रेस शासन में जो तत्कालीन मंत्री थे उन्होंने मातृ कुण्डिया के अन्दर बांध बनाया, सारा का सारा पानी भीलवाड़ा के मेजा बांध में भेजा जाता है, मेरे क्षेत्र के लोगों को एक बूंद पानी नहीं दिया जाता है। इस सदन में जब से मैं आया हूं तब से 295,131 कितनी बार यह मुद्दा उठाया कि मेरे क्षेत्र की जनता और काश्तकारों के लिये पानी आरक्षित किया जाए। मैं यह नहीं चाहता भीलवाड़ा जिले को पानी नहीं मिले, भीलवाड़ा को पानी मिलना चाहिए लेकिन वहां पेयजल के लिये पानी मिले 400 एम.सी. एफ.टी. पानी मिलना चाहिए जिसकी भराव क्षमता 1280 एम.सी.एफ.टी. है, 213 एम.सी.एफ.टी. दरीब माइंस को दिया जाता है, शेष पानी जो बचता है वह 600 एम.सी.एफ.टी. है। नहरों का सर्वे करवाया जाए। मंत्री महोदय आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मातृ कुण्डिया बांध से नहरें निकालकर मेरे क्षेत्र के काश्तकारों को पानी उपलब्ध कराया जाए, नहरों से सर्वे के आदेश जल्दी से जल्दी दिलाये जाएं। अब अन्त में, मैं एक बात और कहूंगा कि इस बनास नदी के ऊपर एक एनीकट जो अधूरा पड़ा हुआ है मरमी माताजी के स्थान पर अपूर्ण एनीकट है। यदि उसमें 10-20 लाख रुपये मिल जाएं तो पूरा हो जाएगा, कुओं का जल स्तर बढ़ेगा। मातृकुण्डिया डैम बनने के बाद बनास नदी के किनारे किनारे जितने भी कुएं हैं, खेती योग्य जमीन है वहां के कुओं का पानी नीचे चला गया है और जो पूरी की पूरी खेती योग्य जमीन है वह बेकार पड़ी हुई है, ऊसर होने को आयी है। मंत्रीजी से निवेदन है कि इस मातृकुण्डिया बांध का पानी मेरे क्षेत्र की जनता को दिलाया जाए तो मैं समझता हूं कि मेरा अहोभाग्य रहेगा और इस सदन में मेरा आना भी सार्थक रहेगा। पुनः आपने जो समय दिया उसके लिये धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बैरवा, समय का ध्यान रखें आप।

श्री हरिनारायण (खण्डार) : उपाध्यक्ष महोदय, खण्डार विधान सभा क्षेत्र चम्बल और बनास दोनों बड़ी नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र है और फिर भी वह सूखा सम्भावित क्षेत्र है एक कहावत है कि "मौहे सुन सुन आवत हांसी, पानी में मीन पियासी।" यही खण्डार क्षेत्र के साथ हो रहा है।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : और एक कहावत और है "घर का पूत कुंवारा डोले पाड़ोसी का फैरा।"

श्री हरिनारायण : वृहद इन्दिरा जलोत्थान सिंचाई परियोजना लगभग 12 वर्षों से प्रस्तावित है और प्रतिवर्ष इसके सर्वे में हजारों रुपये खर्च होते हैं। एक वर्ष में 33 हजार का खर्चा आता है इस प्रकार लाखों रुपये 12 वर्ष में इन्होंने खर्च कर दिये लेकिन यह योजना अभी भी प्रस्तावना में ही चल रही है। केन्द्रीय जल आयोग ने कई बार इसके ऊपर

(श्री हरिनारायण)

ऑब्जेक्शन लगाकर भेजा लेकिन सरकार इसका जवाब सही नहीं देती। इसी प्रकार पीपलदा जलोत्थान सिंचाई परियोजना के सम्बन्ध में केन्द्रीय जल आयोग ने आक्षेप लगाकर भेजा। राज्य सरकार ने उसका जवाब भी दे दिया लेकिन इसको वित्तीय स्वीकृति नहीं मिली। माननीय मंत्री महोदय से मैं आग्रह करूंगा कि इस परियोजना के लिये वित्तीय स्वीकृति देने की कृपा करें। इसी प्रकार मानसरोवर बांध में पानी की कमी रहती है। एक कुशालीपुरा का नाला है, यह प्रस्तावित है कि चार किलोमीटर तक उसकी खुदाई करके उसको मानसरोवर बांध में मिला दिया जाए। देवपुरा बांध में भी पानी की कमी रहती है इसमें हंदवाड़ा के पास तीन किलोमीटर तक खुदाई करके उस नाले को देवपुरा बांध में मिला देते हैं उसके वेस्ट वियर ऊंचा कर देते हैं तो उसमें जलबढ़ जाता है। देवपुरा बांध जिस वक्त वह बना था उस समय दो नहरें उसमें स्वीकृत थीं एक नहर तो खोल दी गयी है बाकी एक नहर ऐसी है जहां अनुसूचित जाति की पूरी की पूरी जमीन उसके नीचे आती है लेकिन उसको आज दिन तक नहीं खोला। इससे अनुसूचित जाति के लोगों को उसका कतई लाभ नहीं मिला। दूसरी नहर जो खोली है उसका लाभ अन्य जातियों को मिला है इसलिये देवपुरा बांध में जो दूसरी नहर स्वीकृत थी उस समय उसको खोल दिया जाए।

इसी प्रकार, बनास नदी के ऊपर ईसरदा के पास में ईसरदा बांध की योजना चल रही है इसको भी जल्दी से जल्दी स्वीकृति दें जिससे यहां के लोगों को सिंचाई के लिये पानी मिल सके। अरावली फर्टिलाइजर ने वहां पर 6 कुएं खोदे थे। अरावली फर्टिलाइजर वहां से चले गया, सरकार का उसमें 10 करोड़ रुपये खर्च हुआ है। इन कुओं को यदि जलोत्थान में काम में लिया जाए तो वहां के लोगों को सिंचाई का पूरा का पूरा लाभ मिलेगा इसलिये मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि अरावली फर्टिलाइजर के जो कुएं हैं, जिनमें सरकार का 10 करोड़ रुपया खर्च हुआ है उन कुओं को लिफ्ट इर्रिगेशन में काम लिया जाए। इसी प्रकार एक हमीर सागर योजना थी जिसके सम्बन्ध में बांध परियोजना के निदेशक ने यह लिख दिया कि इस बांध के बनने से यहां के जो पेड़-पौधे और वनस्पति हैं वह नष्ट हो जाएगी। अन्य बांध परियोजना क्षेत्र के जो निदेशक आये हैं उनसे मेरी चर्चा हुई, उन्होंने साफ साफ यह कहा है कि इस बांध के बनने से वनस्पति तो हरी-भरी होगी ही बाकी जंगली जानवरों को पीने का पानी मिलेगा, कुओं का जल स्तर बढ़ेगा, सिंचाई के अन्दर पानी काम आएगा और पर्यटक आते हैं उनको देखने के लिये धार्मिक स्थान भी बनेगा। इसके साथ साथ चम्बल और बनास नदी लिफ्ट इर्रिगेशन योजनाएं चालू की जाएं। आपने समय दिया इसके लिये आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट।

श्री खंगारसिंह चौधरी : सिंचाई का विषय है।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट।

श्री खंगारसिंह चौधरी (खारची) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सिंचाई पर बहुत सारे माननीय सदस्यों ने अपने अपने सुझाव दिये, मैं भी कुछ सुझाव देना चाहता हूं, ज्यादा मैं भाषण नहीं देना चाहता। आज सिंचाई विभाग की मांग पर बहस चल रही है उसके अन्दर भू-संरक्षण और जलग्रहण भी शामिल है कि हम डी.आर.डी.ए. की मीटिंग में जाते हैं तो इसमें भू-संरक्षण और जल ग्रहण में 40 प्रतिशत बजट तो जिले में डी.आर.डी.ए. का इस पर लगता है। यह सोचिये आप, आप सब पधारे होंगे, तो उस बजट का उपयोग किसी जगह नहीं होता है। अभी मेरे वहां पर भी कई योजनाएं, पाली में, भू-संरक्षण और जल ग्रहण की चल रही हैं। उनके लिये मैंने कलक्टर को जो इसी महकमें में डायरेक्टर थे, उनको लेकर के घूमा और सब जगह योजनाओं को बताया। मैंने कहा कि इस योजना में 55 लाख रुपये मंजूर थे इस काम के अन्दर, आप बताइये यहां पर 5 लाख रुपये का उपयोग भी मुझे नजर नहीं आता अब आप इसको 55 लाख रुपये कह रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है।

वहां पर पक्के बांध, पक्के एनीकट इनके द्वारा नहीं बनाये जाते हैं तो वहां के काश्तकारों ने गये साल हिम्मत करके कुएं पर दो-दो हजार रुपये इकट्ठे करके वहां पर एनीकट बनाए। जो 25 फुट हाइट का बनाया। इनके 3 मीटर एवरेज से ज्यादा बनने वाला नहीं है। तीन मीटर बनाया तो उसका एस्टीमेट साढ़े तीन लाख रुपये आया। काश्तकारों ने जो एनीकट बनाया, मेहनत करके एक महीने में पूरा किया। बरसात होते ही वह भरा और भरने के बाद वह चला। मैंने कलक्टर को मौके पर ले जाकर के यह सारी चीज बतायी तो उनके दिमाग में भी यह बात आयी कि यह प्रोजेक्ट ऊपर से बनते हैं। पैसा केन्द्र का है और केन्द्र की योजना के अनुसार यह पैसा लगता है। मैंने कहा कि केन्द्र की योजना पंखों और एयर कंडीशनर के नीचे बैठकर के बनती है जमीन की अलग-अलग हालत होती है। हर गांव की जमीन, हर जिले की जमीन अलग-अलग है। पहाड़ी एरिये के अन्दर आज छोटे-छोटे एनीकट बना दिये जाएं तो कुओं को पानी का लेवल ऊपर आएगा और आगे जाकर के सौ नालों से एक नदी बनती है। नदी पर भी बेस-फ्लो बनाये जाएं तो पानी का लेवल बेरों में, नदी के आसपास वाले गांवों में सब जगह बढ़ेगा।

पूर्व सिंचाई मंत्री श्री देवी सिंहजी भाटी ने बेस-फ्लो के लिये वहां पर योजना दी थी और पैसे हमने लगाये थे। उसका साइड के बेरों में काफी बड़ा फर्क पड़ा और ऐसे 4-5 बेस-फ्लो बने। उसका आज भी वहां पर फायदा है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो केन्द्र की योजना आप पर थोपी जाती

है, इसे मत देखिये आप। जो भू-संरक्षण और जल ग्रहण के पैसे से पत्थर डालकर के कहते हैं पानी रुक जाएगा, कोई बिना सीमेन्ट लगाये और पक्की दीवार बनाये बगैर पानी रुकने वाला नहीं है। अगर पाली जिले में ऐसे एनीकट अरावली पहाड़ की तलहटी में काफी जगह बन सकते हैं उनको बनाया जाए तो काफी कुओं का लेवल ऊंचा आएगा और इसके अन्दर भी काफी फायदा है।

श्री उपाध्यक्ष : अब बिराजें।

श्री खंगारसिंह चौधरी : एक मिनट, उपाध्यक्ष महोदय।

जैसे 1957 में इन्दिरा कैनाल का निर्माण हुआ। उसमें 300 करोड़ रुपये इस पर खर्च होने का पूर्व अनुमान था पाइण्ट तक जाने के लिये। (व्यवधान) आज तक यह कामधेनु, जो कामधेनु है हजारों करोड़ों रुपये इस पर लग चुके हैं और लगने के बाद भी यह पूरी नहीं हुई। अगर इस कैनाल को हरियाणा में होते हुये, चुरू, झुंझुनूं, सीकर और अजमेर जिले में नागताल में इसको डालते तो इसका पानी आगे कच्छ के रण तक जाता। अजमेर से आगे नहर बांधने की जरूरत नहीं थी। अभी लूणी नदी चल रही थी, आज सिंचाई के लिये भी जोधपुर पीने के लिये पानी लाया जा रहा है। वह 205 किलोमीटर है और 700 फीट ऊंचाई पर जोधपुर पानी आएगा और 10-12 जगह लीकेज होगा, तो कितना खर्च आया। अगर यह नहर यहां से होकर निकलती तो इसका पानी पाकिस्तान जाता और सब जगह, यह पश्चिमी राजस्थान पूरा हरा-भरा इससे होता। इस बाबत इसकी सर्वे करवायी जाए। इस पर अगर ध्यान दिया जाए तो यह पूरा पश्चिमी राजस्थान आधे हिन्दुस्तान के अनाज की पूर्ति कर सकता है। यह मेरा निवेदन है। इसलिये यह भूजल ग्रहण और भू-संरक्षण के पैसे जो हैं इसके लिये यहां कमेटी बनाकर के, बैठकर के इसका निर्णय लिया जाए कि जो केन्द्र से बनकर के योजना आयी है उस हिसाब से पैसे नहीं लगाकर के अपनी भौगोलिक दृष्टि के हिसाब से वहां पर उसका उपयोग किस जिले में कैसा होना चाहिए, वही करना चाहिए। हमारे कलक्टर ने आपके पास रिपोर्ट भी बनाकर भेजी है कि जो पहले पैसा लगा है उसका बराबर यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है इसलिये दूसरी स्कीम बनाकर के सही तरीके से लगाया जाए। आपने टाइम दिया, इसके लिये बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत बढ़िया। श्री राजेन्द्र चौधरी।

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सिंचाई की महत्वपूर्ण मांग पर चर्चा हो रही है। सिंचाई मंत्रीजी पहली बार मंत्री पद पर बिराजमान होकर के बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, एक जिम्मेदारी इनके ऊपर आयी है।

मैं तो 2-3 बातें ही कहूंगा। बिलाड़ा जो कि जोधपुर में बहुत बड़ा कस्बा है। वहां पर चौकड़ी फीडर निकलती है जिससे बाढ़ में 2-3 बार बिलाड़ा डूब गया था। पिछली बार

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

जब डूबा था तो सिंचाई मंत्री श्री देवीसिंहजी भाटी थे, उनसे मैंने अनुरोध किया था उन्होंने सारा सर्वे करवाया था और वह सर्वे रिपोर्ट आ गयी है। मैं चाहूंगा कि उस बात की पुनरावृत्ति नहीं हो और बार-फुटिंग के ऊपर उस काम को करवाएं।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से अभी खारची से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिये, चौकड़ी के ऊपर जोधपुर में मैं बंधे की बात तो नहीं करता, परन्तु वहां पर छोटा राइज-अप बना दिया जाए। रिया जसपाली पर छोटा राइज-अप बना दिया जाए तो उससे जल स्तर अपना बढ़ सकता है। वहां पर उसकी सर्वे भी हो चुकी है। आप नोट कर लें चौकड़ी और रिया जसपाली।

इसके अलावा जसवंत सागर बांध, विचाग के अन्दर बिलाड़ा के पास में जो पुराना बांध है और जोधपुर जिले का सबसे बड़ा बांध है उसमें सिंचाई मंत्रीजी पूरी सिल्ट आ गयी है जिससे उसकी भराव क्षमता कम हो गयी है। उसके बारे में जरूर आप कोई निर्णय करें। इसके अलावा जोधपुर जिले के अन्दर एक धानाड़ा गांव के अन्दर बांध है, जो कि सिंचाई विभाग की तरफ से बनाया गया था। अब हालत यह है कि वह बांध टूट गया। क्योंकि वहां केचमेंट एरिये के अन्दर एन्क्रोचमेटं हो गये पानी आ गया, बांध टूट गया और लोग बह गये। इस बात को हमने जोधपुर जिले की ग्रीवेंस कौंसिल की मीटिंग की अन्दर उठाया था। आपके सिंचाई विभाग के अधिकारी भी आए थे। हमने उनसे यह कहा था कि अतिक्रमण जिनके किये हुये हैं अभी तक इस केचमेंट एरिये के अन्दर, सर्वे करके उनको अविलम्ब हटाएं। नहीं तो पानी की डूब के अन्दर, वह आ जाएंगे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमराज भाटी।

श्री भीमराज भाटी (पाली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि बारिश का जो पानी नदी-नालों में और इस तरह से बह जाता है, वह बारिस के जो नदी-नाले हैं और जो पुराने टाइम के बांध हैं उनके नदी नालों ने अपना बिहेवियर बदल दिया है। पहले जो उनका बहाव था, वह रास्ता अलग से हो गया है। इसलिये मैं कम से कम मेरे जिले की बात कर सकता हूं कि जहां पर नदी-नाले गिर कर बंधे भरने वाले थे, उन नदी नालों ने अपना बिहेवेयर चेंज कर लेने के कारण वह आजकल बंधे नहीं भर पा रहे हैं। इन नदी-नालों को भी जहां-जहां छोटे-छोटे डाइवर्शन, जो गाइड बांध हैं, गाइड बांध करके अगर इस तरह हमारे बांध भर दिये जाएं तो हमारे सरदार समंद का, खाल्डा वगैरह के बांध भर सकते हैं।

दूसरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 1990 में बाढ़ आयी थी। 1990 में जो बांध टूटे थे, वे बांध जीर्ण-शीर्ण हो गये, आज दिन तक वापस उनकी मरम्मत नहीं हो पायी। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी एक वाहेद बांध है

(श्री भीमराज भाटी)

उस वाहेद बांध की मरम्मत के लिये मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा।

तीसरा, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बांधों की भी ओवर-फ्लो की जो बिहेवेयर है, बांध कब भरता है, कब खाली रहता है, क्या उस बांध का जनरली भरने का पैटर्न है उसको नोट कर दें। इन बांधों की मरम्मत, बांध बन गये सौ साल पहले पर आज तक उनकी रिपेयर पर एक पैसा नहीं लगा। सरदार समंद का बांध बन गया, उसकी रिपेयर पर कुछ पैसा नहीं लगा, हेमा-बास का बांध बन गया, कुछ नहीं लगा खाल्डा का बांध बन गया, कुछ नहीं लगा। सौ-सौ साल हो गये उन प्रोपर्टीज को बने हुये, जो दरबार के टाइम की बनी हुई हैं, पर आज दिन तक उन पर कोई पैसा नहीं लगा। इसी तरह नेशनल वाटर मैनेजमेंट से हमारे इन तीन-चार बांधों की, हेमाबास की सरदार समंद की, खाल्डा की, कैनाल की रिपेयर के लिये, कैनाल की रिपेयर नहीं होने से, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि जो भी कैनाल्स हैं, जितने छोटे-छोटे टुकड़े हों, उनकी लाइनिंग कर दी जाए। उनकी लाइनिंग नहीं करने की वजह से आपका इर्रिगेटेड एरिया कम है। सीपेज वगैरह होता है तो वह साइड की जमीनों को सारा खराब करते चला जाता है। नेशनल वाटर मैनेजमेंट से जो आप पैसा ले सकते हैं या लेने की बात चल रही है, उसको भी फालो करके उसको कराया जाए।

दूसरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि बुजुर्गों ने, ट्रेडिशनल और नेचुरल सोर्सेज हैं, पानी को कन्जर्व करने के कई ऐसे तालाब हैं, जो बड़े तालाब हैं, जैसे राणा में एक बड़ा तालाब है, नानतोष का तालाब है पांच-सात हजार बीघा इर्रिगेट होती है, तो उन तालाबों को स्ट्रेंथनिंग करके उन तालाबों को चैनेलाइज करके यह पानी अगर अपन इस्तेमाल कर सकें तो उसमें सेवज खेती भी हो सकती है, आफ स्ट्रीम में, जिसमें पानी भरा रहता है, फिर वह बाद में चार-महीने बाद सूख जाता है, उसमें खरबूजों की खेती होती है, उसमें चने की खेती हो सकती है, तो बिना कोई खर्चा किये मामूली स्ट्रेंथनिंग करने से और मामूली उनकी रिपेयरिंग पर पैसा खर्च करने से यह हो सकता है।

एक मैं विशेष निवेदन और करना चाहता हूं कि हमारे यहां प्रदूषण से काफी जमीन खराब हुई है। उस दिन माननीय कृषि मंत्रीजी ने सर्वे कराने का आश्वासन भी दिया था। मैं आपसे इस मौके पर यह निवेदन करता हूं कि आप जवाई का पानी जोधपुर जाने के लिये बन्द हो गया है, पेयजल के लिये जितनी उपयोगिता है, वह तो है ही लेकिन यह जो प्रदूषण से विशेषकर के जमीन खराब हुई है, उन जमीनों को पानी देने के लिये, वे लोग बहुत सम्पन्न किसान थे लेकिन यह जमीन उनकी खराब हो गयी, कुए उनके खराब हो गये, उन कुओं में एसिड का पानी हो गया। उन जमीनों की सिंचाई के लिये अगर यह

(श्री भीमराज भाटी)

जवाई बांध का पानी उपलब्ध कराया जाए तो मैं इस सरकार का आभारी रहूंगा, आपका भी आभारी रहूंगा और मंत्री महोदय का भी आभारी रहूंगा।

एक छोटी सी बात और निवेदन करना चाहता हूं। एक छोटा-सा, आधा मिनट और लूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, कमांड एरिया में जो जमीनें लेते हैं, कमांड एरिये में जमीन लेने के लिये जहां तक आपका कमांड है, वहां तक तो ठीक है, उस कमांड से सटी हुई जमीन को नहीं लेकर अपन दूर कोई जमीन लेते हैं तो कम से कम इतना अन्याय नहीं होना चाहिए और जो कमांड में लेना चाहते हैं, उसमें भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और यह जो छोटे तबके के लोग हैं, दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह बीघा वाले उन लोगों की लेनी चाहिये, न कि कोई बड़े सम्पन्न या प्रभावशाली लोगों की तो ऐसे हमारे यहां कई किस्से हुये हैं, मूलीयावास के हैं, रूपावास के हैं, कई ढाणियों के किस्से हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे छोटे लोगों को और गरीब तबके के लोगों को न्याय मिलना चाहिये। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राकेश मेघवाल। इसके बाद मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, परबतसर विधान सभा क्षेत्र विश्व विख्यात पर्यटन स्थल पुष्कर राज की सीमा से सटा हुआ क्षेत्र है। टापुओं के बीच में बसा हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में भू-संरक्षण विभाग का करोड़ों का काम हुआ लेकिन जब करोड़ों का काम हुआ तो उसमें छोटी-मोटी कमियां भी रही हैं। मैं चाहूंगा कि एम.एल.ए., प्रधान, उप प्रधान और जन-प्रतिनिधियों की एक देख-रेख समिति उस क्षेत्र में बना दी जाए ताकि वह इस विभाग की निगरानी कर सके और उनके कहे अनुरूप काम कर सकें। वैसे एक समिति गांव वालों की बना रखी है लेकिन वह समिति उनके पक्ष वाली समिति बना रखी है। मेरा एक तो यह सुझाव है।

दूसरा इस विभाग के माध्यम से, भू-संरक्षण विभाग के माध्यम से छोटे-छोटे जो एनीकट्स बनाये जाएं वह बारिश आने से पहले काम किया जाए, नहीं तो होता क्या है कि वह बारिश में बह जाते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई की जहां तक बात आती है तो किसान का मुख्य उद्देश्य है कि उसके खेत को पानी मिले तो सिंचाई होगी तब हमको अन्न मिलेगा। किसान देश की रीढ़ की हड्डी है और इस किसान के लिये हमको जितना कुछ करना चाहिए, करना चाहिये। लेकिन आज राजस्थान विधान सभा के सभी माननीय सदस्यों ने माननीय श्री देवी सिंहजी को धन्यवाद दिया है लेकिन मैं पूरा धन्यवाद तो दे नहीं सकता,

(श्री राकेश मेघवाल)

क्योंकि काम अधूरा रह गया इसलिये आधा धन्यवाद जरूर दे सकता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी के आशीर्वाद से और सरकार के सहयोग से विकास तो काफी हुआ लेकिन इनके अधूरे काम पूरे कराने के लिये मैं माननीय श्री वी.पी.सिंह जी से निवेदन करूंगा कि नागौर जिले की उपेक्षा की गयी है। नागौर जिले में अभी जगह-जगह से कह रहे हैं, वहां एक करोड़ लगा, 70 लाख लगा, 60 लाख लगा लेकिन पूरे नागौर जिले में सबसे ज्यादा अगर कहीं बांध है, तो वह परबतसर विधान सभा क्षेत्र में है। पहले तीस जिले थे, तीस बांध थे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब 32 जिले हो गये हैं तो दो बांध उनको और बनाने चाहिए और इसमें सबसे पहले हीर का बांध शामिल करना चाहिए और दूसरा बांध घाट का बालाजी वाला शामिल करना चाहिए ताकि 32 जिले 32 बांध हो जाएं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में जितने भी 30 बांध बने हुये हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वे पहले के जमाने के बने हुये हैं और उनकी हालत इतनी खराब है कि अभी लोटा पानी की तो मैं कह नहीं सकता लेकिन एक टेंकर भी पानी रुकना बहुत मुश्किल हो गया है। खाली जो बकरी का बांध है, उसमें थोड़ा पानी रुकता है। बाकी कादा-कीचड़ से जो नालियां भर गयीं, उसकी जो लीकेज और रुक गया उसकी वजह से ही थोड़ा-बहुत पानी रुकता है। मैं यह चाहता हूं कि सभी बांधों का जो पुराने समय में बने हुये हैं और जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, एक बार उनको पूरा सर्वे करके और सबको दुबारा से वापस रिपेयर कराया जाए ताकि किसानों को इससे फायदा मिल सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़ी समस्या है डार्क जोन की। इससे किसानों को लोन नहीं मिलता है और किसान नया कुआ नहीं खोद सकता। जबकि वहां पास के क्षेत्र में डार्क जोन हटा लिया गया है। परबतसर विधान सभा क्षेत्र के आधे एरिये में डार्क जोन है, आधे में नहीं है। कुछ सीमाएं दें। एक जगह पर अगर ट्यूब वैल खुदाया जाए वहां पांच हजार गैलन लीटर पानी निकलता है और उसी गांव में दूसरा ट्यूब वैल खुदवाया तो 900 स्क्वायर फीट में भी पानी नहीं निकला तो यह कौनसा क्राइटेरिया है डार्क-जोन का? मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों के हित में और गरीबों के हित में यह डार्क-जोन तुरन्त प्रभाव से हटाया जाए, जिससे किसानों को लोन मिल सके और किसान नये कुएं खुदा सकें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब तालाबों की बात आती है, हमको तालाब बनाने चाहिए और तालाब जितने किसानों के लिये फायदामंद है, उससे ज्यादा कोई किसानों की फायदामंद स्कीम नहीं है लेकिन इसके साथ-साथ हमको यह देखना पड़ेगा कि सबसे अधिक गड़बड़ी अगर कहीं होती है तो तालाबों में ही होती है इसलिये जब भी आप तालाब की स्वीकृति दें, उसकी देख-रेख के लिये एक समिति गठित कर दें चाहे जिला

(श्री राकेश मेघवाल)

स्तर पर ही एक कमेटी बना दी जाए। नागौर जिले में हो या किसी भी जिले में हो जितने भी तालाब बनें, उनकी चैकिंग समय-समय पर हो नहीं तो तालाब खोदा, पांच लाख की स्वीकृति है, तीन लाख लगा कि पानी आ गया, बारिश में भर गया और पूरा पैसा पांच लाख उठा लिया। इसलिये सबसे ज्यादा अगर कहीं घोटाले और गड़बड़ी होती है तो तालाबों में होती है। इसलिये मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि छोटे-छोटे तालाब जैसे एक लाख रुपये में एक नाड़ी बन जाती है, वह बनानी चाहिये और सिंचाई विभाग के माध्यम से जितना हम कर सकें, उतना कम है। किसानों को जितनी सुविधा हमको देनी चाहिये वह इस सरकार को खुलकर देनी चाहिये बजट यहां माननीय उप मुख्य मंत्रीजी व वित्त मंत्रीजी बैठे हैं, बजट के लिये इनसे और निवेदन करेंगे और किसानों के हितों को देखते हुये राजस्थान खुशहाल राज्य बनाना है। जय हिन्द, जय भारत।

श्रीमती कमला (बैराठ) : मंत्री महोदय, दो मिनट। दो मिनट। (व्यवधान)नहीं, सिर्फ दो मुद्दे ही पूछने हैं, मुझे आपसे।

पहला, मैं यह जानकारी चाहती हूं कि कुछ वर्षों पहले राजस्थान सरकार ने और सिंचाई विभाग ने कई महीनों तक मेहनत करके वॉटर रिसोर्सेज का एक मास्टर प्लान स्टेट के लिये तैयार किया था। क्या आपने उस मास्टर प्लान का उपयोग किया और अगर उस मास्टर प्लान का आपने उपयोग किया है तो राजस्थान के लिये उसमें विशेष तौर पर कौन-कौन से मुद्दे ऐसे उभरकर सामने आये जिनका लाभ राजस्थान सरकार को मिलेगा या राजस्थान प्रदेश को मिलेगा ?

दूसरा, मैंने पूर्व मंत्री महोदय के वक्त पिछले वर्ष एक सुझाव दिया था कि हम किसी एक नदी नाले पर जो एक डेम बनाते हैं तो जो डाउन स्ट्रीम का एरिया है, वह सारा का सारा सूख जाता है इसलिये कुछ जगह पर ऐसा हमें परीक्षण करना चाहिए कि उस नदी का जो टोटल वाटर फ्लो है, वह कितना है और उसको अगर हम छोटा-छोटा कई जगह पर बांधें और आखिर तक उसको पहुंचाए तो सारी की सारी रेंज के अन्दर कुछ न कुछ सरसब्ज जमीन होने का और वेजिटेशन तैयार होने का काम बन सकेगा। वाटर लेवल भी बढ़ सकेगी, बजाए इसके कि हम एक बांध बनाकर के डाउन स्ट्रीम को सूखा कर देते हैं। क्या उसके ऊपर आपने कोई कार्यवाही की है ? या कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट कहीं पर किया है ?

तीसरा, आखरी सवाल यह है कि जो आपके सिंचाई विभाग के इस वक्त मापदण्ड हैं, वे है मेजर इर्रिगेशन स्कीम, मीडियम इर्रिगेशन स्कीम और माइनर इर्रिगेशन स्कीम। ये सब वे स्कीम्स हैं, जिनसे इर्रिगेशन होता है लेकिन इस राजस्थान की धरती पर इतना और पानी भगवान की तरफ से गिरता है और बहता है जिसको कन्जर्व करने के लिये आज हमारे पास न कोई धन है, न कोई विभाग है।

(श्रीमती कमला)

मैंने पिछली बार मंत्री महोदय को लिखा था कि इस तरह का एक जल संग्रहण और बाढ़ बचाओ महकमा आप अलग से कायम करें जिससे कि राजस्थान की धरती पर गिरने वाली एक-एक बूंद पानी को सहेजने का काम किया जा सके। उन्होंने मुझे जवाब दिया है कि हमने वाटर शैड डिपार्टमेंट बनाया हुआ है। लेकिन जैसे इधर से आने वाले एक माननीय सदस्य ने कहा वाटर शैड स्कीम उस जगह बनती है जहां उनको कई एकड़ जमीन कंट्यूर बंडिंग के लिये मिल जावे और उसी के बीच में अगर कोई एनीकट बनाने की भी सुविधा हो जाए तो बना सकते हैं। तो वह हमारे इस पानी को कंजर्व करने के काम नहीं आती है। मैं जानना चाहती हूं, माननीय मंत्री महोदय, क्या इस काम के लिये अलग से जल संग्रहण और बाढ़ बचाओ विभाग का गठन किया जाएगा जिससे कि कई माननीय सदस्यों की जो मंशा है, उसकी पूर्ति हो सके, हमारे जैसे क्षेत्रों के लिये पानी का एक भराव बन सके, हमारे यहां के काश्तकारों के कुओं में जल स्तर बढ़ सके और खेती अच्छी हो सके। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ (राज्य मंत्री, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है और इस योजना से गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर एवं बाड़मेर जिलों में सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। इस नहर परियोजना में कुल सिंचाई जो होनी है, वह 19.63 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में होनी है। राजस्थान को इस योजना में जो पानी का आबंटन हुआ है, 86 लाख एकड़ फुट पानी, जिसमें से सिंचाई हेतु 75.90 लाख एकड़ फुट पानी का उपयोग सिंचाई हेतु किया जाना है।

मुख्य नहर की लम्बाई 649 किलोमीटर है जिसमें 149 किलोमीटर पंजाब में है, 14 किलोमीटर लम्बाई इसकी हरियाणा में है और 21 किलोमीटर पहले चरण की राजस्थान में है। इसकी चौड़ाई ओरिजनल स्तर पर 40 मीटर चौड़ी है और गहराई 6.4 मीटर है। वहां प्रथम प्रवाह 523 घन मीटर प्रति सैकण्ड है। इस योजना का पानी सिंचाई के अलावा पेयजल हेतु भी उपयोग में आएगा और आ रहा है। उसका हिस्सा .87 मिलियन एकड़ फुट पानी है और वर्तमान में जोधपुर को इससे सप्लाई किया जा रहा है। पानी की दृष्टि से जो समस्याग्रस्त जिला था, उसकी आज समस्या दूर हुई है।

वर्तमान में इसकी प्रगति को देखा जाए तो जो पिछले वर्षों में इस परियोजना में काम हुआ उसकी तुलना पिछले आठ सालों में की जाए तो कई कीर्तिमान इसमें स्थापित किये गये हैं। सन् 1982-90 में इस पर 408.64

(श्री चुन्नीलाल धाकड़)

करोड़ रुपये खर्च हुये थे, जबकि पिछले आठ वर्षों में 1992-98 तक 1025.92 करोड़ रुपये खर्च हुये। यह एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है।

इसी तरह 1982-90 के दरम्यान में कुल सिंचित क्षेत्र खोला गया 149 हजार हैक्टेयर जबकि 1992-98 में 319 हजार हैक्टेयर क्षेत्र सिंचाई के लिये खोला गया, जो भी अपने आप में एक कीर्तिमान है।

उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1958 में योजना शुरू की गयी थी और मार्च, 1998 तक यानी 40 वर्षों में इस पर कुल खर्च 1745.59 करोड़ खर्च हुआ है जिसमें से 1992-98 के बीच में जो खर्च हुआ है वह 1025.92 करोड़ हुआ है। यह इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। उपाध्यक्ष महोदय, सातवीं पंचवर्षीय योजना में..... (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप यह पढ़ रहे हैं, आप देख आए क्या? कब जाएंगे? (व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल धाकड़ : अब जाऊंगा। आपको साथ ले चलूंगा, अनुभवी आदमी को साथ में। उपाध्यक्ष महोदय, सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस परियोजना के लिये 273 करोड़ रुपये खर्च हुये थे और 1.19 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हुई और इसी दरम्यान सातवीं पंचवर्षीय योजना में 785 किलोमीटर लम्बी नहरों का निर्माण किया गया जबकि आठवीं पंचवर्षीय योजना में 273 के मुकाबले 697 करोड़ रुपये खर्च किये गये जो कि अपने आप में एक कीर्तिमान है और 2.19 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की गयी। नहरों का निर्माण 785 किलोमीटर की तुलना में 1406 किलोमीटर लम्बी नहरें बनी हैं। (व्यवधान) और इसके आगे सुनिये। नवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में ही 1997-98 में 183 करोड़ रुपये खर्च हुये हैं 326 किलोमीटर लम्बी नहर का निर्माण हुआ है और 68 हजार हैक्टेयर क्षेत्र सिंचाई के लिये खोला गया है। उपाध्यक्ष महोदय, आगे 1998-99 में इस योजना को..... (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह पहले मिनिस्टर हैं जो जवाब दे रहे हैं सिर्फ आंकड़ों के आधार पर। इन्होंने जाकर के, अपने डिपार्टमेंट की जो इतनी बड़ी नहर है, यह इन्होंने देखी ही नहीं। कहां सिंचाई हो रही है? कौनसी डिस्ट्रीब्यूटरी में कहां हो रही है? कितना एरिया सिंचित हुआ है? कहां पर पानी कितना मिल रहा है? देखे बगैर ही कोरे आंकड़ों के आधार पर जवाब सारा हो रहा है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : खेतसिंहजी, यह कई सालों से एम.एल.ए. हैं। पता है इनको सब। सारा क्षेत्र देखा है इन्होंने।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ : 1998-99 में इस योजना को प्रगति देने के लिये..... (व्यवधान)

श्रीमती कमला : आप बता दें लम्बी नहरें कहां बनकर आ गयी हैं? इतनी तो जगह भी नहीं है। मुख्य नहर का मेन डिस्ट्रीब्यूटरीज

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : कमला जी, आप बहुत वरिष्ठ सदस्या हैं, ऐसा मत करिये आप।

श्रीमती कमला : नाम तो बोलें।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ : उपाध्यक्ष महोदय, चालू वर्ष में इस योजना को गति देने के लिये इसमें 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और 69 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हेतु खोला जाना है। प्रयास यह किए जा रहे हैं कि 200 करोड़ से 240 करोड़ उपलब्ध हो जाए जिससे 82 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हेतु खोला जाए। इसको..... (व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा : ज्यादा मत बोलो नहीं तो उलझोगे। छोटा जवाब दे दो।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ : कोई बात नहीं, उलझेगा तो सुलझाएंगे भी सही। इसे पूर्ण कराने का कार्यक्रम, 2005 तक पूर्ण होना है और इस पर कुल लागत राशि 4000 करोड़ रुपये खर्च होने हैं। वर्तमान में जो खर्चा हुआ है उससे 1200 करोड़ रुपये की कृषि उपज मिल रही है और पूर्ण होने पर 2500 करोड़ रुपये की कृषि उपज इससे मिल सकेगी।

इसका पहले जो आकलन किया गया था, उसके प्रथम चरण में 5.28 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होनी थी। 1987 में यह आकलन किया गया था और द्वितीय चरण में 10.12 लाख हैक्टेयर क्षेत्र रखा गया था।

श्री राजेन्द्र पारीक : प्रतिवेदन हाथ में पकड़ा दिया कि आप लिखकर के तैयार कर लो। इनके चेयरमैन ने तो इनको कोई आफिशियल नोट भी नहीं दिया कि आपको यह बोलना है।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ : 19.63 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में इससे सिंचाई हो सकेगी।

श्री अनंग कुमार जैन (राज्य मंत्री, वित्त) : उपाध्यक्ष महोदय, पहली बार किसान का बेटा आई.जी.एन.पी. का मंत्री बना है, यह तो बहुत फख्र की बात है। परसादीलालजी जैसों को तो खुश होना चाहिए कि किसान का बेटा पहली बार आई.जी.एन.पी. मंत्री बना है।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ : सातवीं योजना के अंत तक कुल सिंचाई 5.41 लाख हैक्टेयर वार्षिक की होगी।

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय कमलाजी कह रही हैं इतनी बड़ी नहर, किसान के बेटे को बनाया है कभी? (व्यवधान) सेठ-साहूकारों को बनाते रहे आई.जी.एन.पी. का मंत्री।

श्री राजेन्द्र पारीक : यही तकलीफ है कि एक किसान के बेटे को मंत्री बनाया गया और आज डिपार्टमैंट के चेयरमैन आकर इनसे मिले नहीं, हमें यही तकलीफ है। हमें यह तकलीफ नहीं है कि मंत्री महोदय कैसा बोल रहे हैं, मंत्री महोदय को आफिशियल नोट भी नहीं दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा) : आवश्यकता नहीं है। (व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल धाकड़ : वर्ष 1996-97 में 8.60 लाख हैक्टेयर वार्षिक सिंचाई होगी। यह भी अपने आप में एक कीर्तिमान है।

श्री राजेन्द्र पारीक : प्रगति प्रतिवेदन हाथ में पकड़ा दिया कि तैयारी कर लो अपने कागज बैठ कर के। सारा दिन हो गया इनको स्टैडी करते हुये, लिखते हुये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठे-बैठे नहीं।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शेखावत साहब के प्रयासों से आठवीं योजना में इस बार 284 करोड़ रुपये केन्द्र से सहायता प्राप्त की जबकि सातवीं पंचवर्षीय योजना में यह बहुत चिल्लाने वाले आज कह रहे हैं लेकिन 76.25 करोड़ रुपये ही करा पाये थे। वर्ष 1997-98 में एक वर्ष में इस पर 96.33 करोड़ रुपये केन्द्रीय सहायता उपलब्ध हुई है।

इस योजना में माननीय सदस्यों ने जो कई सुझाव दिये हैं उनमें गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य, श्री राधेश्यामजी ने यह बताया कि इस नहर से

एक माननीय सदस्य : चले गये।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ : चले गये, कोई बात नहीं।

श्री राजेन्द्र पारीक : सुनने को बेताब हैं, चले कहां गये।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ : इस नहर से मात्र 8000 क्यूसेक्स पानी दिया जा रहा है जबकि वास्तव में 13,000, 13,500 क्यूसेक्स पानी इससे खोला जाता है।

श्री राजेन्द्र पारीक : आज तक भी खुला था क्या इतना पानी ?

श्री चुन्नीलाल धाकड़ : मुख्य नहर, इन्होंने यह भी बताया था कि इसमें सिल्ट जमी हुई है। मुख्य नहर में सिल्ट उन स्थानों पर जमा हैं जिसे आवश्यकतानुसार साफ कराया जाता है। इसके कारण नहर में आवश्यकतानुसार पानी चलाने में कोई कठिनाई.....(व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : एक दिन भी कभी साफ नहीं होती। कोई रिकार्ड में एक दिन भी साफ हुई हो तो बता दीजिये।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ : इसके अतिरिक्त सिल्ट को निकालने में खर्चा करना अनावश्यक है। जहां जरूरत ही नहीं है वहां सिल्ट निकालना, खर्चा करना बेकार है।

लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिये हैं उनके विषय में मुझे यह कहना है कि मेघाना नहर का कार्य शीघ्र कराने हेतु यह माइनर 40 आर.डी. लम्बी है, 10 आर.डी. का काम किया जा चुका है, 20 आर.डी. पर कार्य चालू है और 10 आर.डी. में शुरु किया जाना है, वर्ष 1999 में पूर्ण कर लिया जाएगा। धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र पारीक : यह तो आपके ही हाथ का लिखा हुआ है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कम से कम यह तो ध्यान होगा कि कौनसा मंत्री कौन से

(एक माननीय सदस्य)

विभाग का है। इतना ही ध्यान नहीं आपको। (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, कृषि) : उपाध्यक्ष महोदय, आज करीब 38 माननीय सदस्यों ने सुझाव रखे, उसमें मेरे सबजैक्ट के सम्बन्ध में.....

श्री राजेन्द्र पारीक : कौनसा सब्जैक्ट, कौनसा विषय?

श्री अमराराम चौधरी : मांग संख्या 38, हां।

मांग संख्या 38, इसके बारे में मारवाड़ जंक्शन से आने वाले माननीय सदस्य ने विचार रखे, बाकी 37 जो हमारे माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये वो मेरे सब्जैक्ट से सम्बन्धित नहीं थे।

श्री राजेन्द्र पारीक : मंत्री बनने का एक फायदा हो गया, सफारियां सिल गयीं।

श्री अमराराम चौधरी : और कोई आना न जाना। हां, ठीक है।

कुल 12 कटौती प्रस्ताव इस मांग संख्या 38 के अन्दर माननीय सदस्यों ने दिये हैं, उनके जवाब भिजवा दिये जाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो भ्रांतिया फैली हुई हैं इस विभाग के प्रति अखबारों के द्वारा, कई शिकायतें भी आयी हैं और इन शिकायतों का हमने जवाब भी दिया है, अब आपको यह मालूम होना चाहिए कि एक नयी पद्धति शुरु हुई है जनता के द्वारा जिसमें जनता की भागीदारी होगी। अब मस्टररोल के जरिये काम नहीं, पहले जो काम होता था मस्टररोल के जरिये और पृथक-पृथक जिले में टुकड़ों में काम होता था लेकिन अब एक इकाई के रूप में, जिस पंचायत समिति का जो क्षेत्र है 30 प्रतिशत से सिंचित क्षेत्र कम है तो वहीं यह योजना हम लागू कर रहे हैं। इन्सैट से जिनके मैप बनते हैं उन्हीं स्थानों पर यह काम होते हैं इसीलिये यह जो भ्रांतियां फैलायी जा रही हैं, माननीय सदस्य ने जो बात कई बार उठायी है, यह योजना असफल नहीं है। यह जरूर देखते हैं, हमारी योजना का लोंग-रन में फायदा दिखता है, आप सोचते हैं दीवार बन जाए और आज ही हम पानी देखें, वो बात नहीं है। हमारी जो योजना है उसमें जो 45 सेंटीमीटर का हमारा कड़ा बनता है और जो 50 मीटर से और कई बार 25 मीटर दूरी से जो हमारे कड़े बनते हैं, खास तौर से रेगिस्तान क्षेत्र में सणियां लगाकर, सणियां एक झाड़ी है और उस खाड़ी के ऊपर रेत डालकर के हमारे पुराने समय में भी इस प्रकार की प्रथा थी लेकिन आज इसके माध्यम से हमारा उस पर खर्चा एक हैक्टेयर पर कम से कम 2500, 2800 और 3500 रुपये तक का खर्चा होता है, एक हैक्टेयर पर लागत आती है। यह इसलिये किया जाता है कि हमारे खेत की जो उर्वरा शक्ति है वह बनी रह सके और हमारी जो जमीन उड़ रही है जमीन की उर्वरा शक्ति उड़ कर चली जाती है तो उस सणियों के द्वारा वो उस कड़ाबंदी के कारण खेत कटते नहीं है। यह तो हवा के कारण हुआ। बाकी दूसरी जगह जहां.....

श्रीमती कमला : योजना का नाम थोड़ा बताएं, मंत्री महोदय, कि किस नाम से है?

श्री अमराराम चौधरी : फरमाएं आप।

श्रीमती कमला : बिलकुल ओनेस्टली पूछ रही हूं कि किस नाम से यह योजना आप चला रहे हैं?

श्री अमराराम चौधरी : जल ग्रहण, भू-संरक्षण है, अलग-अलग बाह्य सहायता से है हमारी राष्ट्रीय जल ग्रहण योजना है, उसकी सारी बात आपको बताऊँगा, आप सुनने की क्षमता रखें। आप संतुष्ट हो जाएंगे कि हमारी योजना कहां तक सफल है और कहां तक आगे सफल रहेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि एक किसान ने ठीक ही कहा है कि घी ढुलता है तो मेरा जी दुख नहीं पाता लेकिन पानी ढुलता है तो जी दुख पाता है। हमारी एक-एक बूंद हमारी वनस्पति को तैयार करती है, वह पानी खेत के बाहर नहीं जाए इसलिये इस योजना के जरिये जल ग्रहण, जिससे वर्षा और भूमि संरक्षण करना, किस प्रकार से हम उसको सुरक्षित रख सकें और किसानों की पैदावार बढ़ा सकें इसीलिये यह योजना हमारे यहां चल रही है।

एक माननीय सदस्य : कमलाजी, बोलती जाओ बैठी-बैठी।

श्रीमती कमला : अधूरी है अधूरी, इसको पूरी करो। एनीकट शामिल करो इसमें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अपने दो तहसीलों में तो शुरु कर ही दो, पचपदरा और शेरगढ़ में।

श्री अमराराम चौधरी : मेरा निवेदन यह है कि विशेष क्षेत्रों का हम चयन करके जो भूमि और बरसात के जल का समुचित संरक्षण करते हैं यह जल ग्रहण और भू-संरक्षण के तहत करते हैं। अतः विशेष पद्धति जल ग्रहण पद्धति जैसी कृषकों के जीवन से जुड़ी समस्त पहलुओं से जुड़ी गतिविधियों का विकास संभव है।

अब मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जल ग्रहण पद्धति से नवीन तकनीकी सम्बन्धी प्रशिक्षण आदि गतिविधियां ली हैं। हमारे यहां वृक्षारोपण के जरिये ईधन के लिये लकड़ी तैयार करते हैं। पशुधन की अच्छी नस्लें तैयार करते हैं। और इसके अलावा हम चारागाह भी तैयार करते हैं हम उद्यान भी लगाते हैं। इस प्रकार की हमारी जो विशिष्ट योजनाएं हैं, इन विशिष्ट योजनाओं के जरिये हम ई.ए.एस. की मार्फत 50 प्रतिशत भारत सरकार खर्च करती और 50 प्रतिशत राजस्थान सरकार खर्च करती है। उसमें ज्यादा सड़कें भी बनाते हैं। हमने 17 किलोमीटर की सड़क भी बनवायी है। इस प्रकार के छोटे-छोटे काम हैं। हमारे यहां बहुत अच्छे कार्य भीलवाड़ा में कोटड़ी में हुये हैं जिसमें हमें राजीव गांधी पड़त भूमि पुरस्कार मिला है। हमारे सराधना के अन्दर, जब आप यहां से जोधपुर जाएं, सराधना देखें, केशरपुरा को देखें और सीताखेड़ा को देखें। उदयपुर में भी लोसिंग है। इस प्रकार हमारे विभाग को छः पुरस्कार इस जल ग्रहण योजना में मिल चुके हैं। यह योजना लाभदायक है या नहीं इसके लिये मैं

(श्री अमराराम चौधरी)

निवेदन कर रहा हूं कि इसका भी हमने सर्वे करवाया है। इसका सर्वे हमने वर्ल्ड बैंक, ओ.आर.जी. बोराबड़ा और आई.आई.आर.एम. जयपुर आदि संस्थाओं से करवाया है कि यह लाभदायक है या नहीं। सर्वे करवाने के बाद एक पूरी रिपोर्ट हमारे समक्ष पेश हुई। उस रिपोर्ट के आधार पर यह योजना बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई है इसलिये माननीय सदस्यों में जो भ्रांति फैली हुई है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उसका लोंग रन के अन्दर फायदा होगा। इसका आप तुरन्त फायदा देखना चाहते हैं, वह नहीं है।

माननीय सदस्यों के दिलों में यह शंका है कि कम से कम 45 सेंटीमीटर का जो भी कड़ा बंधेगा वह तो सालभर में खत्म हो जाएगा। आज मान लीजिये एक खेत के अन्दर अगर एक-एक मीटर का कोई कड़ा बंधा दे तो हल कैसे चलाओगे? 25 मीटर में कैसे उसका फायदा होगा, कैसे ट्रेक्टर चलाओगे, कैसे खेती करेंगे कहने का मतलब यह है कि जो पानी वेस्ट जा रहा है वह पानी खेत में इधर-उधर न जाकर केशा से बीच में रुकावट पैदा होगी, जिससे वनस्पति पैदा होगी।

दूसरा, पड़त जमीन, बंजर जमीन का उपयोग भी हम करते हैं इसके माध्यम से। हमारे यहां रॉक डेम है वहीं के मेटीरियल का उपयोग कर बनाये हैं। पत्थर सीमेन्ट वगैरह से हम पक्के बांध नहीं बनाते हैं। अवेलेबल मेटीरियल के आधार पर हम वहां पर कार्य करते हैं। इसके अलावा पौंड फार्म भी हमने बनाये हैं जगह-जगह।

श्री खंगार सिंह चौधरी : वह पत्थर गरीबों की झोंपड़ी बांधने के काम आता है.

श्री अमराराम चौधरी : वह बात सही है। माननीय सदस्य ने एक प्रश्न रेज किया था कि इस विभाग ने यह काम किया जिसमें 50 लाख रुपये खर्च हुये और वह पांच लाख का काम है। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप, मैं और टीम बनाकर हम वहां जाएंगे और उसकी जांच करेंगे। यहां के एक्सपर्ट से जांच करवाएंगे। इस प्रकार का यदि किसी ने घपला किया है, ऐसे दोषी व्यक्तियों को बिलकुल नहीं बख्शा जाएगा। मैं आपकी जानकारी के लिये बता दूं कि हमारे जिन अधिकारियों ने जहां भी गलतियां की हैं.....

श्री रामस्वरूप मीणा : आप कहो तो हम करें जांच? आप क्या करोगे? दोनों मिल जाओगे।

श्री अमराराम चौधरी : उनके खिलाफ ए.सी.डी. में मुकदमे चल रहे हैं। हमने खुद ने हमारे दल बनाकर जांच करवायी है। हमारे यहां इस प्रकार की कोई अनियमितता नहीं है। यूजर्स कमेटी का हमने निर्माण किया है। अब आपको पता होना चाहिए कि हम मस्टररोल पर काम नहीं करवाएंगे। अब तो जन भागीदारी हो गयी है जनता की भागीदारी। यूजर्स, कमेटी क्या है? आप मुझे यह पूछेंगे। यूजर्स कमेटी वह कमेटी है जो गांव के अन्दर ग्राम सभा के अन्दर 100 व्यक्तियों की मौजूदगी में उसका चुनाव होता है। कई

Page No. 274

(274)

(श्री अमराराम चौधरी)

माननीय सदस्यों ने कहा, कइयों ने शिकायतें पेश कीं, माननीय भाटी साहब ने पेश की, माननीय बुरड़क साहब ने पेश कीं। बुरड़क साहब ने जिस कमेटी की शिकायत पेश की थी वह कमेटी नियमानुसार थी और भाटी साहब ने चार शिकायत की थीं उनमें से एक गलत थी, हमने उसको स्वीकार किया। बाकी सही पायी गयीं।

श्री उपाध्यक्ष : ये भाटी कौनसे हैं माननीय मंत्री महोदय?

श्री अमराराम चौधरी : पूर्व मंत्री महोदय श्री देवीसिंहजी भाटी। शिकायतें कोलायत की हैं। हां, याद है आपको।

श्री हरजीराम बुरड़क : मैं प्रश्न पूछ रहा हूं बता दीजिये।

श्री अमराराम चौधरी : मेरा निवेदन यह है कि अखबारों में कोई भी रिपोर्ट जो प्रिन्ट हुई है हमने अच्छी तरह उसकी जांच करवायी है इसलिये माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उसमें जो कोई भी हो, आपका सहयोग चाहिए।

यूजर्स कमेटी के अन्दर जो पैसे आते हैं, वे बैंक में जमा होते हैं। हमारा एई.एन. या जेईएन. जो भी होगा उसके हस्ताक्षर होंगे और अध्यक्ष होगा। आपको पता होना चाहिए यूजर्स कमेटी में महिलाएं भी होती हैं। यूजर्स कमेटी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति भी होते हैं। पैसे गांव में बैंक में जमा होंगे और गांव के लोग ही ग्राम सभा से प्रस्ताव पास करके जो उपयोगी काम होंगे वही काम उस गांव में होते हैं। इसीलिये अब मस्टररोल का सवाल नहीं कि फर्जी मस्टररोल भर गये और वह हो गया। इस नवीन योजना को हमने लागू कर दिया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा.....

श्री राजेन्द्र पारीक : आपके डायरेक्टर कौन हैं? (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी : यह विदेशी सहायता से बनने वाली परियोजना है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पुष्कर गेप के अन्दर ये इण्डो कनाडा एन्वायरमैंट फैसेलिटी के माध्यम से पुष्कर के अन्दर जो रेत ही रेत आ रही है उस मरुस्थल को रोकने के लिये हम कार्यवाही कर रहे हैं उसके लिये हमारा चार करोड़ पच्चीस लाख रुपये खर्च हो रहा है। हमने इस योजना को 31 मार्च से किया है इसलिये यह सन् 2000 के अन्दर यह काम पूरा हो जाएगा। पुष्कर जो पवित्र तीर्थ स्थल है उसमें रेत जो नागौर से आ रही है उस रेत को रोकने के लिये यह सारा कार्य किया जा रहा है। मैं एक और निवेदन करना चाहूं..... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : मेरा भी काम पूरा हो गया।

श्री अमराराम चौधरी : यह जो पावड़ी की स्विस योजना है। यह डवलपमैंट कारपोरेशन से अलवर के थानागाजी और प्रतापगढ़ के अन्दर

श्री रमाकान्त शर्मा : कुछ भी काम नहीं हो रहा इस योजना के अन्दर। केवल पुस्तकों में ही होता है।

श्री अमराराम चौधरी : माननीय सदस्य ने यह कहा है कि पुस्तकों में ही होती है, मैं इसकी जानकारी लेकर आपको साथ लेकर जांच करवाऊंगा। (व्यवधान)

श्रीमती मीना अग्रवाल : इसकी जांच चल रही है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : विधान सभा संभालेंगे या जांच करने जाएंगे ?

श्री रामस्वरूप मीणा : अपने-अपने क्षेत्रों को संभालो नहीं तो + + + कहां की इन्क्वायरी करी।

श्री अमराराम चौधरी : हमारा ऐम यह होगा कि इसमें आप लोगों की भागीदारी लेकर गांव के लोगों की जो आर्थिक स्थिति कमजोर है, उसको सुधारना है। गांव के भूमिहीन को रोजगार देने का हमारा लक्ष्य है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी मांग को स्वीकार किया जाए।

श्री हरजीराम बुरड़क : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं। इन्होंने मेरा जिक्र किया है। मुझे प्रश्न पूछने का मौका दीजिये पहले।

श्री उपाध्यक्ष : अभी ठहरिये।

श्री हरजीराम बुरड़क : मंत्रीजी ने उत्तर दे दिया न।

श्री उपाध्यक्ष : आखिर में बोलना। थोड़ा और बिराजें।

श्री हरजीराम बुरड़क : इनका तो आखिर हो गया।

श्री रामप्रताप कासनियां (राज्य मंत्री, सिंचित क्षेत्र विकास) : उपाध्यक्ष मुझे दो माननीय सदस्यों के आठ कटौती प्रस्ताव मिले हैं। चार सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया है। मुझे बड़े अमूल्य सुझाव दिये हैं। मैं उन सबका आभार प्रकट करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, हाउस का मुझे मूड पता लग रहा है तो विभाग से सम्बन्धित विशेष जो बातें हैं वे ही मैं निवेदन करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, सिंचित भूमि से कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिये सृजित सिंचाई क्षमता के कुशल उद्योग को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने वर्ष 1974-75 में कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम को केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में प्रारम्भ किया था। उपाध्यक्ष महोदय, प्राधिकरण, इन्दिरा गांधी नहर सिंचित क्षेत्र विकास प्राधिकरण, चम्बल सिंचित क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन किया गया व क्षेत्रीय विकास आयुक्त को इस प्राधिकरण के अन्तर्गत कार्यरत सम्बन्धित विभागों जैसे सिंचाई, भूमि विकास, कृषि अनुसंधान, सहकारिता, भू-जल इत्यादि विभागीय अध्यक्ष घोषित किया गया। उपाध्यक्ष महोदय, इस परियोजना के अन्दर इन विकास प्राधिकरणों में कृषकों को भी

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री रामप्रताप कासनियां)

प्रतिनिधित्व एवं परियोजना से सम्बन्धित विभागों के राज्य स्तरीय अधिकारियों को सदस्य मनोनीत किया गया। यह प्राधिकरण क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार अन्य विभागों से समन्वय करते हुये कमाण्ड क्षेत्र के विकास का कार्य कर रहा है। वर्ष 1996-97 जल उपयोगकर्ता समितियों के प्रतिनिधियों को कमाण्ड क्षेत्र विकास प्राधिकरण सदस्य मनोनीत किया जाता है इसलिये.....

श्री परसादी लाल मीणा : पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री रामप्रताप कासनियां : पढ़ा हुआ नहीं, बिना पढ़े, यह पढ़ा। उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य रूप से इस विभाग का काम है सिंचित क्षेत्र विकास एरिया जो है उसका डवलपमैंट करना। जिस प्रकार से गृह संग्रहालय के अन्दर हर वस्तु मिलती है उसी प्रकार से सिंचित क्षेत्र विकास के एरिये के अन्दर सी.ए.डी. विभाग वही काम करता है जो अपने घरों के लिये गृह संग्रहालय करता है। गृह संग्रहालय में जिस तरह से सामान मिलता है उसी तरह यह विभाग भूमि समतल करने का काम, काश्तकारों को ऋण उपलब्ध करवाने का काम, काश्तकारों को पेस्टीसाइड वगैरहा उपलब्ध करवाने का काम, काश्तकारों को बसाने का काम भी यह विभाग करता है। उपाध्यक्ष महोदय, पक्के खालों का निर्माण करके यह विभाग देता है। कुल मिलाकर सिंचित क्षेत्र विभाग पूरे एरियों का डवलपमैंट करके काश्तकारों को बसाने का काम करता है। यह है उत्तर।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा यह विभाग सिंचित क्षेत्र विकास के अन्दर मण्डियों का निर्माण करता है और लोगों को बसाने के लिये आबादी का प्लानिंग करके नक्शे के अनुसार उनको बसाया जाता है (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मेरे जुकाम हो रहा है वैसे ही आज मेरा गला ठीक नहीं है।

श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : मैं यह अर्ज कर रहा था कि.....

श्री रामप्रताप कासनियां : आप डिस्टर्ब मत करिये। मैं आप पर लास्ट में आऊंगा।

श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था आपने गंग केनाल के सी.ए.डी. के बारे में अभी जिक्र नहीं किया। ध्यान रखना।

श्री रामप्रताप कासनियां : यह इतनी देर से आपको याद क्यों आयी। पिछले चालीस वर्षों में क्या कर रहे थे आप? उपाध्यक्ष महोदय, सिंचित क्षेत्र विकास में हमारे मण्डी, नयी मण्डी गांठने का प्लान और इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण लोगों को बसाने के लिये यहां राजस्व गांव, एक एरिया तय करके उसमें प्लाट काटे जाते हैं प्लानिंग के साथ और पार्क, गलियां, दुकान बहुत अच्छे तरीके से प्लान करके और गांव को बसाया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, आपने अगर कभी देखा है सिंचित क्षेत्र विकास के अन्दर जो नये चक्र बसे हैं उनमें गलियों का और गांव के

(श्री रामप्रताप कासनियां)

अन्दर गुवाड का हर दृष्टि से वह गांव उपयुक्त है, क्योंकि वह प्लान के साथ बसे हुये हैं। पुराने गांव जो हैं उनके अन्दर तो उपाध्यक्ष महोदय, ट्रैक्टर ट्राली लेकर भी गांव के बीच में से नहीं निकला जा सकता और इन गांवों के अन्दर आप चाहें बराबर से दो दो ट्रक निकाल दो। इस तरह की व्यवस्था सिंचित क्षेत्र विभाग करता है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा और भी (व्यवधान) आपका सुनने का मन नहीं है। पर आप यह मत समझना पिटारे से ही बोल सकता हूं मैं। मैं किसान का बेटा हूं और किसान से सम्बन्धित जो भी बातें हैं उनको मैं अच्छी तरह समझता हूं। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि एक एक चीज का बीज, आप राधेश्याम जी बीघे में नहीं बता सकते। क्या बात करते हो, क्या किसानों की बात करते हो। उपाध्यक्ष महोदय, इतना जरूर है कि मेरी बदकिस्मती है कि मैं ग्रामीण् क्षेत्र में पैदा हुआ। पूरा पढ़ा लिखा हुआ नहीं हूं, इसलिये ये लोग मजाक कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां अभी इसी तरह से सिंचित क्षेत्र विकास चम्बल परियोजना कोटा के अन्दर (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : मजाक तो इन्होंने की है हम क्या मजाक कर रहे हैं ?

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, अढाई किलो रसमलाई खाकर जोर जोर से बोल रहे हो।

श्री रामप्रताप कासनियां : उपाध्यक्ष महोदय, पहले जिन माननीय सदस्यों ने अपने कटौति प्रस्ताव दिये हैं उनका मैं थोड़ा उत्तर दे दूं।

श्री परसादी लाल मीणा : जवाब भेज देना। हो गया उत्तर।

श्री रामप्रताप कासनियां : जवाब भेज दूं, चलो ठीक है। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री अर्जुनदास मदान ने दो लिफ्ट योजनाओं की कई बार इस हाउस में चर्चा की है। मैं उनको इतना ही भरोसा दिला सकता हूं कि अगर कोई कठिनाई नहीं हुई, कोई समस्या नहीं हुई तो हम उन योजनाओं पर सिंचाई विभाग से मिलकर विचार करेंगे। अगर बाधा उत्पन्न होगी तो मेरे बस की बात नहीं है अगर बाधा उत्पन्न नहीं हुई तो मैं सिंचाई विभाग से विचार-विमर्श करके समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा।

श्री रामस्वरूप मीणा : बस अब रहने दो माननीय मंत्रीजी। + + + हो गया रहने दो।

श्री रामप्रताप कासनियां : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता। माननीय मुख्यमंत्रीजी, वित्त मंत्रीजी और माननीय श्री रघुवीर सिंह जी कौशल को मैं किन शब्दों के साथ धन्यवाद दूं मेरे पास वह शब्द नहीं है। प्रथम चरण में कोटा के अन्दर पक्के खालों की जो किश्त माफ की है, मैं किन शब्दों में प्रशंसा करूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री रामप्रताप कासनियां)

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री राधेश्याम जी ने एक प्रश्न लगाया था, माफ करना, प्रश्न लगाया था कि क्या आप काश्तकारों से खालों की किश्त अभी वसूल कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इनको यह ही पता नहीं है जब ऋण हमने माफ नहीं किया उसकी तो वसूली हो रही थी और जिस दिन हमने हाउस के अन्दर घोषणा की है उसी दिन हमने यह प्रयास किया कि शीघ्रातिशीघ्र सम्बन्धित बैंकों को पत्र लिखा जाए कि वह ऋण राज्य सरकार चुकाएगी।

श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : मंत्री महोदय, मैंने नोटिस पेश किया है और उसके बाद आपके विभाग ने नोटिस दिया है।

श्री रामप्रताप कासनियां : पांच बैंक और सात बैंकों के चक्कर में यह लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मोटे रूप में मेरा यह निवेदन है कि इन खालों के लिये आज यह लोग जो मांग कर रहे हैं मगर इन्होंने लोगों के सिर में लहू बहा दिया, 15 वर्ष तक आन्दोलन हुये और यह लोग आज प्रश्न पूछ रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं इनको सेम भी याद आ रहा है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ सुनकर कि मैं पिछले आठ वर्ष से इस हाउस में प्रयास कर रहा हूं, कई बार बोला हूं मगर उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने मेरा साथ नहीं दिया। अभी भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सरकार को कि पिछले दो वर्ष से इस योजना के अन्दर तत्परता से विचार किया गया है और सरकार अपनी है (व्यवधान) मैं सरकार का अंग हूं, पर मैं ही सारा नहीं हूं, सरकार में हूं (व्यवधान) मैं सरकार नहीं हूं, सामूहिक रूप से हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सेम के बारे में चर्चा करते हैं। हमने करोड़ों रुपये लगा करके सीपेज वाले क्षेत्र में 240 ट्यूब वैल्स का निर्माण करने का निर्णय लिया है उनमें से 201 बनकर तैयार हो गये हैं और शेष ट्यूब वैल इसी चालू वर्ष में हम लगाएंगे। उपाध्यक्ष महोदय, एग्जेक्ट आंकड़े तो फिर मैं देखकर बताऊंगा तो यह कहेंगे कागज पढ़ रहा है, पर मैं मोटे रूप से बता दूं। 102 या 101 ट्यूब वैल्स का विद्युतीकरण हो चुका है और 24 घंटे उन ट्यूब वैल्स को सरकार ने बिजली उपलब्ध करवाने की व्यवस्था भी कर दी है। इतना ही नहीं उन ट्यूबवेल्स में आटोमेटिक सिस्टम है जो बिना आदमी के अपने आप स्वचालित है। बिजली आए तो चलते हैं और बिजली नहीं आए तो बंद होते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सिस्टम में कमी हो सकती है मैं इस बात को स्वीकारता हूं (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : खुद ही चल रही है सरकार ही, आप क्या चला रहे हो।

श्री रामप्रताप कासनियां : इस बात को मैं भी स्वीकारता हूं कि प्रथम बार जो ट्यूबवेल लगे थे 40-45, वह इंजीनियर्स की गलती के कारण डिफैक्टिव हैं परन्तु उनका हमने दुबारा सुधार किया है और पानी चला है।

(श्री रामप्रताप कासनियां)

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा सेम की समस्या का समाधान करने के लिये डिप्रेशनों का पानी खाली करने के लिये, डिप्रेशनों का यह जिक्र कर रहे थे, खाली स्टेट के डिप्रेशनों का हमने निर्माण करवाया है। तीन, साढ़े तीन करोड़ रुपये खर्च हुये हैं। सेम कोई आज की समस्या नहीं है। यह लोग सेम की चर्चा करते हैं। यह 1975 के अन्दर सेम आ गयी थी। इनकी पार्टी बहुत समय तक शासन में रही है, परन्तु इन्होंने सेम की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। एस्केप का निर्माण होने से डिप्रेशनों का पानी खाली होगा और डिप्रेशनों का पानी खाली होने से कुछ हद तक सेम की समस्या का समाधान होगा। इतना ही नहीं हमने गांव बड़ेपुर से माणिकथेड़ी तक सरकार ने एक ड्रेन का निर्माण करवाया है और उसका पानी पम्प करके नाली बेड में डालने का प्रावधान है और जो अभी महीने, डेढ़ महीने के अन्दर चालू हो जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने सेम की समस्या के समाधान हेतु भारत सरकार पर दबाव डालकर एक योजना बनायी है (व्यवधान) एग्जेक्ट तो मुझे पता नहीं, परन्तु 12 हजार रुपये प्रति हैक्टेयर के हिसाब से सेम की समस्या का समाधान करने बाबत उस योजना के अन्दर प्रोवीजन है। 50 प्रतिशत राशि भारत सरकार उपलब्ध कराएगी और 50 प्रतिशत.....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें, माननीय सदस्य। बीच में आवाज नहीं, सुनें (व्यवधान) सुनिये आप, श्रीपारीक साहब (व्यवधान) आप सुनिये.

श्री रामप्रताप कासनियां : कोई आत्मदाह कर रहा है। इनको पहले कुछ भी याद नहीं आया। राजस्थान सरकार ने सेम समस्या के समाधान हेतु पूरा प्रयास किया है और एक रात में, उपाध्यक्ष महोदय, सपना पूरा नहीं होता। यह पिछले 20-25 वर्षों की समस्या है और अब कोई जादू का पिटारा नहीं है जो खोलकर एक मिनट में ही इसका समाधान कर दें (व्यवधान) इसके लिये पैसे की भी आवश्यकता है। कोई नया कर हमारी सरकार ने नहीं लगाया.....

श्री उपाध्यक्ष : अब आपका कितना भाषण बाकी है? जल्दी पूरा करें।

श्री रामप्रताप कासनियां : उपाध्यक्ष महोदय, मोटे रूप में मैं माननीय वित्त मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं.....

श्री रामस्वरूप मीणा : ढाई दिन के झोपड़े बात करते हो दुनिया भर की। ढाई दिन रहोगे।

श्री रामप्रताप कासनियां : आपके लिये तो यह ढाई दिन का झोपड़ा पांच वर्ष की आपकी शामत बनेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस ड्रेन के बाबत थोड़ा बहुत अगर हो सके तो प्रोवीजन सेम की समस्या के समाधान हेतु रख दें ताकि इन

(श्री रामप्रताप कासनियां)

लोगों का मैं मुंह बंद कर दूं। आपने मेरे पर एक मेहरबानी की, आपने मुझ किसान के बेटे को सी.ए.डी. विभाग दिया और देते ही सरकार ने इतना उपहार दिया कि पक्के खालों की किश्त माफ की है। मैं किन शब्दों में धन्यवाद अर्पित करूं। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद। जय भारत।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (सिंचाई मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-46 पर पक्ष-विपक्ष दोनों के माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव दिये। बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिये। यह आगस्ट बॉडी जो विधान सभा है, आप लोगों के ही सुझाव से और आप लोगों की ही जो भी समस्या आती है, उसी से आगे जाकर रीति नीति बनती है। सिंचाई की जो भी रीति-नीति बनेगी, वह आप लोग जो यहां कहते हैं उसी से बनेगी।

पहले तो जैसे आप सब लोगों ने धन्यवाद दिया मैं भी हमारे मुख्यमंत्री और पूर्व मंत्री माननीय देवीसिंहजी और इनके साथ-साथ जितने भी पूर्व मंत्री कांग्रेस के रहे हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। क्योंकि इस विभाग के अन्दर, यह सही है कि सब कुछ न कुछ इस विभाग के लिये अच्छा ही करके गये हैं और कुछ न कुछ विभाग के अन्दर छाप छोड़कर गये। किसी ने कुछ प्लान बनाया होगा, किसी ने कुछ रीति-नीति निर्धारित की होगी।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्यों ने जो आज सुझाव दिये उसके अन्दर कुछ कॉमन बातें आयी हैं और वह बातें हर साल पहले भी आती रहीं, आती रहती हैं। पर उनके लिये एक ब्ल्यू प्रिन्ट बनाकर समस्या का हल अगर परमानेंट वे पर अपन नहीं करते तो यह हर साल वही की वही बातें कहते रहेंगे। जो जनरल बातें आयीं और उसी से मैं रीति-नीति और ब्ल्यू प्रिंट देना चाहता हूं। क्योंकि यह सही बात है कि आज मैं चार महीने के लिये, लोगों ने कहा कि आप चार महीने के लिये तो मंत्री बने हैं, क्या कर पाएंगे? चार महीने के अन्दर जो मैं कर पाऊंगा, एक सिस्टम ठीक करना चाहता हूं। सिंचाई के अन्दर जो सिस्टम गड़बड़ा गया है और इतने सालों से गड़बड़ा गया है, किसके कारण? मैं नहीं जाना चाहता हूं कि इसके कारण या उसके कारण। पर वह सिस्टम अगर ठीक कर दें, पाइप लाइन के अन्दर वह सिस्टम डाल दें तो (व्यवधान) जो कॉमन सुझाव समस्याएं जो रखी गयीं उसके अंदर मैं बिना नाम लिये हमारी पूर्व मंत्री श्रीमती कमला जी ने भी एक समस्या रखी है रख-रखाव की, यह सही है कि आप भी कहेंगे और हमें तो मानना पड़ेगा, हम कहे दें कि कांग्रेस ने तो कोई डेम नहीं बनाया, कोई तालाब नहीं बनाया, क्या चलेगा। और यह भी सही है आपको भी मानना पड़ेगा कि प्रिंसली स्टेट्स से जो हमें तालाब विरासत में मिले और वह भी मुफ्त के अंदर और इतने तालाब, मैं मेवाड़ की बात कर लूं हमारे यहां पर करीब 900 तालाब हैं। जिसके लिये हमने एक पैसा तक नहीं दिया

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

और न ही देने की जरूरत पड़ी। उनको मेनटेन तो कर लें और अगर हम उनको मेनटेन नहीं करें। जो रख-रखाव की बात रखी उसके लिये तो हमें कुछ सोचना ही पड़ेगा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि दूसरी जो समस्या रखी, एक अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की जो बात आयी। सही बात है पानी कम होता जा रहा है। वाटर टेबल नीचे जाता जा रहा है। हम लोग सब चाहते हैं कि हमारे एरिये के अंदर तालाब बन जाए, एनीकट बन जाए, डैम बन जाएं। यहां पर किसी एम.एल.ए. ने यह तो मांग नहीं कि मेरे यहां पर नहीं बनना चाहिए। सबने मांग की कि हमारे यहां पर एनीकट बनें, डैम बने। अगर यह डैम और एनीकट बनते रहेंगे और किसी के कैचमेंट को आप काटते रहोगे तो कहां तक चलेगा। इसके लिये भी एक सोच बने और वह आपके यहां से ही और आपके सुझाव से ही सोच आती है। इस बारे में भी मैं कुछ कहना चाहूंगा।

एक बात टेंडरिंग प्रोसेस में करप्सन की भी बात आयी है। मैं इसके लिये यह कहना चाहता हूं कि विभाग के अंदर अच्छे भी और बुरे भी आफिसर्स हैं, यह मानना पड़ेगा। हम भी उनको कहकर टेंडरिंग प्रोसेस को चेंज करवाना चाहते हैं। कहते हैं कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। आपका भी हो सकता है, हमारा भी हो सकता है और मैं भी हो सकता हूं। पर मैं एक सिस्टम ऐसा लाना चाहता हूं......और वह पाइप लाइन से होगा या नहीं होगा। उसके अंदर जितना भी आपके मेन्युपुलेशन की बात, मेन्युपुलेशन कर लेते हैं पालिटिशयन उसको कम से कम करने का, पोलिटिशियन और आफिसर्स ने उसका जो सिस्टम खराब कर रखा है। आज जो सिस्टम बना रखा है। आफिसर्स ने ऐसा ही सिस्टम बना रखा है, उनसे वह लाभ ले सकते हैं और कांट्रेक्टर्स भी उससे लाभ लेते हैं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो समस्याएं हैं इस पर जो मैं बात कर रहा था, ब्ल्यू प्रिन्ट का जो एक सुझाव आया और लोगों ने कहा, माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि एक परसेंट नेशन का पानी, राजस्थान की 5 परसेन्ट पापुलेशन के लिये, 11 परसेंट पूरा देश के एरिया जो अपना राजस्थान का है, उसके लिये है। यह भी कहा कि जो इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स हैं इनके लिये क्या किया जाए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स हैं और इस तीन साल के अंदर दो मीडियम इर्रिगेशन प्रोजेक्ट कम्प्लीट किये थे। इस साल हम 3 मीडियम प्रोजेक्ट्स कम्प्लीट करने जा रहे हैं सोम कमला अम्बा, परवन लिफ्ट, जयसमंद मोर्डेंजाइजेशन। अगले तीन साल के अंदर 9 प्रोजेक्ट्स हम कम्प्लीट करने जा रहे हैं सोम कमला अम्बा, परवन लिफ्ट, जयसमंद, सावन भादो, छापी, चावली, बैथिली, पांचना, गंभीरी मोर्डनाइजेशन। 25 माइनर इर्रिगेशन और 125 माइनर इर्रिगेशन स्कीम भी हम नाइन्थ प्लान के अंदर कम्प्लीट करने जा रहे हैं। यह

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

भी एक बात रखी गयी और यह बात है कि एक प्रोजेक्ट हम ले लेते हैं उसके लिये पूरा फंड आता नहीं है और उसे हम शुरु कर देते हैं और होता क्या है कि वह चलता जाता है। फंड तो पूरा आर्गेनाइजेशन हुआ नहीं और उसके अंदर एक बड़ी तकलीफ यह भी आई, जो काफी माननीय सदस्यों ने रखी कि जो-जो वर्क चार्ज के तो हमने, जितने भी वर्क चार्ज पर लेने हैं वह तो हमें तीन साल के अंदर यह कम्प्लीट कराना है, पूरे तीन साल के लिये कम्प्लीट होने के लिये जितने वर्क चार्ज लेने हैं वह ले लेते हैं और वह 10 साल तक चलते रहते हैं। जब वह दस साल तक चलते रहते हैं तो वर्क चार्ज के लोग भी चलते रहते हैं। माही के अंदर यही प्रोब्लम आ रही है। अब वह चाहते हैं कि हम माही प्रोजेक्ट कम्प्लीट कर लें और वर्क चार्ज के अब करीब 7 करोड़ रुपये हर साल हम नान प्लान के अंदर एक्स्ट्रा दे रहे हैं। वर्क चार्ज को वहां से हम कहते हैं कि दूसरी जगह जाएं तो जाने के लिये तैयार नहीं हैं। किसी का ट्रांसफर करते हैं तो हमारी ही कोई यूनियन आ जाती है, हमारे ही कोई माननीय सदस्य आ जाते हैं कि उनको मत भेजो यह भी समस्या बहुत बड़ी है। इसके लिये भी हम कुछ करने जा रहे हैं। (व्यवधान)

नाबार्ड से 107 करोड़ रुपये और डिपार्टमैंट से 67 करोड़ की एक्सिलरेटेड इर्रिगेशन प्रोग्राम हमने अब ले लिये हैं। जो पहले केवल 6 करोड़ के लिये थे। टौंक जिले के लिये मैं यह भी कहना चाहता हूं कि 7 हजार हैक्टेयर राइट मैन कैनाल से हम इर्रिगेट करने जा रहे हैं और लैफ्ट मैन कैनाल हम इसी साल शुरू कर देंगे। जरूरी सोच मैं अभी दे रहा हूं।

यहां मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमने अब यह तय किया है कि माइनर इर्रिगेशन प्रोजेक्ट कोई भी हम लेवें उसके लिये पहले फंडिंग और जितना मुआवजा देना है उसके लिये भी पूरा बंदोबस्त करके फिर ही शुरू करेंगे। नहीं तो वह कम्प्लीट नहीं होती है। तो हमने यह विचार किया है कि जब भी कोई माइनर इर्रिगेशन प्रोजेक्ट हम लेंगे उसको हम दो साल के अंदर कम्प्लीट कर जाएंगे और कर देंगे। मीडियम प्रोजेक्ट हम 5-6 के अंदर हम कम्प्लीट करना चाहते हैं और करेंगे और मेजर प्रोजेक्ट 10 साल के अंदर हम कम्प्लीट करने का बंदोबस्त करके फिर भी शुरु करेंगे। रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट भी बनाया है और यह 1800 करोड़ का है और 1800 करोड़ में जो प्रोजेक्ट हैं इसके लिये वर्ल्ड बैंक से बातचीत हो गयी थी और वह 1800 करोड़ रुपये देने के लिये तैयार थे। पोकरण के कारण थोड़ी सी डिले हो गयी, क्योंकि सैंक्शन अब लगा रखी थी। अब हटा दिया है तो यह भी हम 1800 करोड़ रुपये की करके महीने दो महीने के अंदर इसको कम्प्लीट करके चालू करवा देंगे.....(व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : पाइप में डालें गंग कैनाल को, कहीं वह पीछे न रह जाए।

श्री राजेन्द्र पारीक : सारा मामला ही चौपट हो जाना है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि 750 हजार हैक्टेयर एक्स्ट्रा सी.सी.ए. बनेगा और हम इर्रिगेट कर पाएंगे...... (व्यवधान) डिपार्टमैंट में चेंजेज लाने की जो बात अभी मैंने कही थी उसके लिये एक इन्टरनेशनल बॉडी प्राइस हाउस से हमने 38 लाख रुपये की स्टडी करवाई है, और उसके अंदर स्टडी करके हम, 38 लाख रुपये, हमारे पैसे नहीं लग रहे, यह भी हमें फण्ड मिल रहा है और उसके कारण ही हम स्टडी करवा रहे हैं और इसके कारण जितनी भी समस्याएं हैं टेनरिंग की है और जो वर्क चार्ज की आई है, जितने भी नोर्म्स जो होने चाहिए, वह भी सब इस स्टडी से आ जाएंगे। डेम सेफ्टी प्रोजेक्ट्स के अंदर 29 करोड़ रुपये के हमने काम लिये हैं और यह काम मीडियम और माइनर डैम पर हमने लगा लिये हैं और इस साल ये कम्प्लीट हो जाएंगे, इसके लिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ल्ड बैंक ने यह जो प्रोग्राम था, उसके लिये राजस्थान की बहुत तारीफ की है। दूसरे राज्य, जिनको भी दिया है, जितना अच्छा काम राजस्थान में हुआ है किसी अन्य राज्य में नहीं हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेंटीनेंस के फण्ड लिये मैं एक बात और कहना चाहता हूं। क्योंकि अपन प्रोजैक्ट तो बना लेते हैं, डैम्स बन जाते हैं, तालाब बन जाते हैं लेकिन मेंटीनेंस के लिये पैसा नहीं रहता है। इसलिये मैं एक और सोच देना चाहता हूं कि जब प्रोजेक्ट्स बने, उसके लिये पांच प्रतिशत ऐसा पैसा रखना चाहिए जिसको क्यों 10 साल के अंदर जब प्रोजैक्ट बन जाता है और 10 साल के अंदर रिपेयर्स की जरूरत नहीं रहेगी तो वह पांच प्रतिशत मल्टीप्लाई होता रहेगा और 10 साल के बाद जब रिपेयर की जरूरत पड़ेगी नहरों की भी, डैम्स की भी तो वह पांच प्रतिशत से रिपेयर होते जाएं। इसलिये मेंटिनेंस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यह नया सोच हम देना चाहते हैं।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : यह इण्टरनेशनल अनुभव की कुछ छाया नजर आ रही है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : यह रीहैबिलिटेशन और रीसैटलमेण्ट पॉलिसी के बारे में भी मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। रीहैबिलिटेशन और रीसैटलमेण्ट पॉलिसी खाली माइनर के लिये तो होती नहीं है, खाली मीडियम और मेजर प्रोजैक्ट्स के लिये होती है। अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि माइनर का क्या होगा? माइनर प्रोजैक्टस ले लेते हैं और इसमें गरीब जो डूब में आ जाते हैं, उनकी जमीन या मकान या तो कुछ उनको मुआवजा मिल जाता है, पैसे का उपयोग जैसे करना चाहिए, वह नहीं कर पाते हैं। यह पॉलिसी हमने बनाई है और हम चाहते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, पूरे हिन्दुस्तान के अंदर पहला राज्य होगा राजस्थान जिसका, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह जल्दी से जल्दी हम इसको लागू करने के लिये कैबिनेट में रखकर लागू

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

करवाएंगे, इसकी स्टडी करके, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि इसके ऊपर जो भी सुझाव आएंगे, मैं इसको सर्कुलेट भी कर दूंगा और आपके सुझाव भी मैं लूंगा।

अभी मैंने जो बात कही, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के बारे में, मैं माननीय सदस्य श्री पराक्रमसिंहजी और श्री भगराजजी, जवाई बांध के लिये उन्होंने कहा, यह सही बात है कि एक डैम बन जाता है और जो नदी सूख जाती है, क्योंकि मैं उदाहरण के लिये मेरे वहां के एरिये की बात रखना चाहता हूं। खारी नदी पर करीब 40 वर्ष पहले डैम बना जो सैंकड़ों वर्ष पहले जो सेजा गांव बस गया था, श्री पराक्रमसिंहजी जो कह रहे थे वह सही है, हुल्डा और हमारे एरिये के अंदर इतना कल्टिवेशन होता है कि हर रोज यहां से ट्रक भर-भरकर मिर्ची और टमाटर जाते थे, दिल्ली और अहमदाबाद, आज उनको पीने के पानी की समस्या हो गई। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक कमेटी स्टेट लेबल पर और एक संभाग लेबल पर, जो भगराजजी कह रहे थे, एक संभाग लेबल पर भी कमेटी हो, कमिश्नर के नीचे, जो इन समस्याओं को देखें और इसमें सब चीजें आ जाएंगी और इसमें कोर्डिनेशन सब डिपार्टमेंट्स का भी चाहे पी.एच.ई.डी. हो या ग्राउण्ड वाटर, सब अधिकारी उसमें होंगे और यह सब डिसाइड करेंगे कि उसमें क्या होना चाहिए।

कन्स्ट्रक्शन एण्ड माडर्नाइजेशन, अब मेजर, मीडियम और माइनर स्कीम्स के लिये दो सौ करोड़ रुपये थे उसमें 319 करोड़ रुपये, हमने 55 प्रतिशत का इस साल इन्क्रीज किया है। फ्लड रिलीफ प्रोग्राम, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे फेमिन मिनिस्टर साहब को कि उन्होंने 25 करोड़ रुपये जो थे, अब हमने 29.14 करोड़ रुपये, 13 प्रतिशत का इन्क्रीज हमने किया है इस साल। इससे 403 प्रोजेक्ट्स में काम हुआ है।

मैं कुछ खास घोषणाएं करना चाहता हूं (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल : राजस्थान के होनहार मंत्री, माननीय राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ के होते हुये मच्छर सदन में इतने हैं तो बाहर कितने होंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनका इलाज करवाइए। बैठना मुश्किल हो गया है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : विभाग ने सिद्धमुख नोहर परियोजना पर उत्कृष्ट कार्य किया है। राजस्थान में किए गए कार्यों को यूरोपियन समुदाय द्वारा भी सराहा गया है। माननीय सदस्यों को यह जानकर हर्ष होगा कि इस साल खरीफ में सिंचाई चालू कर दी गयी है। चालू वर्ष में सिद्धमुख वितरिका में कार्य को हाथ में लेने का प्रस्ताव करता हूं। इसमें नोहर, भादरा, राजसमन्द तहसीलों की 18350 हैक्टेयर भूमि सिंचित क्षेत्र में शामिल हो जाएगी।

जाखम एवं विलास सिंचाई परियोजनाएं पूरी हो गई है। विभाग ने दूसरी योजना पर भी अच्छा कार्य किया है। चालू वर्ष में तीन मध्यम तथा 25 लघु सिंचाई परियोजनाएं पूरी

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

करेंगे। ये तीन मध्यम परियोजनाएं परवन लिफ्ट, सोम कमला अम्बा, जयसमंद, दो और मध्यम परियोजनाएं अर्थात् सिरोही जिले में सूकली तथा जालौर जिले में बांदर सींदरी इस वर्ष प्रारम्भ करना प्रस्तावित है। जैसे ही भारत सरकार के वन विभाग की सहमति प्राप्त हो जाएगी गरहड़ा तथा जाखम परियोजना का कार्य भी प्रारम्भ कर दिया जाएगा।

बीसलपुर परियोजना में प्रथम बार सिंचाई सुविधा प्रदान करायी गयी है। विभाग ने इस परियोजना को भारत सरकार के त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, ए. आई. बी. पी. में सम्मिलित करवाने में सफलता हासिल की है।

इस प्रकार भविष्य के लिये किये जाने वाले व्यय का 50 प्रतिशत खर्च इस कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाएगा। आर.आई.डी.एफ. कोष से अधिक उपयोग किया जाएगा। विभाग ने 1996-97 में 50 करोड़ दिए थे। 1997-98 में 59 करोड़ और अपनी इस कार्यकुशलता से प्रोत्साहित होकर विभाग 1998-99 में 160 करोड़ रुपये व्यय करने की आशा रखता है।

पंजाब क्षेत्र में इन्दिरा गांधी नहर फीडर को पुनर्स्थापित, रेस्टोरेशन करने में 11.60 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं। विभाग ने गंग नहर आधुनिकीकरण के प्रस्ताव केन्द्रीय जल आयोग को भेजे हैं जिसकी कुल अनुमानित लागत 450 करोड़ रुपये हैं।

मैं जितने भी माननीय सदस्यों के सुझाव, कट मोशंस आए उनके आप लोगों के पास जवाब भिजवा दूंगा। धन्यवाद। यह मांग पारित की जाए।

मांग संख्या 46 का पारण

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या-46 सिंचाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 13,37,17,18,000/- (तेरह अरब सैंतीस करोड़ सत्रह लाख अठारह हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 38 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 38 लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के संबंध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,46,33,74,000/- (एक अरब छियालीस करोड़ तैंतीस लाख चौहत्तर हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 24 जुलाई, 1998 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 22.44 बजे शुक्रवार, दिनांक 24-7-98 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट-1
(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न और उनके उत्तर)

रणथम्भौर अभयारण्य में अनुबंधित वाहन प्रकरण

236. **श्री तैयब हुसैन** (कामां) एवं

श्री दीपेन्द्र सिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या सवाईमाधोपुर बांध परियोजना में पर्यटकों को घुमाने के लिये डीजल केन्टर व जिप्सी जीपें अनुबन्ध पर ली हुई हैं ? यदि हां, तो कितनी-कितनी, कब से तथा इन वाहनों से प्रति व्यक्ति कितनी राशि वसूल की जा रही है ?

(2) उक्त संबंध में सरकार के क्या नियम हैं ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या अनुबन्धित वाहनों के पास कान्ट्रेक्ट केरीज परमिट होना आवश्यक है ? यदि हां, तो क्या उक्त वाहनों के पास कान्ट्रेक्ट केरीज परमिट हैं ?

(4) क्या "कान्ट्रेक्ट केरीज परमिट" नहीं होने पर भी वाहनों का अनुबन्ध किया गया है ? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत, किस अधिकारी द्वारा व क्यों ?

(5) क्या सरकार द्वारा जारी अधिसूचना एस. 11(88) फोरेस्ट-89 जयपुर दिनांक 1-7-97 के अनुसार जिप्सी जीप के लिये कुल 125/- रुपये तथा बस आदि वाहनों के लिये एक परिचक्र के लिये 200/- रुपये की एन्ट्री फीस निर्धारित है तथा पर्यटक को ले जाने की जिम्मेदारी वन विभाग की नहीं है ?

(6) क्या कुम्मट कमेटी की रिपोर्ट में यह निर्देश है कि पर्यटन स्थलों का संचालन वन विभाग द्वारा नहीं किया जायेगा तथा राजस्थान पर्यटन निगम या किसी अन्य एजेंसी द्वारा किया जायेगा ? यदि हां, तो क्या उक्त रिपोर्ट की पालना की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब तक पालना नहीं करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

उत्तर

(1) जी, हां। रणथम्भौर बाघ परियोजना में पर्यटकों को घुमाने के लिये डीजल केन्टर एवं जिप्सी जिपो का अनुबन्ध किया जाता है। निम्न सूची के अनुसार गत पांच वर्षों में अनुबन्ध किया गया है।

क्र.सं.	वर्ष	जिप्सी	केन्टर
1.	1993-94	16	–
2.	1994-95	24	3
3.	1995-96	16	4
4.	1996-97	18	4
5.	1997-98	22	7

वन विभाग द्वारा केन्टर्स से प्रति व्यक्ति कोई राशि वसूल नहीं की जाती है किन्तु प्रति जिप्सी एडवांस बुकिंग के पर्यटक से 575 रु. पहले जमा करवाकर बाद में जिप्सी मालिक को चुकाए जाते हैं।

(राज्य मंत्री, वन)

(2) राज्य सरकार के पत्रांक एफ 11 (33) वन/92 दिनांक 5-6-93 के द्वारा अनुमोदित वाहनों की निविदा की शर्तें सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(3) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित निविदा की शर्तों में कान्ट्रेक्ट केरीज परमिट होने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित शर्तों के अनुसार वाहनों का अनुबन्ध किया गया है।

(5) जी, हां। जिप्सी जीप के लिये कुल 125/- रुपये तथा बस आदि वाहनों के ट्रिप के लिये 200/- रुपये निर्धारित है। पर्यटक को पार्क में जाने के लिये वाहन की सुविधा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी वनविभाग की नहीं है। पर्यटकों का पार्क में प्रवेश वन विभाग के द्वारा नियमित किया जाता है। जिसके तहत वन विभाग से अनुबन्धित वाहनों में ही पर्यटकों को पार्क में ले जाने की अनुमति दी गयी है।

(6) जी, हां। कुम्मट कमेटी की रिपोर्ट भारत सरकार एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रेषित की जाने के पश्चात् भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य सरकार द्वारा आदेश दिनांक 23-11-92 से मोनिटरिंग तथा इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का गठन किया गया। मोनिटरिंग तथा इम्प्लीमेंटेशन कमेटी की रिपोर्ट दिनांक 29-10-93 में पर्यटन संचालन हेतु दिये गये दिशा निर्देशानुसार अनुपालना की जा रही है। क्योंकि अनुपालना उक्तानुसार की जा रही है अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

राजस्थान सरकार

वन विभाग

क्रमांक : एफ. 11 (33) वन/92 जयपुर, दिनांक 5 जून, 1993

मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,
राजस्थान, जयपुर

विषयः—रणथम्भौर अभ्यारण्य में पर्यटकों के लिए वाहन को किराये पर लेने हेतु।

महोदय,

निर्देशानुसार उपरोक्त विषय में आपके अ.शा.पत्र संख्या एफ. 1 (ग) ।वकास/मुवजीप्र/92-93/ 1555 दिनांक 17-2-93 के साथ प्राप्त निविदा की शर्तों के प्रारूप का अनुमोदन कर अग्रिम कार्यवाही हेतु भिजवाया जा रहा है।

संलग्न : निविदा की शर्तें

भवदीय

उप शासन सचिव

[redacted]

(288)

क्रम संख्या ______

कार्यालय क्षेत्र निदेशक बाघ परियोजना, रणथम्भौर

निविदा प्रपत्र

1. विषय..के लिये निविदा

2. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम तथा डाक का पूरा पता

3. जिस अधिकारी को निविदा दी जा रही है (नाम व पता)

4. संदर्भ जिसके उत्तर में निविदा दी जा रही है

5. टैन्डर फीस..............................जमा कराने का प्रमाण केश/रसीद संख्या

6. मैं निविदा सूचना सं ____दि____ में वर्णित समस्त शर्तों को तथा संलग्न कागज (शीट) में दी गयी उक्त नोटिस की अग्रिम शर्तों को भी जिनके सभी पृष्ठों पर हमने वर्णित शर्तों को स्वीकार करने के लिए हस्ताक्षर किये हैं। मानने के लिए बाध्य है। मेरी/हमारी आपूर्ति की दरें निम्न प्रकार होगी

क्र.सं.	वाहन की किस्म	वाहन की संख्या कितनी आपूर्ति करेंगे	दर प्रति ट्रिप
1.	जिप्सी		
2.	मिनी बस महेन्द्रा निशान या समकक्ष		
3.	टाटा मोबाइल		

7. धरोहर राशि हेतु प्रत्येक गाड़ी के लिए रुपये 5,000/- की दर से नगद/डिमांड ड्राफ्ट रसीद संख्या____दिनांक____संलग्न है।

8. ऊपर बतलाई गई दरें दिनांक____तक वैध है इसके आगे पारस्परिक सहमति से बढ़ाई जा सकती है।

निविदाकार के हस्ताक्षर

कार्यालय क्षेत्र निदेशक, बाघ परियोजना रणथम्भौर

निविदा की शर्तें

शर्तें जिन पर वाहन किराये पर लिए जायेंगे

1. कि वाहन मालिक : (श्री..............................पुत्र श्री.............................अनुबन्ध पर दिये गये वाहन में स्वयं की ओर से चालक नियुक्त करेगा तथा चालक के पूरे खर्चे जैसे वेतन आदि वाहन मालिक द्वारा देय होंगे। इसके अतिरिक्त वाहन के संचालन में होने वाले सम्पूर्ण खर्चे उदाहरणार्थ पैट्रोल, तेल मरम्मत टूट फूट, बीमा तथा पर्यटकों की सुरक्षा सम्बन्धी समस्त उत्तरदायित्व आदि वाहन मालिक द्वारा ही वहन किये जावेंगे।

2. वाहन की कम से कम तृतीय पक्षीय बीमा वाहन मालिक द्वारा ही वहन किये जावेंगे।

3. रोड टेक्स वाहन मालिक द्वारा ही देय होगा।

4. क्षेत्र निदेशक द्वारा द्वितीय पक्ष से अनुबन्धित किये गये वाहन का संचालन क्षेत्र निदेशक द्वारा अधिकृत गाईड की देखरेख व समय सारणी के अनुसार वाहन का संचालन कार्य किया जावेगा।

5. वाहन के चालक को ऐसे सभी आदेशों का पालन करना होगा जो नियमान्तर्गत संचालन हेतु आवश्यक है।

6. वाहन के मालिक व चालक दोनों को क्षेत्र निदेशक के हर प्रकार के आदेश अथवा क्षेत्र निदेशक द्वारा अधिकृत अधिकारियों के आदेशों का पालन करना होगा। समय समय पर अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रसारित आदेशों की अनुपालना करना एवं जानकारी प्राप्त करने का उत्तरदायित्व वाहन स्वामी का स्वयं का रहेगा। आदेशों की अवहेलना पर बिना पूर्व सूचना के वाहन को संचालन से हटाया जा सकेगा।

7. द्वितीय पक्ष की यह जिम्मेदारी होगी कि वह वाहन को पूर्णतया चालू हालत में रहे रखेगा। वाहन में टूल बाक्स स्टेपनी व जरूरी अन्य ऐसे सभी कार्यों पर जो वाहन को सही हालत में रखने के लिए आवश्यक है, सम्पूर्ण खर्चे वाहन मालिक को ही वहन करने होंगे।

8. वाहन क्षेत्र निदेशक सवाई माधोपुर या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी को उपलब्ध कराने होंगे।

9. वाहनों का संचालन राष्ट्रीय उद्यान रणथम्भौर में निर्धारित मार्गों पर प्रत्येक वर्ष एक अक्टूबर से 30 जून तक दिया जावेगा।

10. वाहनों को देय भाड़ा जिस दिन वाहन काम में लिया जावेगा उस दिन का प्रति ट्रिप देय होगा।

11. एक ट्रिप में लगभग 60 किलोमीटर तक की यात्रा करवानी होगी (राष्ट्रीय उद्यान में)

12. वाहन सुबह तीन घंटे व सायंकाल तीन घंटे राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटकों को घुमाने के काम में लिये जावेंगे। समय का निर्धारण क्षेत्र निदेशक अथवा अधिकृत अधिकारी तय करेंगे।

13. यह अनुबन्ध प्रारम्भ में दिनांक तक की अवधि के लिए प्रभावी होगा। इस अवधि की समाप्ति के बाद अनुबन्ध करने में क्षेत्र निदेशक पूर्ण सक्षम होगा।

14. अनुबन्ध से सम्बन्धित किसी भी पक्ष को यह अधिकार होगा कि वे एक माह का अग्रिम नोटिस देकर इस अनुबन्ध को निरस्त कर देंगे, किन्तु क्षेत्र निदेशक को यह अधिकार होगा कि ऐसे नोटिस को 30 दिन की अवधि में के लिए बढ़ा दें। अनुबन्ध निरस्त किये जाने का कारण देखना आवश्यक नहीं होगा। वाहन स्वामी को अनुबन्ध की अवधि से पूर्व अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार नहीं होगा।

15. यदि कोई वाहन मार्ग में ब्रेक डाउन हो जाता है और अपनी ट्रिप को पूर्ण नहीं कर सके तो उसे भुगतान देय नहीं होगा।

16. भुगतान प्रति ट्रिप से 15 दिवस में एक बार किया जावेगा। वाहन स्वामी अपने प्रथम एवं द्वितीय पखवाड़ के क्रमशः 17 व 2 तारीख को प्रस्तुत कर देगा। भुगतान चैक/डी.डी. द्वारा वाहन स्वामी को डी.डी. कमीशन काटकर दिया जायेगा।

17. इस अनुबन्ध पत्र को पंजीकृत करवाने सम्बन्धित स्टाम्प फीस व सब प्रकार के खर्चे वहन करने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।

18. वाहन मालिक अथवा वाहन चालक के विरुद्ध पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार करने पर बिना सूचना दिये अनुबन्ध निरस्त किया जायेगा।

19. आयकर सम्बन्धित नियमों के अन्तर्गत द्वितीय पक्ष को दिये जाने वाली राशि में से निर्धारित प्रतिशत के अनुसार आयकर सम्बन्धित राशि भुगतान करते समय काटी जावेगी। यदि द्वितीय पक्ष सम्बन्धित आयकर अधिकारी से आयकर न काटने के बारे में प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दे तो ऐसे वाहन मालिकों से आयकर नहीं काटा जायेगा।

20. यदि सीटें पर्यटकों के लिए सुविधाजनक एवं उपयुक्त स्तर की नहीं होगी या पर्यटकों की असुविधा के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होगी तो वाहन संचालन से पृथक किया जा सकेगा।

21. अनुबन्धित वाहन के साथ क्षेत्र निदेशक द्वारा लाईसेन्स शुदा गाईड को ही जाने दिया जायेगा।

22. वाहन चालक को विभाग द्वारा दिये जाने वाले प्रशिक्षण अपनी खुद की कीमत पर सवाईमाधोपुर में रह कर प्राप्त करना होगा तथा ड्राईवर के अच्छे आचरण की सिक्योरीटी के लिए 5000/- रुपये बैंक या पोस्ट आफिस में क्षेत्र निदेशक के नाम प्लेज करने होंगे। ड्राईवर द्वारा नियमों का उल्लंघन या गलत व्यवहार करने पर उक्त सिक्योरिटी का हिस्सा या पूर्ण अधिकृत अधिकारी द्वारा जब्त किया जा सकेगा।

23. जो व्यक्ति निविदा भरें वह स्वयं गाड़ी का मालिक होना चाहिए। इसके प्रमाण के रूप में गाड़ी के रजिस्ट्रेशन की फोटो प्रति संलग्न की जावे।

24. न्यूनतम निविदा उतनी ही वाहनों के लिये मानी जावेगी जितनी गाड़ी के लिए वह 5000/- प्रति गाड़ी के हिसाब से सिक्योरिटी जमा करायेगा।

25. आवश्यक संख्या में गाड़ियां उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में जो अन्य निविदा दाता होंगे जिन्होंने ऊंची दरें दी है उनसे भी गाड़ी निविदा की न्यूनतम दर पर ली जा सकेगी। यदि न्यूनतम दर पर अन्य निविदादाता जो गाड़िया उपलब्ध करवायेंगे उनकी संख्या आवश्यकता से अधिक होगी तो उपस्थित निविदा दाताओं में से लाटरी डालकर उनका चयन किया जायेगा।

26. यदि समस्त निविदादाताओं द्वारा उपलब्ध वाहन राष्ट्रीय उद्यान की आवश्यकता से कम हो तो उन वाहन मालिकों से भी निविदा न्यूनतम दर पर अनुबन्ध किया जा सकेगा जिन्होंने निविदा में भाग नहीं लिया है।

हस्ताक्षर क्षेत्र निदेशक हस्ताक्षर वाहन मालिक

विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में मदिरा की अवैध बिक्री

237. श्री रामनारायण किसान (फुलेरा) : क्या उप मुख्य (आबकारी) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में अवैध शराब की दुकानें संचालित की जा रही हैं?

(2) उक्त क्षेत्र में वर्तमान में कितनी अधिकृत दुकानें हैं?

(3) क्या सरकार अवैध रूप से चल रही दुकानों को बंद कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है कि विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में कोई अवैध शराब की दुकान चल रही है।

Page No. 292

(292)

(उप मुख्य (आबकारी) मंत्री)

(2) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में देशी मदिरा की 39 दुकानें एवं भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर की 5 दुकानें वर्तमान में स्वीकृत होकर संचालित है। दुकानों की सूची निम्नानुसार है: —

देशी मदिरा दुकानात

1. फुलेरा ढाणी	2. पुराना फुलेरा
3. सांभर-ii	4. सांभर-iii
5. रेनवाल	6. रेनवाल स्टेशन
7. जोबनेर-i	8. जोबनेर-ii
9. सांभर-iv	10. हिगोनिया
11. रेनवालसारडा	12. करणसर
13. हरसोली	14. मैसलाना
15. कोरसिना	16. काजीपुरा
17. भण्डा	18. आकोदा
19. बिचून	20. भादवा
21. बोबास	22. बोबास स्टेशन
23. खण्डेल	24. हिरनोदा
25. बधाल	26. बधाल स्टेशन
27. आसलपुर गांव	28. आसलपुर स्टेशन
29. काचरोदा	30. पचकेरिया
31. बोराज	32. नवरंगपुरा
33. मैसावा	34. छोटी डूंगरी
35. नागाबस्सी	36. त्योद
37. जैतपुरा	38. रोजड़ी
39. नरेना	

भारत निर्मित विदेशी मदिरा/ बीयर दुकानात

1. फुलेरा 2. सांभर 3. सांभरचुंगीनाका 4. किशनगढ़ रेनवाल 5. जोबनेर

(3) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में मदिरा की कोई अवैध दुकान संचालित नहीं है तो उसे बंद कराने का कोई प्रश्न नहीं है। यदि विभाग को कोई शिकायत प्राप्त होती है तो तत्काल नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

जिला जोधपुर में पंचायतों द्वारा कराये जा रहे कार्य

238. श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या जोधपुर जिले में वर्तमान में कार्यरत ग्राम पंचायतों के द्वारा कराये जा रहे कार्यों के संबंध में सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो कब-कब एवं किस संबंध में?

(2) क्या प्राप्त शिकायतों की जांच कराई गई है? यदि हां, तो कब-कब एवं किस-किस के द्वारा तथा जांच के क्या परिणाम रहे?

(3) क्या दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही में विलम्ब हो रहा है? यदि हां, तो इसके लिये कौन दोषी है? क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी, हां। सूची संलग्न है।

(2) प्रश्न संख्या 1 में संलग्न सूची के कालम संख्या 5 से 7 तक सम्पूर्ण सूचना अंकित है।

(3) जी, नहीं। आरोपियों के विरुद्ध नियमानुसार जांच कार्यवाही जारी है। विस्तृत

(राज्य मंत्री, पंचायती राज)

जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

अजमेर डेयरी में दुग्ध केन्स का खरीद प्रकरण

239. श्री हरिसिंह (महुआ) एवं **श्री परसादीलाल मीणा** (लालसोट) : क्या दुग्ध विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि अजमेर डेयरी में वर्ष 1997-98 में दुग्ध के केन्स की खरीद की गयी थी? क्या उक्त केन्स की किस्म घटिया थी?

(2) क्या यह भी सही है कि श्रीराम लेबोरेट्री में उक्त केन्स रद्द हो गये थे? यदि हां, तो फिर भी खरीद के क्या कारण हैं?

(3) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड के अधिकारियों को निर्वाचित अध्यक्षों से ज्यादा दैनिक/यात्रा भत्ता दिया जा रहा है? यदि हां, तो कितना?

(4) वर्ष 1992 से जून, 1998 तक कितनी राशि का भुगतान किया गया है। विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। खरीदे गये केन्स ISI (आई.एस.आई.) मार्क थे। अतः घटिया होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) श्रीराम लेबोरेट्री ने टैस्ट रिपोर्ट दी है जिसके अनुसार केन्स रद्द करने के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी है।

(3) जी, हां। विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(4) विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

एन.डी.डी.वी. के अधिकारी एवं निर्वाचित अध्यक्ष, दुग्ध संघ, अजमेर को देय दैनिक भत्तों का तुलनात्मक विवरण

	दैनिक भत्ते की दर (रुपये)
एन.डी.डी.वी. के अधिकारी हेतु	175.00
निर्वाचित अध्यक्ष हेतु	
मैट्रोपोलिटन शहर जैसे दिल्ली	110.00
अन्य शहर	85.00

नोट: —

1. एन.डी.डी.वी. के अधिकारियों को एन.डी.डी.वी. के यात्रा भत्ते नियमों के अन्तर्गत भुगतान किया जाता है।

2. संघ के अध्यक्ष महोदय की यात्रा भत्ता आर.सी.डी.एफ. के महाप्रबन्धक एवं प्रबन्धक स्तर के अधिकारियों के समकक्ष दिया जाता है।

अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, अजमेर

दैनिक व्यय यात्रा भत्ता बिलों का विवरण

(राशि रुपये में)

वर्ष	अध्यक्ष	एन. डी. डी. वी. अधिकारी	एन. डी. डी. वी. अधिकारियों की संख्या
1992-93	25,702	50,338	3
1993-94	30,629	36,463	3
1994-95	5,554	21,732	2
1995-96	–	27,092	2
1996-97	7,590	6,539	1
1997-98	37,164	2,650	1
अप्रेल से जून, 1998	9,882	4,671	1

राज्य में न्यायाधीशों के रिक्त पद

240. श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : क्या विधि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) गत पांच वर्षों में राजस्थान उच्च न्यायालय में नियुक्त कितने न्यायाधीशों का स्थानान्तरण प्रदेश के बाहर किया गया व कितने अन्य राज्यों में नियुक्त न्यायाधीशों का पदस्थापन राजस्थान उच्च न्यायालय में किया गया ?

(2) गत पांच वर्षों में उच्च न्यायालय में लम्बित विभिन्न प्रकार के ऐसे प्रकरणों की संख्या क्या हैं, जिनमें न्यायाधीश महोदयों ने निर्णय सुरक्षित (रिजर्व) रखा हो और निर्णय तीन माह से अधिक अवधि बाद सुनाया गया हो ?

(3) राज्य में अधीनस्थ न्यायालयों में से ऐसे सिविल जज व अपर सिविल जज (कनिष्ठ खण्ड) के कितने न्यायालय हैं, जिनमें छह मास से अधिक समय से पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त रहा हो ? इन न्यायालयों में पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त रहने के लिये राज्य सरकार किस हद तक जिम्मेदार है ?

(4) हर वर्ष रिक्त होने वाले पदों का अनुमान लगा कर रिक्त होने वाले पीठासीन अधिकारियों के पदों के लिये चयन व नियुक्ति की प्रक्रिया छः माह पूर्व ही शुरू की जाकर पदों को भरने के विषय में राज्य सरकार ने कभी कोई विचार किया है ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

(5) क्या यह भी सही है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 1989 में विभिन्न प्रान्तों में पत्रकारों से न्याय प्राप्ति हेतु विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा ली जाने वाली फीस के सम्बन्ध में अनेक प्रान्तों, जिनमें राजस्थान भी सम्मिलित है, की सरकारों को कोर्ट फीस को अधिक मानकर कोर्ट फीस में कमी करने व किसी एक दीवानी मुकदमे में अदा की जाने के सम्बन्ध में अधिकतम सीमा निर्धारित करने के निर्देश प्रदान किये थे परन्तु राज्य सरकार ने राजस्थान की जनता को राहत प्रदान करने के लिये दिये गये निर्देशों की आज तक कोई पालना नहीं की है ?

(6) क्या राजस्थान उच्च न्यायालय में ग्यारह वरिष्ठतम न्यायाधीशों में से दस न्यायाधीश अन्य प्रान्तों से स्थानान्तरित हैं तथा यह स्थिति राजस्थान में नियुक्त वरिष्ठ न्यायाधीशों के स्थानान्तरण के कारण हुई है ? क्या राज्य सरकार इस स्थिति से सन्तुष्ट है ? यदि नहीं, तो इस असन्तुलन के निराकरण हेतु क्या प्रयास किये हैं ?

उत्तर

(1) गत 5 वर्षों में राजस्थान उच्च न्यायालय में नियुक्त न्यायाधिपतिगण में से 12 न्यायाधीशों का स्थानान्तरण प्रदेश के बाहर किया गया है तथा अन्य प्रान्तों में नियुक्त 16 न्यायाधिपतिगण का स्थानान्तरण राजस्थान उच्च न्यायालय में हुआ है।

(2) इस सम्बन्ध में उच्च न्यायालय के नियमों में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होने से सूचना संकलित नहीं की जाती है। समय सीमा निर्धारित करने हेतु उच्च न्यायालय के स्तर पर ही नियमों में संशोधन करने अथवा अन्य उपाय हेतु विचार चल रहा है।

(3) वर्तमान में, राज्य भर में 81 सिविल जज एवं अपर सिविल जज (क.ख.) न्यायालयों में पीठासीन अधिकारी के पद रिक्त चल रहे हैं। कुल 16 न्यायालयों में पिछले छह माह से अधिक समय से पीठासीन अधिकारी के पद रिक्त चल रहे हैं। उक्त पद रिक्त रहने के लिये राज्य सरकार की कोई परोक्ष जिम्मेदारी नहीं है। प्रतिवर्ष सृजित किये जा रहे 30 न्यायालय व पदोन्नतियों के कारण पद रिक्त हुये हैं, जिन्हें शीघ्रातिशीघ्र भरने की कार्यवाही चल रही है।

राजस्थान न्यायिक सेवा में सीधी भर्ती हेतु उच्च न्यायालय द्वारा राजस्थान न्यायिक सेवा, 1955 के नियम 9 में संशोधन अधिसूचित करने हेतु प्रस्ताव दिनांक 26-3-98 को ही सरकार को भेजे गए हैं। उक्त संशोधन द्वारा अन्य पिछड़ी जाति एवं महिलाओं के आरक्षण का प्रस्ताव है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की सहमति भी प्राप्त हो चुकी है। माननीय मंत्रीमण्डल के अनुमोदन की कार्यवाही चल रही है, तथा महामहिम राज्यपाल का आदेश प्राप्त होते ही संशोधन अधिसूचित कर दिये जायेंगे। नियम 9 में उक्त संशोधन हो जाने के तुरन्त बाद ही राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगी

(राज्य मंत्री, विधि)

परीक्षा द्वारा भर्ती की कार्यवाही की जा सकेगी। तदुपरांत रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्तियां दी जा सकेंगी।

(4) जी, हां। पदों के रिक्त होने व उस पर चयन हेतु सूचना राजस्थान लोक सेवा आयोग को यथा संभव समय पर दी जाती है। राज्य सरकार ने वर्ष 1994 की प्रतियोगी परीक्षा द्वारा 113 न्यायिक मजिस्ट्रेटों की भर्ती कर नियुक्ति प्रदान की है। सरकार का उच्च न्यायालय से निरन्तर अनुरोध रहा है कि अन्य पिछड़ी जातियों एवं महिलाओं के लिये आरक्षण रखा जावे। उक्त प्रस्ताव उच्च न्यायालय के पूर्णपीठ द्वारा हाल ही में दिनांक 19-2-98 को स्वीकार किए गए हैं तथा राज्य न्यायिक सेवा, 1955 के नियम 9 में संशोधन की कार्यवाही अग्रिम स्तर पर चल रही है। प्रतिवर्ष के रिक्तियों की गणना, व उनके भरे जाने की कार्यवाही में कुछ विलम्ब अन्य पिछड़ी जातियों व महिलाओं के आरक्षण सम्बन्धी नियम बनवाने के प्रयास के कारण रहा है।

(5) सर्वोच्च न्यायालय ने 1989 में पी.एम. अश्वधानारायण शेटी बनाम कर्नाटक राज्य के निर्णय द्वारा "Rajasthan Court Fees and suits Valuation Act, 1961" की संवैधानिकता को बरकरार रखते हुये, कोर्ट फीस को अधिक सुसंगत बनाने हेतु निर्देश दिये हैं। निर्देशों की पालना हेतु कर्नाटक राज्य के बिल के अनुसार ही प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा परीक्षण किया जा रहा है। राज्य सरकार शीघ्र ही जनता को राहत प्रदान करने के लिये कोर्ट फीस को अधिक सुसंगत बनाने का मानस रखती है।

(6) यह सही है कि वर्तमान में अन्य प्रान्तों से राजस्थान उच्च न्यायालय में स्थानान्तरित 10 न्यायाधीशों में से 9 न्यायाधीश वरिष्ठतम हैं तथा एक न्यायाधीश कनिष्ठतम है। न्यायाधीशों का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानान्तरण की कार्यवाही अब भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुशंसा पर केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट आन रेकार्ड ऐसोसियेशन बनाम भारत संघ (एस.सी. 1994 पृष्ठ 269) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के उपरान्त स्थानान्तरण नीति में राज्य सरकार से कोई परामर्श नहीं होता है। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के कारण अब न्यायाधीशों के स्थानान्तरण के कारण कोई असंतुलित स्थिति उभरती है, तो उस पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण विशेष नहीं है।

पर्यटन विकास निगम की सम्पत्तियां

241. श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) राजस्थान पर्यटन विकास निगम के पास छोटी बड़ी कुल कितनी सम्पत्तियां कहां-कहां स्थित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि निगम ने अब अपनी सम्पत्ति में बढ़ोतरी न कर जो होटल,

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

मोटल, मिड-वेज हैं, उन्हें क्रमोन्नत करने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो वे कौन-कौन से होटल, मोटल और मिड-वेज हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि निगम ने अपनी छोटी-छोटी सम्पत्तियों को लीज पर देने या बेचान के लिये किसी समिति का गठन किया है ? यदि हां, तो उस समिति के सदस्य कौन-कौन हैं ?

(4) क्या यह सही है कि जयपुर स्थित गवर्नमेन्ट होस्टल को अन्तरराष्ट्रीय निविदाएं आमंत्रित कर पांच सितारा होटल बनाने या रिसेप्शन सेंटर बनाने का प्रकरण काफी लम्बे समय से निर्णित न होने के कारण उक्त सम्पत्ति के दुरुपयोग होने के प्रकरण प्रकाश में आये हैं ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में अब क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान पर्यटन विकास निगम की की सम्पत्तियों का विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) जी, नहीं। पर्यटकों को उनकी मांग व आवश्यकता के अनुसार अधिकाधिक सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निगम अपनी नई इकाइयां बनाने व वर्तमान इकाइयों को नियमित रूप से क्रमोन्नत करता है।

(3) पर्यटन विभाग/निगम की भूमियों/सम्पत्तियों के निस्तारण हेतु राजस्थान पर्यटन भूमि एवं सम्पदा निस्तारण नियम, 1997 के नियम 3 में गठित समिति के द्वारा निस्तारण करने का प्रावधान है। समिति के सदस्यों की सूची परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(4) जी नहीं। गवर्नमेंट होस्टल में पर्यटन विभाग का पर्यटक स्वागत केन्द्र एवं राजस्थान पर्यटन विकास निगम लि. का टूरिस्ट होटल संचालित है। इसके अतिरिक्त गुजरात एवं उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटक स्वागत केन्द्र भी संचालित है।

राजस्थान पर्यटन विकास निगम की सम्पत्तियां

परिशिष्ट "अ"

क्र.सं.	सम्पत्ति का नाम	स्थान
1.	होटल गणगौर	जयपुर
2.	होटल तीज	जयपुर
3.	होटल स्वागत	जयपुर
4.	टूरिस्ट होटल	जयपुर
5.	कैफेटेरिया, नाहरगढ़	जयपुर

क्र.सं.	सम्पत्ति का नाम	स्थान
6.	कैफेटेरिया, आमेर	जयपुर
7.	पर्यटन ग्राम, रामगढ़	जयपुर
8.	होटल सरिस्का	सरिस्का (अलवर)
9.	होटल लेक पैलेस, सिलिसेट	अलवर
10.	होटल मीनल	अलवर
11.	मिड-वे, बहरोड	बहरोड (अलवर)
12.	मिड-वे, शाहपुरा	शाहपुरा (जयपुर)
13.	मिड-वे, दौसा	दौसा
14.	मिड-वे, महुआ	महुआ (दौसा)
15.	सारस होटल	भरतपुर
16.	मिड-वे, डीग	डीग (भरतपुर)
17.	मिड-वे, धौलपुर	धौलपुर
18.	झूमर बावड़ी होटल	सवाईमाधोपुर
19.	विनायक होटल	सवाईमाधोपुर
20.	वृन्दावती होटल	बूंदी
21.	चम्बल होटल	कोटा
22.	चन्द्रावती होटल	झालावाड़
23.	पन्ना होटल	चित्तौड़गढ़
24.	कैफेटेरिया, चित्तौड़ किला	चित्तौड़गढ़
25.	कजरी होटल	उदयपुर
26.	होटल ऋषभदेव	उदयपुर
27.	मिड-वे, रतनपुर	रतनपुर (डूंगरपुर)
28.	गोकुल होटल	नाथद्वारा (राजसमन्द)
29.	यात्रिका, नाथद्वारा	नाथद्वारा (राजसमन्द)
30.	मिड-वे, देवगढ़	देवगढ़ (राजसमन्द)
31.	मिड-वे, गुलाबपुरा	गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)
32.	होटल शिल्पी	रणकपुर (पाली)

Page No. 299

(299)

क्र.सं.	सम्पत्ति का नाम	स्थान
33.	होटल पणिहारी	पाली
34.	होटल शिखर	मा. आबू (सिरोही)
35.	कैफेटेरिया नक्की लेक	मा. आबू (सिरोही)
36.	कैफेटेरिया अपोलो गुरु शिखर	मा. आबू (सिरोही)
37.	मिड-वे, बर	बर (पाली)
38.	होटल घूमर	जोधपुर
39.	होटल खड़ताल	बाड़मेर
40.	होटल मूमल	जैसलमेर
41.	सम ढाणी	जैसलमेर
42.	मिड-वे पोकरण	पोकरण (जैसलमेर)
43.	होटल ढोला-मारू	बीकानेर
44.	मिड-वे, रतनगढ़	रतनगढ़ (चूरू)
45.	होटल हवेली	फतेहपुर (सीकर)
46.	होटल खादिम	अजमेर
47.	यात्रिका खिदमत	अजमेर
48.	होटल सरोवर	पुष्कर (अजमेर)
49.	पर्यटन ग्राम पुष्कर	पुष्कर (अजमेर)
50.	होटल कुरजा	नागौर
51.	कैफेटेरिया हल्दीघाटी	हल्दीघाटी (राजसमंद)
52.	कियौस्क मण्डावा	मण्डावा (झुन्झुनूं)
53.	कैफेटेरिया महनसर	महनसर (झुन्झुनूं)
54.	कैफेटेरिया मैनाल	भीलवाड़ा
55.	मिड-वे, देवली	देवली (टौंक)
56.	होटल जयसमन्द लैक	जयसमन्द (उदयपुर)
57.	कैफेटेरिया गोगुन्दा	गोगुन्दा (उदयपुर)
58.	मिट-वे बालोतरा	बालोतरा (बाड़मेर)
59.	मिड-वे बाप	बाप (जोधपुर)
60.	मिड-वे, ढेंचू	ढेंचू (जोधपुर)
61.	मिड-वे, फलौदी	फलौदी (जोधपुर)

समिति के सदस्यों की सूची **परिशिष्ट "ब"**

1. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लि.
2. विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (राजस्व) राजस्थान सरकार
3. विशिष्ट शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार
4. विशिष्ट शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्थान सरकार
5. निदेशक, पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार (सदस्य सचिव)

अतिरिक्त निदेशक (आयुर्वेद) के पद का सृजन

242. श्री अर्जुनदास मदान (लाडपुरा) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) राज्य सरकार ने दो नये अतिरिक्त निदेशकों के पद किस उद्देश्य से सृजित किये हैं ?

(2) क्या इन उद्देश्यों की पूर्ति हो पाई है ? यदि नहीं, तो इन पदों को सृजित करने का क्या लाभ है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भनोत प्रशासनिक समिति की सिफारिश के अनुसार अतिरिक्त निदेशक का एक पद निदेशक, आयुर्वेद को तकनीकी कार्यों में सहयोग देने व प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ करने के लिये निदेशालय स्तर पर तथा दूसरा पद औषध क्रय, निर्माण व वितरण के कार्यभार को अधिक व्यवस्थित व गतिशील बनाने के लिये रसायनशाला में कार्य निष्पादन हेतु, सृजित किया गया है।

(2) उद्देश्यों की पूर्ति एवं लाभ हेतु ही दिनांक 19-3-98 को इन पदों को स्वयं की वेतन श्रृंखला में अस्थायी रूप से भरा गया है।

टौंक स्थित मिल का श्रमिक मृत्यु प्रकरण

243. श्री बनवारीलाल (निवाई) : क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि टौंक में माह अप्रेल, 1998 में दिल्ली से स्थानान्तरित किया जाकर किसी मिल की स्थापना की गयी है ? यदि हां, तो उस मिल का नाम क्या है एवं उस द्वारा किस-किस चीजों का उत्पादन किया जाना प्रस्तावित है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त मिल में दिल्ली से स्थानान्तरित होकर कुछ श्रमिकों का पदस्थापन/नियुक्ति की गई है ? यदि हां, तो कितने मजदूर किस-किस वेतनमान में

(श्री बनवारीलाल)

नियुक्त किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त मिल में पदस्थापित / नियुक्त कर्मचारियों हेतु सरकार/ मिल मालिकों द्वारा आवास, चिकित्सा, शिक्षा एवं विद्युत व्यवस्था की गई है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार मिल मालिकों द्वारा श्रमिकों हेतु उक्त व्यवस्था की जाएगी ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त सुविधाओं के अभाव में किसी श्रमिक की मृत्यु प्रकरण सरकार के ध्यान में आया है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त श्रमिक को सहायता प्रदान की गयी ? मृत्यु के कारणों सहित दी गई राहत का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। मिल का नाम मै. स्वतन्त्र भारत मिलि टौंक है। मिल द्वारा सूती धागा का उत्पादन किया जा रहा है।

(2) जी, हां। 890 श्रमिकों को दिल्ली से स्थानान्तरित कर पदस्थापित/नियुक्त किया गया है। वेतनमान का विवरण परिशिष्ट 'क' सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(3) जी, नहीं। मिल मालिक द्वारा आवास, शिक्षा व विद्युत व्यवस्था नहीं की गई है। जिन श्रमिकों को दिल्ली में मिल मालिक द्वारा आवास दिये गये थे उन्हें दिल्ली का आवास खाली करने पर टौंक में मिल मालिक द्वारा आवास दिये जावेंगे। चिकित्सा व्यवस्था हेतु क्षेत्र में कर्मचारी राज्य बीमा योजना लागू नहीं होने के कारण श्रमिकों को उनके वेतन के 4 प्रतिशत राशि का भुगतान मिल मालिक द्वारा किया जाता है।

राज्य सरकार द्वारा जन साधारण के लिये उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं के अतिरिक्त अलग से इस मिल के श्रमिकों के लिये आवास, चिकित्सा, शिक्षा व विद्युत व्यवस्था हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

(4) जी, नहीं। सुविधाओं के अभाव में किसी श्रमिक की मृत्यु की जानकारी नहीं है। एक श्रमिक स्व. श्री लक्ष्मण ठाकुर की मृत्यु दिनांक 17-6-98 को राजकीय चिकित्सालय, टौंक में हुई है। राज्य सरकार द्वारा उक्त श्रमिक को कोई सहायता उपलब्ध नहीं कराई गयी है। मृत्यु का निश्चित कारण श्रमिक का ई.सी.जी. नहीं होने से स्पष्ट नहीं होना तथा संभावित कारण हृदयाघात होना मुख्य चिकित्सा अधिकारी टौंक ने वर्णित किया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

रामानुजाचार्य संस्कृत विद्यालय, बिनौरी (दौसा) को अनुदान

244. श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : क्या संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(श्री परसादीलाल मीणा)

(1) क्या सरकार दौसा जिले की पंचायत समिति लालसोट में कार्यरत संस्था, रामानुजाचार्य संस्कृत विद्यालय, बिनौरी की अनुदान राशि 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) सरकार द्वारा अब तक इस संबंध में क्या कोई कार्यवाही की गयी है?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) अनुदान बढ़ाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

तहसील देवली तथा उनियारा में जल ग्रहण विकास कार्य

245. श्री जगदीश प्रसाद मीणा (उनियारा) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) सरकार द्वारा तहसील देवली एवं उनियारा (टौंक) में जल ग्रहण एवं भू-संरक्षण के तहत 1 जनवरी, 1993 से 30 जून, 1998 तक कौन-कौन से कार्य कराये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कितने कार्य पूर्ण हो गये हैं एवं कितने शेष रहे हैं तथा शेष कार्यों को कब तक पूरा करा दिया जायेगा?

उत्तर

(1) देवली एवं उनियारा तह. में जल ग्रहण एवं भू-संरक्षण के तहत 1-1-93 से 30-6-98 तक कराये गये कार्यों की सूची परिशिष्ट-1 में दर्शायी गयी है।

(2) इनमें से 32 कार्य पूर्ण हो गये हैं। 12 कार्य सन् 2000 तक पूर्ण होंगे। 5 कार्य 2002 तक पूर्ण होंगे। 2 कार्य 2003 तक पूर्ण होंगे।

वर्ष 1992-93 से वर्ष 1998-99 (30-6-98) तक देवली एवं उनियारा पं. समिति में स्वीकृत कार्यों की सूची

परिशिष्ट-1

क्र. सं.	तहसील	कार्य का नाम	योजना का नाम	कार्य की स्वीकृति का वर्ष	कार्य पूर्ण होने का वर्ष	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	देवली	1. गांधी ग्राम प्रथम ज. ग्र.	डी.पी.ए.पी.	94-95 जून,94	पूर्ण अक्टूबर,95	–
		2. गांधी ग्राम द्वितीय ज.ग्र.	"	"	" — "	—
		3. आकोडिया संथली ज. ग्र.	"	"	" — "	—
		4. आकोडिया प्रथम ज. ग्र.	"	"	" "	—
		5. आकोडिया द्वितीय ज. ग्र.	"	"	"	—
		6. सतवाडा ज. ग्र.	इ.ए.एस.	"	"	—
		7. माधोराजपुरा ज. ग्र.	"	"	"	—
		8. मानपुरा I ज. ग्र.	"	"	पूर्ण अक्टूबर,94	–
		9. मानपुरा II ज. ग्र.	"	जनवरी,94	"	–
		10. सुजानपुरा ज. ग्र.	"	"	"	—
		11. ख्वासपुरा ज. ग्र.	"	मार्च,98	प्रगति पर हैं	इन कार्यों की स्वीकृति 98-99 से
		12. धीकला ज. ग्र.	"	"	"	2002-3 तक के लिए प्राप्त है चार

1	2	3	4	5	6	7
		13. रामपुरा ज. प्र.	डी.पी.ए.पी.	94-95 जून,94	पूर्ण, अक्टूबर,95	वर्षीय प्रोजेक्ट है अतः कार्य प्रगति पर है।
		14. कनवाडा ज. प्र.	"	"	"	
		15. गुराई ज. प्र.	डी.पी.ए.पी.	12/93	पूर्ण, अगस्त,94	
		16. आंवा ज. प्र.	"	1/94	"	
		17. सयाला ज. प्र.	एन.डब्ल्यू.डी.पी.	1990-91	मार्च,98	यह कार्य स्वीकृत तो 90-91 में हुआ था परन्तु 97-98 तक कार्य अवधि तक कार्य अवधि थी अतः मार्च,98 में पूर्ण करा दिया है।
		18. बडोली ज. प्र.	"	1997-98	प्रगति पर है	
2.	उनियारा	1. ककोड़ जप्र.	डी.पी.ए.पी.	दिस॰ बर,93	पूर्ण अक्टूबर,94	—
		2. नया गांव जप्र.	"	"	"	—
		3. खेडली एनीकट	"	"	जून,1994	—
		4. कीरों की छोपड़ी एनीकट	"	"	"	—
		5. उनियारा जप्र.	"	जुलाई,94	अक्टूबर,96	—

1	2	3	4	5	6	7
		6. गोठडा जग्र.	डी.पी.ए.पी.	जुलाई,94	95	—
		7. रानीपुरा जग्र.	"	"	95	—
		8. पीपलवाड़ा जग्र.	"	"	95	—
		9. ककोड़ जग्र.	"	मार्च,97	इन कार्यों की कार्य अवधि 99-2000 तक है	—
		10. श्योराजपुरा जग्र.	"	"	"	
		11. महाराजकंवरपुरा जग्र.	"	"	"	"
		12. बालागढ़ जग्र.	"	"	"	"
		13. बेसकी जग्र.	"	"	"	कार्य प्रगति पर है।
		14. सडा जग्र.	"	"	"	"
		15. बनेटा जग्र.	"	"	"	2000-2001
		16. रूपवास जग्र.	ई.ए.एस.	जनवरी,94	पूर्ण अगस्त,1995	—
		17. ककोड II जग्र.	"	"	"	—
		18. मण्डावरा जग्र.	"	"	"	—
		19. रूपवास II जग्र.	"	"	"	—
		20. नयागांव II जग्र.	"	अक्टूबर,1994	"	—

305

1	2	3	4	5	6	7
		21. कीरों की झोपड़ी जग्र.	"	"	अगस्त, 1996	—
		22. रामपुरा जग्र.	"	"	"	—
		23. बन्जारी जग्र.	"	"	अगस्त, 1995	—
		24. पाडली जग्र.	"	"	अगस्त, 1996	—
		25. पागडी जग्र.	"	"	"	—
		26. सोप ए जग्र.	ई.ए.एस.	मार्च, 97	प्रगति पर है	इन कार्यों की कार्यअवधि
		27. सोप ए जग्र.	"	"	"	1996-97 से 1999-2000 तक है
		28. मण्डावरा ए जग्र.	"	"	"	" "
		29. फिरोजपुरा जग्र.	"	"	"	"
		30. मण्डावरा बी जग्र.	"	"	"	"
		31. खेडली जग्र.	एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.	1990-91	पूर्ण मार्च, 98	
		32. सुभानपुरा जग्र.	"	1997-98	यह कार्य पांच वर्ष अवधि के लिए स्वीकृत है।	
		33. बनेठा जग्र.	ई.ए.एस.	अप्रेल, 1998	कार्य अवधि 98-99 से 2002-3 तक	

Page No. 307

(307)

ग्राम श्रीमा (दौसा) का पेंशन प्रकरण

246. श्री हीरालाल (बामनवास) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

तहसील लालसोट (दौसा) के ग्राम श्रीमा (बरेड़ी) में 1 जनवरी, 1988 से अब तक किन-किन को पेंशन स्वीकृत की गई है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

तहसील लालसोट जिला दौसा के ग्राम श्रीमा (बरेड़ी) में दिनांक 1-1-1988 से अब तक कुल 12 व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की पेन्शन स्वीकृत की गयी है, जिनकी सूची संलग्न है।

तहसील एवं पंचायत समिति लालसोट जिला दौसा के ग्राम श्रीमा, बरेड़ी में दिनांक 1-1-88 से अब तक निम्न व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत की गयी है

क्र.सं.	नाम व्यक्ति	ग्राम	पेंशन का प्रकार	स्वीकृत राशि प्रतिमास
1.	श्री मांगीलाल पुत्र मन्नालाल श्रीमती गन्दोडी W/o मांगीलाल	बरेड़ी	संयुक्त वृद्धावस्था पेंशन	150.00
2.	श्री छोटू/सेनाराम बैरवा श्रीमती बरदी W/o छोटू	"	"	150.00
3.	श्रीमती दांखा देवी W/o श्री किशन	"	विधवा	100.00
4.	श्रीमती फूली बेना पांचू बरूणा	"	पेंशन	
5.	श्री श्रवण/जेलामाली एवं श्रीमती गुलबाई W/o श्रवण	"	संयुक्त वृद्धावस्था पेंशन	150.00 100.00
6.	श्री कजोड़/पांचू कोली	"	विधवा पेंशन	100.00
7.	श्रीमती गंगा बेवा जेला बैरवा	"	"	100.00
8.	श्रीमती हाबूडी W/o मूलचन्द कोली	"	"	100.00
9.	श्रीमती बरदी W/o गंगाधर मीना	श्रीमा	"	100.00
10.	श्रीमती भूली देवी बेवा जयनारायण रैगर	"	"	100.00
11.	श्री शुक्ला/जयकिशन बैरवा	बरेड़ी	अपाहिज	100.00
12.	श्रीमती मूली बेवा रामसहाय खाती	श्रीमा	विधवा पेंशन	100.00

उदयपुर की नगर परिवहन सेवा

247. श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) उदयपुर शहर में सिटी बसों और टेम्पुओं के लिये कुल कितने मार्ग निर्धारित हैं और इन पर कितनी सिटी बसें और टेम्पुओं को परमिट दिया हुआ है ?

(2) क्या निर्धारित मार्गों पर ये टेम्पो आदि चल रहे हैं ? यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

(3) क्या पारस टाकिज से सब्जी मण्डी होते हुये सेक्टर 4, 5, 6, हिरनमगरी, उदयपुर की ओर जाने के लिये नागरिकों हेतु टेम्पुओं का मार्ग निर्धारण किया गया है ? यदि नहीं, तो मार्ग निर्धारण और टेम्पों चलाने में क्या कठिनाई है ?

(4) उदयपुर शहर में तीन पहिये वाले कितने आटोरिक्शा हैं और क्या उनमें मीटर लगे हुये हैं ?

उत्तर

(1) उदयपुर शहर में सिटी बसों के लिये 17 मार्ग निर्धारित है किन्तु वर्तमान में केवल 5 मार्गों पर 42 वाहनों को परमिट जारी किये हुये हैं। इसी प्रकार टैम्पू के लिये 18 मार्ग निर्धारित है, जिनमें से 10 मार्गों पर 648 परमिट दिये हुये हैं। सिटी बसों व टैम्पू के लिये शेष मार्गों पर कोई परमिट प्राप्त नहीं किये गये हैं।

(2) जी, हां। सिटी बस और टैम्पों निर्धारित मार्गों पर ही चल रहे हैं।

(3) जी, नहीं। पारस टाकिज से सब्जी मण्डी होते हुये सेक्टर 4, 5, 6 हिरनमगरी मार्ग पर टैम्पो संचालन हेतु मार्ग का निरीक्षण करने पर सब्जी मण्डी सब सिटी चौराहे से आगे सैक्टर 4, 5, 6 की ओर जाने पर खड़ी चढ़ाई होना पाया गया है। यह चढ़ाई इतनी अधिक है कि इससे दुर्घटना की प्रबल सम्भावना है।

(4) उदयपुर शहर में तीन पहिये वाले 2957 ऑटोरिक्शा हैं। ऑटोरिक्शाओं को फिटनेस प्रमाण-पत्र उनमें मीटर लगे हुये होने पर ही जारी किये जाते हैं तथा बिना मीटर लगे चलते पाये जाने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। वर्ष 1997-98 के दौरान ऐसे 48 ऑटोरिक्शाओं के चालान बनाये जाकर 37,400 रु. प्रशमन राशि वसूल की गयी है।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर का प्रवेश-पत्र प्रकरण

248. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अजमेर स्थित कार्यालय से इस वर्ष सैकण्डरी की परीक्षाओं के आवेदन-पत्रों में से कुछ छात्रा परीक्षार्थियों के चित्र मय पते के गायब होने का प्रकरण प्रकाश में आया था ? यदि हां, तो कब तथा

(श्री विष्णु मोदी)

इस संबंध में पुलिस में कब प्रकरण दर्ज करवाया गया ?

(2) ऐसे प्रकरणों की पुनरावृत्ति न हो, परीक्षा की गोपनीयता भंग न हो तथा बोर्ड की बिगड़ी साख पुनः बने इस संबंध में क्या सरकार ने कोई कारगर कदम उठाये हैं ? यदि हां, तो किस रूप में और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। बोर्ड परीक्षा 1998 की परीक्षाओं के आवेदन-पत्रों में से 29 छात्राओं के आवेदन पत्रों से आवक्ष चित्र गायब पाये जाने की स्थिति में बोर्ड कार्यालय ने आरक्षी विभाग में प्रथम सूचना रिपोर्ट 1-3-98 को अजमेर थाना सिविल लाइन्स में भिजवाई जो उनके कार्यालय में दिनांक 5-3-98 को दर्ज की गयी जिसका क्रमांक 47/98 है।

(2) इस प्रकरण से बोर्ड परीक्षा में गोपनीयता भंग नहीं हुई। इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होने के लिये बोर्ड द्वारा अधिक कारगर व्यवस्था की जावेगी।

वन्य जीव परियोजनाओं में सूखी घास से खतरा

249. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या वन्य जीव परियोजनाओं के आरक्षित क्षेत्र में प्रति वर्ष जंगल में घास सूखती है ? यदि हां, तो उस सूखी घास का क्या उपयोग है ?

(2) क्या उक्त सूखी घास में आग लगने की संभावना को देखते हुये वहां से हटाया जाता है ? यदि नहीं, तो आग लगने की संभावना से बचाव के क्या उपाय किये जाते हैं ?

उत्तर

(1) जी, हां। अभयारण्यों की घास मूल रूप से वन्य जीवों के उपयोग के लिये होती है किन्तु इनके कुछ क्षेत्रों में हकदारों (राइट होल्डर्स) आसपास के ग्रामीणों को नियमानुसार मवेशी चराने एवं परमिट देकर घास काटकर सिर बोझे द्वारा घास ले जाने की अनुमति दी जाती है।

(2) सूखी घास को विभागीय तौर पर नहीं हटाया जाता है परन्तु काफी घास ग्रामवासी/हकदार काटकर ले जाते है इसके उपरान्त भी अभयारण्य के घास क्षेत्र में आग लगने की संभावना से बचाव के लिये अग्नि पट्टियां (फायर लाइन्स) बनाई जाकर सफाई कराई जाती है। यह कार्य दिसम्बर से फरवरी तक पूर्ण कर लिया जाता है। पूरे क्षेत्र में गहन निगरानी रखी जाती है अग्नि सुरक्षा हेतु गर्मियों में घास क्षेत्र में अतिरिक्त स्टाफ (फायर वाचर्स) पदस्थापित किया जाता है। इसके अलावा विभागीय टैंकर, फायर किलर व फायर बीटर भी तैयार रखे जाते हैं।

कृषकों को बिक्री कर में राहत

250. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : क्या उप मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने विभिन्न उत्पादों पर जो टैक्स लगा रखा है, वह पड़ौसी राज्यों से अधिक है? क्या सरकार पड़ौसी राज्यों के समान बिक्री कर में समानता लाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार खाद, कीटनाशक दवाओं तथा बीजों पर बिक्री कर को पूरी तरह खतम कर किसानों/व्यापारियों को राहत देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, और नहीं, तो क्यों?

(3) सरकार ट्रेक्टर्स व अन्य कृषि उपकरणों पर कितना बिक्री कर वसूल करती है? क्या कृषि उपकरणों पर बिक्री कर को सरकार पूरी तरह खतम करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार डीजल व पेट्रोल पर टैक्स पड़ौसी राज्यों हरियाणा व पंजाब के समान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) यह कथन अंशतः सही है क्योंकि हमारे राज्य में कई वस्तुओं की कर दर पड़ौसी राज्यों से कम भी है। वर्तमान में बिक्री कर समान करने के सम्बन्ध में कोई भी निर्णय राज्य की वित्तीय हितों को देखते हुये लिया जा सकेगा।

(2) सभी प्रकार के प्रमाणित बीज राज्य में कर मुक्त हैं। खाद एवं कीटनाशक दवाइयों को कर मुक्त करने का विचार नहीं है।

(3) ट्रेक्टर्स पर बिक्री कर की दर 4 प्रतिशत है जबकि विभिन्न प्रकार के कृषि उपकरण बिक्री कर से मुक्त हैं। ट्रेक्टर्स पर बिक्री कर समाप्त करने का विचार नहीं है। राज्य की वर्तमान वित्तीय स्थिति की दृष्टि से उचित नहीं है।

(4) जी, नहीं। राज्य की वर्तमान वित्तीय स्थिति की दृष्टि से उचित नहीं है।

पंचायत समिति जहाजपुर के प्रधान को आवास सुविधा

251. श्री शम्भूदयाल बड़गूजर (केकड़ी) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या पंचायत समिति के प्रधान को आवास हेतु पंचायत समिति का आवास देने का प्रावधान है? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि जो प्रधान पंचायत समिति/राजकीय आवास में रह रहे हैं, उनसे किराया वसूल किया जा रहा है? यदि हां, तो किस-किस प्रधान से कितना-कितना एवं किन नियमों के तहत? नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं। क्योंकि प्रधान राजकीय आवास आबंटन नियम, 1958 के अन्तर्गत राजकीय कर्मचारियों की श्रेणी में नहीं आते हैं। इसलिये राजकीय आवास आबंटन के पात्र नहीं है।

(2) कुल 12 पंचायत समितियों के प्रधान पंचायत समिति आवासों में रह रहे हैं। छह प्रधानों द्वारा आवास का किराया दिया जा रहा है एवं छह प्रधानों द्वारा किराया नहीं दिया जा रहा है। किराया देनेवाले एवं किराया न देने वाले प्रधानों की सूची परिशिष्ट एक पर संलग्न है।

जब प्रधानों को पंचायत समिति राजकीय आवास देने का प्रावधान ही नहीं है तो किराया वसूल किये जाने के नियम भी नहीं है।

परिशिष्ट-1

किराया जमा कराने वाले प्रधानों की सूची

क्र.सं.	नाम पंचायत समिति	जमा कराई गयी किराये की राशि
1.	बान्सूर	116 रु. प्रति माह
2.	डूंगरपुर	88 रु. प्रति माह
3.	भीम	35 रु. प्रति माह
4.	झाडोल	25 रु. प्रति माह
5.	कोटडा	20 रु. प्रति माह
6.	टोडाभीम	25 रु. प्रति माह

किराया जमा नहीं कराने वाले प्रधानों की सूची

1. पंचायत समिति कोलायत
2. पंचायत समिति लालसोट
3. पंचायत समिति बाड़ी
4. पंचायत समिति राजसमन्द
5. पंचायत समिति सांगानेर
6. पंचायत समिति साम्भर

प्रबंध निदेशक, राज्य दुग्ध विकास संघ की विदेश यात्रा

252. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या डेयरी राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन अभी-अभी दक्षिणी कोरिया की यात्रा पर गये थे ? इस यात्रा में फैडरेशन पर कितना आर्थिक भार आया और इस यात्रा से क्या लाभ हुआ ?

(2) उक्त प्रबंध निदेशक ने गत दस महीनों के अन्दर कितने-कितने खर्चे किये हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। यात्रा के पेटे रुपये 38,315/- खर्च हुए हैं। इस यात्रा से हुये लाभ का विवरण परिशिष्ट-'क' पर उपलब्ध है।

(2) अगस्त, 1997 से जनवरी, 1998 के प्रथम सप्ताह तक के खर्चों का भुगतान राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा किया गया है। 8 जनवरी, 1998 से 30 जून, 1998 तक प्रबन्ध निदेशक की विभिन्न यात्राओं में कुल रुपये 68,624/- व्यय किये गये, जिसमें उनकी कोरिया यात्रा सम्मिलित नहीं है।

परिशिष्ट-क

यात्रा का विवरण

सियोल दक्षिणी कोरिया में आयोजित "पशु उत्पादन पर अन्तर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस" जिसमें प्रबन्ध संचालक, आर.सी.डी.एफ. कॉन्फ्रेंस के आयोजकों के निमन्त्रण पर भाग लेने हेतु गये थे, में अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा अपने अपने क्षेत्रों से संबद्ध जानकारियों का आदान-प्रदान किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में लगभग 100 देशों के करीब 2000 विशेषज्ञों द्वारा भाग लिया गया। विचार-विमर्श एवं विभिन्न शोध पत्रों के माध्यम से आने वाले दशकों में खाद्य एवं पशु उत्पादन के क्षेत्रों में संभावित दिशाओं की जो जानकारी हासिल की गयी, उसका उपयोग राज्य में पशुधन विकास के लिए की जा रही आयोजनाओं में किया जा सकता है। विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से बने संपर्क का उपयोग पशुधन विकास के कार्यक्षेत्र में होने वाली नई-नई खोजों की जानकारी तत्परता से हासिल करने में भी सहायता मिलेगी। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड का गठन किया गया है एवं प्रबन्ध संचालक, आर.सी.डी.एफ. इस बोर्ड के सचिव भी नियुक्त किये गये हैं। इस यात्रा से पशुधन विकास बोर्ड के उद्देश्यों की पूर्ति में भी सहायता मिलने की सम्भावना है।

मुख्यतः निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्य योजनाएं बनाने में इस यात्रा से हुए लाभ अनुभवों का लाभ लिया जा सकता है:—

1. ओवम् पिक-अप, इन विट्रो फर्टीलाइजेशन एवं इन विट्रो मैच्योरेशन तकनीकों के जरिये उत्तम गुणवत्ता के जर्म प्लाज्म का सुरक्षित संचयन।
2. जर्म प्लाज्म के निर्यात बाजार का विकास।
3. पशु आहार संयंत्रों में सुधार एवं नये उत्पादों का निर्माण।
4. पशुधन का कुशल प्रबन्धन एवं पशु आहार एवं चारे का सुरक्षित भण्डारण।
5. डेयरी प्लाण्टर्स में नये दुग्ध उत्पादों का विकास।

गंगरार के पर्यटन स्थलों का विकास

253. श्री अर्जुनलाल जीनगर (गंगरार) : **क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —**

(1) विधान सभा क्षेत्र गंगरार में सरकार ने पर्यटन की दृष्टि से किन किन धार्मिक/पौराणिक स्थानों का चयन किया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार ने उक्त क्षेत्र के कौन-कौन से पर्यटन स्थलों के विकास के लिये अब तक क्या-क्या योजना बनाई है और किन-किन स्थानों पर कितनी-कितनी राशि व्यय करने का प्रावधान रखा गया है ?

(3) क्या सरकार मातृ कुण्डिया, जमदग्नि ऋषि आश्रम, गन्दर्भ मातेश्वरी स्थान राशमी तथा देव-नारायण दैवरा, गढ़ के हनुमानजी, चित्र विचित्र की बावड़ी, गंगरार और राम चौक बस्सी, चित्तौड़गढ़ धार्मिक एवं पौराणिक स्थानों को भी पर्यटन विभाग में लेकर विकास करना चाहती है ? यदि हां, तो इस वित्तीय वर्ष में उक्त स्थानों के विकास के लिये कितनी-कितनी धनराशि स्वीकृत की जायेगी ?

उत्तर

(1) गंगरार विधान सभा क्षेत्र में पर्यटन की दृष्टि से "मातृकुण्डिया" को विकास हेतु चयन किया है।

(2) वर्ष 1994-95 में राज्य योजनान्तर्गत मातृकुण्डिया में जन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये रु. 10.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

(3) पूर्व में स्वीकृत रु. 10.00 लाख की राशि में से शेष रु. 2.50 लाख के विकास कार्य मातृकुण्डिया में इस वित्तीय वर्ष में कराना प्रस्तावित है। शेष स्थल जैसे जमदग्नि ऋषि आश्रम, गन्दर्भ मातेश्वरी स्थान राशमी तथा देवनारायण दैवरा, गढ़ के हनुमानजी आदि का पर्यटन की दृष्टि से कोई विशेष महत्व नहीं है व न ही पर्यटक भ्रमण हेतु इन स्थलों पर जाते हैं। अतः इनका पर्यटन की दृष्टि से विकास करने का कोई प्रावधान विभाग में नहीं रखा है।

उप योजना क्षेत्र में जनजाति कल्याण की योजनाएं

254. श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) उप योजना क्षेत्र में जन जाति के कल्याण हेतु क्या-क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं ?

(2) वर्ष 1996-97 एवं 1997-98 में उदयपुर जिले के जन जाति क्षेत्रों को किस किस योजनाओं के माध्यम से क्या-क्या लाभ दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जनजाति के कल्याण हेतु जनजाति उपयोजना क्षेत्र में चलाई जाने वाली मुख्य योजनाएं निम्न प्रकार हैं: —

1. शिक्षा, 2. सिंचाई, 3. विद्युतीकरण, 4. प्रशिक्षण कार्यक्रम, 5. पशुपालन, 6. मत्स्य पालन, 7. उद्यान विकास, 8. रेशम कीट पालन, 9. सहकारिता आदि। (योजनाओं का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है)

(2) वर्ष 1996-97 एवं 1997-98 में उदयपुर जिले के उपयोजना क्षेत्र में जनजाति विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत दिये गये लाभों का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला बांसवाड़ा में भू-संरक्षण कार्य

255. श्री फतेहसिंह (कुशलगढ़) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि भू-संरक्षण कार्य हेतु राज्य सरकार द्वारा राशि उपलब्ध कराई जाती है ?

(2) क्या बांसवाड़ा जिले में सरकार की नीति के तहत मेड़बन्दी कार्य कराने में लोगों की रुचि है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी जांच कराएगी ?

(3) क्या यह सही है कि खेतों की मेड़बन्दी छोटी बनाने से बरसात में बह जाती है और लोगों को कोई लाभ नहीं होता है ? क्या सरकार बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ आदि जिलों में जनता के चाहेनुसार काम कराने की नीति बनाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार धन के दुरुपयोग को रोकने के लिये नये सिरे से नीति बनाकर काम कराने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, हां।

(3) जी, हां। यह बहुत कुछ सही है कि छोटी मेड़बन्दी से वांछित लाभ नहीं हो पाता है। राष्ट्रीय जलग्रहण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत राशि एवं दिशा निर्देशानुसार मेड़बन्दी कराई जा रही है।

(राज्य मंत्री, कृषि)

इससे अधिक माप की मेड़बन्दी कराने हेतु स्वीकृत राशि सीमा बढ़ाये जाने बाबत भारत सरकार के पास प्रस्ताव भिजवाये गये हैं। जिसके ऊपर भारत सरकार द्वारा ix प्लान के दिशा निर्देश जारी करते समय निर्णय लिया जावेगा। डी.पी.ए.पी., डी.डी.पी. एवं सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत मेड़बन्दी के माप में परिवर्तन किये जाने हेतु विचार किया जा रहा है।

(4) नये सिरे से नीति बनाने जैसी स्थिति नहीं है। योजना के अन्तर्गत स्वीकृत राशि की सीमा बढ़वाने हेतु भारत सरकार को निवेदन कर दिया गया है ताकि इस कार्यक्रम का पूरा लाभ क्षेत्र के कृषकों को मिल सके।

नागौर आगार से संचालित बस सेवा

256. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) वर्तमान में नागौर आगार से कुल कितनी बसों का संचालन प्रतिदिन कहां-कहां के लिये किया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त आगार से एक भी डिलक्स बस का संचालन नहीं किया जा रहा है? यदि हां, तो डीलक्स बसों का संचालन कब तक शुरू कर दिया जाएगा?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त आगार से चलने वाली लम्बी दूरी की अधिकांश बसों की हालत दयनीय है तथा वे अपने गन्तव्य स्थानों पर कभी भी सही समय पर नहीं पहुंच पाती हैं, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा हो रही है? यदि हां, तो क्या सरकार इस आगार को नई बसें देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी और कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्तमान में नागौर आगार से दैनिक 90 अनुसूचित सेवाओं (बसों) द्वारा 152 परिचक्र विभिन्न मार्गों पर संचालित किये जा रहे हैं। मार्गवार दैनिक संचालित परिचक्रों का विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(2) जी, हां। नागौर आगार द्वारा डीलक्स सेवा का संचालन नहीं किया जा रहा है। जयपुर से लाडनूं के मध्य दैनिक सुविधा वाहन की सेवा उपलब्ध है।

(3) जी, नहीं। नागौर आगार की बसों की सामान्य स्थिति ठीक है। वर्ष 1996-97 एवं 1997-98 में नागौर आगार को क्रमशः 7 एवं 10 नवीन बसें उपलब्ध करायी गयी हैं। माह अप्रैल, 98 से 18-7-98 तक 12 नई वाहनें और आवंटित कर दी गयी है।

नागौर आगार द्वारा संचालित बस सेवाओं का मार्गवार विवरण

क्र.सं.	मार्ग	परिचक्र
1.	नागौर-हरिद्वार वाया सीकर	2
2.	नागौर-दिल्ली वाया अजमेर	2
3.	नागौर-दिल्ली वाया मेड़ता	2
4.	नागौर-दिल्ली वाया सीकर	3

क्र.सं.	मार्ग	परिचक्र
5.	नागौर-दिल्ली वाया लाडनूं	2
6.	नागौर-दिल्ली वाया खाटू	2
7.	नागौर-अहमदाबाद	2
8.	नागौर-जयपुर वाया अजमेर	6
9.	नागौर-जयपुर वाया सीकर	1
10.	नागौर-जयपुर वाया बीचून	9
11.	नागौर-जयपुर वाया खाटू	2
12.	नागौर-कोटा	4
13.	नागौर-अजमेर	24
14.	अजमेर-मेडता	10
15.	अजमेर-रायसिंहनगर	2
16.	नागौर-गोविन्दगढ़	2
17.	नागौर-मेडता	6
18.	नागौर-कुचेरा	4
19.	नागौर-सीकर	2
20.	नागौर-लाडनूं	4
21.	नागौर-सालासर	4
22.	नागौर-नावा	4
23.	नागौर-सुजानगढ़-डेह	1
24.	नागौर-डेगाना वाया तरनाऊ	2
25.	नागौर-बीकानेर	1
26.	जोधपुर-बीकानेर	15
27.	नागौर-जोधपुर	15
28.	नागौर-पाली	1
29.	पाली-जोधपुर	1
30.	नागौर-सिरोही	2
31.	जोधपुर-विजयनगर	2
32.	जोधपुर-खाजूवाला	2
33.	नागौर-खींवसर	2
34.	नागौर-लाडनूं-वाया डेह	2
35.	नागौर-चाड़ी	2
36.	नागौर-चावण्डिया	2
37.	सुजानगढ़-नागौर-डीडवाना	1
38.	नागौर-गंगानगर	2
	योग	152

विधान सभा क्षेत्र फागी में शिक्षकों के रिक्त पद

257. श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (फागी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) विधान सभा क्षेत्र फागी के किस-किस विद्यालय में कौन-कौन से पद कब से रिक्त हैं? विद्यालयवार, विषयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फागी में संचालित विद्यालयों में रिक्त पदों की सूची परिशिष्ट 'क' में रख दी गयी है।

(2) जी, हां। विभागीय पदोन्नति समिति तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर ही व्याख्याताओं के पद भरा जाना संभव हो सकेगा द्वितीय/तृतीय श्रेणी के पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

फागी में संचालित विद्यालयों में रिक्त पदों की सूची परिशिष्ट "क"

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	पद	विषय	रिक्त पद (ग्रेड में)			पद कब से रिक्त है
				I	II	III	
1.	रा. सी. मा. वि., माधोराजपुरा	व्या.	इतिहास	1	–	–	7/97
			ना. शास्त्र	1	–	–	7/97
			कृषि	1	–	–	3/98
		शा. शिक्षक	—	–	1	–	11/97
2.	रा. मा. वि., चांदमांकला	व. अ	सामान्य	–	1	–	6/97
3.	रा. मा. वि., डिडावतान	व. अ.	सामान्य	–	2	–	7/96, 10/96
4.	रा. मा. वि., डाबीच	व. अ.	सामान्य	–	2	–	7/97, 11/97
5.	रा. मा. वि., लदाना	व. अ.	सामान्य	–	1	–	11/96
		व. अ.	जी. विज्ञान	–	1	–	2/98
		अध्यापक	शा. शिक्षा	–	–	1	2/96
6.	रा. मा. वि., मेन्दवास	व. अ.	गणित	–	1	–	12/97
7.	रा. मा. वि., नीमेडा	व. अ.	सामान्य	–	1	–	7/97
		अध्यापक	सामान्य	–	–	1	1/98
8.	रा. मा. वि., मण्डोर	शा. शिक्षक	–	–	–	1	1/98
9.	रा. उ. प्रा. वि., घटियाली	व. अ.	—	–	1	–	9/97
10.	रा. उ. प्रा. वि., बिसाल	व. अ.	—	–	1	–	1/98
11.	रा. उ. प्रा. वि., दोसरा	व. अ.	—	–	1	–	1/98
12.	रा. उ. प्रा. वि., थोरियों की ढाणी	व. अ.	—	–	1	–	1/98
13.	रा. उ. प्रा. वि., किशोरपुरा	व. अ.	—	–	1	–	12/97
14.	रा. उ. प्रा. वि., कासेल	अध्यापक	सामान्य	–	–	1	4/98
15.	रा. उ. प्रा. वि., पहाड़िया	अध्यापक	सामान्य	–	–	1	4/98
16.	रा. उ. प्रा. वि., रोटवाड़ा	अध्यापक	सामान्य	–	–	1	4/98
17.	रा. उ. प्रा. वि., सवाईजयसिंहपुरा	अध्यापक	सामान्य	–	–	1	4/98
18.	रा. उ. प्रा. वि., भावरोटा	अध्यापक	सामान्य	–	–	1	5/98
19.	रा. बा. उ. प्रा. वि., चोरू	अध्यापक	सामान्य	–	–	1	1/98
			योग	3	15	9	

जल प्रदूषण नियंत्रण एवं अनुसंधान संस्थान, पाली में न्यासी के रिक्त पद

258. श्री भीमराज भाटी (पाली) : क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) पाली जल प्रदूषण नियंत्रण निवारण एवं अनुसंधान फाउण्डेशन में न्यूनतम कितने न्यासी होने चाहिए? क्या इस फाउण्डेशन के प्रारम्भ से लगाकर अब तक न्यूनतम न्यासी रहे हैं? यदि नहीं, तो रिक्त पदों पर नियुक्तियां नहीं करने के क्या कारण रहे हैं?

(2) क्या यह सही है कि पाली जल प्रदूषण निवारण एवं अनुसंधान फाउण्डेशन में न्यासी बनाने के लिये जिला कलक्टर अधिकृत हैं? यदि हां, तो इस न्यास के रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा?

(3) क्या यह भी सही है कि इस न्यास के गठन के समय में राजस्थान प्रदूषण निवारण मण्डल के अधिकारी न्यासी बनाये गये थे? यदि हां, तो उनकी सदस्यता कब समाप्त की गई या कब से उनका प्रतिनिधि इस फाउण्डेशन में न्यासी नहीं हैं? इस संबंध में जारी आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त फाउण्डेशन में न्यासी बनाये जाने के लिये विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों की एसोसिएशनों/राजस्थान हैण्ड प्रोसेसर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों को मनोनीत किये जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो क्या इन एसोसिएशनों के पदाधिकारियों के चुनाव नियमित रूप से समय पर होते रहे हैं? क्या सरकार द्वारा वर्तमान पदाधिकारियों के स्थान पर नये चुनिन्दा पदाधिकारियों को न्यासी बनाने की कार्यवाही की जायेगी? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार उक्त फाउण्डेशन में प्रदूषण से पीड़ित किसानों के प्रतिनिधियों को शामिल करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(6) क्या वर्तमान न्यासी स्वयं प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग चला रहे हैं? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उक्त फाउण्डेशन से ऐसे न्यासियों को हटाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) पाली जल प्रदूषण नियंत्रण परिशोधन एवं अनुसंधान फाउण्डेशन के पंजीकृत विलेख के क्लाज 3 (सी) के अनुसार प्रन्यास में न्यासीगण की न्यूनतम संख्या 20 है। इस प्रन्यास के गठन की तिथि दिनांक 17-12-94 से 9-10-97 तक 17 न्यासीगण रहे तथा जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा दो सदस्य के मनोनयन 10-10-97 से करने पर 19 न्यासीगण इस प्रन्यास के सदस्यगण है।

(2) इस प्रन्यास के क्लाज 3 (सी) (ए) 8 के अनुसार जिला कलेक्टर पदेन अध्यक्ष महोदय में दो न्यासीगण के मनोनयन इस न्यास की शक्तियां निहित हैं एवं उनके द्वारा दो सदस्यगण का मनोनयन दिनांक 10-10-97 को कर दिया गया है।

(राज्य मंत्री, पर्यावरण)

(3) इस प्रन्यास के गठन के समय राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारी को इस प्रन्यास का सदस्य बनाने का प्रस्ताव किया गया था, किन्तु राज्य सरकार के द्वारा राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारी को न्यासी बनाये जाने की स्वीकृति प्रदान नहीं करने पर इन्हें न्यासी नहीं बनाया जा सका।

(4) पंजीकृत विलेख के क्लाज 3 (सी) के अनुसार निम्नांकित औद्योगिक संस्थाओं के पदाधिकारीगण तथा मनोनीत सदस्य उनके संबंधित संस्थाओं के पदाधिकारी के पद पर रहने तक की अवधि के लिये स्वतः ही इस प्रन्यास के सदस्य हो जाते हैं—

1. राजस्थान टेक्सटाइल हैण्ड प्रोसेसर्स एसोशियेशन के 4 सदस्य (अध्यक्ष एवं सचिव के अतिरिक्त एसोशियेशन के द्वारा मनोनीत दो सदस्य)

2. मंडिया रोड औद्योगिक क्षेत्र के दो मनोनीत सदस्य।

3. पाली औद्योगिक क्षेत्र फेज प्रथम व द्वितीय के दो मनोनीत सदस्य इन एसोशियेशन के पदाधिकारीगण के निर्वाचन/मनोनयन एसोशियेशन के ही सदस्यगण के द्वारा किया जाता है इसमें राज्य सरकार का हस्तक्षेप नहीं है। वर्तमान में सरकार के पास वर्तमान पदाधिकारियों के स्थान पर नये चुनिन्दा पदाधिकारियों को न्यासी बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(5) पाली जल प्रदूषण नियंत्रण निवारण एवं अनुसंधान फाउण्डेशन के ट्रस्ट डीड में प्रदूषण से पीड़ित किसानों के प्रतिनिधियों को शामिल करने का प्रावधान नहीं है। ट्रस्ट डीड के अनुसार उक्त फाउण्डेशन में सदस्यों की अधिकतम सीमा 30 एवं न्यूनतम सीमा 20 रखी गयी है। सरकार के पास इस प्रकार का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(6) औद्योगिक एसोसिएशन के प्रतिनिधिगण ही इस प्रन्यास के न्यासी है। अतः उनका स्वयं का उद्योग होना स्वाभाविक है किन्तु यदि किसी भी व्यवसायी के द्वारा विधि विरुद्ध कार्यवाही की जाती है, तो कानून के उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के लिये राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल सक्षम है।

बूंदी में उद्योगों की स्थापना

259. श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : क्या उप मुख्य (उद्योग) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या बूंदी शहर के पास कोई उद्योग लगाने की योजना है? यदि हां, तो क्या?

(2) क्या यह सही है कि किसी उद्यमी ने उद्योग लगाने हेतु कोई प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है? यदि हां, तो कब और अब तक उसमें क्या कार्यवाही हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(320)

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

(3) क्या सरकार बूंदी जिले में नये उद्योग लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कौन-कौन से और कहां-कहां पर?

उत्तर

(1) दिनांक 1-4-1996 से बूंदी शहर एवं आसपास उद्योग लगाने हेतु 55 आवेदकों द्वारा उद्योग विभाग में अस्थाई पंजीयन हेतु आवेदन किये गये एवं इन सभी आवेदकों को अस्थाई पंजीयन जारी कर दिया गया। इनमें से 16 उद्यमियों ने उद्योग स्थापित कर उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है। अन्य 7 उद्यमियों द्वारा प्रभावी कदम उठाये गये। सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) भाग-I में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

(3) राज्य सरकार उद्योग नहीं लगाती है अपितु उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को आवश्यक आधारभूत सुविधाएं प्रदत्त करती है। इसी परिप्रेक्ष में इच्छुक उद्यमियों के लिये बूंदी शहर के पास रीको द्वारा ग्राम हट्टीपुरा में 185.11 बीघा भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पंचायती राज संस्थाओं को सरकार द्वारा शक्तियों का हस्तांतरण

260. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या सरकार ने पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों को अपने किन्हीं शक्तियों या कर्तव्यों का हस्तान्तरण किया है? यदि हां, तो संबंधित आदेशों/नोटिफिकेशनों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या गत चार वर्षों में उक्त संस्थाओं के सफल संचालन एवं आर्थिक स्थिति सुधार हेतु अनुदान की वृद्धि की है? यदि हां, तो कब-कब कितनी? आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं। परन्तु राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत पंचायतों को धारा 32 में, पंचायत समितियों को धारा 33 तथा जिला परिषदों को धारा 35 में व्यापक अधिकार प्रदान किये हैं। इसके अलावा उक्त अधिनियम की धारा 50 की प्रथम अनुसूची के अनुसार ग्राम पंचायतों को तथा धारा 51 की द्वितीय अनुसूची में पंचायत समितियों को तथा धारा 52 की तृतीय अनुसूची के अनुसार जिला परिषदों को कृत एवं शक्तियां प्रदान की गई हैं। प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) जी, हां। पंचायती राज संस्थाओं के सफल संचालन एवं आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु प्रथम राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार सामान्य अनुदान में वृद्धि की गयी है, जो निम्न प्रकार हैं:—

(राज्य मंत्री, पर्यावरण)

वर्ष जिसमें बढ़ी हुई दर दी जाती है	ग्राम पंचायतों को देय सामान्य अनुदान प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष	पंचायत समितियों को देय सामान्य अनुदान प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष	जिला प. को देय सामान्य अनुदान ब्लाक प्रतिवर्ष	पूर्व संशोधित प्रचलित कर दर (वर्ष 1991 जनगणना के अनुसार)	पूर्व संशोधित प्रचलित कर दर (वर्ष 1991 जनगणना के अनुसार)	पूर्व प्रचलित दर निर्धारित दर (प्रति पं.सं.)
1	2	3	4	5	6	7
1995-96	5/-	11/-	0.25	1.25	–	30000/-

1995-96 से पूर्व ग्राम पंचायतों को 4/- रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष भू-राजस्व मद से अनुदान देय था। जिसे वर्ष 1995-96 के बजट अभिभाषण में 5/- रुपये किया गया। इसके अतिरिक्त 6/- रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष राज. वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर दिया जा रहा है। जिस पर प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि की जावेगी। जिसके अनुसार वर्ष 1995-96 से 1998-99 तक अनुदान राशि निम्नानुसार है: —

1995-96	5.00 + 6.00 = 11.00
1996-97	5.00 + 6.60 = 11.60
1997-98	5.00 + 7.20 = 12.20
1998-99	5.00 + 7.80 = 12.80

पंचायत समिति एवं जिला परिषद् के अनुदान की दरों में 1995-96 के पश्चात् कोई संशोधन नहीं किया गया है। आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

पश्चिमी राजस्थान दुग्ध विकास संघ, जोधपुर द्वारा दुग्ध की दरें

261. श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : क्या डेयरी राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) गत तीन माह से पश्चिमी राजस्थान डेयरी यूनियन, जोधपुर के दुग्ध उत्पादकों की कितनी राशि बकाया है? क्या राजस्थान डेयरी संघ ने इन दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध की बकाया राशि का भुगतान कर दिया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) अब उक्त दुग्ध उत्पादकों को बकाया राशि का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान की रानीवाड़ा डेयरी व गुजरात की धानेरा डेयरी एक दूसरे से लगती हुई है? रानीवाड़ा एवं धानेरा डेयरी, दुग्ध उत्पादकों को प्रति लीटर क्या-क्या कीमत देती है?

(4) क्या उक्त कीमतों में अन्तर है? यदि हां, तो किस कारण?

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

(5) क्या यह सही है कि जालौर जिले के दुग्ध उत्पादकों को सबसे कम मूल्य का भुगतान किया जा रहा है?

(6) क्या सरकार इस समस्या का समाधान करेगी?

उत्तर

(1) पिछले माहों में औसतन 50 दिन का दुग्ध उत्पादकों का दुग्ध भुगतान लगभग रुपये 120 लाख बकाया रहा अन्य देनदारियों को रोक कर दुग्ध उत्पादकों को भुगतान करने की कोशिश की गई इसके बावजूद भी वर्तमान में 60 लाख रुपये का भुगतान करना अभी शेष है। भुगतान ना कर पाने के कारणों का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) एक माह के अन्दर-अन्दर बकाया का भुगतान कर दिया जायेगा।

(3) जी नहीं। रानीवाड़ा एवं धानेरा डेयरी में दूध के क्रय मूल्य निम्न प्रकार हैं: —

डेयरी	फैट % में	एस.एन.एफ. % में	दर प्रतिकिलो फैट (रुपये में)
रानीवाड़ा	4%	8.5%	150
	4%	8.5% से अधिक	155
धानेरा	5 से 5.9 %	8.5 से 8.9%	155

(4) जी, नहीं।

(5) जी, हां, राज्य के दुग्ध संघों की तुलना में सबसे कम है। वर्तमान में संघ की वित्तीय स्थिति व इस क्षेत्र में प्रचलित भावों के अनुसार दुग्ध क्रय दरें निश्चित की जा रही है।

(6) जालौर-सिरोही दुग्ध संघ द्वारा अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने के प्रयास किये जा रहे हैं एवं जैसे-जैसे स्थिति में सुधार आयेगा दुग्ध क्रय दरें उसी के अनुसार रखी जाएगी।

परिशिष्ट "क"

भुगतान नहीं करने का मुख्य कारण गत कई वर्षों से दुग्ध संघ में हुई लगातार हानि है जो कि निम्न प्रकार रही: —

वर्ष	हानि (लाख रुपये में)
1992-93	59.78
1993-94	94.47
1994-95	88.52
1995-96	19.55
1996-97	44.11
1997-98	50.00 (अनुमानित)

पिछले दो वर्षों में संघ की वित्तीय स्थिति सुधारने के प्रयास जारी है। इसके लिये संघ की तरल दुग्ध बिक्री पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जहां वर्ष 1997-98 में अप्रेल-जुलाई की अवधि में बिक्री 23 हजार लीटर प्रतिदिन थी वह इस वर्ष लगभग 36000 लीटर चल रही है।

मदर डेयरी के माध्यम से दुग्ध संघ की समय समय पर कार्यशील पूंजी की सहायता उपलब्ध करवाई गयी है जिससे कुछ हद तक

(राज्य मंत्री, डेयरी)

दुग्ध उत्पादकों के बकाया भुगतान चुकाये जा सके हैं।

वर्ष 1998-99 की संघ द्वारा तैयार की गई वार्षिक योजना में यह लक्ष्य रखा गया है कि औसतन दुग्ध संकलन को 65 हजार लीटर प्रतिदिन एवं दुग्ध विपणन को 40 हजार लीटर प्रतिदिन तक पहुंचाया जाएगा। वार्षिक योजना के अनुसार दुग्ध संघ को वर्ष 1998-99 में लगभग 33 लाख रुपये का लाभ होने का अनुमान है। इन प्रयासों से यह आशा है कि भविष्य में दुग्ध उत्पादकों को समय पर भुगतान हो सकेगा।

पंचायत समिति लूणकरणसर तथा बीकानेर में पौष्टिक आहार वितरण

262. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) पंचायत समिति, लूणकरणसर एवं बीकानेर के कौन-कौन से आंगनबाड़ी केन्द्रों पर माह जनवरी, 1998 से मई, 1998 तक कितना-कितना पौष्टिक आहार वितरित किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त केन्द्रों पर कौन-कौन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कब से कार्यरत हैं? सूची मय नाम के सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त केन्द्रों पर निरीक्षण किस-किस अधिकारी द्वारा कब-कब किया गया?

उत्तर

(1) पंचायत समिति लूणकरणसर एवं बीकानेर के अंतर्गत क्रमशः 60 एवं 205 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। इन केन्द्रों पर माह जनवरी, 98 से मई, 98 तक लूणकरणसर में 22703 किलोग्राम सी.एस.बी. तथा 2854 किग्रा. एस. ऑयल व बीकानेर में 11398 किग्रा सी.एस.बी. व 12926 किग्रा एसआयल वितरित किया गया। वितरित किये गये पोषाहार का विवरण सदन की पटल पर प्रस्तुत है (परिशिष्ट "अ")

(2) उपरोक्त केन्द्रों पर कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सूची केन्द्रवार सदन की मेज पर प्रस्तुत है (परिशिष्ट "ब")

(3) आंगनवाड़ी केन्द्रों पर किये गये निरीक्षणों का विवरण संलग्न है (परिशिष्ट 'स')

(सूची एवं विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

डूंगरपुर में आदिवासी बस्तियों का विद्युतीकरण

263. श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के माध्यम से आदिवासी बस्तियों के विद्युतीकरण हेतु बिजली बोर्ड डूंगरपुर को राशि जमा करवा रखी है? यदि हां, तो मण्डल में कुल कितने गांवों की कितनी राशि जमा कर रखी है व

(श्री शंकरलाल अहारी)

आज तक कितने आदिवासी बस्तियों में विद्युतीकरण हुआ है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है इस योजना के अंतर्गत विगत कई वर्षों से करोड़ों रुपये की राशि विद्युत मण्डल के पास जमा है? यदि हां, तो इस राशि का समय पर गांवों के विद्युतीकरण के लिये उपयोग क्यों नहीं किया गया? क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई जांच कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग ने वर्ष 1990-91 से 61 बस्तियों के विद्युतीकरण हेतु कुल रुपये 61.23 लाख विद्युत मण्डल डूंगरपुर को हस्तान्तरित किये हैं। मार्च, 1998 तक 59 बस्तियों के विद्युतीकरण पर रुपये 56.59 लाख व्यय हो चुके हैं।

(2) जी, हां। बस्तियों की विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत वर्ष 1990-91 से मार्च, 98 तक विभाग द्वारा 199 बस्तियों के विद्युतीकरण हेतु राज्य विद्युत मण्डल को कुल रुपये 191.64 लाख हस्तान्तरित किये हैं, मई, 98 तक मण्डल द्वारा 175 बस्तियों के विद्युतीकरण पर रुपये 168.00 लाख का उपयोग कर लिया गया है, हस्तान्तरित सम्पूर्ण राशि के उपयोग में मण्डल की ओर से विलम्ब हुआ है। इस सम्बन्ध में जांच विचाराधीन नहीं है। विद्युती बस्तियों के सत्यापन का कार्य विभाग द्वारा कराया जा रहा है।

जिला नागौर में जल ग्रहण योजना पर व्यय

264. **श्री रूपाराम** (मकराना) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) जिला नागौर में जल ग्रहण योजना कब से प्रारम्भ की गई है तथा इस पर अब तक कितना व्यय किया गया? विधान सभा वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना में 1995 से मार्च, 1998 तक किस-किस क्षेत्र में क्या-क्या कार्य करवाया गया है तथा अब क्या कार्य करवाने की योजना सरकार के विचाराधीन है?

(3) क्या उक्त योजना पर व्यय की गई राशि के कार्यों का मूल्यांकन भी करवाया गया है? यदि हां, तो कब और उसके क्या परिणाम रहे?

(4) क्या उक्त योजना पर कार्यरत कर्मचारियों अथवा व्यय की गई राशि के विषय में शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला नागौर में जल ग्रहण विकास परियोजना अन्तर्गत राष्ट्रीय जलग्रहण विकास परियोजना वर्ष 1991-92 से एवं मरु विकास कार्यक्रम तथा सुनिश्चित रोजगार कार्यक्रम वर्ष 1993-94 से प्रारम्भ किये गये। उक्त तीनों

(राज्य मंत्री, डेयरी)

योजनाओं पर अब तक कुल 1582.80 लाख का व्यय किया गया। व्यय का विधान सभावार विवरण परिशिष्ट एक पर प्रस्तुत है।

(2) उक्त योजनाओं में वर्ष 95-98 तक विभिन्न क्षेत्रों में जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण के कार्य क्रमशः मेड़बंदी, चरागाह विकास, नालास्थरीकरण, खडीन निर्माण आदि कार्य करवाये गये। करवाये गये कार्यों का विधान सभा क्षेत्रवार योजनावार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। उक्त कार्य वर्ष 2002 तक सम्पादित करवाये जाने हैं। अतः कोई नया कार्य वर्तमान में प्रस्तावित नहीं है।

(3) योजनान्तर्गत कार्यों का सम्पादन अधिकारियों की देख-रेख में करवाया जाता है जिसका निरीक्षण उच्च अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किया जाता है। विभाग के कार्यों के मूल्यांकन एवं जांच हेतु एक प्रकोष्ठ का गठन किया हुआ है जिसके द्वारा नमूना निरीक्षण द्वारा कार्यों की गुणवत्ता की जांच की जाती है। नागौर क्षेत्र के कार्यों एवं अन्य संधारित रिकार्ड की जांच अक्टूबर, 1996 एवं जून, 1997 में की जाकर कार्यवाही की गयी जिसका विवरण इस प्रश्न के भाग 4 पर अंकित है।

(4) गत दो वर्षों में नागौर खण्ड में विभाग द्वारा करवाये गये विभिन्न कार्यों में तीन प्रकरणों में अनियमितताएं पायी गयीं जिनमें निम्न प्रकार कार्यवाही की गयी है: —

1. सर्वे कार्यों में की गयी अनियमितता के लिये श्री एस. एस. सक्सैना तत्कालीन उप निदेशक, नागौर को राज. सिविल सेवा के नियम 16 के तहत राज्य सरकार द्वारा आरोप पत्र दिया जा चुका है।

2. बडेड बेर क्रय करने के प्रकरण में पायी अनियमितता के परिणामस्वरूप श्री एस. एस. सक्सैना, तत्कालीन उप निदेशक, नागौर के विरुद्ध राज. सिविल सेवा नियम-16 के तहत राज्य सरकार द्वारा आरोप पत्र जारी किये जा चुके हैं तथा श्री आर. के. अरोड़ा तत्कालीन संयुक्त निदेशक वृत्त अजमेर के विरुद्ध आरोप पत्र निदेशक, कृषि विभाग को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजे जा चुके हैं।

3. निर्माण सामग्री में पायी गयी अनियमितताओं के फलस्वरूप श्री अर्जुन सिंह राठौड़ तत्कालीन कृषि अधिकारी, श्री रघुवीर सिंह राठौड़, कनिष्ठ अभियंता एवं श्री अणदाराम चौधरी, कृषि पर्यवेक्षक को राज्य सरकार द्वारा निलम्बित कर संबंधित को आरोप पत्र जारी किया जा चुका है।

विधान सभावार जल ग्रहण योजनाओं पर अब तक
(97-98 तक) किये गये व्यय का विवरण

क्र.सं.	विधान सभा क्षेत्र	योजना			
		रा. ज. ग्र. यो.	म. वि. यो.	सुरो. यो.	योग
1	2	3	4	5	6
1.	नागौर	113.14	5.30	–	118.44
2.	मूण्डवा	119.39	25.87	–	145.26
3.	मेड़ता	128.27	52.93	–	181.20
4.	डेगाना	74.79	–	–	74.79
5.	परबतसर	108.75	169.82	25.66	304.23
6.	मकराना	99.36	178.58	4.24	282.18
7.	नावां	69.33	103.76	–	173.09
8.	डीडवाना	85.91	–	–	85.91
9.	लाडनूं	87.41	14.54	–	101.95
10.	जायल	49.56	66.16	–	115.72
	योग	935.94	616.96	29.90	1582.80

परिशिष्ट-2

विधान सभा क्षेत्रवार, योजना वार ग्रामों की सूचि जहां-जहां कार्य कराये गये

क्र.सं.	नाम विधान सभा क्षेत्र	ग्रामों के नाम		
		राष्ट्रीय जल ग्रहण विकास कार्यक्रम	मरु विकास कार्यक्रम	सुनिश्चित रोजगार योजना
1	2	3	4	5
1.	नागौर	बुड़ी, बतयानी, दरणगांव, कुमारी, जोसियाद, बापोड़	रोहिणी	
2.	मून्डवा	वैनणी चित्तालो, छिलोड़ी, दियाव डी कंकडाय, पंवला सिद्धा	रुण, रोहीणी	
3.	मेड़ता	नराघनों की ढाणी, डोडिया, दरसोलाव, उसायरी, धोद, आलनियावास, लूंगिया सूरजगढ़ बीजा थल।	बृजपुरा, पिपलाया बीजाथल, लांडपुरा	
4.	डेगाना	ईडवा, आछोजाई, पालोवास		
5.	मकराना	मोरेड, सिरसू, बिलू	बदरी, झोलिया, पालड़ो लाडौली हुल ढाणी, काकोट वसदन्तपुरा, सबलपुर, चारणवास, सवाईपुरा	हनुमान की ढाणी, युद्धा सिद्धीवास

1	2	3	4	5
6.	परबतसर	राघडियाद बानसुर, मून्डोता, धोलिया, आजमा बीसास, पालडा	धोकलिया, मेडगांव, रूणिया, कालेसरा, पीलदा, झावेरा, चारणवास मान्डण, बून्डियास, रामसिया पीपलाद, सांचोर।	मायापुर, एवांल, चारणवास, बड़सिया, बरुण
7.	नावां	बंदशी, मीठड़ी	कांसेड़ा, खारडिया	
8.	डीडवाना,	बालिया, रायसिंहपुरा, जानकीपुरा गोदराज, खुनबूना, पावा।		
9.	लाडनूं	बलदू, दत्साऊ	खामियाद	
10.	जायल	अम्बाली, फिरोजपुरा, कठौति ढाणी, खाटू कचरास हिरासनी, बरमेल	छाजौली, डेह, बादल	

परिशिष्ट-2

(अतारांकित प्रश्न संख्या-307 का विवरण)

तहसील बौंली एवं बामनवास में वर्ष 1997-98 में कराये गये वन विकास कार्यों हेतु ठेकेदारों से प्राप्त निविदा फार्म जिनसे कार्य कराये गये तथा दरों का विवरण

क्र.सं.	कार्य का नाम	ठेकेदार जिनसे निविदा फार्म प्राप्त हुए	ठेकेदार जिससे कार्य कराये गये	दर (रेट)
1.	बोरखेड़ा	श्री दुष्यंत सिंह श्री मुरारीलाल मीणा	श्री दुष्यंतसिंह	बी.एस.आर. से 0.18 % कम
2.	हिन्दुपुरा	श्री मुरारीलाल मीणा श्री कैलाश चन्द्र शर्मा श्री अमर सिंह	श्री अमर सिंह	बी.एस.आर. से 25% कम
3.	खेड़ा	श्री बजेन्द्र सिंह श्री मुरारीलाल मीणा	श्री ब्रजेन्द्र सिंह	बी.एस.आर. से 10% कम
4.	कुंआगांव	श्री मिश्रीलाल श्री रामलाल मीणा श्री मदन गोपाल शर्मा श्री श्रीचन्द्र गुर्जर कैलाश चन्द शर्मा रमेश चन्द बैरवा	श्री चन्द गुर्जर	बी.एस.आर. से 17.26% कम
5.	रेवासा	श्री भरतसिंह श्री दुष्यन्त सिंह	श्री भरतसिंह	बी.एस.आर. से 1.35% कम
6.	बिन्छुदोंना	श्री ओपेन्द्र सिंह	श्री ओपेन्द्र सिंह	बी.एस.आर. से 5% कम

(320)

परिशिष्ट-3

परिशिष्ट-1

(अतारांकित प्रश्न संख्या 311 की प्रतियां)

राजस्थान सरकार

कृषि निदेशालय राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ 8 (1) पार्ट-III/नि.कृ/जउप/98-99/10085-10211 दिनांक 12-5-1998

1. उप निदेशक कृषि (विस्तार) ....
2. सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) ....
3. उप जिला ....

विषय: —जल बजट योजना वर्ष 1998-99 के क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि गत वर्ष की भांति राजस्थान में जल संसाधनों के समुचित उपयोग हेतु फव्वारा सिंचाई कार्यक्रम वर्ष 1998-99 के लिये क्रियान्वित किया जा रहा है। निदेशालय के पत्रांक एफ 8 (1) III/नि. कृ/जउप/97-98 2573-2700 दिनांक 23-8-97 द्वारा वर्ष 1997-98 में फव्वारा सिंचाई कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु भेजे गये दिशा निर्देश वर्ष 1998-99 में भी लागू रहेंगे। वर्ष 98-99 के लिये नाबार्ड द्वारा इकाई लागत संशोधित कर दी है जो निम्न प्रकार है:—

क्र.सं.	फव्वारा माडल है	नाबार्ड एल्यू.	यूनिट दर एचडी.पीई.	सामान्य देय अनुदान एल्यू	कृषक को एचडी.पीई.	लघु/सीमान्त/अजा/अजजा/महिला कृषकों को देय अनुदान	
						एल्यू	एचडी.पीई.
1.	0.5	—	8500	—	3500	—	5000
2.	1.0	20700	15700	7000	7000	10000	10000

ये दिशा निर्देश 31-3-99 तक प्रभावी रहेंगे। कृपया दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

ह.

निदेशक, कृषि

कृषि निदेशालय राज. जयपुर

परिशिष्ट-2

राजस्थान सरकार

कृषि निदेशालय, राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ 8 (1) II/नि.कृ/जउप/98-99/11262-412 दिनांक : 26-6-98

1. परियोजना निदेश, कृषि (विस्तार) सी. ए. डी. कोटा/ आई.जी.एन.पी. बीकानेर।

2. उप नियो. कृषि (विस्तार)....................

विषय : फव्वारा सिंचाई कार्यक्रम वर्ष 1998-99 के क्रियान्वयन बाबत।

सचिव, कृषि, राजस्थान सरकार ने अपने यू.ओ. नोट क्रमांक एफ 4 (41) कृषि-2/98/दिनांक ..-6-98 के द्वारा अवगत करवाया गया है कि फव्वारा सेट के आवेदन पत्रों का पंजीकरण का कार्य केवल प्राथमिक भूमि विकास बैंक ही करेगी। कृषि विभाग प्राथमिक भूमि विकास बैंक द्वारा अनुदान से स्थापित फव्वारा सेट का रेण्डम प्रणाली के आधार पर 20 प्रतिशत भौतिक सत्यापन करेगा। कृषि विभाग वर्ष 1998-99 में फव्वारा सेटों के आवेदन पत्रों का किसी भी प्रकार का पंजीकरण नहीं करेगा। केन्द्रीय सहकारी बैंक भी किसी भी प्रकार का पंजीकरण नहीं करेगा अतः निदेशालय के पत्र क्रमांक 11115-11230 दिनांक 15-6-98 के द्वारा जारी आदेशों को निरस्त समझा जावे।

ह.
संयुक्त निदेशक, कृषि (शष्य)
जल उपयोग प्रकोष्ठ

परिशिष्ट-4

(अतारांकित प्रश्न संख्या-313 का विवरण)

जिला झुन्झुनूं में अनौ. शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1997-98 में मार्च, 98 तक पंचायत समितियों द्वारा मदवार किया गया व्यय का विवरण

क्र.सं.	नाम पंचायत समिति	अनुदेशक मानदेय	पर्यवेक्षक मानदेय	प्रकाश व्यय	शिक्षण सामग्री पर व्यय	आकस्मिक व्यय	कुल
1.	पंचायत समिति झुंझुनूं	1,61,166	26,638	80,584	—	25,533	2,93,941
2.	पंचायत समिति बुहाना	97,000	13,875	48,500	1,76,514	—	3,35,889
3.	पंचायत समिति चिड़ावा	1,34,004	30,579	67,107	1,79,103	1,307	4,12,100
4.	पंचायत समिति अलसीसर	5,40,033	68,200	28,867	1,64,360	4,179	8,05,639
5.	पंचायत समिति खेतड़ी	9,841	792	4,565	1,51,330	12,732	1,79,260
6.	पंचायत समिति उदयपुरवाटी	3,52,566	34,063	1,76,280	3,08,415	2,052	8,73,376
	योग	12,94,610	1,74,147	4,05,903	9,79,722	45,823	29,00,205

सहायक निदेशक (अनौ. शिक्षा) झुंझुनूं द्वारा मदवार किया जाने वाला व्यय)

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	संवेतन	यात्रा	चिकित्सा	कार्या. व्यय	वाहन संधारण	प्रचार-प्रसार	जीप किराया	कुल
1.	सहा. निदेशक (अनौ. शिक्षा, झुंझुनूं)	16,50,396	58,500	29,000	50,174	3,123	12,536	10,102	18,14,371

परिशिष्ट-5 परिशिष्ट-क

(अतारांकित प्रश्न सख्या 315 का विवरण एवं प्रति)

लाडनूं विधान सभा क्षेत्र में संचालित प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों की संख्या एवं पद स्थापित अध्यापकों का विवरण

क्र.सं.	नाम विद्यालय	छात्र संख्या	स्वीकृत पद I	III	रिक्त पद रिक्त	कब से
1	2	3	4	5	6	7
1.	रा. उ. प्रा. वि. नं. 1 लाडनूं	305	01	10	01	12/97
2.	रा. उ. प्रा. वि. नं. 2 लाडनूं	376	02	11	–	
3.	रा. उ. प्रा. वि. नं. 3 लाडनूं	508	02	10	–	
4.	रा. उ. प्रा. वि. बाकलिया	345	02	08	–	
5.	रा. उ. प्रा. वि. रीगण	225	01	04	–	
6.	रा. उ. प्रा. वि. तंवरा	352	01	08	02	10/97, 3/98
7.	रा. उ. प्रा. वि. घ्यावा	494	01	05	–	
8.	रा. उ. प्रा. वि. सांवराद	218	01	06	–	
9.	रा. उ. प्रा. वि. हुड़ास	392	01	06	–	
10.	रा. उ. प्रा. वि. उदरासर	221	01	06	–	
11.	रा. उ. प्रा. वि. सारड़ी	426	01	06	–	
12.	रा. उ. प्रा. वि. सिलनवाद	400	01	07	–	
13.	रा. उ. प्रा. वि. ऑडिट	335	01	07	–	
14.	रा. उ. प्रा. वि. बालसमन्द	377	01	09	–	
15.	रा. उ. प्रा. वि. डाबड़ी	245	01	08	–	
16.	रा. उ. प्रा. वि. मंगलपुरा	295	01	07	–	
17.	रा. उ. प्रा. वि. ढींगसरी	239	01	05	–	
18.	रा. उ. प्रा. वि. चन्दराई	204	01	04	–	
19.	रा. उ. प्रा. वि. फिरवासी	402	01	06	–	
20.	रा. उ. प्रा. वि. मालगांव	258	01	06	–	
21.	रा. उ. प्रा. वि. सुनारी	419	01	07	–	
22.	रा. उ. प्रा. वि. सीवां	349	01	06	–	
23.	रा. उ. प्रा. वि. दुजार	345	01	06	–	
24.	रा. उ. प्रा. वि. लाछड़ी	264	01	05	01	4/98
25.	रा. उ. प्रा. वि. खमियाद	256	01	05	–	
26.	रा. उ. प्रा. वि. इन्द्रपुरा	207	01	05	–	
27.	रा. उ. प्रा. वि. छपारा	310	01	05	–	

1	2	3	4	5	6	7
28.	रा. उ. प्रा. वि. भरनावा	206	01	05	01	1/98
29.	रा. उ. प्रा. वि. गेनाणा	372	01	05		
30.	रा. उ. प्रा. वि. सिकराली	285	01	05		
31.	रा. उ. प्रा. वि. मिण्डासरी	218	सत्र 97-98 में क्रमोन्नत पंचायत			
32.	रा. उ. प्रा. वि. मीठड़ी (लाडनूं)	187	समिति के अध्यापक कार्यरत			
33.	रा. उ. बा. प्रा. वि. मीठड़ी (लाडनूं)	127	01	06	–	
34.	रा. उ. प्रा. वि. लैडी	231	01	05	–	
35.	रा. उ. प्रा. वि. कसूम्बी	292	01	05	–	
36.	रा. उ. प्रा. वि. रोडू	179	01	05	–	
37.	रा. उ. प्रा. वि. जसवन्तगढ़	295	01	11	–	
38.	रा. उ. प्रा. वि. रताऊ	182	01	05	–	

परिशिष्ट-ख

राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु समानीकरण मानदण्ड

प्राथमिक स्तर

1.	अविक्त इकाई:–	1 अध्यापक	(49 से अधिक छात्र संख्या पर 40 छात्र पर एक अतिरिक्त)
2.	3 से 5– 1 से 5 तक के विद्यालय में	3 अध्यापक 4 अध्यापक कम से कम	(तीनों कक्षा होने पर प्रत्येक पर एक अतिरिक्त अध्यापक वर्गों की संख्या जो छात्रों की संख्या पर निर्भर है पर कक्षा कक्ष की स्थिति को देखते हुये निर्धारित होगी। जिसका विवरण दिया जाना आवश्यक हैं।

300 छात्रों से अधिक पर द्वितीय वेतन श्रृंखला प्रधानाध्यापक होगा वह अतिरिक्त होगा।

उच्च प्राथमिक स्तर

1. प्राथमिक स्तर के लिये उपरोक्तानुसार
2. 6 से 8 तक 1 अध्यापक प्रत्येक कक्षा वर्ग के लिये (कम से कम 3) + 1 अध्यापक अल्प भाषा (यदि हो) संस्कृत छोड़कर + 5 वर्गों पर एक अध्यापक अतिरिक्त

टिप्पणी

1. वर्गों का निर्धारण छात्र संख्या के आधार पर होगा।
2. 25 छात्रों से कम का वर्ग नहीं रखा जावें। 750 छात्रों पर प्रथम श्रेणी अध्यापक साथ ही यदि प्राथमिक में 300 छात्र भी हो तो द्वितीय श्रेणी अध्यापक अतिरिक्त
3. 600 छात्रों से अधिक होने पर शारीरिक शिक्षक अतिरिक्त होगा।

विशेष—40 छात्रों पर एक अध्यापक उचित।

(336)

परिशिष्ट-6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 316 की सूची)

विधान सभा क्षेत्र डेगाना में संचालित माध्यमिक विद्यालयों का विवरण

1. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, बिखरनियाकलां
2. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, चकढाणी
3. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, चम्पाखेड़ी
4. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, ईड़वा
5. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, जाखेड़ा
6. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, जालूनानक
7. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, खुड़ीकलां
8. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, कीतलसर
9. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, निमड़ीकलां
10. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, निमड़ी चांदावतां
11. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, सिरासना
12. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, आलनियावास
13. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, भैरुन्दा
14. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, डोडियाना

Page No. 337

(337)

परिशिष्ट-7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 318 का विवरण एवं प्रति)

राज्य में उप जिला शिक्षा अधिकारी (शारीरिक शिक्षा) के स्वीकृत पद

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	आवंटित पद
1	2	3
1.	उपनिदेशक (माध्यमिक) अजमेर	1
2.	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) बीकानेर	1
3.	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) गंगानगर	1
4.	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) झुंझुनूं	1
5.	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) जोधपुर	1
6.	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) पाली	1
7.	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) बाड़मेर	1
8.	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) जैसलमेर	1
9.	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) जालौर	1
10.	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) सिरोही	1
11.	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) राजसमंद	1
12.	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) चित्तौड़	1
13.	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) बांसवाड़ा	1
14.	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) डूंगरपुर	1
15.	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) बारां	1
16.	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) बूंदी	1
17.	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) झालावाड़	1
18.	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) करौली	1
19.	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) नागौर	1
20.	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) भीलवाड़ा	1
21.	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) टौंक	1
22.	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) जयपुर-II	1
23.	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) दौसा	1
24.	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) अलवर-I	1

1	2	3
25.	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) भरतपुर-I	1
26.	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) धौलपुर	1
27.	उपनिदेशक (प्रशासन) बीकानेर	1
28.	उपनिदेशक (माध्यमिक) जयपुर	1
29.	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) कोटा	1
30.	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) उदयपुर	1
31.	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) जयपुर-I	1
32.	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) जयपुर-II	1
33.	उपनिदेशक (प्रारम्भिक) जयपुर	1
34.	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) अलवर	1
35.	उपनिदेशक (माध्यमिक) जयपुर	1
36.	गुरु गोविन्द सिंह सी.मा.वि., उदयपुर	1
37.	रा.मा.वि. (सीनियर) खेडली, उदयपुर	1
38.	उपनिदेशक (प्रारम्भिक) अजमेर	1
39.	उपनिदेशक (प्रारम्भिक) चूरू	1
40.	उपनिदेशक (प्रारम्भिक) जोधपुर	1
41.	उपनिदेशक (प्रारम्भिक) जयपुर	1
42.	उपनिदेशक (प्रारम्भिक) कोटा	1
		42

उप जिला शिक्षा अधिकारी (शारीरिक शिक्षा) के पद स्वीकृत करने के मानदण्ड

1. परिवीक्षण

अ. 25 सीमावि एवं मावि के शारीरिक शिक्षा संबंधी कार्यों का का वर्ष में एक बार निरीक्षण (जिसमें छात्र एवं छात्रा सभी प्रकार के विद्यालय शामिल होगा)

ब. 25 उप्रा.विद्यालयों का शारीरिक शिक्षा कार्यों का वर्ष में एक बार निरीक्षण

	स. जिले के खेल संगम, कोचिंग सेन्टर आदि का वर्ष में दो बार निरीक्षण द. भ्रमण दिवस-60 रात्रि विश्राम-30 नोट : जिले के जि.शि.अ. के साथ ही अपना निरीक्षण कार्य करेंगे।
2. बैठकें	अ. उच्च अधिकारियों द्वारा बुलाई गयी बैठकों में शतप्रतिशत भाग लेना। ब. जिले में कार्यरत समस्त शारीरिक शिक्षक के लिये त्रि-दिवसीय कार्यशाला का आयोजन करना। स. जिला एवं राज्यस्तरीय खेल-कूद प्रतियोगिताओं के एक दिन पूर्व निर्णायकों की क्लीयरिंग मीटींग का आयोजन करना।
3. व्यवसायिक उन्यन	अ. शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा पाठ्यक्रम क्रियान्विति योजना की समीक्षा। ब. शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक पक्ष का मूल्यांकन एवं प्रयोजन। स. व्यवसायिक योग्यता वृद्धि, सेवारत प्रशिक्षण एवं अनुसंधान कार्य
4. खेलकूद प्रतियोगिता आयोजन-योजना एवं प्रबन्ध कार्य	जिला स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक की विभिन्न आयु वर्गों की छात्र/छात्रा प्रतियोगिताओं की व्यवस्था के मानवीय (वित्तीय) अभिलेखीय तकनीकी पहलुओं की व्यवस्था (प्रबन्ध)
5. सहायता एवं सहयोग	अ. सहशैक्षिक प्रवृत्तियों एवं उत्सवों का आयोजन ब. क्षेत्र एवं जिले की शारीरिक व स्वास्थ्य शिक्षा एवं खेलकूद योजना का निर्माण स. सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन द. शोध एवं अनुसंधान कार्यक्रम
6. कार्यालय कार्य	अ. अंकेक्षण का क्षेत्र, विभागीय जांच दल एवं बजट आक्षेपों के प्रकरणों की शतप्रतिशत उपलब्धी कराना ब. उच्चाधिकारियों एवं कार्यलयी प्रक्रिया अन्तर्गत समस्त प्रकार के कार्यालय अभिलेखों का संधारण।

परिशिष्ट-8

(अतारांकित प्रश्न संख्या-320 का विवरण)

वर्ष 98-99 में स्वीकृत/आवंटित चिकित्सा पुनर्भरण राशि का विवरण

बजट मद :—2202 सामान्यशिक्षा, 02-माध्यमिक शिक्षा

क्र.सं.	जिले का नाम	आवंटित राशि	
1.	चूरू	11,25,000/-	
2.	बीकानेर	6,89,000/-	
3.	झुन्झुनूं	14,05,000/-	मद-2202-सामान्य शिक्षा
4.	गंगानगर	7,05,000/-	02-माध्यमिक शिक्षा
5.	हनुमानगढ़	6,84,000/-	796-जनजाति क्षेत्र उप
6.	उदयपुर	4,39,000/-	योजना में कुल
7.	राजसमंद	3,20,000/-	आवंटित राशि
8.	चित्तौड़गढ़	10,01,000/-	4,20,000/-
9.	बांसवाड़ा	3,02,000/-	
10.	डूंगरपुर	2,34,000/-	
11.	कोटा	8,53,000/-	
12.	बारां	5,85,000/-	
13.	बूंदी	6,21,000/-	
14.	झालावाड़	5,73,000/-	
15.	करौली	8,24,000/—	
16.	सवाईमाधोपुर	7,77,000/-	
17.	जयपुर	26,21,000/-	
18.	दौसा	8,22,000/-	
19.	सीकर	14,81,000/-	
20.	अलवर	19,09,000/-	
21.	धौलपुर	4,55,000/-	
22.	भरतपुर	14,93,000/-	
23.	अजमेर	18,53,000/-	
24.	नागौर	15,35,000/-	
25.	भीलवाड़ा	16,25,000/-	
26.	टोंक	8,33,000/—	
27.	जोधपुर	14,13,000/-	
28.	पाली	11,83,000/-	
29.	सिरोही	5,42,000/—	
30.	बाड़मेर	7,23,000/-	
31.	जालौर	5,82,000/—	
32.	जैसलमेर	2,49,000/-	

परिशिष्ट-9
(अतारांकित प्रश्न संख्या 328 की प्रति)

भवन निर्माण से सम्बन्धित व्यय का विवरण

क्र.सं.	बिल सं. व दिनांक	केश बुक वाउचर संख्या व दिनांक	राशि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1.	64 29.4.97	1 1.5.97	51555.00	निर्माण सामग्री पत्थर, बजरी, मिट्टी का भुगतान
2.	133 14.5.97	62 14.5.97	38822.00	निर्माण सामग्री खण्डा, बजरी, चीरी का भुगतान
3.	199 19.5.97	122 27.5.97	63070.00	सीमेन्ट का भुगतान
4.	96 1.5.97	111 24.5.97	1500.00	विज्ञप्ति निविदा सूचना
5.	206 27.5.97	144-46 28.5.97	27020.00	मजदूरी भुगतान MR. No. 30291-93
6.	249 2.6.97	12 2.6.97	1767.00	विज्ञापन निविदा सूचना
7.	266 6.6.97	38-39 10.6.97	21196.00	मजदूरी भुगतान MR No. 30294, 36179
8.	281 12.6.97	75 23.6.97	44441.00	सेक्सन विण्डो, सरिया, पट्टी पत्थर
9.	288 24.6.97	79 24.6.97	900.00	विज्ञापन निविदा सूचना
10.	295 24.6.97	94-95 28.6.97	15938.00	मजदूरी भुगतान MR. No. 36180-81
11.	327 28.6.97	111 30.6.97	152153.00	खण्डा, बजरी, कोटा स्टोन, एंगिल (लोहा)
12.	328 28.6.97	113 A 30.6.97	11900.00	चीरी पत्थर

(342)

1	2	3	4	5
13.	329 / 28.6.97	112 / 30.6.97	24110.00	सटरिग किराया, वाइब्रेटर मशीन किराया खिडकी तथा रोशनदान शीशा
14.	355 / 30.6.97	128 / 30.6.97	81325.00	इलेक्ट्रीक फिटिंग
15.	356 / 30.6.97	113 / 30.6.97	285706.00	मिट्टी, किवाड़ जोड़ी, सीमेन्ट, टोर सरिया
16.	369 / 30.6.97	130 / 30.6.97	914313.00	मिट्टी, बजरी, जाल बन्धवाई, कलई ईट डिस्टेम्पर पेन्ट, घिसाई आदि भुगतान
17.	370 / 30.6.97	129 / 30.6.97	10920.00	इलेक्ट्रीक सामान
18.	373 / 30.6.97	131 / 30.6.97	79250.00	मीटिंग टेबल, कुर्सियां
19.	421 / 17.7.97	84 / 17.7.97	1710.00	विज्ञापन व्यय निविदा सूचना
20.	514 / 2.8.97	33 / 5.8.97	2508.00	कूलर पंखा
21.	651 / 8.9.97	74 / 11.9.97	1901.00	इलेक्ट्रिक फिटिंग
22.	886 / 8.10.97	178 / 17.10.97	52549.00	ईट, कलर, किराया (वल्ली, पटेला, ड्रम)
23.	887 / 8.10.97	126 / 14.10.97	1350.00	सीमेन्ट सफेद
24.	1047 / 23.10.97	254 / 23.10.97	49547.00	सरिया
25.	1218 / 15.11.97	93 / 17.11.97	83565.10	मजदूरी भुगतान Mr No. 36182-89
		योग	1220185.00	

ह.

विकास अधिकारी

पं. स. करौली जिला करौली

परिशिष्ट-10
(अतारांकित प्रश्न संख्या 333 की सूची)

परिशिष्ट-1

तहसील मुख्यालय नादौती एवं टोडाभीम को जिला मुख्यालय करौली से जोड़ने वाली निगम बस सेवाओं की सूची

क्र. सं.	मार्ग	प्रस्थान समय
1.	करौली से टोडाभीम वाया हिण्डौन	17.45
2.	टोडाभीम से करौली वाया हिण्डौन	06.45
3.	करौली से जयपुर वाया हिण्डौन-टोडाभीम	09.45
4.	जयपुर से करौली-कैलादेवी वाया टोडाभीम-हिण्डौन	12.45
5.	गडखेडा से करौली वाया नादौती	06.30
6.	करौली से गडखेड़ा वाया नादौती	16.30
7.	सिकन्दरा से करौली वाया नादौती	06.30
8.	करौली से सिकन्दरा वाया नादौती	17.00